श माला, खंड 6, अंक 23

मंगलवार, 25 अप्रैल, 2000
5 वैशाख, 1922 (शक)

NOT TO BE ISSUED
FOR REFERNCE ONLY.

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

तीसरा सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

PARLIAMENT LIBRARY
No. 3 61
Date 18/4/2001

(खंड 6 में अंक 21 से 30 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव

हरनाम सिंह
संयुक्त सचिव

प्रकाश चन्द्र भट्ट
प्रधान मुख्य सम्पादक

केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

जे.एस. वत्स
सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

उर्वशी वर्मा
सहायक सम्पादक

अरुणा वशिष्ठ
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 6, तीसरा सत्र, 2000/1922 (शक)]

अंक 23, मंगलवार, 25 अप्रैल, 2000/5 वैशाख, 1922 (शक)

विषय	कालम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 421 से 423 और 425	1-33
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 424 और 426 से 440	33-63
अतारांकित प्रश्न संख्या 4579 से 4808	63-380
सभा का कार्य	379-380
सभा पटल पर रखे गए पत्र	380-386
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	
दूसरा और तीसरा प्रतिवेदन	387
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	
विवरण	387
वित्त सम्बन्धी स्थायी समिति	
चौथा, पांचवां, छठा और सातवां प्रतिवेदन	388
पेट्रोलियम और रसायन सम्बन्धी स्थायी समिति	
चौथा, पांचवां और छठा प्रतिवेदन	388
श्रम और कल्याण सम्बन्धी स्थायी समिति	
तीसरा, चौथा और पांचवां प्रतिवेदन	389
मानव संसाधन विकास सम्बन्धी स्थायी समिति	
तिरानवेवां, चौरानवेवां, पचानवेवां और छियानवेवां प्रतिवेदन	389
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव – स्वीकृत	390-415
श्रीमती सोनिया गांधी	390
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	395
मंत्री द्वारा वक्तव्य	420-422
वर्ष 2000 के मौसम के लिए कोपरा और वर्ष 2000-2001 के मौसम के लिए कच्चे पटसन के लिए मूल्य नीति	
श्री सुन्दर लाल पटवा	420

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कालम
समिति के लिए निर्वाचन	
भारतीय क्षय रोग संघ की केन्द्रीय समिति	425
नियम 377 के अधीन मामले	**425—433**
(एक) बावनवास क्षेत्र में सूखे से प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार को धनराशि प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्रीमती जसकौर मीणा	425
(दो) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 86 को कानपुर से भोपाल तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता	
श्री वीरेन्द्र कुमार	426
(तीन) नमक उपकर का कुछ हिस्सा उड़ीसा में सोनाला और समपुर तटीय सड़क की मरम्मत के लिए आवंटित किए जाने की आवश्यकता	
श्री अनादि साहू	426
(चार) गुजरात में सूरजबाड़ी से समख्याली तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8क को चार लेन वाला बनाए जाने की आवश्यकता	
श्री पी.एस. गढ़वी	427
(पांच) पंजाब के फिल्लौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में गुरदासपुर जिले में श्री हरगोविन्दपुर और घुमान कस्बों में रसोई गैस विक्रय केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता	
श्रीमती संतोष चौधरी	427
(छह) केरल के क्विलोन जिले में कोट्टरकारा में क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता	
श्री कोडीकुनील सुरेश	428
(सात) पश्चिम बंगाल में उत्तरी मालदा का चहुंमुखी विकास किए जाने की आवश्यकता	
श्री प्रियरंजन दासमुंशी	428
(आठ) केरल के मछुआरों के लाभ के लिए सी.आर.जेड. अधिसूचना में संशोधन किए जाने की आवश्यकता	
श्री टी. गोविन्दन	429
(नौ) आन्ध्र प्रदेश में विमान पत्तन प्राधिकरण की भूमि से हटाए गए परिवारों, जिन्हें लोथुकुन्ता और कुकटपल्ली में बसाया जा रहा है, के पुनर्वास के लिए आवश्यक धनराशि प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्री राम मोहन गाड्डे	430
(दस) उत्तर प्रदेश में इटावा और शाहजहांपुर के बीच शीघ्र रेल लाइन बिछाया जाना सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
श्री चन्द्र भूषण सिंह	430

विषय | कालम

(ग्यारह) हिमालय से निकलने वाली नदियों को प्रायद्वीपीय नदियों से जोड़े जाने और "गंगा-कावेरी लिंक गारलैंड केनाल प्रोजेक्ट" को स्वीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता

डा. एस. जगतरक्षकन 431

(बारह) महाराष्ट्र में रायगढ़ में जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास स्थित न्हावा क्रीक के मुहाने से "रॉक पैचेज" हटाए जाने तथा मुहाने को चौड़ा किए जाने की आवश्यकता

श्री रामशेठ ठाकुर 432

सामान्य बजट, 2000-2001—अनुदानों की मांगें

संचार मंत्रालय – स्वीकृत 434-552

श्री संतोष मोहन देव 435

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय 444

श्री रूपचन्द पाल 450

श्री प्रभुनाथ सिंह 458

श्री के.ए. सांगतम 462

श्री सुबोध मोहिते 468

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह 474

श्री महेश्वर सिंह 479

डा. वी. सरोजा 484

श्री राम मोहन गाड्डे 487

श्री रामसागर रावत 489

वैद्य विष्णु दत्त शर्मा 491

श्री लक्ष्मण सिंह 493

श्री ए. ब्रह्मनैया 498

श्री रामदास आठवले 501

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम 503

श्री मणि शंकर अय्यर 509

श्री ई. अहमद 514

श्री हरीभाऊ शंकर महाले 518

डा. सुशील कुमार इन्दौरा 519

श्री राम रघुनाथ चौधरी 521

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर 525

श्री राम विलास पासवान 526

लोक सभा

मंगलवार, 25 अप्रैल, 2000/5 वैशाख, 1922 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

शिक्षा-गारंटी योजना

***421. श्री [+] सुबोध मोहिते :**
प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में शिक्षा-गारंटी योजना क्रियान्वित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसका मूल ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसमें ग्राम स्तर पर समाज की अधिक सहभागिता लेने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो इसके अंतर्गत राज्यों को उपलब्ध कराई जाने वाली प्रस्तावित वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस योजना का देश के सभी जिलों में क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या बच्चों द्वारा स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ने के कारणों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया गया है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ज) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

वैकल्पिक एवं अभिनव शिक्षा योजना, जिसे अभी अंतिम रूप दिया जा रहा है, में स्थानीय मांग के अनुसार आबादी वाले ऐसे प्रत्येक क्षेत्र में जहां एक किलोमीटर की परिधि के भीतर शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, वहां शिक्षण केन्द्र खोलने का प्रावधान है। वैकल्पिक एवं अभिनव शिक्षा योजना के इस भाग को शिक्षा गारंटी योजना के रूप में भी जाना जाता है। यह योजना पंचायती राज संस्थाओं और ग्राम शिक्षा समितियों के जरिए समाज की सहभागिता से चलाई जाएगी। वर्ष 2000-2001 में इस योजना के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता के लिए 245.00 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर निधियों का वास्तविक अंतरण निर्भर करेगा।

आशा है कि संशोधित योजना वर्तमान वित्तीय वर्ष में लागू हो जाएगी। इस योजना के अंतर्गत समूचा देश शामिल होगा।

स्कूल की पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले बच्चों की समस्या के संबंध में कई अध्ययन किए गए हैं। इन में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (1986-87) के 42वें दौर में और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (1995-96) के 52वें दौर में राष्ट्रीय पैमाने पर विश्लेषण किए गए। इन सर्वेक्षणों में पढ़ाई बीच में छोड़ने के निम्नलिखित मुख्य कारण बताए गए हैं:- (1) बच्चों का पढ़ाई में रूचि न लेना, (2) परीक्षा में असफलता अथवा बालक का पढ़ाई करने में अक्षम होना, (3) वित्तीय दिक्कतें, (4) घरेलू आर्थिक कार्यों में सहभागिता, (5) अभिभावकों का रूचि न लेना, तथा (6) घरेलू कार्य।

श्री सुबोध मोहिते : अध्यक्ष जी, मैं दो सप्लीमेंटरी पूछना चाहता हूं।

[अनुवाद]

वे दो भागों में होंगे। मैं अपने प्रथम अनुपूरक प्रश्न का पहला भाग पूछता हूं। प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकारों के अन्तर्गत लाने के लिए 1997 में तिरासीवां संविधान (संशोधन) विधेयक पुरःस्थापित किया गया था। सन् 1997 से यह बिल पैंडिंग है। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस बिल में जब आप प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकारों के अन्तर्गत लाने की बात कर रहे हैं तो क्या इस विधेयक को इसी वर्ष पारित किया जाएगा? यह मेरे अनुपूरक प्रश्न का भाग (क) है।

अध्यक्ष महोदय : श्री मोहिते आप दो अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री सुबोध मोहिते : मेरे अनुपूरक प्रश्न का दूसरा भाग यह है। सरकार मध्य, निम्न और पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा सहित खर्च बरदाश्त योग्य शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठा रही है।

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी : महोदय, यह प्रश्न यद्यपि फंडामेंटल राइट्स से सम्बन्धित नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि इस विधेयक के प्रस्तुत होने के पश्चात उसे स्थाई समिति के पास भेजा गया था। स्थाई समिति ने अपने प्रतिवेदन दिये। उन प्रतिवेदनों पर हमने राज्य सरकारों से चर्चा की और उसके पश्चात् एक विधेयक का प्रारूप बनाकर केबिनेट के सामने रखा, जो विचाराधीन है, जिसे एक ग्रुफ ऑफ मिनिस्टर्स के हवाले किया गया है, वहां से रिपोर्ट आते ही इस पर आगे कार्रवाई की जायेगी। ...*(व्यवधान)*

मेरा उत्तर बहुत स्पष्ट है कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स से उसका आगे की कार्रवाई करेंगे।

जहां तक आपका दूसरा प्रश्न है, एफोर्डेबल एजुकेशन की दृष्टि से कई योजनाएं चलती हैं, जैसे नवोदय विद्यालय हैं, जो पिछड़े क्षेत्रों में ही विशेषकर स्थापित किये गये हैं और उनमें पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जातियों की शिक्षा के लिए प्रोत्साहन देने के लिए विशेष व्यवस्थाएं हैं।

[अनुवाद]

श्री सुबोध मोहिते : माननीय मंत्री ने मेरे पहले अनुपूरक प्रश्न का संतोषजनक उत्तर नहीं दिया है। मेरा प्रश्न था कि कैबिनेट में इस साल क्या यह निर्णय ले लिया जाएगा, लेकिन उसका उत्तर नहीं मिला।

मैं अपने दूसरे अनुपूरक प्रश्न का पहला भाग पूछता हूं। चीन, श्रीलंका और कोरिया जैसे विकासशील देशों में प्रौढ़ लोगों की औसत स्कूली शिक्षा क्रमशः पांच, सात और नौ वर्ष है। किंतु भारत में अन्य विकासशील देशों की तुलना में प्रौढ़ लोगों की औसत स्कूली शिक्षा केवल दो वर्ष क्यों है?

मेरे अनुपूरक प्रश्न का दूसरा भाग यह है कि अफ्रीका जैसे अधिकतर विकासशील देशों की तुलना में महिला साक्षरता दर कम है। व्यवस्था में क्या खामियां हैं और शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ने के क्या कारण हैं?

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी : महोदय, इनका मुख्य प्रश्न वैसे एस.सी., एस.टी. की शिक्षा गारंटी से सम्बन्धित है, मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे जितनी जानकारी है, वह बताना चाहता हूं। हमारे देश में बहुत से राज्यों में महिला शिक्षा सामाजिक कारणों से बहुत पीछे थी। आज उसमें वृद्धि करने की कोशिश की गई है। शिक्षा की दर जो पहले आठ प्रतिशत थी, आज वह बढ़कर 50 प्रतिशत के लगभग हो गई है। फिर भी यह बात सच है कि हमारे देश में महिला साक्षरता दर बहुत से देशों की तुलना में कम है, जिसमें कई अफ्रीकी देश शामिल हैं। प्रयत्न किया जा रहा है कि इस दर को बढ़ाया जाए, लेकिन सामाजिक और आर्थिक कारणों से जितनी दर बढ़नी चाहिए थी, नहीं बढ़ सकी है।

[अनुवाद]

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : महोदय, हमें इस बात की प्रशंसा करनी चाहिए कि सरकार देश में साक्षरता बढ़ाने और बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में कमी लाने के लिए वैकल्पिक और अभिनव शिक्षा योजना लाई है। इस संबंध में, मैं माननीय मंत्री जी से एक कार्य करने का अनुरोध करता हूं। मैं उनका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश में काफी समय पूर्व ग्राम शिक्षा सोसाइटियों की स्थापना की गई है। वर्ष 1997-98 के दौरान ही ग्राम शिक्षा सोसाइटियों की स्थापना की गई और माता-पिता को इस विशेष योजना का सदस्य बनाया गया। इन्हें सांविधिक मान्यता दी गई और इन सोसाइटियों के प्रबंध निकायों का चुनाव भी इन बच्चों के माता-पिता द्वारा किया गया। राज्य सरकार ने भी केन्द्र सरकार से इस विशेष ग्राम शिक्षा सोसाइटी योजना के लिए धन देने का अनुरोध किया। यह विशेष योजना जिसके बारे में अब भारत सरकार ने सोचा है तथा जिसे वर्ष 2000-2001 से आरंभ किया जाएगा, आंध्र प्रदेश में 1997-98 के दौरान ही शुरू कर दी गई थी। सरकार ने इन धनराशियों की प्रतिपूर्ति करने के लिए कहा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार राज्य सरकार द्वारा इस योजना पर वर्ष 1997-98 से किए गए व्यय और खर्च की गई राशि की प्रतिपूर्ति करेगी।

इस प्रश्न के भाग (ख) के संबंध में, मेरा कहना है कि इस भाग का सही उत्तर नहीं दिया गया है। मैं माननीय मंत्री का ध्यान अपने प्रश्न के भाग (ङ) की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जो इस प्रकार है:

> "क्या इस योजना का देश के सभी जिलों में क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है?"

क्या कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है? वर्ष 2000-2001 के दौरान इस योजना को शुरू करना ही काफी नहीं है। इस विशेष

योजना को देश के सभी जिलों में लागू करने की कुल कितनी समय-सीमा रखी गई है? आपको एक किलोमीटर की परिधि में विद्यालय खोलना है और इस विशेष योजना को लागू करना है। आपको यह देखना होगा कि शिक्षा गारंटी योजना के अन्तर्गत सभी बच्चों को शिक्षा मिले। अत: इस संबंध में, मैं जानना चाहता हूं कि इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भारत सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी : बहुत से राज्यों ने ऐसी स्कीम्स चलाई हैं। मध्य प्रदेश ने चलाई है, राजस्थान ने चलाई है, आंध्र प्रदेश में भी चल रही है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में विभिन्न प्रकार की योजनाएं चल रही हैं। जो योजनाएं केन्द्रीय सरकार के आयोजन के अंतर्गत हैं, उनमें हम बराबर पैसा दे रहे हैं। शिक्षा गारंटी योजना के अंतर्गत जिन राज्यों से प्रस्ताव आएंगे, 2000-2001 से उनको भी पैसा दिया जाएगा। लेकिन पिछले वर्षों में पैसा देने का प्रावधान इस स्कीम के अंतर्गत नहीं है, क्योंकि यह चालू ही सन् 2000-2001 में होगी। इसके बारे में राज्य सरकारों को अपने वित्त विभाग से बात करनी पड़ेगी। हमारे यहां कोई ऐसी स्कीम नहीं है। जहां तक क्रियान्वयन का सवाल है, हमारा लक्ष्य है कि 2003 तक इस देश के प्रत्येक छ: से 14 वर्ष तक के बालक को स्कूल में किसी न किसी रूप में सम्मिलित कर लें और 2005 तक हम भारत में शिक्षा की दर 75 प्रतिशत तक कर दें।

[अनुवाद]

श्री मणि शंकर अय्यर : सभा पटल पर रखे विवरण के अंतिम पैरा में, माननीय मंत्री ने पढ़ाई बीच में छोड़ने के कारणों की ओर ध्यान आकर्षित किया है। क्या मैं उन्हें यह सुझाव दे सकता हूं कि उन्हें छात्रों द्वारा पढ़ाई जारी रखने के कारणों पर भी गौर करना चाहिए।

जैसा कि मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में यह दिखाया गया है कि सामुदायिक भागीदारी से विद्यालय चलाने के लिए छोटी सी धनराशि देने का छात्रों द्वारा पढ़ाई जारी रखने पर काफी प्रभाव पड़ा है। तमिलनाडु के अनुभव बताते हैं कि यदि खाद्यान्नों के स्थान पर विद्यालयों में पका-पकाया खाना दिया जाए तो उससे काफी संख्या में छात्र पढ़ाई जारी रखेंगे। विद्यालयों में स्वच्छता सुविधाओं की व्यवस्था का किशोर बालिका छात्राओं द्वारा पढ़ाई जारी रखने पर अच्छा प्रभाव पड़ा है। क्या माननीय मंत्री मध्य प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों के अनुभवों पर गौर करेंगे और इस प्रश्न पर गहन विचार करेंगे कि अधिकाधिक छात्रों द्वारा पढ़ाई कैसे जारी रखी जा सकती है?

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं सम्मानित सदस्यों के सभी सुझावों का आदर करता हूं और यह बताना चाहूंगा कि इन स्कीम्स के आधार पर ही केन्द्रीय स्कीम में सारे तत्वों को शामिल किया गया है और एजुकेशन गारंटी स्कीम इसी आधार पर बनी है तथा राज्यों में हम इसे प्रोत्साहित कर रहे हैं कि लोग अपनी कम्युनिटीज को और ग्राम सभाओं को प्रोत्साहित करें और उन्हें तत्काल पैसा मिले। हमने यह भी बताया है कि जिला समितियां इस काम को करेंगी और ग्राम पंचायत के लोग इस स्कीम को संचालित करेंगे। जहां तक कुक्ड मील का सवाल है, वह राज्य सरकार का अधिकार है। कुछ राज्य सरकारें अवश्य तैयार भोजन देती हैं और कुछ ग्रेन्स देती हैं। मेरे बॉयो-टैक्नॉलोजी विभाग ने 'रेडी टू ईट फूड' तैयार किया है जो खराब नहीं होता है और तीन सौ से चार सौ कैलोरीज प्रोटीन की मात्रा उसमें सप्लाई की जाती है। हमने न्यूट्रिशन का ऐसा फूड तैयार किया है क्योंकि हम यह जानते हैं कि बच्चे पोषक आहार मिलने पर पढ़ाई में अधिक ध्यान लगाते हैं। तीसरी हमारी कोशिश यह है कि पढ़ाई-लिखाई के तरीके रुचिकर हों ताकि बच्चे उसमें लगे रहें। अन्यथा, यदि शिक्षण विधि रुचिकर न हो और नीरस व रूखी हो तो छात्र-छात्राएं पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं। उसकी तरफ भी कोशिश कर रहे हैं। जहां तक आपने शौचालयों का सवाल उठाया है, यह बहुत महत्वपूर्ण है और रूरल डैवलपमेंट और रोजगार योजनाओं के साथ हम इस बारे में चिंता करते हैं कि स्कूलों में शौचालयों और मूत्रालयों के निर्माण की प्रक्रिया में भागीदारी करें। संसद सदस्यों से भी हम अनुरोध करते हैं कि वे अपने संसदीय कोटे में से विद्यालयों में इस प्रकार का प्रबंध करने के लिए धनराशि दें। कोशिश की जा रही है कि जहां-जहां स्कूल बने हुए हैं, वहां-वहां यह काम हो। ...*(व्यवधान)*

श्री अनंत गुढे : अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय सरकार ने जो प्राथमिक शिक्षा को शुल्क मुक्त किया है और कई बच्चे ऐसे हैं, जैसे कि यहां जवाब में कहा गया है कि जो वित्तीय दिक्कतें और घरेलू आर्थिक कारणों की वजह से पढ़ते नहीं हैं लेकिन जो बच्चे प्राथमिक शिक्षा में अच्छे पढ़ते हैं, उसके बाद जब वे आगे जाते हैं तो आगे की पढ़ाई के लिए कुछ व्यवस्था नहीं की गई है। मैं माननीय मंत्री जी से और सरकार से पूछना चाहता हूं कि जो बच्चे प्राथमिक शिक्षा में अच्छे पढ़ते हैं, उनकी बारहवीं तक की शिक्षा की जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार लेने के लिए तैयार है या नहीं? अगर सरकार तैयार नहीं है तो क्यों नहीं है? कम से कम बारहवीं तक की शिक्षा केन्द्रीय सरकार को अपने बलबूते पर देनी चाहिए। यदि कोई बच्चा बारहवीं तक नहीं पढ़ सकता तो हम उसे एजुकेटेड नहीं बोल सकते। प्राइमरी तक की शिक्षा पढ़ने के बाद उसके पास यदि पैसा नहीं रहता या आर्थिक तंगी के कारण वह पढ़ाई नहीं

कर सकता तो ऐसे कई बच्चे बेकार हो जाते हैं। जो बच्चे पढ़ना भी चाहते हैं तो वे पढ़ नहीं सकते। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या बारहवीं तक की शिक्षा पूर्ण मुक्त करने की आपकी कोई योजना है? पढ़ने के बाद रोजगार की भी क्या कोई योजना है क्योंकि पढ़ाई के बाद रोजगार भी मिलना चाहिए। माननीय मंत्री जी कृपा करके इसका जवाब दें।

डा. मुरली मनोहर जोशी : यह अनुपूरक प्रश्न मूल प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता तथापि मैं इसका उत्तर देता हूं। संवैधानिक दायित्व केवल छः वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु की शिक्षा को अनिवार्य और निशुल्क करने का है और केन्द्रीय सरकार इस दायित्व को निभाती है। चौदह वर्ष के बारे में संवैधानिक दायित्व नहीं है, नैतिक दायित्व है जिसके लिए हम कोशिश करते हैं और जितने साधन आप देते हैं, उसी के अनुसार इस काम को किया [illegible] ज्य सरकारों का यह काम है कि वे शिक्षा के [illegible] और समुदाय तथा राज्य सरकार मिलकर काम करें। केन्द्र सरकार का जो दायित्व है, उसे निभाने के लिए हम तत्पर हैं। जहां तक दूसरी बात का सवाल है, हमारी योजना है कि व्यवसायिक शिक्षा पर बल दिया जाए जिससे आगे आने वाले बच्चे कुछ व्यवसाय सीखकर उत्पादक हो सकें और उत्पादन करने की दृष्टि से देश की आर्थिक समृद्धि में भी काम कर सकें। उसके लिए वोकेशनल एजुकेशन का नया प्रावधान बनाया जा रहा है जो शीघ्र ही आपके सामने आएगा।

श्री खारबेल स्वाइं : मेरा सप्लीमेंट्री अगले प्रश्न से संबंधित है।

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि छः साल तक के लड़कों की पढ़ाई का पूरा-पूरा प्रबंध करेंगे। यह भी आपने उत्तर दिया कि पन्द्रह फीसदी महिलाएं साक्षर हैं, जिन महिलाओं की उम्र लगभग पच्चीस साल से ऊपर है। इसके साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि हम भी सरकार में रहे हैं, मेरा अपना अनुभव है कि जिस तरह से नसबंदी कार्यक्रम असफल रहा, उसी तरह से प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम भी असफल रहा है। अगर आपका ईमानदार प्रयास है तो यह बताने की कृपा करें कि छः साल से ग्यारह साल तक के बच्चों को ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह अगले प्रश्न में है।

श्री मुलायम सिंह यादव : अभी मैंने इसीलिए आपसे पूछा था और आपने अनुमति दे दी थी। हमने पहले कहा था कि हम इसी सवाल पर पूछेंगे। छः साल से ग्यारह साल तक की कितनी लड़कियां और लड़के निरक्षर हैं जिनका अभी तक कहीं दाखिला नहीं हुआ? अगर माननीय मंत्री जी इसमें कामयाब हो पाएंगे तो देश की बड़ी सेवा होगी।

डा. मुरली मनोहर जोशी : यह प्रश्न अगले प्रश्न से संबंधित है फिर भी मैं बता देता हूं। हमारे देश में कुल 19 करोड़ बालक हैं जिनमें से चौदह करोड़ या पन्द्रह करोड़ बालक स्कूल की परिधि के अंदर आ गये हैं। एक करोड़ बालक जो छः वर्ष के नीचे हैं, उनकी चिंता करनी पड़ रही है कि उनको कैसे जल्दी शिक्षित किया जाये। जो चार करोड़ बालक स्कूल से बाहर आ गये हैं, वे पांचवीं, छठी, सातवीं तथा आठवीं कक्षा तक पढ़े हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : यह उम्र का सवाल है।

डा. मुरली मनोहर जोशी : उम्र 6 वर्ष की अवस्था है।

श्री मुलायम सिंह यादव : 6 नहीं 11 साल तक है।

डा. मुरली मनोहर जोशी : आप नोटिस दे दीजिए, मैं उत्तर दे दूंगा।

श्री मुलायम सिंह यादव : मैंने नोटिस दे दिया।

डा. मुरली मनोहर जोशी : तो चिट्ठी आपके पास पहुंच जाएगी।

श्री महेश्वर सिंह : सर्वप्रथम मैं मंत्री महोदय को बधाई देना चाहूंगा कि ईमानदारी से इस कार्यक्रम को प्रान्तीय सरकारें ...*(व्यवधान)* हमें बोलने तो दीजिए। मैं बधाई इसलिए देना चाहूंगा कि अगर ईमानदारी से प्रान्तीय सरकारें इस कार्यक्रम को इम्पलीमेंट करें तो निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार और प्रसार में यह सार्थक सिद्ध होगा लेकिन साथ में मंत्री महोदय का ध्यान डी.पी.टी. कार्यक्रम की ओर दिलाना चाहूंगा जिसका उद्देश्य भी यह था कि प्राथमिक शिक्षा सुदृढ़ हो तथा भवन निर्माण और अतिरिक्त अध्यापकों का भी उसमें प्रावधान था लेकिन कई जगह पर अतिरिक्त अध्यापक न लगाकर शिक्षा विभाग से कुछ प्रांतों में प्रतिनियुक्ति की गई। मैं चाहूंगा कि यह कार्यक्रम ठीक तरीके से चले, इसे सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तर पर क्या कोई कमेटी का गठन करेंगे और क्या उसमें सांसदों की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे ताकि जो केन्द्र से पैसा जाता है, उसका सदुपयोग हो सके?

डा. मुरली मनोहर जोशी : जो सुझाव माननीय सदस्य महोदय ने दिये हैं, हम उन पर गंभीरता से विचार करेंगे क्योंकि इस योजना के अन्तर्गत जो जिला समितियां बनेंगी, उस समय इन पर हम विचार करेंगे।

[अनुवाद]

श्री एम. चिन्नासामी : अध्यक्ष महोदय विद्यालयों विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले बच्चों की संख्या कम करने के लिए तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री स्व. श्री एम.जी. रामचन्द्रन ने तमिलनाडु में एक नवीन, ऐतिहासिक, व्यावहारिक और मौलिक योजना शुरू की थी जिसे पोषाहार दोपहर का खाना योजना के नाम से जाना जाता है। इस योजना को शुरू करने से पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले छात्रों की संख्या में काफी कमी आई।

इसलिए, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि प्राथमिक शिक्षा में सुधार के लिए क्या केन्द्र सरकार राज्य सरकारों से अपेक्षा किए बिना संपूर्ण देश में अपने खर्चे से ऐसी एक योजना को शुरू करने के लिए आगे आएगी।

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी : इस स्कीम का सारा पैसा केन्द्र सरकार देती है और यह राज्य सरकारों पर निर्भर करेगा कि वे इसे कैसे क्रियान्वित करेंगे। केन्द्र सरकार सीधे आहार बना कर नहीं दे सकती। यह काम राज्य सरकारों को ही करना पड़ेगा। बहुत सी राज्य सरकारें करती हैं, कुछ राज्य सरकारें नहीं करतीं। हम उनसे अनुरोध करते हैं कि अच्छा हो अगर वे तैयार खाना बच्चों को दें और गरम खाना दें, लेकिन यह उन पर निर्भर ही करता है।

[अनुवाद]

सरदार बूटा सिंह : अध्यक्ष महोदय माननीय मंत्री ने अपने विवरण में वैकल्पिक और अभिनव शिक्षा योजना के बारे में कहा है। यह योजना इस वित्तीय वर्ष में शुरू की जा रही है।

तीसरे पैरा में उन्होंने कहा है कि विद्यालयों में पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले बच्चों की संख्या का मुख्य कारण वित्तीय दिक्कतें और घरेलू आर्थिक कार्यों में उनकी सहभागिता है।

सभा जानती है कि पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले बच्चों में सबसे अधिक बच्चे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के हैं। क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूं कि संशोधित योजना में पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बच्चों के लाभ के लिए क्या विशेष ध्यान रखा गया है या क्या विशेष प्रावधान किए गए हैं क्योंकि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 42वें दौर और 52वें दौर में पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले बच्चों में इन वर्गों के बच्चों की संख्या सबसे अधिक है? मैं जानना चाहता हूं कि इन कमजोर वर्गों के लिए इस योजना में क्या विशेष प्रावधान किए गए हैं।

अध्यक्ष महोदय : इस संबंध में एक अलग प्रश्न भी है।

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी : महोदय, यह योजना मुख्य रूप से उन्हीं क्षेत्रों की तरफ ध्यान देती है, जो अनुसूचित-जाति अथवा अनुसूचित जनजाति से भरपूर है, क्योंकि इस योजना के अंतर्गत यह कहा गया था कि जिन बस्तियों में एक किलोमीटर की दूरी में स्कूल नहीं हैं और वहां से स्कूल की मांग आती है तो तत्काल वहां स्कूल चलाया जाए। ऐसे एक लाख अस्सी हजार स्कूल चलाने की योजना है, जिनमें से अधिकांश परिगणित जाति, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के क्षेत्र में ही हैं। इसलिए इस योजना का मुख्य लक्ष्य ही इन बस्तियों और क्षेत्रों की तरफ ध्यान देना है।

स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से प्रौढ़ शिक्षा

***422. श्री +सुकदेव पासवान :**
श्री नवल किशोर राय :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) साक्षरता अभियान के अन्तर्गत स्वयंसेवी संगठनों द्वारा प्रौढ़ व्यक्तियों में शिक्षा का प्रचार-प्रसार करने के लिए कौन सी योजनाएं तैयार की गई हैं;

(ख) क्या इस योजना के अन्तर्गत इसके प्रचालन के क्षेत्र, साक्षर बनाए जाने वाले प्रौढ़ों की संख्या और पाठ्यक्रम का भी उल्लेख किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना को क्रियान्वित किए जाने के लिए समय-समय पर मार्ग-निर्देश उपलब्ध कराने के लिए क्या प्रबन्ध किए गए हैं; और

(घ) इन स्वयंसेवी संगठनों द्वारा किए गए वास्तविक अंशदान का आकलन करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (घ) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) "प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों को सहायता" नामक एक योजना तैयार की गई है।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रौढ़ शिक्षार्थियों की विशिष्ट संख्या वाले निर्धारित क्षेत्रों में स्वैच्छिक संगठनों को निरक्षरता उन्मूलन, उत्तर साक्षरता तथा सतत् शिक्षा के कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके पाठ्यक्रम की विषयवस्तु का लक्ष्य कार्यात्मक साक्षरता हासिल करना है।

(घ) परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी निम्नलिखित के [illegible]

[illegible] रिपोर्ट

(2) वार्षिक रिपोर्ट

(3) बाह्य मूल्यांकन

श्री सुकदेव पासवान : अध्यक्ष महोदय, गांव के स्तर तक पहुंचते-पहुंचते साक्षरता अभियान प्रौढ़ शिक्षा में बदल जाता है और संयुक्त राष्ट्र संघ से सम्बद्ध अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के अनुसार भारत में जो प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम चल रहा है, यह संतोषप्रद नहीं है। यहां साक्षरता अभियान और प्रौढ़ शिक्षा में जो प्रचार-प्रसार किया जाता है, उसमें भयंकर लूट हो रही है। इसकी रोकथाम के लिए क्या शिक्षा मंत्री जी के द्वारा कोई कदम उठाए जा रहे हैं ताकि कम से कम प्रौढ़ शिक्षा में लूट न हो।

डा. मुरली मनोहर जोशी : इसकी पूरी कोशिश की जा रही है और मैं आपको यह सूचित करना चाहता हूं कि इस मामले में नई योजना बनाई गई है। हम इसका चार तरीकों से मूल्यांकन करेंगे-पहली आरम्भिक रिपोर्ट, जो संस्था अपनी देगी, फिर हम जिला और राज्य स्तर पर छानबीन करेंगे और अंत में हमारी केन्द्र की समिति उसकी छानबीन करेगी। हम तिमाही रिपोर्ट और वार्षिक रिपोर्ट भी लेंगे। इसमें क्षेत्रीय अधकारी भी नियुक्त किए गए हैं, जो क्षेत्रों में जाकर दौरा करेंगे और इस बात को देखेंगे कि ये योजनाएं ठीक से चल रही हैं या नहीं चल रही हैं।

श्री सुकदेव पासवान : महोदय, तिमाही, वार्षिक और प्रगति की मूल्यांकन रिपोर्ट, जो केन्द्र सरकार के पास आती है, उस रिपोर्ट के आधार पर देश के कितने जिलों में, कौन-कौन से पदाधिकारी और प्रौढ़ शिक्षा से संबद्ध लोग इस आरोप से आरोपित हैं कि वहां लूट हो रही है, वहां सही ढंग से शिक्षा का प्रसार-प्रचार नहीं हो रहा है। ऐसे कितने लोगों के विरूद्ध जिले में कार्यवाही की गई है। क्या इस बारे में मंत्री जी के पास कोई रिपोर्ट आई है, यदि हां तो कृपया बताने का कष्ट करें।

डा. मुरली मनोहर जोशी : मान्यवर कुछ क्षेत्रों से सूचना आई थी और उसकी जांच भी कराई गई थी। आपके बिहार से ही जहानाबाद और अररिया जिलों के संबंध में सूचनाएं आई थीं। जहानाबाद में जांच के बाद पता लगा कि जो शिकायत की गई थी, वह ठीक नहीं थी।

श्री राम नगीना मिश्र : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि प्रौढ़ शिक्षा के लिए स्वयं सेवी संगठनों को जो अरबों रुपया दिया जाता है उसका क्या होता है? मैंने तो किसी गांव में प्रौढ़ शिक्षा का काम नहीं देखा। यह रुपया कुछ ऐसे लोगों को दिया जाता है जो कागज पर स्कूल चलाते हैं या दफ्तर के बाबू से मिलकर रुपया ले लेते हैं। क्या इसकी आपने कोई जांच कराई है? यदि नहीं कराई है तो मेरा निश्चित मत है कि यह रुपया कुछ लोगों की पॉकिट के लिए दिया जाता है। इसलिए प्रौढ़-शिक्षा के लिए ऐसी संस्थाओं को रुपया देना बंद किया जाये। यह रुपया शिक्षा के दूसरे विभागों को दिया जाये जिससे शिक्षा का प्रचार-प्रसार हो। मैं पूछना चाहता हूं कि अब तक प्रौढ़-शिक्षा के लिए कितना रुपया दिया गया है और उस रुपये से कितने प्रौढ़ शिक्षित हुए हैं?

डा. मुरली मनोहर जोशी : अध्यक्ष जी, सन् 1997-98 में 111 करोड़ रुपए, 1998-99 में 88 करोड़ रुपए, 1999-2000 में 110 करोड़ रुपए और 2000-2001 में 120 करोड़ रुपया दिया गया है।

श्री राम नगीना मिश्र : मैं पूछना चाहता हूं कि कितने प्रौढ़ अब तक शिक्षित हुए हैं? क्या आपके पास इस आशय की रिपोर्ट है?

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष जी, मैं मिश्र जी से पूरी तरह से सहमत हूं कि यह रुपया बेकार जा रहा है, प्रौढ़ शिक्षा का कोई काम नहीं हो रहा है, इसलिए इसकी जगह कोई वैकल्पिक योजना तैयार की जाये।

श्री राम नगीना मिश्र : प्रौढ़ शिक्षा पर दिया जा रहा अरबों रुपया बेकार जा रहा है, सही खर्च नहीं हो रहा है, इसलिए इसे बंद किया जाये। मेरा ठीक जवाब नहीं आया है। मैंने पूछा था कि कितना रुपया खर्च हुआ और कितने प्रौढ़ शिक्षित हुए?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वह पहले ही उत्तर दे चुके हैं। कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

डा. (श्रीमती) बीट्रिक्स डिसूजा (नामनिर्दिष्ट): मैं जानना चाहूंगी कि क्या सरकार की कोई योजना है कि गांव के स्तर पर या प्रचालन स्तर पर प्राथमिक शिक्षा का विकेन्द्रीकरण किया जाए। अब परम्परागत प्रकार की शिक्षा संभव नहीं है। मैं बेसहारा बच्चों तथा उन बच्चों की बात कर रही हूं जिन्हें खाली समय में पढ़ाया जाना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा के इस स्तर को प्रौढ़ शिक्षा के साथ जोड़ा जा सकता है। अगर यह काम प्राथमिक स्तर पर किया जाता है तो इससे उन गरीब बच्चों को मदद मिलेगी। मैं समझती हूं कि मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी योजना है जिसे अपनाया जा सकता है।

मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या विकेन्द्रीकरण के लिए कोई योजना है और उसे नीचे तक लाने और उसे समुदायोन्मुखी बनाने की है।

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी : वैसे तो यह प्रश्न दूसरा है, फिर भी मैं यह बताना चाहूंगा कि जो शिक्षा गारंटी योजना है वह विकेन्द्रीकृत ही है और गांव पंचायत, जिला स्तर, राज्य स्तर तथा केन्द्र, इन चारों स्तरों पर उसका विकेन्द्रीयकरण है। इसमें राज्य की संस्थाएं बनेंगी, उसके बाद जिलों की संस्थाएं बनेंगी, उसके बाद ग्राम संस्थाएं बनेंगी और अधिकांश स्थानों पर ग्राम संस्थाएं और पंचायती राज ही इसका संचालन करेगा। इसलिए यह डिसेंट्रेलाइज्ड स्कीम है।

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी : अध्यक्ष महोदय, कई स्वैच्छिक संगठन हैं। उनमें अच्छे गैर-सरकारी संगठन हैं और बुरे गैर सरकारी संगठन भी। माननीय मंत्री निश्चित रूप से इस बात से सहमत होंगे कि निगरानी तंत्र कमजोर है। इसलिए, क्या माननीय मंत्री निगरानी तंत्र को ग्राम पंचायतों और अन्य पंचायत संबंधित संस्थाओं जैसे स्थानीय संस्थाओं के साथ जोड़ने पर विचार करेंगे। इन गैर-सरकारी संगठनों को दिए योगदान के संबंध में संसद सदस्यों, विधायकों और स्थानीय संस्थाओं को पूरी तरह अंधेरे में रखा गया है। क्या माननीय मंत्री इस दिशा में विशेष कदम उठाएंगे?

डा. मुरली मनोहर जोशी : अब हम इसका मूल्यांकन बहुत ही विशिष्ट और बहुत ही महत्वपूर्ण समितियों तथा संस्थाओं द्वारा करवा रहे हैं।

[हिन्दी]

ये पुरानी गलतियां हैं लेकिन इनको इस स्कीम में ठीक करने की कोशिश की जा रही है। इस स्कीम में जब जिला समितियां बनेंगी तो उसमें जन-प्रतिनिधियों की सहभागिता पर विचार किया जायेगा।

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी : हम आपसे आश्वासन चाहते हैं कि स्थानीय संस्था के प्रतिनिधियों को इसमें शामिल किया जाएगा।

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी : पहले मुझे अपनी बात खत्म करने दीजिए। ऐसा है कि हमने स्टेट लिट्रेसी मिशन बनाए हुए हैं। उनके अन्तर्गत राज्यों के प्रतिनिधि, राज्य सरकारें और उन प्रदेशों के प्रतिनिधि शामिल हो सकते हैं। साथ ही साथ चूंकि हम इसको विकेन्द्रीकृत कर रहे हैं, इसलिए राज्य सरकारों पर यह बात निर्भर करेगी कि वे प्रतिनिधि संस्थाएं कैसे बनाते हैं। हम उनसे अनुरोध करेंगे कि स्थानीय जन-प्रतिनिधि उसमें शामिल हों – यह सदन की भावना है। *...(व्यवधान)* जब स्टेट लिट्रेसी मिशन अथॉरिटी बन गयी और राज्य सरकारें जब जिला समितियां बनाएंगी तो साफ है कि यह काम उनका है। हम उनको गाइडलाइन्स दे सकते हैं, लेकिन उन्हें मजबूर नहीं कर सकते हैं। *...(व्यवधान)* हम यह कहेंगे कि वे इसकी कोशिश करें। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी : दूसरी बात यह है कि जो हम मूल्यांकन कराने जा रहे हैं वे ऐसी संस्थाएं हैं जैसे सेंटर ऑफ डेवलेप्ड सोसाइटीज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं या गिरी इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। जिनके माध्यम से, हर राज्य में एक-एक कोई संस्था हमने ली है, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, बंगलौर है।

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी : भारतीय संस्थाओं का नाम न लें।

डा. मुरली मनोहर जोशी : हम उन्हें ले रहे हैं।

[हिन्दी]

ताकि वे इसका मूल्यांकन करें कि किस राज्य में, किस जिले में क्या काम हो रहा है और जो रिपोर्ट्स वहां से आती हैं वे सही हैं या नहीं हैं। क्योंकि मूल्यांकन करने का काम जब तक किसी प्रोफेशनल एजेंसी से नहीं कराया जायेगा तब तक वह मूल्यांकन ठीक नहीं होता और वह हम स्वतंत्र एजेंसी से सरकार के बाहर से करायेंगे। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च – यह वह संस्था है जो सरकार से स्वतंत्र है। हम चाहते हैं कि जो सदन की भावनाएं हैं कि इस मामले में रुपये का ठीक उपयोग हो रहा है या नहीं, रिपोर्ट ठीक आ रही हैं या नहीं। उनका हम पूरा-पूरा ध्यान रखें और उस स्कीम को ठीक-ठीक चलाएं। इसलिए मैं आपको आश्वासन देता हूं कि हम जांच स्वतंत्र एजेंसी से ही

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब, श्री समीक लाहिड़ी जी।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपका नाम नहीं पुकारा है।

श्री समीक लाहिड़ी : महोदय, यह प्रश्न मुख्यतः मूल प्रश्न से संबंधित है। महोदय, आपके माध्यम से, मैं माननीय मंत्री से स्पष्ट रूप से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए 83वां संविधान (संशोधन) विधेयक लाने पर विचार कर रही है। यदि हां, तो वह इसे सभा में कब तक लाना चाहती है।

डा. मुरली मनोहर जोशी : मैं इस प्रश्न का उत्तर पहले ही दे चुका हूं।

श्री समीक लाहिड़ी : किसी स्पष्ट समय का उल्लेख नहीं किया गया है।

श्री एन. जनार्दन रेड्डी : महोदय, माननीय मंत्री यह अच्छी तरह जानते हैं। 1992 में, जब उनका मंत्रालय श्री अनिल बोरडिया के पास था तब निजी संगठनों द्वारा निधियों के दुरूपयोग जैसी समस्या को दूर करने के लिए कलैक्टर और जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में शिक्षा मिशनों और जिला स्वैच्छिक संगठनों का गठन किया गया था। उन्होंने अच्छा कार्य किया था। उन्होंने रात्रि स्कूल चलाए। उन्होंने आंध्र प्रदेश में क्रांति ला दी थी। मैं अन्य राज्यों के बारे में नहीं जानता। आंध्र प्रदेश में यह एक क्रांतिकारी कार्यक्रम था। जब आप उस कार्यक्रम को जारी रख रहे हैं तो इसके वित्त पोषण के लिए कठिनाई कहां है?

डा. मुरली मनोहर जोशी : वह कार्यक्रम तो चल रहा है। इसमें कोई कठिनाई नहीं है। कुछ राज्यों में कठिनाई है। आप जानते हैं कि कुछ राज्यों में इस योजना का कार्य अच्छा नहीं रहा है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप अपना अनुपूरक प्रश्न पूछ चुके हैं। मंत्री जी को उत्तर देने दीजिए।

डा. मुरली मनोहर जोशी : जैसा कि आपने ठीक ही कहा है, कुछ राज्यों में उस योजना का कार्य अच्छा रहा है। पिछले वर्ष से पहले इस देश में साक्षरता दर बढ़ाने के लिए हमें न्यूजोमा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। मैं आपको यह बता सकता हूं कि बिहार जैसे राज्य में भी राष्ट्रीय औसत से अधिक कार्य हुआ है। इसलिए, हम कुछ तथ्यों को लेते हैं ...*(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा : यह केवल कागजों पर ही है। कुछ भी नहीं किया गया है।

डा. मुरली मनोहर जोशी : नहीं, आप देखेंगे कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल जैसे कई राज्यों ने इस दिशा में अच्छा काम किया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों ने भी पिछले दशक के दौरान बहुत अच्छा कार्य किया है।

इसलिए, मैं पूरी तरह सहमत हूं कि यह योजना समग्र रूप से उन राज्यों में बहुत अच्छी तरह काम कर रही है जहां राज्य सरकार ने इस पर पूरा ध्यान दिया है। जहां राज्य सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है वहां कमी रह गई है।

[हिन्दी]

श्री साहिब सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहूंगा कि जितने भी प्रयास एजुकेशन फॉर ऑल के लिए आज तक किए गए, क्या उन प्रयत्नों से वह और उनकी सरकार संतुष्ट हैं? अगर संतुष्ट नहीं हैं तो क्या इसमें आमूल-चूल परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है? सभी सदस्य यह महसूस करते हैं कि यह सब कागजों में ही है। वास्तव में कुछ नहीं किया गया है। मैं

आपको अपना अनुभव बताता हूं कि जो कुछ हो रहा है, जो रिपोर्टें आ रही हैं, टाटा रिसर्च इंस्टीट्यूट कुछ रिपोर्ट दे रहा है और दूसरी संस्था कुछ रिपोर्ट दे रही है, वे रिपोर्टें बिल्कुल संतोषजनक नहीं हैं। 53 साल के बाद भी यह देश के ऊपर बहुत बड़ी लानत है कि अभी तक सब लोगों को शिक्षा नहीं मिली है। जो परसैंटेज बताया जा रहा है कि पचास साल तक के कितने लोग एजुकेटिड हैं ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है उनको उत्तर देने दीजिए? आपको जरा धैर्य रखना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री साहिब सिंह : वे उसकी एंज घटा करके और परसैंटेज बढ़ा कर रिपोर्ट देते रहते हैं। इस विषय को लेकर सारा सदन बहुत गम्भीर है। इस पर घंटे-दो घंटे की चर्चा करके निश्चित रूप से कोई ऐसी स्थिति निकालनी चाहिए जिससे योजना में परिवर्तन करके देश के लोगों को शिक्षा दी जा सके।

डा. मुरली मनोहर जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात का जोरदार खंडन करता हूं कि सारी रिपोर्ट्स गलत हैं या सब प्रकार से कुछ नहीं हुआ। ...*(व्यवधान)* मैं केवल अपनी बात नहीं करता। ...*(व्यवधान)* आप मेरी बात सुनिए।

श्री साहिब सिंह : मैंने यह नहीं कहा कि सारी रिपोर्टें गलत हैं। ...*(व्यवधान)*

डा. मुरली मनोहर जोशी : पिछले दस वर्षों में जो जांच कराई गई, नेशनल सैम्पल सर्वे आर्गेनाइजेशन एक बिल्कुल इंडिपेंडेट संस्था है। सन् 1991 की जनगणना के अनुसार भारत 52 परसैंट शिक्षित था। मैंने 1998 में दोबारा सैम्पल सर्वे करवाया कि पिछले 6 सालों में क्या हुआ, तब पता लगा कि भारत 62 प्रतिशत शिक्षित हो गया है। वह आज 64 प्रतिशत शिक्षित है। ...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल : आपने यह कौन सा सर्वे करवाया? आप सदन को गुमराह कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या प्रश्न काल के दौरान इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं? उन्हें अपना उत्तर पूरा करने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। प्रश्न काल के दौरान भी प्रक्रिया अपनाई जाती है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है? कृपया बैठ जाइए। यह सही तरीका नहीं है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बंसल, आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। जब मंत्री उत्तर दे रहे हैं तब आप उसमें कैसे बाधा डाल सकते हैं? क्या प्रश्न काल के दौरान इस तरह की प्रक्रिया अपनाई जाती है? कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप कृपया बैठ जाइए। श्री रामदास आठवले, कृपया बैठ जाइए। यह क्या है? हां, तो मंत्री महोदय।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी आप अपना उत्तर पूरा कर सकते हैं।

डा. मुरली मनोहर जोशी : महोदय, मैं उत्तर दे रहा हूं पर वे मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। मैं अपनी बात दो मिनट में समाप्त कर सकता हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी : हमने जो आंकड़े जांच करवाए वे एन.एस.एस.ओ. से करवाए। वह सरकारी एजेंसी नहीं है। वह एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री पवन कुमार बंसल जी, यह सही तरीका नहीं है। कृपया बैठ जाइए। यह क्या है?

...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : जब माननीय मंत्री जी उत्तर दे रहे हो तब आप उसमें बाधा कैसे डाल सकते हैं? आप वरिष्ठ सदस्य हैं। आप प्रक्रिया जानते हैं।

...(व्यवधान)

श्री राजेश पायलट : महोदय, उत्तर सही नहीं है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह दुख की बात है। मंत्री जी आप कृपया उत्तर पूरा कीजिए।

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी : मैं जवाब दे रहा हूं लेकिन आप [illegible]। मैं फैक्ट्स बता रहा हूं। मैं गलत बात नहीं [illegible]त है, उसे ही बताऊंगा। आप मेरी बात सुनिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, अगर आपका यही रवैया रहा तो सभा की कार्यवाही चलाना काफी कठिन हो जाएगा। यह सब क्या है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय आप कृपया अपना उत्तर पूरा करें।

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी : श्रीमन् मैं बहुत विनम्रता से निवेदन कर रहा हूं कि जहां तक इस बात का सवाल है कि सब कामों से क्या हम संतुष्ट हैं, अगर हम संतुष्ट होते तो यह स्थिति क्यों होती? इसलिए कोई संतुष्ट नहीं है, मैं भी नहीं हूं, सरकार भी नहीं है और आप भी नहीं हैं लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जो सच्चाई है, जो आंकड़े हैं, जो वस्तु स्थिति है, उसे नकार दिया जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें। आप सदस्यों को संबोधित क्यों कर रहे हैं? आप अध्यक्षपीठ को संबोधित कर सकते हैं।

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी : महोदय, मैं आपसे बहुत विनम्रतापूर्वक कह रहा हूं। 1998 में हमें इसके लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार दिया गया कि भारत में लिट्रेसी रेट बढ़ा है। दस राज्य जो सबसे पिछड़े राज्यों में से थे, उनका लिट्रेसी रेट बढ़ा है, इसके लिए हमें अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, इसलिए मैं कैसे मान लूं कि कुछ काम नहीं हुआ लेकिन जितना होना चाहिए था, उतना नहीं हुआ।

[अनुवाद]

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

***423. श्री[+] तिरूनावकरसु :**
श्री टी.एम. सेल्वागनपति :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार सरकारी उपक्रमों पर केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की कुल कितनी धनराशि बकाया है;

(ख) क्या केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने इस धनराशि का मामला सरकारी उपक्रमों के साथ उठाया है;

(ग) यदि हां, तो अब तक कुल कितनी धनराशि वसूल की गई है;

(घ) शेष धनराशि की वसूली के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को निजी कंपनियों को सुरक्षा पहलुओं पर परामर्श देने की अनुमति देने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर कुल लगभग 557 करोड़ रु. की राशि बकाया थी।

(ख) जी हां, श्रीमान्।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान वसूल की गई राशि के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की बकाया राशि वसूलने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(1) प्रत्येक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा देय राशि की मासिक स्थिति तैयार की जाती है और संबंधित प्रबन्धक और संबंधित मंत्रालयों और विभागों के साथ केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा मामला उठाया जाता है ताकि बकाया राशि का भुगतान समय पर करना सुनिश्चित किया जा सके।

(2) गृह मंत्रालय ने भी प्रमुख चूककर्ता सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में संबंधित मंत्रालयों और विभागों के साथ अलग से भी इस मामले को उठाया है। इन मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया गया है कि इन देय राशियों का भुगतान निश्चित समय सीमा के भीतर करें।

(3) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बकाया राशि की वसूली हेतु तौर-तरीके तैयार करने के लिए मंत्रालय में अलग से कार्य किया गया है।

(ङ) और (च) 1999 के अधिनियम सं. 40, द्वारा संशोधित केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, प्राईवेट सेक्टर में औद्योगिक प्रतिष्ठानों को तकनीकी परामर्श सेवाएं उपलब्ध करा सकता है। इस प्रयोजनार्थ मसौदा नियमों पर मंत्रालय में विचार किया जा रहा है। नियमों को अंतिम रूप देते ही, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल प्राईवेट सेक्टर के औद्योगिक प्रतिष्ठानों को परामर्शी सेवाएं उपलब्ध कराना शुरू कर देगा।

विवरण

(रु. करोड़ों में)

वित्त वर्ष	वसूल की गयी राशि
1997-98	485.93
1998-99	589.45
1999-2000	674.39
कुल	1749.77

श्री तिरूनावकरसू : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसाकि माननीय मंत्री महोदय द्वारा अभी उत्तर दिया गया है केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर लगभग 557 करोड़ रुपए की राशि बकाया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और कम्पनियों से सुरक्षा बल वापस लेने का प्रस्ताव है जिन्होंने केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को अपनी बकाया राशि अदा नहीं की है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : महोदय, माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है कि उन उपक्रमों से सी.आई.एस. एक सेवाएं वापस ले लेनी चाहिए जिन्होंने बकाया राशि अदा नहीं की है।. क्या मैं माननीय सदस्य और इस सभा को यह बताऊं कि केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, संघ का एक सशस्त्र बल है जिसका कार्य केन्द्र सरकार के स्वामित्व वाले औद्योगिक उपक्रमों का बेहतर संरक्षण और सुरक्षा करना है।

अतः यह सही नहीं होगा। यदि यह सुरक्षा प्रदान करने वाली एक गैर-सरकारी एजेंसी होती तो ऐसा हो सकता था कि यदि आप मेरी बकाया राशि अदा नहीं कर रहे हैं तो मैं आपको प्रदान की गई सुरक्षा सेवाएं वापस ले लूंगा। लेकिन भारत सरकार के स्वामित्व वाले उपक्रमों के मामले में प्रत्येक व्यक्ति इस बात की प्रशंसा करेगा कि हम इतना कठोर कदम नहीं उठा सकते हैं क्योंकि इससे सरकार की सम्पत्ति जोखिम में पड़ जाएगी। हम ऐसा नहीं करेंगे।

मैं यह भी कहना चाहूंगा, हालांकि बकाया राशि बहुत अधिक है, 247 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य सरकारी यूनिटों में से जहां सी.आई.एस.एफ. के कर्मचारी लगे हुए हैं, 202 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम नियमित रूप से भुगतान करते हैं। 202 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में कोई समस्या नहीं है। अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की समस्या है। 15 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बकाया राशि बिल्कुल भी अदा नहीं की है। मैं कह सकता हूं कि बकाया राशि का अधिकतर हिस्सा 9 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर बकाया है जो कि चार मंत्रालयों से संबंध रखते हैं और हम उनके साथ गंभीरता से यह मामला उठा रहे हैं।

श्री तिरूनावकरसू : महोदय, सुरक्षा कार्मिकों की सेवाओं को उपयोग में लाने का प्रस्ताव कैसे रखा गया जबकि कुछ सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम पहले ही बंद हो चुके हैं अथवा बंद होने की कगार पर हैं?

सी.आई.एस.एफ. अधिनियम में पहले ही संशोधन कर दिया गया है। मसौदा नियम विचाराधीन है। नियमों को अन्तिम रूप दे दिए जाने के बाद, सी.आई.एस.एफ. गैर-सरकारी क्षेत्र को सुरक्षा संबंधी परामर्श देगा। क्या गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों को परामर्श के साथ-साथ सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने का भी प्रस्ताव है?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : माननीय सदस्य ने अधिनियम में संसद द्वारा हाल ही में किए गए संशोधन का उल्लेख किया है जिसके अन्तर्गत गैर-सरकारी क्षेत्र के उपक्रम भी सी.आई.एस.एफ. की सहायता ले सकते हैं। कुछ गैर-सरकारी उपक्रमों ने सी.आई.एस.एफ. से इस बारे में बातचीत की है, लेकिन मैं सभा को यह सूचित करना चाहूंगा कि हाल ही की विमान अपहरण की घटना के बाद हवाई-अड्डों की सुरक्षा के लिए भी सी.आई.एस.एफ. को लगाए जाने का प्रस्ताव है और ग्यारह हवाई-अड्डों का पहले ही चयन कर लिया गया है जहां सी.आई.एस.एफ. के कार्मिकों को तैनात कर दिया गया है और ऐसा प्रस्ताव है कि हम अन्य हवाई-अड्डों के लिए भी धीरे-धीरे ऐसा ही करें।

श्री तिरूनावकरसू : महोदय, मैं पूछ रहा था कि क्या गैर- ने सी.आई.एस.एफ. द्वारा सुरक्षा परामर्श देने के सेवाएं प्रदान करने का भी प्रस्ताव है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने पहले ही उत्तर दे दिया है। श्री टी.एम. सेल्वागनपति।

श्री टी.एम. सेल्वागनपति : माननीय अध्यक्ष महोदय, सभा-पटल पर रखे गए विवरण के अनुसार, हमें लगता है कि न केवल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम रूग्ण हो गए हैं बल्कि केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल भी रूग्ण हो रहा है जिसके कारण लगभग 557 करोड़ रु. की राशि बकाया है। माननीय मंत्री महोदय इस बात का उल्लेख कर रहे थे कि वह किसी एक औद्योगिक क्षेत्र द्वारा अदायगी न किए जाने के मामले में सुरक्षा बलों की सेवाएं वापस लेने का इरादा नहीं रखते हैं।

महोदय, समाचार-पत्रों में रिपोर्टें प्रकाशित हुई हैं। ऐसी सूचना है कि इस वर्ष 11 मार्च को सी.आई.एस.एफ. के महा-निदेशक यह कह रहे थे कि वह धीरे-धीरे सुरक्षा बलों की सेवाएं वापस ले रहे हैं। मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार को इस देश में अनेक महत्वपूर्ण संस्थानों को आई.एस.आई. द्वारा बढ़ रहे खतरों की जानकारी है। ऐसी परिस्थितियों में वह भी सी.आई.एस.एफ. के महा-निदेशक द्वारा सुरक्षा बलों को वापस लेने का विचार क्या वास्तव में उचित होगा? इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : महोदय, मैं पहले ही कह चुका हूं कि सी.आई.एस.एफ. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सुरक्षा का कार्य कर रहे हैं और इन्हें वापस लेने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

जहां तक कार्मिकों की संख्या का प्रश्न है, उसमें कुछ कमी की जा सकती है। हालांकि, हम यह सुनिश्चित करेंगे कि सम्पत्ति की उपयुक्त तरीके से रक्षा की जाए फिर भी, यदि कहीं से कोई खतरा है, चाहे वह आई.एस.आई. से हो अथवा किसी अन्य से हो, तो सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सही तरीके से सुरक्षा सुनिश्चित करने में कोई कमी नहीं आने देगी।

श्री ए.सी. जोस : महोदय, माननीय मंत्री महोदय का उत्तर वास्तव में बहुत चौंका देने वाला है। जब सरकार अन्य उद्देश्यों के लिए धन प्रदान करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश करने जा रही है, वहीं सार्वजनिक क्षेत्र के पास बकाया राशि 557 करोड़ रुपए है। इस 557 करोड़ रु. की बकाया राशि को ध्यान में रखते हुए और सरकार की विनिवेश की नीति को ध्यान में रखते हुए क्या माननीय मंत्री महोदय औद्योगिक सुरक्षा बल को नया रूप देने के मुद्दे पर विचार करेंगे? औद्योगिक एककों में जहां विनिवेश हो रहा है, उनमें केन्द्र सरकार से सुरक्षा बल की आवश्यकता नहीं है। जबकि गैर-सरकारी क्षेत्र आगे आ रहे हैं, अधिक से अधिक निवेश हो रहा है, और केन्द्र सरकार अपने औद्योगिक सुरक्षा बल प्रदान कर रहा है। अतः स्थिति बहुत ही गंभीर है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से न केवल अनुरोध करता हूं बल्कि आग्रह करता हूं और माननीय मंत्री महोदय से पूछता हूं कि विनिवेश की नई नीति को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार औद्योगिक सुरक्षा बल को नया रूप देने के मुद्दे पर विचार करेगी?

अपने प्रश्न के दूसरे भाग के संबंध में, माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि औद्योगिक सुरक्षा बल ने परामर्शी सेवाएं देना आरम्भ कर दिया है। मेरा प्रश्न यह है। इस नीति को ध्यान में रखते हुए, क्या औद्योगिक सुरक्षा बल को केवल परामर्शी सेवाएं प्रदान करने तक ही सीमित रखा जा सकता है?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : महोदय, बकाया राशि की मात्रा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के कार्य करने के तरीके को दर्शाती है। लेकिन जहां तक कि सी.आई.एस.एफ. का संबंध है, वह अपना कार्य बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था बकाया राशि सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उपक्रमों पर है जो कि या तो रूग्ण हैं अथवा जिनको सही तरीके से संचालित नहीं किया जा रहा है। मैं यह कह सकता हूं कि 557 करोड़ रुपए की बकाया राशि में से 305 करोड़ रुपए केवल नौ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पास बकाया है। दो सौ दो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अपना भुगतान नियमित रूप से कर रहे हैं। उनके बारे में कोई समस्या नहीं है। अतः जो आंकड़े मैंने दिए हैं निश्चय ही वह सी.आई.एस.एफ. की कार्य प्रणाली पर टिप्पणी नहीं है बल्कि वे सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उपक्रमों की कार्यप्रणाली पर टिप्पणी हैं।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : महोदय, हमारे देश में लगभग 240 केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं - उनमें से कुछ लाभ कमा रहे हैं और कुछ हानि उठा रहे हैं। भारत सरकार विनिवेश की प्रक्रिया में लगी हुई है और स्वाभाविक है कि सी.आई.एस.एफ. की आवश्यकता धीरे-धीरे कम हो रही है। जिन एककों को भारी हानि हो रही है, स्वाभाविक है, वह बिल अदा नहीं कर सकते हैं अथवा सी.आई.एस.एफ. द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं के लिए कोई भुगतान नहीं कर सकते। इसलिए, सी.आई.एस.एफ. के लोग अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं। जब वह यह समाचार सुनते हैं कि कुछ केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश किया जाएगा तो वे जहां तक रोजगार सुरक्षा का संबंध है, असुरक्षित महसूस करते हैं। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या भारत सरकार का सी.आई.एस.एफ. के एक भाग को बी.एस.एफ. की तरह अन्य सुरक्षा बलों के साथ मिलाने का विचार है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इस तरह के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : महोदय, यहां तक कि सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार, मैं सभा को यह आश्वासन देता हूं कि प्रमुख क्षेत्र अर्थात् विद्युत, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष इत्यादि सरकार के पास रहेंगे और सी.आई.एस.एफ. इस संबंध में हमेशा अपना कार्य करता रहेगा।

जहां तक कि दूसरे प्रश्न का संबंध है, जैसा कि हमने इस सभा को वचन दिया था, सरकार सी.आई.एस.एफ. के अधिकारियों के साथ पहले ही चर्चा कर चुकी है; और कार्मिक विभाग से परामर्श के साथ हम इस बात पर विचार करेंगे कि प्रोन्नति इत्यादि संबंधी उनकी समस्याओं को संतोषजनक तरीके से निपटाया जाए।

श्री शिवराज वी. पाटील : महोदय, देश में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही हैं और हमारे कुछ बहुत ही संवेदनशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं। क्या सरकार इस बात को मानती है कि इन संवेदनशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को विशेष प्रकार की सुरक्षा की आवश्यकता है और इस उद्देश्य से उस तरह की योजनाएं और परियोजनाएं बनाई जानी चाहिए? यदि ऐसी योजनाएं वहां नहीं बनाई जाती हैं, यदि अचानक सरकार की किसी ऐसी ही बात का पता चलता है और यदि इन उपक्रमों को नुकसान पहुंचता है तो यह पूरे देश का मनोबल तोड़ने वाली बात होगी। हम सरकार से यह जानना चाहेंगे कि क्या उनकी इस उद्देश्य से कोई योजनाएं तथा परियोजनाएं हैं। हम यह देखने के लिए यह प्रश्न पूछ रहे हैं कि कहीं सरकार हतप्रभ न रह जाए और देश का मनोबल न टूट जाए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं माननीय सदस्य द्वारा कही गयी बात की प्रशंसा करता हूं। मैं पहले ही कह चुका हूं कि जहां तक प्रमुख क्षेत्र का संबंध है, हम बहुत चिंतित हैं। यहां तक कि अन्य उपक्रमों में जहां देय राशि बकाया है, वहां से भी सी.आई.एस.एफ. की सेवाएं वापस लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है। मैंने माननीय सदस्य को उत्तर दिया है कि जहां तक प्रमुख क्षेत्र और संवेदनशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का संबंध है केवल बकाया राशि की रकम के बहुत अधिक हो जाने के कारण ही सी.आई.एस.एफ. की सेवाएं वापस लेने का प्रश्न नहीं उठता। हम निश्चय ही उन पर अधिक ध्यान देंगे।

समेकित बाल विकास सेवाएं

***425. श्री [+]रामशेठ ठाकुर :**
श्री अशोक ना. मोहोल :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत की गई समेकित बाल विकास सेवा योजनाओं को अधिकांश राज्य सरकारें क्रियान्वित नहीं कर सकी हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और केन्द्र सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों के लिए स्वीकृत परियोजनाएं कौन-सी हैं और उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य द्वारा उन परियोजनाओं में से कितनी परियोजनाओं को क्रियान्वित किया गया;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(घ) क्या सरकार ने आबंटित धन के राज्य सरकारों द्वारा उपयोग के संबंध में इस योजना की समीक्षा की है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) से (ङ) एक विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(क) और (ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि तक केन्द्र सरकार द्वारा कुल 5587 आई.सी.डी.एस. परियोजनाएं स्वीकृत की गईं। तथापि, राज्य सरकारें सभी स्वीकृत आई.सी.डी.एस. परियोजनाओं को कार्यान्वित नहीं कर सकीं, क्योंकि आई.सी.डी.एस. स्कीम के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को देय मानदेय में 16.5.1997 से क्रमशः 25 प्रतिशत और 30 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमोदन करते हुए वित्त मंत्रालय ने आई.सी.डी.एस. स्कीम के अंतर्गत 4200 से अधिक परियोजनाओं को कार्यान्वित करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया। स्वीकृत और परिचालित परियोजनाओं की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सूची अनुलग्नक-I पर संलग्न है।

वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य/संघ राज्य द्वारा आबंटित राशि का ब्यौरा अनुलग्नक-II में दिया गया है।

(घ) जी, हां।

(ङ) नियमित रूप से की गई समीक्षाओं से यह परिणाम प्राप्त हुए कि आबंटित धनराशि का उपयुक्त उपयोग किया गया।

अनुलग्नक-I

स्वीकृत तथा परिचालित आई.सी.डी.एस. परियोजनाओं की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	कुल स्वीकृत परियोजनाएं	परिचालित आई.सी.डी.एस. परियोजनाओं की संख्या
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	363	209
2.	अरूणाचल प्रदेश	51	45
3.	असम	196	107
4.	बिहार	596	323
5.	गोवा	11	11
6.	गुजरात	227	203
7.	हरियाणा	116	114
8.	हिमाचल प्रदेश	72	72
9.	जम्मू व कश्मीर	121	113
10.	कर्नाटक	185	185
11.	केरल	163	120
12.	मध्य प्रदेश	488	355
13.	महाराष्ट्र	325	271
14.	मणिपुर	34	32
15.	मेघालय	30	30
16.	मिजोरम	21	21
17.	नागालैण्ड	52	41
18.	उड़ीसा	326	281
19.	पंजाब	142	110
20.	राजस्थान	257	191
21.	सिक्किम	5	5
22.	तमिलनाडु	434	431
23.	त्रिपुरा	31	31
24.	उत्तर प्रदेश	935	560
25.	प. बंगाल	358	294
26.	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	5	5
27.	चण्डीगढ़	3	3
28.	दिल्ली	29	28
29.	दादर व नगर हवेली	1	1
30.	दमन व दीव	2	2
31.	लक्षद्वीप	1	1
32.	पाण्डिचेरी	5	5
	कुल	5587	4200

अनुलग्नक-II

विगत तीन वर्षों के दौरान आई.सी.डी.एस. के अंतर्गत निर्मुक्त राज्य-वार राशि दर्शाने वाला विवरण

(रुपये लाखों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1997-98 निर्मुक्त	1998-99 निर्मुक्त	1999-2000 निर्मुक्त
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	3135.53	3185.12	5402.87
2.	अरूणाचल प्रदेश	406.52	660.57	817.00
3.	असम	1634.35	1911.71	2211.00
4.	बिहार	1469.02	3691.13	4918.64
5.	गोवा	188.76	326.48	284.13
6.	गुजरात	5312.40	4788.12	5370.21
7.	हरियाणा	2203.65	2633.07	2754.12
8.	हिमाचल प्रदेश	904.24	1045.40	1640.09
9.	जम्मू व कश्मीर	511.86	1431.72	1963.00
10.	कर्नाटक	5158.03	5709.83	5111.35
11.	केरल	2380.62	3120.80	2641.82
12.	मध्य प्रदेश	4840.29	5131.48	4368.00
13.	महाराष्ट्र	6925.69	6792.45	6584.73
14.	मणिपुर	795.10	846.78	840.48
15.	मेघालय	524.81	350.60	535.00
16.	मिजोरम	413.11	542.12	535.66
17.	नागालैण्ड	543.85	1321.37	1245.00
18.	उड़ीसा	2158.13	6641.30	4042.97
19.	पंजाब	1525.90	2382.58	2413.14
20.	राजस्थान	3373.72	3512.19	4197.55
21.	सिक्किम	63.29	241.96	129.75
22.	तमिलनाडु	2513.24	7297.05	10704.77
23.	त्रिपुरा	447.67	463.68	646.06

1	2	3	4	5
24.	उत्तर प्रदेश	7401.73	7265.52	11349.00
25.	प. बंगाल	5151.28	6456.11	6088.00
26.	दिल्ली	565.98	1248.18	818.42
27.	पाण्डिचेरी	105.55	151.82	181.58
28.	अण्डमान व निकोबार	63.27	112.26	130.44
29.	चण्डीगढ़	95.77	77.71	78.29
30.	दादर व नगर हवेली	21.88	28.60	26.83
31.	दमन व दीव	26.79	28.17	42.00
[illegible]	[illegible]	8.82	25.20	25.69
		14.64	0.00	0.00
34.	व्या. सेवाओं पर व्यय	0.00	208.00	44.00
35.	सेवा प्रभार	0.00	12.00	0.00
36.	मूल्यानुसार प्रभार	0.00	19.98	4.77
	जोड़	60885.49	79661.06	88146.36

श्री रामशेठ ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए समेकित बाल विकास स्कीम के तहत 5587 परियोजनाओं का लक्ष्य रखा था, जिसे 4200 तक सीमित कर दिया गया। नौवीं पंचवर्षीय योजना में 130 परियोजनाएं हर साल बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया था। अभी तीन साल बीत गये हैं, इसका मतलब 390 परियोजनाएं इस दौरान सरकार ने और शुरू करनी थीं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ये परियोजनाएं शुरू हुई हैं, उसमें से कितनी परियोजनाएं स्वीकृत हो गई हैं तथा क्या वे परियोजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों का ध्यान रखते हुए पर्याप्त हैं। क्योंकि आठवीं योजना का लक्ष्य ही अभी तक हमने पूरा नहीं किया है, क्या इन परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के बारे में सरकार ने सोचा है?

श्रीमती सुमित्रा महाजन : अध्यक्ष जी, शुरू में जब ये परियोजनाएं स्वीकृत हो गई थीं, लेकिन 1997 में कुछ कार्यकर्ताओं का 25 से 30 प्रतिशत तक वेतन बढ़ाया गया था, इसलिए फाइनेन्शियल कंसट्रेन्ट्स को देखते हुए इन योजनाओं में से 4200 योजनाओं को स्वीकृति मिल गई थी। अभी इसी साल 390 और योजनाओं को स्वीकृति मिली है और इन 390 योजनाओं में से 130 योजनाएं हर साल शुरू करते हुए हम इसे तीन साल में पूरा करेंगे। इस साल हमने 130 नई योजनाओं को स्वीकृति दे दी है।

श्री रामशेठ ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी द्वारा आबंटित धन के आंकड़ों से पता चलता है कि महाराष्ट्र को वर्ष 1997-98 में 6925.69 लाख, 1998-99 में 6792.45 लाख और वर्ष 1999-2000 में 6584.73 लाख स्वीकृत किया गया था। इसे देखने से पता चलता है हर वर्ष दो-दो करोड़ रुपये की कटौती की गई है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या महाराष्ट्र के लोगों का स्तर गरीबी की रेखा से ऊपर हो गया है, या बच्चों की पढ़ाई का स्तर ऊंचा हो गया है? क्या इसके लिए और अधिक धन की जरूरत नहीं है। उत्तर में कहा गया है कि जो धन दिया जाता है, उसका उचित उपयोग किया जाता है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि महाराष्ट्र को आबंटित किये जाने वाले धन में कटौती क्यों की गई है?

श्रीमती सुमित्रा महाजन : अध्यक्ष जी, यदि हम देखें तो महाराष्ट्र को दिये जाने वाले धन में कटौती नहीं की गई है।

श्री रामशेठ ठाकुर : लेकिन ऐसा दिखाया गया है।

मध्याह्न 12.00 बजे

श्रीमती सुमित्रा महाजन : हम आई.सी.डी.एस. प्रोजैक्ट के अन्दर जिस प्रकार से धन का आबंटन करते हैं उसकी अपनी एक पद्धति है। उसमें, जैसे इस साल के लिए हम 30 प्रतिशत पहले आबंटन करते हैं और उसके बाद दिसंबर तक 50 प्रतिशत धन आबंटन करना है, उसके लिए पहले जब तक राज्य की ओर से पूर्व में आबंटित धन के उपयोग का पूरा ब्यौरा नहीं आ जाता है, तब तक धन आबंटित नहीं किया जाता है। जैसे-जैसे राज्य सरकारों की ओर से ब्यौरा आता है, मंत्रालय धन आबंटित करता है। जिस तरीके से आई.सी.डी.एस. प्रोजैक्ट दिए गए हैं, उसी तरीके से धन का आबंटन होता है। उसमें कटौती का सवाल नहीं है। जैसे-जैसे राज्य सरकार से विवरण आता है वैसे ही धन का आबंटन पद्धति और नियम के अनुसार होता जाता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर

***424. श्री मंजय लाल :**
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर राष्ट्रीय साक्षरता दर से काफी कम है;

(ख) यदि हां, तो दिनांक 1.1.1991 और 1.1.1999 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर और राष्ट्रीय साक्षरता दर कितनी-कितनी थी; और

(ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में साक्षरता की स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार देश में 52.21 की सामान्य साक्षरता दर की तुलना में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर क्रमशः 37.41 तथा 29.60 प्रतिशत थी। अभी हाल के आंकड़े उपलब्ध नहीं हुए हैं।

(ग) साक्षरता अभियानों के अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को विशेष रूप से ध्यान में रखा जाता है। ये अभियान देश के उन क्षेत्रों तक पहुंच गए हैं जो सबसे अधिक पिछड़े, निरक्षर और गरीब हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर शामिल किया जाता है और इनमें इन्हीं वर्गों के व्यक्तियों को अधिक से अधिक शामिल किया जाता है।

देश में साक्षरता बढ़ाने की एक त्रिआयामी कार्यनीति बनाई गई है, जो निम्नवत है:-

(1) प्रारंभिक शिक्षा का सार्वजनिक बनाया जाना।

(2) 9-14 वर्ष की आयु वर्ग में स्कूल की पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा; और

(3) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत 15-35 आयु वर्ग के प्रौढ़ शिक्षार्थियों के लिए साक्षरता अभियान और सतत शिक्षा योजना।

सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता में सुधार करने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं उनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा अन्य क्षेत्रों के 2:1 की तुलना में जन-जातीय जिलों के लिए 4:1 के अनुपात में साक्षरता परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना; प्राथमिकता के आधार पर प्राथमिक विद्यालयों को खोलना; प्रारंभिक स्तर पर जनजातीय भाषाओं में शैक्षिक सामग्री तैयार करना; छात्रावासों, आवासीय विद्यालयों की स्थापना करना; छात्रवृत्तियां और निःशुल्क शिक्षा वृत्तियां प्रदान करना; कम महिला साक्षरता दर वाले पिछड़े जिलों में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम आरंभ करना। बालिकाओं के लिए निःशुल्क शिक्षा योजना, जिसे राष्ट्रीय महिला शिक्षा कार्यक्रम कहते हैं, को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

कम्प्यूटर शिक्षा

***426. श्री कृष्णमराजू :**
डा. रमेश चन्द तोमर :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सभी विद्यालयों में प्रायोगिक परियोजना के आधार पर "विद्यार्थी" और "शिक्षक" नामक कम्प्यूटर शिक्षा शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निजी संगठनों और राज्य सरकारों को भी इस योजना में शामिल करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो क्या इन विद्यालयों को कम्प्यूटर और उसके सहायक उपक्रम की खरीद के लिए आकर्षक वित्तीय पैकेज दिया जाएगा;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (च) राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी कार्य योजना (भाग-1) द्वारा आकर्षक वित्तीय पैकेजों के अन्तर्गत कम्प्यूटर खरीदने के इच्छुक [illegible] स्कूलों को कम्प्यूटर खरीदने के लिए विद्यार्थी [illegible] क कम्प्यूटर योजना'' और ''स्कूल कम्प्यूटर योजना'' नामक तीन योजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इस विभाग से परामर्श करते हुए इन प्रस्तावों पर विचार कर रहा है।

सहयोगी पटल के रूप में और बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए स्कूलों में कम्प्यूटर साक्षरता और अध्ययन (क्लास) योजना संशोधित की जा रही है और स्कूलों की संख्या, निधियों की आवश्यकता इत्यादि के ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों, स्वायत्त निकायों और राज्य सरकारों द्वारा अनुशंसित किए गए निजी संगठनों को इस योजना के कार्यान्वयन में शामिल करने का विचार है।

[हिन्दी]

शिक्षा के लिए धनराशि का क्षेत्रवार आबंटन

***427. श्री अरूण कुमार :**
डा. सुशील कुमार इन्दौरा :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में उच्च शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा के लिए अलग-अलग धनराशि आबंटित करती है;

(ख) यदि हां, तो गत पांच वर्षों के दौरान उक्त क्षेत्रों में से प्रत्येक क्षेत्र के लिए वर्षवार कुल सकल घरेलू उत्पाद की कितने प्रतिशत धनराशि आबंटित की गई;

(ग) क्या सरकार ने इन क्षेत्रों की जरूरतों का अलग-अलग आकलन कराया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उनकी आवश्यकता और आबंटित धनराशि के बीच के अंतराल को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) 1993-97 में पांच वर्षों के दौरान सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में कुल शैक्षिक व्यय की प्रतिशतता निम्न प्रकार है:

वर्ष	प्रतिशतता
1993	3.86
1994	3.76
1995	3.79
1996	3.89
1997	3.62

सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में क्षेत्रवार आबंटनों की प्रतिशतता नहीं रखी जाती है। विभिन्न क्षेत्रों के लिए 9वीं योजना के अंतर्गत लक्षित और अनुमोदित परिव्यय निम्न प्रकार है:

(करोड़ रु. में)

	परिव्यय	
क्षेत्र	लक्षित	अनुमोदित
कुल	78,708	24,908
जिसमें से प्रारंभिक शिक्षा	59,455	16,368
प्रौढ़ शिक्षा	3,664	630
माध्यमिक शिक्षा	3,169	2,603
उच्चतर शिक्षा	5,538	2,500
तकनीकी शिक्षा	6,208	2,374

(ङ) सरकार शिक्षा के लिए आवंटनों को बढ़ाने का लगातार प्रयास कर रही है। नौवीं योजना के लिए शिक्षा पर केन्द्रीय योजनागत आवंटन 24,908 करोड़ रु. का है जबकि आठवीं योजना में 8522 करोड़ रु. का व्यय हुआ था। यह 192% की वृद्धि को दर्शाता है। 5,449.04 करोड़ रु. का चालू वर्ष का योजनागत आवंटन 4384.96 करोड़ रु. के विगत वर्ष के संशोधित अनुमान की तुलना में वृद्धि को बताता है जो एक वर्ष में 24% है। सरकार का समुदाय, उद्योग आदि से अतिरिक्त बजटीय संसाधनों को जुटाने के लिए अनेक उपाय शुरू करने का प्रस्ताव है जिनमें भारत शिक्षा कोष का गठन, व्यक्तियों और कारपोरेटरों की आय पर शिक्षा उप कर लगाना तथा शिक्षा के पक्ष में सरकारी व्यय का पुनर्गठन शामिल है। सरकार राज्य सरकारों को भी शिक्षा पर परिव्यय को बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रही है।

स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट

***428. श्रीमती शीला गौतम :**
श्री शिवराज सिंह चौहान :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या श्री एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में गठित जनसंख्या नियंत्रण संबंधी आयोग ने अपनी रिपोर्ट वर्ष 1994 में सौंप दी थी;

(ख) यदि हां, तो क्या आयोग ने एक अलग आयोग को जनसंख्या नियंत्रण कार्य सौंपने के अतिरिक्त कुछ अन्य सिफारिशें भी की थीं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) पिछले पांच वर्षों के दौरान इस रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं किए जाने के क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) डा. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में जनसंख्या नीति पर विशेषज्ञ दल ने मई, 1994 के दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का प्रारूप प्रस्तुत किया।

(ख) जी, हां।

स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट में एक जनसंख्या और सामाजिक विकास आयोग की स्थापना करने की संस्तुति की गई जो कार्यकारी शक्तियों के साथ परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष आयोगों जैसे सरकार के अन्य आयोगों की तरह ही कार्य करेगा। इस आयोग की अध्यक्षता एक पूर्णकालिक अध्यक्ष करेगा जो एक प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता अथवा जनसंख्या स्थिरीकरण और सामाजिक विकास के निमित्त प्रतिबद्ध एक व्यवसायी होगा। इस अध्यक्ष की हैसियत केन्द्रीय मंत्रिमण्डल के मंत्री की होगी। इसके चार पूर्णकालिक सदस्य होंगे जिनकी हैसियत राज्य मंत्रियों की होगी। स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट में कहा गया कि यह आयोग योजना आयोग के कार्य को नहीं दोहरायेगा। यह आयोग नियोजन और कार्यान्वयन दोनों की दृष्टि से जनसंख्या, सामाजिक विकास और सम्बन्धित मुद्दों पर सतत रूप में ध्यान केन्द्रित करके सम्पूरक और समर्थनात्मक भूमिका निभायेगा। जनसंख्या और सामाजिक विकास आयोग प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमण्डलीय जनसंख्या और सामाजिक विकास समिति की सहायता करेगा।

(ग) इसके अतिरिक्त स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट में कई अन्य संस्तुतियां भी कीं, जैसे कि निम्नलिखित अवसंरचनात्मक संगठन स्थापित करना:

(1) एक मंत्रिमण्डलीय जनसंख्या और सामाजिक विकास समिति;

(2) जनसंख्या और सामाजिक विकास निधि जिसे जनसंख्या और सामाजिक विकास आयोग द्वारा राजस्व के निम्नलिखित स्रोतों से संचालित किया जायेगा: (क) भारत सरकार की निधियां; (ख) द्विपक्षीय दाता; (ग) यू.एन.एफ.पी.ए. सहित प्रतिष्ठान, बहुपक्षीय दाता और संयुक्त राष्ट्र अभिकरण; (घ) निगमित और सहकारी क्षेत्र; (ङ) देश के भीतर और अनिवासी भारतीय तथा विदेशी नागरिकों से स्वैच्छिक अंशदान;

(3) प्रत्येक राज्य मंत्रिमण्डल मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक जनसंख्या और सामाजिक विकास समिति बनायेगा;

(4) जिला परिषदें जिला स्तरों पर एक जिला जनसंख्या और सामाजिक विकास समिति गठित करेगी।

(घ) यह कहना सही नहीं है कि स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट पर पांच वर्ष तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को अपनाने के कार्य को पूरा करने के लिए बार-बार कार्रवाई चलती रही और यह प्रक्रिया लगातार हाथ में रही।

स्वामीनाथन की रिपोर्ट विशेषज्ञों, जन स्वास्थ्य व्यवसायियों, जनाकिकीविदों, राज्य सरकारों और सम्बन्धित विभागों के साथ किए गए कई विचार-विमर्शों का आधार बनी। स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट के प्रस्तुत किए जाने के तत्काल बाद इस नौ सदस्यीय

समिति के दो सदस्यों ने त्याग-पत्र दे दिया और "महिला-विरोधी और गरीब-विरोधी" रिपोर्ट का विरोध करने के लिए महिला सक्रियतावादी दलों के साथ हो गए क्योंकि स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट ने हाई-टैक गर्भनिरोधकों की शुरूआत करने, पंचायती राज चुनाव लड़ने के लिए एक अर्हता मानदंड के रूप में बच्चों की संख्या पर प्रतिबंध लगाने और दो से अधिक बच्चों वाले व्यक्तियों पर संगठित क्षेत्र में पदोन्नतियों एवं रोजगार मिलने पर रोक लगाने की भर्त्सना नहीं की तथा इसके अतिरिक्त बाल विवाहों के लिए दण्ड की वकालत की। इस बात पर ध्यान दिया गया कि स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट में भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को एक सम्पूरक तंत्र के रूप में उपयोग करने की आवश्यकता तथा अधिक लोगों को कवर करने व आपूर्तियों और उपकरणों की सुलभता बढ़ाने के लिए सामाजिक विपणन के महत्व जैसे कुछ अन्य वांछनीय पहलुओं ...या या अन्यथा उन पर अपर्याप्त बल दिया

योजना आयोग ने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति से सम्बन्धित एक नये दृष्टिकोण का सुझाव दिया। इससे स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट में संशोधन की आवश्यकता हुई। स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे में कमियों की पहचान करने और उनके लिए व्यवस्था करने तथा गर्भनिरोधन की पूरी न हुई आवश्यकता को पूरा करने जैसी मदों को संशोधित प्रारूप में शामिल किया जाना था। स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट में की गई अन्य संस्तुतियों को कार्यान्वयन हेतु पूर्णतया व्यवहार्य नहीं समझा गया जैसाकि मंत्रिमण्डलीय समिति द्वारा परिवार कल्याण कार्यक्रम की मानीटरिंग करने की भूमिका, जबकि मंत्रिमण्डलीय समिति की विशिष्ट भूमिका निर्णय लेने की होती है जिन्हें सम्बन्धित मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।

भारत की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के दौरान संसद का विशेष सत्र आयोजित किया गया जिसमें जनसंख्या नीति पर चर्चा तो नहीं हुई तथापि सामाजिक विकास के बारे में विभिन्न सुझाव दिए गए और इन सरोकारों को प्रतिबिम्बित किया जाना था।

समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और जनसंख्या विज्ञानों के क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ 1996-97 के दौरान और फिर 1998 से आगे विचार-विमर्श किए गए। अनेक प्रारूपों की जांच और पुन: जांच की गई। मार्च, 1999 के दौरान मंत्रिमण्डल को जनसंख्या नीति का एक प्रारूप प्रस्तुत किया गया और मंत्रिमण्डल ने प्रथमत: इस नीति दस्तावेज की जांच-पड़ताल करने के लिए मंत्रियों के एक दल का गठन किया। मंत्रियों के इस दल ने विशेषज्ञों, जनांकिकीविदों और कुछ अन्य राज्य सरकारों के साथ परामर्शों सहित कई बैठकें कीं। इस प्रारूप नीति को एक बार पुन: संशोधित किया गया और उसे 19 नवम्बर, 1999 को मंत्रिमण्डल के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। मंत्रिमण्डल ने इस दस्तावेज पर विस्तार से विचार-विमर्श किया और परिवार कल्याण विभाग को दिए गए सुझावों को सम्मिलित करने को कहा।

सरकार ने 15.2.2000 को अंतिम रूप से तैयार की गई जनसंख्या नीति पर विचार किया और उसका अनुमोदन किया। 3 मार्च, 2000 को राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 को लोक सभा के पटल पर तथा 7 मार्च, 2000 को इसे राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 विविध पणधारियों (स्टेकहोल्डरों) से परामर्श पर आधारित है। यह नीति स्वामीनाथन रिपोर्ट को अस्वीकार नहीं करती अथवा नकारती नहीं है लेकिन वस्तुत: स्वामीनाथन समिति की संस्तुतियों पर निर्मित है और उनको आगे बढ़ाती है।

शिक्षा पर व्यय

***429. श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना से प्रारम्भिक शिक्षा पर किए जा रहे कुल व्यय के प्रतिशत में तेजी से गिरावट आती रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इस समय शिक्षा पर व्यय का प्रतिशत कितना है;

(ग) क्या सरकार का विचार शिक्षा पर कुल व्यय विशेषकर प्राथमिक शिक्षा पर व्यय के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए कुछ उपाय करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) जी, नहीं। वास्तव में प्रारम्भिक शिक्षा पर परिव्यय की प्रतिशतता नौवीं पंचवर्षीय योजना में बढ़कर 66 प्रतिशत हो गई जो पांचवीं पंचवर्षीय योजना में 35 प्रतिशत थी।

(ख) से (घ) विगत पांच दशकों के दौरान सरकार द्वारा शिक्षा को दी गई प्राथमिकता के कारण सभी क्षेत्रों (केन्द्र और राज्य) पर कुल राजस्व व्यय के अनुपात में शिक्षा और प्रशिक्षण पर बजटीय व्यय की प्रतिशतता निरन्तर बढ़कर 1997 में 13.73 हो गई जो 1951 में 7.92 थी। सरकार शिक्षा के लिए आबंटनों को बढ़ाने का लगातार प्रयास कर रही है। नौवीं योजना के लिए शिक्षा पर केन्द्रीय योजनागत आवंटन 24,908 करोड़ रु. का है जबकि आठवीं योजना में 8522 करोड़ रु. का व्यय हुआ था। यह 192 प्रतिशत तक की वृद्धि को बताता है। 5449.04 करोड़ रु. का वर्तमान केन्द्रीय योजनागत परिव्यय विगत वर्ष के 4384.96 करोड़ रु. के संशोधित अनुमान से 24 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। इससे शिक्षा के प्रति केन्द्र सरकार की प्रतिबद्धता का पता चलता है। आठवीं योजना में 42 प्रतिशत से नौवीं योजना में 66 प्रतिशत की वृद्धि से प्रारम्भिक शिक्षा को दी गई उच्च प्राथमिकता का पता चलता है।

[अनुवाद]

सार्वजनिक क्षेत्र के उर्वरक संयंत्रों को बंद किया जाना

***430. श्री ए. ब्रह्मनैया :**
श्री सुनील खां :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अगले तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के अनेक उर्वरक संयंत्रों को बंद करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) रूग्ण संयंत्रों का पुनरूद्धार न करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या रामागुण्डम उर्वरक संयंत्र को भी बंद करने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो इसे बन्द करने से आन्ध्र प्रदेश और अन्यत्र किसानों के लिए उर्वरक की उपलब्धता पर किस सीमा तक प्रभाव पड़ेगा; और

(च) सरकार द्वारा उर्वरक की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुरेश प्रभु): (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र के उर्वरक उपक्रमों के बारे में कार्यवाही, सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति सरकार की घोषित नीति को ध्यान में रखते हुए की जानी है। सरकार की नीति सम्भवत: व्यवहार्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का पुनर्गठन और पुनरूद्धार करना, पुनरूद्धार न किये जा सकने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बन्द करना और कामगारों के हितों की पूर्णत: सुरक्षा करना है।

(ग) रूग्ण उर्वरक संयंत्रों का पुनरूद्धार एकक-वार प्रौद्यो-आर्थिक व्यवहार्यता पर निर्भर करता है। इन एककों के पुनर्वास में कई जटिलताएं हैं जैसे कि अप्रचलित प्रौद्योगिकियां और उपकरणों में गंभीर विसंगति, अंतर्निहित डिजाइन और उपकरण त्रुटियां तथा संचित हानि जो आज हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि. (एच.एफ.सी.) के लिए 4209.53 करोड़ रुपए और फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया लि. (एफ.सी.आई.) के लिए 5880.95 करोड़ रुपए बैठती है, जिसकी वजह से इन पुराने एककों के सुस्थिर और व्यवहार्य प्रचालनों के रूप में किन्हीं समानुरूप परिणामों के आश्वासन के बिना अत्यधिक निवेशों की आवश्यकता है। हल की जाने वाले इन जटिल समस्याओं, अपेक्षित निवेश की मात्रा और रूग्ण औद्योगिक कम्पनियां (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985 से सम्बद्ध सांविधिक अपेक्षा के कारण, कोई अंतिम निर्णय ले पाना सम्भव नहीं हुआ है।

(घ) एफ.सी.आई. के रामागुण्डम संयंत्र के उत्पादन प्रचालनों को उत्पादन की बहुत अधिक लागत और निरन्तर प्रचालनात्मक हानियों के कारण दिनांक 1.4.99 से निलम्बित रखना पड़ा था। रामागुण्डम एकक सहित एफ.सी.आई. का पुनर्वास सरकार में सक्षम प्राधिकारी के निर्णय और औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड की अंतिम मंजूरी पर निर्भर करता है।

(ङ) और (च) रामागुण्डम एकक के प्रचालनों के निलम्बन ने आन्ध्र प्रदेश और देश में कहीं भी यूरिया की खपत को प्रभावित नहीं किया है। देश का कोई भी राज्य यूरिया की उपलब्धता के लिए एक स्रोत पर निर्भर नहीं करता है। यूरिया की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्यों को स्वदेशी उत्पादकों से बहुत आपूर्ति संयोजन प्रदान किये जाते हैं और आवश्यकता की स्थिति में आयातों के माध्यम से आपूर्ति में और वृद्धि की जाती है। देश में यूरिया के उत्पादन को हाल ही में सृजित की गयी अतिरिक्त क्षमताओं द्वारा सम्पूरित किया गया है। वर्ष 1994-95 से 1999-2000 की अवधि के दौरान देश में यूरिया का उत्पादन 142.83 लाख मी. टन से बढ़कर 198.68 लाख मी. टन हो गया

है। गत तीन वर्षों के दौरान आपूर्ति किये गये यूरिया के ब्यौरे दर्शाने वाली निम्नलिखित तालिका से यह देखा जा सकता है कि आन्ध्र प्रदेश राज्य को यूरिया की पर्याप्त मात्राएं उपलब्ध करायी गयी हैं।

क्र.सं.	मौसम	ईसीए आबंटन	कुल उपलब्धता	बिक्री	अंत: शेष भंडार
1.	खरीफ,1997	1079.67	1110.62	826.57	284.05
2.	रबी 1997-98	1043.38	1165.60	879.23	286.37
3.	खरीफ 1998	1053.56	1080.73	955.57	125.16
4.	रबी 1998-99	1153.00	1212.03	1058.59	153.44
5.	खरीफ 99	1096.00	1148.64	1032.54	116.10
6.	रबी 1999-2000	1135.55	896.09*	702.92*	193.17*

* उपलब्धता और बिक्री।

जहां तक नियंत्रणमुक्त उर्वरकों का संबंध है, आन्ध्र प्रदेश सहित प्रत्येक राज्य की मांग को कृषि तथा सहकारिता विभाग की रियायत योजना के मानदण्डों के भीतर प्रचलित बाजार शक्तियों द्वारा पूरा किया जाता है।

[हिन्दी]

नक्सलवाद की समस्या

*431. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :
श्री प्रहलाद सिंह पटेल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार नक्सलवाद की समस्या से एक राज्य स्तर की समस्या या अन्तर-राज्यीय समस्या न मानकर एक राष्ट्रीय समस्या के रूप में निपटने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या नक्सलवादियों को धन, नशीली दवाओं, प्रशिक्षण और हथियारों आदि की आपूर्ति आई.एस.आई. द्वारा की जा रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(च) गत तीन वर्षों के दौरान अब तक प्रतिवर्ष विभिन्न राज्यों में नक्सलवादियों द्वारा कितने व्यक्तियों/सुरक्षा कर्मियों की हत्या की गई;

(छ) क्या विभिन्न राज्यों ने केन्द्र सरकार पर नक्सलवाद रोधी कार्यवाहियों में विदेशी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने हेतु दबाव डाला है;

(ज) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(झ) क्या केन्द्र सरकार ने अभी हाल ही में विभिन्न नक्सलवाद प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई थी;

(ञ) यदि हां, तो इसमें चर्चा की गई कार्यसूची का ब्यौरा क्या है; और

(ट) इसके क्या परिणाम निकले?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) से (ग) "लोक व्यवस्था" और "पुलिस" राज्य के विषय हैं। इन परिस्थितियों में, राज्यों में वामपंथी उग्रवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए विभिन्न उपाय करने और ठोस कदम उठाने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। तथापि, कुछ राज्यों में वामपंथी उग्रवाद ने जो भिन्न स्वरूप अख्तियार कर लिए हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए यह केन्द्र सरकार के लिए भी चिन्ता का विषय बन गया है। अत: केन्द्र सरकार ने वामपंथी उग्रवाद की गतिविधियों पर अंकुश लगाने, प्रत्येक राज्य द्वारा उठाए कदमों की मानिटरिंग करने के लिए इन राज्यों द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा तथा समन्वय करने और समस्या के विकास और सुरक्षा दोनों पहलुओं पर सिफारिश करने हेतु केन्द्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में हमने उच्च स्तरीय समन्वय केन्द्र का गठन किया है। गंभीर रूप से प्रभावित राज्यों के मुख्य सचिव पुलिस महानिदेशक इस केन्द्र के सदस्य बनाए गए हैं।

समन्वय केन्द्र की आवधिक बैठकें आयोजित की जा रही हैं। कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए हैं जैसे कि वामपंथी उग्रवादी गतिविधियों की रोकथाम के लिए केन्द्र की ओर से वित्तीय सहायता प्रदान करना, पहचान की गई महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण/सुधार करना, समस्या के समग्र रूप से निपटने के लिए प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए योजनाएं तैयार करना, नियमित रूप से आसूचना का आदान-प्रदान करना, आवश्यकता के आधार पर अर्ध-सैनिक बलों की सहायता उपलब्ध कराना आदि। इन निर्णयों पर प्रभावी रूप से अनुवर्ती कार्रवाई भी की गई है।

(घ) से (ङ) इस संबंध में कोई रिपोर्ट नहीं है।

(च) उपलब्ध सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष राज्यों में नक्सलवादियों द्वारा मारे गए व्यक्तियों/सुरक्षा कार्मिकों की अब तक की संख्या इस प्रकार है:-

राज्य	1997	1998	1999	2000 (मार्च तक)
आन्ध्र प्रदेश	234	205	151	40
बिहार	325	206	378	80
मध्य प्रदेश	14	59	47	28
महाराष्ट्र	9	13	15	2
उड़ीसा	–	5	–	1

(छ) और (ज) राज्य पुलिस बलों की मारक क्षमता को बेहतर बनाने के लिए कतिपय अनुरोध प्राप्त हुए हैं जिनमें आधुनिक हथियार, संचार उपकरण, चौकसी प्रणाली और अन्य उपस्कर इत्यादि शामिल हैं। इन्हें, यथासंभव उपलब्ध कराया गया है। केन्द्र सरकार, प्रभावित राज्यों को राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के अन्तर्गत तथा सुरक्षा से संबंधित व्यय की प्रतिपूर्ति करके वित्तीय सहायता भी उपलब्ध करवा रही है।

(झ) से (ट) केन्द्रीय गृह मंत्री ने वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों के मुख्य मंत्रियों की एक बैठक दिनांक 4.4.2000 को बुलाई थी। इस बैठक में इस बात पर सहमति हुई थी कि राज्यों को आसूचना के आदान-प्रदान, सुरक्षा से संबंधित व्यय, पुलिस कार्मिकों की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं इत्यादि के लिए केन्द्र सभी संभव सहायता उपलब्ध करायेगा तथा संबंधित राज्यों को अन्तर-राज्य समन्वय स्थापित करने, वास्तविक आसूचना के एकत्रीकरण, समस्याग्रस्त क्षेत्रों की गहराई से विश्लेषण, गड़बड़ी बाहुल इलाकों में अत्यधिक निष्ठावान और समर्पित प्रशासनिक व्यक्तियों को तैनात करने समेत जवाबदेह प्रशासन के सभी क्षेत्रों पर व्यापक ध्यान देना, गरीब वर्गों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामाजिक-आर्थिक उपाय करना तथा जनता की शिकायतें दूर करने की दिशा में अपने प्रयास जारी रखने चाहिए। इस बात पर भी सहमति हुई कि प्रभावित राज्यों के पुलिस बलों को संयुक्त अभियान चलाने चाहिए।

कश्मीर में अल्पसंख्यकों पर हमले

***432. श्री रामशकल :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान कश्मीर में आतंकवादी कुछ जाति विशेष के समुदायों पर हमले कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इनमें कितने व्यक्ति मारे गए/घायल हुए;

(ग) ऐसे हमलों को रोकने के लिए और जातीय समुदायों की रक्षा हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं/उठाने का प्रस्ताव है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान कितने आतंकवादी गिरफ्तार किये गये/मारे गये और किस प्रकार के हथियार और गोलाबारूद जब्त किया गया?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) और (ख) जातीय परिमार्जन सुनिश्चित करने के लिए पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवादी संगठनों ने गत दो वर्षों के दौरान जम्मू और कश्मीर राज्य में अल्पसंख्यक समुदायों पर हमले शुरू किए हैं। 1 जनवरी, 1998 से 31 मार्च, 2000 तक जम्मू और कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा मारे गए अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित व्यक्तियों की कुल संख्या 311 है जिनमें से 273 हिन्दू और 37 सिख हैं। इस अवधि के दौरान घायल हुए अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों की संख्या 151 है।

(ग) अल्पसंख्यकों पर आतंकवादी हमलों की रोकथाम के लिए उठाए गए कुछ विशिष्ट कदमों में, सुरक्षा ग्रिड का सुदृढ़ीकरण, सुरक्षा पिकटों की स्थापना, ग्राम सुरक्षा समितियों की स्थापना, बलों की सक्रिय तैनाती, नियमित गश्त (अल्पसंख्यकों से बसे क्षेत्रों के समीप सहित), छानबीन अभियान, घात लगाना, राज्य पुलिस के आसूचना संग्रहण तंत्र को तेज करना और सटीक (पिन प्वाइंटेड) संयुक्त अभियान शामिल है।

(घ)	1.1.1998 से 31.3.2000 तक
मारे गए आतंकवादियों की संख्या	2326
मूल कानून के अन्तर्गत गिरफ्तार किए गए आतंकवादियों की संख्या	939

1.1.98 से 31.3.2000 तक की अवधि के दौरान जब्त किए गए हथियारों/गोला-बारूद की किस्म के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

1.1.98 से 31.3.2000 तक की अवधि के दौरान जब्त किए गए हथियार/गोला-बारूद के ब्यौरे

हथियार

1. ए.के. 47/56/74 राइफलें	2998
2. पिस्तौल/रिवाल्वर	1043
3. यू एम जी	105
4. कारबाईन	12
5. आर पी जी	256
6. जी पी एम जी	4
[illegible]म एल आर	14
[illegible] राइफल	26
9. स्निपर राइफलें	53
10. रॉकिट लान्चर	187
11. रॉकिट बूस्टर	848

मैगजीनस

1. ए के 47/56/74 राइफलें	8695
2. पिस्तौल/रिवाल्वर	1451
3. यू एम जी	47
4. एल एम जी	2
5. कारबाईन	8
6. टेलिस्कोप	12

गोलाबारूद

1. ए के 47/56/74 राईफलें (लाखों में)	3.76
2. पिस्तौल/रिवाल्वर	70492
3. यू एम जी	8613
4. स्निपर राईफल	19956
5. 303 गोलाबारूद	399
6. बेल्टिड गोलाबारूद	95559
7. टेलिस्कोप राईफल	0

विस्फोटक सामग्री

1. ग्रेनेड/हैंड ग्रेनेड	10956
2. आई ई डी	1147
3. विस्फोटक	5942
4. इलैक्ट्रिक डेटोनेटर	1460
5. डेटोनेटर	10647
6. ए पो माईन्स	787
7. ए टी माईन्स	121
8. किलोग्राम में आर डी एक्स	1798
9. राकेट	792

संचार उपकरण

1. वायरलैस सैट	1064

सहायक सामग्री

1. मीटरों में कोर्डक्स	2327
2. बिनोकुलर	105

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन

***433. श्री शंकर सिंह वाघेला :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय साक्षरता अभियान हेतु आवंटित समस्त राशि लक्ष्य प्राप्त करने के लिए व्यय की गई थी;

(ख) यदि नहीं, तो उक्त अवधि को दौरान प्रति वर्ष वास्तव में कितनी राशि व्यय की गई तथा आवंटित राशि का उपयोग न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इसका इस अभियान पर क्या प्रभाव पड़ा है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का उद्देश्य वर्ष 2005 तक साक्षरता में 75 प्रतिशत के संतोषजनक उत्तर के लक्ष्य को हासिल

कर लेना है। पिछले तीन वर्षों के दौरान बजट आवंटन तथा व्यय के ब्यौरे निम्नवत हैं:-

(करोड़ रु. में)

वर्ष	बजट आवंटन	वास्तविक व्यय
1997-98	127.00	79.74
1998-99	93.97	72.23
1999-2000	110.00	87.07
कुल	330.97	239.04

व्यय में कमी होने के निम्नलिखित मुख्य कारण हैं:-

- समुदाय ने स्वैच्छिक रूप से नकद तथा वस्तुओं के रूप में सहयोग देकर सहायता प्रदान की।
- निधियों का अधिक से अधिक उपयोग सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय नियंत्रण दृढ़ किया गया।
- इस योजना का विस्तार करने के बजाय इसके समेकन, गुणवत्ता में सुधार और निगरानी करने पर विशेष ध्यान दिया गया।
- नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय साक्षरता मिशन तथा इसकी योजनाओं को जारी रखना तथा संशोधित मानकों, व्यय के परिवर्धित प्रति मानकों और नई संस्थाओं की स्थापना करने की मंजूरी 30 नवंबर को दी गई।

बचत से इस मिशन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। वर्तमान अनुमानों के अनुसार आशा है कि वर्ष 2005 तक 75 प्रतिशत का संतोषजनक स्तर का साक्षरता लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा।

[अनुवाद]

एड्स रोगियों का उपचार

***434. डा. वी. सरोजा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या धनी लोगों की तुलना में गरीब लोग विशेषकर गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोग बड़ी संख्या में एड्स से प्रभावित हुए हैं;

(ख) क्या एड्स का उपचार काफी महंगा है;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार द्वारा एड्स के उपचार हेतु अपेक्षित औषधियों के मूल्यों में कमी करने अथवा एड्स रोगियों को निःशुल्क अथवा कम दरों पर औषधियों की आपूर्ति करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) से (घ) एच.आई.वी. संचरण मुख्यतः किसी व्यक्ति के यौन आचरण के कारण होता है न कि सामाजिक-आर्थिक दशा पर आधारित होता है। तथापि, निम्न सामाजिक-आर्थिक स्तर के व्यक्तियों में साक्षरता के निम्न स्तर के कारण उनकी एच.आई.वी./एड्स से संबंधित सूचना तथा समझ तक पहुंच सीमित होती है। इसके अलावा, गरीबी के कारण यौन शोषण होता है, जिससे एच.आई.वी. संक्रमण लग जाने के जोखिम बढ़ जाते हैं। इसके अलावा, स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं न तो उन्हें सरलता से सुलभ हैं और न ही वे उनके लिए वहनीय है।

यद्यपि एच.आई.वी. के कारण होने वाले क्षय रोग, मैनिंगजाइटिस, निमोनिया आदि जैसे अवसरवादी संक्रमण साध्य हैं, एच.आई.वी./एड्स के लिए कोई मान्य इलाज नहीं है। तथापि, एंटीरेट्रोवाइरल नामक कुछ औषधियां हैं जो एच.आई.वी. संक्रमण के एड्स के रूप में पूरी तरह से विकसित हो जाने की प्रक्रिया को विलंबित कर सकती हैं। ये औषधियां भारत में नहीं बनायी जाती हैं और इस प्रकार ये बहुत महंगी हैं। एंटीरेट्रोवाइरल औषधियों में 2 से 3 दवाओं का मिश्रण होता है, जिन्हें रोजाना 3 से 4 बार जीवन भर लेना पड़ता है। ये औषधियां विषैली भी होती हैं और उनका अनुपालन कम होता है, जिसके कारण प्रतिरोध बढ़ जाने का जोखिम रहता है।

सभी सरकारी अस्पतालों में एच.आई.वी./एड्स से संबद्ध अवसरवादी संक्रमणों के उपचार के लिए निःशुल्क औषधियां प्रदान करना सरकार की नीति है। एंटीरेट्रोवाइरल औषधियों की लागत कम करने के लिए सरकार इन औषधियों के जीवन-रक्षक औषधियों के रूप में आयात पर सीमा शुल्क में छूट देती है। सरकार भारत में इन औषधियों के उत्पादन के लिए स्थानीय फार्मास्यूटिकल कंपनियों को प्रोत्साहन दे रही है। सरकार राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत इन औषधियों की घटी हुई दरों पर या निःशुल्क आपूर्ति करने पर विचार नहीं कर रही है।

उर्वरकों पर राजसहायता

***435. श्री बसुदेव आचार्य : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार आगामी वित्तीय वर्ष में उर्वरकों पर राजसहायता में कमी करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुरेश प्रभु): (क) और (ख) चूंकि वर्तमान यूरिया एकमात्र उर्वरक है जिस पर मूल्य, वितरण और संचलन नियंत्रण है, अतः प्रतिधारण मूल्य-सह-सब्सिडी योजना के तहत केवल यूरिया आता है। केन्द्र सरकार यूरिया पर सब्सिडी के अलावा नियंत्रणमुक्त उर्वरकों की बिक्री पर रियायत की योजना के तहत नियंत्रणमुक्त फास्फेटिक तथा पोटाशिक उर्वरकों पर रियायत भी देती है।

यूरिया पर सब्सिडी तथा नियंत्रणमुक्त उर्वरकों पर रियायत के लिए वर्ष 2000-01 हेतु बजट अनुमानों की तुलना गत वित्त वर्ष [illegible] से करने पर 593.07 करोड़ रुपए की बचत [illegible] वित्त वर्ष में वास्तविक व्यय और यूरिया पर [illegible] नियंत्रणमुक्त उर्वरकों पर रियायत के लिए 2000-01 हेतु बजट अनुमानों के ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

(रु. करोड़ में)

उर्वरक का नाम	1999-2000 के दौरान सब्सिडी/रियायत पर वास्तविक व्यय	2000-01 के लिए सब्सिडी/रियायत हेतु बजट अनुमान	बचत
यूरिया	8744.07	8558.00	186.07
नियंत्रणमुक्त फास्फेटिक और पोटाशिक उर्वरक	4500.00	4093.00	407.00
योग	13244.07	12651.00	593.07

सरकार की नीति, एक और तो इसकी वित्तीय क्षमता को ध्यान में रखते हुए चरणबद्ध रूप से सब्सिडी/रियायत को समाप्त करना तथा दूसरी ओर कृषकों को एक मुनासिब मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराना है।

आयोडीन की कमी पर नियंत्रण पाने के लिए सहायता

***436. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में नेशनल आयोडीन डेफिशियंसी डिसआर्डर कार्यक्रम शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्यों को इसके अंतर्गत राज्यवार कितनी सहायता प्रदान की गई;

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के लिए इस प्रयोजनार्थ राज्यवार कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(घ) उक्त धनराशि कब तक जारी कर दिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) जी, हां।

(ख) विवरण-I और II संलग्न है।

(ग) और (घ) नौवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम के लिए कुल 1800 लाख रुपये का आबंटन किया गया है। इस आबंटन में से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 1050 लाख रुपये की रकम रखी गई है। नौवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान इस कार्यक्रम पर 332 लाख रुपये खर्च किए गए हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष, जो नौवीं योजना का चौथा वर्ष है, के दौरान इस कार्यक्रम के लिए 143 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। 2001-2002, जो नौवीं योजना का अंतिम वर्ष है, के लिए राज्यवार आबंटन बताना असामयिक (प्रिमैच्योर) है।

विवरण-I

राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को किए गए वित्तीय आबंटन को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	2.80	3.00	3.10
2.	अरूणाचल प्रदेश	3.60	3.80	5.10

1	2	3	4	5
3.	असम	4.10	4.20	3.00
4.	बिहार	3.60	3.40	2.80
5.	गोवा	2.40	2.50	2.70
6.	गुजरात	4.30	4.50	4.50
7.	हरियाणा	3.10	3.10	3.40
8.	हिमाचल प्रदेश	3.10	3.30	3.50
9.	जम्मू व कश्मीर	2.90	2.90	2.70
10.	कर्नाटक	4.10	4.30	5.80
11.	केरल	3.90	3.90	3.40
12.	मध्य प्रदेश	3.30	3.30	2.80
13.	महाराष्ट्र	5.70	5.90	6.00
14.	मणिपुर	3.70	3.90	4.10
15.	मेघालय	3.70	3.70	3.90
16.	मिजोरम	3.50	3.70	3.90
17.	नागालैंड	3.50	3.60	3.80
18.	पंजाब	3.40	3.20	2.50
19.	राजस्थान	4.00	4.00	4.00
20.	सिक्किम	3.40	3.40	3.60
21.	त्रिपुरा	3.70	3.90	4.50
22.	उत्तर प्रदेश	5.10	5.10	3.50
23.	प. बंगाल	3.90	3.60	3.50
24.	उड़ीसा	4.10	4.30	4.90
25.	तमिलनाडु	4.10	4.30	4.00
	कुल	93.00	95.00	95.00
	संघ राज्य क्षेत्र (विधान मंडल वाले)			
26.	दिल्ली	2.80	2.80	2.80
27.	पांडिचेरी	2.20	2.20	2.20
	कुल	98.00	100.00	100.00

1	2	3	4	5
28.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1.10	2.30	2.20
29.	चंडीगढ़	1.45	3.30	3.30
30.	दादरा एवं नागर हवेली	1.10	2.60	2.50
31.	दमण एवं दीव	1.50	3.60	3.90
32.	लक्षद्वीप	0.85	2.20	2.10
	कुल	104.00	114.00	114.00

विवरण-II

वर्ष 2000-2001 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियों का किया गया अस्थायी आवंटन

क्र.स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्थापना (आईडीडी नियंत्रण सेल)	प्रचार और स्वास्थ्य शिक्षा (लाख रुपये में)	सर्वेक्षण 10000/- रु. प्रति जिला	आईडीडी मानीटरिंग प्रयोगशालाएं	योग
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	3.00	1.00	0.40	0.50	4.90
2.	अरूणाचल प्रदेश	3.00	0.50	0.40	1.20	5.10
3.	असम	3.00	0.50	0.50	0.50	4.50
4.	बिहार	3.00	0.50	0.50	0.50	4.50
5.	गोवा	2.50	0.30	0.20	0.40	3.40
6.	गुजरात	2.50	1.00	1.00	0.40	4.90
7.	हरियाणा	2.50	0.80	0.50	0.40	4.20
8.	हिमाचल प्रदेश	2.50	0.80	0.40	0.50	4.20
9.	जम्मू व कश्मीर	2.50	0.40	0.40	0.40	3.70
10.	कर्नाटक	3.00	1.00	0.40	1.40	5.80
11.	केरल	2.50	1.00	0.40	0.50	4.40
12.	मध्य प्रदेश	2.50	1.00	0.40	0.40	4.30
13.	महाराष्ट्र	3.00	1.00	1.00	1.00	6.00
14.	मणिपुर	3.00	0.80	0.40	0.60	4.80
15.	मेघालय	3.00	0.80	0.40	1.00	5.20

1	2	3	4	5	6	7
16.	मिजोरम	3.00	0.80	0.20	1.00	5.00
17.	नागालैंड	3.00	0.80	0.20	0.60	4.60
18.	पंजाब	3.00	0.40	0.30	0.40	4.10
19.	राजस्थान	3.00	1.00	0.60	0.40	5.00
20.	सिक्किम	3.00	0.70	0.20	0.60	4.50
21.	त्रिपुरा	3.00	0.80	0.20	0.80	4.80
22.	उत्तर प्रदेश	3.50	1.50	2.00	0.50	7.50
23.	प. बंगाल	2.50	1.00	0.50	0.50	4.50
24.	उड़ीसा	3.00	0.70	0.60	0.60	4.90
25.	तमिलनाडु	3.00	1.00	0.60	0.60	5.20
		71.50	20.10	12.70	15.70	120.00
	संघ राज्य क्षेत्र (विधान मंडल वाले)					
26.	दिल्ली	1.50	0.60	0.20	1.50	3.80
27.	पांडिचेरी	1.50	0.30	0.20	0.20	2.00
		74.50	21.00	13.10	17.40	126.00
	संघ राज्य क्षेत्र (विधान मंडलों के बिना)					
28.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	2.20	0.10	0.20	0.40	2.90
29.	चंडीगढ़	2.90	0.30	—	0.70	3.90
30.	दादरा एवं नागर हवेली	2.30	0.20	0.10	0.40	3.00
31.	दमण एवं दीव	3.20	0.10	0.10	0.80	3.00
32.	लक्षद्वीप	2.40	0.10	0.10	0.40	3.00
		13.00	0.80	0.50	2.70	17.00
		87.50	21.80	13.60	20.10	143.00

जम्मू और कश्मीर को स्वायत्तता

***437. श्री मोहन रावले :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 फरवरी, 2000 के "द इंडियन एक्सप्रैस" में 'गिव जम्मू कश्मीर ऑटोनामी और इंडिपेंडेंस, सेज जम्मू एण्ड कश्मीर मिनिस्टर' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) जम्मू और कश्मीर की सरकार ने हाल ही में अपनी राज्य स्वायत्तता समिति की रिपोर्ट स्वीकार की है। रिपोर्ट में बुनियादी तौर पर 1953 से पूर्व की स्थिति बनाए रखने की बात कही गई है। इस समय, रिपोर्ट की केन्द्र सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

अल्जीमर्स रोग

*438. **श्री पी.सी. थामस :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अल्जीमर्स रोग के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में इस समय अल्जीमर्स रोगियों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(घ) क्या इस रोग के संबंध में कोई जागरूकता अभियान शुरू किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसमें कौन-कौन सी एजेंसियां/संगठन शामिल हैं और पिछले तीन वर्ष के दौरान प्रति वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उनको राज्य-वार कितनी-कितनी सहायता दी गई?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) से (ङ) राष्ट्रीय अल्जीमर्स रोग संस्थान स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

अल्जीमर्स रोग के लिए कोई विशिष्ट जागरूकता कार्यक्रम शुरू नहीं किए गए हैं और देश में अल्जीमर्स रोगियों की संख्या के बारे में कोई राज्यवार आंकड़े नहीं रखे जा रहे हैं। बहुत उच्च जीवन प्रत्याशा वाले देशों में यह रोग एक गंभीर जन स्वास्थ्य समस्या पैदा करता है। वर्तमान में इस रोग को देश में एक प्रमुख जन स्वास्थ्य सरोकार के रूप में महसूस नहीं किया गया है। तथापि, अल्जीमर्स रोग के लिए सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों के तृतीयक स्तर के अस्पतालों में उपचार प्रदान किया जाता है।

झुग्गीवासियों के लिए नीति

*439. **श्री रामदास आठवले :**
श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्व प्रधानमंत्रियों ने 27 मार्च, 2000 को प्रधानमंत्री और शहरी विकास मंत्री से भेंट की थी और उनसे मुम्बई, कलकत्ता और दिल्ली जैसे महानगरों के झुग्गीवासियों के लिए एक पुनर्वास नीति बनाने का आग्रह किया था;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस मामले में क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्री (श्री जगमोहन): (क) जी हां।

(ख) और (ग) प्रधानमंत्री ने यह कार्य शहरी विकास मंत्री को सौंपा है। इस मामले में झुग्गी वासियों और रेलवे के अधिकारियों सहित सभी संबंधित पक्षों से चर्चा हुई है। रेलवे तथा दिल्ली नगर निगम के स्लम व झुग्गी-झोपड़ी विभाग द्वारा सम्मिलित सर्वे के आदेश दिए गए हैं ताकि रेलवे के "सेफ्टी जोन" में विद्यमान झुग्गियों की समस्याओं का आंकलन किया जा सके। आगे की कार्रवाई "सेफ्टी जोन" का सर्वे पूरा हो जाने के बाद की जाएगी।

दिल्ली में झुग्गी वासियों के पुनर्वास की एक स्कीम सरकार पहले से चला रही है। हाल ही में असंख्य झुग्गीवासी सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, गौतम नगर, सादिक नगर, एंड्रयूज गंज आदि अनेक इलाकों से शांतिपूर्वक हटकर अन्यत्र पुनर्वास कर गए हैं। यह पुनर्वास शहरी विकास मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किए गए हैं और उसके झुग्गी वासियों के कल्याण तथा विभिन्न विभागों द्वारा दिल्ली मास्टर प्लान के प्रावधानों के तहत महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं के लिए अपेक्षित खाली भूमि का कब्जा लेने अर्थात् दोनों ही प्रसंगों में संतोषजनक परिणाम निकले हैं।

जहां तक अन्य मैट्रोपोलिटन शहरों की बात हैं, तो यह मामला संबंधित राज्य सरकारों के दायरे में आता है।

[अनुवाद]

भारतीय विज्ञान कांग्रेस

*440. **श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय विज्ञान कांग्रेस की हाल ही में पुणे में हुई बैठक में विश्वव्यापीकरण और राष्ट्र की भावी आवश्यकताओं के संदर्भ में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की समीक्षा की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) नई राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्य योजना तैयार की गई है; और

(घ) बच्चों, युवा वर्ग और उद्योगों में विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए कौन सी बड़ी योजनाएं तैयार की गई हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारतीय विज्ञान कांग्रेस, अपने वार्षिक सत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से संबंधित नीतिगत मुद्दों पर विचार करती रही है तथा समुचित सिफारिशें करती रही है। ये सिफारिशें नीति निर्माण, जो कि एक सतत एवं जारी प्रक्रिया है, के लिए मूल्यवान आगम प्रदान करती हैं। कुछ प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित से संबंधित हैं:-

(1) शिक्षाविदों-उद्योग-अनुसंधान संस्थान के बीच अधिक नजदीकी संयोजन।

(2) कृषि, खाद्य, जल प्रबंधन, ऊर्जा एवं पदार्थ संवर्धन, सस्ती आवास व्यवस्था, तथा पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उद्योग तथा संस्थानों के साथ सहयोग समझौते।

(3) प्रतिभाशाली युवा वैज्ञानिकों के लिए पुरस्कारों की स्थापना।

(4) राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में विज्ञान के युवा छात्रों का प्रशिक्षण।

(5) जैव विज्ञानों में आधारभूत अनुसंधान को सहायता।

(घ) बच्चों, युवाओं तथा उद्योग में विज्ञान के प्रोन्नयन के लिए बनाई गई प्रमुख योजनाएं निम्नलिखित हैं:-

(1) राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस

इसमें 10 से 17 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को सहयोगी विज्ञान परियोजनाओं द्वारा प्रशिक्षण पर बल दिया जाता है।

(2) किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना

इसमें विज्ञान, इंजीनियरी तथा औषध के क्षेत्र में अध्येतावृत्तियां दी जाती हैं ताकि इन क्षेत्रों में अनुसंधान कार्यों को अपना पेशा बनाने के लिए 10+2 स्तर तथा बी.एस.सी. द्वितीय वर्ष के असाधारण बुद्धिमान तथा अति उत्साही विद्यार्थियों को आकर्षित किया जा सके।

(3) स्वर्णजयन्ती अध्येतावृत्तियां

इसमें विज्ञान तथा इंजीनियरी के क्षेत्र में 30 से 40 वर्ष के आयुवर्ग के वैज्ञानिकों को विश्व स्तर के आधारभूत अनुसंधान कार्य करने के लिए परियोजना प्रस्ताव के साथ अध्येतावृत्ति दी जाती है।

(4) युवा वैज्ञानिकों के लिए फास्ट ट्रैक प्रस्ताव

35 वर्ष के आयु वर्ग के युवा वैज्ञानिकों के लिए परियोजना पद्धति आधार पर शीघ्र निर्णय तथा सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

(5) विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के चुने हुए क्षेत्रों में युवा वैज्ञानिकों के लिए (बॉयजकास्ट) बेहतर सुअवसर

35 वर्ष के आयु वर्ग के लिए विज्ञान तथा इंजीनियरी के उन्नत अभिज्ञात क्षेत्रों में विदेशों में प्रशिक्षण दिलाया जाता है।

(6) प्रौद्योगिकी के विकास तथा अनुप्रयोग हेतु निधि

गतिशील आर्थिक माहौल में स्वदेश में विकसित प्रौद्योगिकी के विकास तथा उसके अनुप्रयोग के प्रयोजन हेतु भारत सरकार ने प्रौद्योगिकी के आयात पर वर्तमान में एक उपकर लगाकर उसे निधि का रूप देने की प्रक्रिया में सहायता प्रदान की है जिसका संचालन इन कार्यों के लिए गठित की गई प्रौद्योगिकी विकास परिषद द्वारा किया जाएगा।

(7) औषध तथा भेषज क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास कार्यों को प्रोत्साहन

यह कार्यक्रम किसी उद्योग तथा सार्वजनिक तौर पर सहायता प्राप्त किसी अनुसंधान संस्थान/विश्वविद्यालय के बीच सभी तरह की औषधीय प्रणाली के लिए औषध के विकास हेतु चुनी हुई सहयोग परियोजनाओं को सहायता उपलब्ध कराता है।

(8) स्वदेश में विकसित प्रौद्योगिकी कार्यक्रम

इसके अन्तर्गत विदेशी तौर पर विकसित की गई प्रौद्योगिकी के वाणिज्यीकरण को प्रोत्साहन दिया जाता है।

(9) प्रौद्योगिकी आत्मनिर्भरता के लिए उद्देश्यपरक कार्यक्रम (पी ए टी एस ई आर)

स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास तथा निदर्शन, पूंजीगत वस्तुओं का विकास करने तथा आयात की गई प्रौद्योगिकियों को आत्मसात करने के लिए उद्योगों द्वारा किए जाने वाले प्रयासों को बढ़ावा दिया जाता

(10) विज्ञान के क्षेत्र में नेतृत्व के लिए युवा विषयक सी एस आई आर कार्यक्रम

विज्ञान के क्षेत्र में नेतृत्व के लिए युवा विषयक सी एस आई आर कार्यक्रम नामक एक स्कीम का निरुपण किया गया है।

राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड

4579. श्री भान सिंह भौरा : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड, भटिण्डा के अधिकतर कार्य निजी ठेकेदारों के माध्यम से कराए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या ठेकेदारों ने श्रमिकों को सरकारी दर की तुलना में कम दर पर लगाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या प्रबंधन श्रमिकों के इस शोषण की अनदेखी कर रहा है और श्रमिकों की शिकायतों को दूर करने के लिए कोई उचित तंत्र नहीं है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) श्रमिकों की शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(छ) क्या सरकार ने कभी मामले की जांच करवाई थी; और

(ज) यदि हां, तो इससे क्या निष्कर्ष निकले और इस मामले में दोषी अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) से (ग) जी, नहीं। केवल प्रतिरक्षण एवं यूरिया के संचलन इत्यादि से संबंधित कुछ काम, जो नैमित्तिक एवं यदा कदा प्रकृति के हैं, ठेका मजदूरी द्वारा कराए जाते हैं। वर्तमान में ठेका मजदूरी द्वारा किए जाने वाले कार्यों का ब्यौरा क्षेत्र-वार क्रियाकलापों/कार्यों में लगे कामगारों की संख्या सहित संलग्न विवरण में दी गयी है।

ठेका मजदूरों को मजदूरी संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी के आधार पर दिया जाता है। मजदूरी के अतिरिक्त उन्हें मकान किराया भत्ता, कैन्टीन भत्ता, साइकिल भत्ता, वर्दी इत्यादि दी जाती है।

(घ) से (ज) सरकार या नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के प्रबन्धन को कामगारों के शोषण की कोई सूचना नहीं है। ठेका मजदूरों को एन एफ एल प्रबन्धन के अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में मजदूरी का भुगतान किया जाता है। भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा निधि की कटौती की जाती है और संबंधित अधिकारियों के पास रकम भेजी जाती है एवं ठेकेदार इन अंशदानों को जमा करने का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करता है।

मजदूरों की शिकायतों के समाधान के लिए उपयुक्ततंत्र ठेका श्रमिक (नियमन एवं समाप्ति) अधिनियम 1970 सहित अनेक श्रमिक कानूनों के अंतर्गत उपलब्ध हैं।

ठेका श्रमिकों की लाल झंडा एन एफ एल मजदूरी यूनियन के ठेका कार्यों को समाप्त करने तथा उनकी सेवाओं जिनमें एन एफ एल के नियमित कर्मचारियों की तुलना में सामान्यतः उनके शोषण का आरोप है, को नियमित करने के लिए एन एफ एल प्रबंधन, सरकार और क्षेत्रीय श्रम आयुक्त को एक अभ्यावेदन दिया है। उनका अभ्यावेदन केन्द्रीय सलाहकार ठेका श्रम बोर्ड द्वारा एक समिति के माध्यम से जांच के लिए लिया गया है और यह समिति एन एफ एल भटिण्डा में विभिन्न कार्यों में ठेका श्रम को समाप्त करने के बारे में दिये गये मुद्दों का अध्ययन करेगी।

विवरण

ठेका श्रमिकों/भटिंडा एकक द्वारा किये जा रहे कार्यों के ब्यौरे

क्र.सं.	कार्य की प्रकृति	कामगारों की संख्या
1.	ए आर सी मैक. मेंट	56
2.	-वही-	50
3.	यूरिया की आंतरिक हैंडलिंग	198
4.	ए आर सी इलैक्ट. मैंट	28
5.	-वही-	27
6.	कैंटीन सेवाएं	45
7.	भंडारों की सामग्री हैंडलिंग	25
8.	कोल स्पेलेज	73
9.	टाऊनशिप की साफ सफाई	40
10.	संयंत्र उपकरण की ए आर सी पेंटिंग	10
11.	ए आर सी हॉट, कोल्ड स्प्रे	9
12.	बागवानी कार्य	18
13.	रिजर्वेयर 1 और 2 का वार्षिक मेंट	6
14.	(क) संयंत्र क्षेत्र में नालियों की सफाई	
15.	(ख) ऐश पोंड का रखरखाव	क+ख=19
16.	रेलवे ट्रैक्स का रखरखाव	17
17.	अमोनिया और यूरिया बैगिंग में उपकरण की सफाई	19
18.	वाटर प्रूफिंग ट्रीटमेंट का प्रतिस्थापन	4
19.	राख का निपटान	9
20.	टाऊनशिप में सुरक्षा सेवा	17
	(क) ए आर सी ग्रास कटिंग	4
	(ख) केन्द्रीय लैब में विविध कार्य	7
21.	सिवरेज पम्प का रख रखाव	12
22.	वाटर प्रूफिंग कार्य	6
23.	ए सी तथा वाटर कूलरों का ए आर सी रख-रखाव	17
24.	ईंधन तेल अनलोडिंग	13
	योग	679

रोजगार सृजन योजना

4580. श्री रामचन्द्र वीरप्पा : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से व्यापक रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा प्राप्त सफलता का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में राज्य सरकारों को क्या दिशानिर्देश जारी किए गए हैं; और

(ग) योजना के अंतर्गत वर्ष 1999-2000 के दौरान केन्द्र सरकार ने कितनी धनराशि जारी की है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा'): (क) से (ग) सरकार द्वारा विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के माध्यम से "सघन रोजगार सृजन योजना" नाम की कोई भी स्कीम कार्यान्वित नहीं की जा रही है। तथापि, "विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के माध्यम से बृहद् रोजगार सृजन (मेगसेट)" नाम की एक स्कीम वर्ष 1990-91 के दौरान चलाई गई थी जो 1996-97 तक जारी रही। 1996-97 में मेगसेट स्कीम को बन्द कर दिया गया था।

सरकारी क्वार्टरों में परिवर्तन

4581. श्री भेरूलाल मीणा : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सेक्टर-4 गोल मार्केट, लोदी काम्प्लेक्स और पुष्प विहार में चार मंजिले सरकारी क्वार्टरों में पुराने रसोईघर को कमरे में बदलकर एक अतिरिक्त रसोईघर बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त कार्य कब तक आरम्भ और पूरा कर दिए जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) डी आई जेड एरिया (गोल मार्किट) के सेक्टर-4 के टाइप "सी" क्वार्टरों में अन्य रसोईघर बनाने और मौजूदा रसोईघर को स्टोर परिसर में बदलने की व्यवहार्यता की जांच की जा रही है। लोधी रोड कम्प्लेक्स और पुष्प विहार के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) फिलहाल कोई समय सीमा नहीं बतायी जा सकती, क्योंकि उसका पता व्यवहार्यता जांच पूरी होने के बाद ही चलेगा।

[अनुवाद]

जल की कमी

4582. श्री वैको : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट की वार्षिक रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है जिसमें भारत में जल की भारी कमी के बारे में बताया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

[illegible] जल की कमी से आयु में कमी आ सकती है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा देश में पेयजल स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, हां। वर्ल्ड वाच इंस्टीट्यूट की वार्षिक रिपोर्ट "स्टेट आफ वर्ल्ड-2000" से संबंधित दिनांक 15 फरवरी, 2000 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में ("वाटर स्कारसिटी मे कट लाइफस्पान इन इण्डिया") शीर्षक से प्रकाशित समाचार के ध्यान में आया है।

(ख) जलापूर्ति राज्य का विषय है, अत: जलापूर्ति स्कीमों के लिए योजना करना, बनाना, निष्पादित करना, चलाना और बनाए रखना संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों में शहरी जलापूर्ति, एवं ग्रामीण जलापूर्ति के कार्यान्वयन के लिए नीतिगत दिशानिर्देश तैयार करने एवं कार्य योजना बनाने के लिए शहरी जलापूर्ति के लिए शहरी विकास मंत्रालय, ग्रामीण जलापूर्ति सुविधाओं के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय क्रमश: नोडल मंत्रालय है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के शहरी जलापूर्ति और सफाई विभागों से प्राप्त सूचना के आधार पर 31.3.97 की स्थिति के अनुसार करीब 90% शहरी आबादी को सुरक्षित पेयजल सुविधाएं प्राप्त हैं। नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए योजना आयोग द्वारा शहरी जलापूर्ति और सफाई सेक्टर परगठित कार्यदल ने शहरी क्षेत्रों में शत प्रतिशत आबादी को सुरक्षित पेयजल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए एक लक्ष्य रखने की सिफारिश की थी। सन् 1991 की गणना के अनुसार 20,000 से कम आबादी वाले शहरों के लिए शहरी विकास मंत्रालय एक केन्द्र प्रवर्तित त्वरित शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम (ए.यू.डब्ल्यू.एस.पी.) चला रहा है। ए.यू.डब्ल्यू.एस.पी. के तहत केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा बराबरी के आधार पर 50:50 के अनुपात में राशि दी जाती है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति मुहैया कराने के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.) के तहत केन्द्रीय सहायता मुहैया कराई जा रही है। स्टेट सेक्टर मिनिमम नीड्स प्रोग्राम (एम.एन.पी.) के पैटर्न पर ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. के तहत अलग जलापूर्ति स्कीमें बनाने एवं कार्यान्वित करने के लिए अधिकार राज्य सरकारों को सौंपा गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने यह भी सूचित किया है कि राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 1.4.99 की स्थिति के अनुसार 97.84% ग्रामीण बसावों को पेयजल सुविधाएं मुहैया करा दी गई हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्य सरकारों से अगले पांच वर्षों में शामिल नहीं किए गए एवं आंशिक रूप से शामिल किए गए ग्रामीण बसावों के लिए पेयजल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए एक कार्य-योजना तैयार करने का अनुरोध किया है।

(ग) और (घ) इस मंत्रालय के द्वारा ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है जो यह प्रमाणित करेगा कि जल की कमी से आयु में भी कमी आ सकती है।

जल मल व्ययन तथा स्वच्छता सुविधाएं

4583. श्री अनन्त नायक : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के कुछ राज्यों में मल-जल व्ययन तथा स्वच्छता सुविधाएं अपर्याप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार नौवीं योजना अवधि के दौरान शहरों में बेहतर नियोजन तथा जल-मल व्ययन तथा स्वच्छता सुविधाओं में वृद्धि करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) राज्य लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभागों तथा जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्डों से मिली सूचना के आधार पर, यह आकलन किया गया है कि 31.3.97 की स्थिति के अनुसार देश की करीब 49% शहरी आबादी को सीवरेज तथा स्वच्छता सुविधाएं प्राप्त हैं। इन सुविधाओं का लाभ उठा रही शहरी आबादी का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) सीवरेज तथा स्वच्छता राज्य विषय हैं, अत: सीवरेज तथा स्वच्छता सुविधाओं के लिए राज्य योजना स्रोतों से

आयोजना रूपांकन, निष्पादन, प्रचालन तथा रखरखाव की बुनियादी जिम्मेदारी राज्य सरकारों/शहरी स्थानीय निकायों की है। तथापि, स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराने में राज्य सरकार के प्रयासों में मदद के लिए इस मंत्रालय द्वारा एक केन्द्र प्रवर्तित कम लागत की स्वच्छता योजना चलाई जा रही है। शुष्क शौचालयों को दो पिट वाले फ्लश शौचालयों में बदलने तथा शौचालय विहीन घरों में ऐसे शौचालयों के निर्माण हेतु एक साथ भारत सरकार की सब्सिडी तथा हडको ऋण के रूप में धन उपलब्ध कराया जाता है। योजना आयोग द्वारा 9वीं योजना (1997-2002) के लिए शहरी जल आपूर्ति तथा स्वच्छता सेक्टर पर गठित कार्यदल ने शहरी क्षेत्रों में 75% आबादी को लक्ष्य बनाकर स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराने की सिफारिश की है। जल आपूर्ति एवं स्वच्छता सेक्टर के लिए 51,284.20 करोड़ रुपये की आवश्यकता के मुकाबले योजना आयोग ने इस हेतु 18,624 करोड़ रु. का अनंतिम नियतन किया है, जिसमें से 9वीं योजनावधि में 864 करोड़ रु. केन्द्रीय योजना के तहत तथा 17,760 करोड़ रु. राज्य योजना के तहत रखे गये हैं।

विवरण

शहरी विकास मंत्रालय

सी.पी.एच.ई.ई.ओ.

भारत में शहरी स्वच्छता की स्थिति

(31.3.97 की स्थिति)

(आबादी हजार में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	31.3.97 को अनुमानित आबादी	सीवरेज तथा स्वच्छता सुविधाएं प्राप्त आबादी			
			सीवर	एलसीएस	योग	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	16937	2853	3103	5938	35
2.	अरूणाचल प्रदेश	226	0	194	194	86
3.	असम	4239	14.89	258	272.89	6
4.	बिहार	11892	550	6364	6914	58
5.	दिल्ली	10300	4500	3000	7500	73
6.	गोवा	504	51	19	70	14
7.	गुजरात	16810	10871	348	11219	67
8.	हरियाणा	3705	1850	373	2223	60
9.	हिमाचल प्रदेश	546	126	110	236	43
10.	जम्मू व कश्मीर	2030	182	13	195	10
11.	कर्नाटक	14172	7739	5036	12775	90
12.	केरल	7680	287	5323	5610	73
13.	मध्य प्रदेश	17800	965	435	1400	8
14.	महाराष्ट्र	34309	17020	4983	22003	64

1	2	3	4	5	6	7
15.	मणिपुर	548	0	68	68	12
16.	मेघालय	481	20	108	128	27
17.	मिजोरम	445	0	356	356	80
18.	नागालैंड	214	0	928	928	4
19.	उड़ीसा	4407	417	0	417	9
20.	पंजाब	4202	2052	750	2802	67
21.	राजस्थान	10864	650	6455	7105	65
22.	सिक्किम	195	35	68	103	53
		26600	7120	2756	9876	37
24.	त्रिपुरा	428	0	200	200	47
25.	उत्तर प्रदेश	29837	5935	3957	9892	33
26.	पश्चिम बंगाल	18495	3332	5950	9282	50
	कुल राज्य	237856	66551.89	50236.3	116788.2	49
	संघ राज्य क्षेत्र					
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	90	0	77	77	86
2.	चंडीगढ़	722	722	0	722	100
3.	दादर एवं नगर हवेली	40	0	38	38	95
4.	दमन व दीव	312	0	0	0	0
5.	लक्षद्वीप	37	0	14	14	38
6.	पांडिचेरी	526	200	200	400	76
	संघ राज्य क्षेत्र कुल	1446.2	922	329	1251	87
	सकल योग	239312.2	67473.89	50565.3	118039.2	49

टिप्पणी : एल.सी.एस.–कम लागत स्वच्छता स्कीम

उर्वरकों की आपूर्ति

4584. श्री ए.पी. अब्दुल्लाकुट्टी : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल में सुफल कॉम्प्लैक्स उर्वरक उपलब्ध न होने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार ने राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड को केरल को सुफल की नियमित आपूर्ति करने का निर्देश दिया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने देश भर में एक ही उपभोक्ता दर निर्धारित की है जिसके कारण निर्माता

कम्पनियां उत्पादों की बिक्री फैक्टरियों के निकटतर स्थानों पर करती हैं; और

(घ) यदि हां, तो किसानों को सुफल सहित उर्वरकों को सुचारू ढंग और समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) से (घ) यूरिया एकमात्र नियंत्रित उर्वरक है जिसके लिए भारत सरकार मांग के अनुसार प्रत्येक राज्य को आवंटन करती है और आपूर्ति की स्वदेशी आपूर्तिकर्ताओं से तथा मांग एवं उपलब्धता के बीच अन्तर होने की स्थिति में आयातों के द्वारा पूर्ति करती है। किन्तु, नियंत्रण मुक्त उर्वरक की उपलब्धता कृषि तथा सहकारिता विभाग की रियायत योजना के मानदण्डों के अन्तर्गत प्रचलित मांग और आपूर्ति की बाजार शक्तियों द्वारा प्रशासित है।

सुफला 15:15:15 का विपणन केरल में राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर लिमिटेड द्वारा किया गया था। किन्तु उपलब्ध की गयी सूचना के अनुसार, केरल में मांग की कमी के कारण आर.सी.एफ. द्वारा 1995-96 से इसे बन्द कर दिया गया था। नियंत्रण मुक्त उर्वरक होने के नाते सुफला 15:15:15 का राज्य-वार कोई आवंटन नहीं किया जाता। सुफला के विपणन पर कोई वितरण नियंत्रण नहीं है। संबंधित उत्पादकों/आपूर्तिकर्ताओं द्वारा उनके पूर्वानुमानों और पूरे देश में आवश्यकता पर निर्भर करते हुए विपणन किया जाता है, यद्यपि यह कृषि तथा सहकारिता विभाग की योजना के अन्तर्गत आता है जिसके तहत सरकार अन्य फॉस्फेटिक तथा पोटासिक उर्वरकों के साथ-साथ इस उर्वरक के एक समान खुदरा मूल्य तथा रियायत निर्धारित करती है।

राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केन्द्र

4585. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसे कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है;

(घ) इस प्रयोजन के लिये सरकार द्वारा कितनी धनराशि आबंटित की गई हैं;

(ङ) इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत क्या है; और

(च) इस केन्द्र की स्थापना से मिरगी के रोगियों के इलाज में किस सीमा तक सहायता मिलने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा'): (क) जी हां। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अन्तर्गत बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने एक स्वायत्त निकाय के रूप में (1860 के 21 के सोसाईटीज़ पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत) राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केन्द्र (एन.बी.आर.सी.) की स्थापना की है।

(ख) से (च) राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केन्द्र मूलभूत तंत्रिकाविज्ञान अनुसंधान, नेटवर्किंग, कार्मिकों के प्रशिक्षण को बढ़ावा देगा और अन्य अनुसंधान और शैक्षिक संस्थानों के साथ घनिष्ठ सहयोग करेगा। वर्तमान में, यह अन्तर्राष्ट्रीय आनुवंशिक इंजीनियरिंग और जैवप्रौद्योगिकी केन्द्र, नई दिल्ली द्वारा प्रदान की गई अन्तरिम सुविधा में कार्य कर रहा है। केन्द्र की स्थापना गुड़गांव में मनेसर गांव के निकट लगभग 40 एकड़ के क्षेत्र में की जाएगी। सरकार ने तीन वर्षों अर्थात् 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002 के लिए 13.05 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। खर्च की जाने वाली कुल अनुमानित लागत लगभग 50 करोड़ रुपये होगी। केन्द्र तंत्रिका-तंत्र के रोगों और विकृत्तियों के संबंध में भी अनुसंधान करेगा। चूंकि भारतीय जनसंख्या में मिरगी तंत्रिका-तंत्र की प्रमुख विकृत्ति है, रोगियों के इलाज और प्रबन्ध के लिए नये औषध लक्ष्यों हेतु मूलभूत अनुसंधान वैज्ञानिक कार्यक्रम का एक भाग है।

एच.एफ.सी.एल. को निधियां

4586. श्री सुनील खां : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार किसानों को शिक्षित करने के लिए हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन, दुर्गापुर के अनुसंधान विकास स्कंध को अनुसंधान के विकास हेतु अधिक धनराशि उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लिमिटेड को औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड द्वारा एक रुग्ण कम्पनी घोषित की जा चुकी है।

आवासीय क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्रों में बदला जाना

4587. श्री रघुनाथ झा :
श्री शीशराम सिंह रवि :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 मार्च, 2000 के "दैनिक जागरण" में "रिहायशी इलाकों का औद्योगीकरण इतिहास को भुलाने की गलती" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट कराया गया है;

[illegible] हां, तो इस विषय में प्रकाशित समाचारों के तथ्य [illegible] इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार दिल्ली के कुछ आवासीय क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्रों में बदलने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या आवासीय क्षेत्रों को इस तरह औद्योगिक क्षेत्रों में बदले जाने को रोकने के लिए दिल्ली के मास्टर-प्लान में कोई प्रावधान नहीं है;

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में कौन से कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(छ) दिल्ली के प्रदूषणकारी उद्योगों को दिल्ली से बाहर ले जाने के लिए कितनी भूमि की आवश्यकता है और इस प्रयोजनार्थ अब तक कितनी भूमि अधिगृहीत की गई है; और

(ज) 52000 प्रदूषणकारी उद्योगों को दिल्ली से बाहर कब तक ले जाया जाएगा?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी हां।

(ख) पर्यावरण से जुड़े मुद्दे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली विकास प्राधिकरण और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा समय-समय पर देखे जा रहे हैं।

(ग) और (घ) दिल्ली सरकार ने निम्नलिखित 15 औद्योगिक संकेन्द्रण क्षेत्रों के स्वस्थाने नियमितीकरण के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण से सिफारिश की है।

1. शाहजादा बाग विस्तार
2. नांगली सकरावती
3. मुंडका (रेलवे लाइन की तरफ रोहतक रोड के उत्तर में)
4. विश्वास नगर
5. ख्याला
6. [illegible]नगर
7. शालीमार गांव
8. हस्तसाल
9. करावल नगर
10. पीरागढ़ी
11. बसई दारापुर
12. डाबरी
13. लिबासपुर
14. हैदरपुर
15. 1, जी टी करनाल रोड (पाकेट)

(ङ) मास्टर प्लान आफ दिल्ली 2001 में रिहायशी क्षेत्रों में केवल पारिवारिक औद्योगिक यूनिटें अनुमत्य है और नॉन कन्फोर्मिंग एरिया से उद्योगों के पुनर्स्थापन करना है।

(च) डी.डी.ए. ने सूचित किया है कि नॉन् कन्फोर्मिंग उद्योगों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा बवाना में नियोजित औद्योगिक क्षेत्र में पुनर्स्थापित किया जा रहा है।

(छ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार मास्टर प्लान दिल्ली 2001 की एच (ए) और एच (बी) श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले 1323 उद्योगों को दिल्ली से बाहर हटाया जाना था अथवा उन्हें दिल्ली में अपने कार्यकलाप बंद करने थे। ऐसे उद्योगों को भूमि का आबंटन आवेदन प्राप्त होने पर संबंधित राज्यों द्वारा किया जाएगा। तथापि, दिल्ली सरकार ने दिल्ली के मास्टर प्लान 2001 के प्रावधान के उल्लंघन में दिल्ली के रिहायशी/नान-कनफोर्मिंग एरिया में चल रहे उद्योगों के पुनर्स्थापन हेतु लगभग 1065 एकड़ भूमि अधिग्रहीत कर कब्जे में ली है।

(ज) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अनुसार रिहायशी और नॉन कनफोर्मिंग एरिया में चल रही 52 हजार औद्योगिक यूनिटों ने रीलोकेशन स्कीम के अधीन दिल्ली में वैकल्पिक औद्योगिक आवास के आबंटन हेतु आवेदन किया है। दिल्ली सरकार द्वारा विकसित किए जा रहे नए औद्योगिक क्षेत्रों में पात्र यूनिटों को औद्योगिक प्लाट आबंटित किए जाएंगे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने ऐसे उद्योगों के पुनर्स्थापन के लिए उच्चतम न्यायालय से करीब 4 और वर्षों का समय देने का अनुरोध किया है।

भारत-फ्रांस सहयोग

4588. श्री किरीट सोमैया : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग संबंधी भारत-फ्रांस संयुक्त समिति की बैठक आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संयुक्त प्रयोगशालाओं की स्थापना हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इससे भारत-फ्रांस संबंध कहां तक सुदृढ़ होंगे?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा'): (क) और (ख) जी, हां। वैज्ञानिक तथा तकनीकी सहयोग पर भारत-फ्रांस संयुक्त समिति की 8वीं बैठक 9-10 मार्च 2000 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। इसमें पर्यावरण, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार, जीव विज्ञानों तथा विशुद्ध विज्ञान के क्षेत्रों में संयुक्त कार्यक्रमों का विकास करने का निर्णय लिया गया।

(ग) से (ङ) फ्रांस के ब्यूरो डि रिसर्चेज जियोलोजिक्स एट मिनेरेज (बी.आर.जी.एम.) और राष्ट्रीय भू-भौतिक अनुसंधान संस्थान (एन.जी.आर.आई.), हैदराबाद ने भू-जल अनुसंधान के लिए एक भारत-फ्रांस केन्द्र की स्थापना करने के लिए के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अनुसंधान तथा शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर तथा इंस्टीट्यूट डि रिसर्च पोर ले डिवेलपमेन्ट, फ्रांस के बीच एक अन्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। भारत में एक भारत-फ्रांस लेजर अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना करने के लिए, एक भारत-फ्रांस लेजर अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना पर एक संयुक्त आशय विवरण पर भी हस्ताक्षर किए गए। इन प्रयोगशालाओं की स्थापना से विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारत-फ्रांस सहयोग के सुदृढ़ बनने की आशा है।

[हिन्दी]

नवोदय विद्यालयों की समीक्षा

4589. प्रो. रासा सिंह रावत : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में नवोदय विद्यालयों के कार्य निष्पादन की कोई समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस विद्यालय ने अपने उन उद्देश्यों की प्राप्ति की है जिसके लिए उन्हें स्थापित किया गया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा अनुशासन, बेहतर परीक्षा परिणाम, स्तर में सुधार सुनिश्चित करने और साथ ही सुविधाओं और भवनों की देखभाल हेतु प्रावधान करने के लिए क्या प्रयास किए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील): (क) सरकार ने अपर सचिव, शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में समिति द्वारा योजना के कार्यकरण के विभिन्न पहलुओं से संबंधित नीतियों की व्यापक समीक्षा और भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद द्वारा नवोदय विद्यालयों के कार्यों का गहन मूल्यांकन करने का निर्णय किया है।

(ख) और (ग) नवोदय विद्यालयों का प्राथमिक उद्देश्य संस्कृति के सशक्त घटक मूल्यों को समाहित करना, पर्यावरण के प्रति जागरूक करना, उत्कृष्ट विशेषत: ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को उनके परिवार की सामाजिक परिस्थितियों को देखे बिना शारीरिक शिक्षा प्रदान करने सहित अच्छी कोटि की आधुनिक शिक्षा प्रदान करना, त्रिभाषा सूत्र का कार्यान्वयन, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के छात्रों तथा लड़कियों के लिए आरक्षण हैं। ये सभी उद्देश्य सब मिलाकर प्राप्त कर लिए गए हैं।

(घ) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षाओं में जवाहर नवोदय विद्यालयों का शैक्षिक कार्यनिष्पादन आयोजित स्कूल प्रणालियों में उत्कृष्ट है तथा के.मा.शि.बो. औसत से ऊपर है। जवाहर नवोदय विद्यालय भवनों के निर्माण को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। जहां भी विद्यालयों के स्थायी भवनों को संस्वीकृत किया गया है वहां सभी बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। यदि किसी विद्यालय में अनुशासनहीनता है तो उसे रोकने के लिए पूरी सावधानी बरती जाती है। शैक्षिक एवं प्रशासनिक कार्यों में सुधार करने के लिए प्रधानाचार्यों से नियमित मासिक रिपोर्ट की प्रणाली आरंभ की गई है। विद्यालयों की समस्याओं के प्रभावशाली अनुरक्षण

के लिये क्षेत्रीय कार्यालयों को समय-समय पर निर्देश दिए जाते हैं। मुख्यालयों और क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा विद्यालयों का नियमित निरीक्षण किया जाता है जहां पर उपर्युक्त सभी मुद्दों का ध्यानपूर्वक अनुवीक्षण किया जाता है।

केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना हेतु औषधियों की खरीद

4590. श्री अमर रायप्रधान : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली/नई दिल्ली में केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों/यूनिटों हेतु पद्धतिवार औषधियों की खरीद हेतु बजट में कितनी धनराशि का आबंटन किया और कितनी धनराशि का उपयोग किया गया;

उक्त अवधि के दौरान केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना की यूनानी औषधियों के बजट का उपयोग नहीं किया जा सका; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और किन परिस्थितियों के अंतर्गत धनराशि का उपयोग नहीं किया जा सका?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) संबंधित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जी, हां।

(ग) यूनानी दवाओं की खरीद का खर्च आनुपातिक रूप से कम हो गया है। सम्पूर्ण बजट प्रावधान का उपयोग नहीं किया जा सका क्योंकि इन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना यूनानी औषधालयों/एककों में लाभार्थियों की उपस्थिति में गिरावट का रूझान रहा है।

विवरण

दवाओं की खरीद हेतु आबंटित और उपयोग में लाई गई राशि का ब्यौरा

वर्ष		एलोपैथिक		आयुर्वेदिक		यूनानी		होमियो	
	भारतीय चिकित्सा पद्धति सहित कुल आवंटित निधि	विभाजित राशि	उपयोग की गई राशि	विभाजित राशि	उपयोग की गई राशि	विभाजित राशि	उपयोग की गई राशि	विभाजित राशि	उपयोग की गई राशि
1997-98	420000000/-	3850,00000/-	279194002	17500000	17000000	8600000	8000000	8600000	46,67796
1998-99	463000004/-	385000000/-	32385893	17500000	19903536	8600000	3405557	8600000	4318004/-
1999-2000	527250000/-	4450,00000/-	485202512	17500000	17566420	8600000	3009228	8600000	4223862/-

भू-भौतिकी अध्ययन केन्द्र

4591. श्री रामानंद सिंह : क्या विज्ञान और प्रौद्योगकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश में भू-भौतिकी अध्ययन केन्द्र स्थापित करने के बारे में सरकार को कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना पर कितनी लागत आयेगी; और

(ग) इसे स्वीकृति प्रदान किये जाने की कब तक संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा'): (क) जी, हां। मध्य प्रदेश में एक भू-भौतिकी अध्ययन केन्द्र स्थापित करने से सम्बन्धित प्रस्ताव जुलाई, 1997 में प्राप्त हुआ था।

(ख) परियोजना लागत में 229 लाख रुपए पूंजीगत उपकरणों तथा भवनों के निर्माण के लिए तथा 58 लाख रुपए प्रति वर्ष आवर्ती लागत के रूप में दर्शाए गए हैं।

(ग) परियोजना प्रस्ताव में मध्य प्रदेश में भूकम्प की गतिविधियों का मानीटरन करने के लिए पांच भूकम्प विज्ञान सम्बन्धी वेधशालाएं स्थापित करने पर मुख्य रूप से जोर दिया गया ताकि उपलब्ध की प्रभाव-सीमा को 3 मैग्नीटयूड तक नीचे लाया जा सके। सितम्बर,

1993 में लातूर में आए भूकम्प के बाद भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने विश्व बैंक की सहायता से प्रायद्वीपीय भारत में भूकम्प वेधशाला संजाल का उन्नयन करने के लिए एक परियोजना शुरू की थी। इस परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में भोपाल, बिलासपुर, जबलपुर तथा रीवां शहरों में आधुनिक डिजिटल उपकरणों से युक्त वेधशालाएं स्थापित की गई/उनका उन्नयन किया गया। खांडवा के पास एक मल्टी-एलीमेन्ट टेलीमीटरी प्रणाली स्थापित करने का कार्य चल रहा है। इसके अलावा भूकम्प की स्थिति बताने वाली अत्याधुनिक वेधशालाएं भारत के अन्य प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में भी स्थापित कर दी गई हैं जिनसे मध्य प्रदेश में भूकम्प की गतिविधियों को दर्ज करने में सहायता मिलती है। इस नेटवर्क द्वारा काम शुरू कर दिये जाने से मध्य प्रदेश में अतिरिक्त वेधशालाएं स्थापित करना जरूरी नहीं समझा गया, जैसा कि परियोजना प्रस्तावों में सिफारिश की गई थी। राज्य सरकार को सितम्बर, 1997 में तदनुसार सलाह दे दी गई थी।

[अनुवाद]

अपराध विज्ञान प्रयोगशालाएं

4592. श्री साहिब सिंह : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और राजधानी में अपराध विज्ञान की कितनी प्रयोगशालाएं हैं;

(ख) क्या यहां ऐसी और अधिक प्रयोगशालाएं खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) क्या इन प्रयोगशालाओं में पर्याप्त परीक्षण सुविधाएं हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार इस क्षेत्र में दो विधि-विज्ञान प्रयोगशालाएं हैं जिनमें से एक केन्द्रीय जांच ब्यूरो तथा दूसरी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के अधीन कार्य कर रही हैं। ये दोनों प्रयोगशालाएं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में स्थित हैं।

(ख) केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (सी.एफ.एस.एल.), केन्द्रीय जांच ब्यूरो का विस्तार करने संबंधी एक प्रस्ताव है ताकि सफेद-पोश अपराधों, जैसे कि साईबर अपराध, डी.एन.ए., फिंगर प्रिंटिंग, इत्यादि की परीक्षण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। जैसी कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा अपेक्षा की गई है भ्रष्टाचार-विरोधी मामलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सी.एफ.एस.एल., (सी.बी.आई.) उन्नयन करने संबंधी प्रस्ताव भी तैयार किया जा रहा है।

कोई नई विधि-विज्ञान प्रयोगशाला खोलने संबंधी किसी प्रस्ताव पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार द्वारा विचार नहीं किया जा रहा है।

(ग) से (ङ) सी.एफ.एस.एल. (सी.बी.आई.) इस समय अपराधों के प्रदर्शों की जांच करने की सुविधा से सुसज्जित है। इसमें नौ डिवीजनें, नामत: भौतिकशास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव-विज्ञान, सीरम-विज्ञान, अंगुली छाप, दस्तावेज, फोटो और वैज्ञानिक उपकरण, झूठ पकड़ना तथा अस्त्र विज्ञान हैं। विधि विज्ञान में अग्रणी क्षेत्रों जैसे कि, साइबर अपराध की जांच करने के लिए अपेक्षित फिजिकल क्लू जांच करना, डी.एन.ए. टैस्टिंग सुविधाएं तथा वायस स्पैक्टोग्राफ का प्रयोग करके बोलने वाले की पहचान करने के लिए बुनियादी ढांचा विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रश्नगत दस्तावेजों की जांच, आग्नेयास्त्रों और विस्फोटकों के परीक्षण, अंगुली छाप, झूठ-पकड़ने तथा न्यायिक इंजीनियरिंग से संबंधित क्षेत्रों में कम्प्यूटर तकनीक/सौफ्टवेयर का प्रयोग करके इन क्षेत्रों में शीघ्रता व तेजी से विश्लेषण करने के लिए मौजूदा प्रयोगशाला सुविधाओं को आधुनिक बनाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि इसकी प्रयोगशाला उत्तरोत्तर विकास की प्रक्रिया में है तथा न्यायिक रसायन शास्त्र, न्यायिक अस्त्र-विज्ञान और न्यायिक भौतिक-शास्त्र की सीमित सुविधाओं के साथ न्यायिक दस्तावेज, न्यायिक जीव-विज्ञान/सीरम विज्ञान जैसे अपराध प्रदर्शों की जांच-पड़ताल की सुविधा उपलब्ध है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने रोहिणी में इस प्रयोगशाला के लिए नई इमारत की मंजूरी दी है।

वर्ष 2000 में सिडनी ओलम्पिक्स में भेजे जाने वाली टीम

4593. श्री टी. गोविन्दन : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2000 में सिडनी में होने वाले ओलम्पिक्स में भाग लेने वाली टीम तथा इसके सदस्यों का अंतिम रूप से चयन कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) टीम तथा इसके सदस्यों की सूची को कब तक अंतिम रूप दे दिया जायेगा?

शहरी रोजगार तथा गरीबी उपशमन मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) से (घ) जी, नहीं। सरकार ऐसे खेलों के लिए शीर्ष निकाय अर्थात् भारतीय ओलम्पिक संघ (आई.ओ.ए.) से औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद ही सिडनी ओलम्पिक, 2000 के लिए टीमों का अंतिम रूप से चयन करेगी। दिशानिर्देशों के अनुसार, भारतीय ओलम्पिक संघ द्वारा प्रस्ताव प्रतियोगिता से तीन महीने पूर्व भेजे जाने की संभावना है।

कूड़े-कर्कट का निपटान

द **अलवी : क्या शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली की प्राधिकृत और अप्राधिकृत कालोनियों में कूड़े-कर्कट के निपटान कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिये सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने निजी रूप से गहरे नलकूप लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया है, ऐसे कितने नलकूप शहर में विद्यमान हैं तथा इनमें से कितने नलकूप कार्य नहीं कर रहे हैं तथा कितनों में पुनः संधिप्रण किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का यह सुनिश्चित करने का विचार है कि शहर में अप्राधिकृत निवासों/घरों के साथ-साथ ऐसे मकान जो अभी पूरे नहीं बने हैं तथा अतिक्रमण के कारण जिन्हें अभी तक पूर्णता संबंधी प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हुआ है, में टेलीफोन कनेक्शन जारी नहीं किया जायेगा; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) जी, हां। नई दिल्ली नगर परिषद तथा दिल्ली नगर निगम के कूड़ेदानों/डलावों से कचरा एकत्र करके ले जाकर गाजीपुर, ओखला तथा भलसवा के निर्धारित सेनिटरी लैंडफिल स्थलों पर डाला जाता है। दिल्ली नगर निगम का भलसवा (क्षमता 500 एम टी) तथा ओखला (क्षमता 150 एम टी) में एक-एक कम्पोस्ट संयंत्र है। नई दिल्ली नगर परिषद का एक कम्पोस्ट संयंत्र ओखला (क्षमता 90 एम टी) में है। बढ़ती हुई मांग तथा मौजूदा संयंत्रों की क्षमता बढ़ाने के लिए दिल्ली नगर निगम तथा नई दिल्ली नगर परिषद द्वारा कुछ और कम्पोस्ट/शोधन संयंत्रों के निर्माण की योजना बनाई गई है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय भूगर्भीय जल प्राधिकरण ने बिना अपनी स्वीकृति के नलकूपों की खुदाई और निर्माण पर रोक लगाने के उद्देश्य से नजफगढ़ और महरौली ब्लाकों को अधिसूचित घोषित किया है। वह मौजूदा चालू ट्यूबवेलों/खराब हुए व पुनः खोदे गए ट्यूबवेलों के कोई आंकड़े नहीं रखता।

(ङ) और (च) महानगर टेलीफोन निगम लि./दूर संचार सेवा निगम ने बताया है कि मौजूदा नीति के अनुसार अंशदाता को केवल इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है कि वह बताए गए पते पर रहता/रहती है तथा टेलीफोन कनेक्शन उसके अपने वास्तविक प्रयोग के लिए है।

तकनीकी विश्वविद्यालय

4595. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के अनुरूप राज्य में अन्य तकनीकी विश्वविद्यालय खोलने संबंधी कोई प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा की गई/प्रस्तावित निर्णय का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली में फार्म हाउस

4596. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या शहरी विकास मंत्री दिल्ली में फार्म हाउसों के बारे में 14 मार्च, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2943 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली नगम निगम अधिनियम, 1957 के किन प्रावधानों के अंतर्गत दिल्ली नगर निगम भवन निर्माण उपनियमों के उल्लंघन के लिए फार्म हाउस मालिकों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है;

(ख) दिल्ली नगर निगम के ध्यान में आए 348 उल्लंघन के मामलों का ब्यौरा क्या है और गांवों के नाम क्या हैं, खसरा नम्बर क्या हैं और ये उल्लंघन किस प्रकार के हैं;

(ग) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8 के 400 मीटर के भीतर अब तक निर्मित पाई गई रिहायशी इकाइयों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) दिल्ली नगर निगम किन प्रावधानों के अंतर्गत फार्म हाउस मालिकों द्वारा किए गए उल्लंघन का विनियमन कर रहा है और कृषि भूमि के दुरूपयोग हेतुं दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 की धारा 81 के अंतर्गत कार्रवाई न किए जाने के क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा दिल्ली नगर निगम से सूचना एकत्र की जा रही है।

भारत और एशिया की भाषाई विरासत के संबंध में सम्मेलन

4597. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस वर्ष मार्च में "यूनेस्को" के सहयोग से "भारत और एशिया की भाषाई विरासत" के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में कितने लोगों ने भाग लिया;

(ग) इस सम्मेलन के क्या परिणाम निकले और इस पर कुल कितना व्यय किया गया;

(घ) क्या इस सम्मेलन के परिणाम इस सम्मेलन पर किए गए व्यय के अनुरूप हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील): (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) 6-10 मार्च, 2000 तक केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर में सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसमें विदेश से 10 प्रतिनिधियों सहित 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। संस्थान द्वारा 2,00,348/- रु. का व्यय किया गया था। इस सम्मेलन में संपूर्ण रूप से भारतीय भाषाओं तथा इसके साथ-साथ एशियाई भाषाओं के विकाम और भाषा विषयक विरासत के अनुरक्षण पर विचार-विमर्श किया गया था। सम्मेलन के अंत में सम्मेलन की सिफारिशों सहित "मैसूर दस्तावेज" अपनाया गया। आशा है वि भाषा विकास तथा भाषा विषयक विरासत के अनुरक्षण में भार्व कार्य नीतियां तैयार करने में सम्मेलन की सिफारिशें सहायक सिद्ध होंगी।

केन्द्रीय प्लास्टिक अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान

4598. श्री सुल्तान सल्लाउद्दीन ओवेसी : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान समय में देश में राज्य-वार कार्यरत केन्द्रीय प्लास्टिक अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थानों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या इन संस्थानों को विश्व बैंक से सहायता मिल रही है;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इनको प्राप्त सहायता का ब्यौरा क्या है;

(घ) नौवीं योजना अवधि के दौरान ऐसे कितने संस्थान खोले जाने की संभावना है; और

(ङ) विश्व वित्त पोषण एजेंसियों से कुल कितनी सहायता राशि प्राप्त होने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट आफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नालोजी (सीपेट) के 8 पूर्णकालिक केन्द्र हैं। ये निम्नलिखित स्थानों पर स्थित हैं:

अहमदाबाद	(गुजरात)
अमृतसर	(पंजाब)
भोपाल	(मध्य प्रदेश)
भुवनेश्वर	(उड़ीसा)
चेन्नई	(तमिलनाडु)
हैदराबाद	(आन्ध्र प्रदेश)
लखनऊ	(उत्तर प्रदेश)
मैसूर	(कर्नाटक)

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उतता।

(घ) गुवाहाटी (असम), हल्दिया (पश्चिम बंगाल) और पटना (बिहार) स्थित केन्द्रों के नौवीं योजना के अंत तक चालू होने की आशा है।

(ङ) "प्रमुख क्षेत्रों में विकास के लिए सिपेट केन्द्रों की क्षमता निर्माण" से संबंधित एक परियोजना रिपोर्ट जिसमें 7.00 मिलियन अमरीकी डालर की सहायता शामिल है, वित्त मंत्रालय के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय विकास के लिए पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक)] वियना, आस्ट्रिया को प्रस्तुत किया गया है। उत्तर की प्रतीक्षा है।

[हिन्दी]

अभियांत्रिकी महाविद्यालयों का आधुनिकीकरण

सिंह : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार सरकार ने राज्य के अभियांत्रिकी महाविद्यालयों के आधुनिकीकरण हेतु केन्द्रीय सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

जासूसों का गिरोह

4600. श्री तूफानी सरोज : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 25 फरवरी, 2000 के "दि हिन्दू" में "स्पाई गैंग एस्केप्स आफ्टर न्यूज लीक" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें उत्प्रेरण किए गए मामले के तथ्य क्या हैं तथा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या गिरोह के अन्य सदस्य समाचार माध्यमों द्वारा दो जासूसों की गिरफ्तारी के समाचार को लीक किए जाने के कारण फरार हो गए; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इसके लिए जिम्मेवार अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी.एच. विद्यासागर राव): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) से (घ) 21 फरवरी, 2000 को, भारतीय सेना पर सूचना वाले कुछ दस्तावेजों की बरामदगी के बाद, सीमा शुल्क, अधिकारियों ने पंजाब में अटारी रेलवे स्टेशन पर दो पाक राष्ट्रिकों को पकड़ा। उन्होंने राजकीय रेलवे पुलिस, राज्य सी.आई.डी. और अन्य केन्द्रीय आसूचना एजेन्सियों के अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित किया। राज्य और केन्द्रीय आसूचना एजेन्सियों द्वारा पाक राष्ट्रिकों से पूछताछ की गई।

समाचार में लगाए गए आरोप सिद्ध नहीं हो सके।

एस्बेस्टोस पाइपों का प्रयोग

4601. श्री राजेश वर्मा : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 फरवरी 2000 के 'पायनियर' में "लाइफ-गिविंग लिक्विड इन पाइप्स आफ पोआइजन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रकाशित समाचार से संबंधित तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) जी हां। तथापि, औद्योगिक विषविज्ञान अनुसंधान केन्द्र (आईटीआरसी) लखनऊ के माने जाने वाले वक्तव्य इस संस्थान द्वारा नहीं दिए गए हैं।

(ग) एस्बेस्टोस से संबंधित नियामक तथा प्रवर्तन मामलों पर विचार करने वाले अन्य सरकारी विभागों/संस्थानों से सूचना मांगी जा रही है।

एफ.ए.सी.टी. का विस्तार

4602. श्री रमेश चेन्नितला : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उर्वरक और रसायन त्रावणकोर लिमिटेड, केरल का विस्तार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) और (ख) वर्तमान में, फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड (फैक्ट), केरल के संयंत्रों के क्षमता विस्तार का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, वर्ष 2000-01 के लिए सरकार ने फैक्ट को 40 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता पुराने संयंत्रों के पुनरूद्धार/आधुनिकीकरण/नवीनीकरण/प्रतिस्थापन के लिए लघु स्कीमों पर आने वाले आवश्यक पूंजीगत व्यय के लिए मुहैया की है।

[हिन्दी]

तपेदिक के मरीजों के लिए दवाइयां

4603. डा. अशोक पटेल : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में तपेदिक की कीमती दवाइयों की वजह से तपेदिक के मरीजों की अधिकतम संख्या में मौत हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार तपेदिक के मरीजों को सस्ती दरों पर दवाइयां उपलब्ध कराने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) से (ग) क्षय रोगी-रोधी औषधियां रोगियों को देश भर में निशुल्क दी जाती हैं। विश्व बैंक समर्थित संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत क्षय रोग-रोधी औषधियां सामग्रीगत रूप में (1) संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम जिलों में सभी रोगियों तथा (2) अन्य सभी जिलों में एप्युटम पाजिटिव रगियों के लिए दी जाती हैं। राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा गैर-संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम जिलों में स्प्युटम निगेटिव रोगियों के लिए क्षय-रोधी औषधियों की 100% आवश्यकता को पूरा करने हेतु नकद सहायता दी जाती है।

भारतीय अनुसंधान संस्थान

4604. श्री जितेन्द्र प्रसाद : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमेरिका ने 51 भारतीय अनुसंधान संस्थानों को 16 दिसम्बर, 1999 को अपने फेडरल रजिस्टर की एन्टीटी लिस्ट से हटाने का निर्णय लिया था लेकिन ऐसा कार्यान्वित नहीं किया जा सका;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं; और

(ग) उक्त अधिसूचना को जल्दी जारी करवाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा'): (क) अमरीका ने 16 दिसम्बर, 1999 को 52 भारतीय एन्टीटीज को नवम्बर, 1998 में अधिसूचित की गई एन्टीटीज् सूची से हटाए जाने का निर्णय लिया था। 52 भारतीय एन्टीटीज को एन्टीटी सूची से हटाए जाने के बारे में 17 मार्च, 2000 को अधिसूचना जारी की गई।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

स्कूलों में योगाभ्यास

4605. डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्कूलों में योगाभ्यास को बढ़ावा देने हेतु कोई केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना है; और

(ख) यदि हां, तो यह योजना कितने स्कूलों में लागू की गई है और इस योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार कितना आबंटन किया गया और उसमें से कितना उपयोग हुआ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील): (क) और (ख) मानव संसाधन विकास मंत्रालय, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग "स्कूलों में योग का संवर्धन" नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना चला रहा है। इस योजना के तहत शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए तथा योग के विभिन्न पहलुओं में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के शिक्षा/संबंधित विभागों के माध्यम से तथा अखिल भारतीय स्तर की योग संस्थाओं के माध्यम से सहायता दी जाती है। तथापि स्कूलों को सीधे कोई सहायता नहीं दी जाती। गत तीन वर्षों के दौरान जारी की गई धनराशियों तथा सहायता पाने वाली संस्थाओं का राज्य-वार विवरण संलग्न है।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान स्कूलों में योग के संवर्धन की योजना के तहत जारी की गई निधियों तथा सहायता पाने वाली संस्थाओं का राज्य-वार विवरण

एजेंसियों का नाम और पता	1997-98	1998-99	1999-2000
त्रिपुरा			
शिक्षा विभाग, त्रिपुरा सरकार अगरतला	-	1,01,200/-	-
बिहार			
भारतीय योग संस्थान, पटना, बिहार	-	1,55,000/-	1,55,000/-
पटना योग विद्यालय पटना, बिहार	-	1,07,500/-	-
[illegible] सामाजिक विकास [illegible]टना, बिहार	-	47,500/-	-
महाराष्ट्र			
योग संस्थान, सांताक्रुज, मुंबई	-	1,10,500/-	1,42,500/-
कैवल्यधाम एस.एम.वाई.एस. समिति, लोनावला, पूणे	30,00,000/-	30,00,000/-	38,00,000/-
कैवल्यधाम एस.एम.वाई.एम. समिति, लोनावाला, पूणे	2,00,000/-	2,00,000/-	2,03,500/-
श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल, अमरावती	-	-	2,50,000/-
उत्तर प्रदेश			
योग शिक्षा संस्थान, औराई, यू.पी.	-	-	2,49,000/-
दिल्ली			
कैवल्यधाम एस.एम.वाई.एस. समिति, दिल्ली शाखा	3,00,000/-	-	-
मणिपुर			
योग फिजिक एंड स्टडी, इंफाल, मणिपुर	-	1,51,000/-	-

बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम

4606. **श्री पी.एस. गढ़वी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवीं योजना अवधि के दौरान राज्यवार जनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए किये गए परिव्यय का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से प्राप्त वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार जनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए कितनी अंतर्राष्ट्रीय सहायता का प्रयोग हुआ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) नौवीं योजनावधि के लिए प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य (आर.सी.एच.) कार्यक्रम हेतु परिव्यय का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) संलग्न विवरण-II में दिए ब्यौरे के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए 990.75 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। जैसा कि संलग्न विवरण-I में दिखाया गया है, यह सहायता राज्य/संघ क्षेत्रों को दिए गए सकल परिव्यय का भाग है।

विवरण-I

प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम

नौवीं योजनावधि (1997-98 से 2001-2002 तक) के दौरान सहायता (सामग्री एवं नकद) की अनुमानित राशि

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ क्षेत्र	राशि
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	219.81
2.	अरुणाचल प्रदेश	56.44
3.	असम	116.44
4.	बिहार	449.12
5.	गोवा	13.37
6.	गुजरात	152.08
7.	हरियाणा	131.17
8.	हिमाचल प्रदेश	81.09
9.	जम्मू कश्मीर	85.25
10.	कर्नाटक	190.10
11.	केरल	117.03
12.	मध्य प्रदेश	364.76
13.	महाराष्ट्र	259.01
14.	मणिपुर	68.62
15.	मेघालय	32.67
16.	मिजोरम	49.90
17.	नागालैंड	54.89
18.	उड़ीसा	211.49
19.	पंजाब	93.86
20.	राजस्थान	293.47
21.	सिक्किम	23.76
22.	तमिलनाडु	182.97
23.	त्रिपुरा	45.45
24.	उत्तर प्रदेश	673.67
25.	पश्चिम बंगाल	228.12
26.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	9.51
27.	चंडीगढ़	5.20
28.	दादर एवं नागर हवेली	5.70
29.	दमन एवं दीव	9.51
30.	दिल्ली	25.99
31.	लक्षद्वीप	5.94
32.	पांडिचेरी	18.71
	कुल योग	4275.11

विवरण-II

प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम

पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त विदेशी सहायता का ब्यौरा

(करोड़ रुपये में)

एजेंसी	पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त विदेशी सहायता**
विश्व बैंक	186.34
यूरोपीय आयोग	173.45
डीएफआईडी (यूनाइटेड किंगडम)	298.85
केएफडब्लू (जर्मनी)	159.11
यूनीसेफ	173.00

आंकड़े अनंतिम हैं।

**इसमें दाताओं/अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण के लिए प्राप्त गैर-बजटीय सहायता शामिल नहीं है।

हरियाणा में स्वास्थ्य परियोजना

4607. श्री अजय सिंह चौटाला : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और मार्च 31, 2000 तक हरियाणा में विश्व बैंक की सहायता से शुरू की गई परियोजनाओं का स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक परियोजना पर वास्तविक रूप से कुल कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(ग) इनमें से प्रत्येक परियोजना किस हद तक सफल साबित हुई है;

सरकार देश में विशेषकर हरियाणा में नौवीं विश्व बैंक की सहायता से और अधिक स्वास्थ्य पारयाजनाए शुरू करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) से (ङ) हरियाणा में विश्व बैंक सहायता प्राप्त भारतीय जनसंख्या परियोजना-VII और प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य उप परियोजनाएं।

हरियाणा में विश्व बैंक सहायता के अंतर्गत दो परियोजनाएं शुरू की गई। ब्यौरा इस प्रकार है:-

क्र.सं.	परियोजना का नाम	कार्यान्वयन की अवधि	शहर/जिला	31.3.97 से 31.3.2000 के दौरान संचित किया गया व्यय (करोड़ रुपए में)
1.	भारतीय जनसंख्या परियोजना-VII	2.11.90 से 30.6.98**	सम्पूर्ण राज्य	15.69
2.	प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य उप-परियोजनाएं	अक्तूबर, 1997 से 31.3.20003 तक	भिवानी जिला और फरीदाबाद शहर	2.13

**31 मार्च, 1999 तक निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए अवधि बढ़ाई गई। ऐसे सभी भवनों के लिए उपकरण और फर्नीचर की अधिप्राप्ति के लिए 30 जून, 1999 तक अवधि बढ़ाई गई।

भारतीय जनसंख्या परियोजना-VII ने राज्य से जिला स्तर तक कार्यक्रम अधिकारियों, समुदाय नेताओं और मत निर्माताओं के विभिन्न स्तरों के लिए प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना करने तथा सेवा प्रदायगी को सूचना, शिक्षा और संप्रेषण, गैर-सरकारी संगठन तथा सामाजिक विपणन प्रयासों तक बढ़ाने का अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य उप-परियोजना प्रजनन आयु में महिलाओं और पुरुषों की आवश्यकताओं को पूरा करने, सुरक्षित मातृत्व पर विशेष ध्यान देने, बाल उत्तरजीविता तथा जनन-मार्गीय संक्रमण/यौन संचारित संक्रमण की रोकथाम और प्रभावी रेफरल सेवाओं की स्थापना के अपने लक्ष्य को लगातार प्राप्त कर रही है।

प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम :

विश्व बैंक, यूरोपीय आयोग, यू.एन एफ पी ए, यूनिसेफ आदि की संयुक्त निधि सहायता से प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम हरियाणा सहित देश के सभी राज्यों जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए सहायक नर्स धात्री, पी एच एन/स्टाफ नर्स, प्रयोगशाला तकनीकी विशेषज्ञ, सुरक्षित मातृत्व परामर्शदाता तथा संवेदनाहरण विशेषज्ञों को अनुबंध के आधार पर उपलब्ध कराकर प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली का सुदृढ़ीकरण करने के अलावा वैक्सीनों, औषधियों और उपकरणों की आपूर्ति तथा सूचना, शिक्षा और संप्रेषण, एम आई एस, गैर-सरकारी संगठनों की सहभागिता तथा प्रशिक्षण कार्यकलाप आदि में वृद्धि किये जाने के लिए राज्यों को सहायता दी जा रही है। नौवीं योजनावधि के दौरान प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए अनुमोदित परिव्यय 5112.53 करोड़ रुपये है।

उपरोक्त राष्ट्रव्यापी गतिविधियों के अलावा जिलों पर केन्द्रीत परियोजनाओं को भी हाथ में लिया गया है। यूरोपियन आयोग स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत हरियाणा राज्य के अम्बाला, यमुनानगर और करनाल जिलों को स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता कवरेज और पहुंच में सुधार करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों में सुधार करने का अनुमोदन और आवश्यकता के प्रदर्शन हेतु चुना गया है। इसके लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है। विश्व बैंक वित्त पोषित प्रजनक शिशु स्वास्थ्य परियोजना के अंतर्गत प्रजनक शिशु स्वास्थ्य उप-परियोजना, हरियाणा के भिवानी और फरीदाबाद जिलों में आधारभूत सेवाओं और प्रजनक शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच एवं गुणवत्ता के उन्नयन के लिए कार्यान्वित की जा रही है।

आगे यह उल्लेखनीय है कि इस विभाग ने 142.6 मिलियन अमेरिकी डालर की राशि का विश्व बैंक के साथ प्रतिरक्षण सुदृढ़ीकरण परियोजना नामक एक नयी परियोजना के लिए बातचीत की है।

राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम :

जहां तक राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम का संबंध है, विश्व बैंक सहायता प्राप्त कुष्ठ रोग कार्यक्रम हरियाणा के सभी जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। यह परियोजना पिछले तीन वर्षों के दौरान सभी जिलों में कार्यान्वित की गई है।

उपर्युक्त अवधि के दौरान प्रत्येक परियोजना पर खर्च की गई वास्तविक राशि के संबंध में एक विवरण संलग्न है।

हरियाणा में कुष्ठ रोग की व्याप्तता 1981 में 0.70 से घटकर मार्च, 1999 में 0.52 कर दी गई है।

संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम :

हरियाणा राज्य के 3 जिलों–फरीदाबाद, गुड़गांव, सोनीपत में विश्व बैंक की सहायता से संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम कार्यान्वित की गई है।

क्षय रोगों के उपचार के लिए आवश्यक 100 प्रतिशत क्षय रोग रोधी औषधों और गुणवत्ता, निदान के लिए वायनोकूलर माइक्रोस्कोपस का प्रापण किया गया है और केन्द्र द्वारा इन तीन जिलों को आपूर्ति की गई है। संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के संबंध में विभिन्न कार्यकलापों को शुरू करने के लिए 1999-2000 में उपर्युक्त जिलों को सहायता अनुदान निम्न प्रकार दी गई है:

फरीदाबाद	30.98 लाख रुपये
गुड़गांव	20.50 लाख रुपये
सोनीपत	19.88 लाख रुपये

इन सभी तीन जिलों में तैयारी संबंधी कार्यकलाप वर्ष 1999-2000 में शुरू किए गए थे और सेवा प्रदानगी वर्ष 2000-2001 में शुरू की गई है।

वर्ष 2005 के अंत तक संशोधित राशि क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम की सम्पूर्ण जनसंख्या को शामिल करने के प्रयास किए जाएंगे।

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम :

राष्ट्रोय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम पूरे हरियाणा राज्य में कार्यान्वित किया गया 100 प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित योजना है।

हरियाणा में पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम पर खर्च की गई वास्तविक राशि इस प्रकार है:

1997-98	75.00 लाख रुपये
1998-99	160.00 लाख रुपये
1999-2000	270.00 लाख रुपये

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम चरण-II परियोजना हरियाणा सहित सम्पूर्ण देश में पहले ही 9 नवम्बर, 1999 से कार्यान्वित की जा रही है।

विवरण

पिछले 3 वर्षों के दौरान हरियाणा में जिला कुष्ठ सोसाइटियों को जारी की गई धनराशियां

(लाख रुपए में)

में स्थित जिला कुष्ठ सोसाइटी	1997-98	1998-99	1999-2000
अम्बाला	शून्य	5.00	शून्य
भिवानी	शून्य	शून्य	शून्य
फरीदाबाद	शून्य	5.00	शून्य
गुडगांव	शून्य	5.00	शून्य
जींद	शून्य	शून्य	शून्य
हिसार	शून्य	शून्य	शून्य
करनाल	शून्य	शून्य	शून्य
कुरुक्षेत्र	शून्य	शून्य	शून्य
नारनौल	शून्य	शून्य	शून्य
रोहतक	शून्य	शून्य	2.00
सिरसा	शून्य	शून्य	3.00
सोनीपत	शून्य	शून्य	7.00
पानीपत	शून्य	शून्य	8.00
यमुनानगर	शून्य	शून्य	शून्य
योग	शून्य	15.00	20.00

[हिन्दी]

एन.आर.डी.सी.

4608. श्री अशोक अर्गल : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम (एन.आर.डी.सी.) नई दिल्ली का गठन, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा किए जा रहे अनुसंधान कार्य के विकास हेतु किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा, उद्यमियों के वास्तविक अर्थों में एक केन्द्रीय निकाय से प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने हेतु प्रौद्योगिकी विकास [illegible] औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा राष्ट्रीय [illegible]न के बीच सुदृढ़ संस्थागत समन्वय सुनिश्चित करन हतु समयबद्ध कार्य योजना तैयार करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस प्रयोजन हेतु समन्वय स्थापित करने के लिए एक संयुक्त अध्यक्ष नियुक्त करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कारपोरेशन (एन.आर.डी.सी.), नई दिल्ली की स्थापना कम्पनी अधिनियम 1913 की धारा 26 (कम्पनी अधिनियम 1956 की वर्तमान धारा 25) के अन्तर्गत गैर-लाभांशदायी कम्पनी के रूप में तत्कालीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत 1953 में की गई थी। 1985 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की स्थापना के परिणामस्वरूप एन.आर.डी.सी., तभी से वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में है। एन.आर.डी.सी. के उद्देश्यों में अन्य बातों के साथ-साथ जनहित में आविष्कारों (पेटेन्ट योग्य या अन्य) तथा वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, सामग्री अनुसंधान समितियों और अन्य सांविधिक अनुसंधान संगठनों सहित केन्द्र और राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों की तकनीकी व इंजीनियरी प्रक्रिया जानकारी का विकास और दोहन शामिल हैं।

(ग) प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड व्यापक घरेलू अनुप्रयोगों के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के विकास और वाणिज्यीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जबकि नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कारपोरेशन उद्यमियों को प्रौद्योगिकियां उपलब्ध कराता है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद और नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कारपोरेशन वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में है। प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुसार सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डी.एस.आई.आर.) व महानिदेशक, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी.एस.आई.आर.) बोर्ड के पदेन सदस्य हैं। इस प्रकार प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, वैज्ञानिक तथा औद्योगिकी अनुसंधान परिषद तथा नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कारपोरेशन के बीच संस्थागत समन्वय विद्यमान है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

पुलिस को सुदृढ़ करना

4609. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश के प्रभावी क्षेत्रों में नक्सलवादी गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए राज्य-पुलिस को सुदृढ़ करने हेतु राज्य सरकार द्वारा 615 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी.एच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) विकास और सुरक्षा पहलुओं को शामिल करते हुए मध्य प्रदेश से प्राप्त 615 करोड़ रुपये की एक समेकित कार्य योजना हेतु अलग से निधि निर्धारित कराने के लिए इसे संस्तुत करके योजना आयोग को भेजा गया है। राज्य सरकार को पुर-जोर अनुवर्ती कार्रवाई करने की सलाह दी गई है।

शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय

4610. श्री ब्रज मोहन राम :
श्री पुन्नू लाल मोहले :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जहां इन महाविद्यालयों को खोले जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील): (क) जी, नहीं। केन्द्रीय सरकार अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग स्वयं कालेज स्थापित नहीं करते। सामान्यतया, कालेजों की स्थापना किसी विशेष क्षेत्र में उच्चतर शिक्षा की मांग और संसाधनों की उपलब्धता को देखते हुए विश्वविद्यालयों/राज्य सरकारों/निजी न्यासों/प्रबंधनों द्वारा की जाती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

यात्रियों की सुरक्षा

4611. श्री भालचन्द्र यादव :
श्री अखिलेश यादव :
श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले एक वर्ष के दौरान पीपुल्स वार ग्रुप के कार्यकर्ताओं और अन्य आतंकवादियों ने अनेक रेलवे स्टेशन बम से उड़ाए और रेल मार्गों आदि को नुकसान पहुंचाया;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा यात्रियों की सम्पत्ति और जीवन की सुरक्षा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी.एच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्ष 1999 और 2000 (15 अप्रैल तक) के दौरान रेलवे सम्पत्ति पर हुए हमलों के राज्य-वार आंकड़े निम्न प्रकार से हैं:-

	1999	2000 (15 अप्रैल तक)
आन्ध्र प्रदेश	14	1
बिहार	3	2
तमिलनाडु	–	1
कुल	17	4

(ग) केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के साथ बेहतर सहयोग और समन्वय स्थापित करने और रेलगाड़ियों या रेलवे स्टेशनों पर किसी प्रकार की आतंकवादी गतिविधियों का समय पर पता लगाने और रोकने में उन्हें सभी सम्भव सहायता प्रदान करने की सलाह दी है। देश में रेलवे यातायात सहित संचार प्रणाली को भंग करने के राष्ट्र विरोधी तत्वों के नापाक इरादों के बारे में आसूचना का राज्य सरकारों और अन्य संबंधित एजेन्सियों के साथ आदान-प्रदान किया जाता है।

[हिन्दी]

प्लाटों की बिक्री और खरीद

4612. डा. बलिराम : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में न्यू कोन्डली में दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली नगर निगम (मलिन बस्ती) स्कन्ध और प्रापर्टी डीलरों की साठगांठ से बड़े पैमाने पर प्लाटों की खरीद हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार मामले की पूरी जांच कराने का है;

(ग) यदि हां, तो जांच कब तक कराई जाएगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण/दिल्ली नगर निगम से सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

यातायात-समस्या

4613. श्री दलपत सिंह परस्ते :
डा. अशोक पटेल :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि दिल्ली में अक्सर होने वाली रैलियों और प्रदर्शनों से घण्टों तक होने वाले यातायात-अवरोध से जनता को भारी समस्या का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार रैलियों और प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगाने तथा ऐसी रैलियों और प्रदर्शनों के स्थलों को किसी निर्दिष्ट दूरस्थ स्थान पर अंतरित करने का है;

(ग) यदि हां, तो ऐसा कब तक किया जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी.एच. विद्यासागर राव): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) से (घ) इस समय, जन्तर-मन्तर-संसद मार्ग क्षेत्र से जन प्रदर्शनों और रैलियों का स्थान बदलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। किसी प्रजातांत्रिक समाज में विरोध प्रकट करने के ये मान्यता प्राप्त तरीके हैं और इसलिए इन पर प्रतिबन्ध भी नहीं लगाया जा सकता। तथापि, जब ऐसे प्रदर्शन/रैलियां होती हैं तो यातायात को विनियमित करने के लिए विशेष प्रयास किये जाते हैं ताकि आम जनता को असुविधा न हो।

कालकाजी मंदिर के आस-पास अतिक्रमण

दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी : क्या शहरी यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली स्थित कालकाजी मंदिर के चारों तरफ अतिक्रमण किया हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या झुग्गीवासियों को उनके द्वारा अतिक्रमित भूमि से हटाया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उनको अन्य किसी स्थान पर पुनर्वासित करने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) कालकाजी मंदिर में प्रत्येक माह दर्शन करने वाले लाखों भक्तों को अपर्याप्त अवस्थापना सुविधाओं, अनधिकृत निर्माण, हरित क्षेत्र सहित बड़े पैमाने पर परिसर के दुरुपयोग आदि गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लोगों की संरक्षा और सुरक्षा को किसी प्रकार के गंभीर खतरे से बचाने के लिए परिसर की दशा में सुधार की आवश्यकता है।

(ख) कालकाजी मंदिर परिसर में और इसके चारों ओर हरित पट्टी सहित उसके पड़ोस में वाणिज्यिक अतिक्रमण सहित पात्र और अपात्र आबादकारों की 5127 झुग्गियां हैं।

(ग) से (ङ) सरकार की मौजूदा नीति के अनुसार आबादकारों का पुनर्वास किया जाता है।

गिरपन क्षेत्र का छठी अनुसूची में सम्मिलित किया जाना

4615. **कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनीराम शांडिल्य :** क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार हिमाचल प्रदेश के गिरपन क्षेत्र का त्वरित विकास सुनिश्चित करने तथा पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ क्षेत्रों की भांति अपनी पहचान सुरक्षित रखने की दृष्टि से इसे संविधान की छठी अनुसूची में सम्मिलित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

जनजातियों के लिए कल्याणकारी योजनाएं

4616. **श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल :** क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान मार्च, 2000 तक जनजातियों, पिछड़ों और गरीबी-रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए जो योजनाएं लागू की हैं, उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इनके अन्तर्गत सरकार की क्या उपलब्धियां रहीं;

(ग) क्या सरकार का विचार, प्रत्येक राज्य में अन्य सामाजिक दलों को साथ लेकर जनजाति-बहुत क्षेत्रों के विकास के लिए एक विशेष पैकेज तैयार करने का है;

(घ) क्या सरकार को इस संबंध में जनप्रतिनिधियों से पत्र प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन दलित व्यक्तियों की सामाजार्थिक स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएम उराम): (क) से (ङ) अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण और उत्थान के लिए जनजातीय मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित योजनाओं तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं के संबंध में हुए व्यय संबंधी सूचना संलग्न विवरण I और II में दी गई है। ये योजनाएं निर्धारित मानदंडों के अनुसार सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए लागू हैं और लाभार्थियों में संबंधित श्रेणियों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे लोग शामिल होते हैं।

विवरण-I

जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित जनजातियों के कल्याण और विकास के लिए विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के नामों और व्यय को दर्शाने वाला विवरण

(रुपए करोड़ में)

क्र.सं.	योजना का नाम	1997-98	1998-99	1999-2000
1.	आदिवासी उपयोजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता	329.61	380.00	400.00
2.	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान	75.00	75.00	100.00
3.	अनुसूचित जनजातियों के लड़कियों के लिए होस्टल	3.77	7.69	3.93
4.	अनुसूचित जनजातियों के लिए लड़कों के होस्टल	3.53	8.30	6.98
5.	आदिवासी उप योजना क्षेत्र में आश्रम स्कूल	4.67	9.39	5.32
6.	स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान	7.00	11.24	15.00
7.	अनुसंधान और प्रशिक्षण	2.87	3.92	1.78
8.	ट्राइफेड में निवेश	23.00	6.00	0.25
9.	ट्राइफेड के लिए मूल्य समर्थन	1.00	4.00	2.97
10.	राज्य जनजाति विकास सहकारी निगमों को सहायता अनुदान	8.23	6.87	9.05
11.	निम्न साक्षरता पाकेटों में शैक्षिक परिसर	2.20	3.71	1.84
12.	व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र	3.45	4.71	3.75
13.	ग्राम अन्न बैंक	1.80	3.00	1.00
14.	आदिम जनजाति समूहों का विकास	-	4.94	6.63

विवरण-II

अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण और विकास के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित योजनाओं के नामों को दर्शाने वाला विवरण

व्यय (रुपए करोड़ में)

क्र.सं.	योजना का नाम	1997-98	1998-99	1999-2000
1.	अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति	-	1.50	5.00
2.	भारत में अध्ययन के लिए अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	-	4.64	5.50
3.	अन्य पिछड़े वर्गों के लड़कों और लड़कियों के लिए होस्टल	-	1.30	3.00
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रों हेतु परीक्षा पूर्व कोचिंग	-	0.20	0.03
5.	अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	-	0.64	1.09

[हिन्दी]

दलितों पर अत्याचार

4617. श्री रामजीलाल सुमन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में दलितों पर अत्याचार के मामलों में व्यापक वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे कितने मामले राज्य-वार प्रकाश में आये; और

(घ) सरकार द्वारा इस बढ़ती हुई प्रवृत्ति को रोकने हेतु क्या रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री ईश्वर दयाल स्वामी):** (क) से (ग) जी नहीं, श्रीमान्। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के "क्राईम इन इण्डिया-1998" नामक प्रकाशन में निहित सूचना के अनुसार अनुसूचित जाति के प्रति 1997 में अत्याचार के 27,944 मामलों तथा 1996 में 31,440 मामलों की तुलना में वर्ष 1998 में 25,638 मामले रिपोर्ट हुए। इस संबंध में ब्यौरे, ब्यूरो के प्रकाशन में उपलब्ध हैं।

(घ) भारत के संविधान के अनुसार, "लोक व्यवस्था" और "पुलिस" राज्य के विषय हैं अत: अपराध को दर्ज करना, उसकी जांच-पड़ताल करना, उसका पता लगाना तथा अपराध की रोकथाम करना मुख्य रूप से राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। तथापि, केन्द्र सरकार, समय-समय पर राज्य सरकारों को दाण्डिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में सुधार लाने की ओर अधिक ध्यान केन्द्रित करने तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों के प्रति अपराध को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करने की सलाह देती आ रही है। राज्य सरकारों को उनके पुलिस ढांचे को बेहतर बनाने के लिए वित्तीय सहायता भी दी जाती है।

एच.आई.वी. मामले

4618. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर :
श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्री प्रभुनाथ सिंह :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 5 मार्च, 2000 के द 'इंडियन एक्सप्रेस' में "सौर डब्ल्यु बी टु मानीटर एड्स प्लान" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के खराब प्रदर्शन के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या विश्व बैंक ने भारत में एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की निगरानी और प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विशेषज्ञ दल प्रतिनियुक्त करने का निर्णय लिया है;

(च) यदि हां, तो इससे संबंधित ब्यौरा क्या है;

(छ) आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र को एड्स नियंत्रण के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता में से कितनी धनराशि प्रदान की गई; और

(ज) सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों में रक्त जांच संबंधी उचित सुविधाएं सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) आलेख की विषय वस्तु तथ्यों पर आधारित नहीं है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) शून्य।

(ज) सरकार ने सभी मेडिकल कालेजों/अस्पतालों के सूक्ष्म-जैव विभागों में एच.आई.वी. परीक्षण सुविधाएं स्थापित की हैं। परीक्षण सुविधाओं का सभी जिला अस्पतालों में चरणवार विस्तार किया जा रहा है।

डी डी ए द्वारा निर्मित भूमिगत जलाशय

4619. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में कितने भूमिगत जलाशयों का निर्माण किया गया;

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रतिवर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में ऐसे जलाशयों की मरम्मत हेतु व्यय की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण को हाल ही में एक जलाशय के निर्माण में करीब 40 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि व्यय करनी पड़ी;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा ऐसे अतिरिक्त व्यय के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है/प्रस्तावित है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) पांच।

(ख) शून्य।

(ग) और (घ) जी, नहीं। तथापि, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि 1990 में त्रिलोकपुरी में निर्मित दो भूमिगत जलाशयों, जिसमें दिल्ली जल बोर्ड द्वारा पानी न उपलब्ध कराए जाने से खाली रहने के कारण खराबी आ गई थी, की मरम्मत/मजबूती के लिए 40.00 लाख रु. का व्यय किए जाने की संभावना है। खराबी के कारणों का पता लगाने के लिए तैनात आई आई टी दिल्ली ने भी इसकी पुष्टि की है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भुवनेश्वर का पुनर्निर्माण

4620. श्री के.पी. सिंह देव : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा में आये महाचक्रवात के पश्चात् अन्य तबाह हुए स्थानों/क्षेत्रों सहित भुवनेश्वर का पुनर्निर्माण करने हेतु कोई योजना विचारार्थ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) भारत सरकार ने उड़ीसा को समुद्री तूफान और बाढ़ से राहत हेतु निम्नलिखित राशि स्वीकृत की है:-

राष्ट्रीय आपदा राहत कोष	828.15 करोड़ रुपये
योजना अग्रिम सहायता	450.00 करोड़ रुपये
आपदा राहत कोष (केन्द्रीय अंश)	42.50 करोड़ रुपये

(2) आवास और नगर विकास निगम (हडको) ने उड़ीसा (भुवनेश्वर सहित) के लिए आवास निर्माण कार्यक्रम के तहत 116.40 करोड़ रु. की सहायता मंजूर की है। इसमें से 1112.50 करोड़ रु. ऋण सहायता के रूप में तथा 3.90 करोड़ रु. अनुदान सहायता के रूप में हैं। हडको ने शहर के हवाई अड्डे से ए.एफ. स्केवयर तक वीथि-वृक्षारोपण हेतु 5.00 लाख रुपये (अनुदान) मंजूर किए हैं।

(3) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सी.पी.डब्ल्यू.डी.) ने उड़ीसा में 116.00 लाख रुपये के मूल्य का निर्माण कार्य किया है।

(4) भवन सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद् (बी.एम.टी.पी.सी.) उड़ीसा में एक त्वरित क्षति मूल्यांकन अध्ययन कर रही है और उसने मशीनों पर 10 लाख रुपये खर्च किया है।

(5) राज्य सरकार द्वारा राजधानी भुवनेश्वर में मरम्मत तथा नवीकरण कार्य पर 181.62 लाख रुपये खर्च किए गए हैं।

(6) विश्व बैंक ने राजधानी के भुवनेश्वर में शहरी संपत्ति की मरम्मत/बहाली के लिए 1326.98 लाख रु. की सहायता का वचन दिया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

रेबीज इंजेक्शनों की कमी

4621. श्री चन्द्रनाथ सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में कुत्तों की जनसंख्या नियंत्रण से बाहर हो रही है जिसके परिणामस्वरूप कुत्तों द्वारा काटे जाने के मामलों में वृद्धि हो रही है तथा सरकारी अस्पतालों में रेबीज रोधी इंजेक्शन के स्टाक आने से पहले ही समाप्त हो जाते हैं;

(ख) सरकार द्वारा स्थिति में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) दिल्ली में पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कुत्तों द्वारा काटे जाने के कितने मामले दर्ज किए गए तथा इससे कितने व्यक्ति मारे गए;

(घ) क्या सरकार द्वारा कुत्तों की संख्या का पता लगाने हेतु कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ङ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा कुत्तों की संख्या नियंत्रित करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ...गम): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है ...टल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

उपकरणों में देवनागरी का प्रयोग

4622. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कम्प्यूटरों जैसे आधुनिक उपकरणों में देवनागरी के प्रयोग को बढ़ावा देने की व्यवस्था की है क्योंकि सरकारी कार्य अभी भी अंग्रेजी में किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष के दौरान अखिल भारतीय स्तर पर अंग्रेजी के प्रयोग के स्थान पर राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ क्या कार्य योजना बनाई गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय सरकार के सभी कार्यालयों में द्विभाषी (हिन्दी/अंग्रेजी) कंप्यूटर खरीदे जाने के निदेश दिए गए हैं। इस दिशा में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र ने मंत्रालयों/विभागों को जिस्ट कार्ड/जिस्ट टर्मिनल तथा अन्य द्विभाषी साफ्टवेयर उपलब्ध करवाए हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र तथा राजभाषा विभाग द्वारा कंप्यूटरों पर हिंदी में कार्य के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करवाए जा रहे हैं। हिंदी साफ्टवेयर विकल्पों के प्रचार-प्रसार का कार्य भी राजभाषा विभाग अपने प्रकाशनों, मल्टीमीडिया फिल्मों, संगोष्ठियों तथा कंप्यूटर प्रदर्शनियों के माध्यम से करता है।

(ग) और (घ) जी हां। इसके लिए वार्षिक कार्यक्रम 2000-2001 में लक्ष्य निर्धारित कर सभी मंत्रालयों/विभागों को भेज दिया गया है।

ग्रामीण साक्षरता परियोजनाएं

4623. श्री कान्तिलाल भूरिया : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने नई पहलों के तहत मध्य प्रदेश में 1991 से चल रही सभी ग्रामीण साक्षरता परियोजनाओं को बन्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन परियोजनाओं के अधिकारियों/कर्मचारियों की यात्रा देयताओं का भुगतान नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने इस संबंध में केन्द्र सरकार के पास अनुमति के लिए प्रस्ताव भेजा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील): (क) से (ग) जी, हां।

(घ) राज्य सरकार ने प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ बनाने की योजना के अंतर्गत स्वीकृत की गई निधि में से 16,53,503 रु. की राशि लम्बित देय यात्रा भत्ते के भुगतान के लिए प्रस्तावित की थी। राज्य सरकार को यह स्पष्ट कर दिया गया था कि प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ बनाना एक पृथक योजना है तथा एक योजना का देय भार अन्य योजना को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। तथापि, लम्बित देय भत्तों के संबंध में राज्य सरकार से नवम्बर, 1995 में स्पष्टीकरण मांगा गया था, जो अब तक प्रतीक्षित है।

महाराष्ट्र में जनसंख्या वृद्धि

4624. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र ने बालिकाओं पर विशेष ध्यान देते हुए जनसंख्या-वृद्धि पर काबू पाने के लिए आकर्षक योजनाएं तैयार की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कौन-कौन से राज्य जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण पाने में बहुत हद तक सफल रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) और (ख) महाराष्ट्र सरकार ने 8 मार्च, 2000 को राज्य जनसंख्या नीति घोषित की। नीति की मुख्य बातें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु ने जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करने में सफलता प्राप्त कर ली है।

विवरण

राज्य जनसंख्या नीति की मुख्य बातें

- छोटा परिवार के रूप में दो बच्चों के मानदंड की स्वीकृति।
- राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के निष्पादन की मंडल आयुक्तों, कलेक्टरों, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, नगरपालिका आयुक्तों, मुख्य अधिकारियों, प्रखण्ड विकास अधिकारियों, तहसीलदार, जिला स्वास्थ्य अधिकारी, सिविल सर्जन, स्वास्थ्य सेवाओं के उप निदेशक आदि की गोपनीय रिकार्डों में मूल्यांकन।
- छोटा परिवार मानदंड की अवधारणा को सरकारी तथा अर्द्ध-सरकारी सेवाओं में रोजगार हेतु सेवा की शर्तों में शामिल करना।
- 2 बच्चों तक अपने परिवार को सीमित रखने वालों को प्राथमिकता के आधार पर गृह निर्माण अग्रिम, वाहन अग्रिम दिया जाना।
- 2 बच्चों तक अपने परिवार को सीमित रखने वालों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति।
- राज्य सरकार की योजनाओं के अंतर्गत सब्सिडी केवल दो बच्चों तक अपने परिवार को सीमित रखने वालों को।
- बाल विवाह अधिनियम, प्रसव-पूर्व लिंग निर्धारण अधिनियम, जन्म एवं मृत्यु पंजीयन अधिनियम आदि जैसे मौजूदा अधिनियमों का सख्ती से कार्यान्वयन।
- सहकारी सोसायटियों, चीनी मिलों तथा अन्य औद्योगिक संस्थानों की वित्तीय सहायता से परिवार कल्याण शिविरों का आयोजन।
- मंडल स्तर पर मंडल आयुक्तों की अध्यक्षता में एक मंडल संयोजन समिति।
- जिला स्तर पर जिला कलेक्टरों की अध्यक्षता में जिला जनसंख्या संयोजन समिति।

गैर-सरकारी संगठनों को काली सूची में रखना

4625. श्री जी.जे. जावीया :
श्री शिवाजी माने :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने देश में अब तक 3000 गैर-सरकारी संगठनों को काली सूची में रखा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) कितने गैर-सरकारी संगठनों के विरूद्ध राज्य-वार अभी भी जांच लम्बित है; और

(घ) गैर-सरकारी संगठनों को आबंटित धनराशि इन्हें जिस उद्देश्य के लिए आबंटित की जाती है वास्तव में उसी उद्‌देश्य के लिए उपयोग में लाई जाती है या नहीं इसका पता लगाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) जी, हां। इस समय कुल 3470 गैर-सरकारी संगठन केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की काली सूची में हैं।

(ख) काली सूची में डाले गये गैर-सरकारी संगठनों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। गैर-सरकारी संगठनों को काली सूची में डालने के कारण निम्नलिखित हैं:-

(1) डेयरी स्कीम के अंतर्गत लिये गये ऋण वापस न करना और खाते प्रस्तुत न करना; और

(2) राशि का दुरूपयोग अथवा अन्य कार्यक्रमों का असंतोषजनक कार्यान्यवन।

(ग) ऐसे गैर-सरकारी संगठनों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है, जिनके विरुद्ध विशिष्ट शिकायतों की जांच का कार्य अभी तक लम्बित है।

(घ) गैर-सरकारी संगठनों को आबंटित राशि का सही उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं:-

(1) गैर-सरकारी संगठनों को राशि स्वीकृत करने से पहले एक विस्तृत और कड़ा निधियन-पूर्व मूल्यांकन किया जाता है।

(2) केन्द्रीय बोर्ड और राज्य बोर्ड के अधिकारियों द्वारा गतिविधियों का नियमित प्रबोधन किया जाता है; और

(3) कुछ मामलों में समाज कार्य स्कूलों जैसे स्वतंत्र [illegible]णों से भी प्रबोधन कराया जाता है।

विवरण-I

काली सूची में डाले गए गैर-सरकारी संगठनों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य	संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	288
2.	असम	152
3.	बिहार	142
4.	गुजरात	106
5.	हरियाणा	146
6.	हिमाचल प्रदेश	53
7.	जम्मू व कश्मीर	-
8.	कर्नाटक	171
9.	केरल	131
10.	मध्य प्रदेश	53
11.	महाराष्ट्र	126
12.	मणिपुर	196
13.	मेघालय	323
14.	नागालैण्ड	79
15.	उड़ीसा	122
16.	पंजाब	223
17.	राजस्थान	76
18.	सिक्किम	3
19.	तमिलनाडु	306
20.	त्रिपुरा	69
21.	उत्तर प्रदेश	318
22.	पश्चिम बंगाल	99
23.	अरूणाचल प्रदेश	-
24.	दिल्ली	17
25.	गोवा	24
26.	मिजोरम	106
संघ राज्य क्षेत्र		
27.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	-
28.	चण्डीगढ़	4
29.	दादर नगर हवेली	-
30.	लक्षद्वीप	3
31.	पाण्डिचेरी	134
	कुल	3470

विवरण-II

उन गैर-सरकारी संगठनों की राज्य-वार संख्या, जिनके विरूद्ध जांच लम्बित है

क्र.सं.	राज्य का नाम	गैर-सरकारी संगठनों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	3
2.	असम	1
3.	बिहार	1

1	2	3
4.	गुजरात	1
5.	हरियाणा	1
6.	मध्य प्रदेश	8
7.	महाराष्ट्र	2
8.	मेघालय	2
9.	उड़ीसा	1
10.	राजस्थान	1
11.	उत्तर प्रदेश	9
12.	पश्चिम बंगाल	2
	कुल	32

अल्पसंख्यकों पर हमले

4626. श्री रामदास आठवले : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 मार्च, 2000 के 'जनसत्ता' में ''कोलार में सवर्ण को चाकू लगने के बाद सात दलित जिंदा जलाए गए'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें इस मामले के संबंध में दिए गए तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार ने दलितों की सुरक्षा हेतु क्या उपाय किए हैं/करने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) केन्द्र सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, 11.3.2000 को कर्नाटक के कोलार जिले के पुलिस स्टेशन केनचरालाहल्ली, के कम्बलापल्ली गांव में रेड्डी समुदाय और अनुसूचित जाति के सदस्यों के बीच हिंसा और प्रतिहिंसा की दो घटनाएं हुए। इन घटनाओं के कारण छुरे-बाजी हुई और उसके परिणामस्वरूप कृष्णा रेड्डी की मृत्यु हो गयी और अनुसूचित जाति समुदाय के सात सदस्यों को जिन्दा जला दिया गया।

(ग) भारत के संविधान के अनुसार ''लोक व्यवस्था'' और ''पुलिस'' राज्य के विषय हैं और इस प्रकार से अपराध को दर्ज करने, उसकी जांच पड़ताल करने, पता लगाने और रोकने की जिम्मेवारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों की हैं। तथापि, केन्द्र सरकार, दाण्डिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में सुधार पर अधिक ध्यान देने और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के प्रति अपराध को रोकने हेतु आवश्यक कदम उठाने के लिए समय-समय पर राज्य सरकारों को सलाह देती रही है। राज्य सरकारों को, उनके पुलिस ढांचे में सुधार लाने के लिए वित्तीय सहायता भी उपलब्ध करायी जाती है।

सुपर कम्प्यूटर

4627. श्री तरुण गोगोई :
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मौसम संबंधी पूर्वानुमान हेतु अमरीका से सुपर कम्प्यूटर आयात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके आयात का कब और किस स्तर पर निर्णय लिया गया और इस पर खर्च की जा रही धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में यह कब तक प्राप्त कर लिया जाएगा और अब इसको प्राप्त करने की सम्भावित तारीख क्या है;

(घ) इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या संबंधित फर्म सुपर कम्प्यूटर की प्रौद्योगिकी भी उपलब्ध कराएंगी;

(च) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत ''बचदा''): (क) जी, हां।

(ख) मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान के लिए एक सुपर कम्प्यूटर प्रणाली की प्राप्ति का निर्णय जून 1996 में मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया गया था। सम्पूर्ण प्रणाली की कुल लागत 1.835 मिलियन अमरीकी डालर है जिसमें से सुपर कम्प्यूटर की लागत 1.51 मिलियन अमरीकी डालर है।

(ग) और (घ) इस प्रणाली का आयात किया जाना, प्रदायक को सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयात प्रमाणपत्र तथा अमरीकी वाणिज्य विभाग द्वारा निर्यात लाइसेंस जारी किए जाने के अध्यधीन होगा, जिसके लिए पहले ही आवेदन किया जा चुका है।

उपस्कर के शिपमेंट की वास्तविक तिथि तथा उसके देश में पहुंचने के अनुमान के बारे में उपरोक्त स्वीकृतियां प्राप्त हो जाने के बाद ही बताया जा सकता है।

(ङ) संबंधित फर्म देश को सुपर कम्प्यूटर की प्रौद्योगिकी उपलब्ध नहीं कराएगी क्योंकि ऐसा करना प्रापण संबंधी पैकेज का हिस्सा नहीं था। इस प्रापण का अभिप्राय मात्र एक समय की खरीद से है।

प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

कन्या शिक्षा परिसर

4628. श्री पी.आर. खूंटे : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश के आदिवासी क्षेत्रों में जहां साक्षरता दर 10 प्रतिशत से कम है, "कन्या शिक्षा परिसर" अथवा विद्यालय/शिक्षा केन्द्र खोले जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो क्या मध्य प्रदेश के गैर-सरकारी संगठनों से "कन्या शिक्षा परिसर" की स्थापना से संबंधित कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील): (क) और (ख) भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय के जरिए जनजातीय क्षेत्रों में महिला साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए कम साक्षरता वाले क्षेत्रों में शैक्षिक परिसरों की स्थापना करने के लिए शत-प्रतिशत सहायता अनुदान प्रदान करती है। ये शैक्षिक परिसर जनजातीय क्षेत्रों में विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं के लिए हैं जहां अनुसूचित जनजाति की महिलाओं में साक्षरता दर 10 प्रतिशत से कम है।

(ग) और (घ) जी, हां। मध्य प्रदेश के गैर सरकारी संगठनों से कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए थे और वर्ष 1999-2000 के दौरान कुल 12 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं। मध्य प्रदेश में गैर-सरकारी संगठनों के जरिए 30 शैक्षिक परिसर संचालित हैं।

गोवा में जलक्रीड़ा राष्ट्रीय संस्थान

4629. श्री श्रीपाद येसो नाईक :
श्री रमाकांत आंग्ले :

क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार गोवा में एक जलक्रीड़ा राष्ट्रीय संस्थान स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त संस्थान के लिए भूमि का चयन कर लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस पर कुल कितना खर्च आएगा; और

(च) इस संस्थान की स्थापना कब तक कर दी जाएगी?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) जी, नहीं।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

'इग्नू' द्वारा ग्रामीण विकास पर संगोष्ठी

4630. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के अनुवर्ती शिक्षा विद्यालय द्वारा ग्रामीण विकास पर दो-दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो उस संगोष्ठी का उद्देश्य क्या है और जिन मुद्दों पर चर्चा की गई उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) संगोष्ठी में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई/की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील): (क) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार ग्रामीण विकास पर दो-दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी को दिनांक 22-23 मार्च, 2000 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था।

(ख) इस सम्मेलन के मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार थे:-

- ग्रामीण विकास के सामने आए महत्वपूर्ण मुद्दों/चुनौतियों पर विचार-विमर्श करना।
- इन चुनौतियों के प्रत्युत्तर के लिए विद्वानों/सहभागियों को समर्थ बनाने के वास्ते आवश्यक ज्ञान और नए कौशलों की पहचान करना।
- विभिन्न उपागमों जिन्हें ग्रामीण विकास में आवश्यक मानव संसाधनों को विकसित करने के लिए अपनाया जा सकता है पर विचार करना; और
- ग्रामीण विकास के क्षेत्र से संबंधित संस्थाओं/संगठनों में सहयोग को प्रोत्साहित करना।

व्यापक विषय जिनमें सम्मेलन के दौरान 19 पेपर प्रस्तुत किए गए उनमें (1) ग्रामीण विकास के प्रोत्साहन के लिए आवश्यक कार्यनीतियां, (2) लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण और ग्रामीण विकास, (3) ग्रामीण विकास में शिक्षा और प्रशिक्षण, (4) ग्रामीण विकास की संस्थाओं का नेटवर्क बनाना, (5) परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण विकास शामिल है।

(ग) संगोष्ठी की सिफारिशों को अभी इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा अन्तिम रूप दिया जाना है।

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 में संशोधन

4631. श्री दिलीप संघाणी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पैक किए हुए दूध में सूक्ष्म जैविक संक्रमण को उपभोक्ता स्तर तक लाने के लिए खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम में संशोधन करने का है;

(ख) क्या सरकार का विचार बी.आई.एस. मानकों के अंतर्गत निर्धारित सूक्ष्म जैविक संबंधी मानदंडों को संयंत्र स्तर से उपभोक्ता स्तर तक लाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा अपमिश्रण से मुक्त दूध की बाजार में उपलब्धता हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) से (ङ) केन्द्रीय खाद्य मानक समिति की एक विशेषज्ञ उपसमिति (खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के प्रावधानों के तहत गठित एक सांविधिक समिति) ने नवम्बर, 1999 में हुई अपनी बैठक में पास्चुरीकृत दूध में सुक्ष्मजैव वैज्ञानिक मानकों हेतु पैरामीटर निर्धारित करने संबंधी मुद्दे पर विचार-विमर्श किया। समिति का यह विचार था कि यदि पास्चुरीकरण की पद्धति के अनुसार दूध को उचित तरीके से पास्चुरीकृत किया जाय तो ऐसे दूध को वातानुकूलित स्थिति में न रखने पर भी उसमें कोई रोगाणु पैदा नहीं होंगे। इस उपसमिति ने अनुशंसा की कि बाजार में पास्चुरीकृत दूध के रूप में बेचा गया दूध फास्फेट परीक्षण में ''नेगेटिव'' होगा और इनका कार्यान्वयन, कार्यान्वयन प्राधिकारियों द्वारा किया जाए। इस उपसमिति की रिपोर्ट की जांच, केन्द्रीय खाद्य मानक समिति की 27 और 28 अप्रैल, 2000 को होने वाली बैठक में की जाएगी। जहां तक मिलावट के सामान्य मामलों का संबंध है, राज्य सरकारें बाजार से उठाए गए खाद्य नमूनों की नियमित रूप से जांच कर रही हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह खाद्य अपमिश्रम निवारण नियमावली के प्रासंगिक प्रावधानों की अपेक्षाओं को पूरा करे।

मधुमेह

4632. श्री नरेश पुगलिया :
श्री रामशकल :
श्री मोहन रावले :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार मधुमेह के अनुमानित कितने रोगी हैं;

(ख) क्या अधिकांश मधुमेह रोगी समाज के सबसे निर्धनतम वर्गों से हैं;

(ग) क्या मधुमेह देश में तीव्र गति से फैलता जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसे रोकने के लिए व्यापक योजना तैयार की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) सरकार द्वारा देश में इस रोग के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(छ) क्या इन्सुलिन के मूल्य लगातार बढ़ रहे हैं;

(ज) यदि हां, तो इन्सुलिन का मूल्य 1980, 1985, 1990, 1995 में कितना था वर्तमान में इसका मूल्य कितना है;

(झ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में इन्सुलिन के मूल्यों में कितनी वृद्धि हुई है;

(ञ) इन्सुलिन के मूल्यों में इस वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(ट) सरकार द्वारा उचित और वहनीय मूल्य पर इन्सुलिन उपलब्ध कराने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

...रिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ...क) से (ट) सूचना एकत्र की जा रही है आर सदन क पटल पर रख दी जाएगी।

वायनाड में यूथ हॉस्टल

4633. श्री के. मुरलीधरन : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वायनाड में यूथ हॉस्टल के भवन का निर्माण कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) हॉस्टल की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) उक्त हॉस्टल भवन का निर्माण कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) वायनाड में युवा छात्रावास का निर्माण कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय ने इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा पता लगाई गई भूमि के उपयोग पर एक स्थगन आदेश दे दिया है। स्थगन आदेश रद्द होने अथवा राज्य सरकार द्वारा वैकल्पिक भूमि का पता लगाए जाने के पश्चात् ही निर्माण कार्य शुरू होगा।

[हिन्दी]

डी.डी.ए. द्वारा आबंटन

4634. श्री मानसिंह पटेल :
डा. जसवंत सिंह यादव :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) ने विगत में प्राथमिकता आधार पर कुछ व्यक्तियों को फ्लैटों का आवंटन किया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान क्षेत्रवार और श्रेणीवार कितने फ्लैट आबंटित किए गए हैं;

(ग) इस आबंटनों हेतु क्या निर्धारित मानदंड हैं;

(घ) किन-किन व्यक्तियों को ये आबंटन किए गए हैं; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान इस संबंध में कितने अनुरोध अस्वीकृत किए गए हैं तथा इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, हां।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कुल 383 फ्लैट आवंटित किए गए। फ्लैटों का क्षेत्रवार और श्रेणीवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है।

(ग) शहरी विकास मंत्री और दिल्ली के उपराज्यपाल वाली अधिकार प्राप्त समिति डी.डी.ए. फ्लैटों के बिना बारी आवंटन के मामलों पर विचार करती है। प्रत्येक स्कीम के 2.5% फ्लैट बिना बारी आवंटन के लिए नियत हैं। इनमें से 2% आबंटन अनुकंपा आधार पर और शेष 0.5% रिवार्ड के रूप में आबंटित किए जाते हैं। ऐसे आबंटनों के लिए निर्धारित प्रक्रिया को दर्शाने वाला विवरण-II संलग्न है।

(घ) एस.एफ.एस., एम.आई.जी., एल.आई.जी., ई.एच.एस. और जनता के अधीन जिन व्यक्तियों को बिना बारी आवंटन किए गए हैं उनके नाम संलग्न विवरण-III में हैं।

(ङ) अधिकार प्राप्त समिति ने बिना बारी आबंटन के 205 अनुरोधों को नामंजूर किया है।

विवरण-I

वर्ष	श्रेणी	आबंटित फ्लैटों की सं.	क्षेत्र
1997-98	एसएफएस श्रेणी-II।	03	वसंत कुंज, सरिता विहार
	एसएफएस श्रेणी-III।	04	द्वारका
	जनता	19	रोहिणी
	एलआईजी	36	नरेला, रोहिणी, कोंडली घरोली, मयूर विहार, नसीरपुर
	एमआईजी	48	द्वारका, झिलमिल, नरेला, नसीरपुर, कोंडली घरौली
	ईएचएस (टाइप--ए)	74	रोहिणी, नरेला, कोंडली घरौली
	ईएचएस (टाइप-बी)	22	नरेला
	कुल	211	
1998-99	एसएफएस श्रेणी-II	24	द्वारका, वसंत कुंज, रोहिणी, शालीमार बाग, पीरा गढ़ी
	एसएफएस श्रेणी-III।	23	द्वारका, शेख सराय, नरेला
	एलआईजी	07	लोनी रोड, दिलशाद गार्डन
	एमआईजी	06	द्वारका, लोनी रोड
	कुल	60	
1999-2000	एसएफएस श्रेणी-II	46	वसंत कुंज, द्वारका, शालीमार बाग, पीरागढ़ी, रोहिणी, सरिता विहार
	एसएफएस श्रेणी-III।	12	सरिता विहार, शेख सराय, वसंतकुंज, द्वारका
	एलआईजी	14	द्वारका, मयूर विहार
	एमआईजी	33	द्वारका, नसीरपुर, कोंडली घरौली, मयूर विहार
	ईएचएस (टाइप-ए)	07	बिंदापुर
	कुल	112	

विवरण-II

सामान्य पात्रता शर्तें

1. आवेदक अथवा उसकी/उसके पत्नी/पति के पास दिल्ली, नई दिल्ली और दिल्ली छावनी नगर सीमा के भीतर कोई रिहायशी मकान/फ्लैट नहीं होना चाहिए।

2. आवेदक की उम्र सामान्य रूप से 21 वर्ष से अधिक हो।

3. आवेदक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में लगातार पांच वर्ष की अवधि के लिए रहा हो। तथापि, रक्षा कार्मिक, जो अनुकंपा, रिवार्ड अथवा अन्य के रूप में बिना बारी आधार पर आबंटन के लिए आवेदन करते हैं, के प्रसंग में आवेदक अथवा उसकी/उसके पत्नी/पति दिल्ली में लगातार पांच वर्ष के लिए रही/रहा हो अथवा उसके/उसके वोकेशन ज्वाइन करने से पहले वह दिल्ली का निवासी हो।

4. आवेदक को विवेकाधीन आधार पर पहले कोई रिहायशी मकान/फ्लैट आबंटित नहीं हुआ हो।

डी.डी.ए. फ्लैटों के विवेकाधीन आवंटन के लिए पात्र व्यक्तियों की श्रेणी

(क) अनुकंपा आधार पर पात्रता

1. नेत्रहीन अथवा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति अथवा नेत्रहीन/शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति के अवयस्क होने की स्थिति में ऐसा व्यक्ति जो उसकी देखभाल कर रहा हो। सामान्य पूल आवास के तदर्थ आबंटन के लिए संपदा निदेशालय के शारीरिक को परिभाषित करने वाले अनुदेशों का किया जाए।

2. युद्ध में शहीद दिल्ली मूल के सैनिकों की विधवाएं जो दयनीय स्थिति में हों।

3. ऐसे व्यक्तियों के आश्रित जिनकी मृत्यु आतंकवादी गतिविधियों के कारण हुई हो।

(ख) रिवार्ड के रूप में पात्रता

1. विशिष्ट खिलाड़ी जिसने एशियाड और ओलंपिक में खिताब जीता हो अथवा जिसे अर्जुन/द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला हो।

2. कलाकार, साहित्यकार और संगीतकार जिन्हें पद्म पुरस्कार/साहित्य पुरस्कार मिला हो अथवा कला/साहित्य के अपने विशिष्ट क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार मिला हो।

3. वे वैज्ञानिक जिन्हें अपने संबंधित क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए पद्म अथवा अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला हो।

4. रक्षा कार्मिक (अथवा उनकी/उनके पत्नी/पति) जिन्हें वीरता पुरस्कार जैसे परमवीर चक्र/महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, शौर्य चक्र और कीर्ति चक्र मिला हो।

(ग) अन्य पात्र मामले

कोई भी व्यक्ति जिसने राष्ट्र की विशिष्ट सेवा की हो।

विवरण-III

एस.एफ.एस.

क्र.सं.	आवंटी का नाम
1	2
1.	श्रीमती सीमा सिंह
2.	मेजर जनरल आर.आर. ओबराय
3.	श्री ए.बी. सुबैया
4.	श्रीमती कृष्णा
5.	श्री अशोक कुमार
6.	श्रीमती टीना विक
7.	श्रीमती पदमा नेगी
8.	श्रीमती सुमन दहिया
9.	श्री त्रिनानांगकर सिन्हा
10.	कु. मीना
11.	श्री जे.पी. शर्मा
12.	श्री इंदरजीत सचदेवा
1.4.98 से 31.3.99 तक	
1.	कु. सुगीता कत्याल
2.	कु. नीलम सिकरी
3.	कु. मीना सैनी
4.	श्री संतोष कुमार रंगला
5.	श्री सुरेश गुप्ता
6.	ले. कर्नल रामेश्वर लाल
7.	श्री सुन्दर श्याम
8.	श्रीमती मीनाक्षी और श्री अशोकमोन्गाहा
9.	कु. मधु ठाकुर
10.	श्री नमिता खैरा
11.	डा. कमाल कामरा
12.	श्री रविन्दर जैन

1	2
13.	कर्नल एस.एस. पठानिया
14.	श्री रामचन्दर दास
15.	श्री मधु आर दण्डवते
16.	श्री राम अवधेश सिंह
17.	श्री चिमन भाई मेहता
18.	श्री राज मोहन गांधी
19.	श्री वाई जियाउद्दीन टूसी
20.	श्री संदीप भयाला
21.	श्री अयूब खान
22.	श्री एस.एल. खुल्लर
23.	श्री मनोज प्रभार
24.	श्री मोहिन्दर पाल सिंह
25.	श्री रचल थॉमस
26.	कर्नल के.एस. राव
27.	श्री रंधीर सिंह
28.	मेजर राजिन्दर सिंह
29.	श्रीमती रिचा भटनागर
30.	श्री ओम बीर सिंह
31.	श्रीमती प्रभा देवी
32.	कर्नल ओ.पी. देसवाल
33.	श्री मुराद ए खान
34.	श्री अमित खन्ना
35.	श्री हरिन्दर सिंह
36.	श्री सुदेश कुमार
37.	श्री जे.एस. आहलूवालिया
38.	ले. कर्नल आर.एस. सोढी
39.	श्री सुभाष वर्मा
40.	श्रीमती अनिता दत्त

1	2
41.	श्री अधा अशोक दिवान
42.	श्री दीपक वर्मा
43.	श्री कृष्ण मोहिन
44.	श्री प्रवीन कुमार
45.	श्री बाल किशन
46.	जस्टिस एस.आर. पाण्डियन
47.	श्री सच्चिदानन्द
1.4.1999 से 31.3.2000 तक	
1.	श्री कृष्ण कुमार आनन्द
2.	श्री जगजीत सिंह
3.	श्रीमती शालू भाटिया
4.	श्री विकास
5.	श्रीमती प्रकाश शर्मा
6.	श्री दिनेश अरोड़ा
7.	श्री अलीमुद्दीन
8.	श्रीमती वीना एण्डसे
9.	श्री सतवान शर्मा
10.	श्रीमती कौशल्या देवी
11.	श्री देसराज
12.	श्रीमती संतोष यादव
13.	कु. सविता दलाल
14.	श्रीमती मालविका सर्का
15.	श्री अमरजीत
16.	श्री राजू प्रसाद
17.	श्री गुलशन
18.	श्री रमा कान्त
19.	श्री राजू
20.	श्री बलराज

1	2
21.	श्री त्रिलोक चन्द
22.	श्री अशोक कुमार
23.	श्री संजय गुप्ता
24.	श्री इल्यास
25.	श्री विपिन कुमार मल्होत्रा
26.	श्री आर.पी. सिंह
27.	श्री यू.एस. साजवान
28.	श्री प्रकाश सिंह यादव
	[illegible] पाण्डे
	[illegible]न्ती देवी
31.	श्री नरेश कुमार अरोड़ा
32.	श्री सुरेश गुप्ता
33.	श्री जसबीर सिंह राही
34.	श्री सचिन कुमार
35.	श्री गुनीत अरोड़ा
36.	श्री ललिता गिल
37.	श्री संजीवन कुशवाहा
38.	सुश्री शिल्पी सिंह
39.	श्री सुभाष चन्द रूपेला
40.	श्री जगमोहन
41.	श्रीमती चमेली देवी
42.	श्रीमती अर्चना मांगल
43.	श्रीमती सुदेश हदे सिंह
44.	श्रीमती बीना
45.	श्रीमती तानिया कपूर
46.	श्री कुमार मुकेश
47.	श्री अब्दुल अजीज
48.	मेजर जनरल वी.के. भास्कर
49.	श्रीमती काजल बत्रा
50.	श्रीमती विनाता वर्मा
51.	ले. जनरल (रिटायर्ड) एस.के. सिंहा
52.	श्रीमती सरोज देवी
53.	श्री हर के राम
54.	श्री कुलदीप
55.	श्री जसवंत सिंह
56.	सुश्री मीरा प्रियदर्शिनी
57.	श्री एस.एस. नेगी
58.	श्रीमती स्नेह लता नागपाल
1.	श्री प्रकाश चन्द
2.	श्री थान सिंह छाबड़ा
3.	श्री राम अवतार शर्मा
4.	श्री आर.आई. खान
5.	श्री नरमिन प्रसाद सरन
6.	श्री भोल सिंह
7.	श्री सत्यवेन्द्र डागर
8.	श्री अतुल मागा
9.	सुश्री अनुराधा सिंह
10.	मो. आकिल
11.	श्री काशी राम
12.	श्री शीलर एन्ड्रयूज
13.	श्री एम.के. हान्डू
14.	श्रीमती बिमला यादव
15.	श्री विशाल दुआ
16.	श्री मुन्नालाल मिश्र
17.	श्री वीरेन्द्र पाल
18.	शमा शर्मा

1	2
19.	चन्दर कौर
20.	श्री जे.पी. पाण्डे
21.	आशा जुनेजा
23.	छोटेलाल
24.	किशन चन्द
25.	बिशन लाल
26.	सुनित गोयल
27.	मेला राम
28.	ममता
29.	दरसहना
30.	शीला माथुर
31.	सुल्तान सिंह नेगी
32.	कुमारी शशि
33.	नसीम अहमद
34.	शिव कुमार मेरखन
35.	मो. शब्बर
36.	केदारनाथ
37.	सुरभिवन
38.	सुभाष चन्द
39.	मुनीश कुमार
40.	राकेश गिरी
41.	उषा रानी
42.	वेद नाथ
43.	शीषपाल
44	कन्हैया लाल
45.	मुखतियार अहमद
46.	जनेश्वर झा
47.	खेमचन्द शर्मा

1	2
48.	विजय कुमार गोस्वामी
49.	चौका राज
50.	सोहराब खान
51.	विक्रम सिंह
52.	हरमिन्दर पाल सिंह
53.	राम पाल
54.	राजेश कुमार
55.	अजय कुमार गुप्ता
56.	रोचित खन्ना
57.	मुकेश कुमार मित्तल
58.	आर.एस. कपूर
59.	मोहिन्दर सिंह
60.	सपन कुमार
61.	भाल चन्द
62.	होती लाल पीपल
63.	सोमा देवी
64.	राजू शंकर
65.	विशन सिंह
66.	संदीप सोनी
67.	रवी कुमार
68.	कमलेश सी. गुप्ता
69.	सुनील कुमार
70.	राजेन्द्र प्रसाद
71.	भूपिन्दर सिंह
एल.आई.जी.	
1.	मिस तृप्ता रानी
2.	सुभाष चंद
3.	जसवंत सिंह गिल

1	2
4.	दीपक मलिक
5.	संदीप कुमार
6.	आर.के. मल्होत्रा
7.	श्रीमती साधना तलवार
8.	चरनजीत सिंह
9.	सत पाल चड्डा
10.	राम गापोल
[illegible]	[illegible]नीता कुमारी
[illegible]	[illegible]जात सिंह
13.	त्रिलोकी नाथ
14.	गुरूचरण सिंह
15.	उपेन्द्र सिंह बिष्ट
16.	इन्दर प्रकाश मेहता
17.	श्रीमती सरस्वती देवी
18.	संजय कुमार
19.	विल्सन मेसी
20.	कन्वरजीत सिंह
21.	भारत भूषण
22.	करन सिंह
23.	हंसमुखराय व्यास
24.	गोपाल सिंह रावत
25.	कुमारी कुकु
26.	मिस रेखा
27.	चरण सिंह
28.	कुमारी सोनिका
29.	हरिश चन्दर
30.	मदन लाल
31.	सत्या देवी
32.	देविका देवी
33.	मोहन लाल सोनी
34.	शशि बाला
35.	मिस तसमीना
36.	वशिष्ट प्रसाद
37.	उषन रानी शर्मा
38.	सुरेश कुमार
39.	के पुष्पा राज
40.	कृष्णा कुमार भारद्वाज
41.	अशोक
42.	गुलशन कुमार
43.	मनमोहन सूरी
44.	अमर सिंह
45.	रमेश चन्द
46.	एम.एस. महेन्द्री
47.	सतीश कुमार
48.	मेमलता
49.	प्रकाश चंद
50.	मोहिन्दर सिंह
51.	अशोक कुमार
52.	सतवंत बेदी
53.	जसोटा
54.	शाह आलम
इ.डब्ल्यू.एस.	
1.	पी.एस. मोहन नायर
2.	उषा चावला
3.	आई.एल. भाटिया
4.	ज्योति खन्ना

1	2
5	पंकज शर्मा
6.	धर्म देव बिशन
7.	जयकुमार
8.	अमल एम. दचेरा
9.	गोपाल दत्त पांडेय
10.	महेश कुमार
11.	सुरीन्दर कुमार
12.	राजेश कुमार तिवारी
13.	बसंत टूर
14.	नीलम रानी
15.	प्रवीन कुमार जैन
16.	आई.के. अग्रवाल
17.	दीपचन्द
18.	गुलाब चंद
19.	श्रीमती सुनीता
20.	भुपेन्दर
21.	रामेश्वर वर्मा
22.	रमेश कुमार
23.	हीरा लाल
24.	रामपाल सिंह
25.	निर्भय दास
26.	केशव यादव
27.	अनिल कपूर
28.	बिशन सिंह
29.	सुनील कुमार जैन
30.	अशोक कुमार
31.	आभा केतार
32.	कु. भारिया

1	2
33.	राम चन्दर
34.	राजबीर सिंह
35.	यामीन खान
36.	शशि बाला
37.	त्रिलोक राज चोपड़ा
38.	उमेद सिंह मान
39.	कृपाल सिंह
40.	प्रकाश चंद
41.	कु. शर्मिला पालिनी
42.	यश पाल मिनोचा
43.	भीम सेनालिन बाली
44.	संजीव मिश्रा
45.	प्रहलाद कुमार
46.	गोंदा सिंह
47.	धरम सिंह
48.	वसीमुद्दीन
49.	रचना कौल
50.	संजय भान
51.	रोहताश सिंह राघव
52.	ओम दत्त त्यागी
53.	रजिन्दर दास
54.	सुरेश लाल गोस्वामी
55.	याकूब खान
56.	मंगल राम
57.	शिवधानी
58.	एस. अरूणाचलम
59.	कृष्ण देव सिंह
60.	मनोहर लाल

1	2
61.	डी.के. शर्मा
62.	पवन कुमार
63.	जफर इस्लाम
64.	कन्हैया लाल
65.	राधन शर्मा
66.	डेविड एरिक चौबे
67.	एम.डी. शर्मा
68.	गंगा राम
	सिंह
70.	महेश चंद
71.	कु. सुनीता रानी
72.	डी.आर. शर्मा
73.	भगत सिंह
74.	रूपेन्दर
75.	एक राम
76.	उमेश
77.	हीरा लाल
78.	कैलाश चंद
79.	संजीव मामचंद
80.	प्रीत सिंह
81.	बुलू चक्रवर्ती
82.	सत्यवीर सिंह
83.	कुमारी कांता देवी
84.	दीपक कुमार
85.	राम सागर
86.	अशीष गौड़
87.	अब्दूल खलीफ
88.	कदम सिंह
89.	विजय राज
90.	ए.के. भटनागर
91.	श्रीमती स्वर्णलता
92.	नूतन मल्होत्रा
93.	तेज प्रकाश
94.	कविता गोयल
95.	ब्रिज मोहन चोपड़ा
96.	हरबीन कुमार
97.	संजय दासौर
98.	पुरन चंद
99.	लचीराम
100.	अनिल कुमार शर्मा
101.	रतन कुमार सिंह
102.	जितेन्दर
103.	बीना साहनी
104.	कैलास सिंह
105.	कृष्ण गोपाल
106.	अंजनी कुमार
107.	मातादीन
108.	ब्रिज मोहन भान
109.	सैयद हुसैन
110.	सरोज यादव
111.	ए.के. मुखर्जी
112.	मिस नाजराखातून
113.	राम सिंह
114.	जी.सी. अटल
115.	विरेन्दर

1	2
जनता	
1.	आईसा खातून
2.	फूला रानी थापर
3.	उषा देवी
4.	ए.एस. अंगत
5.	तारा चंद
6.	मो. अनीज
7.	मधु बडैरा
8.	महाबीर सिंह
9.	नीता अचार्या
10.	मारगेट
11.	प्रेम लता
12.	प्रदीप कुमार पतनी
13.	रेणु टंडन
14.	डेविड
15.	बलवीर सिंह
16.	लक्ष्मी देवी
17.	मामचंद
18.	ब्रह्मदेव मिश्रा
19.	राजू
20.	बाबूलाल
21.	ब्रिजेश कुमार
22.	ए वाकफील्ड
23.	अनुराधा कपूर
24.	राजा राम
25.	बिमला रानी
26.	बाबूलाल कौशिक

[हिन्दी]

अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान और चिकित्सा विज्ञान संस्थान, कलकत्ता

4635. श्री प्रिय रंजन दासमुंशी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को हाल ही में अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान और चिकित्सा-विज्ञान संस्थान, कलकत्ता के प्रोजेक्ट आफिसर और अन्य कर्मचारियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है अथवा करने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) से (ग) भारत सरकार के अधीन अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान और चिकित्सा विज्ञान संस्थान, कलकत्ता नामक कोई संस्थान नहीं है। तथापि, अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान और जन-स्वास्थ्य संस्थान, कलकत्ता के परियोजना कर्मचारियों से उनकी सेवाओं को नियमित करने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इस विषय पर मौजूदा नीति/नियमों को देखते हुए उन पर विचार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

कालेजों में रेगिंग

4636. श्री रामपाल सिंह :
श्री अशोक पटेल :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शैक्षिक संस्थाओं में रैगिंग के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करने और उसे एक संज्ञेय अपराध घोषित करने के लिए राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों को निदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त निदेश कब तक प्रभावी होंगे?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील): (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार आयोग ने शैक्षिक संस्थाओं में रैगिंग के जोखिम को समाप्त करने के लिए सभी

विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग समिति की रिपोर्ट परिचालित की है। समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की है कि केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारें ऐसा विधान लागू करें जिसके द्वारा शैक्षिक संस्थाओं में रैगिंग का निषेध हो, रैगिंग को एक संज्ञेय अपराध के रूप में समझा जाए और किए गए अपराधों की गंभीरता को ध्यान में रखकर उपयुक्त दण्ड निर्धारित किया जाए। आशा है कि विश्वविद्यालयों द्वारा प्रासंगिक सिफारिशें 29.1.2000 तक कार्यान्वित की जाएंगी।

सी.जी.एच.एस. के तहत भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी

4637. डा. गिरिजा व्यास : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत भारतीय न और होम्योपैथी शुरू किये जाने के क्या कारण हैं;

(ख) भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी प्रणाली के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत अन्य चिकित्सा पद्धतियों की तरह भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी प्रणाली के चिकित्सकों को सम्मिलित किये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी प्रणाली के चिकित्सकों को नियुक्त न करके सरकार ने दिल्ली और दिल्ली के बाहर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत आधुनिक चिकित्सा प्रणाली के विस्तार और विकास के लिये पर्याप्त कदम नहीं उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी सहित चिकित्सा की सभी पद्धतियों को लागू करने की सरकार की नीति के अनुसार केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना लाभार्थियों के लाभ के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत डाक्टरों के समान भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के डाक्टरों की भर्ती की जाती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) वित्त मंत्रालय के एस.आई.यू. दल को भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी औषधालयों/एककों के कार्यकरण का अध्ययन करना है। एस.आई.यू. दल की सिफारिशों के प्राप्त होने और उसे सरकार द्वारा कार्यान्वित किए जाने तक केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत चिकित्सा की भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी पद्धति का कोई विस्तार नहीं किया जा सकता।

राज्यों में अस्पताल/मेडिकल सेन्टर

4638. श्रीमती श्यामा सिंह : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्यों विशेषकर बिहार में उचित स्वास्थ्य देख रेख सुविधाओं के अनुपलब्ध होने के कारण, लोग दिल्ली आकर विभिन्न केन्द्र सरकार के अस्पतालों में अपना उपचार कराते हैं;

(ख) क्या कुछ राज्य सरकारें अपने नागरिकों को न्यूनतम अपेक्षित स्वास्थ्य देख रेख सेवाएं उपलब्ध कराने में भी विफल रही हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार राज्य सरकारों द्वारा अपने नागरिकों को न्यूनतम स्वास्थ्य देख रेख सेवा उपलब्ध कराने में विफल होने की स्थिति में राज्यों में केन्द्रीय अस्पताल स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) से (ङ) भारत के संविधान के अंतर्गत "स्वास्थ्य" राज्य का विषय है। यह राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है कि वे अपनी प्राथमिकता और संसाधनों की उपलब्धता के मद्देनजर अपने संबंधित राज्य में लोगों को स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं उपलब्ध कराएं।

दिल्ली के केन्द्रीय सरकारी अस्पताल लोगों को उनकी जाति, पन्थ, धर्म और उनके संबंधित स्थान पर ध्यान दिए बिना स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं प्रदान करते हैं। पड़ोसी राज्य और बिहार के लोग इन केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा उपचार का लाभ अवश्य उठाते हैं।

लड़कियों के लिए तकनीकी महाविद्यालय

4639. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विशेषकर लड़कियों की उच्च शिक्षा के लिए कोई तकनीकी महाविद्यालय है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) राजस्थान और अन्य राज्यों में सिर्फ लड़कियों के लिए मानित विश्वविद्यालय स्तर पर ऐसी संस्थाओं को स्थापित करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील): (क) से (घ) देश भर में लड़कियों के लिए विशेष रूप से सात तकनीकी कॉलेज हैं–राजस्थान, दिल्ली और तमिलनाडु में एक-एक तथा महाराष्ट्र में चार। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाले उस संस्थान को सम-विश्वविद्यालय के रूप में घोषित करने की सलाह देती है जिसके संबंध में जब कभी भी इस तरह का कोई प्रस्ताव प्राप्त हो।

रियल इस्टेट को उद्योग का दर्जा देना

4640. डा. जसवंत सिंह यादव : क्या **शहरी रोजगार और गरीब उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रियल इस्टेट को उद्योग का दर्जा देने के लिए सभी राज्यों के आवास मंत्रियों की कोई बैठक हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या परिणाम निकले?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) से (ग) राज्यों के आवास मंत्रियों के 8-9 जून, 1998 को नई दिल्ली में हुए पिछले सम्मेलन में ऐसी कोई अनुशंसा नहीं की गई थी। तथापि, आवास को उद्योग का दर्जा देने की मांग विभिन्न मंचों से उठाई जाती रही है। सरकार ने आई.डी.बी.आई. अधिनियम के तहत अब दिनांक 2.3.2000 की अधिसूचना संख्या-19(2)/99-आई.एफ. I द्वारा निर्माण सेक्टर को उद्योग का दर्जा दे दिया है।

अधिनियमों में संशोधन

4641. श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति :
श्री नरेश पुगलिया :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने अंततः संपत्ति पंजीयन अधिनियम, संपत्ति अंतरण अधिनियम और भारतीय स्टाम्प अधिनियम को संशोधित करने का निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अधिनियमों में संभावित संशोधनों का ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या अधिनियमों में प्रस्तावित संशोधनों से भूमि और संपत्ति की कीमतों पर कोई प्रभाव पड़ेगा;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ङ) प्रस्तावित अधिनियमों से संपत्तियों में होने वाले अवैध लेन-देन को रोकने में कहां तक मदद मिलेगी?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) नई दिल्ली में दिनांक 14 सितंबर, 1998 को केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा आयोजित राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य मंत्रियों और वित्त मंत्रियों के सम्मेलन में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित निष्कर्ष निकले:-

(1) पंजीयन अधिनियम 1908 पर सर्वसम्मति थी कि धारा 30(2) का निरसन किया जाए।

(2) निश्चित समय अवधि के लिए पावर ऑफ ऑटोरनी की शक्ति की विधि मान्यता पाई गई और सर्वसम्मति से यह विचार किया गया कि पंजीयन के दस्तावेजों पर निष्पादकों के फोटोग्राफ और अंगुलछाप (फिंगरप्रिंट्स) को अनिवार्य बनाया जाए। सामान्य पावर आफ अटोरनी के अनिवार्य पंजीकरण के लिए सर्वसम्मति थी जो अचल संपत्ति की बिक्री तथा पंजीयन अधिनियम इंडियन स्टैंप एक्ट एवं ट्रांसफर ऑफ प्रापर्टी एक्ट में अनुवर्ती संशोधन किए जाने के लिए संविदा के रूप में हो।

(3) रिकार्डों के पंजीयन के कम्प्यूटरीकरण के प्रस्ताव पर सर्व सम्मति थी।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता चूंकि सरकार उपर्युक्त सिफारिशों के आलोक में उपयुक्त संसदीय विधान के द्वारा उक्त सिफारिशों को प्रभावी बनाने के मुद्दे की जांच कर रही है।

[हिन्दी]

किसानों को निशुल्क उर्वरक उपलब्ध कराना

4642. श्री उत्तम राव पाटील : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का छोटे किसानों को राहत पहुंचाने के लिए उन्हें निशुल्क उर्वरक और यूरिया उपलब्ध कराने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

[illegible] और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश [illegible]): [illegible] से (ग) छोटे किसानों को यूरिया की निःशुल्क [illegible] का कोई प्रस्ताव नहीं है। यूरिया एकमात्र उर्वरक है जो सरकार के मूल्य, वितरण एवं संचलन नियंत्रण में है एवं अन्य सभ उर्वरक नियंत्रणमुक्त हैं। सरकार प्रतिधारण मूल्य योजना के अंतर्गत यूरिया पर एवं नियंत्रणमुक्त उर्वरकों के लिए कृषि एवं सहकारिता विभाग की रियायती योजना के अन्तर्गत सब्सिडी प्रदान कर रही है। यूरिया का अधिकतम खुदरा मूल्य 4600/- रुपए प्रति मी. टन है जबकि नियंत्रणमुक्त उर्वरकों का निर्देशक अधिकतम खुदरा मूल्य संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

नियंत्रणमुक्त उर्वरकों का अधिकतम खुदरा मूल्य

(रु. प्रति मी. टन)

उर्वरक	
डाई-अमोनियम फास्फेट (डी ए पी)	8900
म्यूरिएट आफ पोटाश (एम ओ पी)	4255
सिंगल सुपर फास्फेट (एस एस पी)	*
कम्पलैक्स	
10 : 26 : 26	7880
12 : 32 : 16	7960
14 : 28 : 14	7820
14 : 35 : 14	8100
15 : 15 : 15	6620
16 : 20 : 0	6740
17 : 17 : 17	7680
19 : 19 : 19	7840
20 : 20 : 0	6880
23 : 23 : 0	7540
28 : 28 : 0	8520

*राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित मूल्य।

[अनुवाद]

अशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा

4643. श्री लक्ष्मण सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार अशक्त बच्चों हेतु समेकित शिक्षा योजना (आई.ई.डी.सी.) के अंतर्गत कितने विद्यालयों को शामिल किया गया है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न राज्यों को कितनी धनराशि स्वीकृत और जारी की गई;

(ग) राज्यों द्वारा उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या 18 वर्ष की आयु तक के अशक्त बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील): (क) विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा योजना के अधीन शामिल स्कूलों की संख्या के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिये गये हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा योजना के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न राज्यों को संस्वीकृत राशियों के संबंध में सूचना संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ग) राज्य सरकारें संस्वीकृत राशि का उपयोग करने के पश्चात् व्यय विवरण प्रस्तुत करती हैं जिसमें उपयोग किए जाने का ब्यौरा होता है, जिसके आधार पर अव्ययगत शेष के समायोजन के पश्चात् आगे अनुदान निर्मुक्त किया जाता है।

(घ) और (ङ) विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिनियम 1995 (समान अवसर, अधिकारों की रक्षा और पूर्ण भागेदारी) में उल्लिखित है कि उपयुक्त सरकारें तथा स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक विकलांग बच्चे को 18 वर्ष की आयु तक उचित वातावरण में निशुल्क शिक्षा मिल सके।

विवरण-I

स्कूलों की संख्या-राज्य-वार (आई.ई.डी.सी.)

(राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा दी गई सूचना

क्र.सं.	राज्य का नाम	स्कूलों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	45
2.	अरूणाचल प्रदेश	4
3.	असम	578
4.	बिहार	97
5.	गुजरात	1330
6.	हरियाणा	748
7.	हिमाचल प्रदेश	1800
8.	जम्मू और कश्मीर	**
9.	कर्नाटक	1782
10.	केरल	6748
11.	मध्य प्रदेश	2075
12.	मणिपुर	269
13.	महाराष्ट्र	39
14.	मिजोरम	417
15.	नागालैंड	316
16.	उड़ीसा	139
17.	पंजाब	24
18.	राजस्थान	55
19.	तमिलनाडु	63
20.	त्रिपुरा	35
21.	उत्तर प्रदेश	32
22.	पश्चिम बंगाल	73
23.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	120
24.	चंडीगढ़	**
25.	दिल्ली	118
26.	दमन और दीव	78
27.	दादरा और नगर हवेली	2
28.	पांडिचेरी	2
	कुल	16989

**सूचना उपलब्ध नहीं

विवरण-II

विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा (आई.ई.डी.सी.) हेतु राज्यों/संघ शासित प्रदेशों (गैर-सरकारी संगठनों) को सहायता

क्र सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	जारी की गई राशि (रु. लाखों में) योजनागत		
		1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	44.21	122.52	29.57
2.	अरूणाचल प्रदेश	1.00	—	—

1	2	3	4	5
3.	असम	13.00	—	—
4.	बिहार	—	—	—
5.	गुजरात	106.23	41.60	323.44
6.	हरियाणा	25.17	10.65	86.38
7.	हिमाचल प्रदेश	51.04	—	96.63
8.	जम्मू और कश्मीर	—	—	—
9.	कर्नाटक	145.42	57.48	116.74
		240.14	218.10	236.27
11.	मध्य प्रदेश	120.78	127.34	55.19
12.	मणिपुर	25.85	26.56	45.17
13.	महाराष्ट्र	14.53	50.07	—
14.	मिजोरम	6.94	11.46	15.50
15.	नागालैंड	7.15	5.75	5.75
16.	उड़ीसा	74.45	45.80	109.73
17.	पंजाब	—	—	—
18.	राजस्थान	30.09	71.88	—
19.	तमिलनाडु	16.45	34.91	62.18
20.	त्रिपुरा	3.42	—	23.31
21.	उत्तर प्रदेश	8.44	5.97	24.82
22.	पश्चिम बंगाल	10.95	6.68	12.00
23.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	14.82	14.25	16.62
24.	चंडीगढ़	—	—	—
25.	दिल्ली	38.24	28.67	29.42
26.	दमन और दीव	0.31	0.31	0.26
27.	दादरा और नगर हवेली	—	0.38	—
28.	पांडिचेरी	—	—	1.04
	कुल	998.63	880.18	1290.02

[हिन्दी]

स्वास्थ्य नीति के संबंध में राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन

4644. श्रीमती रेणु कुमारी :
श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में स्वास्थ्य नीति पर राष्ट्रीय स्तर का कोई सम्मेलन हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें क्या सुझाव दिए गए;

(ग) क्या सरकार ने इस आधार पर कोई नीति तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(च) इसे कब तक प्रभावी बनाए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) से (ङ) राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के प्रारूप पर 8-10 अप्रैल, 1999 को नई दिल्ली में हुई केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिषद के छठे सम्मेलन में विचार-विमर्श किया गया। इस परिषद ने सुझाव दिया कि निगरानी प्रणालियां बनाने, सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग, भारतीय चिकित्सा पद्धति के साथ एकीकरण, आचार शास्त्र से संबंधित मुद्दों, देखभाल की गुणवत्ता इत्यादि की कार्यनीतियों की और गहराई से जांच की जाए। तदनुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के प्रारूप में सभी सुझावों को सम्मिलित करने के लिए इसका उपयुक्त रूप से पुन: प्रारूप बनाया जा रहा है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय पोषाहार मिशन

4645. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले :
श्री चन्द्रकांत खैरे :
श्री राम मोहन गाड्डे :
श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे :
श्री रतन लाल कटारिया :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 7 मार्च, 2000 के "द हिन्दु" में "नेशनल न्यूट्रीशन मिशन ऑन एन्विल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसकी विशाल यात्रा के मद्देनजर केवल राज्य सरकारों द्वारा कुपोषण और सुरक्षा के मुद्दे पर ध्यान दिया जाना संभव हो सकेगा;

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में स्वयंसेवी क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों का अंशदान सुनिश्चित करने और सामुदायिक भागीदारी के विशेष संदर्भ में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) कुपोषण के कारण प्रतिवर्ष कितने व्यक्तियों की मृत्यु हो रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) और (ख) जी, हां। प्रस्तावित राष्ट्रीय पोषाहार मिशन का उद्देश्य (1) कुपोषण के बारे में व्यापक जागरूकता अभियान; (2) अधिक कुपोषण वाले जिलों में प्रत्यक्ष उपायों; और (3) पोषाहार प्रबोधन, मानचित्रण और निगरानी, के माध्यम से कुपोषण की समस्या को हल करना है।

(ग) केन्द्र और राज्य सरकारों दोनों को, विशेषकर परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, कृषि और बागवानी, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, ग्रामीण विकास तथा सूचना और प्रसारण क्षेत्रों को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी।

(घ) प्रस्ताव में स्वैच्छिक क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों और समुदाय की सक्रिय भागीदारी परिकल्पित है।

(ङ) कुपोषण मृत्यु का प्रत्यक्ष कारण नहीं है, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से इसके परिणामस्वरूप प्रतिरक्षा क्षमता कम हो जाती है, जिससे गम्भीर बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए, पोषाहारीय समस्याओं के कारण मरने वाले लोगों की संख्या का अनुमान लगाना कठिन है।

समुद्री सम्पदा

4646. श्री हरीभाऊ शंकर महाले : क्या **महासागर विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समुद्र में खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के विशाल संसाधन हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में भारत की क्या स्थिति है; और

(ग) इन संसाधनों का पता लगाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) भारत के तट के समीप अन्तः समुद्री क्षेत्र के समुद्र संस्तर तथा अन्तःमृदा में खनिज, तेल व प्राकृतिक गैस के बारे में जानकारी मिली है।

(ख) और (ग) वर्तमान में सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम पैट्रोलियम व प्राकृतिक गैस से संबंधित हैं। इस क्षेत्र में सरकार ने, अनन्य आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत तेल व गैस के सर्वेक्षण वेधन, अन्वेषण व विदोहन जैसे कदम उठाए हैं।

खनिज निक्षेपों की पहचान के लिए आवधिक रूप से सर्वेक्षण भी किए जाते हैं। अब तक तटीय क्षेत्रों के समीप भारी खनिज बालू, उच्च श्रेणी चूना निक्षेप तथा फॉसफेटित तलछट व स्थल सहित विभिन्न निक्षेपों की पहचान की गई है।

होटलों पर नई दिल्ली पालिका परिषद का बकाया

4647. डा. सी. कृष्णन् : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में उन होटलों का ब्यौरा क्या है जिन्हें नई दिल्ली पालिका परिषद को लाइसेंस-शुल्क और अन्य बकाया राशि का भुगतान करना है;

(ख) सरकार द्वारा इन हाटलों से इस बकाया राशि की तत्काल वसूली करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या इन होटलों की कोई सूचना जारी की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) नई दिल्ली नगर परिषद से पट्टे पर परिसर प्राप्त निम्नलिखित होटलों को नई दिल्ली नगर परिषद को लाइसेंस फीस अदा करनी है:-

1. सी.जे. इन्टरनैशनल 2. प्रोमीनेंट होटल्स 3. सुनायेर 4. ताजमहल

(ख) जहां तक लाइसेंस फीस की वसूली की बात है, तो नई दिल्ली नगर परिषद द्वारा समय-समय पर लाइसेंस विलेख की शर्तों एवं निबन्धनों के अनुसार बिजली काट देने, लाइसेंस रद्द कर देने तथा लोक परिसर अधिनियम, के तहत अभियोजन चलाने आदि की कार्रवाई की गई है।

(ग) जी, हां।

(घ) 1. सी.जे. इन्टरनैशनल होट्ल लिमिटेड-मामला दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायाधीन है।

2. प्रोमिनेन्ट होटल्स प्राइवेट लिमिटेड : लाइसेंसधारी ने बेदखली के विरूद्ध दिल्ली उच्च न्यायालय से स्थगन प्राप्त किया है। तथापि बेदखली हेतु परिसर में प्रवेश करने और क्षति पूर्ति (डेमेजिस) की वसूली के लिए एस्टेट आफिसर, एन.डी.एम.सी. की कोर्ट में कार्रवाई की गई है।

3. होटल सुनेयर: मामला दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायाधीन है।

4. ताज महल होटल : लाइसेंसधारी कुल कारोबार के आधार पर मौजूदा मांग के अनुसार बकाया राशि का भुगतान कर रहा है।

स्कूल की पुस्तकों में क्षेत्रीय पहचान

4648. श्री चन्द्र भूषण सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 11 जनवरी, 2000 के "द हिन्दू" में "रिजनल आईडेन्टीज स्ट्रांग इन हिस्ट्री बुक्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विभिन्न विषय क्षेत्रों में शामिल कामन कोर वाले राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचे के आधार पर एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की परिकल्पना है। राज्य सरकारों से अपेक्षा है कि वे इस ढांचे के दिशानिर्देशों तथा एन.सी.ई.आर.टी. की संशोधित पाठ्यपुस्तकों के आधार पर अपनी-अपनी स्कूल प्रणाली में स्कूली पाठ्यचर्या और पाठ्य पुस्तकों, पाठ्य विवरण के संशोधन के लिए चरण बद्ध ढंग से इसे अपनाएगी या अपने अनुकूल बनाएगी।

देश के अधिसंख्य स्कूल राज्य सरकारों के नियंत्रण में हैं तथा अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में स्कूली शिक्षा के सभी मामलों (जिसमें पाठ्यचर्या और पाठ्यपुस्तकों का निर्धारण शामिल है) में उन्हें पूर्ण स्वायत्तता है। राज्य सरकारों/बोर्डों द्वारा निर्धारित पाठ्यपुस्तकों में

क्षेत्रीय/स्थानीय घटनाओं को शामिल किए जाने की मात्रा के बारे में उनके द्वारा निर्णय लिया जाता है।

आतंकवादियों को प्रशिक्षण

4649. श्री आर.एल. भाटिया :
श्री अब्दुल हमीद :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विघटनकारी गतिविधियों के लिए आतंकवादियों को प्रशिक्षण देने और उनकी सहायता करने में कौन-कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेन्सियां शामिल हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कितने आतंकवादी पकड़े और कितने आतंकवादी हिरासत में रखे गये?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी.एच. विद्यासागर राव): (क) देश के विभिन्न भागों में गड़बड़ी फैलाने की दृष्टि से पाक आई.एस.आई. उग्रवादियों को प्रशिक्षण देने सहित उनकी मदद करने, उन्हें उकसाने और उनको समर्थन देने में अधिकांशतः संलिप्त है।

(ख) केन्द्र सरकार यह सूचना नहीं रखती है।

स्लम स्कंध

4650. श्री शीशराम सिंह रवि : क्या **शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्लम स्कंध का स्वतंत्र एवं सांविधिक निकाय बनाने के संबंध में सुझाव दिये गये हैं जिससे यह आवास निगमों तथा विश्व बैंक से बातचीत कर सके; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कुपोषण

4651. श्री सी. श्रीनिवासन : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान विश्व बैंक की इस रिपोर्ट की ओर गया है कि भारत को कुपोषण के कारण उत्पादकता में कमी, रोगों और मृत्यु के संदर्भ में लगभग 1000 करोड़ रुपये की हानि उठानी पड़ेगी और इससे बाल मृत्यु दर को कम करने के प्रयास भी प्रभावित होंगे;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) कुपोषण और इसके कुप्रभावों से संबंधित सर्वेक्षण किस एजेंसी द्वारा किस वर्ष में किया गया; और

(घ) तमिलनाडु में कुपोषण किस सीमा तक व्याप्त है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) जी, हां। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार कुपोषण से देश पर उत्पादकता में हानि, बीमारी और मौत और बाल मृत्यु दर को कम करने के लिए प्रयासों को धक्का लगने के कारण 10 बिलियन अमरीकी डालर (1000 करोड़ रुपये) की हानि उठानी पड़ेगी।

(ख) सरकार ने देश में अल्प पोषण की समस्या का सामना करने के लिए राष्ट्रीय पोषण नीति, 1993 और राष्ट्रीय पोषण कार्य-योजना 1995 (मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित) पारित की है। जनसंख्या की पोषण स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा अपनाये गए विभिन्न उपाय इस प्रकार हैं:-

* सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से रियायती दरों पर अनिवार्य खाद्य पदार्थों की उपलब्धता।
* आयोत्पादक योजनाओं के माध्यम से लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाना।
* जागरूकता बढ़ाने और स्तनपान को बढ़ावा देने समेत खाने-पीने की आदतों में वांछित परिवर्तन लाने के लिए पोषण शिक्षा।
* पूरक आहार कार्यक्रम जैसे :

(1) एकीकृत बाल विकास सेवा योजना,

(2) विशेष पोषण कार्यक्रम,

(3) बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम,

(4) गेहूं आधारित पूरक पोषण कार्यक्रम, और

(5) मध्याह्न भोजन कार्यक्रम

* प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के एक अंग के रूप में विटामिन "ए" की कमी के कारण दृष्टिहीनता और लौह की कमी के कारण पोषणिक रक्ताल्पता की रोकथाम करने के लिए राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम रोग निरोधन कार्यक्रम जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से विशिष्ट पोषक अल्पता विकारों की रोकथाम।

(ग) और (घ) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद का राष्ट्रीय पोषण मानीटरिंग ब्यूरो देश में नियमित रूप से आहार और पोषण सर्वेक्षण करता है। यह ब्यूरो देश के 10 राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में आवृत्ति (रिपोर्ट सर्वेक्षण) भी कर रहा है। तमिलनाडु राज्य में अद्यतन सर्वेक्षण के आंकड़ों (1996-97 का आवति सर्वेक्षण) के अनुसार कुपोषण की व्याप्तता दर इस प्रकार है:-

अनुसार 1-5 वर्ष के बच्चों में कुपोषण

हलका	49.20%
सामान्य	33.50%
गम्भीर	2.90%

आई.एस.आई. की गतिविधियां

4652. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोनाराम चौधरी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बड़े पैमाने पर फैली बेरोजगारी की समस्या और आर्थिक असमानताओं के कारण युवा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आई.एस.आई. की राष्ट्रविरोधी गतिविधियों की ओर आकर्षित हो रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी.एच. विद्यासागर राव): (क) हिंसा करवाने के लिए भटके हुए युवकों को लक्ष्य बनाने और उन्हें प्रशिक्षित करने सहित देश के विभिन्न हिस्सों में आतंकवाद और विघटनकारी गतिविधियां प्रायोजित करके भारत को अस्थिर करने के पाक आई.एस.आई. के नापाक इरादों की सरकार को जानकारी है।

(ख) सरकार, रोजगार के अवसरों के सृजन और आर्थिक विषमताओं को कम करने के लिए समुचित विकास हेतु बहुत से कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही है।

[हिन्दी]

सरकारी आवासों का बिना बारी का आबंटन

4653. श्री हरिभाई चौधरी : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी मकानों का आबंटन बिना बारी के हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा बिना बारी के आबंटन करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए विवेकाधीन/बिना बारी के आबंटनों का ब्यौरा इस प्रकार हैं:

वर्ष	आबंटन
1998	167
1999	111
2000 (20.4.2000 तक)	30

(ग) विवेकाधीन/बिना बारी आबंटन के मानदण्ड/दिशानिर्देश संपदा निदेशालय के दिनांक 17.11.97 के कार्यालय ज्ञापन में हैं, जिसकी प्रति इस उत्तर में विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

सं. 12035/2/97-नीति-II (खण्ड-II)
भारत सरकार
शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय
संपदा निदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 17.11.1997

कार्यालय ज्ञापन

विषय : दिल्ली में साधारण पूल रिहायशी आवास के विवेकाधीन आबंटन हेतु दिशा निर्देश।

अनु. नि. 317-ख-25 के उपबंधों के तहत सरकारी रिहायशी आबंटन (दिल्ली में साधारण पूल) नियमावली, 1963 में, लिखित

रूप में कारण रिकार्ड करते हुए, सरकार किसी अधिकारी अथवा अधिकारियों के वर्ग अथवा रिहायश के टाइप के मामले में आबंटन नियमों के किसी एक अथवा सभी उपबंधों में ढील दे सकती है। इन उपबंधों के तहत सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से प्रत्येक मामले के गुण-दोषों के आधार पर पहले भी नियमों में छूट देकर आबंटन किए गए हैं। हालांकि, बिना बारी के आबंटनों की बढ़ती हुई बहुत अधिक संख्या को ध्यान में रखते हुए, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय में जनहित याचका के रूप में एक रिट याचिका (सिविल) सं. 585/94 (शिव सागर तिवारी बनाम भारत संघ) दायर की गई। माननीय उच्चतम न्यायालय ने 23.12.96 को अपने अंतिम आदेश में सरकार को निदेश दिया कि विवेकाधीन/बिना बारी के आबंटनों को नियंत्रित करने तथा उनमें पारदर्शिता बनाये रखने के लिए इस संबंध में उचित नियम बनाए जाएं तथा उन्हें विधिवत रूप से अधिसूचित किया जाए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि विवेकाधीन आबंटनों की अधिकतम सीमा उस वर्ष में रिक्त होने वाले प्रत्येक टाइप के आवासों की कुल संख्या का 5 प्रतिशत हो।

2. तद्नुसार मामले पर सरकार ने विचार किया और यह निर्णय लिया कि विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाए जाएं जो भविष्य में सरकारी आवास के विवेकाधीन आबंटनों को नियंत्रित करेंगे। विवेकाधीन आबंटनों की अनुमति सेवारत सरकारी कर्मचारियों को केवल चिकित्सा, सुरक्षा तथा कार्यात्मक आधार पर दी जाएगी। चिकित्सा, सुरक्षा तथा कार्यात्मक आधारों पर ऐसे आबंटन जो सामान्य नीति निर्देशों (अनुबंध-III) के अंतर्गत नहीं आते हैं, उन्हें इस उद्देश्य के लिए विधिवत रूप से गठित अधिकारियों की दो समितियों के माध्यम से किया जायेगा, जो प्रत्येक अनुरोध पर निर्धारित नीति मार्गदर्शनों के तहत विचार करेंगी। समितियों का गठन निम्नानुसार होगा:-

(क) टाइप-4 (विशिष्ट) एवं इससे ऊपर वाले आवासों के टाइप (होस्टल सहित)

(1) सचिव, शहरी विकास	अध्यक्ष
(2) सचिव, कार्मिक (जहां प्रस्ताव अपर सचिव एवं समकक्ष या इससे ऊपर के अधिकारियों से सम्बन्धित हो) या स्थापना अधिकारी (जहां प्रस्ताव उप सचिव/निदेशक, संयुक्त सचिव तथा समकक्ष या सांवधिक पूल अधिकारी से संबंधित हो:	सदस्य
(3) संयुक्त/अपर सचिव (संपदा मामलों का प्रभारी)	सदस्य
(4) दो चिकित्सा विशेषज्ञ (केवल चिकित्सा मामलों के लिए)	सदस्य
(5) एक सचिव/अपर सचिव स्तर का अन्य मंत्रालयों से सहयोजित अधिकारी	सदस्य
(6) संपदा निदेशक	सदस्य सचिव

(ख) टाइप-4 या उससे निचले टाइप के आवासों का आबंटन

(1) संयुक्त सचिव (विषय से संबंधित)	अध्यक्ष
(2) संयुक्त सचिव (स्टाफ कल्याण) (कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय)	सदस्य
(3) दो चिकित्सा विशेषज्ञ (केवल चिकित्सा मामलों हेतु)	सदस्य
(4) संपदा निदेशक	सदस्य
(5) एक संयुक्त सचिव स्तर का अन्य मंत्रालयों से सहयोजित अधिकारी	सदस्य
(6) अपर संपदा निदेशक/संपदा निदेशक-II	सदस्य-सचिव

नोट : शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय या कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के अतिरिक्त अन्य किसी मंत्रालय के सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव, भारत सरकार यथोचित रैंक का कोई अधिकारी विशिष्ट रूप से आमंत्रित किया जाएगा। ऐसा आमंत्रण देते समय यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जिन मंत्रालयों/विभागों के प्रस्ताव बैठक की कार्यसूची में हैं उनमें से किसी के प्रतिनिधि को आमंत्रित न किया जाए। ऐसा सदस्य विभिन्न मंत्रालयों से सहयोजित होगा तथा रोटेशन के सिद्धान्त पर बुलाया जाएगा।

3. समिति द्वारा अपनाये जाने वाले मार्गदर्शन/कार्य प्रणाली

1. समिति उचित माध्यम से प्राप्त सभी आवेदनों पर विचार करने के लिए तीन महीने में कम से कम एक बार बैठक आयोजित करेगी। उप-सचिवों और उससे ऊपर के मामलों में अनुरोध संबंधित विभाग के सचिव और अन्य सभी मामलों में विभाग के अध्यक्ष/संयुक्त सचिव (प्रशा.) द्वारा विशेष रूप से अनुसंशित की जानी चाहिए।
2. समिति विवेकाधीन आबंटनों के मामले में संबंधित अधिकारी की पात्रता वाले टाइप से एक टाइप निचली श्रेणी में आबंटन हेतु विचार करेगी।
3. सक्षम प्राधिकारी (अर्थात् प्रभारी मंत्री) को आबंटन की सिफारिश करते समय समिति प्रत्येक मामले में

विवेकाधीन आबंटन प्रदान किए जाने के विशिष्ट कारणों को बताते हुए लिखित सिफारिश करेगी। जहां मंत्री की राय समिति की सिफारिशों से भिन्न होगी, वहां वह भी कारणों को लिखित में रिकार्ड करेगा।

4. चिकित्सा आधारों पर सरकारी आवास के प्राथमिक रूप से आबंटन किए जाने संबंधित विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धांत, जो कि (सभी टाइपों से विवेकाधीन आबंटन) एक वर्ष में उपलब्ध होने वाले प्रत्येक टाइप में रिक्तियों के 5 प्रतिशत अधिकतम सीमा के अन्तर्गत है उन्हें अनबंध-I में दर्शाया गया है।

5. सुरक्षा आधारों पर विवेकाधीन आबंटन अनुबंध-II में दी गई शर्तों को पूरा करने पर 5 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के तहत किए जायेंगे।

[illegible] आधारों पर प्राथमिकता रूप में आबंटन, [illegible]क अनुबंध-III में दर्शाया गया है, संपदा निदेशालय द्वारा गणमान्य व्यक्तियों की प्रत्येक श्रेणी के लिए निर्धारित कोटे के तहत उपर्युक्त पैरा 2 में गठित समितियों को प्रस्तुत किए बिना किए जाएंगे क्योंकि इन मामलों में कोई विवेकाधिकार निहित नहीं हैं जो कि सम्पूर्ण आबंटनों को 5 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के तहत होंगे।

7. समितियां कार्यरत सरकारी कर्मचारियों के किसी अन्य मामले पर भी जो उपरोक्त किसी श्रेणी के तहत नहीं आता है, विशेष अनुकम्पा आधार पर रिहायशी आवास का आबंटन करने हेतु विचार कर सकती हैं तथा सिफारिश कर सकती हैं हालांकि ऐसे आबंटन प्रत्येक टाइप में एक वर्ष में (टाइप-1 से टाइप-5 तक केवल) कुल 5 आवासों से अधिक नहीं होंगे और जो एक वर्ष में प्रत्येक ऐसे टाइप में संपूर्ण आबंटनों की 5 प्रतिशत अधिकतम सीमा के अन्तर्गत होंगे।

4. गैर-सरकारी व्यक्तियों/गैर-सरकारी संगठनों हेतु आबंटन

गैर-सरकारी व्यक्तियों जैसे सुविख्यात कलाकारों, राष्ट्रीय स्तर के कार्यों में लगे हुए प्रसिद्धि प्राप्त विशिष्ट व्यक्तियों या विज्ञान, खेलकूद या सामाजिक सेवाओं के योग में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेताओं तथा गैर-सरकारी संगठनों/संस्थानों को प्रदान किए गए केवल आवंटन चालू आबंटन वर्ष की समाप्ति तक ही वैद्य होंगे। गैर-सरकारी संगठन सरकारी रिहायशी आवास के लिए पात्र नहीं होंगे और न हीं आबंटन की अवधि को बढ़ाए जाने से संबंधित इसी प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा सिवाय उन मामलों के जिनमें अन्तर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय हित निहित होंगे और इन्हें मंत्रीमंडल की आवास समिति के अनुमोदन पर दिया जायेगा। इसी प्रकार गैर-सरकारी व्यक्तियों/प्राइवेट व्यक्तियों जिनमें स्वतंत्रता सेनानी भी शामिल हैं, को विवेकाधीन आबंटन केवल सी.सी.ए. के अनुमोदन होने के उपरान्त ही प्रदान किये जाएंगे यदि ऐसा करना राष्ट्रीय हित या अन्तर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए आवश्यक समझा जाएगा। स्वतंत्रता सेनानियों की विधवाओं को आबंटियों की मृत्यु होने के उपरान्त केवल छः महीने की अवधि के लिए सरकारी आवास रिटेन करने की अनुमति प्रदान की जाएगी।

5. उपरोक्त श्रेणियों के सभी विवेकाधीन आबंटनों को सरकार द्वारा एक कैलेंडर वर्ष में आवासों के प्रत्येक टाइप में उपलब्ध होने वाली सम्पूर्ण रिक्तियों के अधिकतम 5 प्रतिशत की सीमा के तहत प्रदान किया जाएगा और किसी भी परिस्थिति में ऐसे आबंटन इस सीमा से अधिक नहीं होंगे।

6. ऐसे सभी आबंटियों की सूची संपदा निदेशालय द्वारा त्रैमासिक आधार पर सभी मंत्रालयों/विभागों को परिचालित की जाएगी तथा ऐसे आबंटियों की एक वार्षिक सूची संसद के प्रत्येक सदन के सभा पटल पर रखी जाएगी जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय का निदेश है।

7. ये आदेश, सरकार द्वारा चिकित्सा, कार्यात्मक तथा सुरक्षा आधारों पर बिना बारी/तदर्थ/विवेकाधीन आबंटनों से सम्बन्धित तथा गैर-सरकारी व्यक्तियों जैसे स्वतंत्रता सेनानियों, विख्यात कलाकारों, समाज सेवकों आदि गैर-सरकारी संगठनों/संस्थानों के संबंध में जारी किए गए पुराने सभी आदेशों पर अधिकमान्य होंगे (उन्हें सुपरसीड करेंगे)।

8. ये आदेश तुरन्त प्रभावी होंगे।

हस्ता०/-

(रत्न देव सहाय)
संपदा उपनिदेशक (नीति)

सेवा में,

1. सभी मंत्रालय/विभाग
2. संपदा निदेशालय के सभी अनुभाग तथा अधिकारी
3. संपदा निदेशालय के सभी प्रादेशिक कार्यालय
4. राज्य सभा/लोक सभा सचिवालय

प्रतिलिपि:

1. राज्य मंत्री (शहरी कार्य एवं रोजगार मंत्रालय के निजी सचिव)
2. सचिव, (शहरी विकास) के प्रमुख वैयक्तिक सचिव
3. अपर सचिव (शहरी विकास) के वैयक्तिक सचिव
4. संयुक्त सचिव (शहरी विकास/संपदा निदेशक/संपदा निदेशक-II) के वैयक्तिक सचिव

हस्ता/-

(महेन्द्र सिंह)
संपदा सहायक निदेशक (नीति-II)

अनुबंध-I

कार्यालय ज्ञापन सं. 12035/2/97-नीति-II (खंड-II) दिनांक 17.11.97 के अनुच्छेद 3(4) में निर्दिष्टित अनुबंध

चिकित्सा आधार

चिकित्सा आधार पर भूतल/केन्द्रीय इलाके सहित आवंटन सरकारी कर्मचारी और उनके पति/पत्नी, आश्रित बच्चों और आश्रित माता-पिता को निम्न बीमारियों से पीड़ित होने की दशा में किया जायेगा।

(ए) क्षय रोग: फुप्फुसीय क्षय रोग (केवल गम्भीर मामलों में)।

(बी) कैंसर के मामले : विषाणु ओमोप्लैज्म।

(सी) हृदय रोग : अति गंभीर प्रकृति के रोग जिनमें शीघ्र चिकित्सा की आवश्यकता हो।

(डी) विकलांग व्यक्ति:

(1) दृष्टिहीन : ये व्यक्ति जो निम्न में से किसी एक से ग्रस्त हों:-

(1) पूर्ण दृष्टि निहीनता :

(2) बेहतर आंख में करेक्टिम लैंसों के साथ दृष्टि की तीक्ष्णता 6/90 अथवा 20/200 (स्तेलन) से अधिक न हो:

(3) दृष्टि के क्षेत्र की सीमा का कवोण 20 डिग्री या उससे खराब हो।

(2) बधिर : बेहतर कान में 90 डेसीबल से अधिक ध्वनि का ह्रास होना (अत्यधिक क्षीण होना) अथवा दोनों कानों में सुनाई न देना।

(3) अस्थि संबंधी विकलांगता : 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांगता

(4) मानसिंक विकलांग/सेपास्टिक आश्रित

नोट :

(1) चिकित्सा आधारों पर विवेकाधीन आबंटन के लिए कवर की गई बीमारियों की सूची संपूर्ण नहीं हैं। विवेकाधीन आबंटन करने हेतु समितियाँ अन्य जीवन-घाती बीमारियों अथवा अन्य गंभीर विकलांगताओं जो कि स्थायी तौर पर क्षीण कर देती है, को आधार बना सकती है।

(2) जिन प्रस्तावों में विकलांग आश्रित माता-पिता ही केवल विवेकाधीन आबंटन प्राप्त करने के आधार हैं, ये समितियों को अपनी सिफारिश करने से पूर्व प्रत्येक प्रस्ताव के तथ्यों और परिस्थितियों और गुणों-अवगुणों की सावधानी पूर्ण जांच करनी चाहिए।

अनुबंध-II

कार्यालय ज्ञापन सं. 12030/2/97 नीति II (खंड-II) दिनांक 17.11.97 के अनुच्छेद 3(5) में निर्दिष्टत अनुबंध

सुरक्षा आधार

सुरक्षा आधारों पर विवेकाधीन आबंटन निम्न शर्तों के आधार पर किए जाएंगे:

(1) सामान्य पूल के आवास केवल जेड + 1 (जेड प्लस) अथवा उससे ऊंची सुरक्षा श्रेणी धारक व्यक्तियों को आबंटित किए जाएंगे।

(2) ऐसे व्यक्तियों को सामान्य पूल आवास के आवंटन के औचित्य हेतु इसका जनहित से स्पष्ट संबंध होना चाहिए। गृह मंत्रालय प्रत्येक मामले में जांच करेगा कि जैड + तथा उच्चतर सुरक्षा श्रेणी के व्यक्ति को सरकारी आवास का आबंटन जनहित में है तथा पूर्व में उसके द्वारा अपने सरकारी पदों पर की गई ड्यूटी के कारण उसकी सुरक्षा को खतरा पैदा हुआ है। गृह मंत्रालय यह मत भी व्यक्त करेगा कि संबंधित व्यक्ति को दिल्ली में आवास उपलब्ध कराना अत्यंत आवश्यक है।

(3) संबंधित व्यक्ति को सुरक्षा आधार पर सरकारी आवास के आबंटन का अनुरोध प्राप्त होने पर गृह मंत्रालय यह पता लगाएगा कि क्या जेड + सुरक्षा श्रेणी के व्यक्ति का स्वयं का अथवा उसके पति/पत्नि के नाम दिल्ली

में कोई आवास है और क्या उसी आवास में सुरक्षा प्रबंध किए जा सकते हैं।

(4) सुरक्षा पाने वाले व्यक्ति को दिल्ली में सरकारी आवास उपलब्ध कराने की आगे की कार्रवाई गृह मंत्रालय की सिफारिशों के आधार पर संपदा निदेशालय द्वारा की जाएगी। आबंटन एक वर्ष की अवधि के लिए किया जाएगा, जिसे खतरे की आशंका, जिसकी गृह मंत्रालय प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार पुनरीक्षा करेगा, के आधार पर अवधि बढ़ाने की आवश्यकता पर सी.सी.ए. के संतुष्ट होने पर, एक बार में एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा।

(5) सुरक्षा पाने वाले इन व्यक्तियों को टाइप-6 से उच्चतर टाइप का आवास नहीं दिया जाएगा, वरन प्रत्येक मामले [illegible] की आशंका के आधार पर यह निम्नतर भी [illegible] है।

(6) आवंदन अग्रिम रूप से बाजार दर/विशेष लाइसेंस फीस का भुगतान करने की अपनी इच्छा/क्षमता की पुष्टि करेगा तथा लगातार तीन माह अथवा अधिक बार भुगतान में चूक होने पर उन्हें बेदखल किया जा सकेगा।

(7) सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति को आबंटित सरकारी आवास के लिए बाजार दर पर लाइसेंस फीस प्रभारित की जायेगी। यदि सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति का दिल्ली में मकान है तो वह उस मकान को सरकारी आवास के अपने दखल की अवधि के दौरान सरकार को समर्पित करेगा। ऐसे मामले में सरकारी आवास के दखल की अवधि के लिए बाजार दर के स्थान पर विशेष लाइसेंस फीस प्रभारित की जाए।

अनुबंध-III

का.ज्ञा. सं. 12035/2/97-नीति-II (खंड-II) दिनांक 17.11.97 के पैरा 3(4) के संदर्भ में अनुबंध

(3) कार्यात्मक आधार :

मंत्रियों तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, के साथ काम करने वाले निजी स्टाफ को संबंधित आबंटन वर्ष की क्रुशियल तारीख को उनकी परिलब्धियों के आधार पर उनकी पात्रता से एक टाइप नीचे के आवास का आबंटन किया जायेगा। हालांकि, मंत्रियों/प्रधान मंत्री के वैयक्तिक सचिव क्रुशियल तारीख पर यदि उपलब्ध हो तो अपनी पात्रता के सरकारी आवास का आबंटन पाने के हकदार होंगे। विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों के निजी स्टाफ को आवास का आबंटन एक वर्ष में प्रत्येक टाइप के आवासों से संबंधित होने वाली रिक्तियों की पांच प्रतिशत की अधिकतम सीमा के अन्दर किये जायेंगे। निम्नलिखित प्राधिकारियों के निजी स्टाफ उपरोक्त प्राथमिकता आबंटनों के लिए पात्र होंगे:-

(1) प्रधान मंत्री कार्यालय में महत्वपूर्ण कार्मिक जिनके बारे में प्रधान मंत्री कार्यालय के कम से कम प्रशासन प्रभारी संयुक्त सचिव स्तर की सिफारिश होगी।

(2) मंत्रियों के साथ कार्यरत निजी स्टाफ

(1) केबिनेट मंत्री/राज्य मंत्री : निजी स्टाफ के तीन सदस्य (ग्रुप "डी" के अलावा) तथा एक जमादार/चपरासी/इसके अतिरिक्त, एक ग्रुप ("डी") कर्मचारी को मंत्री महोदय की सिफारिश पर आवास की बदली दे दी जाए।

(2) उपमंत्री/संसदीय सचिव:

निजी स्टाफ के दो व्यक्ति (ग्रुप "डी" के अतिरिक्त) तथा एक जमादार/चपरासी/इसके अतिरिक्त एक ग्रुप "डी" कर्मचारी को मंत्री महोदय की सिफारिश पर आवास की बदली दे दी जाए।

ऐसे आबंटनों को निम्नलिखित शर्तों के तहत किया जाएगा:-

(क) निजी स्टाफ को मंत्री, उपमंत्री या संसदीय सचिव की सिफारिश पर ऐसे प्राथमिकता आबंटन पहले न किये गये हों;

(ख) मंत्री महोदय के विभाग में परिवर्तन आदि हो जाने से ऐसे आबंटन के लिए कोई नई स्वीकृति जारी नहीं की जाएगी, यदि स्टाफ के वे सदस्य जिन्हें उपरोक्त आधार पर उनकी सिफारिश पर साधारण पूल क्वार्टरों का आबंटन किया गया हो, उनके साथ कार्यरत हो।

(ग) नए मंत्री के मामले में यदि उनकी सिफारिश पर उनके निजी स्टाफ के किसी भी सदस्य को आवास आबंटित नहीं किया गया है तो इस बात के होते हुए भी उनके निजी स्टाफ के कुछ सदस्यों के पास साधारण पूल आवास है, उनकी सिफारिश पर उपरोक्त निर्धारित सीमित संख्या में प्राथमिकता आबंटन प्रदान कर दिए जाएं।

(घ) यदि मंत्री का विभाग परिवर्तित हो जाता है या मंत्री कार्यालय त्याग देते हैं और उसके बाद उसी मंत्रालय या अन्य मंत्रालय में मंत्री नियुक्त हो जाते हैं, यदि

उनके निजी स्टाफ के वे सदस्य जिन्हें पहले उनकी सिफारिश के आधार पर साधारण पूल आवास से प्राथमिकता आधार पर आबंटित किए गए थे और वे उनके निजी स्टाफ में बने रहते हैं तथा उपरोक्त कोटा पूरा हो जाता है तो आगे और कोई प्राथमिकता आबंटन या आबंटन की बदली न दी जाए।

(3) मंत्रिमंडल सचिवालय में उच्च पदों पर कार्यरत अधिकारी :–

मंत्रिमंडल सचिवालय में उच्च पदों पर कार्यरत वे अधिकारी जिनकी मंत्रिमंडल के कागजातों को जांचने की और बैठक हेतु प्रबंध करने की सीधी जिम्मेदारी है और जैसा मंत्रिमंडल सचिवालय के प्रशासन के प्रभारी संयुक्त सचिव ने अनुशंसित किया है, आबंटन हेतु पात्र है।

(4) लोक सभा/राज्य सभा में विपक्ष के नेता:

निजी स्टाफ के तीन व्यक्ति (ग्रुप "डी" को छोड़कर) तथा एक जमादार चपरासी।

(5) राज्य सभा के सभापति/उपसभापति/लोक सभा के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/भारत के मुख्य न्यायाधीश/योजना आयोग के उपाध्यक्ष:

निजी स्टाफ के तीन व्यक्ति (ग्रुप "डी" को छोड़ कर) तथा जमादार/चपरासी के लिए एक मकान।

(6) माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों/योजना आयोग के सदस्यों:

निजी स्टाफ के लिए दो मकान (ग्रुप "डी" को छोड़कर) तथा जमादार/चपरासी के लिए एक मकान।

(7) मुख्य चुनाव आयुक्त/चुनाव आयुक्तों/भारत सरकार के सचिवों को:–

निजी स्टाफ के सदस्यों को दो मकान (ग्रुप "डी" को छोड़कर) तथा जमादार/चपरासी को एक मकान।

(8) पूर्व राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री प्रत्येक के निजी स्टाफ के दो व्यक्तियों को ही सामान्य पूल से विवेकाधीन अधिकार द्वारा रिहायशी आबंटन प्रदान किया जा सकता है बशर्ते कि वे गणमान्य व्यक्ति दिल्ली में रह रहे हों।

नोट :

जहा तक व्यवहारिक हो आवास का आबंटन केन्द्रीय क्षेत्र में किया जाए। हालांकि कोई निजी स्टाफ एक से अधिक बदली लेने का हकदार नहीं होगा, अन्यथा उसका आवेदन अपनी बारी पर परिवर्तन का हिस्सा बन जायेगा। जिसे परिवर्तन प्रतीक्षा सूची में सूचीबद्ध करके निश्चित प्रक्रिया द्वारा प्रदान किया जायेगा।

[हिन्दी]

डीलरों की नियुक्ति

4654. प्रो. दुखा भगत : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सस्ते उर्वरक समय पर उपलब्ध कराने हेतु डीलरों की नियुक्ति के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं;

(ख) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान इन दिशा-निर्देशों को अनदेखा किया गया है;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इस संदर्भ में राज्यवार कितने डीलर हैं जिन डीलरों के विरूद्ध कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या जिन डीलरों की डीलरशिप समाप्त कर दी गई थी उन्होंने नाम बदलकर फिर से डीलरशिप प्राप्त कर ली है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने ऐसे कदाचार को रोकने के लिए क्या प्रयास किए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) से (ङ) सरकार द्वारा जारी कोई अनुदेश डीलरों की नियुक्ति के लिए नहीं है जो संबंधित उर्वरक निर्माता/ट्रेडिंग कम्पनी द्वारा देश के विभिन्न राज्यों में अपनी वाणिज्यिक आवश्यकताओं एवं मार्केटिंग जरूरतों को देखते हुए की जाती है। डिस्ट्रीब्यूटरशिप लाइसेंस संबंधित राज्य सरकारों द्वारा दिया जाता है। तथापि, सरकार ने नवम्बर, 1998 में एक नियमावली परिचालित की थी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र निकायों/बहु राज्य सहकारी समितियों में डीलरों की नियुक्ति की प्रक्रिया उनके चयन में एकरूपता लाने के लिए निर्धारित की थी।

डीलरशिप की समाप्ति उनके कार्यनिष्पादन को देख कर या तो संबंधित कम्पनी द्वारा या संबंधित राज्य सरकार द्वारा लाइसेंस की शर्तों या आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन की स्थिति में की जाती है। भारत सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं है।

[अनुवाद]

विश्वविद्यालय चिकित्सा महाविद्यालय, बंगलौर

4655. श्री कोलुर बसवनागौड़ : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजीव गांधी स्वास्थ्य आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलौर ने केन्द्र सरकार से बंगलौर में 2000-2001 से विश्वविद्यालय चिकित्सा महाविद्यालय प्रारंभ करने के लिए अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में कौन-कौन से कदम उठाए है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

बंगलादेशी नागरिकों द्वारा घुसपैठ

4656. श्री अखिलेश यादव :
श्री दलपत सिंह परस्ते :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 10 मार्च, 2000 के "दैनिक जागरण" में "सख्त कानूनों के कारण पाक नहीं जा पाते बंग्लादेशी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार का इन घुसपैठियों द्वारा किए जा रहे वेश्यावृत्ति तथा अन्य अपराधों के बढ़ते हुए मामलों को रोकने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) बंगलादेश के साथ लम्बी और सुभेद्य सीमा को देखते हुए और घुसपैठ के लिए विवश और आकर्षित करने वाले विभिन्न कारणों की वजह से भी बहुत से बंगलादेशी घुसपैठिए देश के विभिन्न हिस्सों में घुस आने में सफल रहे हैं। जातीय और भाषाई समानताओं के कारण वे स्थानीय लोगों के बीच आसानी से घुलमिल जाते हैं।

उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, बेहतर जीविका की तलाश में कुछ बंगलादेशी प्रवासी पाकिस्तान चले जाते हैं। 1997 से लेकर (मार्च 2000 तक) भारत-पाक सीमा पर लगभग 3846 बंगलादेशी घुसपैठियों को पकड़ा गया है।

(ग) राज्य सरकारों और संघ शासित प्रशासनों को देश के कानून का उल्लंघन करने वाले बंगलादेशी घुसपैठियों के साथ सख्ती से निपटने के अनुदेश दिए गए हैं।

[अनुवाद]

गुरदे के उपचार के लिए अस्पताल

4657. श्री श्रीनिवास पाटील :
श्री सुन्दर लाल तिवारी :
श्री तरुण गोगोई :
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :
श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का नवीनतम तकनीक से गुरदे के उपचार हेतु अधिक अस्पताल खोलने के लिए प्रोत्साहन देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों में गुरदा प्रत्यारोपण संबंधी सुविधाओं को छोड़कर गुरदे से संबंधित रोगों के उपचार के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं।

जनसंख्या नियंत्रण

4658. श्री दिन्शा पटेल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2000-2001 हेतु परिवार कल्याण विभाग हेतु योजना आबंटन में काफी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार हाल ही में घोषित राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के मद्देनजर जनसंख्या नियंत्रण हेतु कुछ नई योजनाएं शुरू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) से (घ) परिवार कल्याण विभाग के लिए परिव्यय को संशोधित अनुमान 1999-2000 को 3120.00 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2000-2001 के लिए 3520.00 करोड़ रुपये कर दिया गया है ताकि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए परिवार कल्याण कार्यक्रम हेतु अतिरिक्त धनराशि प्रदान की जा सके।

महासागर सम्पदा की खोज हेतु प्रौद्योगिकी

4659. डा. ए.डी.के. जयशीलन : क्या महासागर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महासागर से व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण धातुएं निकालने हेतु एक नई प्रौद्योगिकी विकसित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) महासागर सम्पदा की खोज करने हेतु यह प्रौद्योगिकी कब तक पूर्ण रूप से कार्यान्वित हो जाएगी; और

(घ) उन स्थानों का ब्यौरा क्या है जहां इस प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाएगा?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) सीगेन विश्वविद्यालय, जर्मनी के इंस्टीट्यूट फार कानस्ट्रक्शन (आई.के.एस.) के साथ गहरा समुद्र उत्खनन प्रणाली विकास के संयुक्त प्रौद्योगिकी प्रत्यक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत, महासागर विकास विभाग ने अपनी स्वायत्तशासी संस्था नामतः राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान के माध्यम से एक क्रालर अभिकल्पित किया है। इसमें विशेष रबड़ की पट्टी सहित उत्खनन प्रणाली लगी होती है और इस्पात के बाहरी हत्थे पर केन्द्रक तार लगा होता है जो संचालन के दौरान वाहन के भार को ले जाता है और पुनः प्राप्ति तथा संचालन के दौरान प्रणाली में विद्युत पारेषण और संकेत भी देता है। रफ्तार, दिशा, स्थायित्व, पम्प कार्य निष्पादन आदि की मानीटरी के लिए अनेक ट्रांसडयूसर लगे होते हैं, उत्खनन क्षेत्रों आदि के संवीक्षण के लिए जल के अन्दर विशेष कैमरे लगे होते हैं। क्रालर के अभिकल्पन में यांत्रिक, वैद्युत और यंत्रीकरण प्रौद्योगिकी का जटिल एकीकरण भी सम्मिलित है और इसके साथ ही गहरा समुद्र उत्खनन प्रणाली का यह एक दृढ़ आधार भी है। यद्यपि अपने अन्तिम रूप में प्रणाली 6000 मीटर जल गहराई तक प्रचालन में सक्षम है, लेकिन आरम्भिक अवस्थाओं में प्रणाली का प्रत्यक्षण मार्च, 2000 के दौरान पूर्वी तट में तूतीकोरिन के पास 410 मीटर गहराई में सफलतापूर्वक किया गया।

(ग) 6000 मीटर गहराई में समुद्री निधि विशेषकर बहुधात्विक पिण्डिकाओं के अन्वेषण के लिए इसकी तकनीकी क्षमता स्थापित करने में अभी लगभग 5 वर्ष लगने की संभावना है।

(घ) अभी प्रत्यक्षित समुद्र संस्तर खनन प्रौद्योगिकी को थोड़े आशोधन से फॉस्फेराइट निक्षेपों व प्लेजर खनिजों के खनन, मुहानों तथा जिन स्थलों पर प्लवमान निकर्षक काम नहीं कर पाते हों, वहां बालू रोधकों का निकर्षण करने, हाइड्रो-इलेक्ट्रिक परियोजनाओं के भण्डारण क्षेत्रों के आर्थिक जीवन में वृद्धि के लिए उन्हें गाद रहित करने तथा समुद्र संस्तर का सर्वेक्षण करने और विशेष सजीव व निर्जीव संसाधनों का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है।

बाल भवन

4660. डा. रामकृष्ण कुसमरिया : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में कार्यरत बाल भवनों की संख्या क्या है;

(ख) इन बाल भवनों के प्रमुख कार्य क्या हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष प्रत्येक राज्य को इस उद्देश्य के लिए कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई; और

(घ) छात्रों के लिए ये भवन किस हद तक लाभदायक है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील): (क) राष्ट्रीय बाल भवन से

सम्बद्ध राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यरत बाल भवनों की संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) इन बाल भवनों का प्रमुख कार्य, बच्चों में विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों के बच्चों के बीच सृजनात्मकता को बढ़ाना है।

(ग) बाल भवनों के लिए राज्यों के केन्द्रीय सहायता प्रदान करने के लिए मंत्रालय की कोई योजना नहीं है। राष्ट्रीय बाल भवन, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अपने से सम्बद्ध, बाल भवनों को समय-समय पर अनुदान जारी करता है। वर्ष 1997-98 और वर्ष 1999-2000 के दौरान, इस प्रयोजन के लिए कोई अनुदान जारी नहीं किया गया था। वर्ष 1998-99 के दौरान जारी किए गए अनुदान के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

भवनों का अनौपचारिक दृष्टिकोण मुक्त वातावरण यों को समझाने में बच्चों की सहायता करता है, जो उनके संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक है।

विवरण-I

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	बाल भवनों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	6
2.	असम	1
3.	पश्चिम बंगाल	2
4.	गुजरात	5
5.	गोवा	1
6.	हरियाणा	10
7.	जम्मू एवं कश्मीर	1
8.	केरल	7
9.	कर्नाटक	5
10.	मध्य प्रदेश	3
11.	महाराष्ट्र	5
12.	मणिपुर	1
13.	उड़ीसा	3
14.	पंजाब	2
15.	तमिलनाडु	4
16.	उत्तर प्रदेश	7
17.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	1
18.	चंडीगढ़	1
19.	दादर एवं नगर हवेली	1
20.	दमन	1
21.	दीव	1
22.	पाण्डिचेरी	1

विवरण-II

वर्ष 1998-99 के दौरान जारी किया गया अनुदान

क्र.सं.	बाल भवन का नाम	उद्देश्य	राशि (रु.)
1	2	3	4
1.	बाल भवन, ग्वालियर (म.प्र.)	बाल पुस्तकालय	70,000
2.	कुसुमबहन अदानी बाल भवन अक्षयगढ़ (गुजरात)	कार्यकलाप केन्द्र का निर्माण तथा उपस्कर एवं पुस्तकालय पुस्तकों की खरीद	5,00,000
3.	जवाहर बाल भवन अलाप्पुझा (केरल)	लघु प्रेक्षागृह	5,00,000

1	2	3	4
4.	बाल भवन, दीव	कार्यकलापों के लिए बहुद्देशीय हाल का निर्माण	4,00,000
5.	जवाहर बाल भवन, हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश)	मछली घर का नवीकरण तथा कंप्यूटरों की खरीद	2,50,000
6.	जवाहर बाल भवन, पांडिचेरी	कंप्यूटर	2,50,000
7.	जवाहर बाल भवन, मुम्बई	साइंस हौबी सैन्टर	1,30,000
8.	जवाहर बाल भवन, जवाहर लाल नेहरू मेमोरियल फण्ड, इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश)	कंप्यूटर	2,50,000
9.	जवाहर बाल भवन, कुरूवन पार्क, बंगलौर (कर्नाटक)	पुस्तकालय उपकरण एवं पुस्तकें	5,00,000
10.	बाल भवन, पणजी, गोवा	कंप्यूटर सैक्शन	2,50,000
11.	बाल भवन, भिवानी, हरियाणा	संगीत और हस्तशिल्प केन्द्र की स्थापना	1,00,000
12.	श्री गिरधर भाई संग्रहालय एवं बाल संग्रहालय, अमरेली, (गुजरात)	संगीत एवं नृत्य कक्षाओं के लिए हाल	2,50,000

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

4661. श्रीमती निवेदिता माने : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पुलिस प्राधिकारियों आदि के हाथों मानवजाति पर ढायी गई बर्बरता संबंधी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने विभागों को बड़ी संख्या में पीड़ितों के नुकसान की भरपाई करने का निर्देश दिया है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निदेशों/सिफारिशों के अनुसार कितने मामलों में अधिकारियों को दंडित किया गया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी.एच. विद्यासागर राव): (क) पुलिस अधिकारियों द्वारा मानव जाति के प्रति की गई ज्यादतियों की घटनाएं जब कभी इसकी जानकारी में आती हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इन्हें प्रकाश में लाता आ रहा है।

(ख) और (ग) संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-॥ के अनुसार "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" राज्य के विषय हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, आयोग की सिफारिशें, सीधे ही संबंधित राज्य सरकारों को भेजी जाती हैं। पिछले तीन वर्षों, अर्थात् 1.1.97 से 31.12.99 तक के दौरान, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ 105 मामलों में अभियोजन/प्रशासनिक कार्रवाई करने की सिफारिश की है। इन सिफारिशों को आमतौर पर संबंधित प्राधिकारियों द्वारा मान लिया जाता है तथा संबंधित अधिनियमों तथा नियमों में निर्धारित अनुसार प्रक्रियाएं अपनाने के बाद, कार्यान्वित किया जाता है।

शैक्षिक संस्थाओं को हानि

4662. श्री प्रभात सामन्तराय : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** 14 दिसम्बर, 1999 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2368 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो चक्रवात के कारण शैक्षिक संस्थाओं को अनुमानित रूप से कितनी हानि हुई है तथा विद्यालयों और महाविद्यालयों के भवनों के नवीकरण में क्या प्रगति हुई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील): (क) से (ग) उड़ीसा राज्य सरकार से सूचना की अभी प्रतीक्षा की जा रही है।

चक्रवात की चेतावनी देने वाले केन्द्र

4663. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में चक्रवात की चेतावनी देने वाले केन्द्र आज भी पुराने चक्रवात का पूर्वानुमान लगाने वाले पुराने रेडारों का प्रयोग कर रहे है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन रडारों को हटाकर इनके स्थान [illegible] आधुनिक मौसम रेडार स्थापित करने का सरकार [illegible] है जिससे कि मौसम के बारे में बेहतर और अधिक सही पूर्वानुमान लगाया जा सकें;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने तमिलनाडु के नागापट्टीनम और रामेश्वरम में चक्रवात की चेतावनी देने वालें केन्द्र स्थापित किए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा'): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) देश की सम्पूर्ण समुद्रतटीय सीमा की चौकसी के लिए 10 उच्च शक्ति वाले एस-बैंड चक्रवात संसूचक राडारों (सी.डी.आर.) का एक नेटवर्क है। ये राडार जिनकी पहुंच क्षमता 400 किलोमीटर तक है, पूर्वी तट पर कलकत्ता, पाराद्वीप, विशाखापट्टनम, मछलीपट्टनम, चैन्नेई, कराइकल तथा पश्चिमी तट पर कोचीन, गोआ, मुम्बई व भुज में स्थापित किए हैं। सभी 10 सी.डी.आर. अच्छी तरह काम कर रहे हैं और जैसे ही उष्ण कटिबन्धीय चक्रवात भारतीय समुद्री सीमा में प्रवेश करते हैं वैसे ही ये राडार महत्वपूर्ण जानकारियां देते रहे हैं ताकि उनका पता लगाया जा सके।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आई.एम.डी.) की योजना मौजूदा चक्रवात संसूचक राडारों के स्थान पर चरणबद्ध तरीके से डॉप्लर मौसम राडार (डी.डब्लू.आर.) स्थापित करने की है। पहले चरण में, चैन्नेई तथा कलकत्ता में लगे सी.डी.आर. के स्थान पर डी.डब्ल्यू.आर. स्थापित किए जाएंगे जिसके लिए आदेश दे दिए गए हैं। इसके अलावा, विश्व बैंक की सहायता प्राप्त "आन्ध्र प्रदेश आपदा प्रशमन तथा आपातकालीन चक्रवात सहायता परियोजना" के अन्तर्गत तीन और डोपलर मौसम राडारों को प्राप्त करने हेतु उपाय किये गये हैं।

इसरो, बंगलौर द्वारा डॉपलर मौसम राडार विकसित किया गया है जिसे श्री हरिकोटा में स्थापित कर दिया जाएगा।

डॉपलर मौसम राडार उष्ण कटिबन्धीय चक्रवातों के पवन क्षेत्र की संरचना के बारे में अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कराएंगे जिससे तूफानी हवाओं की तीव्रता का अनुमान लगाने तथा उनके प्रवाह के बारे में भविष्यवाणी करने में और सुधार होगा।

(घ) भारत मौसम विभाग के चक्रवात की चेतावनी देने वाले (सी.डब्लू.सी.) केन्द्र देश के पूर्वी तथा पश्चिमी तटों पर कार्य कर रहे हैं जिनमें सभी समुद्रतटीय राज्य शामिल होते हैं। ये केन्द्र कलकत्ता, भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम, चैन्नेई, मुम्बई तथा अहमदाबाद में स्थित हैं। ये केन्द्र विभिन्न सरकारी अधिकारियों, जनता तथा दूसरे प्रयोक्ताओं को चक्रवात की चेतावनी तथा उसके प्रसारण के बारे में प्रामाणिक तथा विश्वसनीय प्रणाली उपलब्ध कराते हैं। चक्रवात की चेतावनी देने वाले केन्द्रों की मौजूदा व्यवस्था को पर्याप्त समझा गया है इसलिए तमिलनाडु में नागपट्टिनम तथा रामेश्वरम में नए केन्द्रों की स्थापना करना जरूरी नहीं समझा गया है क्योंकि ये क्षेत्र पहले ही भारत मौसम विज्ञान विभाग के चैन्नेई स्थित क्षेत्रीय चक्रवात चेतावनी वाले केन्द्र के अन्तर्गत शामिल हैं।

केन्द्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पद

4664. श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर :
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिनांक 1.1.1996 तक सभी केन्द्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों में शिक्षक के कितने पद हैं और उनमें से कितने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हैं और कुल पदों की तुलना में उनका प्रतिशत क्या है;

(ख) दिनांक 1.1.1997 के बाद कितने शिक्षकों की नियुक्ति हुई और उनमें से कितने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हैं और कुल नियुक्ति की तुलना में उनका प्रतिशत क्या है;

(ग) ऐसे पदों हेतु शिक्षकों के चयन संबंधी समिति/बोर्ड में कौन-कौन सदस्य हैं; और

(घ) इन विद्यालयों में अनुसूचित जाति/जनजाति के शिक्षकों की पर्याप्त संख्या मुहैया न कराए जाने के क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है।

हॉकी मैच

4665. श्री जयभान सिंह पवैया : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1999 के दौरान भारतीय हॉकी टीम द्वारा देश तथा विदेश में कितने मैच खेले गए;

(ख) उक्त अवधि के दौरान भारतीय टीम ने कितने मैच जीते और कितने हारे; और

(ग) वर्ष 2000 के दौरान हॉकी टीम द्वारा देश तथा विदेश में खेले जाने वाले हांकी मैचों का कार्यक्रम क्या है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) और (ख) भारतीय हाकी परिसंघ (आई.एच.एफ.) से प्राप्त सूचना के अनुसार, वर्ष 1999 के दौरान भारतीय हाकी टीम ने देश तथा विदेश में 55 मैच खेले। इनमें से, इसने 20 मैच जीते तथा 26 मैच हारे। शेष 9 मैच अनिर्णीत रहे।

(ग) भारतीय टीम द्वारा देश तथा विदेश में खेले जाने वाले हाकी मैचों का कार्यक्रम निम्नानुसार है:-

1. जनवरी, 4-15, 2000 से स्पेन में 4 राष्ट्रों का टूर्नामेंट तथा कनाडा व बेल्जियम के साथ टैस्ट श्रृंखला।
2. फरवरी 16-26, 2000 से 10वां सुल्तान अजलान शाह कप, कुआलालम्पुर।
3. अप्रैल 6-9, 2000 से 4 राष्ट्रों का टूर्नामेंट, सिडनी।
4. अप्रैल, 12-16, 2000 से 4 राष्ट्रों का टूर्नामेंट, पर्थ।
5. सितंबर 15-30, 2000 से सिडनी ओलंपिक्स, 2000

केटालिटीक कन्वर्टर

4666. श्रीमती कान्ति सिंह :
श्री सुकदेव पासवान :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वायु प्रदूषण कम करने हेतु मोटर वाहनों में केटालिटीक कन्वर्टर लगाने हेतु किसी परियोजना का वित्त पोषण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्ष 1998 से बाजार में केटालिटीक कन्वर्टर उपलब्ध हैं;

(घ) यदि हां, तो आटोमोबाइल कम्पनियों द्वारा इनके आयात के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार ऐसे कन्वर्टरों के आयात पर प्रतिबंध लगाने हेतु कोई कदम उठाने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा'): (क) जी, हां।

(ख) विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी (डी.एस.टी.) ने स्वदेश में ही कैटलिटिक कन्वर्टर विकसित करने के लिए 1994 में एक बहु संस्थानिक परियोजना का वित्त पोषण किया। अन्तर्राष्ट्रीय उन्नत अनुसंधान केन्द्र (ए.आर.सी.आई.) जो कि डी.एस.टी. के अधीन एक स्वायत्तशासी निकाय है, भी विशेषतौर पर डीजल से चलने वाले वाहनों में लगाए जाने के लिए कैटलिटिक कन्वर्टर का विकास करने की दिशा में कार्यरत है।

(ग) स्वदेश में विकसित किए गए कैटेलिटिक कन्वर्टर अभी बाजार में उपलब्ध नहीं हैं। मोटर वाहनों में प्रयुक्त होने वाले अधिकतर कैटिलिक कन्वर्टरों का आयात किया जा रहा है।

(घ) स्वदेश में विकसित किए जाने वाले कन्वर्टरों को व्यापारिक स्तर पर उपलब्ध कराने से पहले उनके दीर्घकालीन टिकाऊपन तथा प्रदर्शन की प्रामाणिकता सिद्ध किये जाने की आवश्यकता है। तत्सम्बन्धी परीक्षण कार्य इस समय चल रहे हैं। इसलिए स्वदेश

में विकसित किए गए कन्वर्टर अभी वाणिज्यिक तौर पर उपलब्ध नहीं हो पाए हैं।

(ङ) जी, नहीं, फिलहाल नहीं।

(च) लागू नहीं होता।

(छ) टिकाऊपन संबंधी परीक्षणों के पूरा हो जाने तथा व्यापारिक स्तर पर उत्पादन आरम्भ कर लिए जाने के बाद ही, आयात करने पर प्रतिबन्ध लगाने की दिशा में कदम उठाने पर सरकार द्वारा विचार किया जा सकता है।

राष्ट्रीय सेवा योजना

[illegible] **अनादि साहू : क्या युवक कार्यक्रम और खेल** [illegible] कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय सेवा योजना केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में राज्यों में कार्यान्वित की जाती है जिसमें वित्तीय सहायता केन्द्र और राज्य के बीच 7 और 5 के अनुपात में उपलब्ध कराई जाती है;

(ख) क्या उक्त योजना के अंतर्गत एक पूर्णकालिक समन्वयकर्ता की नियुक्ति करना कठिन है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का राष्ट्रीय सेवा योजना के खर्च को पूरा करने के लिए शत-प्रतिशत सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) इस संबंध में क्या क़दम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) फिलहाल, 10,000 स्वयंसेवकों से अधिक संख्या वाले विश्वविद्यालयों में पूर्णकालिक कार्यक्रम समन्वयक तथा 10,000 स्वयंसेवकों से कम संख्या वाले विश्वविद्यालयों में अंशकालिक कार्यक्रम समन्वयक हैं।

(घ) से (छ) राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.) एक केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसमें व्यय केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा 7:5 के अनुपात में वहन किया जाता है परंतु जम्मू व कश्मीर तथा विधान सभा विहीन संघ शासित क्षेत्रों में सम्पूर्ण व्यय केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है। एन.एस.एस. के खर्चों को वहन करने के लिए 100 प्रतिशत सहायता प्रदान करने हेतु सरकार के पास फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

औषध क्षेत्र की छोटी इकाइयों को बन्द किया जाना

4668. **श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या औषध क्षेत्र की छोटी इकाइयां बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रतिस्पर्द्धा में आने से कठिन दौर से गुजर रही हैं और इनमें से अधिकांश या तो बंद हो चुकी हैं या घटते लाभ के कारण बंद होने के कगार पर हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसी इकाइयों को बनाए रखने और उनकी प्रगति के लिए समीक्षा की है तथा पैकेज तैयार किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस संबंध में कितने अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और उन पर क्या कार्रवाई की गई है/प्रस्तावित है;

(ङ) इस संबंध में चालू वर्ष के दौरान की गई/विचाराधीन नीतिगत पहलों का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या कर्मचारी बीमा निगम और रक्षा संगठन भी औषध क्षेत्र की छोटी इकाइयों को निविदाओं में तब तक भाग नहीं लेने देते जब तक कि उनकी वार्षिक बिक्री 20 करोड़ रुपये न हो जबकि इसकी कसौटी गुणवत्ता नियंत्रण होना चाहिए; और

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) से (ङ) अच्छी गुणवत्ता के भेषजीय उत्पाद उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रति-उत्पादक उपायों को दूर करना तथा प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना आर्थिक नीतियों का लक्ष्य है। जहां तक सरकार द्वारा निर्धारित औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 के तहत गैर-अधिकतम (नॉन सीलिंग) मूल्यों का संबंध है, भेषज क्षेत्र की लघु क्षेत्र की इकाइयों को अनुसूचीबद्ध सूत्रयोगों के मूल्य नियंत्रण से छूट दी गई है।

(च) और (छ) रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग का दवाइयों की खरीद से सरोकार नहीं है। खरीद करने वाले संगठन इस प्रयोजनार्थ अपने ही दिशा निर्देश तैयार कर सकते हैं।

[हिन्दी]

जम्मू और कश्मीर में धर्म परिवर्तन

4669. श्री दानवे रावसाहेब पाटील :
श्री शंकर प्रसाद जायसवाल :
श्री पुन्नू लाल मोहले :
श्री पी.आर. खूंटे :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 मार्च, 2000 के 'दैनिक जागरण' में 'जम्मू में दो हिन्दुओं को मुसलमान बनाने की कोशिश'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने पीड़ितों को राहत पहुंचायी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार जम्मू और कश्मीर में बढ़ते आतंकवाद और बलात धर्म परिवर्तन रोकने के लिए कुछ कड़े कदम उठाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी.एच. विद्यासागर राव): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

बाल अधिकारों संबंधी समिति

4670. श्री सुशील कुमार शिंदे :
श्री माधवराव सिंधिया :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने बाल अधिकारों से सम्बन्धित संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस कन्वेंशन के अंतर्गत स्वीकृत/मान्यता प्राप्त बाल अधिकारों का ब्यौरा क्या है;

(ग) बाल अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए कौन सी योजनाएं और कार्यक्रम चलाये गए हैं;

(घ) क्या बाल अधिकार संबंधी समिति ने जनवरी 2000 में अपना तीन सप्ताह का शरदकालीन सत्र पूरा किया है;

(ङ) यदि हां, तो समिति के निष्कर्ष और सिफारिशें क्या हैं; और

(च) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) और (ख) भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार कन्वेंशन को 11 दिसम्बर, 1992 को स्वीकार किया।

कन्वेंशन के अंतर्गत, बच्चों के अधिकार संक्षेप में इस प्रकार हैं:-

(1) अपनी पहचान, राष्ट्रीयता, नाम, परिवार के साथ सम्बन्धों को बनाए रखने का बच्चे का अधिकार।

(2) बच्चे को अपने माता-पिता से अलग नहीं किया जायेगा।

(3) विचार व्यक्त करने का अधिकार।

(4) कतिपय प्रतिबन्धों के अध्यधीन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार।

(5) विचार, विवेक तथा धर्म की स्वतंत्रता का बच्चे का अधिकार।

(6) संगठित होने और शान्तिपूर्वक ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के बच्चे के अधिकार।

(7) किसी भी बच्चे के मामले में निरंकुश तरीके से अथवा गैर-कानूनी रूप से हस्तक्षेप नहीं किया जायेगा।

(8) बच्चे को विविध राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से सूचना और सामग्री प्राप्त करने का अधिकार।

(9) शारीरिक और मानसिक हिंसा तथा शोषण से सुरक्षा का अधिकार।

(10) विकलांग बच्चे की ओर विशेष ध्यान दिये जाने का उसका अधिकार।

(11) स्वास्थ्य का सर्वोत्तम स्तर प्राप्त करने तथा बीमारी के उपचार और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने का बच्चे का अधिकार।

(12) सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्राप्त करने का बच्चे का अधिकार।

(13) बच्चे के शारीरिक, मानसिक तथा नैतिक विकास के लिए जीवन स्तर को बनाए रखने का प्रत्येक बच्चे का अधिकार।

(14) बच्चे को शिक्षा का अधिकार।

(15) बच्चे को आराम और विश्राम करने का अधिकार।

शोषण तथा खतरनाक कार्यों से सुरक्षा का का अधिकार।

(17) नशीली दवाओं तथा मनोविकारी वस्तुओं के अवैध प्रयोग से बच्चों को सुरक्षा।

(18) सभी प्रकार के यौन शोषण और यौन दुर्व्यवहार तथा बच्चों के अपहरण, बिक्री अथवा अवैध व्यापार से सुरक्षा।

(19) बच्चे के कल्याण के किसी भी पहलू के प्रतिकूल सभी प्रकार के शोषण से बच्चे की सुरक्षा।

(20) किसी भी बच्चे को उत्पीड़ित न किया जाये अथवा उसे स्वतंत्रता से वंचित न रखा जाये।

(ग) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय एवं विभाग देश में बच्चों के लाभार्थ विभिन्न स्कीमें कार्यान्वित कर रहे हैं। उदाहरणार्थ, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा समेकित बाल विकास सेवा स्कीम, शिक्षा विभाग द्वारा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रजनन बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय द्वारा निराश्रित बच्चों के लिए समेकित कार्यक्रम, इत्यादि चलाये जा रहे हैं।

(घ) बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र समिति ने भारत के लिए 11-12 जनवरी, 2000 तक जिनेवा में अपना 23वां सत्र आयोजित किया।

(ङ) बाल अधिकार कन्वेंशन पर संयुक्त राष्ट्र समिति की प्रमुख निर्णायक टिप्पणियां इस प्रकार हैं:-

1. समिति ने रिपोर्ट के निरूपण में अपनाई गई स्पष्ट प्रक्रिया, प्रदान की गयी विस्तृत सूचना तथा भारत में मौजूद अनेक प्रकार की संवैधानिक और विधायी कार्यविधियों की सराहना की। समिति ने सार्वजनिक मामलों में गैर-सरकारी संगठनों तथा बुनियादी स्तर के संगठनों की सक्रिय सहभागिता तथा शिक्षा तथा साक्षरता के संबंध में राज्यों के प्रयासों को भी सराहा।

2. समिति ने जनसंख्या वृद्धि तथा अत्यधिक गरीबी के कारण पेश आ रही कठिनाइयों को भी नोट किया।

3. समिति ने मानवाधिकारों, महिला अधिकारों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त संसाधनों का प्रावधान करने और संगठनों की क्षमता और प्रभावकारिता को सुदृढ़ करने के लिए कहा है।

4. समिति ने 18 वर्ष से कम आयु के सभी व्यक्तियों, विशेषकर अत्यधिक कमजोर वर्गों के व्यक्तियों के संबंध में महिलाओं और पुरुषों के बारे में अलग-अलग आंकड़े इकट्ठे करने के लिए कहा है।

5. समिति ने आम जनता तथा विशेष रूप से बच्चों को बाल अधिकार कन्वेंशन के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्रदान करने का भी अनुरोध किया है।

(च) महिला एवं बाल विकास विभाग जून, 2000 में प्रस्तुत की जाने वाली दूसरी राष्ट्रीय रिपोर्ट तैयार कर रहा है। बाल अधिकार कन्वेंशन पर संयुक्त राष्ट्र समिति द्वारा की गयी अधिकांश टिप्पणियों को, जिनका उक्त भाग (ङ) में उल्लेख किया गया है, दिसम्बर, 1999 में प्रस्तुत हमारे उत्तर में पहले भी व्यक्त किया जा चुका है। सरकार बाल अधिकार कन्वेंशन के कार्यान्वयन को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है।

महाराष्ट्र में अनुसंधान परियोजनाएं

4671. **श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अनुसंधान और विकास के प्रोत्साहन और संवर्धन और देशी चिकित्सा पद्धतियों को अपनाने के लिए परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति और कार्यनिष्पादन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो वास्तविक और निर्धारित वित्तीय लक्ष्यों के मामले में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और योजना-वार और राज्य-वार क्या लक्ष्य प्राप्त किए गए हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र को प्रत्येक योजना के लिए परियोजनावार आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) केन्द्र सरकार के पास लंबित महाराष्ट्र के प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इन प्रस्तावों को स्वीकृति देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

मणिपुर में व्यावसायिक संस्थान

4672. श्री होलखोमांग हौकिप : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में मणिपुर में कार्यरत व्यावसायिक संस्थानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 1999-2000 के दौरान राज्य में सरकार द्वारा उनमें से कितने व्यावसायिक संस्थानों को मंजूरी प्रदान की गई;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान और आज की तारीख तक छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य को कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजन हेतु सरकार द्वारा वास्तव में कितनी धनराशि जारी की गई?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड़ पाटील): (क) माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की योजना के अंतर्गत उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार को तथा व्यावसायिक शिक्षा पर नवाचारी कार्यक्रम को चलाने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्तमान समय में मणिपुर राज्य सरकार द्वारा 19 स्कूलों में कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। कार्यक्रम को चलाने के लिए चार स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

(ख) 1999-2000 के दौरान निम्नलिखित स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान संस्वीकृत किए गए:

(1) समेकित ग्रामीण विकास सोसायटी, लिलोंग, इम्फाल, मणिपुर (जारी किया गया अनुदान : 77000/-रु.)

(2) केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा परिषद, न्यू लैम्बुलेन, द्वारा-लेंगटोन स्टोर, न्यू चीकोन, इम्फाल, मणिपुर (जारी किया गया अनुदान : 71,000/- रु.)

(ग) और (घ) विगत तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकार को आबंटित निधियां निम्न प्रकार हैं:

(रु. लाख में)

वर्ष	संस्वीकृत निधियां	जारी की गई निधियां
राज्य क्षेत्र		
1997-98	22.21	22.21
1998-99	शून्य	शून्य
1999-2000	8.00	8.00
(संवीकृति पुनः मान्य की गई)		
2000-2001	शून्य	
गैर-सरकारी संगठन क्षेत्र		
1997-98	1.50	1.50
1998-99	2.37	2.37
1999-2000	1.48	1.48
2000-2001	शून्य	शून्य

मेगा सिटी योजना के तहत चुने गए शहर

4673. श्री बाबूभाई के. कटारा :
श्री राम सिंह राठवा :
श्री चन्द्रेश पटेल :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1991 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या सहित मेगा सिटी योजना के अंतर्गत चुने गए शहरों के नाम क्या हैं;

(ख) वर्ष 1993 से 1998 तक केन्द्रीय राजस्व में बड़ौदा और अहमदाबाद की तुलना में हैदराबाद, बेंगलूर और मद्रास का योगदान कितना है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा अहमदाबाद के संबंध में विचार न किए जाने के क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ग) मेगा सिटी स्कीम में शामिल करने के लिए शहर के चयन का मूल आधार यह है कि 1991 की जनगणना के अनुसार शहर की आबादी 40 लाख से अधिक होनी चाहिए।

मेगा सिटी स्कीम के अन्तर्गत चुने गए शहरों के नाम, 1991 की जनगणना के अनुसार उनकी आबादी सहित, निम्नलिखित अनुसार हैं:-

शहर का नाम	आबादी (1991 की जनगणना)
	12.57 मिलियन
	10.52 मिलियन
चैन्नई	5.36 मिलियन
हैदराबाद	4.28 मिलियन
बैंगलूर	4.09 मिलियन

चूंकि 1991 की जनगणना के अनुसार अहमदाबाद की आबादी 40 लाख से कम थी इसलिए इसे स्कीम के अन्तर्गत शामिल नहीं किया गया।

हैदराबाद में उर्दू विश्वविद्यालय

4674. श्री के. येरननायडू : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार और अखिल भारतीय उर्दू शिक्षा समिति से हैदराबाद में उर्दू विश्वविद्यालय की स्थापना से संबंधित कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील): (क) और (ख) संसदीय अधिनियम "दी मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय अधिनियम 1996" के तहत एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय राष्ट्रीय मौलाना आजाद उर्दू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई जो कि 9.1.1998 से हैदराबाद में पहले से ही कार्यरत है।

नई उर्वरक परियोजनाएं स्थापित करना

4675. श्री चिंतामन वनगा : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों से राज्यों में विशेषकर महाराष्ट्र में नई उर्वरक परियोजनाएं स्थापित करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष-वार और राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कितनी परियोजनाएं स्वीकृत/अस्वीकृत की गई हैं/लंबित हैं;

(घ) लंबित प्रस्तावों पर कब तक स्वीकृति मिल जाने की संभावना है; और

(ङ) ऐसी परिस्थितियों का ब्यौरा क्या है जिनमें गैर-सरकारी क्षेत्र अथवा विदेशी पूंजी निवेश का प्रस्ताव किया गया है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) से (ङ) देश में नई उर्वरक परियोजनाओं की स्थापना करने हेतु किसी राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं क्योंकि दिनांक 24 जुलाई, 1991 के औद्योगिक नीति विषयक संकल्प के अनुसार नई उर्वरक परियोजनाओं की स्थापना करने हेतु लाइसेंस की सामान्यत: आवश्यकता नहीं है। उद्यमी पर्यावरणीय मंजूरी की शर्त पर देश में कहीं भी उर्वरक परियोजनाएं स्थापित करने के लिए स्वतंत्र है। तथापि, उर्वरक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सहकारी समितियों को उनको प्रदत्त अधिकारों से आगे ऐसा पूंजी व्यय करने से पूर्व सरकार का अनुमोदन लेना होता है। यूरिया के उत्पादन में प्राप्त लगभग आत्मनिर्भरता और वर्ष 2003-04 तक मांग आपूर्ति स्थिति के आकलन को भी ध्यान में रखते हुए सरकार ने भी सार्वजनिक/सहकारी क्षेत्र की निम्नलिखित उन परियोजनाओं के अलावा वर्ष 2003-04 तक देश में यूरिया उत्पादन की नई क्षमताओं को प्रोत्साहित न करने का निर्णय लिया है जिनके लिए सरकार द्वारा पहले

ही अप्रैल, 1999 में सिद्धान्त रूप से अनुमोदन प्रदान कर दिया है:-

क्र.सं.	परियोजना का स्थान	वार्षिक यूरिया क्षमता (लाख मी. टन)	अनुमानित पूंजी लागत (रु. करोड़)
1.	कृषक भारती कोआपरेटिव लि. (कृभको) की हजीरा, गुजरात में तीसरी स्ट्रीम अमोनिया-यूरिया विस्तार परियोजना	7.68	1318
2.	कृषक भारती कोआपरेटिव लि. (कृभको) का गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में एफ.सी.आई. के विद्यमान स्थल पर नया अमोनिया-यूरिया संयंत्र	7.68	1536
3.	इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लि. (इफको) का नेल्लोर, आंध्र प्रदेश में ग्रासरूट अमोनिया-यूरिया संयंत्र	7.68	1736
4.	राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि. (आर.सी.एफ.) का थाल, महाराष्ट्र में अमोनिया यूरिया विस्तार	7.68	1332

[हिन्दी]

स्टेडियमों का निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम

4676. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में खेल-कूद को बढ़ावा देने के लिए जिला सब-डिवीजन और ब्लॉक स्तरों पर स्टेडियमों का निर्माण करने और प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के लिए कोई योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) से (घ) जी, हां। विभाग की "खेल अवस्थापना के सृजन हेतु अनुदान" योजना के अंतर्गत, खेल अवस्थापना के सृजन हेतु वित्तीय सहायता कुछेक उच्चतम सीमा के अधीन, विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों, पर्वतीय/जनजातीय क्षेत्रों के लिए 75:25 के अनुपात में तथा अन्य क्षेत्रों के मामले में 50:50 के आधार पर उपलब्ध कराई जाती है। छोटे आकार के आऊटडोर तथा इंडोर स्टेडियम के निर्माण के लिए, अधिकतम केन्द्रीय सहायता उपर्युक्त दर्शाए गए अनुपात के अनुसार क्रमशः 15.00 से 22.50 लाख रुपये तथा 20.00 से 30.00 लाख रुपये उपलब्ध कराई जाती है। प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण (भा.खे.प्रा.) द्वारा उनकी प्रशिक्षण केन्द्र, विशेष क्षेत्र खेल, सेना बाल कम्पनी जैसी योजनाओं तथा राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना, जिसके अंतर्गत विभिन्न स्तरों पर तैनाती करने के लिए राज्यों को प्रशिक्षक प्रदान किए जाते हैं, के जरिए प्रशिक्षक उपलब्ध कराए जाते हैं।

[अनुवाद]

लिफ्ट आपरेटरों का न होना

4677. श्री रामसागर रावत : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी कार्यालयों में लिफ्ट बिना लिफ्ट आपरेटरों के चल रही हैं और कोई दुर्घटना हो जाने पर आवश्यक सहायता पहुंचाने में विलम्ब होता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुरक्षा उपाय किए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) सरकारी कार्यालयों में लिफ्टें सामान्यतया लिफ्ट चालकों द्वारा चलाई जा रही हैं और इसलिए किसी दुर्घटना के मामले में समय पर सहायता उपलब्ध है। इसके अलावा लिफ्टों में आपात अलार्म लगाया गया है और जरूरत पड़ने पर मशीन कक्ष/नियंत्रण कक्ष से संपर्क के लिए लिफ्ट यान में इंटरकॉम सुविधा भी है।

[हिन्दी]

उर्दू भाषा को बढ़ावा दिया जाना

4678. श्री सुबोध राय : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास उर्दू भाषा को बढ़ावा देने तथा इसके विकास के लिए कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील): (क) जी, हां।

[illegible] भाषा के प्रोन्नयन तथा विकास हेतु कई [illegible]रती है। राष्ट्रीय उर्दू भाषा प्रोन्नयन परिषद का स्थापना एक स्वायत्त निकाय के रूप में विशेषकर इसी उद्देश्य के लिए की गई है। परिषद् विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित करती है जैसे कंप्यूटरीकृत उर्दू सुलेखन तथा बहुभाषी डेस्क-टॉप प्रकाशन, उर्दू शिक्षकों को अंश-कालिक रूप से नियुक्त करने हेतु स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता देना तथा प्रकाशन, थोक खरीद और उर्दू पुस्तकों के संवितरण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना। इसके अलावा, केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर उर्दू अनुसंधान तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता है। स्कूलों में उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना राज्य सरकारों के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

पाठ्य पुस्तकों में संशोधन

4679. श्री संतोष मोहन देव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 19 दिसम्बर, 1999 को "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में "सफरीन जेनेरेशन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या एन.सी.ई.आर.टी. को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षाओं के लिए निर्धारित कुछ विषयों की पाठ्य पुस्तकों में संशोधन का अनुदेश दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो गत दो वर्ष के दौरान संशोधन हेतु प्रस्तावित/संशोधित पुस्तकों का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक मामले में संशोधनों के क्या कारण हैं; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के आलोक में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा "प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या-एक ढांचा" तैयार किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 को 1992 में अध्यतन किया गया तथा कार्य योजना 1992 में यह अपेक्षा की गई कि एन.सी.ई.आर.टी. अपने पाठ्यचर्या ढांचे को संशोधित करें। नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंग के रूप में एन.सी.ई.आर.टी. को स्कूली शिक्षा की पाठ्यचर्या को संशोधित करने का काम सौंपा गया था। इन नीतिगत निर्देशों के आलोक में तथा सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया के अंग में एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा हाल में "स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा" पर "चर्चा दस्तावेज" तैयार किया गया जिसे सार्वजनिक वाद-विवाद के लिए जनवरी 2000 में लोकार्पित किया गया है। राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरों पर इस दस्तावेज पर बहस तथा वाद-विवाद चल रहा है। शैक्षिक सत्र 1999-2000 से पुरानी पाठ्यपुस्तकों के स्थान पर कक्षा 8 में एक पाठ्यपुस्तक (सरस भारती भाग-3) तथा दो पूरक पाठशालाएं (संक्षिप्त बुद्धचरित) तथा (नवजीवन भाग 2) को शुरू किया गया है। इसके अलावा "पूर्व भाग 1" और कथाकलश भाग 1 के स्थान पर कक्षा IX में क्रमशः मानसी भाग-1 और संचयिका भाग 1 को शुरू किया गया है।

साइन्स क्लब

4680. श्री विजय कुमार खंडेलवाल : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से प्रभारियों तथा प्रतिभावान व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने हेतु 'साइन्स क्लब' के लिए अनुदान की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा'): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

केन्द्रीय विद्यालयों का कार्य-निष्पादन

4681. श्री कोडीकुनील सुरेश :
श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में देश में केन्द्रीय विद्यालय नेटवर्क के शैक्षिक कार्य-निष्पादन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों का राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्रीय विद्यालय नेटवर्क को प्रोत्साहन देने, विकसित करने, मजबूत बनाने और विस्तारित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) वर्ष 2000-2001 और अगले पांच वर्षों के लिए प्रत्येक राज्य हेतु इस संबंध में क्या नीति तैयार की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील): (क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन प्रत्येक वर्ष केन्द्रीय विद्यालयों के कार्य निष्पादन का अनुवीक्षण करता है और पिछले तीन वर्षों के दौरान क्षेत्रवार कार्यनिष्पादन संबंधी सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) से (घ) परिणामों में सुधार एक सतत प्रक्रिया है। संगठन ने कार्यनिष्पादन में सुधार लाने के लिए विभिन्न उपायों जैसे शैक्षिक कार्यकलापों का गहन अनुवीक्षण, संविदा आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति, शिक्षकों तथा प्रधानाचार्यों को व्यवस्थित ढंग से सेवाकालीन प्रशिक्षण देना और पाठ्यचर्या कार्यकलाप को प्रोत्साहन आदि के माध्यम से सुधार लाने की योजना बनाई है।

विवरण

कक्षा 10 के लिए क्षेत्र-वार परिणाम विश्लेषण

क्षेत्र	उत्तीर्ण %		
	1997	1998	1999
अहमदाबाद	86.89	81.71	83.41
बंगलौर	89.48	88.37	88.53
भोपाल	77.95	78.11	75.85
भुवनेश्वर	75.25	78.70	78.83
कलकत्ता	77.09	77.34	76.25
चंडीगढ़	74.97	74.50	79.60
चेन्नई	90.23	90.00	88.40
दिल्ली	78.48	78.15	81.88
देहरादून	83.29	72.62	75.15
गोवाहटी	78.34	72.82	69.07
ग्वालियर	78.36	65.40	71.56
हैदराबाद	77.24	82.60	81.00
जबलपुर	71.27	72.91	76.88
जयपुर	76.46	73.84	77.99
जम्मू	76.78	68.83	68.54
लखनऊ	78.29	73.62	75.48
मुम्बई	88.07	83.60	89.30
पटना	68.74	66.40	70.00
सिल्चर	74.31	75.04	61.77
केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय)	94.74	90.24	93.02

कक्षा 12 के लिए क्षेत्र-वार परिणाम विश्लेषण

क्षेत्र	उत्तीर्ण %		
	1997	1998	1999
अहमदाबाद	90.13	84.02	86.77
बंगलौर	91.88	87.24	93.46
भोपाल	86.38	85.02	81.81
भुवनेश्वर	79.58	77.20	85.81
कलकत्ता	78.38	83.45	83.45
चंडीगढ़	81.60	83.89	84.16
चेन्नई	93.00	86.10	90.60
	80.35	78.19	76.39
देहरादून	82.33	81.34	84.88
गोवाहाटी	78.44	70.02	78.48
ग्वालियर	83.26	79.58	79.35
हैदराबाद	86.09	79.20	89.18
जबलपुर	84.76	81.12	80.13
जयपुर	85.53	78.79	83.42
जम्मू	81.35	72.44	78.07
लखनऊ	85.94	81.01	77.19
मुम्बई	85.52	85.80	91.50
पटना	73.34	67.57	76.34
सिल्चर	72.68	65.44	72.14
केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय)	79.41	97.44	90.00

विश्व में क्षय रोग के मामले

4682. डा. जसवंत सिंह यादव :
श्रीमती रेनु कुमारी :
प्रो. दुखा भगत :
श्री किरीट सोमैया :
श्री दिन्शा पटेल :
श्री सुशील कुमार शिंदे :
श्री माधवराव सिंधिया :
श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्री चन्द्रनाथ सिंह :
प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :
श्री शंकरप्रसाद जायसवाल :
श्री नरेश पुगलिया :
श्री अब्दुल हमीद :
श्री आर.एल. जालप्पा :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री अवतार सिंह भडाना :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसी भारतीय शिष्टमंडल ने एम्सटरडम में आयोजित क्षयरोग उन्मूलन से संबंधित विश्व स्वास्थ्य संगठन में भाग लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के अन्य एशियाई देशों की तुलना में भारत में क्षयरोग के मामलों का प्रतिशत सबसे अधिक है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में राज्यवार वास्तविक स्थिति क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कितने मामले प्रकाश में आए;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष के दौरान क्षयरोग के उन्मूलन के लिए राज्यों को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गयी और अप्रयुक्त पड़े हुए धन का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(च) इस संबंध में सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध निदान संबंधी सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार का विचार इस रोग के उन्मूलन के लिए आरोग्य सदन की स्थापना के लिए कोई योजना तैयार करने का है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(झ) क्या मार्च 2000 में जेनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ञ) यदि हां, तो भारत के कौन-कौन से प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया;

(ट) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कानून द्वारा तम्बाकू के उपभोग को नियंत्रित करने के लिए कोई सिफारिश/रिपोर्ट भेजी है;

(ठ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों (1996-97 से 1998-99) के दौरान कार्यक्रम के अंतर्गत पता लगाये गये क्षय रोग के नये मामलों से संबंधित ब्यौरा संलग्न विवरण-I में है। चालू वर्ष के लिए अप्रैल 1999 से दिसम्बर 1999 तक पता लगाये गये मामलों से संबंधित स्थिति संलग्न विवरण-II में दी गयी है।

(ङ) संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम जिलों के लिए तथा गैर-संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम क्षेत्रों के लिए स्पुटम पॉजीटिव मामलों हेतु क्षय रोग-रोधी औषधियों की 100% आवश्यकताओं की अधिप्राप्ति तथा आपूर्ति राज्यों को केंद्र द्वारा की जाती है। केंद्र द्वारा परियोजना जिलों को द्विनेत्री सूक्ष्मदर्शियों की आपूर्ति भी की जाती है। तथापि, गैर-संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के स्पुटम निगेटिव मामलों के लिए क्षय रोग-रोधी औषधियों की खरीद के लिए राज्यों को नकद सहायता दी जाती है। संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न कार्यकलापों को शुरू करने के लिए परियोजना जिलों की जिला क्षय रोग सोसायटियों तथा राज्य क्षय रोग सोसायटियों को अनुदान-सहायता दी जाती है। क्षय रोग कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों को दी गयी वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(च) क्षय रोग कार्यक्रम 447 जिला क्षय रोग केंद्रों तथा 330 क्षय रोग चेस्ट क्लीनिकों के जरिए कार्यान्वित किया जाता है। केंद्रों में क्षय रोगियों को नि:शुल्क नैदानिक सुविधा प्रदान की जाती है। अच्छे निदान के लिए देश के संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम जिलों में 3000 से अधिक सूक्ष्मदर्शिकी केंद्र स्थापित किये गये हैं।

(छ) जी, नहीं।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

(झ) और (ञ) तम्बाकू नियंत्रण पर विश्व स्वास्थ्य संगठन फ्रेमवर्क सम्मेलन के कार्यदल की दूसरी बैठक जेनेवा में 27-29 मार्च, 2000 से आयोजित की गयी। इस बैठक में भारत सरकार की ओर से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव तथा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक ने भाग लिया।

(ट) और (ठ) विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तम्बाकू नियंत्रण पर भूमंडलीय फ्रेमवर्क सम्मेलन के विकास हेतु कदम उठाये हैं। तम्बाकू नियंत्रण पर फ्रेमवर्क सम्मेलन (एफ.सी.टी.सी.) की पहल इस तथ्य पर आधारित है कि तम्बाकू प्रत्येक देश में जन-स्वास्थ्य समस्या है। तस्करी जैसे इस समस्या के कुछ तत्व, जो राष्ट्रीय सीमाओं के पार सक्रिय होते हैं, इस समस्या को देशों द्वारा अलग से हल किया जाना कठिन बना देते हैं। इस उद्देश्य के गठित कार्यदल की पहली बैठक जेनेवा में 25 से 29 अक्टूबर, 1999 के बीच आयोजित की गयी। कार्यदल ने एफ.सी.टी.सी. के उद्देश्यों तथा प्रोटोकॉल के मुद्दों पर विचार-विमर्श किया और उससे संबंधित सुझाव प्रदान किये तथा इस प्रयोजन से प्रशासनिक प्रबंध भी किए। कार्यदल की दूसरी बैठक 27-29 मार्च, 2000 के दौरान आयोजित की गयी और कार्यदल की सिफारिशों के आधार पर एक अंतर्सरकारीय वार्ता निकाय फ्रेमवर्क सम्मेलन के मसौदे तथा संभावित संबंधित प्रोटोकॉल पर बातचीत करेगा। फ्रेमवर्क को वर्ष 2003 में अंतिम रूप दिये जाने की आशा है।

(ड) तम्बाकू के प्रयोग को हतोत्साहित करने के लिए एक व्यापक विधेयक लाने हेतु मंत्रीमंडलीय नोट का एक मसौदा तैयार किया जा रहा है।

विवरण-I

राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम

राज्य-वार पता लगाए गए रोगी

क्र.सं.	राज्य/संघ क्षेत्र का नाम	1996-97			1997-98			1998-99		
		लक्ष्य	उपलब्धियां	प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धियां	प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धियां	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आन्ध्र प्रदेश	78,620	65,660	83.5	98,495	74,137	75.27	96,488	78,467	81.32
2.	अरूणाचल प्रदेश	1,500	2,880	192.0	1,374	3,801	276.64	1,374	5,748	418.34
3.	असम	23,500	20,106	85.6	33,952	18,625	54.86	33,952	19,847	58.46
4.	बिहार	153,000	12,710	8.3	127,805	11,133	8.71	127,805	27,770	21.73
[illegible]	[illegible]	2,000	2,974	148.7	1,844	2,610	141.54	1,844	2,748	149.02
		133,900	116,158	86.7	62,369	104,635	167.77	62,369	125,534	201.28
7.	हरियाणा	29,000	35,267	121.6	25,530	37,668	147.54	25,530	33,384	130.76
8.	हिमाचल प्रदेश	9,000	12,084	134.3	7,893	5,347	67.74	7,893	5,768	73.08
9.	जम्मू व कश्मीर	6,240	11,014	176.5	11,734	26,993	230.04	11,734	18,258	155.60
10.	कर्नाटक	68,370	71,776	105.0	67,582	78,883	116.72	67,582	68,149	100.84
11.	केरल	33,800	36,829	109.0	42,314	19,711	46.58	42,314	13,808	32.63
12.	मध्य प्रदेश	87,220	90,858	104.2	101,487	77,045	75.92	101,987	78,390	76.86
13.	महाराष्ट्र	140,000	190,630	136.2	118,639	202,299	170.52	118,639	195,246	164.57
14.	मणिपुर	2,700	6,645	246.1	2,908	3,469	119.29	2,908	2,820	96.97
15.	मेघालय	2,560	4,618	180.4	2,809	3,080	109.65	2,809	2,788	99.25
16.	मिजोरम	1,000	1,223	122.3	1,098	1,332	121.31	1,098	1,390	126.59
17.	नागालैण्ड	1,250	1,350	108.0	1,934	1,626	84.07	1,934	2,380	123.06
18.	उड़ीसा	36,860	40,850	110.8	47,014	24,912	52.99	47,014	21,850	46,48
19.	पंजाब	41,900	48,260	115.2	30,652	42,121	137.42	30,652	39,520	128,93
20.	राजस्थान	45,000	69,344	154.1	68,475	46,071	67.28	68,475	52,072	76.05
21.	सिक्किम	1,000	2,800	280.0	645	1,861	288.53	645	2,104	326.20
22.	तमिलनाडु	99,000	104,823	105.9	81,128	114,065	140.60	81.128	116.195	143.22
23.	त्रिपुरा	2,880	2,528	87.8	4,366	2,601	59.57	4,366	3,340	76.50
24.	उत्तर प्रदेश	247,000	279,789	113.3	215,478	289,431	134.32	215,478	262,739	121.93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25.	पश्चिम बंगाल	69,000	74,352	107.8	102,287	65,018	63.56	102,287	62,428	61.03
26.	पांडिचेरी	3,200	3,401	106.3	446	711	159.42	1,281	3,863	301.56
27.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	500	635	127.0	1,023	1,819	177.81	446	720	161.43
28.	चंडीगढ़	1,000	1,711	171.1	220	506	230.00	1,023	1,801	176.05
29.	दादरा व नगर हवेली	250	300	120.0	161	0	0.00	220	266	120.91
30.	दिल्ली	42,000	42,951	102.3	13,500	43,313	320.84	13,500	13,000	96.30
31.	लक्षद्वीप	100	180	180.0	82	145	176.83	82	100	121.95
32.	दमण व दीव	150	244	162.7	1,281	417	32.55	161	150	93.17
	योग	1,363,500	1,354,950	99.4	1,276,525	1,305,385	102.26	1,275,018	1,262,643	99.03

विवरण-II

वर्ष 1999-2000 के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम के अधीन निर्धारित राज्य-वार लक्ष्य और पहले नौ माह (अप्रैल-दिसम्बर) की उपलब्धि

क्र.सं.	राज्य का नाम	स्पयूटम जांच			नए स्पयूटम पॉजीटिव मामलों कर हड़ताल		
		नौ महीनों के लिए	उपलब्धियां		नौ महीनों के लिए	उपलब्धियां	
		समानुपात लक्ष्य	संख्या	प्रतिशत	समानुपात लक्ष्य	संख्या	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	279818	211013	75.41	27983	18489	66.07
2.	अरूणाचल प्रदेश	3930	4949	125.93	390	269	68.97
3.	असम	97043	4037	4.16	9705	238	2.45
4.	बिहार	367958	12447	3.38	36795	1255	3.41
5.	गोवा	5265	9730	184.81	525	278	52.95
6.	गुजरात	178320	195399	109.58	17835	27178	152.39
7.	हरियाणा	73298	48624	66.34	7328	2201	30.04
8.	हिमाचल प्रदेश	22268	0	0.00	2228	0	0.00
9.	जम्मू व कश्मीर	33038	24861	75.25	3300	525	15.91
10.	कर्नाटक	192885	143692	74.50	19290	13173	68.29

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	केरल	119933	0	0.00	11993	0	0.00
12.	मध्य प्रदेश	293798	37904	12.90	29378	1466	4.99
13.	महाराष्ट्र	337950	503869	149.10	33795	45004	133.17
14.	मणिपुर	8303	6568	79.11	833	832	99.94
15.	मेघालय	8025	2881	35.90	803	369	45.98
16.	मिजोरम	3143	3005	95.62	315	229	72.70
17.	नागालैण्ड	5550	1258	22.67	555	390	70.27
	[illegible]	133260	39318	29.50	13328	4037	30.29
		87285	130653	149.69	8730	7070	80.99
20.	राजस्थान	197400	57853	29.31	19740	19585	99.21
21.	सिक्किम	1845	6109	331.11	188	354	188.80
22.	तमिलनाडु	229710	353203	153.76	22973	18727	81.52
23.	त्रिपुरा	12473	9365	75.09	1245	461	37.03
24.	उत्तर प्रदेश	623865	549137	88.02	62385	42008	67.34
25.	पश्चिम बंगाल	292395	33551	11.47	29243	3042	10.40
	संघ क्षेत्र						
26.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	1275	2831	222.04	128	88	69.02
27.	चंडीगढ़	2933	1254	42.76	293	39	13.33
28.	दादरा व नगर हवेली	630	0	0.00	60	0	0.00
29.	दमन व दीव	465	620	133.33	45	41	91.11
30.	दिल्ली	45683	45988	100.67	4568	18211	398.71
31.	लक्षद्वीप	233	143	61.51	23	0.	0.0
32.	पांडिचेरी	3660	18859	515.27	368	991	269.66
	योग	3663630	2459121	67.12	366360	226550	61.84

विवरण-III

राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम आवंटन 1997-98, 1998-99 तथा 1999-2000

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ क्षेत्र का नाम	1996-97 आवंटन	1997-98 आवंटन	1998-99 आवंटन	1999-2000 विदेशी सहायता प्राप्त	1999-2000 सामान्य
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	198.00	550.00	445.24	190.14	292.62
2.	अरूणाचल प्रदेश	9.25	10.00	18.32	0.00	2.54
3.	असम	34.75	342.00	108.64	36.16	77.97
4.	बिहार	152.50	728.00	709.14	660.82	393.91
5.	गोवा	9.25	4.00	20.11	0.00	3.17
6.	गुजरात	211.50	348.00	663.48	1148.95	54.93
7.	हरियाणा	28.75	62.00	70.51	0.00	79.13
8.	हिमाचल प्रदेश	54.25	43.00	138.84	126.24	7.40
9.	जम्मू व कश्मीर	13.50	29.00	33.91	0.00	37.30
10.	कर्नाटक	92.25	351.00	475.19	562.32	139.03
11.	केरल	149.25	265.00	480.08	869.04	16.65
12.	मध्य प्रदेश	121.00	588.00	329.95	115.33	302.84
13.	महाराष्ट्र	410.00	619.00	659.37	549.86	302.98
14.	मणिपुर	10.50	20.00	34.45	31.17	0.49
15.	मेघालय	9.75	20.00	8.79	0.00	8.60
16.	मिजोरम	8.75	8.00	12.97	0.00	3.48
17.	नागालैण्ड	9.00	13.00	12.34	0.00	2.77
18.	उड़ीसा	46.25	273.00	172.20	202.61	122.77
19.	पंजाब	35.50	76.00	85.25	0.00	95.98
20.	राजस्थान	208.00	386.00	298.74	215.70	181.70
21.	सिक्किम	9.25	1.00	187.82	0.00	1.90
22.	तमिलनाडु	127.00	452.00	348.86	478.78	181.70
23.	त्रिपुरा	9.75	30.00	12.96	0.00	13.36

1	2	3	4	5	6	7
24.	उत्तर प्रदेश	222.00	1189.00	808.75	300.49	597.08
25.	पश्चिम बंगाल	258.00	586.00	508.19	2012.39	70.79
26.	दिल्ली	171.00	108.00	136.63	0.00	0.00
27.	पांडिचेरी	8.00	100.00	12.85	0.00	2.78
28.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	18.00	24.00	11.01	0.00	1.25
29.	चंडीगढ़	20.00	52.00	12.96	0.00	3.47
30.	दादरा व नगर हवेली	16.00	11.00	0.59	0.00	0.67
31.	दमन व दीव	18.00	8.00	0.43	0.00	0.49
		15.00	5.00	0.21	0.00	0.25

बेंगलूर में मलिन बस्ती पुनर्वास

4683. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार : क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "हुडको" द्वारा बेंगलूर शहर में हस्ताक्षर किए गए मलिन बस्ती पुनर्वास कार्यक्रम के लिए 250 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है;

(ख) यदि हां, तो "हुडको" द्वारा यह राशि कर्नाटक सरकार को कब तक जारी किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या "हुडको" का कर्नाटक में मैसूर और अन्य शहरों में मलिन बस्ती पुनर्वास के लिए निधि आबंटित करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) बंगलौर महानगर पालिका (बी.एम.पी.) द्वारा व्यापक स्लम विकास कार्यक्रम के लिए 250 करोड़ रुपए की राशि नियत की गई हैं। लेकिन यह हडको तथा कर्नाटक सरकार के बीच 29.12.1999 को हुए समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) में अंश नहीं है।

(ख) बंगलौर महानगर पालिका एजेंसी द्वारा स्लम विकास के प्रथम चरण के लिए आवश्यक 100 करोड़ रु. में से 50% राशि दिसम्बर 2000 तक निकाल लिए जाने की आशा है।

(ग) और (घ) मैसूर तथा राज्य के अन्य शहरों में स्लम पुनर्वास के लिए धनराशि के नियतन हेतु हुडको को कर्नाटक सरकार से कोई विशिष्ट योजना प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

उपक्रमों में सी.आई.एस.एफ. की तैनाती

4684. श्री ए. नरेन्द्र : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को उपक्रमों में तैनात किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस बल को कितने उपक्रमों में तैनात किया गया है;

(ग) इन उपक्रमों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान चोरी के कितने मामले प्रकाश में आए हैं; और

(घ) उन मामलों में अंतर्ग्रस्त सम्पत्ति का मूल्य कितना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी.एच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

को 247 सार्वजनिक क्षेत्र के/अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों में तैनात किया गया है।

(ग)

वर्ष	मामलों की संख्या
1997	1948
1998	3149
1999	5976
कुल	11073

(घ) अन्तर्ग्रस्त संपत्ति का कुल मूल्य लगभग 6.57 करोड़ रु. है।

विदेशी सहायता से शहरों का विकास

4685. चौधरी तेजवीर सिंह :
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :
श्री हरिभाई चौधरी :
श्री राजो सिंह :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष बिहार सहित विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा शहरों के विकास के संबंध में केन्द्र सरकार को भेजे गये प्रस्तावों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) स्वीकृत/अनधिकृत/लम्बित पड़े प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान इस उद्देश्य के लिए विभिन्न राज्यों को दिये गये आबंटन का राज्यवार, योजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार देश के कुछ कस्बों/शहरों को विदेशी सहायता/विश्व बैंक सहायता से विकसित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या विश्व बैंक या कोई अन्य अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था किसी योजना के लिए देश में विशेषकर बिहार और कर्नाटक में शहरों/कस्बों के विकास के लिए वित्तीय सहायता देने को तैयार हो गई है;

(च) यदि हां, तो इसका परियोजना-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या इन योजनाओं के विकास की निगरानी के लिए कोई व्यवस्था है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (झ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

दिल्ली में अवैध निर्माण का नियमितीकरण

4686. श्री विजय गोयल : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख तक दिल्ली में कितने अवैध निर्माण नियमित किए गए हैं;

(ख) क्या इसमें व्यापारिक कार्यों हेतु बनाए गए अवैध निर्माण भी शामिल हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या आवासीय क्षेत्रों में व्यापारिक कार्य किए जा सकते हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन अवैध निर्माणों के नियमितीकरण से दिल्ली नगर निगम को कितना वित्तीय लाभ हुआ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जाएगी तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बिहार में सी.जी.एच.एस. सुविधाओं का विस्तार

4687. श्री राजो सिंह : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार में सी.जी.एच.एस. की सुविधाओं का विस्तार किए जाने के संबंध में राज्य से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) रांची स्थित महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व कार्यालय के केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों के अतिरिक्त अन्य विभागों से संबंधित केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों तक केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना सुविधाओं का विस्तार करने के लिए कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनकी सरकार द्वारा जांच की गई है।

हालांकि, सी.आर. कालोनी, पटना में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना सुविधाओं के विस्तार हेतु एक प्रस्ताव को नौवीं पंचवर्षीय योजनावधि में शामिल किया गया है, लेकिन वित्तीय कमी और एस.आई.यू. रिपोर्ट के कार्यान्वित न किए जाने के कारण फिलहाल कोई नया केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय खोलना व्यवहार्य नहीं होगा।

सबको शिक्षा

4688. श्री मोहम्मद शहाबुद्दीन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा चलाए गए "सबको शिक्षा" कार्यक्रम के अंतर्गत कमजोर वर्गों, अल्पसंख्यकों और विकलांगों को शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(ख) इस अभियान के अंतर्गत अब तक हासिल की गई उपलब्धि का ब्यौरा क्या है और बिहार में इस अभियान के लिए किन-किन जिलों का चयन किया गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार प्राथमिक शिक्षा के सहित व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कोई व्यापक योजना तैयार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील): (क) से (घ) सरकार "सर्व शिक्षा अभियान" (सबको शिक्षा के लिए जन आन्दोलन) की प्रक्रिया को अंतिम रूप दे रही है। प्रारंभिक शिक्षा को मिशन के रूप में सार्वजनिक बनाने के लिए प्रस्तावित सर्व शिक्षा अभियान का एक समग्र तथा संकेन्द्रित कार्यक्रम है। सर्व शिक्षा अभियान में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, निर्धन वर्गों, अल्पसंख्यकों के बच्चों और विकलांग बच्चों के शैक्षिक विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

[अनुवाद]

कृत्रिम कार्निया

4689. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के अग्रणी समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार के अनुसार नेत्रहीन लोगों की दृष्टि लौटाने के लिए वैज्ञानिकों ने कृत्रिम कार्निया विकसित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस उपलब्धि के फलस्वरूप कितने लोग लाभान्वित होंगे; और

(घ) भारत में कृत्रिम कार्निया कब तक उपलब्ध हो जाएंगे?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) से (घ) कार्नियल "इक्वीवेलेंट" के विकास पर प्रयोगशालाओं में अभी भी अनुसंधान किए जा रहे हैं। नैदानिक परीक्षण किये जाने से पूर्व अभी इसमें और समय लगने की संभावना है। नेत्र-दाता की आंख से कॉर्निया प्राप्त करने की वर्तमान प्रथा कॉर्नियल अंधता के उपचार हेतु भविष्य में जारी रहने की आशा है।

[हिन्दी]

श्रमिक विद्यापीठ

4690. श्री बृज भूषण शरण सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने कितने श्रमिक विद्यापीठों की स्थापना की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और वे विद्यापीठ किसके नियंत्रण में कार्य कर रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील): (क) और (ख) जी, हां। अब तक स्थापित की गई श्रमिक विद्यापीठों जिन्हें अब जन शिक्षण संस्थानों के नाम से जाना जाता है, की राज्यवार सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

श्रमिक विद्यापीठों की स्थापना स्वैच्छिक संगठनों/विश्वविद्यालयों/राज्य सरकारों के तत्वावधान में की जाती है। दिल्ली स्थित श्रमिक

विद्यापीठ की स्थापना इस मंत्रालय के एक अधीनस्थ कार्यालय, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय के एक उप-एकक के रूप में की गई थी। श्रमिक विद्यापीठ के कार्यों की व्यवस्था अलग-अलग विद्यापीठों के प्रबंध बोर्ड द्वारा की जाती है।

विवरण

विभिन्न राज्यों में स्थापित की गई श्रमिक विद्यापीठों की सूची

आन्ध्र प्रदेश

1. गुंटुर
2. हैदराबाद
3. रंगारेड्डी
4. काकीनाडा
5. विजयवाड़ा
6. विशाखापटनम
7. अंगोले
8. तिरूपति

असम

1. सिलचर

बिहार

1. जमशेदपुर
2. गया
3. पटना
4. दरभंगा

दिल्ली

1. दिल्ली
2. जहांगीरपुरी

गुजरात

1. अहमदाबाद
2. सूरत
3. वडोदरा
4. भरूच

हरियाणा

1. फरीदाबाद
2. सिरसा
3. सोनीपत

केरल

1. त्रिवेन्द्रम
2. कालीकट
3. त्रिशूर

मध्य प्रदेश

1. इंदौर
2. ग्वालियर
3. रतलाम
4. उज्जैन
5. सतना
6. भोपाल
7. रायपुर
8. गुना

महाराष्ट्र

1. वर्ली (मुम्बई)
2. धारावी (मुम्बई)
3. औरंगाबाद
4. कोल्हापुर
5. नागपुर
6. नासिक
7. पुणे
8. सिन्धुदुर्ग

उड़ीसा

1. राऊरकेला
2. कटक
3. भुवनेश्वर

राजस्थान

1. अजमेर

2. जयपुर

3. जोधपुर

4. कोटा

जम्मू और कश्मीर

1. जम्मू

कर्नाटक

1. बंगलौर

2. मैसूर

4. तुमकुर

5. रायचूर

6. शिमोगा

उत्तर प्रदेश

1. लखनऊ

2. कानपुर

3. गाजियाबाद

4. फैजाबाद

5. इलाहाबाद (शहरी)

6. इलाहाबाद (ग्रामीण)

7. उन्नाव

8. नरायनपुर

9. वाराणसी

10. बस्ती

11. अम्बेडकर नगर

12. सुलतानपुर

13. प्रतापगढ़

14. जौनपुर

पश्चिम बंगाल

1. कलकत्ता

2. नरेन्द्रपुर

3. हल्दिया

संघ राज्य क्षेत्र

1. चंडीगढ़

तमिलनाडु

1. चेन्नई

2. कोयम्बटूर

3. मदुरै

4. त्रिचुरापल्ली

5. वेल्लौर

[अनुवाद]

संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले पुलिसकर्मी

4691. श्री रामजी मांझी : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली पुलिस के आयुक्त ने ऐसं अधिकारियों तथा पुलिसकर्मियों की सूची बनाने के निर्देश दिए हैं जिनकी सत्यनिष्ठा संदिग्ध है तथा जिन पर अपराधियों के साथ सांठ-गांठ होने का शक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दिल्ली में पुलिसकर्मियों की छवि में सुधार लाने हेतु पुलिस प्रमुख द्वारा अन्य कौन से उपाय किए गए हैं;

(घ) क्या दिल्ली में पुलिसकर्मी, लोगों को डरा धमका कर, दबाव डाल कर उनसे पैसा ऐंठते हैं तथा लोगों को फर्जी आधार पर हिरासत में रखते हैं; और

(ङ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इस मामले में कितने पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया गया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी.एच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। दिल्ली पुलिस ने, उनकी सतर्कता युनिट द्वारा रखी गयी, संदिग्ध निष्ठा वाले पुलिस अधिकारियों की सूची को अद्यतन करने का काम शुरू कर दिया है।

(ग) दिल्ली पुलिस की सार्वजनिक छवि को सुधारने के लिए किए गए उपाय निम्न प्रकार से हैं:-

(क) पुलिस मुख्यालय में सतर्कता शाखा को सुदृढ़ करना;

(ख) प्रत्येक पुलिस जिले में लोक शिकायत एकक का गठन;

(ग) कदाचार/दुर्व्यवहार में संलिप्त पाए गए अधिकारियों के खिलाफ निवारक कार्रवाई;

(घ) मानवाधिकारों का सख्ती से पालन करने पर जोर;

(ङ) पुलिस आयुक्त सहित वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पुलिस कार्मिकों को बार-बार ब्रीफ करना;

(च) जनता के हित के लिए टेलीफोन सं. 3319222 निर्धारित करना ताकि पुलिस अधिकारियों द्वारा परेशान किए जाने के मामले में वे तत्काल मदद मांग सकें;

(छ) पोस्ट बाक्स सं. 171 निर्धारित करना ताकि जनता किसी पुलिस कार्मिक की आपराधिक या भ्रष्ट गतिविधियों के बारे में पुलिस आयुक्त को सूचित कर सकें;

(ज) जिले के पुलिस उप-आयुक्त के फैक्स नम्बर को विज्ञापित करना ताकि जनता और संबंधित पुलिस उप-आयुक्त के बीच सीधे सम्पर्क स्थापित हो सके।

(घ) ऐसे कुछ दृष्टांत है जब पुलिस अधिकारियों विशेष के खिलाफ इस प्रकार की शिकायतें की गयी हैं।

(ङ) अपेक्षित सूचना निम्न प्रकार से है:-

वर्ष	गिरफ्तार किए गए पुलिस अधिकारियों की संख्या
1997	11
1998	13
1999	8
2000 (15.4.2000 तक)	10

एड्स के मरीजों के लिए अस्पताल

4692. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में एड्स की महामारी नियंत्रण से बाहर हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार एड्स के मरीजों के लिए विशेष अस्पताल खोलने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) सभी सरकारी अस्पतालों में एड्स के रोगियों का दूसरे रोगियों की तरह बिना किसी भेदभाव के उपचार किया जाता है।

उर्वरक उत्पादकों को हानियां

4693. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 1 अप्रैल, 2000 के "बिजनेस स्टैंडर्ड" में "फर्टिलाइजर मेकर्स मे इन्कर लासिज ड्यू टू डम्पिंग" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) और (ख) जी, हां। डी.ए.पी. को 24.8.92 से नियंत्रणमुक्त कर दिया गया है और इसके आयातों को 17.9.1992 से असरणीबद्ध कर दिया गया है। तथापि, सरकार स्वदेशी तथा आयातित डी.ए.पी. के लिए कृषि तथा सहकारिता विभाग की रियायत योजना के तहत अधिकतम खुदरा मूल्यों और रियायत की दरों का निर्धारण करती है। डी.ए.पी. के स्वदेशी उत्पादक अलाभकर स्थिति में हैं क्योंकि इसके उत्पादन के लिए अपेक्षित कच्चे माल/मध्यवर्ती देश में उपलब्ध नहीं है। इस अलाभकर स्थिति की प्रतिपूर्ति के लिए आयातित डी.ए.पी. की तुलना में स्वदेशी डी.ए.पी. के लिए रियायत की दर को अधिक रखा जाता है। वर्ष 1999-

2000 के लिए सरकार ने स्वदेशी डी.ए.पी. तथा आयातित डी.ए.पी. के लिए क्रमश: 4600 रुपए प्रति मी. टन (अनंतिम) तथा 3200 रुपए प्रति मी. टन की रियायत निर्धारित की थी। रियायत की इन दरों पर, स्वदेशी उत्पादन 38.58 लाख मी. टन हुआ है जो वर्ष 1999-2000 के लिए 37.25 लाख मी. टन के लक्ष्य से अधिक है। इसी अवधि में लगभग 33 लाख मी. टन का आयात किया गया है। इस प्रकार अधिक आयातों के बावजूद भी घरेलू उत्पादन को हानि नहीं हुई है।

बाजार में स्वदेशी और आयातित दोनों डी.ए.पी. की बिक्री प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर की जाती है। सरकार की भूमिका नीति को लागू करना है जो स्वदेशी उत्पादन और आयातों, दोनों को प्रेरित करती है।

[illegible] आपूर्तिकर्ताओं द्वारा देश में डी.ए.पी. के [illegible] बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है और न ही इस उद्योग का यह मत रहा है कि डी.ए.पी. के भंडार एकत्र किए जाते रहे हैं।

गरीबी उपशमन हेतु योजनाएं

4694. **श्री जी.एस. बसवराज :**
श्री अवतार सिंह भडाना :

क्या **शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार गरीबी उपशमन और रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु नई योजना तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या जनवरी, 2000 के दौरान राज्य शहरी रोजगार मंत्रियों और सचिवों की बैठक बुलाई गई थी;

(ग) यदि हां, तो बैठक में किन विषयों पर चर्चा की गई थी; और

(घ) बैठक में क्या निर्णय लिए गए?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण

4695. **श्री अकबर अली खांदोकर : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण कब तक हो रहा है तथा इसके सर्वेक्षण में लगी एजेंसी द्वारा इसका सर्वेक्षण कब तक पूरा कर लिया जायेगा;

(ख) क्या इस सर्वेक्षण में कलकत्ता तथा अन्य महानगरों पर विशेष जोर दिए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) 1998-99 के दौरान देश में त्रिपुरा राज्य को छोड़कर सभी 26 राज्यों में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (दूसरा दौर) किया गया है। अन्तरराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, मुम्बई इस सर्वेक्षण के लिए नोडल अभिकरण है। अशान्त स्थिति के कारण त्रिपुरा में यह सर्वेक्षण नहीं किया जा सका। 16 राज्यों की प्रारम्भिक रिपोर्टें प्रकाशित कर दी गई हैं। अखिल भारतीय स्तर पर महत्वपूर्ण सूचकों के प्रारंभिक अनुमान मई, 2000 के अन्त तक उपलब्ध हो जायेंगे और इस वर्ष के अन्त तक अन्तिम रिपोर्ट प्रकाशित हो जाने की आशा है। राज्य स्तर की अन्तिम रिपोर्टें तैयार की जा रही हैं और वर्ष 2001 के अन्त तक प्रकाशित हो जाने की आशा है।

(ख) और (ग) अधिक नमूनों के आकार वाले चार महानगरीय शहरों नामत: मुम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और चेन्नई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। जनांकिकी, सामाजिक और स्वास्थ्य पैरामीटरों की राज्य स्तर की अन्तिम रिपोर्टों में इन शहरों के पृथक अनुमान उपलब्ध हो जायेंगे। मुम्बई के लिए मलिन बस्ती के क्षेत्रों के इन पैरामीटरों के अनुमान भी तैयार किए जाएंगे।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा अध्ययन

4696. **श्री रामजीवन सिंह : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भोपाल गैस त्रासदी में बचे लोगों में विभिन्न रोगों के बारे में 1983 से 1994 तक अनेक अध्ययन करने वाली भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद को 1994 में बंद कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) और (ख) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने भोपाल में दिसम्बर, 1984 में हुई गैस रिसाव दुर्घटना के समय गैस के प्रभाव से स्वास्थ्य पर पड़े अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक प्रभावों का दस्तावेज तैयार करने के लिए अनुसंधान कार्यक्रम प्रारम्भ किए थे। इन परियोजनाओं के विशिष्ट प्रयोजन थे और ये समयबद्ध थीं और ये तदनुसार परिसमाप्त हुई थीं। इनमें से अन्तिम (परियोजना) मार्च, 1994 में परिसमाप्त हुई थी।

एशियाई खेल, 2006

4697. श्री भीम दाहाल : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने "एशियाई खेल, 2006" अपने देश में आयोजित कराये जाने का दावा किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अन्य किन देशों ने अपने देश में खेल आयोजित कराये जाने का दावा किया है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) और (ख) भारत सरकार के अनुमोदन से, भारतीय ओलम्पिक संघ, जो कि एशियाई खेलों के आयोजन के लिए एक शीर्ष निकाय है; 2006 में दिल्ली में होने वाले एशियाई खेलों के आयोजन हेतु दावेदारी कर रहा है।

(ग) मलेशिया, हांगकांग और कतार ने भी एशियाई खेल, 2006 अपने देश में आयोजित कराने का दावा प्रस्तुत किया है।

असम में प्लास्टिक विनिर्माताओं को कच्चा माल

4698. श्री अब्दुल हामिद : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कच्चा माल उपलब्ध न होने के कारण असम में छोटे पैमाने के प्लास्टिक विनिर्माता कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का इस संबंध में क्या कार्रवाई करने का विचार है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) असम में लघु उद्योग प्लास्टिक निर्माताओं से कच्चे माल की अनुपलब्धता के कारण उनके द्वारा झेली जा रही कठिनाइयों, यदि कोई हों, के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

मूर्तियों की चोरी

4699. डा. मदन प्रसाद जायसवाल : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में मंदिरों से मूर्तियों की चोरी होने के मामलों में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन घटनाओं को रोकने के लिए कोई प्रयास किये हैं अथवा करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) और (ख) गत वर्षों के दौरान मूर्तियों की चोरी के संबंध में उपलब्ध सूचना विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) से (ङ) "लोक व्यवस्था" और "पुलिस" राज्य के विषय होने के कारण, अपराध को दर्ज करने, उसकी जांच-पड़ताल करने, पता लगाने और रोकथाम करने की जिम्मेवारी मुख्यतः राज्य सरकारों की है। तथापि, जहां तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नियंत्रणाधीन केन्द्रीय तौर पर संरक्षित स्मारकों/संग्रहालयों से मूर्तियों की चोरी का संबंध है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों के सामंजस्य के साथ, सीमा शुल्क निकासी बिंदुओं पर गहन करके तथा पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 को सख्ती से लागू करके मूर्तियों की चोरी रोकने के लिए उपाय किए हैं। इसके अलावा, केन्द्रीय तौर पर संरक्षित चुनिंदा स्मारकों/संग्रहालयों में सशस्त्र गार्डों की तैनाती की गई है।

विवरण

1997, 1998, 1999 में मूर्तियों की चोरी के मामलों/घटनाओं की राज्य-वार संख्या को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1997	1998	1999
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार	0	0	0
2.	आन्ध्र प्रदेश	23	44	58
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0
4.	असम	2	0	2
5.	बिहार	1	0	0
		0	0	0
[illegible]	दमण और दीव	0	0	0
8.	दादरा और नागर हवेली	0	0	0
9.	दिल्ली	0	0	4
10.	गोवा	11	16	17
11.	गुजरात	0	1	0
12.	हरियाणा	0	0	2
13.	हिमाचल प्रदेश	2	13	9
14.	जम्मू और कश्मीर	3	2	1
15.	कर्नाटक	1	1	3
16.	केरल	4	1	7
17.	लक्षद्वीप	0	0	0
18.	मध्य प्रदेश	1	8	59
19.	मेघालय	1	0	0
20.	महाराष्ट्र	4	2	5
21.	मणिपुर	0	0	0
22.	मिजोरम	0	0	1
23.	नागालैंड	0	0	0
24.	उड़ीसा	6	2	9

1	2	3	4	5
25.	पंजाब	0	0	1
26.	पांडिचेरी	0	0	0
27.	राजस्थान	21	23	28
28.	सिक्किम	1	0	0
29.	तमिलनाडु	16	17	24
30.	त्रिपुरा	0	0	0
31.	उत्तर प्रदेश	17	64	51
32.	पश्चिम बंगाल	27	21	41
	कुल	141	215	322

मस्जिद में छिपे आतंकवादी

4700. श्री चन्द्रेश पटेल :
श्री हरीभाऊ शंकर महाले :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जम्मू और कश्मीर में कुपवाड़ा में कुछ आतंकवादी दिनांक 26 मार्च, 2000 को एक मस्जिद में छिप गये थे;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) इस मस्जिद को खाली कराने के लिए सरकार ने क्या कार्रवाई की है;

(घ) इस घटना में कितने सुरक्षाकर्मी/नागरिक मारे गये/आहत हुए;

(ङ) क्या इस दुर्घटना में प्रभावित परिवारों को मुआवजा दिया गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस प्रकार की दुर्घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी.एच. विद्यासागर राव): (क) से (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 25 मार्च की शाम को, 3 उग्रवादियों के एक ग्रुप ने चाक डोघीपोरा में एक मस्जिद में प्रवेश किया, जोकि हडवाड़ा, कुपवाड़ा से करीब 5 कि.मी. दूर है। सुरक्षा बलों ने मस्जिद को खाली कराने के उद्देश्य से उस क्षेत्र की घेराबंदी की। उग्रवादियों और सुरक्षा बलों के बीच दोनों ओर से हुई गोलीबारी में सभी तीनों उग्रवादी और एक सुरक्षा बल कर्मी मारा गया और सेना का एक अधिकारी घायल हो गया।

(ङ) और (च) उग्रवादी कार्रवाई में मारे गए व्यक्तियों के परिवारों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा राहत सहायता प्रदान की जाती है।

(छ) सुरक्षा बल सतर्क हैं और उग्रवाद को नियंत्रित करने के लिए सभी संभव प्रयास कर रहे हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उग्रवादियों को बाहर खदेड़ना, सीमा पर गहन चौकसी, दोनों ओर से होने वाली घुसपैठ को रोकने के लिए अन्दरूनी क्षेत्रों में और नाका पार्टियों की स्थापना करना, और ज्यादा पिकिटें स्थापित करना, गश्त गहन करना और व्यापक घेराबंदी और तलाशी अभियान शामिल हैं।

हृदय रोग विशेषज्ञ

4701. डा. संजय पासवान : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उन सामान्य चिकित्सकों तथा अन्य चिकित्सकों को जो स्वयं को हृदय रोग विज्ञान हेतु आवश्यक विशिष्टता के बिना हृदय रोग विशेषज्ञ कहते हैं, को चेतावनी देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा हृदय रोग से पीड़ित रोगियों के हितों को सुरक्षित रखने हेतु क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

हथियारों की बरामदगी

4702. श्री माधवराव सिंधिया :
श्री सुशील कुमार शिंदे :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में हथियार गिराए ...संख्या में बरामद हथियार गायब हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गायब हथियारों की जांच के क्या परिणाम निकले; और

(घ) पुरूलिया में हथियार गिराने के मामले में भारतीय सहयोगियों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने में भारत सरकार की असफलता के क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी.एच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरो, जिसे पुरूलिया में हथियार गिराए जाने के मामले की जांच का कार्य सौंपा गया है, ने सूचित किया है कि हवाई जहाज से गिराए गए अधिकांश हथियार और गोला बारूद बरामद कर लिया गया है। गायब हुए हथियार और गोला बारूद के ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न हैं।

(ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अनुसार, ऐसा लगता है कि गायब हुए अधिकांश हथियार अपराधियों के हाथों में चले गए हैं। विभिन्न राज्यों के पुलिस बलों के साथ निकट सामंजस्य के साथ हथियारों इत्यादि को बरामद करने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं।

(घ) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने यह सूचित किया है कि उनकी जांच-पड़ताल से संलिप्त छः भारतीयों का पता चला जिनके विरूद्ध इस मामले में आरोप-पत्र दाखिल किए गए थे। लेकिन उनमें से केवल एक को गिरफ्तार किया गया और उस पर मुकदमा चलाया गया लेकिन उसे दोषमुक्त कर दिया गया जबकि छः विदेशियों को दोषी ठहराया गया। शेष पांच भारतीय फरार हैं और उन्हें न्यायालय द्वारा घोषित अपराधी घोषित किया गया है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने उनकी गिरफ्तारी के संबंध में सूचना देने वाले किसी भी व्यक्ति को एक लाख रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से नकद पुरस्कार देने की घोषणा की है। इन व्यक्तियों को गिरफ्तार करने और उन्हें न्याय के लिए उपस्थित करने हेतु गंभीरता से प्रयास किए जा रहे हैं।

विवरण

गायब हुए हथियार और गोलाबारूद का ब्यौरा

क्र.सं.	विवरण	गायब हुए हथियार
1.	ए.के. 47 राइफल *	50
2.	ए.के. 47 राइफल के लिए 7.62 एम.एम. (गोलाबारूद)	3761
3.	9 एम.एम. पिस्तौल	14
4.	9 एम.एम. गोलाबारूद	2115
5.	रॉकिट लांचर के लिए बूस्टर	31
6.	स्निपर राइफलों के लिए 7.62 × 54 गोलाबारूद	376
7.	हैंड ग्रेनेड	35
8.	टैंक रोधी ग्रेनेड	22

जेनेटिक इंजीनियरिंग और टिशु कल्चर

4703. श्री पी.डी. एलानगोवन : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा जेनेटिक इंजीनियरिंग और टिशु कल्चर के क्षेत्र में वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) जेनेटिक इंजीनियरिंग और टिशु कल्चर के द्वारा विकसित किए जाने वाले पशुओं और पौधों की प्रजातियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस क्षेत्र में चल रही परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(घ) विदेशी धन से वित्तपोषित परियोजनाओं सहित शुरू की जा रही/शुरू की जाने वाली नई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा'): (क) से (ग) बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने उत्पादकता, पौषणिक गुणवत्ता तथा कीट एवं रोगों की प्रतिरोधक्षमता में वृद्धि के लिए फसल सुधार के क्षेत्रों में आनुवंशिक इंजीनियरी और टिशू कल्चर तकनीकों के अनुप्रयोग पर बल दिया है। इसी प्रकार, वन वृक्षों, बागवानी और रोपण फसलों, औषधीय तथा सुगन्धित पादपों एवं मलबरी के लिए टिशू कल्चर तकनीकों पर गहन अनुसंधान किए गए हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान एवं विशेषज्ञता में सुधार लाने के लिए कई अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं और बहु-सांस्थानिक नेटवर्क परियोजनाएं तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम कार्यान्वित किए गए हैं।

फसल जैवप्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, प्रमुख फसलों अर्थात् कपास, चावल, गेहूं, पिजनपी, चिकपी, मूंगबीन, रेपसीड तथा सरसों, टमाटर, पत्तागोभी एवं केले में पराजीनी पादपों के विकास के लिए 15 अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं और 2 बहु-सांस्थानिक परियोजनाएं शुरू की गई हैं। संकर बीज उत्पादन और रोग प्रतिरोध के लिए अनेक अनुसंधान संकेतों के अतिरिक्त, सरसों, मूंगबीन, चावल, कपास तथा टमाटर के पराजीनी पादपों को पहले ही विकसित किया गया है। विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थानों में पादप आण्विक जीवविज्ञान केन्द्रों की स्थापना की गई है। आयातित पराजीनी रोपण सामग्री के लिए एक राष्ट्रीय नियंत्रण/संगरोध सुविधा को अनुमोदित किया गया है। हाल ही में नई दिल्ली में एक स्वायत्तशासी संस्थान—राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की गई है।

टिशू कल्चर क्षेत्र के अन्तर्गत औषधीय तथा सुगन्धित पादपों में 8 परियोजनाएं, पिछले 3 वर्षों में प्रोटोकॉल विकास, उत्कृष्ट रोपण सामग्री के टिशू कल्चर के माध्यम से पुनरूत्पादन के लिए पिछले 3 वर्षों में वनवृक्ष/बागवानी एवं रोपण फसलों/मसालों के क्षेत्र में 41 परियोजनाएं क्रियान्वित की गईं। इसके अतिरिक्त बड़े पैमाने पर टिशू कल्चर पादपों के उत्पादन के लिए पुणे एवं नई दिल्ली में दो सूक्ष्मप्रवर्धन पार्कों, तीन हार्डनिंग एककों और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एक सैटेलाइट केन्द्र की स्थापना की गई है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान उपर्युक्त कार्यकलापों के लिए लगभग 29.00 करोड़ रुपये आवंटित किये गये।

पशुओं के मामलों में, पराजीनी पशु माडलों के विकास के लिए चूहों, खरगोशों, बकरियों, कार्पो एवं जेबरा फिश पर आनुवंशिक इंजीनियरी अनुसंधान शुरू किए गए ताकि चिकित्सीय महत्व के प्रोटीनों का निष्पीडन, एन्थ्रेक्स वैक्सीन का विकास, ओवाइन ग्रोथ हार्मोन का उत्पादन तथा आवारा कुत्तों की आबादी पर नियंत्रण हो सके। पहले से उपलब्ध अनेक अनुसंधान संकेतों के अलावा दो पराजीनी पशु माडल सुविधाओं की स्थापना की गई है। पिछले 3 वर्षों में लगभग 5.37 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया।

ब्यौरा वार्षिक रिपोर्ट 1999-2000 में दिया गया है।

(घ) जैवप्रौद्योगिकी में भारत-स्विस सहयोग के अन्तर्गत आनुवंशिक इंजीनियरी और मार्कर सहाय्यित उत्पादन के जरिये गेहूं में सुधार और साथ में गेहूं एवं दालों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए जैवउर्वरक तथा जैवकीटनाशकों के विकास एवं अनुप्रयोग के क्षेत्रों में वर्ष 2000-2001 के दौरान 13 परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। इन परियोजनाओं का वित्तपोषण भारत सरकार और स्विट्जरलैंड सरकार के बीच लागत में साझेदारी के आधार पर किया जा रहा है।

आपराधिक घटनाएं

4704. श्री किशन सिंह सांगवान : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के परिसर और आसपास के क्षेत्र में चेन छीनने, छेड़छाड़ करने और बलात्कार करने आदि जैसी आपराधिक घटनाएं बहुधा होती रही हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले एक वर्ष के दौरान पता चली ऐसी घटनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस संबंध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए/दंडित किए गए; और

(घ) सरकार द्वारा राजधानी में ऐसी आपराधिक घटनाएं रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी.एच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) वर्ष 1999 के दौरान जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय परिसर से कुल मिलाकर अपराध के तीन मामले सूचित किए गए हैं। इनमें बलात्कार, छेड़-छाड़ और छीना-झपटी प्रत्येक का एक-एक मामला शामिल है। इनमें से, दो मामलों के सिलसिले में तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था और उक्त दोनों मामले न्यायालय में विचाराधीन है।

(घ) राजधानी में ऐसी आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में, अन्य बातों के साथ-साथ, बीट गश्त का बढ़ाना, सामरिक महत्व के स्थानों पर सशस्त्र पिकटों की तैनाती, आसूचना तंत्र का सुदृढ़ीकरण, अपराधियों और

आतंकवादियों के छिपने के संदिग्ध ठिकानों पर निकट से नजर रखना और निरन्तर छापे मरना, घरेलू नौकरों के पूर्ववृत्त का सत्यापन, आपराधिक पृष्ठ भूमिवाले अपराधियों पर निगरानी बढ़ाना, पड़ोसी राज्यों के अधिकारियों के साथ समन्वय बैठकें, आवासीय कल्याण संगठनों के सदस्यों के साथ बैठकें, प्रत्येक पुलिस जिले में आतंकवाद विरोधी प्रकोष्ठ का गठन, और चलती बसों, बाजारों व्यवसायिक स्थानों और अपराध बहुल स्थानों पर सादे वस्त्रों में पुलिस कर्मियों को तैनात करना शामिल है।

घटिया पेन्ट का प्रयोग

4705. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर सरकारी मकानों में किए गए सफेदी कार्य की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस वर्ष के दौरान ऐसे अनेक स्थानों [illegible] का इस्तेमाल किया गया;

[illegible] हां, तो इसके लिए जिम्मेदार ठेकेदार के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो समीक्षा न करने के क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी हां।

(ख) जी नहीं, किसी भी स्थान पर घटिया पेन्ट का इस्तेमाल नहीं पाया गया।

(ग) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) उपर्युक्त (क) तो देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विज्ञान शिक्षा

4706. प्रो. रासा सिंह रावत :
श्री कृष्णमराजू :
श्री सी. कुप्पुसामी :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** 14 दिसम्बर, 1999 के आतारांकित प्रश्न संख्या 2251 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार तथा आज की तारीख तक शेष राज्यों विशेषकर राजस्थान, आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु में इस योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) इस उद्देश्य हेतु राज्य-वार वास्तव में कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन राज्यों में इस योजना में कितने स्कूलों को शामिल किया गया तथा क्या प्रगति हुई?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील): (क) और (ख) 1997-98 से लेकर 1999-2000 तक के वर्षों के दौरान सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए आवंटित निधियों तथा खर्च न किए गए शेष को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) 1997-98 से लेकर 1999-2000 तक के वर्षों के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विभिन्न घटकों के अंतर्गत वित्तीय सहायता निम्नलिखित के रूप में प्रदान की गई है:

घटक	स्कूलों की संख्या
विज्ञान किटें	3814
विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना	2507
विज्ञान प्रयोगशालाओं का स्तरोन्नयन	1411
पुस्तकालय में पुस्तकें	945

विवरण

'स्कूलों में विज्ञान शिक्षा में सुधार' नामक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	1997-98		1998-99		1999-2000	
		आवंटित निधि	खर्च न की गई राशि	आवंटित निधि	खर्च न की गई राशि	आवंटित निधि	खर्च न की गई राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	—	—	—	—	480.00	देय नहीं
2.	अरूणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	असम	—	—	—	—	—	—
4.	बिहार	—	—	—	—	—	—
5.	गोवा	—	—	9.08	9.08	7.76	देय नहीं
6.	गुजरात	—	—	—	—	—	—
7.	हरियाणा	—	—	—	—	—	—
8.	हिमाचल प्रदेश	24.78	—	152.64	8.00	—	—
9.	जम्मू व कश्मीर	—	—	—	—	—	—
10.	कर्नाटक	—	—	—	—	—	—
11.	केरल	175.22	—	—	—	349.00	देय नहीं
12.	मध्य प्रदेश	—	—	—	—	—	—
13.	महाराष्ट्र	—	—	—	—	—	—
14.	मणिपुर	—	—	—	—	—	—
15.	मेघालय	—	—	—	—	—	—
16.	मिजोरम	—	—	—	—	129.76	देय नहीं
17.	नागालैंड	—	—	—	—	—	—
18.	उड़ीसा	—	—	—	—	1350.00	देय नहीं
19.	पंजाब	—	—	—	—	—	—
20.	राजस्थान	—	—	—	—	—	—
21.	सिक्किम	—	—	—	—	1.22	देय नहीं
22.	तमिलनाडु	—	—	—	—	—	—
23.	त्रिपुरा	—	—	—	—	—	—
24.	उत्तर प्रदेश	—	—	252.00	252.00	—	—
25.	पश्चिम बंगाल	—	—	—	—	—	—
26.	पांडिचेरी	1.20	—	2.04	—	3.54	देय नहीं
27.	अ.नि. द्वीपसमूह	—	—	—	—	—	—
28.	चण्डीगढ़	—	—	—	—	—	—
29.	दा. न. हवेली	—	—	—	—	—	—
30.	दिल्ली	—	—	—	—	—	—
31.	दमन व दीव	—	—	—	—	—	—
32.	लक्षद्वीप	—	—	—	—	3.60	देय नहीं

[अनुवाद]

अ.जा./अ.ज.जा./अन्य पिछड़े वर्गों को प्रदान किए गए रोजगार

4707. **श्री अमर रायप्रधान :** क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष वर्ग-वार उनके मंत्रालय के अंतर्गत विभागों/कार्यालयों में अ.जा./अ.ज.जा./अन्य पिछड़े वर्ग के कितने लोगों को नौकरियां दी गईं;

(ख) मार्च 31, 2000 तक उक्त कार्यालयों में अ.जा./अ.ज.जा./अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रिक्त पदों की कुल संख्या कितनी है; और

(ग) इन रिक्त स्थानों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जाने का विचार है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) और (ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) रिक्त पदों को भरने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

विवरण

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान दिए गए रोजगारों की संख्या

	1997-98			1998-99			1999-2000		
श्रणा	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.
समूह "क"	-	-	-	-	-	-	-	-	1
समूह "ख"	-	-	-	1	1	1	-	-	1
समूह "ग"	-	-	3	1	-	-	-	-	1
समूह "घ"	-	-	-	-	-	-	-	-	-

31.3.2000 तक की स्थिति के अनुसार आरक्षित रिक्त पदों की संख्या

श्रेणी	अ.जा.	अ.ज.जा.	अन्य पिछड़े वर्ग
समूह "क"	-	-	-
समूह "ख"	1	-	2
समूह "ग"	3	-	2
समूह "घ"	-	2	-

संस्कृत भाषा के प्रोत्साहन के लिए अनुदान

4708. **श्री कृष्णमराजू :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का संस्कृत भाषा को प्रोत्साहन देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन अनुसंधान संस्थानों की संख्या कितनी है जिन्हें संस्कृत के प्रोत्साहन के लिए अनुदान दिया जा रहा है और पिछले तीन वर्षों के दौरान इस उद्देश्य के लिए जारी की गई धनराशि का वर्ष-वार और संस्था-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या संस्कृत अनुसंधान अकादमी, मेलकोट, कर्नाटक ने संस्कृत के लिए तकनीकी विकास और संस्कृत के कम्प्यूटर

सहायक शिक्षण पैकेज के कार्यों के लिए अनुदान की मांग की है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील): (क) और (ख) जी, हां। संस्कृत के प्रोत्साहन के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) मुख्यत: चार अनुसंधान संस्थानों को संस्कृत के प्रोत्साहन के लिए कर्नाटक राज्य सरकार के माध्यम से अनुदान दिया गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान उनको जारी राशि संस्थावार और वर्ष वार संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(घ) और (ङ) जी, हां। संस्कृत के प्रौद्योगिकी विकास और कंप्यूटर की सहायता से संस्कृत के शिक्षण पैकेज पर लक्षित कार्यकलापों के लिए अनुदान के वास्ते संस्कृत अनुसंधान अकादमी, मेलकोट, कर्नाटक का प्रस्ताव विचाराधीन है।

विवरण-I

संस्कृत भाषा के प्रोत्साहन के लिए सरकार की संस्कृत शिक्षा के विकास की एक केन्द्रीय योजनागत योजना है जिसकी छह उपयोजनाएं अर्थात् (1) ख्याति प्राप्त संस्कृत पंडितों को वित्तीय सहायता देना, (2) उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में संस्कृत का अध्ययन करने वाले छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान करना, (3) माध्यमिक विद्यालयों में संस्कृत के शिक्षण के लिए सुविधाएं प्रदान करना, (4) संस्कृत पाठशालाओं का आधुनिकीकरण करना, (5) राज्य सरकारों के स्वयं के कार्यक्रमों से संस्कृत का प्रोत्साहन और (6) विद्यालयों, संस्कृत कालेजों/विद्यापीठों में संस्कृत के शिक्षण की कार्यप्रणाली में सुधार करने और इस उद्देश्य के लिए शिक्षकों के प्रबोधन की योजनाओं के वास्ते राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, सम विश्वविद्यालयों/केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। भारत सरकार विभिन्न संस्थाओं अर्थात् राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली, महर्षि सन्दीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली और राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरूपति के माध्यम से भी संस्कृत को प्रोत्साहित करती है। ये संस्थाएं आदर्श संस्कृत महाविद्यालय/शोध संस्थानों और स्वैच्छिक संस्कृत संगठनों, संस्कृत पुस्तकों के प्रकाशन और खरीद, शास्त्र चूडामणि योजना के कार्यान्वयन और संस्कृत के प्रोत्साहन के लिए अखिल भारतीय संस्कृत वाग्मिता प्रतिस्पर्धा, वैदिक सम्मेलन आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने सहित अनेक योजनाओं को कार्यान्वित करती है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय प्रत्येक वर्ष पन्द्रह संस्कृत और एक पाली/प्राकृत विद्वानों को संबंधित क्षेत्रों में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए सम्मान स्वरूप राष्ट्रपति का पुरस्कार प्रमाण पत्र प्रदान करता है।

विवरण-II

(रुपए लाख में)

	अनुसंधान संस्थान का नाम	मुक्त की गई राशि		
		1997-98	1998-99	1999-2000
1.	संस्कृत अनुसंधान अकादमी मेलकोट, कर्नाटक	10.70	7.50	12.50
2.	कल्पतरू अनुसंधान अकादमी बंगलौर, कर्नाटक	7.50	8.23	5.54
3.	द्वैत वेदान्त, अध्ययन और अनुसंधान प्रतिष्ठान संख्या 33/163, 10-बी, मेन रोड, जयनगर, 1 ब्लाक, बंगलौर-560002	-	6.85	9.29
4.	वेदान्त भारती (वेद वेदान्त) अध्ययन और अनुसंधान संस्थान, श्री योगान्देश्वर सरस्वती मठ, मैसूर, कर्नाटक	-	-	10.93

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में अनुसंधान और विकास केन्द्र

4709. श्री साहिब सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के संबंध में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में अनुसंधान और विकास (आर. एण्ड डी.) केन्द्र की कोई आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ...यकवाड पाटील): (क) और (ख) माध्यमिक/...क शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास एक निरन्तर प्रक्रिया है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.) जो एक स्वशासी संगठन है, अपने नियमों और विनियमों के अंतर्गत गठित विभिन्न समितियों के माध्यम से पाठ्यचर्या, परीक्षा और मूल्यांकन के क्षेत्रों में इन कार्यकलापों को सम्पादित करता है।

पूर्वोत्तर राज्यों के मामलों के लिए पृथक विभाग

4710. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पूर्वोत्तर राज्यों के मामलों के लिए एक पृथक विभाग बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (ग) जी हां, श्रीमान्। गृह मंत्रालय में पूर्वोत्तर मामलों के लिए विभाग खोलने संबंधी एक प्रस्ताव है। प्रस्ताव को शीघ्र ही अन्तिम रूप दे दिया जाएगा।

सैन्य कर्मी

4711. श्री सुल्तान सल्लाउद्दीन ओवेसी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अर्ध-सैनिक बलों के कितने कर्मियों की मौत हुई;

(ख) सरकार के पास पारिवारिक पेंशन, अनुकम्पा के आधार पर उनके आश्रितों को रोजगार और अन्य आर्थिक लाभों के कितने मामले लंबित हैं; और

(ग) इन मामलों को तेजी से निपटाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी.एच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गोवा में बाल यौन शोषण

4712. श्री जितेन्द्र प्रसाद : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पर्यटकों के साथ जबरन सेक्स करने के लिए देशभर से पश्चिमी भारत के गुजरात, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र राज्यों से बालिकाएं/बालक लाये जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले में इन राज्य सरकारों को आगाह किया है;

(ग) क्या बाल यौन शोषण के मामलों के मद्देनजर पर्यटन केन्द्रों में स्थित अनाथालय तथा ऐसे अन्य स्वयं सेवी संगठनों के कामकाज की जांच किए जाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

प्रतिनिधिमंडल की जेनेवा यात्रा

4713. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1999-2000 के दौरान कितने व्यक्तियों के प्रतिनिधिमंडल ने सम्मेलनों में भाग लेने हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन, जेनेवा की यात्रा की;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किया गया; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) 1999-2000 के दौरान सम्मेलनों में भाग लेने के लिए 15 प्रतिनिधियों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन, जेनेवा का दौरा किया।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विद्यालयों में जनसंख्या नियंत्रण को एक विषय के रूप में शुरू करना

4714. डा. वी. सरोजा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सभी शिक्षण संस्थानों में उच्चतर माध्यमिक स्तर पर "जनसंख्या नियंत्रण" को एक विषय के रूप में शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्राथमिक स्तर से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्तर तक स्कूली शिक्षा क्षेत्र की पाठ्यचर्या और पाठ्यपुस्तकों, अध्ययन-अध्यापन प्रक्रिया तथा सह पाठ्यचर्या कार्यकलापों में जनसंख्या के मुद्दों से जुड़ी महत्वपूर्ण अवधारणाओं, बातों और अंतर्वस्तुओं को शामिल किया गया है।

[हिन्दी]

टूथपेस्ट का उत्पादन

4715. श्री पी.एस. गढ़वी :
प्रो. दुखा भगत :
श्री अशोक कुमार सिंह चंदेल :
डा. संजय पासवान :
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
श्री श्रीप्रकाश जायसवाल :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश की टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनियां विशेषज्ञों द्वारा इस संबंध में निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन नहीं कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनियों द्वारा गुमराह करने वाले विज्ञापन के माध्यम से लोगों को ठगने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्या उपाय किये गये हैं; और

(घ) इस संबंध में लोकहित की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) और (ख) औषध एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली 1945 की अनुसूची "एस" में निर्धारित गुणवत्ता मानकों को टूथ पेस्टों के सभी निर्माताओं द्वारा अनिवार्य रूप से बनाए रखना अपेक्षित है।

(ग) और (घ) टूथ पेस्टों के भ्रामक विज्ञापनों द्वारा जनता को धोखा देने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए अग्रणी/निर्माताओं, केन्द्रीय और राज्य औषध नियंत्रण प्रशासन के प्रतिनिधियों, उपभोक्ता संगठन और प्रसाधन सामग्री निर्माता संघ की एक बैठक बुलाई गई थी। टूथ पेस्ट के लिए अनुमत्य दावों हेतु दिशानिर्देश निर्धारित करने के लिए विषय निर्वाचन समिति का गठन किया गया था। निर्माताओं ने स्वेच्छा से इन दिशानिर्देशों को अपनाया है।

उत्पाद शुल्क में विसंगतियां

4716. श्री भेरूलाल मीणा : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्पाद शुल्क कानून में विसंगतियां और इसके प्रति सरकार के उदासीन रवैये के कारण कीटनाशी दवाओं संबंधी उद्योग संकट के दौर से गुजर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रभुत्व के परिणामस्वरूप ऐसी दो सौ इकाइयां बंद हो गई हैं और शेष बंद होने के कगार पर हैं;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा कीटनाशी दवा संबंधी उद्योग को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) सी.बी.डी.टी. द्वारा जारी परिपत्रों के आधार पर वर्ष 2000-01 के केन्द्रीय बजट से पूर्व तकनीकी पेस्टिसाइडों तथा सूत्रयोगों के लिए विभिन्न स्तर के उत्पाद शुल्क लागू थे। पेस्टिसाइड उद्योग तकनीकी पेस्टिसाइडों तथा उनके सूत्रयोगों पर एक समान 8% उत्पाद शुल्क के लिए अभ्यावेदन करता रहा है। वर्ष 2000-01 के केन्द्रीय बजट में पेस्टिसाइडों पर एक समान 16% उत्पाद शुल्क लगाया गया है।

(ख) और (ग) पेस्टिसाइड उद्योग में स्वदेशी कंपनियों का काफी हिस्सा होता है। हालांकि रुग्णता तथा बंद होने के विभिन्न कारण हो सकते हैं, तथापि इस क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के वर्चस्व के कारण पेस्टिसाइड इकाइयों के बन्द होने के संबंध में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

[illegible] उद्योग को गति देने के लिए उठाए गए [illegible] बातों के साथ-साथ विनियंत्रण, पंजीकरण प्रक्रियाओं का सरलीकरण और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए संस्थागत ढांचामूलक सुविधाओं को सुदृढ़ करना शामिल है।

मानव विकास सूचकांक

4717. श्री सुकदेव पासवान :
डा. सुशील कुमार इन्दौरा :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत मानव विकास सूचकांक, 1999 की सूची में विश्व के 174 देशों में 132वें स्थान पर है;

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या प्रसिद्ध विद्वान डा. स्वामीनाथन ने सन् 2000 तक देश को 132वें स्थान से 50वें स्थान पर लाने के लिए कार्यान्वयन हेतु कुछ सुझाव दिए थे; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील): (क) से (घ) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.) न्यूयार्क द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट, 1999 में भारत को 132वें स्थान पर रखा गया है। तथापि, विभाग को 2000 तक मानव विकास सूचकांक में भारत की स्थिति सुधारने के लिए किसी सुझाव के संबंध में कोई जानकारी नहीं है।

[अनुवाद]

रेलपटरियों की तोड़फोड़ रोकने के हेतु योजना

4718. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निर्जन क्षेत्रों में रेल-पटरियों की तोड़फोड़ तथा उनके साथ छेड़छाड़ को रोकने हेतु कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए राज्यों के मुख्य सचिवों की बैठक बुलाई गई थी;

(घ) यदि हां, तो बैठक किस निष्कर्ष पर पहुंची;

(ङ) क्या सरकार का विचार ऐसी गतिविधियां रोकने के अपने प्रयास में पंचायतों और युवाओं को शामिल करने का है;

(च) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

द्वितीय रक्षा रेखा का गठन

4719. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार द्वितीय रक्षा रेखा गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

आई.एस.आई. पर श्वेत पत्र

4720. श्री ब्रज मोहन राम :
कुमारी उमा भारती :
श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री सी.पी. राधाकृष्णन :
श्री अशोक ना. मोहोल :
श्री सी. श्रीनिवासन :
श्री नरेश पुगलिया :
श्रीमती कांति सिंह :
श्री राम प्रसाद सिंह :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आई.एस.आई. की गतिविधियों पर एक श्वेत पत्र जारी करने के अपने निर्णय को स्थगित कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी.एच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) आई.एस.आई. की गतिवधियों पर श्वेत-पत्र के संबंध में सभी संगत पहलुओं की इस समय बारीकी से जांच की जा रही है।

नक्सली हिंसा

4721. श्री प्रहलाद सिंह पटेल : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नक्सली हिंसा के संबंध में अन्तराष्ट्रीय स्तर पर कोई बैठक हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन बैठकों में जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित करने संबंधी कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार के समक्ष लंबित पड़ा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विकास हेतु मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित कोई कार्य योजना केंद्र सरकार के समक्ष लंबित पड़ी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थिति क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी.एच. विद्यासागर राव): (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) और (घ) एक माननीय सांसद ने, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसदों की एक बैठक बुलाने का प्रस्ताव किया है।

(ङ) और (च) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भेजी गई कार्य योजना को संस्तुत करके इस प्रयोजनार्थ अलग से धन निर्धारित करने के लिए योजना आयोग को भेजा गया है। राज्य सरकार को पुरजोर अनुवर्ती कार्रवाई करने की सलाह दी गई है।

शिशु आहार

4722. श्री राशिद अलवी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि यूनाइटेड किंगडम में हुए अनुसंधान के अनुसार सोया तत्व के माध्यम से फाइटोस्टेरल्स वाला शिशु आहार छोटे बच्चों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए उपयुक्त नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या है;

(ग) क्या ऐसे उत्पादों पर ठीक ढंग से लेबल लगाए जाने की आवश्यकता है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

मलिन बस्तीवासियों के लिए रिहायशी इकाइयां

4723. श्री भालचन्द्र यादव : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले दशक के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण ने रिहायशी इकाइयां उपलब्ध कराने हेतु मलिन बस्तीवासियों का पंजीकरण किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक कितने पंजीकृत व्यक्तियों को रिहायशी इकाइयां उपलब्ध कराई गई हैं;

(ग) पुनर्वास हेतु एक दशक से अधिक समय से प्रतीक्षारत पंजीकृत व्यक्तियों के संबंध में सरकार की वर्तमान नीति/प्रस्ताव क्या हैं;

(घ) शेष पंजीकृत व्यक्तियों को रिहायशी इकाइयां कब तक उपलब्ध करा दी जाएंगी;

(ङ) क्या पंजीकृत व्यक्तियों को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा चलाई जा रही अन्य आवास योजनाओं में प्राथमिकता देने हेतु कोई योजना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

...ालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) जी, हां। डी.डी.ए. के स्लम विंग (अब एम.सी.डी. के अधीन) ने "रेजीडेन्शियल फ्लैट्स रजिस्ट्रेशन स्कीम फार स्लम डवेलर्स एण्ड अदर्स-1985" नामक स्कीम शुरू की थी। अब तक इस स्कीम के अधीन 5419 पंजीकृत व्यक्तियों को फ्लैट आबंटित किए गए हैं।

(ग) और (घ) स्लम एवं झुग्गी-झोपड़ी विभाग (एम.सी.डी.) ने सूचित किया है कि वे फ्लैट्स उपलब्ध होने पर शेष पंजीकृत व्यक्तियों को फ्लैट मुहैया कराने के लिए वचनबद्ध हैं। तथापि, इस बारे में कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

(ङ) और (च) जी, नहीं।

[हिन्दी]

जैव कृषि

4724. श्रीमती शीला गौतम : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जैव कृषि में लगे किसानों की कोई सूची बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार कम लागत वाले आदानों पर आधारित कृषि को प्रोत्साहन देने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार जैव कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास पर निवेश करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा'): (क) से (घ) प्रौद्योगिकी विकास और जैवकीटनाशियों और जैवउर्वरकों के प्रदर्शन के अंतर्गत देश भर के लगभग 2,50,000 किसानों और विस्तार कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया है। इसका उद्देश्य फसल उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए किसानों को कम कीमत पर सामग्रियां उपलब्ध कराना और मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखना है। पौष्टिकता और कीट प्रबन्ध पर एक एकीकृत परियोजना को लागू किया गया है। बहुत सी आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण फसलों के लिए उचित जैवउर्वरकों और जैवकीटनाशियों के बहु उत्पादन के लिए कई प्रौद्योगिकियों का विकास किया गया है और उनका किसानों के खेतों में प्रदर्शन किया गया है। इनमें से कुछ प्रौद्योगिकियों को बड़े पैमाने पर उत्पादन करने और विपणन करने के लिए इन्हें छोटे उद्यमियों को हस्तांतरित किया गया है। किसानों और विस्तार कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान करके सरकार जैव-कृषि के संबंध में एकीकृत रूप में वृद्धि कर रही है जिसमें 9वीं योजना के दौरान पौष्टिकता और कीट प्रबंध शामिल हैं।

(ङ) जी हां।

(च) सरकार जैव-कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को सहायता दे रही है जिनमें नए उत्पाद विकास, आण्विक स्तर का ज्ञान, गुणवत्ता नियंत्रण, शेल्फ-जीवन आदि भी शामिल हैं। जैवनियंत्रक अभिकर्मकों तथा जैवउर्वरकों के प्रयोग का विस्तार एवं इसे प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकारों तथा कुछ उभरते हुए उद्यमियों को गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं के साथ-साथ उत्पादन एककों की स्थापना के लिए अनुदान दिए जा रहे हैं।

शुद्ध पेयजल की उपलब्धता

4725. श्री के.पी. सिंह देव : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के शहरी क्षेत्रों में शुद्ध पेय जल की उपलब्धता तेजी से कम हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने शहरी क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए योजना राशि में वृद्धि की है;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों को इस प्रयोजन के लिए राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जल संसाधन मंत्रालय की सितम्बर, 1999 में प्रकाशित एकीकृत जल संसाधन विकास के राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1997-98, 2010, 2025 और 2050 में उपयोग योग्य जल की उपलब्धता और विभिन्न प्रयोगों के लिए जल की आवश्यकता/मांग का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में है। जहां तक शहरी जनसंख्या को पेय पानी की आपूर्ति का संबंध हैं विभिन्न राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों यथा लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी विभाग/ जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्डों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर 31.3.97 की स्थिति के अनुसार लगभग 90 प्रतिशत शहरी आबादी को जल आपूर्ति सुविधाएं सुलभ थी। तथापि, अधिकतर शहरी क्षेत्रों में जल की गुणवत्ता और मात्रा मानकों के अनुसार नहीं है। विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार आबादी, जिसे जल आपूर्ति सुविधा प्राप्त आबादी के राज्य-वार का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में हैं।

(ख) से (घ) जल आपूर्ति राज्य का विषय है, अतः जल आपूर्ति सुविधाओं के लिए योजना बनाना, चलाना, उनका परिपालन और अनुरक्षण तथा इस हेतु अपने राज्य योजना राशि में पर्याप्त धन की व्यवस्था करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। तथापि 20,000 (1991 की जनगणना के अनुसार) से कम आबादी वाले शहरों में जल आपूर्ति की सुविधाएं मुहैया कराने के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता देने हेतु 1993-94 में त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम नामक एक केन्द्र प्रवर्तित योजना शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत केन्द्र और राज्य के बीच 50:50 के अनुपात से राज्यों को केन्द्रीय सहायता दी जाती है। इस स्कीम के अन्तर्गत शहरी विकास मंत्रालय द्वारा पिछले 3 वर्षों के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों को केन्द्रीय हिस्से के रूप में दी गई राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में है।

विवरण-I

मात्रा : घन किलो मीटर में (कि.मी. 3)

	1997-98	2010	2020	2050
उपयोगी योग्य उपलब्ध जल सभी प्रकार के उपयोगों के लिए	996	996	996	996
जल की अनुमानित आवश्यकता	629	694	784	973
(इसमें से घरेलू उपयोग के लिए आवश्यकता)	(30)	(42)	(55)	(90)

घरेलू उपयोग के लिए जल की आवश्यकता ब्रैकेट (कोष्ठक) में दर्शाई गई है तथा यह शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों के लिए है। शहरी क्षेत्रों के लिए अलग से आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

विवरण-II

शहरी विकास मंत्रालय

शहरी जल आपूर्ति की स्थिति-भारत (31.3.97 की अनंतिम स्थिति)

(जनसंख्या हजारों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	31.3.97 को अनुमानित आबादी	निम्नलिखित से जल आपूर्ति प्राप्त आबादी			
			एचएससी	पीएसपी	जोड़	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	16937	10377	4318	14695	86.76
2.	अरूणाचल प्रदेश	228	171	45	216	95.58

1	2	3	4	5	6	7
3.	असम	4239	429	1573	2002	47.23
4.	बिहार	11892	4187	5327	9514	80.00
5.	दिल्ली	10300	4730	4540	9270	90.00
6.	गोवा	504	310	106	416	82.54
7.	गुजरात	16810	13227	3307	16534	98.36
8.	हरियाणा	3705	2408	1297	3705	100.00
9.	हिमाचल प्रदेश	546	328	218	546	100.00
10.	जम्मू तथा कश्मीर	2030	1421	609	2030	100.00
11	कर्नाटक	14172	9681	3494	13175	92.97
		7680	3180	2572	5752	74.90
13.	मध्य प्रदेश	17800	10300	5800	16100	90.45
14.	महाराष्ट्र	34309	23744	10176	33920	98.87
15.	मणिपुर	548	402	60	462	84.31
16.	मेघालय	481	227	220	447	92.93
17.	मिजोरम	445	83	125	208	46.74
18.	नागालैंड	214	63	151	214	100.00
19.	उड़ीसा	4407	810	2061	2871	65.15
20.	पंजाब	4202	3235	33	3268	77.77
21.	राजस्थान	10864	8503	2361	10864	100.00
22.	सिक्किम	195	95	25	120	61.54
23.	तमिलनाडु	26600	9980	13860	23840	89.62
24.	त्रिपुरा	428	71	279	350	81.78
25.	उत्तर प्रदेश	29837	19643	8418	28061	94.05
26.	प. बंगाल	18495	6261	9505	15766	85.24
	कुल राज्य	237866	133866	80480	214346	90.11
	संघ राज्य क्षेत्र					
1.	अंडमान व निको. द्वीप समूह	90	55	22	77	85.56
2.	चंडीगढ़	722	722	0	722	100.00

1	2	3	4	5	6	7
3.	दादर नगर हवेली	40	6.4	1.1	7.5	18.75
4.	दमन व दीव	31.2	25	1	26	83.33
5.	लक्षद्वीप	37	0	29	29	78.38
6.	पाण्डिचेरी	526	378	148	526	100.00
	जोड़ संघ राज्य क्षेत्र	1446.2	1186.4	201.1	1387.5	95.94
	सकल जोड़	239312.2	135052.4	80681.1	215733.5	90.15

टिप्पणी :

एच.एस.सी. हाऊस सर्विस कनैक्शन (घरेलू नल)

पी.एस.पी. पब्लिक स्टैण्ड पोस्ट (सार्वजनिक नल)

-केवल पहुंच दर्शाता है। भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट मानकों के अनुसार जल आपूर्ति की यथेष्ठता और समान वितरण नहीं है।

विवरण-III

त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	जारी धन राशि (लाख रुपये में)		
		1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	—	—	—
2.	अरूणाचल प्रदेश	21.16	0.00	149.08
3.	असम	140.00	198.87	324.26
4.	बिहार	0.00	192.75	319.47
5.	गोवा	0.00	0.00	0.00
6.	गुजरात	0.00	0.00	347.25
7.	हरियाणा	87.03	130.19	259.56
8.	हिमाचल प्रदेश	44.95	58.95	156.50
9.	जम्मू तथा कश्मीर	41.61	20.75	183.90
10.	कर्नाटक	179.96	298.08	465.91
11.	केरल	64.39	85.50	67.69
12.	मध्य प्रदेश	417.98	626.72	936.56
13.	महाराष्ट्र	271.80	393.94	369.01

1	2	3	4	5
14.	मणिपुर	90.99	63.16	160.51
15.	मेघालय	38.92	0.00	0.00
16.	मिजोरम	51.68	76.95	63.42
17.	नागालैण्ड	34.36	17.51	175.80
18.	उड़ीसा	156.62	258.00	258.62
19.	पंजाब	0.00	·0.00	105.48
20.	राजस्थान	171.52	324.81	0.00
21.	सिक्किम	0.00	0.00	28.92
22.	तमिलनाडु	205.46	234.91	521.36
		0.00	42.11	91.44
24.	उत्तर प्रदेश	776.57	932.83	1515.26
25.	पश्चिम बंगाल	0.00	43.97	0.00
	कुल राज्य	2795.00	4000.00	6500.00

[हिन्दी]

खाद्य वस्तुओं में अपमिश्रण

4726. श्री अशोक ना. मोहोल :
श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री आर.एल. भाटिया :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 दिसम्बर, 1999 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में "थ्री अरेस्टेड विद स्प्यूरिअॅस मस्टर्ड ऑयल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस विषय में प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार की जानकारी में इस संबंध में कितनी शिकायतें आई;

(घ) क्या सरकार ने उन शिकायतों की जांच की है; और

(ङ) यदि हां, तो कितने व्यापारियों के खिलाफ कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) और (ख) केन्द्र सरकार ने खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 और उसके अन्तर्गत बने नियमों को अधिनियमित किया था। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 और उसके अंतर्गत बने नियमों के प्रबंधन तथा प्रवर्तन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से प्राप्त सूचनानुसार, केशवपुरम थाने के एस.एच.ओ. ने लारेंस रोड औद्योगिक क्षेत्र के कुछ परिसरों पर 19.12.99 को छापा मारा था और कुछ शुद्ध तैल रंगीय सार (कलर कन्सन्ट्रेट) और रंगीन चूर्ण के साथ-साथ उन परिसरों से नकली सरसों का तेल जब्त किया था। विश्लेषण करने पर उन नमूनों को सोयाबीन तेल से मिलते-जुलते गैर अनुमत्य तेल और गैर अनुमत्य विलेय सिंथेटिक रंग से युक्त पाया गया। ये नमूने पुलिस द्वारा लिए गए थे। अतएव खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 के अंतर्गत कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने यह भी सूचित किया है कि 1998 के दौरान खाद्य अपमिश्रण निवारण

निदेशालय के पास उपलब्ध शिकायतों के रिकार्ड को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने ड्राप्सी महामारी की जांच के संबंध में जब्त कर लिया है और अधिक सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

नई आचार संहिता

4727. श्री सुबोध मोहिते : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में औषधि संबंधी विज्ञापनों के लिए नयी आचार संहिता जारी करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में औषधियों के विज्ञापनों को जिम्मेदार तरीके से प्रकाशित करने के लिए सुझाव देने के संबंध में कोई समिति गठित की गई है;

(घ) यदि हां, तो समिति द्वारा कौन-कौन सी सिफारिशें की गई हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में की गई प्रस्तावित कार्रवाई क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) से (घ) औषधों के विज्ञापन के लिए आचार संहिता तैयार करने के लिए भारतीय औषध और होमयोपैथी पद्धति विभाग द्वारा गठित एक समिति ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं। इन सिफारिशों में अन्य बातों के साथ-साथ औषधों के विज्ञापन संवर्धन में निम्नलिखित विवरण रोकने की जरूरत पर बल दिया गया है- (1) विवरण जो उत्तम रूचि के प्रतिकूल है, (2) जो विज्ञापन में सुरक्षा प्रयोग, अविलंब राहत की दृष्टि से भ्रामक हो, (3) जो जन मानस में भय अथवा आशंका पैदा करे, (4) जो पुरस्कार अथवा औषधों के अधिक प्रयोग के लिए अन्य प्रकार से प्रोत्साहन दे, (5) जो यह प्रभाव दे कि चिकित्सा, परामर्श अथवा शल्य चिकित्सा बेकार है और (6) जो सांविधिक निकायों, अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों आदि को सन्दर्भित करे अथवा उसमें इनका संदर्भ अन्तर्निहित हो।

(ङ) संबंधित विभागों, और अन्य संगत स्टेकहोल्डरों से परामर्श के बाद अन्तिम विचार करने का प्रस्ताव है।

हिरासत में हुई मौतें

4728. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :
डा. एस. जगतरक्षकन :
श्री भानसिंह भौरा :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 2.4.2000 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में "46 ईयर ओल्ड मैन डाइज इन पोलिस कस्टडी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान और आज की तिथि तक हिरासत में हुई मौतों के कितने मामले प्रकाशित हुए हैं;

(घ) क्या इस संबंध में कोई जांच/मजिस्ट्रेट द्वारा जांच की गयी है/का आदेश हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(च) सरकार द्वारा दोषी अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गयी है/करने का प्रस्ताव है;

(छ) क्या मृत व्यक्तियों के निकट संबंधियों को मुआवजा दिया गया है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी.एच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। 31 मार्च, 2000 को लूट-पाट के आरोप में गिरफ्तार एक व्यक्ति की अगली सुबह तड़के उस समय मौत हो गई जब वह पुलिस हिरासत में था।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान और आज तक 12 व्यक्ति उस समय मरे जब वे पुलिस हिरासत में थे। इसमें उपर्युक्त मामला भी शामिल है।

(घ) से (च) हिरासत में मौत के नवीनतम मामले की जांच संबंधित एस.डी.एम. द्वारा की जा रही है। इस बीच, दो पुलिस कर्मियों को निलम्बित कर दिया गया है और उनके विरूद्ध एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया है।

(छ) और (ज) गत तीन वर्षों के दौरान और आज तक हिरासत में मौत के सूचित हुए 12 मामलों में से, एक मामला रद्द

किया जा चुका है और एक मामला न्यायालय के विचारणाधीन है। जांच के लिए लम्बित पड़े शेष 10 मामलों में से एक मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निदेशों के अनुसार मृतक के कानूनी वारिसों को अन्तरिम मुआवजे के रूप में 5 लाख रुपये दिए गए थे।

फैक्ट, एफएसीटी के मुनाफे में वृद्धि

4729. श्री के. मुरलीधरन : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान फर्टीलाइजर एण्ड केमिकल त्रावणकोर लिमिटेड (फेक्ट) कोचीन के मुनाफे में हुई वृद्धि का ब्यौरा क्या है;

अवधि के दौरान मुनाफे में कोई कमी आई

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने फैक्ट (एफएसीटी) में सुधार लाने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ङ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) और (ख) फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लि. (फैक्ट) के वित्तीय कार्यनिष्पादन ने 1997-98 में 53.94 करोड़ रुपए के शुद्ध लाभ के विपरीत 1998-99 में 48.26 करोड़ रुपए की हानि के साथ नकारात्मक वृद्धि दर्शाई है। कम्पनी ने 1999-2000 के लिए पुन: 48.00 करोड़ रुपए की अनंतिम हानि होने का पूर्वानुमान लगाया है।

(ग) लाभों में कमी के मुख्य कारण अन्य बातों के साथ-साथ मार्च, 1998 में चालू किए गए नये अमोनिया संयंत्र के उच्च पूंजी सम्बद्ध प्रभार (65.00 करोड़ रुपए ब्याज के प्रति और 35.00 करोड़ रुपए मूल्यह्रास के प्रति) और इसके साथ ही पेट्रोलियम उत्पादों की लागत में वृद्धि है जिसके परिणामस्वरूप फैक्टम फास, अमोनियम सल्फेट और केप्रोलैक्टम की लाभप्रदता प्रभावित हुई और अमोनिया की लागत अधिक हो गई।

(घ) और (ङ) सरकार ने 1999-2000 के दौरान फैक्ट को 35.00 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता प्रदान की है और 2000-01 के लिए 40.00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है ताकि यह अनिवार्य नवीकरणों/प्रतिस्थापनों का कार्यान्वयन करने और इसके संयंत्रों की स्थिति व समग्र कार्य निष्पादन में सुधार करने की योजनाओं का उन्नयन करने में समर्थ हो सके।

चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की स्थापना

4730. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस तथ्य के मद्देनजर बंगलौर राज्य के उत्तरी भाग से अत्यधिक दूर है सरकार का विचार हासन के आस-पास एक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधा ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) और (ख) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, जो सरकार के आयुर्विज्ञान अनुसंधान कार्यकलापों का समन्वय करती है, का कर्नाटक में हासन में अथवा उसके आस-पास एक अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इसके अलावा, कर्नाटक राज्य सरकार से भी ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

विधान परिषदें

4731. श्री रति लाल कालीदास वर्मा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उन राज्यों में विधान परिषदों के सृजन के प्रस्तावों को स्वीकार करने का है जहां केवल विधान सभाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में किन-किन राज्यों की मांगे लंबित पड़ी हैं;

(ग) विधान परिषदों का सृजन कब तक किया जाएगा; और

(घ) क्या इस उद्देश्य के लिए गुजरात सरकार आवश्यक शर्तों को पूरा करती है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (ग) असम, पंजाब और तमिलनाडु राज्यों से विधान परिषद के सृजन के बारे में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। सरकार ने अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व इस मसले पर अन्तर्राज्यीय परिषद में विचार-विमर्श करने का निर्णय लिया है। इस समय, इस बारे में कोई समय-सीमा नहीं बताई जा सकती है।

(घ) राज्य में विधान परिषद के सृजन के बारे में गुजरात से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

इन्दौर का दंत महाविद्यालय

4732. श्री अशोक अर्गल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दंत महाविद्यालयों को खोलने हेतु निर्धारित शर्तों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन्दौर स्थित अन्तर्राष्ट्रीय दंत महाविद्यालय सभी निर्धारित शर्तों को पूरा करता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो भारतीय दंत परिषद द्वारा उक्त महाविद्यालय को खोलने की सिफारिश करने के क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) नए डेंटल कालेज खोलने की शर्तें दिनांक 25 सितम्बर, 1993 की अधिसूचना संख्या डी.ई.-2293 के द्वारा भारत के राजपत्र के भाग-III-खंड-4 में प्रकाशित भारतीय दंत चिकित्सा परिषद (नए डेंटल कालेजों की स्थापना, अध्ययन के उच्चतर पाठ्यक्रम शुरू करना और डेंटल कालेजों में प्रवेश क्षमता में वृद्धि करना) विनियम, 1993 में निर्धारित की गई हैं।

(ख) और (ग) सरकार ने इन्दौर में "अन्तर्राष्ट्रीय डेंटल कालेज" के नाम से और इस प्रकार का एक डेंटल कालेज खोलने के लिए कोई अनुमति प्रदान नहीं की है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

होम्योपैथिक फार्मेसी

4733. डा. गिरिजा व्यास :
श्री हरीभाऊ शंकर महाले :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में होम्योपैथिक फार्मेसी व्यवसाय के विनियमन के लिए अधिनियम न बनाए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार ने होम्योपैथिक चिकित्सकों के व्यवसाय के विनियमन और देश में उनकी प्रैक्टिस के लिए बेहतर प्रावधान करने हेतु विस्तार/विकास कार्य किया है;

(ग) यदि हां, तो फार्मेसी परिषद् के गठन और फार्मेसी शिक्षा में होम्योपैथी के डिप्लोमा को शामिल न किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस संबंध में फिलहाल कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी का एक अलग विभाग 1995 में ही खोला गया था। उसके बाद इस विभाग ने फार्मेसी शिक्षा को विनियमित करने के लिए एक परिषद के गठन का प्रस्ताव चलाया है।

(ख) केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद, जो एक सांविधिक निकाय है, शिक्षा और होम्योपैथिक व्यावसायियों के व्यवसाय को विनियमित करती है।

(ग) और (घ) भारतीय फार्मेसी परिषद होम्योपैथिक फार्मेसी शिक्षा को विनियमित करने के लिए सहमत नहीं हुई। इसलिए सरकार ने अलग से एक फार्मेसी परिषद के लिए प्रस्ताव चलाया जिस पर कार्रवाई की जा रही है।

(ङ) और (च) ये प्रश्न नहीं उठते।

नशीले पदार्थों का अवैध व्यापार

4734. श्री राजेश वर्मा :
श्री आर.एल. भाटिया :
श्री अवतार सिंह भडाना :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में नशीले पदार्थों का व्यापार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या है;

(ग) क्या संयुक्त राष्ट्र ने इस संबंध में अपना सहयोग दिया है और देश में नशीले पदार्थों के व्यापार के प्रसार को नियंत्रित

करने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार का विचार उक्त सहायता का उपयोग किस ढंग से करने का है; और

(च) सरकार द्वारा घटना को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी.एच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) देश में नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार के स्वरूप में किसी उल्लेखनीय परिवर्तन का कोई संकेत नहीं है। गत तीन वर्षों के दौरान जब्ती के ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

	...म में नशीले पदार्थ	1997	1998	1999
1.	अफीम	3316	2031	1635
2.	हरोईन	1332	655	861
3.	गांजा	80886	68221	40113
4.	हशीश	3281	10106	3391
5.	मेथाक्योलोन	1740	2257	474

(ग) से (ङ) भारत सरकार नियमित रूप से परस्पर बातचीत करती रहती है और नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार की रोकथाम के क्षेत्र में यू.एन.डी.सी.पी., आई.एन.सी.बी. आदि जैसी अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करती है। इस समय स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के माध्यम से मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन से संबंधित कोई विशिष्ट परियोजनाएं क्रियान्वयनाधीन नहीं हैं।

(च) सभी प्रवर्तन एजेंसियों को अत्यधिक सतर्कता बरतने और स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम में निहित सख्त उपबन्धों के अन्तर्गत प्रवर्तन के प्रयासों को तेज करने के अनुदेश जारी किए हैं। दवा प्रवर्तन अधिकारियों की भी उनकी कारगरता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा हैं। देश में सभी संबंधित केन्द्रीय और राज्य एजेन्सियों द्वारा नशीली दवा प्रवर्तन प्रयासों के समुचित समन्वय के लिए स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, नई दिल्ली द्वारा तिमाही समन्वय बैठकें आयोजित की जा रही हैं। मुखबिरों और प्रवर्तन अधिकारियों के लिए पुरस्कार योजना भी क्रियान्वित की जा रही है। सीधे आपरेशनल पत्र व्यवहार के लिए पाकिस्तान में प्राधिकारियों के साथ द्विपक्षीय समझौते के अतिरिक्त स्वापक औषधियों की मांग में कमी लाए जाने और उसके अवैध व्यापार की रोकथाम के लिए म्यांमार की सरकार के साथ एक व्यापक द्विपक्षीय समझौता भी किया गया है।

[हिन्दी]

मौसम विज्ञान कार्यालय का स्थानान्तरण

4735. श्री रामानन्द सिंह : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का नागपुर के क्षेत्रीय मौसम विज्ञान कार्यालय को भोपाल में स्थानान्तरित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो यह स्थानान्तरण कब तक किए जाने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा'): (क) जी, नहीं, क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केन्द्र, नागपुर को भोपाल में स्थानान्तरित करने सम्बन्धी कोई भी प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन नहीं हैं।

(ख) उपरोक्त (क) के संदर्भ में प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली स्थित सरकारी अस्पतालों की अस्वास्थ्यकर स्थिति

4736. श्रीमती श्यामा सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि दिल्ली स्थित केन्द्र सरकार के विभिन्न अस्पतालों में अस्वास्थ्यकर स्थितियां हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई रणनीति तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा दिल्ली स्थित अस्पतालों में स्वास्थ्यकर स्थितियां बहाल करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) से (घ) दिल्ली स्थित केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों में संबंधित अस्पताल प्राधिकारियों द्वारा सफाई और स्वच्छता स्थितियों को उच्च प्राथमिकता दी जाती है। अस्पतालों में अस्वास्थ्यकर परिवेश से होने वाले किसी भी संक्रमण के फैलाव के अनुवीक्षण और उसको रोकने के उपाय सुझाने हेतु संक्रमण नियंत्रण समितियां और अपशिष्ट निपटान प्रबंधन समितियां हैं।

राजस्थान विश्वविद्यालय

4737. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या धन और आंतरिक प्रशासन के अभाव में राजस्थान विश्वविद्यालय की हालत काफी बिगड़ गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपरोक्त विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय घोषित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील): (क) और (ख) राजस्थान विश्वविद्यालय एक राज्य विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना राजस्थान विधानमंडल के एक अधिनियम के तहत की गई है। राजस्थान विश्वविद्यालय को पर्याप्त योजनागत एवं योजनेत्तर अनुदानों की व्यवस्था और इसके कार्यों का प्रबंधन मुख्यतया राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। केन्द्रीय सरकार राज्य विश्वविद्यालयों के आन्तरिक कार्यों से सीधे तौर पर संबंधित नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत-अमरीकी सहयोग

4738. डा. जसवंत सिंह यादव :
श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी :
श्री अजय सिंह चौटाला :
श्री ए. वेंकटेश नायक :

क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में भारत-अमरीकी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंच स्थापित करने के संबंध में एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समझौते को कब तक क्रियान्वित किया जायेगा;

(घ) इस समझौते के परिणामस्वरूप भारत को क्या लाभ प्राप्त होने की संभावना है; और

(ङ) जिन-जिन संस्थानों पर से अमरीका ने प्रतिबंध उठा लिये हैं उनका ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा'): (क) से (घ) जी, हां। नई दिल्ली में 21 मार्च 2000 को भारत-संयुक्त राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंच के संबंध में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस मंच के मुख्य उद्देश्य हैं: (1) विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा अन्य संबंधित क्षेत्रों में भारत-संयुक्त राज्य की सरकारों, शिक्षाविदों तथा उद्योग के आपसी विचार-विमर्श को सुगम बनाना तथा प्रोन्नत करना। (2) विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रवाहों की खोज करते हुए, सामूहिक दिलचस्पी के मुद्दों तथा आपसी लाभ की गतिविधियों पर ध्यान देना। (3) अनुसंधान एवं विकास, प्रौद्योगिकी स्थानांतरण को बढ़ावा देना तथा भारत-संयुक्त राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग के लिए एक व्यापक इलैक्ट्रॉनिक संदर्भ स्रोत का सृजन। (4) भारत-संयुक्त राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग के क्षेत्र में विचारों तथा अवसरों के एक सक्रिय इलैक्ट्रॉनिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देना। समझौता हस्ताक्षर होने पर लागू हो गया है।

भारत-संयुक्त राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंच पर समझौता, न कवल विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अतंर-सरकारी विचार-विमर्श के लिए बल्कि दोनों देशों से शैक्षिक संस्थानों तथा उद्योग के साथ आपसी विचार-विमर्श के लिए भी मंच प्रदान करता है। मंच के पास सरकारी स्रोतों के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से भी संसाधनों को उत्पन्न करने की क्षमता है। इस प्रकार यह समझौता, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा अन्य संबंधित क्षेत्रों में गतिविधियों एवं आपसी विचार-विमर्श के लिए एक विस्तृत विविधता प्रदान करता है, जो कि भारत के लिए लाभप्रद होगा।

(ङ) रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत 44 संस्थानों, परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत 7 संस्थानों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के एक उपक्रम की दो इकाइयों को एन्टिटी लिस्ट से हटा दिया गया है।

[हिन्दी]

दंत चिकित्सा महाविद्यालय

4739. श्री राजो सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्तमान समय में दंत चिकित्सा महाविद्यालयों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश में दंत चिकित्सा महाविद्यालयों की मांग लगातार बढ़ रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार देश में दंत चिकित्सा महाविद्यालय खोलने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

द्वारा दंत चिकित्सा महाविद्यालयों की बढ़ती मांग लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) देश में दंत चिकित्सा महाविद्यालयों की राज्यवार संख्या का एक विवरण संलग्न है।

(ख) से (छ) सरकार को दंत चिकित्सक (संशोधन) अधिनियम, 1993 के अन्तर्गत, देश में नये दंत चिकित्सा महाविद्यालय खोलने हेतु मुख्यत: निजी आयोजकों से बहुत से प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं। जो प्रस्ताव भारतीय दंत चिकित्सा परिषद् विनियम, 1993 के अनुसार पूर्ण पाये जाते हैं, उन्हें मूल्यांकन और संस्तुति के लिए भारतीय दंत चिकित्सा परिषद के पास भेजा जाता है। तत्पश्चात् भारतीय दंत चिकित्सा परिषद की संस्तुति के आधार पर केन्द्र सरकार आयोजकों को नये दंत चिकित्सा महाविद्यालय खोलने के लिए अनुमति प्रदान करती है।

विवरण

देश में अनुमोदित/मान्यता प्राप्त दंत चिकित्सा महाविद्यालयों की संख्या का राज्यवार विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	अनुमोदित/मान्यता प्राप्त दंत चिकित्सा महाविद्यालयों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	3
2.	असम	1
3.	बिहार	7
4.	दिल्ली	1
5.	गोवा	1
6.	गुजरात	3
7.	हरियाणा	4
8.	हिमाचल प्रदेश	4
9.	जम्मू और कश्मीर	1
10.	कर्नाटक	40
11.	केरल	2
12.	मध्य प्रदेश	3
13.	महाराष्ट्र	15
14.	उड़ीसा	2
15.	पांडिचेरी	1
16.	पंजाब	9
17.	राजस्थान	2
18.	तमिलनाडु	13
19.	उत्तर प्रदेश	10
20.	पश्चिम बंगाल	2
	कुल योग	124

खसरा/चेचक

4740. **श्रीमती रेनु कुमारी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खसरा/चेचक नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं;

(ख) प्रतिरक्षण कार्यक्रम को समाप्त किये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या खसरा के रोगियों की बढ़ती संख्या के संबंध में सरकार ने अस्पतालों और औषधालयों से कोई रिपोर्ट मांगी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस बीमारी पर पूरी तरह नियंत्रण पाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) और (ख) चेचक का वैश्विक आधार पर उन्मूलन कर दिया गया है। जब कभी चेचक के घटित होने की अफवाह होती है उसकी तत्काल राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान दिल्ली द्वारा जांच-पड़ताल की जाती है। अब तक छोटी माता का प्रतिरक्षण व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम का भाग नहीं है।

(ग) से (ङ) जब कि सरकार ने अस्पतालों और औषधालयों से छोटी माता की घटना के बारे में विशिष्ट रिपोर्ट भेजने के लिए नहीं कहा है, यह उल्लेख करना उपयुक्त होगा कि छोटी माता एक स्वत: सीमित रोग है और इसका उपचार लाक्षणिक है। छोटी माता और इसकी किसी भी जटिलता के उपचार की सुविधाएं सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों के विभिन्न अस्पतालों में उपलब्ध हैं।

मेडिकल कालेजों में आरक्षण

4741. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के मेडिकल कालेजों में प्रवेश हेतु क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं;

(ख) क्या ऐसे कालेजों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों हेतु सीटों का आरक्षण है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसे कालेजों में इन श्रेणियों के उम्मीदवारों के विशेष आरक्षण कोटे के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) देश में मेडिकल कालेजों में दाखिले हेतु अपनाए जाने वाले मानदण्ड संबंधित राज्य सरकारों और संस्थाओं द्वारा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम 1956 और इसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अनुरूप बनाए जाते हैं।

(ख) से (घ) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों आदि से संबंधित उम्मीदवारों के लिए मेडिकल कालेजों में सीटों का आरक्षण संबंधित राज्य सरकारों द्वारा बनाई गई नीति के अनुसार किया जा रहा है। तथापि भारत के उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार किया जा रहा है। तथापि भारत के उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार अति विशिष्टता वाले पाठ्यक्रमों के दाखिलों और अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के माध्यम से भरी जाने वाली 15 प्रतिशत स्नातकपूर्व और 25 प्रतिशत स्नातकोत्तर मेडिकल सीटों में किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं होगा।

पंजाब में आतंकवाद

4742. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बब्बर खालसा अंतराष्ट्रीय संगठन पंजाब और देश के अन्य भागों में फिर से आतंकवाद शुरू करने का प्रयास कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ राज्यों की पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने बब्बर खालसा की हरकतों पर अंकुश लगाने के लिए रणनीति बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी.एच. विद्यासागर राव): (क) से (घ) हाल के वर्षों में पंजाब और देश के अन्य भागों से गिरफ्तार किए गए अनेक पंजाब के उग्रवादियों से की गई पूछताछ से पता चलता है कि बब्बर खालसा इन्टरनेशनल जैसे पाकिस्तान स्थित आतंकवादी गुटों के उच्च रैंक के पंजाब के उग्रवादियों पर पंजाब और पड़ोसी राज्यों में आतंकवादी हमले करने के लिए पाकिस्तान की आई.एस.आई. का भारी दबाव है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब और दिल्ली में कुछ हाल की आतंकवादी घटनाओं की जांच-पड़ताल से पता चलता है कि इनमें पंजाब के उग्रवादियों के विभिन्न आतंकवादी गुटों का हाथ था। कुछ बब्बर खालसा उग्रवादियों द्वारा अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों को लक्ष्य बनाने के बारे में उनके नापाक इरादों का पता भी चला है। आतंकवादी षडयंत्रों को निष्क्रिय करने के लिए केन्द्र और राज्य सुरक्षा एजेन्सियां समन्वित रूप से कार्य कर रही हैं और आसूचना आधारित अभियानों के परिणामस्वरूप, उग्रवादियों की गिरफ्तारी और शस्त्रों और विस्फोटक पदार्थों की बरामदगी से आतंकवादी मॉडयूल्स के निष्क्रिय करने और अनेक आतंकवादी अपराधों को हल करने में बहुत सी उल्लेखनीय सफलताएं मिली हैं। घुसपैठ और अन्य विघटनकारी गतिविधियों को रोकने के लिए पाकिस्तान सीमा पर सतर्कता में बढ़ोत्तरी की गयी है।

वर्षा जल संचय परियोजना

4743. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने वर्षा जल संचय परियोजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा जल संचय स्थानों के समीप खेलने वाले बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी.एच. विद्यासागर राव): जी हां, श्रीमान्। इस परियोजना का उद्देश्य प्राप्त जल की उपलब्धता का इष्टतम उपयोग है।

(ग) ऐसे शाफ्टों, गड्ढों, इत्यादि के समीप खेलने वाले बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुन: चार्ज किए गए शाफ्टों, गड्ढों इत्यादि के चारों ओर एम.एस. रेलिंग लगाने के लिए प्रावधान किया गया है।

जनजातीय क्षेत्रों में अशांति

4744. श्री हरीभाऊ शंकर महाले : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों विशेष रूप से देश की पांचवीं और छठी अनुसूची वाले क्षेत्रों में अशांति के कारणों पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा केन्द्र और राज्य सरकार ने इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्या उपाय किए हैं;

(ग) क्या इन अनुसूचित क्षेत्रों में अच्छा शासन प्रदान करने की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कानूनी और संवैधानिक उपाय किए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) जी, हां।

(ख) भूमि और वन जैसे सम्पदा संसाधनों की कमी, अवसंरचना का अभाव, बेरोजगारी, साक्षरता का निम्न स्तर, गरीबी आदि पांचवें और छठे अनुसूचित क्षेत्रों में रह रहे आदिवासियों में असंतोष के कारण हैं। आदिवासी उप-योजना, जिसे पांचवीं पंचवर्षीय योजना से शुरू किया गया है, की कार्यनीति के फलस्वरूप अनुसूचित जातियों और पांचवें और छठे अनुसूचित क्षेत्रों सहित आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए निधियों के प्रवाह में वृद्धि हुई है। आदिवासियों को उनके अतिरिक्त कृषि उत्पादों और लघु वन उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य प्रदान करने के उद्देश्य से एक बहुस्तरीय सहकारी समिति नामत: ट्राइफेड का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त, आदिवासी क्षेत्रों में शैक्षिक अवसंरचना में वृद्धि करने के लिए, यह मंत्रालय राज्यों को होस्टल, आश्रम स्कूल, व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र और निम्न साक्षरता वाले पाकेटों में शैक्षिक परिसर स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उन केन्द्रों की स्थापना संबंधी मानकों में छूट दी गई है। उपर्युक्त के अतिरिक्त, भूमि अन्तरण कानूनों, धनराशि उधार देने संबंधी विनियमों और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के रूप में संरक्षात्मक उपाय किए गए हैं।

(ग) जी, हां। सुशासन प्रदान करना राज्य सरकारों तथा केन्द्र सरकार का दायित्व है।

(घ) भारत सरकार जनजातीय क्षेत्रों वाले राज्यों को इन क्षेत्रों की जनजातियों के विकास तथा अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के स्तर को इस राज्य के अन्य क्षेत्रों तक ऊपर उठाने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। अत्याचारों से जनजातियों के संरक्षण के उद्देश्य से भारत सरकार के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 अधिनियमित किया है। संविधान की पांचवीं अनुसूची के प्रावधान के अंतर्गत विभिन्न राज्य सरकारों ने भूमि कानून अधिनियमित किए हैं जिनके उद्देश्य निम्नलिखित हैं:-

(क) अन्य व्यक्तियों अथवा अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों में भूमि के हस्तान्तरण पर रोक अथवा प्रतिबन्ध लगाना;

(ख) इन जनजातियों के सदस्यों को भूमि के आवंटन का विनियमन करना।

छठी अनुसूची के प्रावधान के अनुसार जिला परिषदें और क्षेत्रीय परिषदें भूमि के आवंटन का विनियमन और वन तथा झूम खेती की प्रथा आदि का प्रबन्धन करती हैं।

खेलों का स्तर

4745. श्री अजय सिंह चौटाला : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा देश में खेलों के स्तर में गिरावट आने के कारणों का पता लगाने के लिए वर्ष 1999-2000 के दौरान कोई अध्ययन अथवा विश्लेषण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) खेलों के स्तर में सुधार लाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि, प्रमुख खेल प्रतियोगिताओं के पश्चात्, भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है ताकि विभिन्न खेल विधाओं के संबंध में आगे उपयुक्त कदम उठाये जा सकें।

(घ) खेलों के स्तर में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये जा रहे हैं:-

1. सरकार की नीति और ओलंपिक चार्टर के अनुसार, सरकार द्वारा, मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल परिसंघ, मुख्यत: अपनी-अपनी खेल विधाओं के संवर्धन के लिए उत्तरदायी होते हैं। राष्ट्रीय खेल परिसंघों ने भारतीय खेल प्राधिकरण के परामर्श से, अन्य बातों के साथ-साथ, विभिन्न पहलुओं को शामिल करते हुए दीर्घकालीन विकास योजनाएं (एल.टी.डी.पी.) तैयार की हैं। राष्ट्रीय खेल परिसंघों की, राष्ट्रीय टीमों में शामिल खिलाड़ियों के लिए, भारतीय खेल प्राधिकरण के माध्यम से, भारतीय और विदेशी प्रशिक्षकों की मदद से, प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने तथा अपेक्षित उपस्कर और वैज्ञानिक समर्थन की व्यवस्था करने में मदद की जा रही है।

2. परिसंघों को राष्ट्रीय स्तर की चैंपियनशिपें आयोजित करने और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में सहभागिता के लिए खिलाड़ियों को भेजने में भी सहायता दी जाती है।

3. होनहार खिलाड़ियों को प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन के लिए (5.00 लाख रुपये तक प्रति वर्ष) सहायता का पैकेज दिया जा रहा है। विशेषज्ञता-प्राप्त प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए सहायक कार्मिकों जैसे, प्रशिक्षकों और खेल वैज्ञानिकों को भी सहायता दी जा रही है।

4. सिंथेटिक परतें बिछाने सहित खेल अवस्थापना के सृजन में सहायता प्रदान की जा रही है।

5. खिलाड़ियों को और अधिक प्रेरित करने की दृष्टि से, पुरस्कार और प्रोत्साहन प्रदान किये जाते हैं। पुरस्कारों की राशि काफी बढ़ा दी गई है।

6. खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने तथा खिलाड़ियों के लिए रोजगार संबंधी उपायों पर विचार करने/बैंकों इत्यादि से ऋणों के प्रावधान के संबंध में विभागों (युवा कार्यक्रम और खेल विभाग के अलावा अन्य) से आग्रह किया जा रहा है।

[हिन्दी]

बेरोजगारी संबंधी सर्वेक्षण

4746. श्री तूफानी सरोज :
श्री प्रवीण राष्ट्रपाल :

क्या **शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणाम क्या हैं;

(ग) क्या शहरी क्षेत्रों में बेरोजगार लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है;

(घ) यदि हां, तो देश में दिसम्बर, 1998 तक बेरोजगार व्यक्तियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने सरकार की बढ़ती हुई बेरोजगारी के खतरे के बारे में आगाह किया है; और

(च) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) और (ख) श्रम मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार विभिन्न राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों में 31.12.1999 तक की स्थिति के अनुसार शहरी क्षेत्रों में नौकरी ढूंढने वाले (इसका अर्थ यह नहीं कि ये सभी बेरोजगार हैं) तथा रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) श्रम मंत्रालय ने यह भी बताया है कि शहरी क्षेत्रों में नौकरी ढूंढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या जो 1990 में 163.3 लाख थी, दिसम्बर 1999 के अन्त तक बढ़कर 180.5 लाख हो गई है। यह देखा गया है कि 1990-99 की अवधि के दौरान शहरी क्षेत्रों में नौकरी ढूंढ़ने वालों की संख्या में औसत वार्षिक वृद्धि की दर 1% थी। रोजगार कार्यालयों के 31.12.1999 तक वर्तमान रजिस्टरों के अनुसार शहरी क्षेत्रों में नौकरी ढूंढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

(ङ) मंत्रालय को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से ऐसी कोई चेतावनी नहीं मिली है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

कार्यालयों के 31.12.1999 तक वर्तमान रजिस्टर के अनुसार शहरी क्षेत्रों में नौकरी ढूंढने वालों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	संख्या हजार में
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	1327.2
2.	अरूणाचल प्रदेश	15.4
3.	असम	613.6
4.	बिहार	1316.3
5.	गोवा	33.5
6.	गुजरात	456.4
7.	हरियाणा	303.2
8.	हिमाचल प्रदेश	113.4
9.	जम्मू व कश्मीर	87.8
10.	कर्नाटक	1071.5
11.	केरल	860.6
12.	मध्य प्रदेश	1255.6
13.	महाराष्ट्र	2164.9
14.	मणिपुर	220.8
15.	मेघालय	24.7
16.	मिजोरम	80.5
17.	नागालैंड	28.3
18.	उड़ीसा	323.1
19.	पंजाब	262.0
20.	राजस्थान	463.3
21.	सिक्किम*	-
22.	तमिलनाडु	2093.2
23.	त्रिपुरा	150.0
24.	उत्तर प्रदेश	1298.6
25.	पश्चिम बंगाल	2504.4
	संघ शासित प्रदेश	
26.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	27.8
27.	चण्डीगढ़	92.8
28.	दादर एवं नगर हवेली	—
29.	दिल्ली	747.6
30.	दमन और दीव	4.1
31.	लक्षद्वीप	—
32.	पांडिचेरी	106.8
	कुल	18047.5

टिप्पणी : *इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय नहीं है। इसके आंकड़े योग में शामिल नहीं किए गए हैं।

एच.आई.वी./एड्स कार्यक्रम

4747. डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम शांडिल्य :
श्री जितेन्द्र प्रसाद :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एच.आई.वी./एड्स (यू.एन. एड्स) संबंधी संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यक्रमों के विश्व एड्स दिवस अभियान वर्ष 2000 का ''एड्स मैन मेक ए डिफरेंस'' विषय-वस्तु है;

(ख) यदि हां, तो इसके पुरुषों पर केन्द्रित रहने के क्या कारण हैं; और

(ग) लिंग भेद को बहुत हद तक खत्म करने या कम करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) जी, हां।

(ख) यह बात महसूस की गयी है कि एच.आई.वी./एड्स के प्रसार को रोकने वाले प्रयत्नों में पुरुषों की साझीदारों (पार्टनरों) के रूप में पूरी तरह से लगाना इस महामारी के रूख को बदलने का निश्चिततम तरीका है, क्योंकि पुरुषों का व्यवहार एच.आई.वी./एड्स के प्रसारित होने और प्रभावित करने में इस समय पर्याप्त रूप से जिम्मेदार है और उन्हें सबसे ज्यादा जोखिम में डाल देता है।

(ग) यद्यपि पुरुषों के व्यवहार में बदलाव ले आने पर बल है, तथापि, विश्व एड्स अभियान के जरिए चलायी जाने वाली कार्यनीति उन तरीकों की समझ को बढ़ावा देने की होगी जिनमें लिंगगत रूढ़िबद्धधारणाएं और अपेक्षाएं पुरुषों और महिलाओं को प्रभावित करती हैं और लिंगगत समानता और निष्पक्षता को बढ़ावा देने के कार्य में सहायता देने की होगी।

स्वास्थ्य पर व्यय

4748. श्री आर.एल. भाटिया :
श्री अब्दुल हमीद :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की स्वास्थ्य देखभाल के प्रति वित्तीय वचनबद्धता दिन व दिन गिरती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या जनवरी, 2000 के दौरान भारत के जयपुर शहरी में हुए 55वें ज्वाइंट एनुवल कांफ्रेंस आफ डी एसोसिएशन आफ फिजिशियनज ने देश में स्वास्थ्य और पोषाहार पर प्रति व्यक्ति व्यय में वृद्धि की सिफारिश की है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस मामले में क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) और (ख) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर परिव्यय/खर्च की प्रतिशतता कुल मिलाकर विभिन्न पूर्व योजना अवधियों के समान रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी परिव्यय की प्रतिशतता में 8वीं पंचवर्षीय योजना से तुलना करने पर वृद्धि का पता चलता है।

सार्वजनिक क्षेत्र-केन्द्र, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में विभिन्न योजना अवधियों के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परियोजना निवेश के पैटर्न को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी, हां।

(घ) ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

(ङ) सरकार मलेरिया, क्षयरोग, कुष्ठ, दृष्टिहीनता और एड्स जैसे रोग नियंत्रण कार्यक्रमों को सहयोग देने के लिए विभिन्न द्विपक्षीय और बहुपक्षीय एजेंसियों से वाह्य सहायता जुटाकर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण क्षेत्रों के लिए संसाधनों में वृद्धि करने के हर संभव प्रयास कर रही है। विश्व बैंक सहायता से चुनिंदा राज्यों में द्वितीयक स्वास्थ्य सुविधाओं का उन्नयन किया जा रहा है। प्रजनक और बाल स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए पर्याप्त वित्तीय सहयोग प्राप्त किया जा रहा है।

विवरण

सार्वजनिक क्षेत्र (केन्द्र, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र) में भिन्न-भिन्न योजना अवधियों के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के संबंध में निवेश का पैटर्न

(रुपये करोड़ों में)

क्र.सं.	अवधि	कुल योजना निवेश (सभी विकास शीर्ष)	स्वास्थ्य		परिवार कल्याण		कुल (स्वा. एवं प.क.)	
			परिव्यय/ खर्च	3 का प्रति.	परिव्यय/ खर्च	4 का प्रति.	परिव्यय/ खर्च	3 का प्रति.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	पहली योजना (वास्तविक) (1951-56)	1960.00	65.20	3.33	0.10	0.01	65.30	3.33

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	दूसरी योजना (वास्तविक) (1956-61)	4672.00	140.80	3.01	5.00	0.11	145.80	3.12
3.	तीसरी योजना (वास्तविक) (1961-66)	8576.50	225.90	2.63	24.90	0.29	250.80	2.92
4.	वार्षिक योजना (वास्तविक) (1966-69)	6625.40	140.20	2.12	70.40	1.06	210.60	3.18
5.	चौथी योजना (वास्तविक) (1969-74)	15778.80	335.50	2.13	278.00	1.76	613.50	3.89
6.	पांचवीं योजना (वास्तविक) (1974-79)	39426.20	760.80	1.93	491.80	1.25	1252.60	3.18
	[illegible] (वास्तविक)	12176.50	223.10	1.83	118.50	0.97	341.60	2.81
	(परिव्यय) (1980-85)	97500.00	1821.00	1.87	1010.00	1.04	2831.00	2.90
	छठी योजना (वास्तविक) (1980-85)	109291.7	2025.20	1.85	1387.00	1.27	3412.20	3.12
9.	सातवीं योजना (परिव्यय) (1985-90)	180000.00	3392.90	1.88	3256.30	1.81	6649.20	3.69
	सातवीं योजना (वास्तविक)	218729.60	3688.60	1.69	3120.80	1.43	6809.40	3.11
10.	(1990-91) (वास्तविक)	61518.10	960.90	1.56	784.90	1.28	1745.80	2.84
11.	(1991-92) (वास्तविक)	65855.80	1042.20	1.58	856.60	1.30	1898.80	2.88
12.	आठवीं योजना परिव्यय (1992-97)	434100.00	7582.20	1.75	6500.00	1.50	14082.20	3.24
13.	नवीं योजना (परिव्यय) (1997-2002)	859200.00	19374.11	2.25	15120.20	1.76	34494.31	4.01

स्रोत : एफ.आर. प्रभाग, योजना आयोग

स्नातकोत्तर चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए अतिरिक्त सीटें

4749. **श्री कोलुर बसवनागौड़ :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने स्नातकोत्तर चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए अतिरिक्त सीटों की मंजूरी दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी महाविद्यालय-वार ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की सिफारिशों पर केन्द्र सरकार भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) अधिनियम, 1993 और इसके अधीन बनाए गए विनियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत विभिन्न मेडिकल कालेजों में स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों में अतिरिक्त सीटों की अनुमति देती रही है।

(ख) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 1993 में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम में संशोधन के पश्चात् स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में कालेज वार अनुमत अतिरिक्त सीटों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

1993 में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम में संशोधन के पश्चात् अनुमत किए गए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए अतिरिक्त सीटों की सूची

क्र.सं.	कालेज का नाम	विशिष्टता का नाम	सीटों की संख्या
1	2	3	4
1.	श्री रामचन्द्र मेडिकल कालेज और	एम.डी. (प्रसूति एवं स्त्री रोग विज्ञान)	5
	रिसर्च इंस्टिट्यूट, चेन्नई	एम.एस. (विकलांग)	3
2.	अरविन्द भाई हास्पिटल, मदुराई एम.	एम.एस. (नेत्रविज्ञान)	4
		डी.ओ.	4
3.	राष्ट्रीय मनश्चिकित्सा एवं तंत्रिका	एम.डी. (मनोविकार चिकित्सा)	6
	विज्ञान संस्थान, बेंगलौर	डी.एम. (तंत्रिका विज्ञान)	2
		एम.सी.एच. (तंत्रिका शल्यचिकित्सा)	2
4.	क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इम्फाल	एम.एस. (सामान्य शल्य चिकित्सा)	2
5.	स्टेनले मेडिकल कालेज, चेन्नई	एम.डी. (सूक्ष्म जीवविज्ञान)	1
		एम.डी. (संवेदनाहरण विज्ञान)	2
6.	मदुरई मेडिकल कालेज, मदुरई	एम.डी. (संवेदनाहरण विज्ञान)	2
7.	एम.एस. रमैया मेडिकल कालेज, बेंगलौर	एम.डी. (बाल चिकित्सा)	1
8.	केम्पगोवडा आयुर्विज्ञान संस्थान, बेंगलौर	एम.डी. (सामुदायिक चिकित्सा)	1
		एम.डी. (सामान्य चिकित्सा)	3
9.	संजय गाधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ	एम.सी.एच. (मूत्र विज्ञान)	2
10.	जी.बी. पन्त हॉस्पिटल, नई दिल्ली	एम.सी.एच. (तंत्रिका शल्य चिकित्सा)	3
11.	जे.एम.एस. मेडिकल कालेज, मैसूर	एम.डी. (सामान्य चिकित्सा)	2
		एम.एस. (सामान्य शल्य चिकित्सा)	2
		एम.एस. (विकलांग)	3
		एम.डी. (शरीर क्रिया विज्ञान)	1
		एम.डी. (विकृति विज्ञान)	2
		एम.डी. (प्रसूति एवं स्त्री रोग विज्ञान)	2
		डी.जी.ओ.	2
		डी. आर्थो	6
		एम.डी. (संवेदनाहरण विज्ञान)	2
		डी.ए.	4
		एम.डी. (बाल चिकित्सा)	2
		डी.सी.एच.	4

1	2	3	4
12.	राजा मुथैया मेडिकल कालेज	एम.एस. (सामान्य शल्य चिकित्सा)	5
		एम.एस. (विकलांग)	2
		एम.डी. (सामान्य चिकित्सा)	4
		एम.डी. (प्रसूति एवं स्त्री रोग विज्ञान)	3
		एम.डी. (संवेदनाहरण)	1
		एम.डी. (बाल चिकित्सा)	1
13.	स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान	एम.सी.एच. (तंत्रिका शल्य चिकित्सा)	2

ब्लड बैंक

4750. श्री किरीट सोमैया : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक अस्पतालों और इंडियन रेडक्रास सोसायटी में स्थित ब्लड बैंक रक्त को उपयोग की मियाद समाप्त हो जाने के कारण 100 यूनिट से अधिक रक्त को नष्ट कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष अस्पताल वार नष्ट किए गए रक्त की मात्रा क्या है;

(ग) मियाद समाप्त होने से पहले रक्त इस्तेमाल न किये जाने के क्या कारण हैं;

(घ) इंडियन रेडक्रास सोसायटी द्वारा प्रति वर्ष कुल आवश्यकता की तुलना में कितने यूनिट रक्त एकत्र किया जाता है; और

(ङ) सरकार रक्त की इस बरबादी को रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) से (ग) जी, नहीं। भारतीय रेड क्रास सोसायटी समेत देश के अधिकांश रक्त बैंक मियाद की तिथि के अंतर्गत ही रक्त/रक्त घटों का उपयोग कर लेते हैं। तथापि, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली ने पिछले तीन वर्षों के दौरान नष्ट की गई रक्त की निम्नलिखित यूनिटों की सूचना दी है:

1997 23,405 यूनिटों में से 70 यूनिटों की मियाद खत्म हुई।

1998 23,308 यूनिटों में से 79 यूनिटों की मियाद खत्म हुई।

1999 21,203 यूनिटों में से 42 यूनिटों की मियाद खत्म हुई।

मियाद खत्म होने से पहले रक्त यूनिटों का उपयोग न होने का मुख्य कारण किसी खास समयावधि में मांग से अधिक किसी विशेष रक्त समूह की कुछ रक्त यूनिटों का उपलब्ध हो जाना है।

(घ) समग्र दिल्ली के लिए 3.5 लाख यूनिटों (तकरीबन) की आवश्यकता के मुकाबले प्रति वर्ष लगभग 40,000 रक्त यूनिटें भारतीय रेड क्रास सोसायटी द्वारा एकत्र की जाती हैं।

(ङ) इस बर्बादी को रोकने हेतु सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदम हैं:–

(1) इस प्रकार की बर्बादी को न होने देने के लिए किसी शहर में भिन्न-भिन्न रक्त बैंकों के बीच सम्पर्क कायम कराना।

(2) देश के तमाम जिलों में रक्त बैंकों को मजबूत और आधुनिक बनाना।

(3) रक्त का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करने के लिए और अधिक रक्त घटक पृथक्करण यूनिटों की स्थापना करना।

(4) रक्त के विवेकपूर्ण इस्तेमाल करने के बारे में चिकित्सा कार्मिकों और व्यवसायियों के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना।

(5) स्वैच्छिक रक्तदाताओं में वृद्धि करने के लिए गहन शिक्षण कार्यक्रम चलाना।

[हिन्दी]

एड्स और कैंसर के लिए टीका

4751. श्री पी.आर. खूंटे : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में कैंसर और एड्स जैसी बढ़ती हुई बीमारियों को नियोजित करने के लिए कोई टीका विकसित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) और (ख) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार वे आण्विक जीव विज्ञानी आंकड़े एकत्र कर रहे हैं जो ग्रैव कैंसर के लिए उत्तरदायी एच. पाइलोर से संबद्ध उदर के अल्सर और पापीलोमा विषाणु के लिए जिम्मेदार हैं। हेपेटाइटिस बी. विषाणु जिससे हेपाटो सेलुलर कार्सिनोमा होता है, के लिए पहले ही वैक्सीन उपलब्ध हैं। इस समय हेपेटाइटिस सी, जिससे हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा भी होता है, के लिए कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है।

एड्स के संबंध में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली; राष्ट्रीय हैजा और आन्त्र रोग संस्थान, कलकत्ता; राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान, पुणे और राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान ने एच.आई.वी. वैक्सीन से संबद्ध बुनियादी अनुसंधान शुरू किया हैं।

[अनुवाद]

भारत ओमान परियोजना को समाप्त करना

4752. श्री दिन्शा पटेल :
श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :
श्री जी.एस. बसवराज :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यूरिया के कम अंतर्राष्ट्रीय मूल्य और देश में इसके अतिरिक्त भंडार को ध्यान में रखते हुए ओमान के साथ एक बिलियन डालर लागत वाली विलंबित यूरिया वाली यूरिया परियोजना के संदर्भ में दूरदर्शिता अपनाए जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) उपरोक्त परियोजना के समापन से घरेलू संयंत्रों और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर क्या संभावित प्रभाव पड़ेगा?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) से (ग) इंण्डो-ओमान फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट पर, अन्तर्राष्ट्रीय यूरिया मूल्यों में गिरावट के परिणामस्वरूप परियोजना के पुनर्गठन की आवश्यकता तथा इसके परिणामस्वरूप विदेशी ऋणदाताओं द्वारा लगाई गई कड़ी शर्तों जो परियोजना के भारतीय प्रवर्तकों को स्वीकार्य नहीं थी, के कारण शीघ्र निर्णय लेना संभव नहीं हुआ है। परियोजना का कार्यान्वयन भारत सरकार के विचाराधीन पुनर्गठित परियोजना का अनुमोदन हो जाने के पश्चात् ही किया जा सकता है।

(घ) चूंकि सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है, अतः प्रश्न नहीं उठता।

दूरस्थ शिक्षा आयोग

4753. डी. ए.डी.के. जयशीलन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरस्थ एवं खुली शिक्षा के क्षेत्र में विश्व्यापी प्रवृत्तियों को देखते हुए दूरस्थ शिक्षा आयोग स्थापित करने से संबंधित कोई मांग सरकार को प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में विकलांगों का कोटा

4754. श्रीमती निवेदिता माने : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में विभिन्न श्रेणियों में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए कितने पद आरक्षित किए गए हैं;

(ख) क्या ऐसे व्यक्तियों का कोटा भर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन

4755. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :
श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव :
श्री सुबोध राय :
श्री चिंतामन वनगा :
श्री राजैया मल्याला :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक स्वतंत्रता सेनानी पेंशन हेतु राज्य-वार कितने आवेदन प्राप्त हुए;

(ख) इनमें से कितने आवेदन स्वीकृत/अस्वीकृत किए गए ...य-वार कितने मामले लंबित पड़े हैं;

(ग) क्या अनेक मामले राज्य सरकारों के असहयोग के कारण लंबित पड़े हैं;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा राज्य सरकारों के उक्त प्रस्तावों के तत्काल निपटान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) क्या सरकार लंबित मामले निपटाने के लिए किसी विशेष योजना अभियान चलाने पर विचार कर रही है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी.एच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) से (ङ) राज्य सरकार द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित और संस्तुत ऐसा कोई भी मामला, जो हर प्रकार से पूर्ण और स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन पाने का पात्र हो, लंबित नहीं है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र के नाम	प्राप्त आवेदनों की संख्या	स्वीकृत किए गए	अस्वीकृत किए गए
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	175	42	133
2.	अरूणाचल प्रदेश	0	0	0
3.	असम	0	0	0
4.	बिहार	549	34	515
5.	गोवा	10	0	10
6.	गुजरात	46	1	45
7.	हरियाणा	15	3	12
8.	हिमाचल प्रदेश	16	0	16
9.	जम्मू और कश्मीर	259	1	258
10.	कर्नाटक	151	2	149
11.	केरल	539	40	499
12.	मध्य प्रदेश	34	2	32
13.	महाराष्ट्र	514	2	512

1	2	3	4	5
14.	मणिपुर	0	0	0
15.	मेघालय	0	0	0
16.	मिजोरम	0	0	0
17.	नागालैंड	0	0	0
18.	उड़ीसा	0	0	0
19.	पंजाब	154	8	146
20.	राजस्थान	18	0	18
21.	तमिलनाडु	164	15	149
22.	त्रिपुरा	0	0	0
23.	उत्तर प्रदेश	120	3	117
24.	पश्चिम बंगाल	0	0	0
25.	अ. और नि. दीप समूह	0	0	0
26.	चंडीगढ़	0	0	0
27.	दमण और द्वीव	0	0	0
28.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	41	3	38
29.	पांडिचेरी	0	0	0
	कुल	2,805	156	2,649

हेपेटाइटिस "बी"

4756. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्यवार कितने व्यक्ति हेपेटाइटिस "बी" विषाणु के कारण मारे गए;

(ख) क्या देश में ही उत्पादित हेपेटाइटिस "बी" के टीके सस्ती दरों पर उपलब्ध हैं;

(ग) यदि हां, तो देश में उत्पादित ऐसे टीकों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार हेपेटाइटिस "बी" को राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान में शामिल करने पर पुनर्विचार करने का है जैसा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सिफारिश की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) वायरल हैपाटाइटिस से होने वाली मौतों की संख्या जिसमें हैपाटाइटिस से होने वाली मौतें भी शामिल हैं, से संबंधित नवीनतम आंकड़े संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। देशी रूप से विकसित वैक्सीनों जिनके लिए विपणन का अनुमोदन किया गया है, का ब्यौरा संलग्न विवरण II में दिया गया है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। अधिक व्यय को देखते हुए हैपाटाइटिस बी टीकाकरण को सरकार के व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया है।

विवरण-I

1996-99 के दौरान वायरल हैपाटाइटिस से होने वाली मौतें

क्र.सं.	राज्य का नाम	1996	1997	1998	1999*
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	96	93	101	70
2.	अरूणाचल प्रदेश	0	0	—	—
3.	असम	अनुपलब्ध	—	—	—
4.	बिहार	अनुपलब्ध	—	—	—
5.	गोवा	0	0	1	—
6.	गुजरात	63	44	30	5
[illegible]	[illegible]	18	17	10	—
[illegible]	[illegible]	5	9	4	2
9.	जम्मू व कश्मीर	2	3	0	2
10.	कर्नाटक	36	61	72	8
11.	केरल	12	6	17	4
12.	मध्य प्रदेश	31	135	31	25
13.	महाराष्ट्र	198	515	419	183
13.	मणिपुर	1	0	0	1
15.	मेघालय	0	0	6	1
16.	मिजोरम	1	1	2	3
17.	नागालैण्ड	0	0	2	0
18.	उड़ीसा	172	125	125	—
19.	पंजाब	26	—	20	—
20.	राजस्थान	24	19	14	39
21.	सिक्किम	अनुपलब्ध	—	—	0
22.	तमिलनाडु	1	3	—	—
23.	त्रिपुरा	2	3	0	0
24.	उत्तर प्रदेश	12	10	25	31
25.	पश्चिम बंगाल	अनुपलब्ध	—	—	—
26.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	4	7	2	2

*जून 1999 तक

1	2	3	4	5	6
27.	चण्डीगढ़	अनुपलब्ध	1	—	—
28.	दादरा व नगर हवेली	2	6	3	0
29.	दमण व दीव	0	0	0	0
30.	दिल्ली	93	38	—	22
31.	लक्षद्वीप	1	0	1	0
32.	पांडिचेरी	1	2	1	13
	कुल	801	1098	668	411

विवरण-II

क्र.सं.	फर्म का नाम	ब्रान्ड नाम	डोज फार्म	मूल्य
1.	मैसर्स शान्ता बायोटेक, हैदराबाद	शेनवेक-बी	0.5 एम.एल. इंजेक्शन	140.00 रुपये
			1. एम.एल. इंजेक्शन	190.00 रुपये
2.	मैसर्स भारत बायोटेक, हैदराबाद	रीवेक-बी	10 एम.एल. (मल्टीडोज)	1800.00 रुपये
			0.5 एम.जी. इंजेक्शन	160.00 रुपये
			1 एम.एल. इंजेक्शन	230.00 रुपये
			10 एम.एल. (मल्टीडोज)	2100.00 रु.
3.	मैसर्स वॉकर्हट लिमिटेड, मुम्बई	हाल ही में अनुमोदित	–	–
4.	मैसर्स ट्रांसजीन वैक्सीन, हैदराबाद	हाल ही में अनुमोदित	–	–

चिकित्सा अनुसंधान संस्थानों/केन्द्रों में अनुसंधान कार्य

4757. श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पंजीकृत निजी चिकित्सा अनुसंधान संस्थानों/केन्द्रों में अनुसंधान कार्यों को प्रोत्साहित करने की नई नीति की शुरूआत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) महाराष्ट्र में पंजीकृत निजी अनुसंधान संस्थानों/केन्द्रों के नाम और संख्या क्या हैं तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार और संस्थान-वार कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई और किस हद तक प्रोत्साहन दिया गया?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) से (ग) निजी आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान/केन्द्र अपने अनुसंधान कार्यक्रमों को चलाने के लिए अनुसंधान सहायता का लाभ उठा सकते हैं यदि ऐसे केन्द्रों अथवा संस्थानों को इस प्रकार के अनुदान प्राप्त करने हेतु वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग द्वारा मान्यता प्रदान की गई हो। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् भी निजी/स्वैच्छिक आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थानों/केन्द्रों से प्राप्त प्रस्तावों सहित अनुसंधान हेतु प्रस्तावों पर विचार करती रही है। पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् द्वारा महाराष्ट्र में वित्त पोषित आयुर्विज्ञान अनुसंधान परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद

जैव सूचना विज्ञान केन्द्र

पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में गैर-सरकारी अभिकरणों को वित्तपोषित की गई परियोजनाओं की सूची

क्र.सं.	परियोजना आई डी शुरू होने की तारीख समाप्त होने की तारीख स्थिति	शीर्षक	पीआई/गाइड का नाम और पता	20 अप्रैल, 2000 वर्षवार खर्च	
1	2	3	4	5	
	1996-02320 1 मार्च, 1999 28 फरवरी 2002 चल रही	वयस्क रूमेटाइड सन्धिशोथ के मुकाबले किशोर रूमेटाइड सन्धि शोथ में शोथ और टीश्यू क्षति में साइटोकाइन्स और साइटोटाक्सिन सेलों की भूमका	डा. सुधा एस देव वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी प्रतिरक्षा विज्ञान विभाग बाई जेरबाई वाडिया बाल अस्पताल एवं बाल स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान सोसायटी, आचार्य डोंडे मार्ग, पारेल, मुम्बई-400012	1998-99 1999-2000 कुल	96560 114600 811160
2.	1995-02320 15 नवम्बर, 1996 14 नवम्बर, 1999 पूरी की गई	अपक्व प्रसव के बेहतर उपचार के लिए प्रबल गर्भाशय शिथिलकों का विकास	डा. सी.एल. विश्वनाथन, सहायक प्रोफेसर फर्मास्युटिकल रासायनिक विज्ञान विभाग, बम्बई कालेज आफ फर्मेसी सांताक्रुज ईस्ट कालिना मुम्बई-400098	1997-1998 1998-1999 1999-2000 कुल	129800 64665 237280 431745
3.	1981-0413बी 1-सितम्बर-1981 31-मार्च-2000 चल रही	राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री जनसंख्या आधारित	डा. एम.आर. कामत अवैतनिक ट्रस्टी, भारतीय कैंसर सोसायटी 74, जेरबाई वाडिया रोड, पारेल, मुम्बई-400012	1997-1998 1998-1999 1999-2000 कुल	488000 477250 477250 1442500
4.	1996-0235 सी 1-सितम्बर-1997 31-अगस्त-2000 चल रही	वंध्यीकरण और प्रास्टेट का कैंसर : एन.सी.आर.पी.के. अधीन एक बहुकेन्द्रिक रोग नियंत्रण अध्ययन	डा. एम.आर. कामत अवैतनिक ट्रस्टी, भारतीय कैंसर सोसायटी 74, जेरबाई वाडिया रोड, पारेल मुम्बई-400012	1997-1998 कुल	151160 151160

1	2	3	4	5	
	5. 1994-0192 बी 1-अप्रैल-1996 30 सितम्बर-1998 पूरी की गई	किशोरों के बीच प्रजनक स्वास्थ्य और सैक्स बिहेवियर का एक अध्ययन	डा. एम.सी. वत्स, मुख्य परामर्शदाता सेक्सुअल चिकित्सा एवं परिवार नियोजन, मेडिकोन क्लिनिक "सूर्या" 79, हिल रोड, होली फेमिली अस्पताल के सामने, बान्द्रा, मुम्बई-400050	1997-1998 1998-1999 कुल	184760 44380 229140
पुणे	6. 1987-0256 बी 1-अप्रैल-1987 31-मार्च-2000 चल रही	मानव प्रजनन अनुसंधान केन्द्र	ड. के. कोयाजी प्रोफेसर प्रसूति एवं स्त्री रोग विज्ञान विभाग किंग एडवार्ड मेमोरियल अस्पताल अनुसंधान केन्द्र, रास्ता पेंठ, सरदार मूदलीयार रोड, रास्ता पेठ, पूणे-411011	1997-1998 1998-1999 1999-2000 कुल	506200 571630 734200 1812030
	7. 1992-0247 डी 1 नवम्बर, 1994 31 मार्च, 1998 पूरी की गई	आर.टी.आई./एस.टी.डी. की व्यापतता पर सहयोगी अध्ययन (अस्पताल आधारित)	डा. के . कोयाजी प्रोफेसर प्रसूति एवं स्त्री रोग विज्ञान विभाग, किंग एडवार्ड मेमोरियल अस्पताल अनुसंधान केन्द्र, रास्ता पेठ, सरदार मुदलीयार रोड, रास्ता पेठ, पूणे-411011	1997-1998 कुल	439830 439830
	8. 1993-0133 एन 1 सितम्बर, 1993 1 अगस्त, 1999 विलंबित	आई.सी.एम.आर.एच.आर.आर.सी. के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम में परिवार नियोजन सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना	डा. के. कोयाजी प्रोफेसर प्रसूति एवं स्त्री रोग विज्ञान विभाग किंग एडवार्ड मेमोरियल अस्पताल अनुसंधान केन्द्र, रास्ता पेठ, सरदार मुदलीयार रोड, रास्ता पेठ, पूणे-411011	1997-1998 1998-1999 1999-2000 कुल	305520 129161 124620 559301

माशेलकर समिति का प्रतिवेदन

4758. श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को औषधीय अनुसंधान और विकास के संबंध में माशेलकर समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) समिति द्वारा की गयी सिफारिशों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) से (ग) भारत में भेषज उद्योग के अनुसंधान एवं विकास सामर्थ्य को सुदृढ़ करने के लिए उपाय सुझाने तथा स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास प्रारम्भ करने के लिए भारतीय भेषज कंपनियों द्वारा अपेक्षित सहायता का पता लगाने के लिए भेषज अनुसंधान एवं विकास समिति (पी.आर.डी.सी.) मार्च, 1999 में गठित की गई थी। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश कर दी है। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ औषध विकास संवर्धन संस्था स्थापित करने की सिफारिश की थी ताकि ऐसे अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा मिले। इस

प्रयोजनार्थ इसने औषध विकास संवर्धन संस्था द्वारा अधिशासित किए जाने वाले 'भेषजीग अनुसंधान एवं विकास सहायता निधि' नामक निधि स्थापित करने की सिफारिश की है। इसने कुछेक वित्तीय तथा गैर वित्तीय उपायों की भी सिफारिश की है। सरकार इस समिति द्वारा सुझाए गए उपागम की आम तौर पर समर्थक है।

दण्डकारण्य परियोजना

4759. श्री कान्तिलाल भूरिया : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने 1985-86 से 1989-90 तक की अवधि के लिए दण्डकारण्य परियोजना और 1987 से 1988 और 1989 से 1990 तक की अवधि के लिए पूर्व पूर्वी पाकिस्तान के संबंध में वार्षिक लेखा परीक्षा प्रमाणपत्र केन्द्र सरकार को भेज दिया है;

[illegible] हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) मध्य प्रदेश सरकार को मुआवजे की अनुमति कब तक मिल जाएगी?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी.एच. विद्यासागर राव): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) दण्डकारण्य परियोजना के संबंध में वर्ष 1985-86 से 1989-90 तक के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भेजे गए कुल 8,64,36,308 रु. के दावे की तुलना में भारत सरकार ने 7,87,81,107 रु. की राशि का भुगतान पहले ही कर दिया है। इसी तरह, भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से अन्य विस्थापित व्यक्तियों से संबंधित वर्ष 1987-88 से 1989-90 तक के लिए कुल 4,03,16,453 रु. के दावे की तुलना में, भारत सरकार द्वारा 3,28,92,661 रु. की राशि का भुगतान किया जा चुका है। शेष राशि रिलीज करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

[अनुवाद]

चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिये प्रवेश परीक्षा

4760. श्री बाबूभाई के. कटारा :
श्री चन्द्रेश पटेल :
श्री प्रवीण राष्ट्रपाल :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों ने चिकित्सा/दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिये अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा क्षेत्रीय भाषा में आयोजित करने के लिए केन्द्र सरकार को अभ्यावेदन दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कर्मचारियों की विधवाओं को पेंशन

4761. डा. बलिराम : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कर्मचारियों की आश्रित विधवाओं की पेंशन पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार उनके पतियों के मूल वेतन के आधार पर नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अभी तक उनकी पेंशन निर्धारित न करने के क्या कारण है; और

(ग) सरकार द्वारा कब तक उक्त मामलों का निपटान कर लिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी.एच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के आश्रितों समेत उनकी विधवाओं की परिवार पेंशन, इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के आधार पर संबंधित अधिकारियों द्वारा निर्धारित/पुनर्निर्धारित की जाती है। पांचवें वेतन आयोग में की गई सिफारिशों के आधार पर पेंशन के पुनर्निर्धारण संबंधी सरकारी आदेश शीघ्रता से अनुपालन करने हेतु सभी कार्यालयों के प्रमुखों को पहले ही परिचालित कर दिए गए हैं।

आई.एल.सी.एस. के लिए विशेष अभियान

4762. श्री के. येरननायडू : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों में एकीकृत कम लागत स्वच्छता योजना (आई.एल.सी.एस.) को लागू करने के लिए हुडको की सहायता से एक विशेष अभियान शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आंध्र प्रदेश के नगरों में आई.एल.सी.एस. चरण-।। कार्यक्रम की मंजूरी देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है, जिनके लिए इस प्रस्ताव का क्रियान्वयन अभी बाकी है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) जी, हां। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने शहरी कस्बों में समग्र सफाई व्यवस्था में सुधार की कार्यनीति सहित सफाई और हरित कार्यक्रम (क्लीन एण्ड ग्रीन प्रोग्राम) शुरू करने की सूचना दी है। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में सभी शहरी कस्बों में शहरी गरीब परवारों के लिए अलग-अलग शौचालयों के निर्माण के लिए समेकित कम लागत सफाई स्कीम (आई.एल.सी.एस.) के कार्यान्वयन के निर्णय की सूचना दी है।

(ग) आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा आई.एल.सी.एस. स्कीम के अधीन आन्ध्र प्रदेश के 334 कस्बों को शामिल करने का प्रस्ताव भेजा गया था जिसमें से 12.1.2000 तक इस मंत्रालय द्वारा 24 कस्बों को मंजूरी दी गई थी। इस मंत्रालय द्वारा शेष 10 कस्बों में आई.एल.सी.एस. स्कीम स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है जिनमें पहले सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा स्कीमें मंजूर की गई थी। इस निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए रीति (मोडालिटीज) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के साथ तय की जा रही है।

आर.सी.एफ.एल. अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार

4763. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक लि. के कुछ अधिकारियों के विरूद्ध भ्रष्टाचार संबंधी अनेक शिकायतें मिली हैं; और

(ख) यदि हां, तो दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई किए जाने का विचार है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) और (ख) जी हां। सतर्कता की दृष्टि से कुछ शिकायतें विभाग में प्राप्त हुई हैं। इनमें से कुछ की जांच की गई है और मामला बन्द कर दिया गया है क्योंकि लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं हुये थे। रॉक फास्फेटस खरीद के एक मामले में विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है और डी.ए.पी. खरीद के एक अन्य मामले में मामला अगली जांच पड़ताल हेतु सी.बी.आई. को भेजा गया है। अनियमितता के आरोपों की हाल ही की एक शिकायत टिप्पणी हेतु आर.सी.एफ. को भेजी गई है। दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरूद्ध कार्रवाई विभागी कार्यवाईयां/सी.बी.आई. जांच पड़ताल के निष्कर्षों के आधार पर की जायेगी।

आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय सहायता

4764. श्री संतोष मोहन देव : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आतंकवाद से प्रभावित असम के जिलों की सड़कों के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) और (ख) असम राज्य में सड़कों के विकास हेतु केन्द्र सरकार धन उपलब्ध कराती आ रही है। तथापि, असम में आतंकवाद से प्रभावित जिलों में सड़कों के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराने जैसी कोई विशिष्ट योजना नहीं है।

वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति को मान्यता

4765. श्री नरेश पुगलिया : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय ने केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों को पत्र लिखकर आयुर्वेद, होम्योपेथी, यूनानी जैसी वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति द्वारा उपचार को शामिल करने और उन्हें मान्यता देने एवं कार्यालयों में कर्मचारियों के लिए योग कक्षाएं आरम्भ करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) मंत्रालयों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) और (ख) इस विभाग ने केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों को अपने विभागों एवं सार्वजनिक संगठनों में

भारतीय चिकित्सा पद्धति को लोकप्रिय बनाने के लिए लिखा है यथा:

(1) भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होमियोपैथी के अधीन चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार करना।

(2) औषधीय पौधों को उगाना।

(3) महिलाओं, पंचायतों एवं लघु उद्योगों को शामिल करने वाली परियोजनाएं।

(4) योग आरंभ करना।

(5) औषधीय चाय की पेशकश आदि।

(ग) अब तक मिली प्रतिक्रिया उत्साहवर्द्धक है।

पुनर्वास

श्री **कोडीकुनील सुरेश** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने कि:

(क) क्या सरकार को श्रीलंका से प्रत्यावर्तित हुए निवासियों के केरल में पुनर्वासित होने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त राज्य में कुल कितने परिवारों को पुनर्वासित किया गया है;

(ग) क्या सरकार ने केरल सरकार के साथ रबड़ बागानों में संयुक्त उद्यम स्थापित करना आरम्भ किया है;

(घ) सरकार ने इस उद्यम/कम्पनी में कुल कितनी धनराशि लगाई है;

(ङ) क्या उक्त संयुक्त उद्यम/कम्पनी लाभप्रद है;

(च) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार भारत में पैदा हुए कर्मचारियों के लड़कों और लड़कियों को रोजगार के अवसर देने के बारे में विचार करेगी; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी.एच. विद्यासागर राव): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) राज्य में 700 परिवारों को पुनर्वासित किया गया है।

(ग) जी हां, श्रीमान्।

(घ) 133.42 लाख रुपये।

(ङ) और (च) जी हां, श्रीमान्। वित्तीय वर्ष 1998-99 के दौरान कर से पूर्व लाभ 3,27,97,598.41 रुपये था।

(छ) और (च) भारत में पैदा हुए प्रत्यावासियों के बच्चों को प्रत्यावासी नहीं माना जा सकता है और इसलिए, उनके लिए कंपनी में नौकरियां आरक्षित नहीं की जा सकती हैं। तथापि, ऐसे बच्चों के लिए कंपनी में रोजगार देने पर, अन्य प्रत्यासियों के साथ, उनकी पात्रता और उपयुक्तता, को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाता है।

यातायात संबंधी समस्या

4767. श्री प्रभुनाथ सिंह :
श्री रघुनाथ झा :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 4 अप्रैल, 2000 के 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' में 'पुलिस चीफ क्रैक्स व्हिप ऑन ट्रैफिक ट्रब्लस' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाय गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार यातायात पुलिस को अनुशासित करने और भ्रष्ट अधिकारियों की पहचान करने का है;

(घ) क्या राजधानी में बाहरी और भीतरी रिंग रोड जैसी महत्वपूर्ण सड़कों पर मुक्त मार्ग ('फ्री वे') का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी.एच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। समाचार, दिल्ली पुलिस के आयुक्त द्वारा हाल ही में दिए गए लिखित निदेशों पर आधारित है, जिनमें उन्होंने दिल्ली में यातायात के प्रबन्धन में सुधार लाने के लिए कुछेक सुझाव दिए हैं।

(ग) भ्रष्ट पुलिस कार्मिकों की पहचान करने और उनके खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए दिल्ली पुलिस में पहले से ही एक सुपरिभाषित तंत्र विद्यमान है। इसके अतिरिक्त, यातायात पुलिस कार्मिकों के खिलाफ भ्रष्टाचार इत्यादि की शिकायतों की जांच करने के लिए यातायात यूनिट में एक जनसम्पर्क और शिकायत एकक है।

(घ) और (ङ) जी हां, श्रीमान्। ये, आजादपुर में आई.टी.ओ. तक रिंग रोड पर और आई.आई.टी. दिल्ली के विश्वेसरिया सेतु तक बाहरी रिंग रोड पर संकेत-मुक्त मार्ग शुरू करने के संबंध में है।

नगरों की भीड़-भाड़ को कम करना

4768. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कुछ महानगरों और बड़े नगरों की भीड़-भाड़ कम करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस उद्देश्य हेतु कुछ मॉडल वाहनों को विकसित किया जाएगा;

(ग) यदि हां, तो ऐसे नगरों का ब्यौरा क्या है जिसके नजदीक इन मॉडल वाहनों को विकसित किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या योजना आयोग ने संसाधनों की कमी के कारण उक्त प्रस्ताव की स्वीकृति नहीं दी है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस उद्देश्य हेतु विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने का है; और

(च) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) स (घ) नौवीं पंचवर्षीय योजना में नई नगर बस्ती विकास हेतु 100 करोड़ रुपये की प्रारम्भिक राशि के नियतन के लिए एक स्कीम योजना आयोग को प्रस्तुत की गई थी। स्कीम का उद्देश्य नौवीं और दसवीं योजनाओं के दौरान महानगरों/बड़े शहरों में भीड़-भाड़ कम करने के लिए 100 माडल टाउन का विकास करना और सेटलाइट टाउन्स का निर्माण करना है ताकि वे आर्थिक वृद्धि का वाहक बन सकें। धन की कमी के कारण योजना आयोग द्वारा स्कीम को मंजूरी नहीं दी गई है। इसलिए, फिलहाल ऐसी कोई स्कीम चालू नहीं है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

'यूनेस्को' द्वारा वित्तीय सहायता

4769. श्री ए. नरेन्द्र : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 'यूनेस्को' द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत में बच्चों के विकास के लिए कुल कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई;

(ख) जिन कार्यक्रमों पर यह राशि खर्च की गई है, उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह राशि किन एजेन्सियों के माध्यम से खर्च की गई?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील): (क) यूनेस्को के नई दिल्ली स्थित कार्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों (1997-1999) के दौरान यूनेस्को द्वारा भारत में बच्चों के विकास के लिए प्रदत्त वित्तीय सहायता की कुल राशि 54,80,000/- रुपये थी।

(ख) और (ग) उन कार्यक्रमों और एजेंसियों जिनके माध्यम से राशि खर्च की गई है, का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	अभिकरण का नाम
1	2	3
1.	शिक्षा के माध्यम से शहरी लाभ वंचित समूह के बच्चों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना	सी.आई.एन.आई.ए. एस.एच.ए., कलकत्ता
2.	कलकत्ता और हावड़ा के शहरी लाभवंचित समूहों के जीवन की गुणवत्ता को सुधारने में शिक्षा का प्रभाव	डी.ओ.एन., बी.ओ.एस. सी.ओ., कलकत्ता
3.	विकलांग युवकों के लिए आवासीय परिसर	लोक जुम्बिश परिषद, राजस्थान

1	2	3
4.	प्राथमिक विद्यालयों की पहल योजना और बालिकाओं की सहभागिता के लिए उनके योगदान पर राज्य नीति	एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली
5.	विशेष आवश्यकताओं वाली शिक्षा के लिए अन्तर-राष्ट्रीय संस्थान	जी.ओ.आई., एम.एच.आर.डी. एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली
6.	बच्चों के लिए विशेष आवश्यकताओं वाली बेसिक शिक्षा का प्रोन्नयन	जी.ओ.आई., नई दिल्ली और यूनेस्को पी.आर., ओ.पी. बैंकांग
7.	विद्यालय और समुदाय सहायता कार्यक्रम को शामिल करना, शिक्षक शिक्षा संसाधन पैक का अनुवाद और कार्यान्वयन	स्पास्टिक सोसायटी ऑफ नार्दन इण्डिया, नई दिल्ली
8.	समुदाय आधारित बेसिक शिक्षा जिसे अब जनशाला कहा जाता है के लिए यू.एन. पद्धति सहायता	जी.ओ.आई., नई दिल्ली
	्च.आई.वी./एड्स उन्मूलन को विद्यालय पाठ्यक्रम में शामिल करना	प्रयास, प्रेरणा, ए.एच.ई.ए.डी., वाई.ए. ए.आर., हेल्प, नाज प्रतिष्ठान, रिमेडिया
ट्रस्ट		
10.	एच.आई.वी./एड्स उन्मूलन और नशे की बुराई के बारे में जागरूकता बढ़ाना	यूनेस्को क्लब, आई.एन.सी.सी.यू.
11.	मध्य प्रदेश के विद्यालय जाने वाले और विद्यालय न जाने वाले किशोरों की शिक्षा हेतु एक समान आधार वाला उपागम	यू.एन. अभिकरण, एन.ए.सी.ओ. और एन.एल.एम.

[हिन्दी]

लॉटरी टिकट

4770. श्री विजय गोयल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां लॉटरी टिकट बेचे जाते हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में कितने मूल्य की लॉटरी के टिकट बेचे गए और इस बिक्री से कितना लाभ अर्जित किया गया; और

(ग) सरकार द्वारा सभी प्रकार की लॉटरियों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की संघ सूची की प्रविष्टि संख्या 40 के अन्तर्गत आने वाली लाटरियों के आयोजन, संचालन और संवर्धन को प्रतिबन्धित करने वाला लाटरियां (प्रतिषेध) विधेयक, 1999 पहले ही राज्य सभा में पेश किया जा चुका है।

[अनुवाद]

जल आपूर्ति तथा मल व्ययन परियोजनाएं

4771. श्री भर्तृहरि महताब : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने कटक और भुवनेश्वर में जल आपूर्ति तथा मल व्ययन परियोजनाओं के संबंध में कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं से कौन से क्षेत्र लाभान्वित होंगे;

(घ) इन परियोजनाओं को कब तक मंजूर किए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या इस संबंध में उड़ीसा सरकार ने केन्द्र सरकार से विश्व बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त करने का अनुरोध किया है; और

(च) यदि हां, तो विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (घ) जी हां। ओड़ीसा सरकार ने भुवनेश्वर के लिए सीवरेज योजनाओं पर दो अलग-अलग परियोजना प्रस्ताव तथा कटक शहर के लिए गन्दे पानी की व्यवहार्यता अध्ययन के एक प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। कटक तथा भुवनेश्वर के लिए जल आपूर्ति के बारे में ओड़ीसा सरकार से कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। पेश योजनाओं के संक्षिप्त विवरण, उनकी मौजूदा स्थिति तथा उनसे लाभान्वित होने वाले क्षेत्रों के ब्यौरे संलग्न विवरण में हैं।

(ङ) विश्व बैंक से वित्तीय सहायता मांगने का कोई प्रस्ताव ओड़ीसा सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

सी.पी.एच.ई.ई.ओ. (18.4.2000 की स्थिति)

विश्व बैंक/द्विपक्षीय सहायता के लिए जल आपूर्ति तथा सफाई परियोजनाओं की स्थिति

क्र.सं.	परियोजना का नाम	सी.पी.एच.ई.ई.ओ. में प्राप्ति की तारीख	अनुमानित लागत करोड़ रु. में	बाह्य वित्तदाता एजेंसी	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1.	**ओड़ीसा** भुवनेश्वर के लिए व्यापक सीवरेज योजना	अप्रैल, 1993	170.00	फिनलैंड सरकार	मार्च, 95 : डब्ल्यू.ए.पी.सी.ओ.एस. के प्रतिनिधियों के साथ मार्च, 95 में एक बैठक हुई। राज्य सरकार को मंत्रालय के सुझावों को शामिल करते हुए संशोधित परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया था। ओ.एम.एस.एस.बी. के अधिकारियों के साथ 257.96 को विचार-विमर्श के बाद, राज्य एजेंसी को टिप्पणियों के आलोक में रिपोर्ट संशोधन कर पुनः पेश करने को कहा गया। अंतिम अनुस्मारक 24.4.98 को भेजा गया जिसमें अन्तिम तारीख 8.5.98 दी गई थी। अब तक कोई उत्तर नहीं मिला है। स्कीम 2011 के लिए यथा नियोजित प्रस्तावित नगर विकास क्षेत्र को शामिल करने हेतु योजना तैयार की गई है।

1	2	3	4	5	6
2.	कटक हेतु गंदे पानी के साध्यता अध्ययन का मास्टर प्लान	अप्रैल, 94	1.75 मिलियन (आस्ट्रेलियाई डालर)	आस्ट्रेलिया	मंत्रालय ने प्रस्ताव की जांच की तथा जून, 1994 में साध्यता पूर्व अध्ययन व प्रारूप पर टिप्पणियां सूचित की। टिप्पणियों के अनुपालन के बारे में अब तक कोई उत्तर नहीं मिला है। सी.पी.एच.ई.ई.ओ. ने राज्य सरकार को 31.3.95 तक उत्तर प्रस्तुत करने को कहा। अब तक कोई उत्तर नहीं मिला है। साध्यता अध्ययन/मास्टर प्लान के वित्तपोषण के बारे में 1.50 मिलियन आस्ट्रेलियाई डालर डोनर एजेंसी द्वारा तथा शेष 0.25 मिलियन आस्ट्रेलियाई डालर राज्य सरकार द्वारा वहन करने का प्रस्ताव है। किन्तु राज्य सरकार ने 0.25 मिलियन आस्ट्रेलियाई डालर का अपना हिस्सा वहन करने में असमर्थता व्यक्त की ह और भारत सरकार से यह राशि राज्य सरकार के लिए अनुदान के रूप में मान कर देने का अनुरोध किया है। यह प्रस्ताव सम्पूर्ण समूचे कटक शहर के लिए किया गया है।
3.	भुवनेश्वर की सीवरेज व्यवस्था के लिए परियोजना	जुलाई, 97	46.97	एस.आई.डी.ए.	जांच की गई। टिप्पणियां 3/98 को राज्य सरकार को भेजी गई ताकि की गई टिप्पणियों के आलोक में परियोजना संशोधित करके वे उसे राज्य सरकार के माध्यम से पुनः प्रस्तुत कर सकें। उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुआ है। वर्ष 2011 के लिए यह योजना नगर के प्रमुख क्षेत्र के प्रस्तावित व मौजूदा विकास हेतु तैयार की गई है।

[हिन्दी]

भारतीय शिक्षा सेवा संवर्ग

4772. मोहम्मद शहाबुद्दीन : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का अन्य संवर्गों की भांति भारतीय शिक्षा सेवा संवर्ग के सृजन का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील): (क) से (ग) 1992 में संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में शिक्षा के प्रबंधन को राष्ट्रीय महत्व दिलाने के लिए अखिल भारतीय सेवा के रूप में भारतीय शिक्षा सेवा की स्थापना की परिकल्पना है। इस सेवा से संबंधित मौलिक सिद्धांतों, कार्यों तथा [illegible] की प्रक्रियाओं के बारे में निर्णय राज्य सरकारों के परामर्श से लिया जाना है। लेकिन इस संबंध में मतैक्य नहीं हो पाया है।

[अनुवाद]

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की गहन चिकित्सा इकाई

4773. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान सद्यः नव-जात शिशु की शल्य चिकित्सा की गहन चिकित्सा इकाई छः बिस्तरों वाली ही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा सद्यः प्रसूति-शल्य चिकित्सा की गहन चिकित्सा इकाई में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) नवजात शल्यक विशिष्टता अत्यधिक तकनीकी है और इसमें विशेष रूप से बाल रोग शल्य चिकित्सकों, न्येनेटोलाजिस्टों, संज्ञाहरण विज्ञानियों, विकिरण विज्ञानियों, प्रशिक्षित नर्सों जैसे प्रशिक्षित कार्मिक शक्ति और अन्य तकनीकी स्टाफ की मांग रहती है। इसके लिए विभिन्न अत्याधुनिक उपकरणों से सज्जित उच्च किस्म की परिचर्या के विशिष्ट क्षेत्र की जरूरत भी है। संस्थान ने हाल ही में मौजूदा नवजात शल्यक गहन परिचर्या एकक का नवीनीकरण किया है और इसका उसी स्थान के अन्दर विभिन्न प्रकार की जन्मजात कुरचनाओं वाले 10 शल्यक-नवजात शिशुओं को समायोजित करने का विचार है।

दिल्ली में अस्पताल

4774. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी :
श्री तूफानी सरोज :
कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली :
श्री वैको :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार से सहायता प्राप्त करने के बावजूद दिल्ली में अधिकतर सरकारी सहायता प्राप्त/निजी और धर्मार्थ अस्पताल निर्धन मरीजों की अनदेखी करते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इनके पंजीकरण को रद्द करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) से (छ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने स्थिति की समीक्षा करने के लिए एक समिति गठित की है।

विटामिन "डी" की कमी

4775. श्री भीम दाहाल : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 31 मार्च, 2000 के "द इंडियन एक्सप्रेस" में "नार्थ इंडियन प्रोन टू विटामिन 'डी'

डैफिसिएन्सी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा देश में इस स्थिति का सामना करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा कराए गए वैज्ञानिक अध्ययनों से पर्याप्त प्रत्यक्ष धूप न मिलने और त्वचावर्णकयुक्तता के कारण उत्तर भारत के सामान्य व्यक्तियों में विटामिन डी अल्पता की व्याप्तता का पता चला है। तथापि [illegible] की कवरेज बहुत ही सीमित है और इसे समस्त [illegible]निधित्व के रूप में स्वीकार नहीं किया जा [illegible]आहार शिक्षा प्रचार माध्यमों और सरकारी स्वास्थ्य नेटवर्क के जरिए चलाई गई नेमी गतिविधि है जिसमें जहां भी अपेक्षित हो, वहां सूक्ष्म पोषाहारों/विटामिनों के अनुपूरण समेत संतुलित आहार के महत्व पर लोगों को उपयुक्त रूप से जानकारी दी जाती है।

गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान

4776. **श्री प्रभात सामन्त राय :** क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कौन-कौन से स्वयंसेवी संगठन देश के जनजातीय क्षेत्रों में शैक्षिक संस्थान चला रहे हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन गैर-सरकारी संगठनों को कितना अनुदान दिया गया?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान आदिवासी क्षेत्रों में शैक्षिक परिसर चलाने के लिए निर्मुक्त धनराशि सहित गैर-सरकारी संगठनों की सूची संलग्न विवरण-I में है तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जनजातियों के लिए आवासीय और गैर-आवासीय स्कूलों को चलाने के लिए निर्मुक्त धनराशि सहित गैर-सरकारी संगठनों की एक सूची संलग्न विवरण-II पर है।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों के दौरान आदिवासी क्षेत्रों में महिला साक्षरता के विकास के लिए, निम्न साक्षरता पाकेटों में शैक्षिक परिसर की योजना के अंतर्गत उन स्वयं सेवी संगठनों की सूची जिन्हें सहायता अनुदान निर्मुक्त की गई

क्र.सं.	संगठन का नाम	1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश				
1.	लिटिल फ्लावर सोसाइटी जिला मेढक	1,42,158	9,44,818	3,45,000
2.	सोसल एक्शन फार सोसल डेव. हैदराबाद	-	9,18,000	1,20,000
3	कन्स्ट्रक्टिव वर्कर्स डेवल्पमेंट सोसाइटी विजयवाड़ा	-	86,000	1,94,000
4.	समस्कार, विजयवाड़ा	-	7,69,847	-
5.	समेकित विकास एजेन्सी कृष्णा जिला	-	1,60,000	3,60,000
6.	आन्ध्र प्रदेश आदिवासी कल्याण आश्रम तथा आवासीय शिक्षा, हैदराबाद	-	92,25,000	-

1	2	3	4	5
7.	जागृथी शैक्षिक तथा सामुदायिक विकास सोसाइटी हैदराबाद	–	–	2,25,000
8.	वेंकला शैक्षिक तथा ग्रामीण विकास सोसाइटी हैदराबाद	–	–	1,89,000
9.	सामाजिक समेकित तथा ग्रामीण विकास सोसाइटी नालगोंडा	–	–	1,62,500
10.	सोसाइटी फार हेल्थ तथा शिक्षा आर्थिक विकास हैदराबाद	–	–	1,62,500
11.	चैतन्य रूरल विकास एसोशिएसन, कुडप्पा	–	–	1,62,500
12.	सैम सोसाइटी फार सोसल जस्टिस रंगारेड्डी जिला	–	–	1,62,500
13.	प्रियदर्शिनी सेवा संगठन, विशाखापत्तनम	–	–	1,62,500
14.	चैतन्य शिक्षा तथा ग्रामीण विकास सोसाइटी कुडप्पा जिला	–	–	1,62,500
15.	ग्रामीण तथा शहरी प्रगतिशील सोसाइटी, हैदराबाद	–	–	1,62,500
16.	श्री वेंकटेश्वर महिला मंडली, गुंटूर	–	–	56,500
17.	संतोष शिक्षा सोसाटिी, जिला करीमनगर	–	–	56,500
18.	अरूणधती शैक्षिक सोसाइटी, सिकन्दराबाद	–	–	56,500
असम				
19.	विवेकानन्द केन्द्र विद्यालय, डिब्रूगढ़	–	–	–
अरूणाचल प्रदेश				
20.	ओजू कल्याण संघ, पंपापुर	–	9,57,297	3,55,000
बिहार				
21.	राजेन्द्र शिक्षा संस्थान तथा समाज कल्याण पश्चिम चम्पारण	6,87,940	3,72,900	2,02,500
22.	तिरहुत महिला विकास संस्थान पश्चिम चंपारण	–	–	–
23.	विश्व बन्धु राम अवतार, सीतामढ़ी	4,59,000	–	2,61,000
24.	तारादेवी शिक्षा समिति, गोपालगंज	–	1,40,000	–

1	2	3	4	5
25.	नवीन भारतीय प्रतिष्ठान, मुजफ्फरपुर	4,59,000	–	–
26.	महिला मुक्तिवाहिनी, अनिसाबाद, पटना	4,59,000	–	–
गुजरात				
27.	श्री मणिलाल गंगादास पटेल सर्वोदय केन्द्र बनासकांठा	1,53,502	4,82,714	2,00,532
28.	लोक निकेतन रतनपुर, बनासकांठा	4,43,835	1,80,200	6,40,000
29.	श्री सर्वोदय आश्रम, बनासकांठा	2,69,150	3,85,000	2,25,000
30.	ग्राम स्वराज संघ, कच्छ	1,89,870	3,30,900	5,31,992
31.	श्रीमति सुशिलाबेन स्मारक न्यास, कच्छ	3,16,484	3,63,604	–
	ल साक्षरता समिति, तिरूवनन्तपुरम	–	–	–
मध्य प्रदेश				
33.	ग्रामीण विकास सेवा, रायसेन	3,48,300	–	6,64,000
34.	प्रसाद एकला समिति, राय्सेन	4,59,000	–	4,56,000
35.	डा. अम्बेडकर सर्वोदय विकास परिषद, रायसेन	4,59,000	–	–
36.	श्री लव शिक्षा प्रसार समिति, रायसेन	4,59,000	–	–
37.	ग्रामीण सेवा केन्द्र, झाबुआ	5,62,000	6,01,181	2,25,000
38.	राजेन्द्र आश्रम न्यास, झाबुआ	4,59,000	–	4,59,000 (एन.आर.)
39.	भील सेवा संघ	–	–	3,35,720
40.	दीनदयाल अनुसंधान संस्थान, सतना	1,43,720	3,71,289	6,30,000
41.	आदर्श शिक्षा समिति बकिया, सतना	56,050	4,52,450	8,19,000
42.	पाण्डेय शिक्षा समिति, सतना	6,05,250	4,59,000 (एन.आर.)	–
43.	सव्यसांची क्यूबे फार अरबन एण्ड रूरल विकास सिधी	2,60,567	10,44,174	–
44.	श्री रामकृष्ण विवेकान्द सेवाश्रम, सिधी	2,89,037	–	3,99,600
45.	एम.पी. आदिवासी सेवक संघ, सहडोल	4,59,000	–	–
46.	महाकौशल महिला शिक्षा समिति, सहडोल	–	4,59,000	1,02,000
47.	कस्तूरबा गांधी स्मारक न्यास, सहडोल	–	1,38,553	79,636

1	2	3	4	5
48.	विवेकानन्द सामाजिक स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण संस्थान (विश्वास नारायणपुर, जिला बस्तर	4,59,581	3,68,926	2,79,990
49.	माता रूक्मिणी सेवा संस्थान ग्राम पो. दिनरापल, जिला बस्तर	-	-	-
50.	प्रणामी आदिवासी शिक्षा समिति, सिरसी जागीर जिला गुना	-	-	-
51.	बंधेवाल शिक्षा समिति भोपाल, मध्य प्रदेश	-	-	2,25,000
52.	प्रमोद आदिवासी विकास परिषद्, जबलपुर, एम.पी.	-	-	1,89,000
53.	पुष्पा कॉन्वेन्ट शिक्षा समिति, भोपाल	-	-	1,62,500
54.	आशादीप कल्याण समिति, सिहोरा, जि. जबलपुर	-	-	1,62,500
55.	मध्य प्रदेश आदिवासी सेवक संघ, अमाहिया, रीवा, एम.पी.	-	-	1,62,500
56.	जगत शिक्षा एवम समाज कल्याण समिति, शिवपुरी, एम.पी.	-	-	1,62,500
57.	अराधना ग्रामीण सेवा समिति मत्तन मोहल्ला, निवारी, एम.पी,	-	-	1,62,500
58.	शक्ति स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण समिति, ग्वालियर	-	-	1,62,500
59.	शिवम सोसल डेवलपमेंट सोसाइटी, मुरैना, एम.पी.	-	-	1,62,500
60.	आदर्श शिक्षा समिति, बकिया कॉम्पलैक्स हरदुआ कलां, जिला सतना	-	-	56,500
61.	अन्नपूर्णा शिक्षा समिति समेरखया (अचली) जिला मांडला, एम.पी.	-	-	52,900
62.	ऋचा समाज सेवा एवं शिक्षा प्रसार समिति	-	-	56,500
महाराष्ट्र				
63.	अपंग महिला मंडल, माया नगर, अमरावती	4,59,000	-	-
64.	अपंग एसोसियेशन, माया नगर, नासिक	-	4,59,000	-
65.	ग्राम बाल शिक्षा केन्द्र, थाणे	-	1,90,424	-
66.	तांत्रिक प्रशिक्षण संस्थान, अमरावती	-	1,44,000	3,36,000
67.	जीवन धारा वियम एवं मृदा शिक्षण संस्थान, अकोला	-	57,500	-
68.	साबित्रीबाई पब्लिक गर्ल्स, जिला अकोला	-	1,40,000	-
69.	अखिल भारतीय मगस्वर्गीय समाज प्रबोधन संस्थान, महाराष्ट्र	-	-	1,62,500

1	2	3	4	5
उड़ीसा				
70.	मार-मुनिंग आश्रम, जिला कोरापुट	-	4,24,302	3,62,500
71.	नया सहायक समिति, जिला कोरापुट	4,36,877	3,67,000	3,90,000
72.	जन कल्याण समिति, कोरापुट	5,37,500	4,39,500	3,90,000
73.	ब्राइट कैरियर अकादमी, जिला कोरापुट	3,52,400	4,39,000	-
74.	बायोपरिंगडा केस्तरा समिति, जिला कोरापुट	6,71,300	6,13,450	1,35,982
75.	लिबरेशन एजुकेशन एंड एक्शन फॉर डेवलपमेंट जिला कोरापुट	2,21,000	4,18,848	3,45,000
76.	सर्वोदय समिति, जिला कोरापुट	3,68,280	1,45,780	3,49,500
	— भारती, जिला कोरापुट	-	-	-
	समाज, जिला रायगादा	4,47,751	3,04,500	2,45,000
79.	सर्वेन्ट्स ऑफ इण्डिया सोसाइटी, जिला रायगादा	3,76,637	4,22,656	4,50,000
80.	अग्रगामी काशीपुर, जिला रायगादा	-	5,52,907	-
81.	अर्गिनाइजेशन ऑफ सोसल चेन्ज एंड रूरल डेवलपमेंट, भुवनेश्वर	3,15,000	3,72,200	-
82.	इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, जयपुर	3,56,650	6,10,000	-
83.	कस्तुरबा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, कटक	3,45,278	1,47,500	4,55,500
84.	काउन्सिल ऑफ कल्चरल ग्रोथ एंड कटक	4,05,988	7,67,709	-
85.	सोसाइटी फॉर नेचर एजुकेशन हेल्थ, भुवनेश्वर	1,85,000	4,01,870	-
86.	टैगोर सोसाइटी फॉर रूरल डेवलपमेंट, भुवनेश्वर	-	4,95,611	-
87.	नेशनल यूथ सर्विस एक्शन एंड सोसल डेवलपमेंट रिसर्च, जिला धेनकनाल	4,59,000	-	4,59,000 (एन.आर.) 3,80,000 (आर.ई.सी.)
88.	पीपुल्स आर्गेनाइजेशन फॉर वेलफेयर इम्प्लायेंट एंड रूरल डेवलपमेंट	4,59,000	4,59,000	-
89.	सोसल एजुकेशन फॉर इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट	-	95,000	1,95,000
90.	अरून इंस्टीट्युट ऑफ रूरल अफेयर्स, उड़ीसा	-	-	56,500
91.	वनवासी सेवा प्रकल्प जि. कालाहांडी, उड़ीसा	-	-	1,58,000 (दो परिसर)
92.	श्री राम कृष्ण आश्रम, उड़ीसा	-	-	56,500

1	2	3	4	5
राजस्थान				
93.	राजस्थान बाल कल्याण समिति, जि. उदयपुर	4,57,420	4,16,100	2,25,000
94.	राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद्, उदयपुर	–	–	–
95.	जवाहर विद्यापीठ उदयपुर, राजस्थान	–	62,500	–
96.	चेतना आरोग्य मन्दिर, उदयपुर	3,50,644	8,75,352	–
97.	कैथोलिक डायोसीजन एजुकेशन सोसाइटी, उदयपुर	3,99,000	8,09,725	–
98.	महावीर जैन विद्यालय उदयपुर	4,59,000	–	54,000
99.	मेवाड़ शारीरिक शिक्षा समिति, उदयपुर	4,59,000	–	–
100.	राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर	3,98,893	48,450	–
101.	ज्ञान भारती शिक्षा विद्यालय समिति, नयाबाजार, बुन्दी	–	4,55,650	–
102.	ओम विद्या मंदिर, टोंक	–	4,51,520	2,79,000
103.	सेंट सोल्जर एजुकेशन सोसाइटी, टोंक जिला	4,59,000	–	–
104.	अभिनव शिक्षा समिति नव आबादी बांसवाड़ा	3,75,952	1,61,642	2,67,000
105.	स्टडी क्यूब संस्था वेद मन्दिर, कस्टम कालोनी बांसवाड़ा	4,59,000	–	–
106.	हडोली आदिम जाति पो. श्रीरामनगर, कोटा	4,59,000	–	–
107.	न्यू नेशनल पब्लिक स्कूल समिति, गणेस पीपाली, सवाई माधोपुर	4,36,664	–	–
108.	ग्रामीण महिला एवं बाल विकास समिति, सवाई माधोपुर	–	–	–
109.	जिला युवा मीना समाज, भिलवाड़ा	4,21,069	44,100	70,470
उत्तर प्रदेश				
110.	लोहिया समाज सेवा संस्थान परदाहा, मऊ	–	4,59,000	–
111.	हिन्दु मुस्लिम एकता कल्याण समिति, लाल कुआं, लखनऊ	–	4,59,000	–
112.	नन्दिनी बाल विकास एवं ग्रामीण उद्योग सेवा समिति, गोंडा	–	4,59,000	1,26,000

विवरण-II

गैर-सरकारी संगठनों की सूची जो देश में अनुसूचित जनजातियों के लिए आवासीय तथा गैर-आवासीय स्कूलों को चलाने के लिए सहायता अनुदान प्राप्त कर रहे हैं

क्र.सं.	संगठन का नाम	1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश				
1.	सेन्टर फार रूरल एजुकेशन एंड डेवलपमेंट सोसाइटी, डी.न -2-163-1 चकलवीडी, गोरंटला, अनन्तपुर	-	311487	-
2.	बाबास आर्गेनाइजेशन फार सोसल सर्विस, एम.आई.जी.-19-ए.पी.एच.बी. कालोनी, [illegible]पल्लींगुडेम, वेस्ट गोदावरी जिला	-	-	595643
[illegible]	[illegible] आर्गेनाइजेशन फार सोसल एक्टिवीटी, मंथेनावरी पालेम, पी.ओ.-पीथनावनी, पालेम, मंडाला, गुन्टूर	293669	299385	575910
4.	सहृदय स्त्री सेवा समाज, डी. नं. 5-98-61/4, बी.एड. कालेज कैम्पस ब्रोडीपेट, गुन्टूर	-	144433	-
5.	शारदा एजुकेशन एकेडमी, वीनूकोन्डा, गुन्टूर	-	96210	-
6.	दिव्य तेज एजुकेशन सोसाइटी, लक्ष्मीनगर लंगरहाउस, गोलकोंडा, हैदराबाद	136442	313434	-
7.	वनी निकेतन महिला मंडली, कृष्णा जिला के नजदीक, सेन्ट्रल बैंक लिमिटेड, रायथुपेट, नंदीगाम, कृष्णा	-	-	296708
8.	क्राइस्ट रूरल डेवलपमेंट एंड एजुकेशन सोसाइटी, दलवय-पल्ली, कोडीडोन्डा, अनन्तपुर	-	284757	983881
9.	सोसाइटी फार इन्टीग्रेटेड रूरल इम्प्रूवमेंट, 5/164-ए, 4था रोड, अनन्तपुर	-	149463	928883
10.	ग्राम अभ्यूदय, छठा वार्ड कोटा स्ट्रीट, उर्वकोन्डा, अनन्तपुर	-	219375	1210392
11.	ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट एसोसिएशन, डी.न.-13-2-1, कोटला पुंगनूर, चित्तूर	-	197367	586710
12.	ए.पी. गिरिजन सेवक संघ, नन्दीगामा, कृष्णा	306945	935415	1010160
13.	प्रजा अभ्यूदय सेवा समिति, चित्तूर	341550	388935	-

1	2	3	4	5
14.	सोसल ट्रान्सफोर्मेशन एंड रूरल टेक., कुकटपल्ली, हैदराबाद	–	143008	1060920
15.	वेल्लमा वीकट सेक्शन महिला मंडली, गुन्टूर	–	209932	165481
अरूणाचल प्रदेश				
16.	सेन्टर फार बुद्धीस्ट कल्चरल स्टडीज, टवांग	–	466155	1054575
17.	अरूणाचल पाली विद्यापीठ, चौखाम, लोहित	–	284355	1009620
18.	सेवा केन्द्र, खोन्सा	–	322110	–
19.	बुद्धीस्ट कल्चरल प्रीजरवेशन सोसाइटी वोमडिल्ला	–	141818	494144
20.	ओ.जे.यू. वेलफेयर एसोसिएशन, नाहरलागून	821070	1583685	755955
21.	आर.के. मिशन स्कूल, अलांग, तिराप	4659610	5065250	2158495
22.	आर.के. मिशन, नरोत्तमनगर, तिराप	–	–	3165275
असम				
23.	गारो वेलफेयर रिहैबिलीटेशन सोसाइटी	–	–	895918
बिहार				
24.	आदिवासी नैतिक उत्थान संघ, राजस्थान, पूर्णिया	–	–	190926
25.	अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद्, रांची	357480	222064	–
26.	भारत सेवाश्रम संघ (सोनारी), जमशेदपुर	563090	1955388	1776902
हिमाचल प्रदेश				
27.	रिनचेन जांगपो सोसाइटी फार सिपिटी डेवलपमेंट, कांग्रा	–	177960	1504000
28.	हिमालस्थान बुद्धीस्ट कल्चरल एसोसिएशन, मनाली	–	–	13301
जम्मू और कश्मीर				
29.	महाबोधी इन्टरनैशनल मेडिटेशन सेन्टर, लद्दाख	-	251791	–
30.	लामदन सोसिला वेलफेयर सोसाइटी, लेह, लद्दाख	–	308998	–
31.	बुद्धीस्ट युथ एसोसिएशन, जंशकार, कारगिल	–	2483585	1499985
32.	लामदोन सोसल वेलफेयर सोसाइटी कारगिल, लद्दाख	117550	–	–
कर्नाटक				
33.	स्वामी सर्वधर्मम शरणालय, तुमकुर	–	–	126178
34.	विवेकानन्द गिरिजन कल्याण केन्द्र चमराजनगर	610527	1221132	573322

1	2	3	4	5
35.	स्वामी विवेकानन्द युथ मुवमेंट, मैसूर	955256	1446369	1563567
36.	श्री डी. देवराज उर्स एजुकेशनल ट्रस्ट, बिदर	–	149310	–
मध्य प्रदेश				
37.	ग्राम चेतना सेवा समिति, मोरैना	–	–	167203
38.	श्री लाल बहादुर शिक्षा प्रसार समिति, सागर	–	–	168203
39.	आदिवासी विकास समिति, मांडला	–	–	325170
40.	लेफ्टिनेंट जगन्नाथ सोसाइटी, सागर	–	–	168203
41.	बंधेवाल शिक्षा समिति, भोपाल	–	–	751463
	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति [illegible] कल्याण संघ, उज्जैन	–	466245	301230
43.	आदर्श शिक्षा समिति, दामोह	–	404235	1904611
44.	सैद्धांतिक शिक्षा समिति, चम्पानगर, जबलपुर	–	174987	281880
45.	लवली समाज सेवा शिक्षा प्रसार समिति, सागर	–	–	168203
46.	सुमन महिला कल्याण शिक्षा समिति, बालाघाट	–	275292	–
47.	रमा एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी, भोपाल	–	–	751239
महाराष्ट्र				
48.	सर्वेन्ट्स आफ इण्डिया सोसाइटी, पूणे	3158055	2099800	–
49.	दिव्य ज्योति ग्रामीण एवं शहरी विकास सेवा भावी शा, लातुर, उदगिर	–	278705	–
मणिपुर				
50.	बंगलंग एरिया वेलफेयर एसोसिएशन बिल्डिंग, सेनापति	–	153990	–
51.	सियामसिंपानिल्प सी.पी.ए.आई.टी.ई. स्टूडेन्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन, बंगमूल, लामका	–	–	1476568
52.	डा. अम्बेडकर स्कूल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट सोसाइटी, चरचांदपुर	–	269496	–
53.	क्रिश्चियन ग्राम स्कूल, तामेंगलौंग	–	152114	–
54.	यूनाइटेड रूरल डेवलपमेंट सर्विस, चेन्डाल	–	–	1476568
55.	सुमचीवनम युथ वेलफेयर एसोसिएशन, चरचांदपुर	–	283005	–

1	2	3	4	5
56.	इन्टिग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल आर्गेनाइजेशन, थाउबल	182970	213480	519660
57.	इन्टिग्रेटेड एजुकेशन सोसल डेवलपमेंट आर्गेनाइजेशन, इम्फाल	–	238860	581760
58.	पैटे स्टूडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशन लामका, चरचांदपुर	–	1714455	–
59.	ओनुरी मिशन सोसाइटी, कांगलाटोंगी	–	199125	–
60.	अनालौन क्रिश्चियन डेवलपमेंट, सोसाइटी, इम्फाल	–	337500	498060
61.	टाइपराइटिंग एंड रूरल डेवलपमेंट सर्विर्स, थाऊबल	–	467532	444186
62.	इन्टिग्रेटेड ट्राइबल अपलिफ्टमेंट सोसाइटी, इम्फाल	–	496980	–
63.	एजुकेशनल अनइम्प्लायड युथ डेवलपमेंट एसोसिएशन, थाउबल	–	–	174105
64.	नार्थ ईस्टर्न ब्वायज स्काउट एंड गर्ल्स गाइड एसोसिएशन, इम्फाल	–	196542	–
65.	मणिपुर ईस्टर्न हिल्स पीपुल्स डेवलपमेंट सोसाइटी, लाम्फेल	–	841900	–
मेघालय				
66.	आर.के. मिशन, चेरलपुंजी, चेरा बाजार	10984487	–	8588319
मिजोरम				
67.	थूटक ननप्यूट्यूट टीम, आइजवाल	–	408060	575100
68.	मिजोरम हमीथई, रिपब्लिक रोड	291780	579712	–
नागालैंड				
69.	लाजामी सोसल वेलफेयर एसोसिएशन, दीमापुर	–	357255	–
70.	यरमन्स कोआपरेटिव सोसाइटी, दीमापुर	–	159210	–
71.	पीजे क्लब, पदम पुकरी, दीमापुर	–	456525	–
72.	नागा युनाइटेड सोसाइटी, दीमापुर	–	173882	–
73.	रेडियन्ट क्लब, दीमापुर	–	–	296733
74.	शेन वीमेन सोसाइटी, दीमापुर	–	–	254632

1	2	3	4	5
नई दिल्ली				
75.	इण्डिया इंटरनैशनल रूरल कल्चरल सेन्टर, नई दिल्ली	–	–	–
उड़ीसा				
76.	लाजमी नारायण हरिजन आदिवासी बैकवर्ड डेव. सोसाइटी, जयपुर	130086	276370	–
77.	हरिजन आदिवासी कन्या सेवाश्रम, नयागढ़	–	588148	–
78.	कटक जिला हरिजन आदिवासी सेवा योजना, कटक	–	3007690	575910
[illegible]	[illegible] वीकर अवेयरनेस डेवलपमेंट एंड इकोनोमिक सर्विस, फुलबनी	–	248962	519660
80.	एसोसिएशन फार वालन्टरी एक्शन, बेरबोई, पुरी	–	439272	549360
81.	हरिजन सेवक संघ, भांजपुर, मयूरभंज	–	–	410940
82.	भैरवी क्लब, खुर्दा	–	339457	511560
83.	नेहरू सेवा संघ, पी.ओ. बानपुर, खुर्दा	47[illegible]550	691170	592380
84.	अरुण इन्स्टीच्यूट फार रूरल अफेयर्स, धेंनकनाल	–	229590	540810
85.	विश्व जीवन सेवा संघ, खुर्दा भांजपुर	–	326407	519660
86.	आर्गेनाइजेशन फार रूरल वीमेन एंड युथ डेवलपमेंट नालगाजा, मयूरभंज	–	243432	498060
87.	जन कल्याण समिति, भुवनेश्वर	716850	358435	453385
88.	कलिंग इन्स्टीट्यूट आफ इन्डस्ट्रीयल टेक्नोलोजी, आई.आर.सी. विलेज, भुवनेश्वर	750199	776763	587920
तमिलनाडु				
89.	सोसाइटी फार रूरल डेवलपमेंट, टी.वी. मलई	633960	316845	–
90.	दक्षिण भारत अ.जा./अ.जन जाति कल्याण संघ	–	197015	–
उत्तर प्रदेश				
91.	साकेत महिला मंडल, गोंडा	–	352425	567810
92.	समकोण विकलांग कल्याण, लखनऊ	–	–	604875
93.	ग्रामीण महिला सिलाई कढ़ाई बुनाई केन्द्र, आजमगढ़	–	301410	–
94.	अशोक आश्रम, देहरादून	275414	931833	544030

1	2	3	4	5
पश्चिम बंगाल				
95.	अखिल भारत अ.जा./अ. जन जाति तथा अल्पसंख्यक परिसंघ, कलकत्ता	–	308603	575910
96.	वनवासी आश्रम न्यास, वैनाड	–	–	311010
97.	ग्रामीण तथा शहरी विकास सोसाइटी, 24 परगना	–	–	548280
98.	गांधी स्मारक ग्राम सेवा केन्द्र, कलकत्ता	–	308603	586710
99.	विवेकानन्द चाइल्ड वेलफेयर होम काकद्वीप, 24 परगना	120149	238999	575910
100.	भारत सेवाश्रम ग्रा. दोकारा मिदनापुर	551009	277533	–
101.	निखिल भारती बनवासी पंचायत, मु. झारग्राम मिदनापुर	666009	2077515	–
102.	बिरसा मुंडा एजुकेशन सेन्टर क्रान्ति, जलपाईगुड़ी	112095	246240	566370

हुडको द्वारा बांड इश्यू बाजार में लाना

4777. श्री अनंत नायक :
डा. जसवंत सिंह यादव :

क्या **शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 1999-2000 के दौरान हुडको के काम-काज की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आवास और शहरी विकास निगम द्वारा बाजार में बांड इश्यू लाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बाजार में इश्यू लाने का क्या उद्देश्य है; और

(ङ) यह इश्यू बाजार में कब तक लाया जाएगा?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) और (ख) भारत सरकार प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए लक्ष्य निर्धारित करने के लिए आवास एवं निगर विकास निगम लिमिटेड (हडको) के साथ समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) करती है। प्रत्येक वर्ष के अन्त में हडको के निष्पादन (परफोरमेन्स) की तुलना निर्धारित लक्ष्य से की जाती है। समझौता ज्ञापन में निष्पादन की तिमाही समीक्षा की भी व्यवस्था है। 31.12.1999 को समाप्त तिमाही की स्थिति के अनुसार चालू वर्ष का निष्पादन निम्नलिखित अनुसार है:–

(करोड़ रुपये)

		वार्षिक लक्ष्य	उपलब्धि 31.12.99 की स्थिति के अनुसार
1.	आवासीय एवं शहरी अवस्थापना स्कीमों की मंजूरी हेतु ऋण	3030.00	4302.00
2.	इसके अधीन जारी किए गए ऋण	2450.00	1114.00
3.	2 मिलियन आवास कार्यक्रम के अधीन जारी किए गए ऋण	2610.00	236.00
4.	इसके अधीन जारी किए गए ऋण	1560.00	157.35

(ग) से (ङ) बाजार में बाण्ड्स जारी करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

महाराष्ट्र में अपराध

4778. श्री चन्द्रकांत खैरे :
श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र ने संगठित अपराध सिंडिकेट और उग्रवाद से निपटने की दृष्टि से केन्द्र सरकार से वित्तीय सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार द्वारा इस प्रयोजन हेतु कितनी वित्तीय सहायता देने का विचार है; और

... परिणामस्वरूप महाराष्ट्र पुलिस बल का कहां तक ... जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (ग) महाराष्ट्र राज्य सरकार ने मार्च, 2000 में, अन्य बातों के साथ-साथ, अपराध सिंडीकेट और उग्रवादियों से निपटने हेतु निधियां आवंटन करने के लिए एक प्रस्ताव भेजा है। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि अगले पांच वर्षों (2000-2005) तक, 352 करोड़ रुपये प्रति वर्ष धन की आवश्यकता होगी। निधियों की आवश्यकता के अलग-अलग ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

(रुपये करोड़ में)

(1)	इलैक्ट्रानिक गैजेट	96.70
(2)	सचलता	99.86
(3)	प्रशिक्षण	150.00
(4)	कम्प्यूटरीकरण	200.00
(5)	बुनियादी ढांचे का सुदृढ़ीकरण	200.00
(6)	शस्त्र और संचार	1010.00
(7)	मुम्बई शहर की आवश्यकताएं	4.25
	कुल जोड़	1761.01

वित्तीय वर्ष 1999-2000 के दौरान महाराष्ट्र सरकार को राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के अधीन 568.82 लाख रुपये की राशि जारी की गई। इसके अलावा, राज्य में वामपंथी उग्रवाद की समस्या से निपटने के लिए व्यय किए गए सुरक्षा से संबंधित व्यय के रूप में राज्य सरकार को 196 लाख रुपये की राशि की प्रतिपूर्ति की गई।

भारत के संविधान के अनुसार, चूंकि "पुलिस" राज्य का विषय है, अतः राज्य पुलिस बलों को आधुनिक बनाना मुख्यतः राज्य सरकारों का काम है। तथापि, केन्द्र सरकार इस संबंध में राज्य सरकार के प्रयासों में मदद देती है।

देश की सुरक्षा

4779. श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्री अशोक ना. मोहोल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में विदेशी नागरिकों द्वारा चलाई जा रही आतंकवादी गतिवधियों से निपटने के अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसे किस हद तक प्राप्त किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा भारतीय नागरिकों को सुरक्षा प्रदान किए जाने में विफलता के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार की इस संबंध में क्या कार्य योजना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी.एच. विद्यासागर राव): (क) से (घ) "लोक व्यवस्था" और "पुलिस" राज्य के विषय होने के कारण, इस संबंध में विभिन्न उपाय खोजना और ठोस कदम उठाना संबंधित राज्य सरकारों का काम है। केन्द्र सरकार, इस संबंध में उनके प्रयासों में सहायता करती आ रही है और आतंकवादी गतिविधियों के बारे में सभी राज्य सरकारों और संबंधित एजेंसियों को नियमित रूप से सुग्राही बनाती रही है। आसूचना का नियमित आधार पर आदान-प्रदान किया जाता है और राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के तहत वित्तीय सहायता के रूप में सहायता प्रदान की जाती है। केन्द्रीय सरकार आवश्यकता के आधार पर अर्ध सैनिक बल भी उपलब्ध कराती है। घुसपैठ को रोकने के लिए, भारत-पाकिस्तान और भारत-बंग्लादेश सीमाओं के साथ-साथ सीमा पर बाड़ लगाने और तेज रोशनी की व्यवस्था का काम शुरू किया गया है।

एल.एन.जी. का आयात

4780. श्री सुनील खां : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में उर्वरकों का विनिर्माण करने के लिए एल.एन.जी. के आयात की संभाव्यता का पता लगाने हेतु कोई विशिष्ट दल गठित किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार एल.एन.जी. का आयात करने के लिए एक ब्यौरेवार व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने हेतु प्रस्ताव पर कार्रवाई कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) हिन्दुस्तान उर्वरक निगम और भारतीय उर्वरक निगम को कब तक चालू किए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) और (ख) सरकार ने उर्वरकों के निर्माण के लिए एल.एन.जी. के आयात की सम्भावना का पता लगाने के लिए एक कोर ग्रुप का गठन किया था। कोर ग्रुप ने अपनी रिपोर्ट मार्च, 1999 में सरकार को प्रस्तुत कर दी। कोर ग्रुप द्वारा यथा अनुशंसित परियोजना की विशेषताएं इस प्रकार हैं:-

(1) मूलत: उर्वरक फीड स्टार के लिए 7 मिलियन टन वार्षिक एल.एन.जी. परियोजना किन्तु यह दो चरणों में कार्यान्वित किये जाने वाले पॉवर, घरेलू गैस आदि जैसे अनुपूरक क्षेत्रों को भी सेवा प्रदान कर सकती है।

(2) इस परियोजना को विदेशी तरलीकरण संयंत्र एल.एन.जी. टैंकरों, एक रिगैसीफिकेशन टर्मिनल तथा पाइपलाइनों और कम्प्रेशरों सहित गैस डिलीवरी सिस्टम के साथ एक एकीकृत श्रृंखला के रूप में कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है।

(3) रिगैसीफिकेशन टर्मिनल की प्रस्तावित अवस्थिति किशोरप्रसाद, उड़ीसा थी।

(4) परियोजना लागत 21,832 करोड़ रुपये होने तथा दोनों चरणों के पूर्ण होने की समय सारणी साढ़े सात वर्ष होने का अनुमान लगाया गया है।

(ग) और (घ) कोर ग्रुप की अनुशंसाओं के आधार पर, विभिन्न कम्पनियों के संघ द्वारा वित्त पोषण किये जाने वाली अनुमानत: 25 करोड़ रुपये की लागत पर परियोजना पर विस्तृत व्यवहारिता रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्रस्ताव पर सरकार द्वारा कार्रवाई की जा रही है।

(ङ) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन (एच.एफ.सी.) के नामरूप एकक का पुनरूद्धार पहले ही कार्यान्वयनाधीन है। एच.एफ.सी. के शेष एककों तथा फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा विभिन्न एककों का पुर्नवास सरकार में सक्षम अधिकारी के निर्णय तथा औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड की अन्तिम मंजूरी पर निर्भर करेगा।

असम में उग्रवादियों द्वारा हत्याएं

4781. श्री अब्दुल हमीद : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उग्रवादियों द्वारा कितने लोगों की हत्या की गई;

(ख) सरकार द्वारा असम में उग्रवाद की गतिवधियां रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) उग्रवादी हिंसा के शिकार हुए व्यक्तियों के आश्रितों को क्या सहायता उपलब्ध कराई गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) सरकार ने असम में उग्रवादी गतिविधियों से निपटने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, राज्य में अर्ध-सैनिक बलों और सेना की तैनाती करना, सेना, अर्ध-सैनिक बलों और राज्य पुलिस द्वारा विद्रोही विरोधी अभियान चलाने के लिए समन्वित कार्रवाई करना तथा यूनाईटिड लिबरेशन फ्रंट आफ असम (उल्फा), नैशनल डैमोक्रेटिक फ्रंट आफ बोडोलैण्ड (एन.डी.एफ.बी.) तथा नैशनल सोशलिस्ट काउंसिल आफ नागालैण्ड (एन.एस.सी.एन.) को विधि-विरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के अधीन विधि-विरूद्ध संगठन घोषित करना, शामिल है। राज्य और केन्द्र सरकार दोनों स्तर पर स्थिति की नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है।

(ग) आतंकवादी हिंसा में मारे गए सिविलियनों के निकटतम संबंधी को असम सरकार द्वारा एक लाख रुपये की अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाता है।

[हिन्दी]

चल औषधालय

4782. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में क्षयरोगी सर्वाधिक हैं और गरीब लोग इस रोग हेतु दवाइयां खरीदने में असमर्थ हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा जनजातीय/पिछड़े दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले मरीजों को दवाइयां प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का चल औषधालयों के माध्यम से दवाइयों के वितरण हेतु प्रबंध करने का भी प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) और (ख) विश्व के कुल क्षयरोगियों में से लगभग एक-तिहाई क्षयरोगी भारत में हैं। यह अनुमान है कि प्रत्येक वर्ष क्षयरोग के 22 लाख रोगी हो जाते हैं।

राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत क्षयरोगियों को [illegible] की पूर्ति सहित निदान एवं उपचार की [illegible] की जाती हैं।

संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के द्वारा क्षयरोग नियंत्रण गतिविधियों को सशक्त किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत पहले ही विभिन्न राज्यों के बहुतेरे जनजातीय पिछड़े और सुदूर क्षेत्र शामिल हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, सेवा प्रदानगी की पहुंच को सुगम बनाने के लिए जनजातीय क्षेत्रों में मानदण्डों को इस प्रकार शिथिल किया जा रहा है:

* 5 लाख के स्थापित मानदण्ड के स्थान पर 2-3 लाख जनसंख्या के लिए अतिरिक्त पर्यवेक्षी स्टाफ का प्रावधान करना।
* एक लाख के स्थापित मानदण्ड के स्थान पर प्रति 50,000 जनसंख्या पर एक सूक्ष्मदर्शिकी केन्द्र की स्थापना करना।
* डॉट्स केन्द्रों पर उपचार कराने वाले रोगियों और सह संबंधियों के यात्रा दावों की प्रतिपूर्ति का प्रावधान।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी

4783. श्री पी.सी. थामस : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को पहुंचाने हेतु कोई कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस कार्य पर काफी धन खर्च किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा'): (क) और (ख) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, की अपने विज्ञान और समाज कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के लिए एक संकेन्द्रित योजना है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य ग्रामीण निर्धन के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए उपयुक्त तथा संगत प्रौद्योगिकियों का विकास तथा प्रदर्शन करना है। कृषि एवं गैर-कृषि दोनों क्षेत्रों से संबंधित समयबद्ध परियोजनाओं के माध्यम से विचारों का आदान-प्रदान किया जाता है।

(ग) और (घ) इन समयबद्ध परियोजनाओं पर निवेश मामूली है। चूंकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की भूमिका केवल उत्प्रेरक की है तथा प्रौद्योगिकी मॉडलों के विकास तक ही सीमित है, जो कि वहनीय है अत: बड़े स्तर पर अनुप्रयोग शुरू नहीं किए गए हैं। तथापि, ऐसी अनेक सिद्ध प्रौद्योगिकियां, जिनका पहले से ही विकास तथा प्रदर्शन किया जा चुका है, अनुप्रयोग के लिए अब सी.ए.पी.ए.आर.टी. जैसी ऐजेन्सियों द्वारा आरम्भ की जा रही है।

[हिन्दी]

अनुच्छेद 370

4784. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जम्मू-कश्मीर राज्य में बाहर के लोगों को सम्पत्ति खरीदने का अधिकार नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कुछ राजनैतिक दलों ने अनुच्छेद 370 को समाप्त करने की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी.एच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) जम्मू व कश्मीर में सम्पत्ति खरीदने संबंधी अधिकार, संविधान पूर्व कानूनों द्वारा शासित होते हैं, जो राज्य के गैर-स्थायी निवासियों को सम्पत्ति हस्तांतरित करने से वंचित करता है तथा इन कानूनों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 35(क), जैसा कि जम्मू और कश्मीर के लिए लागू है, के अधीन संरक्षण प्राप्त है।

(ग) और (घ) विभिन्न व्यक्तियों/संगठनों द्वारा अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के बारे में समय-समय पर आवाज उठाई गई है, तथापि, ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

केन्द्रीय विद्यालयों में आवासीय सुविधाएं

4785. श्री रामशकल : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्यवार कितने केन्द्रीय विद्यालयों में आवासीय सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ख) क्या चालू वर्ष के दौरान और विद्यालयों में ऐसी सुविधाएं मुहैया कराने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार और स्थलवार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील): (क) निम्नलिखित 10 केन्द्रीय विद्यालयों में छात्रावास हैं:

क्र.सं.	केन्द्रीय विद्यालय	राज्य का नाम
1.	नं. 1 दिल्ली कैंट	दिल्ली
2.	नं. 1 ग्वालियर	मध्य प्रदेश
3.	झज्जर	हरियाणा
4.	जवाहरनगर	बिहार
5.	पंचमढ़ी	मध्य प्रदेश
6.	वी.एन., नागपुर	महाराष्ट्र
7.	लैंड्सडान	उत्तर प्रदेश
8.	नं. 2 जालंधर कैंट	पंजाब
9.	ए.एस.सी. बंगलौर	कर्नाटक
10.	वी.के.वी. गाजियाबाद	उत्तर प्रदेश

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सड़क पर सामान बेचने वाले लोग

4786. श्री चन्द्रनाथ सिंह : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पुलिस और अन्य नागरिक एजेंसियां दिल्ली में सड़क पर सामान बेचने वालों से करोड़ों रुपए वसूल कर रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा सड़क पर सामान बेचने वाले लोगों को ऐसे शोषण से बचाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी.एच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान्। तथापि, जब कभी कोई कर्मचारी विशेष भ्रष्ट आचरण में संलिप्त पाया जाता है, तो उसके विरूद्ध कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जाती है।

[हिन्दी]

प्रारंभिक शिक्षा का विकास और विस्तार

4787. श्री नवल किशोर राय :
श्री सुकदेव पासवान :
श्री राजो सिंह :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार सरकार ने राज्य में प्रारंभिक शिक्षा के विकास और विस्तार हेतु योजना के कार्यान्वयन के लिए कोई प्रस्ताव भेजा था;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के लिए कितना आवंटन किया गया; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील): (क) से (ग) इस समय बिहार राज्य को प्रारंभिक शिक्षा क्षेत्र के लिए वित्तीय सहायता, जिला

प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, आपरेशन ब्लैक बोर्ड, अनौपचारिक शिक्षा, शिक्षक शिक्षा तथा भारत सरकार-संयुक्त राष्ट्र संयुक्त परियोजना के तहत प्रदान की जाती है। राज्य में प्रारंभिक शिक्षा के विकास तथा विस्तार के लिए योजना का कार्यान्वयन संबंधी कोई समेकित प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

विशेष दल का जम्मू और कश्मीर दौरा

4788. श्री जी.एस. बसवराज :
श्री कृष्णमराजू :
डा. अशोक पटेल :
विलास मुत्तेमवार :
आर.एल. भाटिया :
श्री चन्द्रेश पटेल :
श्री रामसागर रावत :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 17 फरवरी, 2000 के "द पायनियर" में 'मिनस्ट्री सजेस्ट्स सेटिंग-अपआण फैंस अलांग जम्मू बार्डर' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या विशेष दल ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(घ) यदि हां, तो उसमें क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी.एच. विद्यासागर राव): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) से (घ) लगातार दो बम विस्फोटों के पश्चात्, गृह मंत्रालय के दो-सदस्यीय दल ने फरवरी, 2000 में जम्मू का दौरा किया। इस दल ने सिफारिश की कि जम्मू सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर प्राथमिकता के आधार पर बाढ़ लगाई जाए।

(ङ) घुसपैठ और हथियारों/विस्फोटकों इत्यादि की तस्करी को रोकने के लिए जम्मू अंतराष्ट्रीय सीमा पर एक अवरोधक प्रणाली लगाने के लिए केन्द्र सरकार ने हाल ही में एक बहु-रूपात्मक दृष्टिकोण अपनाने का निर्णय लिया है।

दवाइयों पर अधिभार

4789. डा. संजय पासवान : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय ने फार्मा उद्योग में नवीन अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए सभी दवाइयों के अधिकतम खुदरा मूल्य पर अधिभार लगाने हेतु वित्त मंत्रालय को कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे दवाओं का खुदरा मूल्य बढ़ जाएगा और गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले मरीज प्रभावित होंगे;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार अन्य स्त्रोतों से पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो देश के आम आदमी को सस्ती और बेहतर दवा उपलब्ध कराने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) से (ग) सभी चिकित्सा सूत्रयोगों की अधिकतम खुदरा कीमत पर सरचार्ज लगाने का कोई प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को नहीं भेजा गया है।

(घ) से (च) भेषज क्षेत्र में आर एंड डी सहायता के लिए धनराशि देने के प्रस्ताव पर सरकार ने विचार किया है।

एच.आई.वी. संक्रमण

4790. श्री माधवराव सिंधिया :
श्री सी.पी. राधाकृष्णन :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन द्वारा हाल ही में कराए गए राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार काफी बड़ी संख्या में लोग एच.आई.वी. संक्रमण से ग्रसित हैं और यौन संचारित रोग से ग्रसित लोगों में से बहुत कम प्रतिशत लोग सरकारी चिकित्सा सेवाओं का लाभ उठाते हैं;

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस समस्या का पता लगाने के लिए कोई राज्य-वार अध्ययन कराया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस रोग का प्रभावी तरीके से सामना करने के लिए और इसके प्रसार को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) और (ख) देश में एच.आई.वी. संक्रमण के व्यापता-स्तर में एक व्यापक क्षेत्रीय भिन्नता है। उच्च व्याप्तता वाले महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और मणिपुर राज्यों को छोड़कर आम जनता में एच.आई.वी. की व्याप्तता अभी भी कम है।

यौन संचारित रोगों की मौजूदगी से जननांगों में अल्सर या शोथ होने की वजह से रोग का संचरण आसान हो जाता है। यह एक तथ्य है कि कुछेक यौन संचारित रोग निदानालयों में आने वालों की संख्या ऐसे रोगों से जुड़े कलंक और स्वास्थ्य परिचर्या प्रदायकों के रवैए के कारण बहुत कम है।

(ग) और (घ) जी, हां। समस्त राज्यों में रिपोर्ट अब तक प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ङ) भारत में एच.आई.वी./एड्स के फैलाव की रोकथाम और नियंत्रण करने की दृष्टि से केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में एक व्यापक कार्यक्रम इस समय समग्र देश में चलाया जा रहा है। इसकी मुख्य कार्यनीति में सम्मिलित है:-

- केन्द्र और राज्य स्तर पर कार्यक्रम प्रबंधन क्षमताओं को मजबूत करना।
- उच्च जोखिम पूर्ण व्यवहार करने वाले समूहों और आम जनता के बीच एच.आई.वी./एड्स के बारे में जागरूकता पैदा करना।
- यौन संचारित रोगों का नियंत्रण करना।
- रक्त बैंकों के उचित लाइसेंसिंग के जरिए रक्त निरापदता और उसके विवेकपूर्ण इस्तेमाल को बढ़ावा देना तथा स्वैच्छिक रक्तदान को प्रोत्साहन देना।
- निगरानी और निदान कार्य की क्षमता को मजबूत करना; और
- एच.आई.वी./एड्स रोगियों के नैदानिक प्रबंधन में प्रशिक्षण देना।

महिला विकास और अधिकारिता परियोजना

4791. **श्री अकबर अली खांदोकर :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** 30 नवम्बर, 1999 के आतारांकित प्रश्न संख्या 342 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्र द्वारा प्रायोजित 'ग्रामीण महिला विकास और अधिकारिता परियोजना' का विस्तार पश्चिम बंगाल सहित अन्य राज्यों में करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कार्य के लिए राज्य-वार कितने आबंटन का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ग्रामीण महिला विकास और शक्तिसम्पन्नता परियोजना के लिए अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण तथा अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष द्वारा संयुक्त रूप से सहायता प्रदान की जाती है। फिलहाल, यह परियोजना अभी प्रारंभिक चरणों में है और इन अभिकरणों ने इस प्रकार का कोई संकेत नहीं दिया है कि इस परियोजना को अन्य राज्यों में भी चलाया जायेगा।

[हिन्दी]

दिल्ली में परिवहन व्यवस्था

4792. **श्री मोहन रावले :** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 31 दिसम्बर, 1999 के 'दैनिक जागरण' में "दिल्ली बुरी मौत करेगी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, हां।

(ख) इस समाचार में दिल्ली शहर की सड़कों पर वाहनों की बढ़ती हुई संख्या और प्रदूषण के स्तर में हो रही वृद्धि की ओर

ध्यान दिलाया गया हैं। राजधानी में कुल पंजीकृत वाहनों की संख्या 30.6.1998 को लगभग 31 लाख थी जिसमें पिछले 10 वर्षों में 100% से भी अधिक वृद्धि हुई है। प्रदूषण स्तर भी 1991 में लगभग 2.49 लाख टन होने का अनुमान था जो यदि उपचारी उपाय न किए गए तो 2005 में बढ़कर 4.35 लाख टन हो जाने की संभावना है।

(ग) दिल्ली में यातायात की स्थिति में सुधार हेतु दिल्ली में बहुमाडलीय द्रुत जन परिवहन प्रणाली शुरू करने का प्रस्ताव है। इस परियोजना का पहला चरण जो 11 किलोमीटर भूमिगत रेल मार्ग सहित 55.3 किलोमीटर का है, को मार्च, 2005 तक पूरा किया जाना है। रिंग रेल को सुदृढ़ और विस्तृत करने तथा उसे दिल्ली द्रुत जन परिवहन प्रणाली से जोड़ने पर भी विचार किया

दिल्ली में वाहनों के आवागमन में सुधार लाने तथा वायु प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई की गई/की जा रही हैं:–

1. जन परिवहन व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए, समवाय तथा सहकारी सेक्टरों (कारपोरेट व कोआपरेटिव सेक्टर्स) में 3000 नई सी.एन.जी. वातानुकूलित डीलक्स और सेमि-डीलक्स बसों के लिए टेण्डर आमंत्रित करने का निर्णय किया गया है।

2. दिल्ली परिवहन निगम (डी.टी.सी.) 10 नई सी.एन.जी. बसें चला रहा है और उसने ऐसी 100 नई बसों के लिए आर्डर देने का निर्णय किया है। परीक्षण परियोजना के रूप में डी.टी.सी. की दो पुरानी बसों को सी.एन.जी. बसों में बदला गया है और ऐसी 100 बसों को सी एन जी में बदलने का कार्यक्रम है।

3. 15 वर्ष और उससे अधिक पुराने वाणिज्यिक/परिवहन वाहनों को चलाने पर 1.1.99 से प्रतिबन्ध लगा दिया गया है और 15 वर्ष और उससे पुराने ऐसे सभी वाणिज्यिक/परिवहन वाहनों को दिल्ली से हटा दिया गया है।

4. अन्तर्राज्यीय यात्री बसों के लिये अब तीन अन्तर्राज्यीय बस अड्डों से रूट तय है ताकि वाहनों की भीड़ और वाहन जन्य प्रदूषण को कम किया जा सके।

5. सामान्यतः अधिक प्रदूषण फैलाने वाले नये आटो के परमिट जारी करने और उनके रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी गई है।

6. सभी नए वाणिज्यिक यात्री वाहनों को रजिस्ट्रेशन के समय और रजिस्ट्रेशन के 2 वर्ष बाद प्रतिवर्ष फिटनैस सर्टिफिकेट प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया है। यह सर्टिफिकेट उनकी सड़क चालन योग्य होने पर वाहन जांच यूनिट, बुराडी कार्यालय द्वारा दिया जाता है।

7. ऐसे चार पहिये वाले पैट्रोल चालित वाहनों जिनमें कैटेलिक कन्वर्टर लगा होगा, को ही पहली बिक्री के आधार पर दिल्ली में पंजीकृत किया जा रहा है।

8. ऐसे वाहनों की नियमित जांच-पकड़ की जाती है जिनके पास परिसीमित प्रदूषण प्रमाणपत्र नहीं होता, तथा जो वाहन प्रदूषण फैलाते हैं और जिन पर अधिक भार होता है, 1-4-99 से 31-1-2000 की अवधि में अधिक सामान ढो रहे 8951 वाहनों के चालान किए गए हैं और बिना परिसीमित प्रदूषण प्रमाणपत्र वाले 30492 वाहनों के विरूद्ध कार्रवाई की गई तथा 720 वाहनों के परिसीमित प्रदूषण प्रमाणपत्र रद्द कर दिए गए हैं।

9. ऐसे अन्तर्राज्यीय वाहनों जिन्हें दिल्ली में दाखिल होना जरूरी नहीं है, को बाहर से ही जाने के लिए चारों राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने हेतु एक एक्सप्रैस मार्ग बनाने की योजना है।

10. अगले 4 वर्षों के दौरान 25 नए फ्लाई ओवर बनाने की योजना है।

11. दो अन्य नए अन्तर्राज्यीय बस टर्मिनल, अर्थात् एक दक्षिण-पश्चिम जिला द्वारका में तथा दूसरा उत्तर जिले में बनाने की योजना है।

12. वाहन जन्य प्रदूषण से जुड़े स्वास्थ्य खतरों के बारे में जनता को जागरूक करने, इस बारे में मोटर चालकों की जिम्मेदारी और कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए दण्डात्मक व्यवस्था हेतु निम्नलिखित उपायों/कार्यकलापों का कार्यक्रम है:–

- समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी करना।
- गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से सेमिनार और नुक्कड़ नाटकों का आयोजन।
- नामी वाहन निर्माताओं और पैट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन के सहयोग से मुफ्त प्रदूषण जांच कैम्पों का आयोजन।

13. पैट्रोल और डीजल वाहनों से निकलने वाले धुएं की स्तर की जांच करने, प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की ट्यूनिंग, पैट्रोल और डीजल वाहनों के लिए प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र जारी करने के लिए 410 प्राइवेट पैट्रोल पम्पों और वर्कशापों को प्राधिकृत किया गया है।

14. दिल्ली में सीसा मुक्त पैट्रोल की आपूर्ति आरम्भ कर दी गई है।

15. दिल्ली में आटो और दुपहिया वाहनों के लिए प्री मिक्स 2-टी आयल की सप्लाई आरम्भ की गई है।

16. पहली जून, 1999 से केवल उन्हीं प्रायवेट गैर वाणिज्यिक वाहनों (कारों) को ही पंजीकृत किया जा रहा है, जो यूरो-1/इण्डिया 2000 एमीशन नार्मस के अनुरूप होते हैं। तथा ऐसी किसी डीजल टैक्सी का पंजीकरण नहीं किया जा रहा है जो टैक्सी यूरो-2/मोडीफाइड इंडिया 2000 एमीशन नार्मस के अनुरूप नहीं है।

17. उपर्युक्त उपायों के फलस्वरूप भीड़ वाले ट्रैफिक क्षेत्रों में लैड (सीसा) निःस्त्राव 1995 में 79% के मुकाबले और 1998 के मुकाबले 1999 में घटकर 49% रह गया कार्बन मोनोआक्साइड स्तर में भी 1998 के मुकाबले 22 प्रतिशत की कमी आई है। भीड़ वाले ट्रैफिक में इसी प्रकार एस पी एम (सस्पेन्डिड पार्टिकुलेट मैटर) भी 1999 में कम होकर 418 माइकोग्राम प्रति घनमीटर (यू.जी./एम. 3) रह गया, जो कि यह 1998 में 426 यू जी /एम 3 और 1995 में यह 455 यू जी/एम 3 था। अभी भी यह बहुत अधिक है। इसी अवधि में विभिन्न स्थानों पर नाइट्रोजन डाइआक्साइड स्तर में भी 3 से 7 प्रतिशत की कमी आई है।

[अनुवाद]

एच.आई.वी. की एलिसा जांच

4793. श्री रघुनाथ झा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एच.आई.वी. की पुष्टि हेतु एलिसा जांच ही एकमात्र आधार है;

(ख) क्या एच.आई.वी. की पुष्टि संबंधी रिपोर्ट इन मेडिकल कालेजों के माने जा सकते हैं;

(ग) यदि हां, तो ये मेडिकल कालेज इस जांच के आधार पर किसी एड्स रोगी की स्थिति बताने हेतु प्राधिकृत हैं; और

(घ) यदि हां, तो कितने मामले गत तीन वर्षों के दौरान हुए?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) जी, हां। विभिन्न प्रतिजन विरचनाओं पर की गई तीन एलिसा जांचों से एच.आई.वी. होने की पुष्टि का आधार बनता है। तथापि, 18 माहों से कम आयु के शिशुओं के मामले में, पोलिमेराइज चैन रिएक्शन (पी.सी.आर.) जांच निदान की पुष्टि के लिए उपयोग में लाई जाती हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) मेडिकल कालेज जहां एच.आई.वी. परीक्षण की सुविधा मौजूद हो और 3 एलिसा जांचों से परीक्षण किया जाता हो, विदित सहमति और जांचपूर्व तथा जांचोतर परामर्श के बाद प्रभावित व्यक्ति को एच.आई.वी. ग्रस्त घोषित करने हेतु प्राधिकृत हैं।

(घ) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन को 31 मार्च, 2000 तक सूचित किए गए एच.आई.वी. पाजिटिव रोगियों और एड्स रोगियों की संख्या विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, भारत में एड्स रोगी (नाको को सूचित) (31 मार्च, 2000 तक की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	नाम	एड्स रोगी
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	48
2.	असम	67
3.	अरूणाचल प्रदेश	0
4.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0
5.	बिहार	3
6.	चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र)	157
7.	दिल्ली	219
8.	दमन और दीव	1
9.	दादरा और नगर हवेली	0
10.	गोवा	19

1	2	3
11.	गुजरात	137
12.	हरियाणा	1
13.	हिमाचल प्रदेश	28
14.	जम्मू और कश्मीर	2
15.	कर्नाटक	282
16.	केरल	106
17.	लक्षद्वीप	0
18.	मध्य प्रदेश	369
		3405
20.	उड़ीसा	16
21.	नागालैंड	37
22.	मणिपुर	454
23.	मिजोरम	12
24.	मेघालय	8
25.	पांडिचेरी	141
26.	पंजाब	100
27.	राजस्थान	115
28.	सिक्किम	2
29.	तमिलनाडु	5231
30.	त्रिपुरा	0
31.	उत्तर प्रदेश	234
32.	पश्चिम बंगाल	57
	कुल	11251

एच.आई.वी. संक्रमण की सीरम—निगरानी रिपोर्ट की अवधि (31 मार्च, 2000, अनंतिम) तक

क्र.सं.	नाम	परीक्षित	पाजिटिव	प्रति 000 पर सीरम पाजिटिविटी दर
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	74566	704	9.44
2.	असम	17310	251	14.50
3.	अरूणाचल प्रदेश	495	0	0.00
4.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	15452	129	8.35
5.	बिहार	10194	41	4.02
6.	चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र)	56906	266	4.67
7.	दिल्ली	335594	1545	4.60
8.	दमन और दीव	250	8	32.00
9.	दादर और नगर हवेली	160	1	6.25
10.	गोवा	74962	2642	35.24
11.	गुजरात	454372	1767	3.89

1	2	3	4	5
12.	हरियाणा	172408	661	3.83
13.	हिमाचल प्रदेश	5953	133	22.34
14.	जम्मू और कश्मीर	8981	40	4.45
15.	कर्नाटक	417503	6067	14.53
16.	केरल	44547	215	4.83
17.	लक्षद्वीप	1211	8	6.61
18.	मध्य प्रदेश	112350	1052	9.36
19.	महाराष्ट्र	445417	50925	114.33
20.	उड़ीसा	93750	192	2.05
21.	नागालैंड	9156	469	51.22
22.	मणिपुर	43435	7041	162.10
23.	मिजोरम	44053	140	3.18
24.	मेघालय	14250	60	4.21
25.	पांडिचेरी	92896	3479	37.45
26.	पंजाब	1523	65	42.68
27.	राजस्थान	23197	573	24.70
28.	सिक्किम	616	12	19.48
29.	तमिलनाडु	768872	15394	20.02
30.	त्रिपुरा	5613	4	0.71
31.	उत्तर प्रदेश	123356	1572	12.74
32.	पश्चिम बंगाल	163991	649	3.96
	कुल	3633339	96105	26.45

[हिन्दी]

मां और बच्चे का कल्याण

4794. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में मां और बच्चे के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए कोई कार्य योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में प्रत्येक मां और बच्चे पर कितनी धनराशि खर्च की जा रही है;

(घ) गत दो वर्षों के दौरान इस हेतु कितना घरेलू और विदेशी अंशदान रहा; और

(ङ) आगामी तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में प्रत्येक राज्य में कितनी धनराशि खर्च की जाएगी?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) और (ख) जी, हां। प्रजनक एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम देश के सभी राज्यों में कार्यान्वित किया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों के प्रजनक स्वास्थ्य को सुधारना और मातृ, नवजात और शिशु मृत्यु दर को कम करना है। माताओं और बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति को सुधारने के लिए कार्यक्रम के अंतर्गत कई उपचार उपायों को कार्यान्वित किया जा रहा है। इनमें प्रसव-पूर्व और प्रसवोत्तर जांच, सुरक्षित प्रसव विधियों को सुधारना, मातृ रक्तक्षीणता का निवारण और उपचार, टेटनस का टीकाकरण और जन्म में अन्तराल को बढ़ावा देना शामिल है। शिशुओं के लिए कार्यान्वित किए जा रहे उपचार उपायों में 6 वैक्सीन निवार्य रोगों का रोग प्रतिरक्षण, अतिशार रोगों और तीव्र श्वसन संक्रमणों के कारण होने वाली मौतों का नियंत्रण; नवजात परिचर्या और विटामिन ए की कमी, दृष्टिहीनता और पोषाणिक रक्तक्षीणता का [illegible] है।

[illegible] (ङ) देश में प्रत्येक माता और बच्चे पर होने वाले व्यय को ठीक-ठीक बताना संभव नहीं है।

नवीं योजना के दौरान प्रजनक एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए 5112.53 करोड़ रुपये का अनुमोदित परिव्यय है। इसमें से 1362.52 करोड़ रुपये घरेलू स्रोतों और बाकी बाह्य स्रोतों मुख्यत: विश्व बैंक, यूरोपियन कमीशन, यूनिसेफ, यू.एन.एफ.पी.ए., यू.एस.एड. और अन्य द्विपक्षी दाताओं से आता है। नवीं पंचवर्षीय योजना के बाकी दो वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य के लिए संभावित वित्तीय अनुदान (नकद और वस्तुगत) का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

प्रजनक एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम

कार्यक्रम के पिछले दो वर्षों के दौरान अनुदान (नकद और वस्तुगत) की संभावित राशि

(रुपये करोड़ में)

	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राशि
	1	2
1.	अरूणाचल प्रदेश	25.17
2.	आन्ध्र प्रदेश	98.00
3.	असम	51.91
4.	बिहार	200.24
5.	गोवा	5.96
6.	गुजरात	67.81
7.	हरियाणा	58.49
8.	हिमाचल प्रदेश	36.15
9.	जम्मू एंड कश्मीर	38.00
10.	कर्नाटक	84.76
11.	केरल	52.18
12.	मध्य प्रदेश	162.63
13.	महाराष्ट्र	115.48
14.	मणिपुर	30.50
15.	मेघालय	14.57
16.	मिजोरम	22.25
17.	नागालैंड	24.47
18.	उड़ीसा	94.30
19.	पंजाब	41.85
20.	राजस्थान	130.85
21.	सिक्किम	10.59
22.	तमिलनाडु	81.58
23.	त्रिपुरा	20.26
24.	उत्तर प्रदेश	300.37
25.	पश्चिम बंगाल	101.71
26.	अंडमान एंड निकोबार द्वीपसमूह	4.24
27.	चंडीगढ़	2.31
28.	दादर और नगर हवेली	2.55
29.	दमन और दीव	4.24
30.	दिल्ली	11.59
31.	लक्षद्वीप	2.65
32.	पांडिचेरी	8.34
	कुल	1906.10

[अनुवाद]

नेशनल बुक ट्रस्ट को धन आबंटन

4795. श्री पी.डी. एलानगोवन : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष के दौरान नेशनल बुक ट्रस्ट को पुस्तक प्रकाशन के लिए कितना धन आबंटित किया गया है;

(ख) तमिल और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित प्रकाशनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास तमिल प्रकाशनों की देख-रेख करने के लिए चेन्नई में नेशनल बुक ट्रस्ट का क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि हां, तो तमिल पुस्तकों के प्रकाशन में तेजी लाने के लिए सरकार ने कौन-कौन से कदम उठाए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील): (क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पुस्तकों के प्रकाशन और संबंधित व्यय के लिए राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत द्वारा 185 लाख रुपये की राशि निर्धारित की गई है।

(ख) 1994-95 से 1998-99 तक पांच वर्षों के दौरान तमिल तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा प्रकाशित की गई पुस्तकों की संख्या निम्न प्रकार है:-

असमिया	162
बंगला	184
गुजराती	189
कन्नड़	317
मलयालम	103
मराठी	189
उड़िया	88
पंजाबी	117
तमिल	93
तेलुगु	70
उर्दू	78
कश्मीरी	02
कोंकणी	19
मणिपुरी	11
नेपाली	12

(ग) और (घ) इस समय चेन्नई में राष्ट्रीय पुस्तक न्यास का क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। बंगलौर स्थित राष्ट्रीय पस्तक न्यास का दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यालय तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल तथा पांडिचेरी में राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के प्रकाशनों की बिक्री तथा विपणन की देखभाल करता है।

(ङ) उन्नीस भाषाओं में से तमिल एक भाषा है जिसमें राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा पुस्तकें नियमित रूप से प्रकाशित की जाती हैं। उपलब्ध निधियों, बिक्री संभावनाओं तथा अन्य अवधारकों को ध्यान में रखकर प्रत्यक वर्ष प्रत्येक भाषा में अधिकतम संभव संख्या में पुस्तकें प्रकाशित की जाती हैं।

[हिन्दी]

अतिरिक्त पानी की टंकियां लगाना

4796. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा राजधानी के सरकारी मकानों में उन पर हुए वास्तविक खर्च का दस प्रतिशत लेकर अतिरिक्त पानी की टंकियां लगाई गई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन टंकियों को लगाने के समय से उनकी सफाई का कोई प्रबंध नहीं किया गया है जिनके परिणामस्वरूप दूषित और संदूषित पानी का उपयोग करने के लिए लोग बाध्य हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, हां।

(ख) पानी की टंकियों को कम से कम छः महीने में एक बार या किसी शिकायत के मिलने पर इससे पहले भी साफ किया जाता है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम, 1976

4797. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 मार्च, 2000 को प्रकाशित 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में "एफ.सी.आर.ए. सिटीजन चार्टर मॉडिफाइड" शीर्षक के अंतर्गत छपे समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी तथ्यात्मक स्थिति क्या है;

(ग) उक्त में क्या संशोधन किए गए हैं;

[illegible] इससे विदेशी अंशदान में कोई बाधा पड़ने की [illegible]

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी.एच. विद्यासागर राव): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) प्रकाशित समाचार निश्चित रूप से इस मंत्रालय द्वारा विदेशी अभिदान की प्राप्ति के संबंध में तैयार किए गए नागरिक प्रपत्र की विषय-वस्तु, विदेशी अभिदाय प्राप्त करने के लिए पंजीकरण या पूर्व अनुमति प्रदान करने के लिए आवेदन हेतु प्रपत्र के संशोधन और प्रमुख दानकर्ता देशों, अभिदाय प्राप्त कर्ता देशों और विदेशी अभिदाय के प्रयोजन-वार इस्तेमाल के संबंध में सूचना के बारे में गृह मंत्रालय के सरकारी प्रवक्ता द्वारा प्रैस ब्रीफिंग पर आधारित है।

(ग) विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 में कोई संशोधन नहीं किया गया है। विदेशी अभिदाय (विनियमन) नियम, 1976 में विनिर्दिष्ट नियमों के आधार पर विदेशी अभिदाय प्राप्त करने के लिए पंजीकरण हेतु अथवा पूर्व अनुमति प्राप्त करने हेतु प्रपत्रों में, किसी संबंधित (1) जिले के कलक्टर (2) राज्य सरकार के विभाग (3) भारत सरकार के मंत्रालय या विभाग से आवेदक के पूर्ववृत्त के सत्यापन के लिए प्रमाण पत्र का प्रपत्र जोड़ कर, आशोधन किया गया है।

(घ) जी नहीं, श्रीमान्।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता है।

चलती-फिरती स्वास्थ्य इकाइयां

4798. श्री ए. ब्रह्मैया : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में चलती-फिरती स्वास्थ्य इकाइयों के विस्तार का है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इस उद्देश्य हेतु राज्य सरकारों को राज्यवार कितनी राशि आबंटित की गई;

(ग) कितने राज्यों में यह योजना चल रही है; और

(घ) सरकार किस प्रकार इस योजना का विस्तार करना चाहती है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) से (ग) देश में इस मंत्रालय के राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम और राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम के विशेष संदर्भ में चल स्वास्थ्य एककों का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, देश में 77 मध्यम और 176 निम्न स्थानिकमारी वाले जिलों के लिए चल स्वास्थ्य एकक प्रदान किए गए हैं।

(घ) राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में और अधिक ध्यान केन्द्रित करने के लिए जनसंख्या के अल्पसेवित वर्गों की पहचान की गई है। इस संदर्भ में, विशेष रूप से यह उल्लेख किया जाता है कि जनजातीय और विस्थापित प्रवासियों तथा पहाड़ी क्षेत्रों की जनसंख्या के लिए चल क्लिनिक प्रदान किए जाएंगे ताकि जनसंख्या के इन वर्गों को कुछ मात्रा में नियमित कवरेज और आउटरीच प्रदान की जा सके।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विश्वस्तरीय संस्थान

4799. श्री विलास मुत्तेमवार :
श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और अमरीका के सूचना और प्रौद्योगिकी दल ने भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विश्वस्तरीय संस्थान स्थापित करने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है;

(ग) क्या इस दल के संस्थापक सदस्यों का विचार जैव प्रौद्योगिकी और सूचना तथा प्रौद्योगिकी और इंटरनेट के क्षेत्र में विश्वस्तरीय अनुसंधान प्रौद्योगिकी केन्द्र स्थापित करने पर ध्यान केन्द्रित करने का है;

(घ) यदि हां, तो क्या कैलीफोर्निया विश्वविद्यालय ने संकाय और अनुसंधान सहायता उपलब्ध कराने के लिए जी.आई.एस.टी. के साथ पहले ही समझौता कर लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा'): (क) से (ग) जी, हां। भारत तथा अमरीका के सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े उद्यमियों के दल ने भारत में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का एक विश्वस्तरीय संस्थान (जिस्ट) स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। जिस्ट के कथित प्रमुख उद्देश्यों में खोजों के रोमांच के प्रति छात्रों को आकर्षित करना तथा जिस्ट को पूरे विश्व में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के प्रमुख संस्थानों में से एक बनाना, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्यातिप्राप्त संकायों द्वारा आयोजित किए जाने वाले शिक्षण व अनुसंधान कार्यों की जानकारी उपलब्ध करा कर भारत की मानव विलक्षणता के महत्व का दोहन करना, मौजूदा उत्कृष्टता को बनाए रखने के लिए विश्व स्तर के उपकरण तथा सुविधाएं एवं उल्लेखनीय निधियां उपलब्ध कराना शामिल है।

इसके लागत अनुमान उपलब्ध नहीं हुए हैं। तथापि, प्रस्तावकों की योजना एक बिलियन डालर की स्थायी निधि जुटाने की है। इस समूह के संस्थापक सदस्यों का सूचना प्रौद्योगिकी, ई-कॉमर्स, सामग्री, इंजीनियरी विज्ञान, जैव विज्ञानों आदि पर ध्यान केन्द्रित करने का प्रस्ताव है।

(घ) और (ङ) जिस्ट के प्रस्तावकों के अनुसार कैलीफोर्निया विश्वविद्यालय, बरकेली ने जिस्ट से सम्बद्ध होने में रुचि दिखायी है।

अर्धसैनिक बलों का आधुनिकीकरण

4800. श्री के.पी. सिंह देव : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बदलते आन्तरिक सुरक्षा परिदृश्य में देश में अर्धसैनिक बलों के आधुनिकीकरण और प्रशिक्षण प्रक्रिया के अनुकूलन का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी.एच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों का आधुनिकीकरण एक सतत प्रक्रिया है और देश में व्याप्त आंतरिक सुरक्षा स्थिति के अनुरूप समय-समय पर आवश्यक कदम उठाए जाते हैं।

केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बलों के प्रशिक्षण का उन्नयन करने की दृष्टि से, प्रशिक्षण संबंधी माड्यूलों की व्यापक समीक्षा के पश्चात् संशोधित किया गया है। नए माड्यूलों में शारीरिक प्रशिक्षण/रणकौशल/हथियारों का प्रशिक्षण, फील्ड कौशल इत्यादि पर ज्यादा जोर दिया गया है।

[हिन्दी]

शासकी गुप्त बात अधिनियम

4801. डा. सुशील कुमार इन्दौरा :
श्री नवल किशोर राय :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सभी को सूचना का अधिकार से संबंधित कानून पारित करने के लिए शासकीय गुप्त बात अधिनियम में भी संशोधन करने की आवश्यकता है;

(ख) क्या चालू सत्रावधि के दौरान सरकार ने उक्त कानून को पारित करने का निर्णय किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी.एच. विद्यासागर राव): (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) और (ग) मौजूदा कानूनों के संबंध में सभी संगत पहलुओं पर विचार करने के बाद, सूचना की स्वतंत्रता पर एक विधेयक का प्रारूप तैयार किया गया है। संसद में पेश करने के लिए मसौदा विधेयक की इस समय जांच की जा रही है।

जेनेटीकली रूपांतरित भोजन का लेबल

4802. डा. वी. सरोजा : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्तर्वस्तु के निर्धारण हेतु जेनेटीकली मोडीफाइड फूड एण्ड फूड प्रोडक्ट्स का लेबल लगाने की कोई मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा'): (क) और (ख) जी हां, उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए विश्व की यह आम राय है कि आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों से प्राप्त फूड और फूड प्रोडक्ट्स की लेबलिंग हो। सरकार भी इस मामले पर विचार कर रही है; व्यावसायिक उपयोग के लिए जब आनुवंशिक दृष्टि से संशोधित फूड और फूड प्रोडक्ट्स उपलब्ध होंगे, को ध्यान में रखकर पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम के अनुसार लेबलिंग और जैव सुरक्षा मुद्दे पर भी एक पत्र तैयार किया गया है।

हिमालयन इंस्टीट्यूट आफ माउंटेनियरिंग एण्ड एडवेंचर स्पोर्ट्स

4803. **श्री सुबोध मोहिते : क्या युवक कार्यक्रम और खेल** [illegible] की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिमालयन इंस्टीट्यूट आफ माउंटेनियरिंग एण्ड एडवेंचर स्पोर्ट्स वित्तीय तथा श्रम शक्ति संकट का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान मांग की तुलना में उक्त इंस्टीट्यूट को कुल कितनी सहायता प्रदान की गई; और

(घ) सरकार द्वारा उक्त इंस्टीट्यूट के सुचारू कार्यक्रम हेतु पर्याप्त सहायता प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) इस विभाग को "हिमालयन इंस्टीट्यूट आफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स" नामक संस्थान की जानकारी नहीं है। तथापि, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग में "हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान" नामक एक संस्थान है। इस संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार के वित्तीय तथा श्रम शक्ति के संकट का सामना करने के बारे में विभाग को कोई जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) पश्चिम बंगाल सरकार, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार तथा युवा कार्यक्रम और खेल विभाग, भारत सरकार इस संस्थान को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। पिछले तीन वर्षों के आंकड़े निम्नानुसार हैं:-

वर्ष	भारत सरकार		
	रक्षा मंत्रालय	युवा कार्यक्रम और खेल विभाग	पश्चिम बंगाल सरकार
1997-98	78,85,000/-रु.	31,83,443/रु.	80,00,000/-रु.
1998-99	97,50,000/-रु.	36,10,000/- रु.	90,00,000/-रु.
1999-2000	69,65,000/-रु.	44,25,884/-रु.	1,28,00,000/-रु.

बड़ी उर्वरक परियोजनाएं

4804. **श्री अशोक ना. मोहोल :**
श्री किरीट सोमैया :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अभी गत वर्ष स्वीकृत की गई दो बड़ी उर्वरक परियोजनाओं को हाल ही में बंद करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सार्वजनिक निवेश बोर्ड ने इस संबंध में अपनी आपत्ति दर्ज कराई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वर्ष 2000-2001 के लिए सरकार के पास कितनी यूरिया परियोजनाएं विचाराधीन हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) से (ङ) देश के भीतर सार्वजनिक/सहकारी क्षेत्र में स्थापित की जाने वाली निम्नलिखित चार यूरिया परियोजनाओं को सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पी.आई.बी.) द्वारा निवेश मूल्यांकन की शर्त पर सरकार द्वारा अप्रैल, 1999 में "सिद्धांतत:" अनुमोदन प्रदान किया गया था:-

(1) गुजरात में कृभको के हाजिरा संयंत्र का विस्तार।

(2) उत्तर प्रदेश में एफ.सी.आई. के गोरखपुर संयंत्र के मौजूदा स्थल पर कृभको द्वारा स्थापित किया जाने वाला नया यूरिया संयंत्र।

(3) महाराष्ट्र में आर.सी.एफ. के थाल संयंत्र का विस्तार।

(4) इफको द्वारा नेल्लोर, आन्ध्र प्रदेश में स्थापित किया जाने वाला ग्रासरूट यूरिया संयंत्र।

पी.आई.बी. द्वारा इन परियोजनाओं का निवेश मूल्यांकन जुलाई, 1999 में किया गया था। पी.आई.बी. की टिप्पणियां अन्य बातों के साथ-साथ मांग-आपूर्ति अन्तर की भविष्यवाणी के कारण इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन को आगे-पीछे करने की आवश्यकता, सब्सिडी की आवृत्ति में कमी करने के लिए देश में भावी यूरिया क्षमता वृद्धि हेतु फीडस्टाक के रूप में एल.एन.जी. के उपयोग को बढ़ावा देने की वांछनीयता से भी संबंधित है। पी.आई.बी. टिप्पणियों के आधार पर इन चार परियोजनाओं के बारे में सरकार का निर्णय प्राप्त करने हेतु कार्रवाई शुरू कर दी गयी है। यूरिया के उत्पादन से प्राप्त हो गई लगभग आत्म-निर्भरता तथा वर्ष 2003-04 तक मांग-आपूर्ति स्थिति के आकलन को भी ध्यान में रखते हुए सरकार ने उपर्युक्त चार यूरिया परियोजनाओं के अलावा वर्ष 2003-04 तक देश में यूरिया उत्पादन के लिए नई क्षमताओं को प्रोत्साहित न करने का निर्णय भी लिया है।

विश्वविद्यालयों को अनुदान

4805. **श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :**
श्री शिवाजी माने :
श्री जी.जे. जावीया :
श्री पी.डी. एलानगोवन :
श्री राम मोहन गाड्डे :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विभिन्न विश्वविद्यालयों को पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक वर्ष-वार और विश्वविद्यालय-वार कुल कितना अनुदान और निधि जारी की गई;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान विश्वविद्यालय द्वारा निधियों/ अनुदानों के दुरूपयोग के कुछ मामले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के ध्यान में आए हैं;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इनके विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कितने कालेजों को इस संबंध में काली सूची में डाला गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कर्नाटक में स्टेडियम का निर्माण

4806. **श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :** क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पिछले चार वर्षों के दौरान राज्य में स्टेडियम के निर्माण के लिये केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराने के संबंध में कर्नाटक सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस उद्देश्य के लिये कर्नाटक सरकार को उपलब्ध करायी जाने वाली राशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में धनराशि जारी करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) से (घ) जी, हां। पिछले चार वर्षों के दौरान अर्थात् 1996-97 से 1999-2000 तक, कर्नाटक में स्टेडियों के निर्माण हेतु 18 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। इनमें से तीन प्रस्ताव, अर्थात् फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा ऑडीटोरियम ट्रस्ट, कोडागू में इंडोर स्टेडियम; माण्ड्या में आऊटडोर स्टेडियम तथा मंगलौर में इंडोर स्टेडियम, व्यवहार्य पाए गए थे और क्रमशः 52.50 लाख रुपये, 18.00 लाख रुपये तथा 90.00 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता के साथ अनुमोदित किए गए थे।

[हिन्दी]

भूमि घोटाला

4807. **श्री रामदास आठवले :** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 27 जनवरी, 2000 के "नवभारत टाइम्स" में "भू-माफिया पुलिस के लिए परेशानी के सबब बने" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विशेषकर यमुनापार क्षेत्र में विवादित प्लाटों से संबंधित भूमि घोटाले अभूतपूर्व रूप से बढ़े हैं;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रति-वर्ष ऐसे कितने मामले प्रकाश में आए तथा निपटाए गए और ऐसे कितने मामले लंबित हैं;

(ङ) इसके लिए विशेष रूप से भू-माफिया को ध्यान में रखते हुए क्या कारगर नीति बनाए जाने का विचार है;

(च) क्या विवादित प्लाटों के मामलों को निपटाने हेतु सरकार द्वारा एक अलग प्रकोष्ठ गठित किए जाने का विचार है;

हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ज) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

प्लेसमेंट फर्मों की गतिविधियां

4808. श्री माधवराव सिंधिया :
श्री सुशील कुमार शिंदे :
श्री रामशकल :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 19 दिसम्बर, 1999 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में "प्लेसमेंट फर्म ड्यूप्स 60 यंगस्टर्स आफ लेक्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कितनी फर्मों और प्लेसमेंट कम्पनियों के रोजगार तलाश करने वालों, विशेषकर विदेश में नौकरी तलाश करने वालों जिनमें पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई और कलकत्ता में नकली दस्तावेजों पर नौकरी तलाश करने वालों के बाहर भेजने के मामले शामिल हैं, को धोखा देने की सूचना है;

(घ) क्या सरकार का विचार ऐसी फर्मों के विरूद्ध कार्रवाई करने और उनकी गतिविधियों की निगरानी करने के लिए कोई कानून बनाने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) नौकरी तलाश करने वाले युवकों को धोखा देने संबंधी खतरे का प्रभावी रूप से सामना करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी.एच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। आरोप है कि विक्टोरिया होस्पिटलिटी के नाम से भीखाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली में कार्य कर रही एक प्लेसमेंट एजेन्सी ने, विदेशों में नौकरियां दिलाने के वायदे पर अनेक व्यक्तियों से लाख रुपये हड़प लिए हैं। एक तथाकथित पीड़ित व्यक्ति द्वारा की गयी शिकायत के आधार पर दिल्ली पुलिस ने उक्त एजेन्सी के मालिक के खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज किया है।

(ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के बारे में अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है।

जहां तक मुम्बई, चेन्नई और कलकत्ता का संबंध है, भारत के संविधान के अनुसार "लोक व्यवस्था" और "पुलिस" राज्य का विषय होने के कारण, अपराध को दर्ज करना, उसकी जांच-पड़ताल करना, पता लगाना और रोकने की जिम्मेवारी अनिवार्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों की है।

(घ) से (च) ऐसे मामलों में, उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए कानून में वर्तमान प्रावधान पर्याप्त हैं।

(छ) इस प्रकार की धोखा-धड़ी की गतिविधियों को रोकने के लिए उठाए गए कदमों में सम्मिलित हैं:- विशिष्ट शिकायत प्राप्त होने पर इस प्रकार की फर्मों/कम्पनियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा तत्काल कानूनी कार्रवाई शुरू करना, ऐसी प्लेसमेंट कम्पनियों की वास्तविकता की जांच करना और इनके कार्य-करण पर नजर रखना और इस प्रकार के मामलों की त्वरित और प्रभावी जांच-पड़ताल के लिए अपराध शाखा के अन्तर्गत विशेष आर्थिक अपराध विंग की स्थापना करना।

विवरण

क्र.सं.	फर्म/कम्पनी का नाम	वर्ष-वार, दर्ज मामलों की संख्या		
		1997	1998	1999
1	2	3	4	5
1.	सुरती इन्टरप्राईजज 3530 दरीबा पान पहाड़गंज	–	–	–
2.	फोनिक्स एयरलाईन, सदर दिल्ली कैंट, एम 44/वी, फरीदाबाद	1	–	–
3.	विक्टोरिया होस्पिटलिटी कन्सल्टैन्ट, ए-305, अन्सल चेम्बर-1, भीखाजी कामा प्लेस	–	–	1
4.	निरूपमा प्लेसमेंट एजेन्सी, 105 पाल मोहन सदन, ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली	1	–	–
5.	ट्रेवल वर्ल्ड ट्रेवल, फ्लैट नं. 1/3, ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली	1	–	–
6.	आकरक्षक फाइनेन्स लीजिंग कम्पनी, जे-9/36, राजोरी गार्डन, नई दिल्ली	–	1	–
7.	रिलेक्सो कम्प. इन्डस्ट्री, 27 तिलक नगर, नई दिल्ली	1	–	–
8.	नवीन एयरट्रेवल एण्ड रा एयरवेज प्रा.लि., ए-3, कम्यूनिटी काम्पलेक्स, जनकपुरी	–	–	11
9.	क्राउन एसोसिएट, 13 शिवपुरी, पटपड़गंज, दिल्ली	–	–	1
10.	टी.एल.एस. ट्रेवलिंग, ई-16/410, सेक्टर-8, रोहिणी	–	1	–
11.	श्री तरसेम बंसल द्वारा संचालित ट्रेवल एजेंसी निवासी डी-15, पृथ्वी राज, आदर्श नगर	–	–	1
12.	श्री कुमार भूषण सेठी द्वारा संचालित ट्रेवल एजेंसी 6 सूर्या मेनसन, हौजखास	–	–	1
13.	मैट्रो ट्रेवल एजेन्सी उदयचन्द मार्ग, के.एम. पुर, दिल्ली	1	–	–
14.	जैप टूर एण्ड ट्रेवल्स, 102 जी.के. हाऊस, सन्त नगर, ईस्ट आफ कैलाश	1	–	–
15.	दुलजीत निखी इन्टरप्राइजेज, 110-बी पोकेट, ए-3, मयूर विहार, फेस-III, दिल्ली	–	–	1
16.	ट्रेवल एजेंसी, एफ-9, गौतम नगर, नई दिल्ली	–	–	1
17.	अवतार सिंह एंड कम्पनी 98, ए उषा किरण बिल्डिंग, आजादपुर	1	–	–
18.	मैसर्स सिपरा टूर एण्ड ट्रेवल्स, सी-24, स्वामी नगर, हौजखास	1	–	–

1	2	3	4	5
19.	मैसर्स स्टयपिग स्टोर, बी-5/22, आजाद अपार्टमेंट, हौजखास	1	-	-
20.	मैसर्स बीफलोन, इंजीनियर, बी-25, मैफेयर गार्डन, हौजखास	1	-	-
21.	मैसर्स डावीर इन्डस्ट्रीयल कोरपोरेशन, 1449/28, दुर्गापुरी, शाहदरा, दिल्ली	1	-	-
22.	मैसर्स हीरो इंडिया रजिस्टर्ड, 1/10 शिवालिक हाऊस, कर्मपुरा	1	-	-
23.	सुरेन्द्र कुमार बग्गा, ट्रेवल एजेंट, 103, जनक काम्पलेक्स, जनकपुरी	-	-	1
24.	राजा सिंह ट्रेवल एजेन्ट, 1674 सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोदी रोड	-	-	1
	सिंह, डी.-245, विनोदपुरी, इन्क्लेव, दिल्ली-45	-	-	1
26.	जिम्मी मजनू का टीला ट्रेवल एजेंट, सिविल लाईन, दिल्ली	-	-	1
27.	जेमनी ग्लोबल प्लेसमेंट सर्विर्स, एफ/ए/36, शिवाजी इन्कलेव, राजोरी गार्डन	-	-	4
28.	हीरो होन्डा मैनेजमेंट, बी-52, अमर कालोनी, लाजपत नगर	-	-	1
29.	शारजुद्दीन ट्रेवल एजेन्ट	1	-	-
30.	गोल्फ इन्टरनेशनल, बी.ई.-91, गली नं. 10, शास्त्री गार्डन, दिल्ली	1	-	-
	कुल	14	2	37

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा का कार्य

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, आज की कार्यसूची में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा क्रम संख्या 12 पर सूचीबद्ध है। इस पर नौ घण्टे और 53 मिनट का समय पहले ही व्यतीत हो चुका है। 18 अप्रैल, 2000 को कार्यमंत्रणा समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार, यदि सभा सहमत हो, तो माननीय विपक्ष की नेता सभा पटल पर पत्रों को रखे जाने के बाद बोल सकती हैं और माननीय प्रधानमंत्री उसके तुरन्त बाद चर्चा का उत्तर दे सकते हैं। मंत्री द्वारा वक्तव्य क्रम संख्या 9 पर सूचीबद्ध है और इसके पश्चात् नियम 377 के अधीन मामले लिए जा सकते हैं।

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील): मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल

पर रखता हूं:-

(1) (एक) नागालैण्ड विश्वविद्यालय, कोहिमा के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नागालैण्ड विश्वविद्यालय, कोहिमा के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1685/2000]

(3) (एक) तेजपुर विश्वविद्यालय, नापाम के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) तेजपुर विश्वविद्यालय, नापाम के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1686/2000]

(5) हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 1998-99 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1687/2000]

(7) (एक) नेशनल काउंसिल फार टीचर एजूकेशन, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल काउंसिल फार टीचर एजूकेशन, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1688/2000]

(9) (एक) क्षेत्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) क्षेत्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1689/2000]

(11) (एक) सरदार वल्लभभाई रीजनल कालेज आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलोजी, सूरत के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सरदार वल्लभभाई रीजनल कालेज आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, सूरत के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने-वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1690/2000]

(13) (एक) मोतीलाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मोतीलाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1691/2000]

(15) (एक) रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, राऊरकेला के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, राऊरकेला के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1692/2000]

(17) (एक) मालवीय रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, जयपुर के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मालवीय रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, जयपुर के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1693/2000]

(19) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ एजूकेशनल प्लानिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली, के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ एजूकेशनल प्लानिंग एण्ड एडमिस्ट्रेशन, नई दिल्ली, के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1694/2000]

(21) (एक) शिशु प्रशिक्षण बोर्ड (एनआर), कानपुर के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) शिशु प्रशिक्षण बोर्ड (एनआर), कानपुर के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1695/2000]

(23) (एक) शिशु प्रशिक्षण बोर्ड, चेन्नई के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) शिशु प्रशिक्षण बोर्ड, चेन्नई के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1696/2000]

(25) (एक) शिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड, मुम्बई के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) शिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड, मुम्बई के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1697/2000]

(27) (एक) टेक्नीकल टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, चेन्नई के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टेक्नीकल टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, चेन्नई के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1698/2000]

(29) (एक) टेक्नीकल टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, कलकत्ता के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टेक्नीकल टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, कलकत्ता के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1699/2000]

(31) (एक) टेक्नीकल टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, चंडीगढ़ के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टेक्नीकल टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, चंडीगढ़ के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1700/2000]

(33) (एक) बोर्ड आफ प्रेक्टिकल ट्रेनिंग, कलकत्ता के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बोर्ड आफ प्रेक्टिकल ट्रेनिंग, कलकत्ता के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) उपर्युक्त (33) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1701/2000]

(35) (एक) संत लौंगोवाल इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, लौंगोवाल के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) संत लौंगोवाल इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, लौंगोवाल के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) उपर्युक्त (35) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1702/2000]

अपराह्न $12.01^1/_2$ बजे

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

दूसरा और तीसरा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): मैं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(एक) 'सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में वरिष्ठ स्तर के पद-नियुक्ति और संबद्ध मामले' के बारे में समिति के चौथे प्रतिवेदन (बारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी दूसरा प्रतिवेदन।

(दो) ''पाइराइट्स, फासफेट्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड-देहरादून इकाई'' के बारे में समिति के पांचवें प्रतिवेदन (बारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी तीसरा प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.02 बजे

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

विवरण

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, मैं श्री आर.एल. भाटिया सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) इंडियन एयरलाइंस-बेड़े का कम उपयोग, उड़ान दस्ते की बेकार मजदूरी, पट्टे पर दिए गए (लीज्ड) विमान पर परिहार्य भुगतान, विमान चालकों के प्रशिक्षण पर व्यर्थ व्यय तथा जेट इंजन शाप चालू करने में विलंब के बारे में, चवालीसवें प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही तथा अध्याय-पांच के संबंध में अनंतिम उत्तरों को दर्शाने वाला विवरण।

(2) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड-भिलाई इस्पात संयंत्र के बारे में पांचवें प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही तथा अध्याय-पांच के संबंध में अनंतिम उत्तरों को दर्शाने वाला विवरण।

आई टी आई लिमिटेड के बारे में छठे प्रतिवेदन (बारहवीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही तथा अध्याय-पांच के संबंध में अनंतिम उत्तर को दर्शाने वाला विवरण।

अपराह्न $12.02^1/_2$ बजे

वित्त संबंधी स्थायी समिति

चौथा, पांचवां, छठा और सातवां प्रतिवेदन

[अनुवाद[

श्री एस. जयपाल रेड्डी (मिरयालगुडा): मैं वित्त संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:

(1) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2000-2001) के बारे में चौथा प्रतिवेदन;

(2) योजना मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2000-2001) के बारे में पांचवां प्रतिवेदन;

(3) वित्त मंत्रालय (आर्थिक मामले और व्यय विभाग) की अनुदानों की मांगों (2000-2001) के बारे में छठा प्रतिवेदन; और

(4) वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अनुदानों की मांगों (2000-2001) के बारे में सातवां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.03 बजे

पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति

चौथा, पांचवां और छठा प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (संभल): अध्यक्ष महोदय, मैं श्री श्रीप्रकाश जायसवाल पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी

समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:–

(1) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2000-2001) संबंधी चौथा प्रतिवेदन।

(2) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रो रसायन विभाग) की अनुदानों की मांगों (2000-2001) संबंधी पांचवां प्रतिवेदन।

(3) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) की अनुदानों की मांगों (2000-2001) संबंधी छठा प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.03½ बजे

श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति

तीसरा, चौथा और पांचवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

डा. सुशील कुमार इन्दौरा (सिरसा): अध्यक्ष महोदय, मैं श्री वीरेन्द्र कुमार श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:–

(1) श्रम मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2000-2001) संबंधी तीसरा प्रतिवेदन।

(2) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2000-2001) संबंधी चौथा प्रतिवेदन।

(3) जनजातीय कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2000-2001) संबंधी पांचवां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.04 बजे

मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति

तिरानवेवां, चौरानवेवां, पंचानवेवां और छियानवेवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्रीमती श्यामा सिंह (औरंगाबाद, बिहार): महोदय, मैं मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं:–

(1) प्राथमिक शिक्षा और साक्षरता विभाग (मानव संसाधन विकास मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2000-2001) संबंधी तिरानवेवां प्रतिवेदन।

(2) माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा विभाग (मानव संसाधन विकास मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2000-2001) संबंधी चौरानवेवां प्रतिवेदन।

(3) महिला और बाल विकास विभाग (मानव संसाधन विकास मंत्रालय) की वर्ष 2000-2001 की अनुदानों की मांगों संबंधी पचानवेवां प्रतिवेदन।

(4) युवा कार्य और खेल विभाग (संस्कृति, युवा कार्य और खेल मंत्रालय) की वर्ष 2000-2001 की अनुदानों की मांगों संबंधी छियानवेवां प्रतिवेदन।

[अनुवाद]

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा): महोदय, कोपरा मूल्य नीति के संबंध में माननीय मंत्री द्वारा किए जाने वाले वक्तव्य का क्या हुआ?

अध्यक्ष महोदय : इसे बाद में लिया जाएगा, अभी नहीं।

अपराह्न 12.05 बजे

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव – जारी

[अनुवाद]

श्रीमती सोनिया गांधी (अमेठी): अध्यक्ष महोदय, मैं दोनों सभाओं की संयुक्त बैठक में माननीय राष्ट्रपति द्वारा दिए गए अभिभाषण के लिए अपना आभार व्यक्त करके हेतु पहले बोल चुके माननीय सदस्यों के साथ शामिल होने के लिए खड़ी हुई हूं।

हालांकि यह दु:ख की बात है कि सरकार ने माननीय राष्ट्रपति के लिए इस प्रकार का भाषण तैयार किया था। जिसमें किसी दृष्टिकोण, वचनबद्धता संगीत का अभाव है और हमारे राष्ट्र के सामने आ रही गम्भीर चुनौतियों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

एक माननीय सदस्य : आप हिन्दी में बोलिये।

श्रीमती सोनिया गांधी : अगली बार कोशिश करूंगी।

[अनुवाद]

श्री वैको (शिवकाशी): आप अंग्रेजी में अपना भाषण जारी रखें हम आपको सुनना चाहते हैं ...*(व्यवधान)*

श्रीमती सोनिया गांधी : मुझे प्रतीत होता है, यह भाषण इस सरकार के सत्ता में आने के बाद से इसके द्वारा किए गए गलत कार्यों को छिपाने के लिए ही तैयार किया गया है। परन्तु सौभाग्य से हमारे और हमारे राष्ट्र के लिए हमारे लोग इस सरकार के उद्विग्न कर देने वाले विरोधाभासी चरित्र के प्रति जागरूक और

सौंपा गया एक मात्र महत्वपूर्ण कार्य हमारे राष्ट्र को सुरक्षा करना है। भारत की संस्कृति और भारत की सभ्यता का सार ही हमारी धर्म निरपेक्षता है। धर्मनिरपेक्षता ही हमारे लिए इस सदी की परिभाषा है। धर्म निरपेक्षता हमारे राष्ट्र का मूल आधार है। इस धर्म निरपेक्षता पर "संघ परिवार" जो भा.ज.पा. सरकार का मूल तत्व है, द्वारा पिछले दो साल से बार-बार प्रहार किए गए हैं।

मैं मानती हूं, प्रधान मंत्री ने समय-समय पर इस हमले को रोकने का प्रयास किया है। परन्तु मैं यह भी कहना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री ने यह कार्य अपनी इच्छा शक्ति के कारण नहीं परन्तु अपने नाजुक गठबंधन जिसके वे मुखिया है, को बचाये रखने के लिए, अत्यधिक विलम्ब से न केवल विपक्ष के बल्कि अपने गठबन्धन के सहयोगियों के अत्यधिक दबाव में आकर किया।

मैं यहां यह इंगित करना चाहूंगी कि हमारा विवाद शासन करने की राष्ट्रीय कार्यसूची में धर्मनिरपेक्षता सम्बन्धी दृष्टिकोण से नहीं है। हमारा विवाद उन लोगों की गुप्त कार्यसूची के साथ है जिसके प्रति राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन के एकमात्र सबसे बड़े घटक में सर्वप्रथम अपनी निष्ठा व्यक्त की है। मैं इस सभा को और इस सभा को और इस सभा के माध्यम से देश को यह आश्वासन देना चाहती हूं कि कांग्रेस हमारे महान राष्ट्र की धर्मनिरपेक्षता की परम्पराओं को सुरक्षित करने के लिए अपना सदियों पुराना संघर्ष जारी रखेगी। हम उन सभी शक्तियों का मुकाबला करेंगे जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे राष्ट्रीयता के आवश्यक सिद्धांत को नुकसान पहुंचायेंगे। हम सभा के उन सभी वर्गों, जो यह मानते हैं कि धर्मनिरपेक्षता मंत्रीपद महत्ता से अधिक महत्वपूर्ण है, के साथ मिलकर ऐसा करने के लिए तैयार हैं।

आर्थिक नीति के सम्बन्ध में हम इस सरकार द्वारा अपनायी जा रही जनता विरोधी नीतियों के संबंध में विपक्ष और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन के कुछ सहयोगी दलों की चिन्ताओं के साथ सहभागी हैं। मैं आपको आश्वस्त करती हूं कि हमारी इच्छा शक्ति में कोई कमी नहीं है जैसा कि माननीय वित्त मंत्री और अन्य सदस्यों ने आरोप लगाया है।

हमारे लिए मुख्य मुद्दा यह है कि कांग्रेस सरकार के 1996 में सत्ता से हटते समय विकास दर जो लगभग आठ प्रतिशत थी से घटकर छह प्रतिशत से भी कम हो गई है। यह गरीबों के प्रति सरकार की कमजोर नीतियां हैं, जो हमारे लिए मुख्य मुद्दा है।

सुधारों के द्वारा आवश्यक परिवर्तनों से पड़ने वाले भार और कठिनाइयां गरीबों या वंचितों पर नहीं पड़ने दिया जा सकता है। हम जानते है कि उन पर पहले भी भारी दवाब है और पिछले वर्ष उन्होंने ही सबसे अधिक कष्ट उठाए हैं।

कृषि क्षेत्र, जो भारत की समृद्धि का एकमात्र और सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व है, में भी ह्रास हुआ है। कृषि उत्पादन और खाद्यान्न उत्पादन भी कम हुआ है। यही बात गैर कृषि के ग्रामीण आय के साथ भी हुई है। कृषि क्षेत्र में इस असन्तोषजनक निष्पादन के कारण हमारे विचार में सरकार को गरीब-विरोधी और रोजगार कार्यक्रमों को मजबूत करने के लिए सामूहिक कार्यवाही करने हेतु कदम उठाने चाहिये थे। परन्तु सरकार ने बदले में क्या किया? इस सरकार ने कई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का स्तर काफी गिरा दिया है।

पुनः नामांकित जवाहर रोजगार योजना, रोजगार आश्वासन योजना, स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना, नेहरू शहरी स्वरोजगार योजना, पनधारा और मरूभूमि विकास कार्यक्रम, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, इंदिरा आवास योजना और पेय जल योजना, सभी में तीव्र गिरावट आई है। मुझे यह प्रतीत होता है कि इस सरकार की रूचि जरूरत मंदों की वास्तविक चिन्ताओं के बजाय वर्तमान कार्यक्रमों के नाम बदलने और चल रहे कार्यक्रमों में व्यवधान पैदा करने में अधिक है।

इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि हाल ही में किए गए अध्ययनों के अनुसार पिछले चौथाई सदी में इंदिरा जी के गरीबी हटाओ कार्यक्रम से आखिरी कांग्रेस सरकार तक गरीबी का अनुपात आधा कम हो गया था किन्तु पिछले चार वर्षों में कमजोर वर्गों की हालत में बहुत कम सुधार हुआ है, और पिछले वर्ष इसमें कोई सुधार नहीं हुआ। किन्तु, इन सब बातों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है? सरकार ने गरीबी पर प्रहार करने के बजाय, वास्तव में गरीबों पर प्रहार किया है।

इस समय जबकि गरीबों और वंचितों को सरकार के समर्थन की सर्वाधिक आवश्यकता है, सरकार ने सभी के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के निर्गम मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि करके और विशेषकर गरीबों के लिए खाद्य सुरक्षा प्रणाली को पूर्णत: अव्यवस्थित कर दिया है। खाना पकाने की गैस और मिट्टी के तेल के मूल्यों में की गई अत्यधिक वृद्धि ने करोड़ों महिलाओं के दु:ख को बढ़ाया है। डीजल के मूल्यों में की गई वृद्धि से किसानों और आम शहरी यात्रियों के संकट को बढ़ाया है।

सामाजिक क्षेत्र में सरकार को सार्वभौमिक धर्म-निरपेक्ष - मैं दोहराती हूं - धर्मनिरपेक्ष - सुलभ प्राथमिक शिक्षा, युवाओं के लिए अधिक रोजगार के अवसर, सुदूर क्षेत्रों के लिए गुणवत्ता वाली और सस्ती स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयास करने चाहिये थे।

सरकार को महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक शक्तियां प्रदान करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिये थे। गरीबों के साथ, किसान और छोटे उद्यमी भी इस सरकार की गलत नीतियों के शिकार हुए हैं। उर्वरकों पर दी गई राजसहायता को कठोरता से कम कैसे किया जा सकता है जबकि मन्द हो रहे कृषि-क्षेत्र को देश के खाद्यान्न और अन्य आवश्यक कृषि वस्तुओं के क्षेत्र में देश में कड़ी मेहनत से प्राप्त की गई आत्मनिर्भरता बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक प्रोत्साहन देने की अत्यंत आवश्यकता है? इस समय संपूर्ण विश्व के साथ प्रतिस्पर्धा के लिए स्वयं को समायोजित करने हेतु उद्योगों को स्वयं में बदलाव लाने का समय चाहिए, यह सरकार जल्दबाजी में और गुप्त रूप से—मैं दोहराती हूं—गुप्त रूप से—आयात पर लगे नियंत्रण को दो साल पहले ही हटा रही है। मैं इस माननीय सभा को यह याद दिलाना चाहती हूं कि इस धोखे से की घोषणा से दिल्ली से नहीं, परंतु वाशिंगटन से हुई? यह सब उन्होंने किया जो राष्ट्रवाद पर एकाधिकार का दावा करते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में मेरी यात्रा के दौरान और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों, विशेषकर, वंचितों के साथ मेरी बातचीत से, मैंने यह समझा कि यह गहरा विश्वास है कि गरीबों और वंचितों के लिए चिंता, और उनकी समस्याओं ने दूसरा स्थान लिया है उसके स्थान पर अधिक सम्पन्न वर्गों का ध्यान रखा जा रहा है।

युद्ध के समय, जब हमारे देश के उन सभी संसाधनों की आवश्यकता थी जितनी वह जुटा सकती थी, सरकार ने दूरसंचार के क्षेत्र के खिलाड़ियों की मांगों के सामने घुटने टेक दिए। शेयर बाजार को बचाने के लिए, सरकार बड़े आर्थिक हितों को भी त्यागने के लिए तैयार है। हम कांग्रेस पार्टी के लोग, इस्पात, विद्युत, चीनी, गेहूं के आयात और विनिवेश जैसे विभिन्न क्षेत्रों पर सरकार के निर्णय लेने के तरीकों पर लगातार गंभीर प्रश्न उठा रहे हैं। परंतु आज तक, ये प्रश्न अनुत्तरित हैं। जिस प्रकार गुप्त और अशिष्ट रूप से सार्वजनिक क्षेत्र पर आवश्यक निर्णय लिए जा रहे हैं हमें उस पर गहरी चिंता है। जहां तक माडर्न फूड के विनिवेश के प्रश्न पर, ऐसा लगता है कि कंपनी के भूमि-संपदा का मूल्य उससे कहीं अधिक है जिस कीमत पर उसे बहु-राष्ट्रीय कंपनियों को बेचा जा रहा है। अब, ऐसा सुनने में आ रहा है कि इस संबंध में और योजनाएं और कार्यवाही की जाने वाली है। मेरे सहयोगी, श्री प्रियरंजन दासमुंशी ने आइ.आइ.एस.सी.ओ. का मामला मेरे ध्यान में लाया, जहां कुछ निर्णय लिये जाने वाले हैं। क्या सरकार इस तरीके से लोगों के साथ बार-बार विश्वासघात करना जारी रख सकती है?

इस सरकार ने अपरिहार्य रूप से, अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में भी अपने घुटने टेके हैं। राष्ट्र ने घोर निराशा के बीच उस घटना को देखा जब आई.सी.-814 के अपहरणकर्ताओं और उनका समर्थन करने वाले आतंकवादियों की शर्तें दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से पूरी कर दी गईं। जिन व्यक्तियों को उनके अपराधों के लिए जेल में रखा गया था, विदेश मंत्री द्वारा उन्हें अपने साथ कंधार ले जाने का दृश्य हमारे लोगों के मस्तिष्क से कभी नहीं - मैं दोहराती हूं - कभी नहीं मिटेगा। कांग्रेस पार्टी हमारे क्षेत्र के मामलों में विदेशी हस्तक्षेप की निरंतर बढ़ती हुई निर्भरता के संबंध में भी अत्यंत चिंतित है।

अध्यक्ष महोदय, जम्मू-कश्मीर में आंतरिक सुरक्षा की तेजी से बदतर होती जा रही स्थिति तथा साथ ही नियंत्रण रेखा के उस पार से होने वाली घुसपैठ को कुचलने अथवा नियंत्रित करने में निरंतर असफलता, कारगिल से पहले हमें सुनाई देने वाली खोखली शेखियों के बावजूद हम सभी के लिए गंभीर चिंता के विषय हैं। सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए राजनैतिक पहल करने में अथवा राजनयिक कार्रवाई में कुछ भी प्रगति हुई प्रतीत नहीं होती है।

हमारे देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में विदेशों द्वारा समर्पित आतंकवाद में निरंतर वृद्धि हो रही है। मैं इस बात का उल्लेख इस सभा में अवश्य करूंगी कि आई.एम.डी.टी. अधिनियम के कार्यान्वयन पर ध्यान केन्द्रित करने की बजाय इसे रद्द करने की धमकी से आगे और तोड़-फोड़ को उकसा कर सरकार हमारे देश के उस सर्वाधिक संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्र में वस्तुत: मामलों को और अधिक गंभीर बना रही है। पूर्वोत्तर के लिए विशेष पैकेज प्रदान करने तथा बजट व्यय का 10 प्रतिशत आरक्षित करने के वायदे बार-बार किए गए हैं, परंतु खेद है कि ये वायदे केवल कागजों तक ही सीमित रहे। इन्हें पूरा नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय, हाल में हमने गुट-निरपेक्ष पर परस्पर विरोधाभासी वक्तव्य भी सुने हैं। मैं इस बात का उल्लेख करना चाहती हूं कि गुट-निरपेक्ष शक्तिशाली गुटों में विभाजित विश्व के

[श्रीमती सोनिया गांधी]

लिए केवल हमारा प्रत्युत्तर ही नहीं था। गुट-निरपेक्ष हमारे विदेशी मामलों में हमारी संप्रभुता का अभिकथन भी था। यह एक आत्म-विश्वासी, शांतिप्रिय देश की आत्मनिर्भर विदेश नीति थी। विचारों की वह स्वतंत्रता तथा अंतर्राष्ट्रीय मामलों में कार्रवाई की क्षमता आज खतरे में है क्योंकि जहां तक मैं समझती हूं विदेश नीति बहुत कम तैयारी के साथ तथा दीर्घकालिक महत्व की उपेक्षा करके कम उत्साह के साथ तैयार की गई है।

हम सभी जानते हैं कि लाहौर बस यात्रा के निष्कपट कदम के लिए देश को एक ऐसे समय में भारी कीमत चुकानी पड़ी है जब सरकार को यह समझना चाहिए था, और मैं समझती हूं कि सरकार यह जानती थी कि हमारे मेज़बान हमारी सीमाओं का अतिक्रमण कर रहे हैं। अब कांग्रेस तथा अन्य दलों के हम सभी ...र्क रहना चाहिए। हमारे आधारभूत राष्ट्रीय हितों से ... किया जा सकता क्योंकि यह सरकार एक के बाद एक गलत कदम उठा रही है।

लेकिन, महोदय, अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं उन राज्यों के लिए, जो आज सूखे के कारण भीषण कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। कुछ शब्द कहना चाहती हूं। मुझे बताया गया है कि हमारे पास खाद्यान्न का इतना भण्डार है, जो विशेषज्ञों के अनुसार हमारे देश की खाद्य सुरक्षा के लिए अपेक्षित मात्रा से लगभग दुगना है। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करती हूं कि उन सभी प्रभावित इलाकों में काम के बदले अनाज तथा अन्य राहत कार्यक्रमों एवं उपायों की गति में तत्काल तेजी लाई जाए। उड़ीसा के तूफान के दौरान, सरकार ने उड़ीसा के लोगों को अपेक्षित सहायता कभी भी उपलब्ध नहीं कराई। इस संबंध में निश्चित एवं ठोस धारणा यह थी कि वहां विपक्ष की सरकार सत्ता में होने के कारण ऐसा किया गया। अध्यक्ष महोदय, अतः मैं आपके माध्यम से प्रधान मंत्री से अनुरोध करती हूं कि कि वह इस समस्या से निपटने में राजनीति न करें बल्कि उन लोगों की राजनीतिक सम्बद्धता को ध्यान में रखे बिना पीड़ित लोगों की सहायता के लिए न्यायोचित और सदाशयता का परिचय दें।

अध्यक्ष महोदय, हम राष्ट्रपति जी को उनके अभिभाषण के लिए धन्यवाद देते हैं, लेकिन हमें खेद है कि इसमें सरकार की अनेक असफलताओं तथा उसके द्वारा इस प्रिय राष्ट्र को पहुंचाई गई क्षति का कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। धन्यवाद।

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी): अध्यक्ष महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी ने संसद के संयुक्त अधिवेशन में जो अभिभाषण दिया और जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, उसके लिए सारा सदन उनका आभारी है तथा उन्हें धन्यवाद देता है। अभी राष्ट्रपति जी फ्रांस की सफल राजकीय यात्रा करके आए हैं, जिससे भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है और फ्रांस के साथ हमारे मैत्री संबंधों में और भी प्रगाढ़ता आई है।

अध्यक्ष महोदय, इस चर्चा में 28-29 माननीय सदस्यों ने भाग लिया। श्रीमती सोनिया गांधी ने अपना मेडन भाषण दिया, इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। ...*(व्यवधान)* राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की हमारी सरकार दो वर्ष से अधिक समय से काम कर रही है। यह ठीक है कि बीच में एक चुनाव हुआ था और 12वीं लोक सभा की जगह हम 13वीं लोक सभा के सदस्य हैं, लेकिन दो साल के कार्यक्रम को उसकी समग्रता में देख कर ही हम ठीक-ठीक मूल्यांकन कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि हम थोड़ा पीछे मुड़ कर देखें। कारगिल पहुंचने के लिए पोखरन तक जाना होगा। पोखरन के समय क्या स्थिति थी, देश की शक्ति भले ही प्रकट हुई हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जगत में हमें तीव्र आलोचना का शिकार होना पड़ा था। इतना ही नहीं घर में कुछ आवाजें सुनाई दी थीं, जिसमें कहा गया था कि पोखरन के कारण भारत अलग-थलग पड़ जाएगा। पोखरन से कारगिल रास्ता गया, दोनों मई महीने में हुए-एक 1998 में हुआ और एक 1999 में हुआ, लेकिन दोनों में कितना अंतर है। क्या कोई कह सकता है कि भारत हमारी नीति के कारण अलग-थलग पड़ गया है? क्या कोई कह सकता है कि भारत की दुनिया में साख गिरी है। हम भी आलोचना करते थे और फिर अगर उधर बैठने का मौका मिला तो आपको बताएंगे कि कैसे आलोचना की जाती है। जब अगर आप हमें मौका नहीं देंगे तो हम मजबूर हैं। अध्यक्ष महोदय, अभी भी लाहौर बस यात्रा की आलोचना हो रही है। आप उसे किसी भी नजर से देखें लेकिन लाहौर बस यात्रा के कारण भारत की यह साख जमी कि भारत सचमुच में शांति चाहता है और इसके लिए अतिरिक्त मील तक चलने के लिए भी तैयार है। सारा संसार प्रशंसा कर रहा है और हमारा प्रतिपक्ष! क्यों ऐसा हो रहा है। ...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): कारगिल से अमरीका के कहने पर हमने फौजें हटाई हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, दो साल से हमारी यात्रा एक बढ़ते हुए राष्ट्र की यात्रा है। भारत पुराना राष्ट्र है मगर इस समय भारत जवान है, क्योंकि अधिकांश जनसंख्या जवान लोगों की है। आज 60 प्रतिशत लोग 35 वर्ष से कम आयु के हैं और हमें उनकी अपेक्षाएं पूरी करनी हैं। उनके लिए विकास के अवसर जुटाने हैं।

पोखरन के बाद आर्थिक प्रतिबंध लगे थे और हमने उनका सामना किया। अभी भी प्रतिबंध लगे हुए हैं मगर जिस देश ने प्रतिबंध लगाए, उसकी समझ में आ गया कि भारत की यात्रा करना जरूरी है। इसके पीछे भारत की बढ़ती हुई शक्ति है और यह शक्ति कोई दो साल में या दो दिन में पैदा नहीं हुई है, यह मैं स्वीकार करता हूं। इसके निर्माण में जो आज प्रतिपक्ष में बैठे हैं उनका भी योगदान है और हम उनका योगदान स्वीकार करने को तैयार हैं, मगर वे हमारा योगदान स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। हमारा नाम लेने में भी कभी-कभी उन्हें संकोच होता है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय, मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि जब कारगिल की लड़ाई हुई तो देश में कामचलाऊ सरकार थी, चुनाव आने वाले थे और शायद यही वक्त देखकर हमें हमले का निशाना बनाया गया था। लेकिन हमारी सेना ने बहादुरी दिखाई, सेनापतियों ने ठीक संचालन किया और हमें विजय मिली है वह विजय पूरे देश की विजय थी।

बंगला देश के युद्ध के बाद और स्वतंत्र बंगला देश के निर्माण के बाद मैं प्रतिपक्ष के नेता के नाते सदन में और सदन के बाहर बोला था। आप उन भाषणों को देखिये और कारगिल विजय के बाद आप लोगों ने जिस तरह की भाषा बोली, वह भी आने वाला इतिहास देखेगा। ...*(व्यवधान)*

श्री मणि शंकर अय्यर (मयिलादुतुराई): चीन के हमले के बाद आपने क्या कहा था, उसको भी आप पढ़िये।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, विगत दो वर्षों में राष्ट्र के जीवन में जो परिवर्तन आया है उसका कारण राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता है। हम संयुक्त सरकारों के युग में चले गए हैं। न-न करते हमारे प्रतिपक्षी मित्रों को भी ऐसी सरकारों में शामिल होना पड़ रहा है। यह बात अलग है कि वह विधायक दल के सभी सदस्यों के मंत्री बनने पर सरकार में शामिल होते हैं। हमारे यहां 24 दल हैं लेकिन हम उनके साथ ठीक तरह से मिल कर काम कर रहे हैं। इसके लिए सभी दलों को अपने दायित्व को पूरा करना होगा लेकिन केन्द्र में भी जो राजनैतिक स्थिरता कायम हुई है, उससे देश आगे बढ़ा है, देश और आगे बढ़ेगा। कई ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं होती हैं जैसे हाल में कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश में ईसाई मत के मानने वाले बन्धुओं को हमले का निशान बनाया गया। सारा सदन उसकी निन्दा करता है। उत्तर प्रदेश की सरकार से कहा गया है। गृह मंत्रालय इस बारे में पूरी जांच-पड़ताल कर रहा है। जो भी अपराधी हैं, वे पकड़े जाएंगे और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी लेकिन यह दावा करना कि केवल एक पार्टी इस देश में सैकुलरिज्म को बचाएगी, यह देश के साथ न्याय करना नहीं है, देश की संस्कृति के साथ न्याय करना नहीं है। हम भी सैकुलरवाद में विश्वास करते हैं। किंतु हमारा सैकुलरवाद भेदभाव नहीं करता। सब धर्मों के साथ समान व्यवहार और सब का समान आदर किया जाए, यह सैकुलरवाद है, रचनात्मक सैकुलरवाद है। यह हमारे संविधान को एक बुनियाद है। सभी इसके प्रति प्रतिबद्ध हैं। इसे राजनैतिक या दलगत उद्देश्य के लिए प्रयुक्त नहीं करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, कल तक भारत और पाकिस्तान एक थे। अलग हो गए। पाकिस्तान खुश रहे, पाकिस्तान सफल हो, यह हमारी इच्छा है। उन्हें यह भ्रम अपने मन से निकाल देना चाहिए कि हमने पाकिस्तान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया है लेकिन हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ मित्रता के सम्बन्ध हों, घृणा के सम्बन्ध नहीं। भारत के विरोध पर या हिन्दुओं के विरोध पर पाकिस्तान अगर अपने भविष्य का भवन खड़ा करने का प्रयास करेगा तो उसे विफलता हाथ लगेगी। हमने लोकतंत्र अपनाया। सत्ता परिवर्तन शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है, उसमें कठिनाइयां हैं, वह संक्रमण का काल है। ये कठिनाइयां दूर हो जाएंगी लेकिन हमारे यहां बहुदलीय लोकतंत्र सफलतापूर्वक चल रहा है। पाकिस्तान ने लोकतंत्र का परित्याग कर दिया। जिस दिन दिल्ली में हमारी सरकार सवेरे शपथ ले रही थी, उस दिन अखबारों में खबर छपी कि पाकिस्तान में चुनी हुई सरकार भंग कर दी गई है, प्रधान मंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया है और सेना ने सत्ता सम्भाल ली है। ये दो दृश्य हैं जो भारत और पाकिस्तान को अलग करते हैं। पाकिस्तान की समझ में नहीं आ रहा है कि वह अलग-थलग क्यों पड़ता जा रहा है? कॉमनवैल्थ की बैठक में सब देशों ने पाकिस्तान को हटाने के प्रस्ताव का समर्थन किया। यह हमारे लिये आनंद की बात नहीं है लेकिन पाकिस्तान के लिये चिन्ता का विशय जरूर होना चाहिये कि पाकिस्तान क्यों अलग-थलग पड़ रहा है। हम पाकिस्तान के साथ अपने संबंध सुधारना चाहते हैं लेकिन इसके लिये पाकिस्तान को पहल करनी पड़ेगी, उपयुक्त वातावरण बनाना पड़ेगा। अगर आतंकवादी गतिविधियां चलती रहीं, अगर आई.एस.आई. भारत के भिन्न-भिन्न भागो में अपनी सक्रियता बढ़ाता रहा, अगर नियंत्रण रेखा का उल्लंघन चलता रहा, अगर भारत के विरुद्ध घृणा का प्रचार जारी रहा तो ऐसी परिस्थिति पैदा नहीं हो सकती जिसमें सार्थक बातचीत की जा सके। इसलिये हमारी मांग है और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पाकिस्तान की जनता के प्रति हमारे मन में सद्भाव और मित्र भाव है। जनता के स्तर पर संबंध सुधारने के प्रयत्न चल रहे हैं लेकिन सत्ताधीशों के मन में क्या है, इसके ऊपर बात निर्भर करेगी कि पाकिस्तान किस तरह से बातचीत करे। हम बातचीत के लिये लाहौर गये थे लेकिन

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

पहुंच गये कारगिल। हम इस तरह की नई यात्रा नहीं करना चाहते। पाकिस्तान को अपना रवैया बदलना पड़ेगा। नियंत्रण रेखा का सम्मान होना चाहिये।

श्री मणि शंकर अय्यर : यह कूटनीति नहीं है, ड्रामेबाजी है।

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता, उत्तर-पश्चिम): महोदय, श्री मणि शंकर अय्यर नाटक के खलनायक प्रतीत होते हैं।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : जो फिर से बातचीत के हक में है और उस बातचीत को किस परिणाम पर पहुंचाना चाहते हैं, [illegible] होगा कि अब तक जो पड़ोसी के साथ समझौते [illegible] क्या स्थिति है? शिमला समझौता हुआ और उसका उल्लंघन किया गया। लाहौर घोषणा को अमान्य कर दिया गया। अब आगे बातचीत के लिये निमंत्रण दिये जा रहे हैं कि हमारे साथ और समझौते हों और पुराने समझौतों के खंडहर के ऊपर नया करार खड़ा करने का प्रयास किया जाये, यह नहीं होगा। इस संबंध में सारा देश एक मत है। हम मित्रता चाहते हैं लेकिन मित्रता एकतरफा नहीं हो सकती।

अध्यक्ष महोदय, अमरीका के राष्ट्रपति श्री बिल क्लिंटन द्वारा गत माह में जो भारत की यात्रा हुई, वह काफी उपयोगी रही। दोनों देशों के बीच संबंधों को गुणात्मक और एक नये आधार पर बढ़ाने में यह यात्रा योगदान देगी। हमें संतोष है कि कश्मीर के सवाल पर अमरीका के रुख में परिवर्तन हुआ है और वह नियंत्रण रेखा का पालन किये जाने के पक्ष में है। राष्ट्रपति श्री बिल क्लिंटन के यहां रहते हुये जम्मू कश्मीर में सिक्ख भाइयों का जो सामूहिक कत्लेआम हुआ, उसने अमरीकी मित्रों के दिमाग में यह बात साफ कर दी कि यह प्रश्न आतंकवाद के द्वारा अपनी बात मनवाने का है, इसमें लोगों की राय लेकर चलने का सवाल ही पैदा नहीं हुआ। जम्मू-कश्मीरं भारत का एक अटूट अंग है और अटूट अंग रहेगा। अमरीका का यह कहना कि रक्त के द्वारा सीमा रेखाएं नहीं खींची जा सकती हैं, एक अच्छा वक्तव्य है और हम विश्वास करते हैं कि इसी के आधार पर आगे के कदम उठाये जायेंगे।

आर्थिक क्षेत्र में व्यापार और इन्फॉर्मेशन टैक्नोलोजी के क्षेत्रों में भी भारत के बढ़ते हुए महत्व को अमरीका पहचानने लगा है। प्रेसीडेंट क्लिंटन और मेरे बीच में जो विजन स्टेटमैंट पर दस्तखत हुए, वह हमारे दोनों देशों के संबंधों को बहुआयामी रूप देता है और हमारे संबंध और भी व्यापक बनेंगे, बराबरी के आधार पर हमारी मित्रता चलेगी, यह हम विश्वास करते हैं। अमरीकी राष्ट्रपति के आने से पहले यह भ्रम फैलाया गया था कि भारत पर दबाव डालने के लिए प्रेसीडेंट क्लिंटन आ रहे हैं और भारत पर सी.टी.बी.टी. पर दस्तखत करने के लिए वह दबाव डालेंगे। सी.टी.बी.टी. पर बातचीत हुई, स्पष्ट बातचीत हुई, मित्रता के वातावरण में बातचीत हुई, दबाव का सवाल ही पैदा नहीं होता। हमने अगर दो साल में देश की साख बढ़ाने में सफलता पाई है तो उसका एक बड़ा कारण यह है कि हमने किसी शक्ति के दबाव में आने से इनकार कर दिया है। अमरीका भी हमारी स्थिति को जानता है। सी.टी.बी.टी. के संबंध में हम बातचीत कर रहे हैं, एक आम राय बनायेंगे और उसके बाद कोई फैसला करेंगे, आपकी सलाह से करेंगे, इस बात का मे आश्वासन देना चाहता हूं।

एक प्रश्न जो कांग्रेस पार्टी के मतभेद के कारण खड़ा हो गया है, मैं चाहता हूं कि उसका भी उल्लेख कर दूं, उसका स्पष्टीकरण होना चाहिए। जब कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति क्लिंटन से मिला तो क्या बातचीत हुई, क्या मानीमम न्यूक्लियर डिटेरेन्ट की बात हुई थी, स्वतंत्र न्यूक्लियर डिटेरेन्ट। क्योंकि कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने कुछ कहा, दूसरे प्रवक्ता ने कुछ कहा। भ्रम हमारे मन में नहीं था, लेकिन अब आशंका पैदा हो गई है। श्रीमती सोनिया गांधी अगर चाहें तो स्थिति स्पष्ट कर सकती हैं। ...*(व्यवधान)* गृह मंत्री जी का कहना है कि छोड़ दीजिए। मैं यह प्रश्न विवाद के लिए खड़ा नहीं कर रहा हूं। अगर कांग्रेस ने यह रवैया अपनाया है तो मैं उसका स्वागत करता हूं, क्योंकि न्यूक्लियर विषय पर पार्टियों में मतभेद नहीं होना चाहिए। जो पुराने प्रधान मंत्री थे वे भी बिना घोषणा किये हुए भारत को न्यूक्लियर सम्पन्न बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे थे। वर्तमान सरकार ने सोचा कि अब मौका आ गया है और हमने उसके लिए कदम उठाया। इस बात पर एक राय होने के लिए हम तो सबका स्वागत करते हैं। हम इन मामलों में राजनीति नहीं बरतते। देश की सुरक्षा सर्वोपरि है, बाकी सब बाद में, और इसे दलगत राजनीति का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए।

पिछले दो साल में भारत की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। प्रतिपक्ष की नेता ने जो तस्वीर खींची है वह पूरे चित्र को प्रस्तुत नहीं करती। क्या यह सच नहीं है कि जी.डी.पी. की विकास की जो वार्षिक विकास दर है, वह पहले कम थी और अब ज्यादा हुई है।

अध्यक्ष महोदय, पहले 5.00 प्रतिशत थी, अब 5.9 प्रतिशत है और यह और बढ़ेगी। हमारा अनुमान है 6.5 प्रतिशत तक बढ़ेगी। कुछ दशक पहले तो यह कहा जाता था कि भारत की विकास की दर 2.00 प्रतिशत, 3.00 प्रतिशत है। अब यह विकास

की दर बढ़ रही है। क्या यह सफल अर्थ नीति का परिणाम नहीं है? मुझे विश्वास है कि हम ग्रोथ रेट 7.00 प्रतिशत तक पहुंचाएंगे और 7.5 प्रतिशत या 8.00 प्रतिशत तक यह विकास की दर जाएगी। औद्योगिक उत्पादन 8.00 प्रतिशत से आगे जा चुका है। मार्च, 1998 में उसकी विकास दर 6.6 प्रतिशत थी। विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ा है। पहले 26 बिलियन डालर था अब 35 बिलियन डालर है। ये निर्जीव आंकड़े नहीं हैं। ये आंकड़े बदलती हुई और सुधरती हुई अर्थ-व्यवस्था का प्रतीक हैं।

अध्यक्ष महोदय, हमारा यह दावा नहीं है कि दो साल की हमारी नीतियों का नतीजा है। सचमुच में आर्थिक क्षेत्र में कुछ नीतियां हमें विरासत में मिली हैं। उनमें से कुछ ठीक हैं, कुछ गलत हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): आपने गलत को ले लिया है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : गलत को हमने नहीं लिया है। अब हमें यह आश्चर्य है कि हमारे मित्रों ने जो नीतियां शुरू की थीं, अब वे उनसे वापस जा रहे हैं। क्या यह सच नहीं है कि सबसिडी के मामले पर कांग्रेस पार्टी के दृष्टिकोण में परिवर्तन आ रहा है। इस परिवर्तन का कारण क्या है?

श्री माधवराव सिंधिया (गुना): अध्यक्ष महोदय, यदि प्रधान मंत्री जी यील्ड करें और आप अनुमति दें, तो मैं कुछ कहना चाहता हूं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, एक ग्वालियर वाला दूसरे ग्वालियर वाले के साथ ऐसा नहीं कर सकता।

श्री मुलायम सिंह यादव : आप बटुकेश्वर के हैं या ग्वालियर के, पहले यह साफ कीजिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हम तो लखनऊ के हैं।

अध्यक्ष महोदय, सबसिडी के सवाल पर देश को फिर से विचार करना होगा। सब राजनीतिक दलों को मिलकर सोचना होगा। गरीब की सबसिडी बनी रहे, गरीब को जहां सहायता देना आवश्यक है, उसका पूरा प्रबन्ध होना चाहिए। अन्न के लिए, पानी के लिए, आवास के लिए, गरीब के जीवन को सुधारने के लिए, उसके जीवन के स्तर को ऊंचा करने के लिए, आर्थिक क्षेत्र में जो भी कदम आवश्यक हैं, वे उठाए जाएंगे, लेकिन आप फर्टीलाइजर का मामला देखिए। किसान को उसका उतना लाभ नहीं मिलता जितना लाभ कारखाने वाले को मिल रहा है। दुनियां में यूरिया की कीमतें क्या हैं। हम चाहते हैं कि हमारे कारखाने चलें, लेकिन यूरिया के कारखाने बन्द हैं। ...*(व्यवधान)*

हां, हमें मालूम है, आप इन कारखानों को संयुक्त मोर्चा में छोड़कर गए थे। कितनी सबसिडी हो, जब मैं प्रतिपक्ष में था, तो हमारे कम्युनिस्ट मित्र पब्लिक सैक्टर की बात करते थे। ...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : अभी भी कर रहे हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हां, अभी भी कर रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप तो हम... साथ थे। अब उधर चले गए हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उस समय भी हम कोटा परमिट राज के खिलाफ थे। ...*(व्यवधान)* आप पब्लिक सैक्टर को कमांडिंग हाईट पर ले जाने की बात करते थे। आज क्या स्थिति हो रही है? मजदूर बेकार हो गये हैं। उन्हें वेतन देना मजबूरी है। ...*(व्यवधान)* जो कारखाने फिर से पुनर्जीवित नहीं हो सकते, उनके लिए क्या करें? आप भी पश्चिम बंगाल में वही कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप यूनिट वाइज बातचीत करिये। आपको कितनी दफा बोला है। ...*(व्यवधान)* उनके टाइम में भी बोला है और आपके टाइम में भी बोला है। ...*(व्यवधान)* जो रिवाइव हो सकता है उसको आप रिवाइव कीजिए। ...*(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यही तो हम कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं आपको चुनौती दे रहा हूं। प्रधान मंत्री महोदय, आप किसी को नियुक्त कीजिए। हम एक-एक यूनिट को बारी-बारी लेकर बैठें। हम इस पर विचार करें। क्या आप यह स्वीकार करते हैं? ...*(व्यवधान)* हमने कहा है कि यदि कोई यूनिट पुनर्जीवित नहीं की जा सकती है, तो हम इसे स्वीकार करेंगे ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप बंगाल से शुरू करिये। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये।

...*(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हम आपसे सहयोग करेंगे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): आप पहले रिवाइव करने के लिए कोशिश करिये। ...*(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हमने पब्लिक अंडरटेकिंग्स को तीन भागों में बांटा है। एक तो वे हैं जो लाभ में चल रहे हैं। ...*(व्यवधान)* दूसरा, वे हैं जिनको लाभ में चलाने का प्रयास किया जाना चाहिए, सफल हो सकता है। तीसरा, ऐसे हैं जिन्हें बंद करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। उनके भी मजदूरों का भविष्य [illegible] पर विचार करना होगा। इस नीति से किसी को [illegible] सकता। लेकिन आप पश्चिम बंगाल में जो कर [illegible] और जगह करने की इजाजत देने के लिए तैयार नहीं हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : बंगाल में कोई कारखाना बंद नहीं कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : बंगाल में इंडस्ट्री चलती नहीं है। वह सब बंद कर दिया है। ...*(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : ऐसी अंडरटेकिंग्स हैं जिन्हें मदद देकर चलाया जा सकता है तो हम उन पर विचार करने के लिए तैयार हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है? प्रधान मंत्री जवाब दे रहे हैं, यह ठीक तरीका नहीं है।

...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपके मंत्री अथवा सरकार यह करें ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इसके लिए मंत्रियों का एक ग्रुप बनाया गया है। जो इस पर विचार करेगा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री तोपदार, आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। आप प्रधान मंत्री का विरोध कैसे कर सकते हैं?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं चाहूंगा कि आर्थिक सुधारों पर भी एक राय बननी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री तोपदार, कृपया बैठ जाइए। प्रधान मंत्री जवाब दे रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है? आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। आप प्रक्रिया जानते हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बात को न काटें। यह क्या तरीका है?

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : केवल पश्चिम बंगाल का मामला नहीं है। यह एक पार्टी का मामला नहीं है। हमारे कम्युनिस्ट मित्रों को याद होगा कि आई.डी.पी.एल. की फिर से जांच कराकर, उसे फिर से चालू करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। ...*(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल (हुगली): यही तो हमारी मांग थी। ...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : अच्छा काम करेंगे तो हम बधाई देंगे। ...*(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : वही तो नहीं देते हैं। ...*(व्यवधान)* एक बधाई लेने के लिए इतनी तकलीफ करनी पड़ती है। सब मिलकर बैठें और इस संबंध में विचार करें। ...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): गोरखपुर का खाद कारखाना बंद पड़ा है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री कुंवर अखिलेश सिंह, आप क्या कर रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : एक मुद्दा और है, जिसका मैं उल्लेख करना चाहता हूं, वह है संविधान की समीक्षा का। आज श्रीमती सोनिया गांधी जी ने उसको स्पर्श क्यों नहीं किया, मैं नहीं जानता।

अपराह्न 1.00 बजे

शायद उन्होंने सोचा होगा कि सदन के बाहर इतनी बार उन्होंने इस विषय पर बोल दिया है कि अब बोलने की आवश्यकता नहीं है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि संविधान समीक्षा आयोग के बारे में जो प्रचार हो रहा है।

श्री मुलायम सिंह यादव : सही हो रहा है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : वह प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला नहीं है। वह डा. अम्बेडकर का अपमान तो हो ही नहीं सकता। ...*(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): समीक्षा आयोग एपाइंट करने का सरकार को कोई अधिकार नहीं है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री आठवले, कृपया बैठ जाइए। यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री आठवले कृपया बैठ जाइए। अन्यथा मैं आपके खिलाफ कार्रवाई करूंगा।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : अब तो हद हो गई। कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय प्रधानमंत्री उत्तर दे रहे हैं और आप उन्हें धैर्यपूर्वक नहीं सुन रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय प्रधान मंत्री के भाषण के अलावा कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये प्लीज।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, संविधान पर चर्चा, जब से संविधान बना है, तब से चल रही है। संविधान में संशोधन भी हुए हैं, गम्भीर संशोधन हुए हैं। इमरजेंसी के दौरान क्या हुआ, किस तरह के कदम उठाये गये, मैं उसमें जाना नहीं चाहता।

श्री मुलायम सिंह यादव : वह भी गलत था, यह भी गलत है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय प्रधान मंत्री के भाषण के अतिरिक्त कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। यह क्या है? श्री अखिलेश सिंह, आप सभा में यह क्या कर रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित न किया जाए।

...*(व्यवधान)**

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी (गढ़वाल): महोदय, हमने सभा में व्यवधान किए बगैर उन्हें सुना है। अब वे सभा में व्यवधान पैदा कर रहे है ...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : लेकिन जब हमने आयोग की बात शुरू की तो यह स्पष्ट कर दिया था कि जो संविधान का बुनियादी ढांचा है और जिसमें सैक्युलरवाद भी है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। ...*(व्यवधान)* अगर नहीं है तो समीक्षा के बाद रख लिया जायेगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री आठवले, आप हमेशा ही सभा में व्यवधान पैदा करते हैं। कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित न किया जाए।

...*(व्यवधान)**

महोदय : पहले आप बैठ जाइये, मि. रामदास आठवले।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी ने 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी संविधान पर विचार करने के लिए, संशोधनों पर विचार करने के लिए बनाई थी, ए.आई.सी.सी. का प्रस्ताव है। ...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : वे तो गलत कर ही रहे थे, आप भी करेंगे?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या कहा था?

[अनुवाद]

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा (कनारा): महोदय, वह एक दल की समिति थी, सरकार की नहीं। मैं उस समिति की सदस्य थी ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री माधवराव सिंधिया : अगर आप यील्ड करेंगे तो मैं दो मिनट में कह दूंगा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। प्रधान मंत्री उत्तर दे रहे हैं। अगर आपको कुछ स्पष्टीकरण चाहिए, तो आप उसे प्रधान मंत्री के उत्तर के बाद पूछ सकते हैं। यह सब क्या है? आप यह अभी कैसे कर सकते हैं?

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या पार्टी का प्रस्ताव इसलिए था कि उस पर अमल न किया जाए? आखिर पार्टी ने ऐसा प्रस्ताव क्यों किया?

श्री मुलायम सिंह यादव : गलत किया। ...*(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : प्रस्ताव क्या है, आप सुनिए। मैं कोट कर रहा हूं:-

[अनुवाद]

> "अतः कांग्रेस इस बात का आग्रह करती है कि यह पता लगाने के लिए कि क्या वह समय अभी नहीं आया है जब इसमें पर्याप्त संशोधन किए जाएं हमारे संविधान की गहन जांच की जाए ताकि यह एक जीवंत दस्तावेज के रूप में बना रहे, लोगों की मौजूदा जरूरतों और वर्तमान मांगों को प्रभावशाली ढंग से पूरा करता रहे।"

[हिन्दी]

यह आयोग क्या करेगा, क्या इससे अलग इसकी कोई टर्म्स आफ रेफरेंस हैं! यह समीक्षा करेगा। समीक्षा का मतलब है दूसरी नजर डालना ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय प्रधान मंत्री के उत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ नहीं सम्मिलित किया जाए।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवधान न डालें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री के उत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ नहीं सम्मिलित किया जाए।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है? मेरी समझ में यह नहीं आता। कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए।

...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): महोदय, मैं विपक्ष की नेता से अपील करता हूं। हमने उन्हें शांत रहकर सुना। किसी ने भी उन्हें बाधा नहीं पहुंचाई। अब, लगभग हर बात पर उनके सभी सदस्य बाधा पहुंचा रहे हैं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह कोई सवाल नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आयोग में किस तरह के सदस्य हैं, यह कहने की आवश्यकता नहीं है। उनकी प्रामाणिकता पर, उनकी विश्वसनीयता पर कोई अंगुली नहीं उठा सकता। वे अपनी सिफारिशें देंगे। वे सिफारिशें संसद के सामने प्रस्तुत की जाएंगी। संसद अगर चाहेगी तो किसी सिफारिश को स्वीकार करेगी ...*(व्यवधान)* बाद में संविधान संशोधन के लिए विधेयक संसद में जाएगा, जिसे स्वीकृत होने के लिए दो तिहाई बहुमत की आवश्यकता होगी। आपको इतनी चिंता क्यों हो रही है। इस तरह की चिंता करने का कोई कारण नहीं है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री के भाषण के अतिरिक्त कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित न किया जाए।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : बहुत हो गया। श्री रामदास आठवले, बहुत हो गया। कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : कुछ माननीय सदस्यों की यह उत्तेजना इस बात की परिचायक नहीं है कि उनका पक्ष प्रबल है और तर्क संगत है। संविधान पर लगातार विचार होता रहा है, संविधान में आगे भी विचार होगा। पहले भी संविधान संशोधन हुए थे, आगे भी होंगे। संविधान कोई जड़ वस्तु नहीं है ...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर (अकोला): संसद में विचार क्यों नहीं हो रहा है?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आयोग की जब रिपोर्ट आएगी, संसद में विचार होगा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रकाश अम्बेडकर, कृपया बैठ जाइए। माननीय प्रधान मंत्री के भाषण के अतिरिक्त कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलत न किया जाए। कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बीच में न बोलें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, पार्लियामेंट की कमेटी भी बनायी जा सकती थी। ...*(व्यवधान)* लेकिन आयोग बनाने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ...*(व्यवधान)* आप बैठिए। आयोग में जो गणमान्य सदस्य बैठे हैं, आप उनकी प्रमाणिकता पर उंगली उठा रहे हैं। ...*(व्यवधान)* उन पर आपको आपत्ति है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रकाश अम्बेडकर, कृपया बैठ जाइए। अगर आपकी कोई शंका है, तो आप उसे प्रधान मंत्री से बाद में पूछ सकते हैं, अभी नहीं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री रामदास आठवले, आप हमेशा ही सभा में व्यवधान पैदा करते हैं।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह प्रधान मंत्री का उत्तर नहीं है? मुझे बताएं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय प्रधान मंत्री के भाषण के अतिरिक्त कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित न किया जाए।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह तो हद हो गयी।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, संस्कृत में तर्क साथ नहीं देता और जब आप अपनी बात बुद्धि से प्रमाणित नहीं कर सकते, मनवा नहीं सकते तो फिर शेषम् कोपेण पूरचेन। जो कमी है, उसे आप अपने क्रोध से पूरा करते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रशेखर (बलिया, उ.प्र.): अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री जी को कोई डिस्टर्ब न करे, यह ठीक है लेकिन प्रधान मंत्री जी इस बारे में आपके साथ कोई तर्क नहीं है, आपने जो काम किया है, वह भूल की है। ...*(व्यवधान)* और जोर से बोलिए। आप शोर करें, इससे मेरा ऊपर असर नहीं पड़ेगा। ...*(व्यवधान)* उन्हें इस प्रकार बोलने दें।

मैं निवेदन करूंगा कि संविधान प्रतिनिधियों के जरिये बना है। अगर उसकी समीक्षा करनी थी तो सरकार के लिए यह उचित मार्ग था कि संसद में आते और कहते कि इस तरह का हम कमीशन बनाने जा रहे हैं। आपका बहुमत था। आप उस काम को आसानी से कर सकते थे लेकिन आपने गलत समय पर संविधान की मर्यादा का, इस संसद की मर्यादा का उल्लंघन किया है, सरकार को इसे स्वीकार करना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मुझे खुशी है कि चन्द्रशेखर जी ने आयोग बनाने का विरोध नहीं किया है, जिस ढंग से आयोग बनाया गया है, उसकी आलोचना की है। प्रक्रिया के संबंध में मतभेद हो सकता है। ...*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रशेखर : व्यक्तियों के बारे में मेरा मतभेद नहीं है क्योंकि मैं नहीं जानता कि वे व्यक्ति कौन हैं। लेकिन यहां पर भी संविधान जानने वाले आपके ही बहुत से सदस्य हैं। यहां पर नारीमन जैसे आदमी हैं, यहां पर आनन्द जैसे लोग हैं, संसद में बहुत से ऐसे सदस्य हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : रिपोर्ट यहीं आएगी।

श्री चन्द्रशेखर : मेरा यही कहना है कि संविधान के अंदर हस्तक्षेप किसी बाहरी आयोग के जरिये करना संविधान और संसद की मर्यादा के खिलाफ है। अगर आप संविधान के बारे में जानते हैं तो बात करिए। ...*(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : पहले भी आयोगों का गठन हुआ है और आगे भी होगा। ...*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रशेखर : एक बार हुआ था, जब स्वर्ण सिंह कमेटी बनी थी और उसमें प्रधानमंत्री जी, मैं और आप दोनों एक राय के थे कि वह गलत काम हुआ है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए, प्रधान मंत्री जी रिप्लाई दे रहे हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं समाप्त कर रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया : हमें भी बोलने का मौका दिया जाए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या माननीय प्रधान मंत्री एक मिनट का समय देंगे? ...*(व्यवधान)* आज वे समय नहीं दे रहे हैं। पता नहीं क्यों। सामान्यत: ...*(व्यवधान)* वे इस मुद्दे पर बहुत आशंकित हैं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, आयोग के सवाल पर अगर मतभेद हैं तो मैं निवेदन करूंगा, ...*(व्यवधान)*

सरदार बूटा सिंह (जालौर): उसे वापस करो। ...*(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप अपने मतभेद वापस ले लीजिए, इनमें कोई दम नहीं है, इनके पीछे कोई तर्क नहीं है। वे प्रक्रिया से संबंधित हैं। अब जो उसका मूल है, ...*(व्यवधान)* आपका बहुमत है, राज्य सभा में तो आप पास होने ही नहीं देंगे। ...*(व्यवधान)* मगर देश में चर्चा हो। ...*(व्यवधान)* 50 साल से इलैक्शन हो रहे हैं और सब लोग अनुरोध कर रहे हैं कि इलैक्शन की प्रक्रिया में कुछ संशोधन करने की जरूरत है। ...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री मुलायम सिंह यादव : वह तो इलैक्शन कमीशन कर देगा। ...*(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इलैक्शन कमीशन कर रहा है। वह कर सकता है, हम लोग नहीं कर सकते। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : माननीय प्रधान मंत्री, क्या आप केवल एक मिनट का समय देंगे? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं, वे समय नहीं दे रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल न किया जाए।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या सरकार आयोग बना कर उस पर विचार नहीं कर सकती। ...*(व्यवधान)* क्या संशोधन होना चाहिए, क्या परिवर्तन होना चाहिए, उस पर आयोग विचार करके अपनी रिपोर्ट देगा, वह रिपोर्ट पार्लियामेंट के सामने जाएगी और पार्लियामेंट अगर संशोधन करेगी तो फिर वह संशोधन के रूप में आएगा। लेकिन ऐसा है कि प्रतिपक्ष ने तय कर लिया है कि कोई भी काम सत्ता पक्ष करे, उसका विरोध करना है। इसके अलावा आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप इस पर पुनर्विचार करें। इस सवाल पर, जिसमें कोई बुनियादी मतभेद नहीं हैं, सदन को, देश को बांटने का कोई लाभ नहीं है। हम आपका सहयोग चाहते हैं और हमें विश्वास है कि आप अपना सहयोग देकर देश में एक सामान्य वातावरण बनाने में हमारी मदद करेंगे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या यही सभा की मर्यादा है कि जब सभा का नेता बोल रहा हो, तो उसे बाधा पहुंचाई जाए?

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : यहां तक कि वरिष्ठ सदस्य भी बाधा पहुंचा रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय प्रधान मंत्री के भाषण के अलावा कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित न किया जाए।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इस देश के भविष्य को बनाने के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर एक आम राय की जरूरत है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि प्रारम्भ के कुछ दिनों को छोड़ कर, जो सबसे बड़ा विरोधी दल है वह अपनी लोकप्रियता को खोया हुआ देख कर हर बात का विरोध करने का प्रयास कर रहा है। उसका रवैया नकारात्मक है। ...*(व्यवधान)* अभी कई प्रदेशों में सूखा है। ...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : आपने धन्यवाद दिया था कि कांग्रेस के लोग सहयोग कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)* अब आप कह रहे हैं कि ये विरोध करते हैं। क्या विरोध करते हैं? ...*(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप आपस में तय कर लीजिए। ...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : सोनिया गांधी जी का आभार व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि ये विरोध करते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट (दौसा): अध्यक्ष महोदय, हमने हमेशा इसका विरोध किया है और करते रहेंगे।

श्री मुलायम सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, इनकी आपस में मिली-भगत है। पूरा देश जानता है कि समाजवादी पार्टी बीजेपी से लड़ रही है और कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी से लड़ रही है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, देश के कई भाग सूखे से पीड़ित हैं, परिस्थिति गंभीर है और सदन में इस पर चर्चा हो चुकी है। सभी माननीय सदस्य चिंता में शामिल हैं। राजस्थान, गुजरात, आंध्र और मध्य प्रदेश में भी ...*(व्यवधान)* इसलिए मैंने सब प्रदेशों के नाम नहीं गिनाए थे। किसी प्रदेश को छोड़ने का हमारा इरादा नहीं है। सबको सहायता देना हमारा लक्ष्य है। यह ऐसा मामला है जिसमें राजनीति नहीं आनी चाहिए लेकिन

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उड़ीसा के मामले में दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ, राजनीति लाई गयी और यह कहा गया कि इसको सबसे बड़ी आपदा घोषित क्यों नहीं करते। ऐसा करना कोई आवश्यक नहीं था और हमने पूरी सहायता की।

श्री माधवराव सिंधिया : आप इस पर खुद एक विस्तृत चर्चा लाने जा रहे हैं। आपका इरादा क्या है, समझ में नहीं आता।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप समझना चाहते हैं? अध्यक्ष महोदय, हमारी तरफ से पूरी सहायता देने की कोशिश हो रही है। सब दल मिलकर इसमें काम करें, आज इस बात की आवश्यकता है। जानवरों के लिए चारे का प्रबंध किया जा रहा है, रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। पीने के पानी का प्रबंध आवश्यक [illegible] लिए कदम उठाये जा रहे हैं। आपस में मतभेद [illegible] कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हम मिलकर काम कर सकत हैं। मैं सारे सदन का सहयोग निमंत्रित करता हूं और इसके लिए आज एक सर्वदलीय बैठक की भी योजना बनाई गयी है। उसमें आप भाग लें, सुझाव दें। प्रदेश सरकारों का रंग क्या है, उसके आधार पर केन्द्र मदद करेगा या नहीं करेगा, यह सवाल पैदा नहीं होता। हम सबकी मदद करेंगे। सब भारत के वासी हैं, सब देशवासी हैं और जो भी मुसीबत में हैं उनके लिए सहायता देना हमारा कर्तव्य है और हम सहायता देंगे। इसमें आपका योगदान जरूरी है।

अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत ज्यादा समय ले लिया। मेरा इरादा तो बहुत छोटा भाषण करने का था, लेकिन इनके कारण भाषण लम्बा होता गया, लम्बा होता गया। मैं सदन का आभारी हूं। *...(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, अब मैं अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं। धन्यवाद।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सदस्यों द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव पर कई संशोधनों का प्रस्ताव किया गया है। क्या मैं सभी संशोधनों को एक साथ सभा में मतदान के लिए रखूं या कोई सदस्य किसी विशेष संशोधन को अलग से मतदान के लिए रखवाना चाहता है?

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मैं अपने संशोधन को मतदान के लिए अलग से रखवाना चाहता हूं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, आपके संशोधन की संख्या क्या है?

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, सशोधन संख्या 276 है। यह आवश्यक वस्तुओं की मूल्यवृद्धि के संबंध में है जिससे हमारे देश की जनता पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। *...(व्यवधान)* महोदय, उन्होंने आवश्यक वस्तुओं की मूल्यवृद्धि के बारे में कुछ नहीं कहा है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद प्रस्ताव पर कई माननीय सदस्यों ने प्रश्न पूछे थे और माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने उनका उत्तर भी दे दिया था।

...(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : प्रधानमंत्री ने आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में हो रही [illegible] के बारे में कुछ नहीं कहा है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरे साथ सहयोग करें। श्री माधवराव सिंधिया, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने कितनी बार जवाब दिया है? कितनी बार उन्होंने हस्तक्षेप किया है? कृपया इसे समझें। यह क्या है?

...(व्यवधान)

श्री माधवराव सिंधिया : महोदय, यह हमेशा होगा। प्रत्येक अध्यक्ष ने अवसर प्रदान किया है। हमें स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह बड़ा खेदजनक है।

...(व्यवधान)

श्री माधवराव सिंधिया : महोदय, यह सही तरीका नहीं है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : क्या आप मुझे बताएंगे कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने कितनी बार हस्तक्षेप किया है और कई माननीय सदस्यों को उत्तर दिया है? यह क्या है?

...(व्यवधान)

श्री माधवराव सिंधिया : महोदय, आप प्रधान मंत्री महोदय का बचाव कर रहे हैं। मैं केवल एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, आप कौन से संशोधन का अलग से प्रस्ताव करना चाहते हैं?

श्री बसुदेव आचार्य : मैं संशोधन संख्या 276 का प्रस्ताव करना चाहता हूं तथा मैं इसे पढ़ना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री माधवराव सिंधिया : अध्यक्ष महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। उसे उठाने की इजाजत दी जाए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने कितनी बार हस्तक्षेप किया है?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, जिस संशोधन का आप अलग से प्रस्ताव करना चाहते हैं वह किस बारे में है?

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री माधवराव सिंधिया : इस डिबेट के बाद एक-दो शब्द स्पष्टीकरण के तौर पर कहने की इजाजत मिलनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रमोद महाजन : ऐसा प्रतीत होता है कुछ सदस्य बीच में व्यवधान डालेंगे और कुछ सदस्य स्पष्टीकरण मांगेंगे तथा इस प्रकार से वे दोनों लाभ उठाना चाहते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया : यदि मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं तो इसमें क्या समस्या है? क्या यह एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जब सभा के नेता बोल रहे थे, आपमें धैर्य नहीं था। माननीय प्रधानमंत्री महोदय के भाषण में कितनी बार व्यवधान डाला गया है? उन्होंने कितनी बार हस्तक्षेप किया है? यह सब क्या है?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप क्या स्पष्टीकरण चाहते हैं?

[हिन्दी]

श्री माधवराव सिंधिया : अध्यक्ष महोदय, मैं सोचता हूं कि यह बड़े आश्चर्य की बात है ...*(व्यवधान)* आपने अभी चन्द्रशेखर जी को बोलने की इजाजत दी और हमने कोई आपत्ति नहीं उठाई। हमें खुशी है कि आपने उन्हें बोलने की इजाजत दी। स्पष्टीकरण के तौर पर अपनी बात कहने का अवसर मिलना चाहिए। मैंने अनुशासित रूप से प्रधान मंत्री जी की बात सुनी। ...*(व्यवधान)* मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधान मंत्री ने संविधान समीक्षा की बात उठाई। हमने उसके बारे में विस्तृत चर्चा करने की मांग उठाई थी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसका जवाब पहले ही दिया जा चुका है।

[हिन्दी]

श्री माधवराव सिंधिया : आपने उसकी इजाजत दी। हम इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हमें मात्र इस बात की घोर आपत्ति है और हम इसका घोर विरोध करेंगे कि संसद के चुने हुए प्रतिनिधियों को नजरअन्दाज करके तथा संसद की गरिमा का उल्लंघन करके संविधान समीक्षा कमेटी नियुक्त की गई। आप कनसैंसस की बात करते हैं। आपने इस बारे में न तो हम से सलाह मशविरा किया और न ही मंथन किया। आप समन्वय की बात करते हैं लेकिन आपने विचारों का आदान-प्रदान नहीं किया। आपने इनका पूरी तरह से परित्याग कर दिया। आप कम से कम हमें कॉनफिडेंस में लेकर इसकी चर्चा करते।

जहां तक स्वर्ण सिंह कमेटी की बात है, बड़े खेद की बात है कि बार-बार प्रधान मंत्री देश में इस कमेटी के बारे में असमंजस पैदा करना चाहते हैं। स्वर्ण सिंह कमेटी पार्टी की कमेटी थी। अगर भारतीय जनता पार्टी कोई कमेटी नियुक्त करे, हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन सरकार नहीं कर सकती।

[अनुवाद]

मंत्रिमंडल की उत्पत्ति संसद से होती है। यहां, मंत्रिमंडल ने संसद की अनदेखी करके संविधान समीक्षा के लिए एक समीक्षा समिति नियुक्त की है। हमारा मत यह है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, आप किस संशोधन का प्रस्ताव अलग से करेंगे?

श्री बसुदेव आचार्य : मैं अपने संशोधन सं. 276 को अलग से रखना चाहता हूं। इसका पाठ इस प्रकार है:

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:-

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में आवश्यक वस्तुओं की मूल्यवृद्धि के बारे में, जिससे देश की आम जनता पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है, कोई उल्लेख नहीं है।" (276)

यह आवश्यक वस्तुओं की मूल्यवृद्धि के बारे में है जिससे देश की आम जनता पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है।

अध्यक्ष महोदय : मैं, श्री बसुदेव आचार्य द्वारा प्रस्तावित संशोधन संख्या 276 को मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन रखा गया एवं अस्वीकृत हुआ।

[illegible]ंद पाल : मैं अपने संशोधन संख्या 365 को अलग इसका पाठ इस प्रकार है:-

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:-

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में अभूतपूर्व वृद्धि के बारे में कोई उल्लेख नहीं हैं, जिससे ये आम जनता की पहुंच से बाहर हो नहीं हैं।" (365)

अध्यक्ष महोदय : मैं, श्री रुपचंद पाल द्वारा प्रस्ताव किए गए संशोधन संख्या 365 को मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन रखा गया एवं अस्वीकृत हुआ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। वाद-विवाद में भाग लेने वाले प्रत्येक माननीय सदस्य इस मुद्दे पर बोले थे फिर भी प्रधानमंत्री ने इसका जवाब नहीं दिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार आवश्यक वस्तुओं की मूल्यवृद्धि से बिल्कुल भी चिंतित नहीं है और यही कारण है कि प्रधानमंत्री के पास इस पर कहने के लिए कुछ नहीं था। क्या इसी तरीके से सरकार को चलना चाहिए? हम इस मुद्दे पर प्रधान मंत्री की ओर से जानबूझकर उत्तर न देने पर अपना कड़ा विरोध अवश्य दर्ज करेंगे अतएव, हम सभा का बहिष्कार करते हैं।

अपराह्न 1.31 बजे

इस समय श्री सोमनाथ चटर्जी और कुछ अन्य सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए

अध्यक्ष महोदय : अब मैं अन्य सभी संशोधनों को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): अध्यक्ष महोदय, मूल्य वृद्धि द्वारा गरीबों के गले पर छुरा चलाया गया है और प्रधानमंत्री ने अपने उत्तर में कुछ नहीं बोला, इसलिये इसके विरोध में मैं और पूरा राष्ट्रीय जनता दल सदन का बहिष्कार करता है।

[अनुवाद]

अपराह्न 1.32 बजे

(इस समय डा. रघुवंश प्रसाद सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाये:-

"कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए जो उन्होंने 23 फरवरी, 2000 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है उनके अत्यंत आभारी हैं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न $1.32^1/_2$ बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न दो बजकर तीस मिनट तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.36 बजे

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा दो बजकर छत्तीस मिनट पर पुन: समवेत हुई।

(श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा पीठासीन हुई)

मंत्री द्वारा वक्तव्य*

वर्ष 2000 के मौसम के लिए कोपरा और वर्ष 2000-2001 के मौसम के लिए कच्चे पटसन के लिए मूल्य नीति

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा): भारत सरकार ने 2000 मौसम के लिए मिलिंग खोपरा की उचित औसत किस्म के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 3250 रुपये प्रति क्विंटल तथा बाल

*[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1703/2000]

खोपरा की उचित औसत किस्म के लिए 3500 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। इस प्रकार 2000 मौसम के दौरान, गत मौसम के उनके अपने-अपने न्यूनतम समर्थन मूल्यों में मिलिंग खोपरा के लिए 150 रुपए प्रति क्विंटल तथा बाल खोपरा के लिए 175 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई। न्यूनतम समर्थन मूल्यों में यह वृद्धि होने से खोपरा उत्पादकों द्वारा अधिक धन लगाने की तथा खोपरा की उत्पादकता तथा उत्पादन में वृद्धि होने की संभावना है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा): यह मूल्य बहुत ही कम है। ...*(व्यवधान)*

श्री सुन्दर लाल पटवा : कृपया मुझे इस वक्तव्य को पूरा करने दीजिए।

सभापति महोदय : उन्हें अपना वक्तव्य पूरा करने दें। मैं ऐसा मानती हूं कि जब वे वक्तव्य दे रहें हो तो व्यवधान डालना उचित नहीं है। आप बाद में बोल सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैंने किसी हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी है। पहले मंत्री महोदय को अपना वक्तव्य पूरा करने दें।

...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): मैंने इसके लिए सूचना दी है।

सभापति महोदय : हां, ठीक है। आप उनके द्वारा वक्तव्य पूरा किए जाने के बाद बोल सकते हैं परन्तु उसके पहले नहीं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सुन्दर लाल पटवा : भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारिता विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड) खोपरा के लिए मूल्य समर्थन कार्य करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता रहेगा।

भारत सरकार ने 2000-2001 मौसम के दौरान असम की टी.डी.-5 किस्म के लिए कच्चे पटसन की उचित औसत किस्म हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य 785 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। इस प्रकार गत मौसम के विभिन्न समर्थन मूल्यों की अपेक्षा वर्ष 2000-2001 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्यों में 35 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई। कच्चे पटसन की अन्य किस्मों तथा श्रेणियों के लिए ऐसे ही न्यूनतम समर्थन मूल्यों का निर्धारण सामान्य विपणन मूल्य अन्तरों को ध्यान में रखते हुए भारतीय पटसन आयुक्त, कपड़ा मंत्रालय द्वारा किया जायेगा।

भारतीय पटसन निगम कच्चे पटसन के लिए मूल्य समर्थन कार्य करेगा तथा जब कभी समुचित धन की आवश्यकता होगी, उसे वह समय पर दे दिया जायेगा। ताकि वह अपने कार्यों को कारगर ढंग से कर सके।

न्यूनतम समर्थन मूल्यों में वृद्धि से किसानों को पटसन की खेती में ज्यादा धन लगाने के लिए प्रोत्साहित करने की प्रत्याशा है तथा इससे कच्चे पटसन के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि आयेगी।

[अनुवाद]

श्री पी.सी. थामस : खोपरे का घोषित मूल्य काफी कम है तथा इसके कारण किसान बहुत ही कठिन स्थिति में है। ...*(व्यवधान)* स्थिति बहुत गंभीर है। कम मूल्य के अतिरिक्त इस पर कई रोगों का भी प्रकोप है। फसल बर्बाद करने वाले माइट नामक रोग पर विचार तो हो रहा है किन्तु अब तक भारत सरकार द्वारा कुछ नहीं किया गया है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : उन्होंने समर्थन मूल्य के बारे में घोषणा की है। उस पर कोई वाद-विवाद नहीं हो सकता है।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब कुछ रिकार्ड में नहीं जाएगा।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदया : आप कृपया उनके द्वारा की गई अपील पर गौर करें।

श्री वरकला राधाकृष्णन : मैंने स्पष्टीकरण की मांग की है, चर्चा की नहीं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपको जो कहना था आप कह चुके हैं। कृपया बैठ जाइए। वे अब न तो समीक्षा कर सकते हैं और ना ही नया मूल्य दे सकते। आपने अपना मुद्दा बयान कर दिया है। कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय : अब वे नया मूल्य नहीं दे सकते, तब भी आप इस मुद्दे को उठा रहे हैं। इसलिए, कृपया आप बैठ जाइए। वे इस पर भविष्य में ध्यान देंगे।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैंने कह दिया है कि इस वक्तव्य के बाद कुछ भी रिकार्ड में नहीं जाएगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय : चेयर की अनुमति के बिना रिकार्ड पर [illegible]।

[illegible]

अब आप कृपया बैठ जाइए। मुझे अफसोस है कि जब कभी वक्तव्य दिया जाता है, नियमानुसार उस पर स्पष्टीकरण का कोई प्रावधान नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन : स्पष्टीकरण की अनुमति है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : जी नहीं। मुझे अफसोस है। इसकी सभा में अनुमति नहीं है। कृपया अब आप बैठेंगे?

...(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन : कल भी इसकी अनुमति दी गई थी। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : नियमों के अनुसार ऐसा नहीं है। आप कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन : मैं स्पष्टीकरण मांगना चाहता हूं। यह केरल से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : नियम 372 के अन्तर्गत, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि जब वक्तव्य दिया जाता है तब स्पष्टीकरण की मांग किए जाने का इस सभा में कोई प्रावधान हमारे पास नहीं है।

हमें नियम 377 के अन्तर्गत मामलों को उठाना है और इसके पश्चात् हम संचार मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा करेंगे। हम अभी कोई नया वाद-विवाद शुरू नहीं कर सकते हैं। आप इसके बारे में वित्त विधेयक पर चर्चा के दौरान बोल सकते हैं। अब हम इस पर वाद-विवाद नहीं कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन : ऐसा कैसे चलेगा?

[अनुवाद]

उन्हें इसे उठाने का कोई दूसरा तरीका ढूंढना होगा तथा इस प्रकार नहीं *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कुछ भी रिकार्ड में नहीं जा रहा है। आप सिर्फ सभा का समय नष्ट कर रहे हैं। आप कृपया बैठ जाएं। मुझे वर्णन करने दें। क्या आप कृपया बैठेंगे?

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय : मुझ पर चिल्लाने की कोई बात ही नहीं है। आपने कहा है कि आपने नोटिस दिया था। यह अवश्य माननीय अध्यक्ष के समक्ष गया होगा। अध्यक्ष ने इसका अनुमोदन नहीं किया तथा इसे मुझे भेज दिया। मेरे पास वह नोटिस नहीं है जिसे आपने उन्हें दिया है। वह मेरे पास लौटकर नहीं आया है। अब, मैं आपको किसी चीज को जो मेरे समक्ष नहीं है, अनुमति नहीं दे सकती। माननीय अध्यक्ष ने इसका अनुमोदन नहीं किया और मेरे पास इसे भेज दिया। अतः कृपया आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री पी.सी. थामस : महोदया, इसका विरोध करते हुए हम बहिष्कार करते हैं।

अपराह्न 2.43 बजे

इस समय श्री पी.सी. थामस और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

सभापति महोदय : अब, हम समिति के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव मद संख्या 10 को लेंगे। श्री षणमुगम।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 2.43½ बजे

समिति के लिए निर्वाचन

भारतीय क्षय रोग संघ की केन्द्रीय समिति

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि भारतीय क्षय रोग संघ के नियमों और विनियमों के खंड 3(vii)(क) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, भारतीय क्षय रोग संघ की केन्द्रीय समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि भारतीय क्षय रोग संघ के नियमों और विनियमों के खंड 3(vii)(क) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, भारतीय क्षय रोग संघ की केन्द्रीय समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 2.44 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) बावनवास क्षेत्र में सूखे से प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार को धनराशि प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्रीमती जसकौर मीणा (सवाई माधोपुर): माननीय सभापति महोदया, देश के कुल क्षेत्रफल का 10.7 प्रतिशत क्षेत्र राजस्थान में है और राजस्थान का काफी क्षेत्र असिंचित है। वर्षा न होने पर जनता और पशुओं के सामने रोजी, रोटी, चारे तथा पीने योग्य पानी की गम्भीर समस्या होती है।

इस वर्ष 32 जिलों में से 26 जिलों को राज्य सरकार द्वारा अकालग्रस्त घोषित किया है। मेरे संसदीय क्षेत्र सवाई माधोपुर के विधान सभा क्षेत्र एवं गांव बावनवासी और बोली ब्लाक को जल की दृष्टि से डार्क जोन चिन्हित किया गया है, जहां किसी भी प्रकार का भूमि जल क्षेत्र नहीं है। यहां के तालाबों, कुओं का पानी एक माह पूर्व सूख गया है और गांव वाले पानी के अभाव में गांव से पलायन कर रहे हैं, जिनके पास बैलगाड़ी या ट्रैक्टर आदि हैं, वे 8-10 किलोमीटर की दूरी से पानी ला रहे हैं। राजस्थान सरकार ने बावनवास विधान सभा क्षेत्र को अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित नहीं किया है। यह सम्पूर्ण क्षेत्र जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र है और ये लोग कृषि व पशुपालन पर आधारित हैं।

अत: मैं आपके माध्यम से सम्बन्धित मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहती हूं कि राजस्थान के बावनवास विधानसभा क्षेत्र को अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित करवा कर क्षेत्र में राहत कार्य शीघ्र प्रारम्भ करवाने हेतु समुचित आर्थिक सहायता प्रदान करें।

(दो) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 86 को कानपुर से भोपाल तक बढ़ाये जाने की आवश्यकता

श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर): मेरे संसदीय क्षेत्र सागर से सागर कानपुर मार्ग को नेशनल हाइवे 86 घोषित किया गया है। इस मार्ग की हालत काफी खराब है। जबकि कानपुर से मद्रास जाने वाले अधिकांश वाहन इसी मार्ग से वाया सागर होकर जाते हैं। अभी इसकी सागर तक ही घोषणा हुई है जबकि कानपुर सागर से आगे बढ़ाकर इसको मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल तक वाया विदिशा मार्ग से बढ़ाया जा सकता है, जिससे कि भोपाल को सड़क मार्ग से लखनऊ तक हाइवे से जोड़ा जा सके।

अत: मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि नेशनल हाइवे 86 को कानपुर, सागर से भोपाल तक बढ़ा कर इसका निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ किया जाए जिससे मध्य प्रदेश एवम् उत्तर प्रदेश की जनता संयुक्त रूप से लाभान्वित हो सके।

(तीन) नमक उपकर का कुछ हिस्सा उड़ीसा में सोनाला और समपुर तटीय सड़क की मरम्मत के लिए आवंटित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री अनादि साहू (बरहामपुर, उड़ीसा): बरहामपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के चिकिती में सोराला तथा सुनुपुर और रंगेलुन्दा प्रखन्डों की नमक खाड़ियों से नमक का उत्पादन किया जाता है। इस उत्पादिक नमक पर उपकर लगाया जाता है। लगभग 25 वर्ष पहले, आन्ध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले की इच्छापुर सीमा से सोनाला तथा सुनुपुर सहित समुद्र तट तक सड़क निर्माण के लिए इस नमक उपकर राशि का इस्तेमाल किया जाता था। तथापि, अब

[श्री अनादि साहू]

यह सड़क जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है क्योंकि उसके बाद पिछले 25 साल से इस सड़क की कोई मरम्मत नहीं की गई है।

भारत सरकार इस नमक उपकर के एक भाग को इस सड़क की मरम्मत के लिए मंजूर करे।

(चार) गुजरात में सूरजबाड़ी से समख्याली तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8क को चार लेन वाला बनाये जाने की आवश्यकता

श्री पी.एस. गढ़वी (कच्छ): गुजरात में कच्छ जिला काफी अल्पविकसित है तथा इसके विकास के लिए मूलभूत ढांचागत सुविधाओं का विस्तार किए जाने की आवश्यकता है।

तथा पूरे उत्तर भारत के बड़े कांडला नामक पत्तन लिए राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास किया जाना काफी महत्वपूर्ण है और इस उद्देश्य के लिए सूरजबाड़ी से समख्याली तक के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8क के 20 किलोमीटर तथा गांधीधाम वायपास सड़क को (जिसे कांडला खाड़ी रोहर सड़क के नाम से जाना जाता है) चार लेन किए जाने के कार्य को शुरू किये जाने तथा इसे पूरा किया जाने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय : क्या मैं जान सकता हूं कि किसका सेलुलर फोन बज रहा है? मैं समझता हूं कि इससे पूर्व एक दिन अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि सेलुलर फोन जब्त कर लिया जाना चाहिए। क्या संबंधित सदस्य इसे टेबिल ऑफिस में देकर आएंगे।

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा): इसे वापस नहीं किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : इस संबंध में अध्यक्ष महोदय के निदेश स्पष्ट हैं। मेरे विचार से इस बारे में कुछ किया जाना चाहिए।

(पांच) पंजाब के फिल्लौर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में गुरदासपुर जिले में श्री हरगोविंदपुर और घुमान कस्बों में रसोई गैस विक्रय केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्रीमती सन्तोष चौधरी (फिल्लौर): सभापति महोदय, मेरे फिल्लौर क्षेत्र के, श्री हरगोविन्दपुर विधान सभा क्षेत्र जो कि जिला गुरदासपुर (पंजाब) में है, 50 वर्ष की आजादी के बाद आज भी पिछड़ा हुआ है। यह विकास खण्ड पाकिस्तान के बोर्डर के पास स्थित है तथा आतंकवाद के समय लगभग प्रत्येक परिवार ने आग की चिन्गारियों का सामना किया है।

आठ लाख की आबादी का यह क्षेत्र आज भी गैस एजेंसी के लिए तरस रहा है। उपभोक्ताओं को 30 किलो मीटर बटाला क्षेत्र जो कि अमृतसर संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है, गैस लेने जाना पड़ता है।

मेरा अनुरोध है कि सम्बन्धित मंत्रालय को इस क्षेत्र के कस्बा श्री हरगोविन्दपुर तथा घुमान में दो गैस एजेंसीज खुलवाने के लिए आदेश दे कर वहां के लोगों को अनुगृहीत करें।

(छह) केरल के क्विलोन जिले में कोट्टरकारा में क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री कोडीकुनील सुरेश (अडूर): केरल में क्वीलोन काजू उत्पादन का प्रमुख जिला है। क्वीलोन जिले में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों के अन्तर्गत 200 से अधिक काजू कारखाने रहे हैं। इस उद्योग में लगभग 2 लाख काजू-कामगार लगे हुए हैं। इनमें से अधिकतर कामगार गरीब व महिलाएं है। पथनामथिटा जिले में भी कुछ काजू की फैक्ट्रियां चल रही है। भारत सरकार ने काजू कामगारों के लिए भविष्य निधि तथा परिवारिक पेंशन योजना लागू की है। अधिकतर कामगार भविष्य निधि और परिवार पेंशन योजना में शामिल कर लिए गए हैं। भविष्य निधि योजना में लगभग 2 लाख काजू कामगार शामिल हैं। क्वीलोन तथा पथनामथिटा जिलों से लाखों काजू-कामगार क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय त्रिवेन्द्रम जाते हैं। प्रतिदिन क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय त्रिवेन्द्रम में जाना काफी कठिन है। इन हजारों काजू-कामगारों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

क्वीलोन तथा पथनामथिटा जिलों के मध्य क्षेत्र कोट्टरकारा में एक उप-क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है। इन काजू-कामगारों की सहायता के लिए कोट्टरकारा में क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय स्थापित करने की मांग काफी समय से लंबित पड़ी है।

अत: मैं माननीय श्रम मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि इस मामले की गम्भीरता से जांच करें तथा इस संबंध में आवश्यक कदम उठाएं।

(सात) पश्चिम बंगाल में उत्तरी मालदा का चहुंमुखी विकास किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): हरिशचन्द्रपुर, रतुआ, खरबा विधान सभा क्षेत्रों वाले उत्तरी मालदा के चहुंमुखी विकास एवं मूलभूत ढांचागत विकास में केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के

साथ-साथ जिला प्रशासन ने भी बहुत ही कम ध्यान दिया है। इस क्षेत्र में कोई भी स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं है। बाढ़ के दौरान इसके अधिकतर भागों से सम्पर्क टूट जाता है। इससे यहां कृषि विकास को भारी धक्का लगता है। महानंदा के किनारे के बांधों को पूरी तरह से मरम्मत, विस्तार तथा वहां पर पक्की सड़कें बनाए जाने की आवश्यकता है। पूरे उत्तरी माल्दा में प्रति वर्ष आने वाली बाढ़ से होने वाली क्षति के साथ-साथ सड़कों के विनाश से, मात्र जिला परिषद के सीमित संसाधनों से तब तक नहीं निपटा जा सकता है जब तक कि केन्द्र तथा राज्य सरकार संयुक्त रूप से जल संसाधन, योजना, कृषि तथा ऊर्जा मंत्रालयों को शामिल इसके विकास में भाग नहीं लेते हैं। माल्दा के 70 प्रतिशत गांवों में बिजली नहीं है। प्राथमिक विद्यालयों को बहुत ही निम्न तरीके से चलाया जा रहा है। हरिशचन्द्रपुर तथा रतुआ में कोई कॉलेज नहीं है। हमें इस नौवीं योजना के दौरान ही चंचल में एक 250 बिस्तरों वाले ऐसे उन्नत केन्द्रीय चिकित्सालय खोले जाने की महत्ती आवश्यकता है जिसमें बाल चिकित्सा तथा गुर्दा प्रतिरोपण इकाई भी शामिल हों। मैं, योजना, जल संसाधन तथा स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ-साथ ऊर्जा मंत्रालय से भी आग्रह करता हूं कि उत्तरी मालदा के पुनरुद्धार के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर प्रयास किया जाए। खरबा I और II, रतुआ I और II हरिशचन्द्रपुर I और II प्रखन्डों का योजना मंत्रालय द्वारा उपर्युक्त संदर्भ में सर्वेक्षण किया जाना आवश्यक है ताकि नौवीं पंचवर्षीय योजना में अगली वार्षिक योजना के लिए परियोजनाएं तैयार की जा सकें। योजना मंत्रालय उपर्युक्त मामलों का समावेश करने की सलाह यथाशीघ्र राज्य सरकार को दे।

(आठ) केरल के मछुआरों के लाभ के लिए सी.आर.जेड. अधिसूचना में संशोधन किए जाने की आवश्यकता

श्री टी. गोविन्दन (कासरगौड़): मैं केन्द्र सरकार और पर्यावरण तथा वन मंत्री का ध्यान सी.आर.जेड. अधिसूचना में संशोधनों के कार्यान्वयन में विलम्ब के कारण हो रही समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहूंगा।

इस संदर्भ में, मुझे इसके विनियमन के विरूद्ध हुए जन आन्दोलन की याद आ रही है। केरल सरकार ने तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों और मत्स्य उद्योग द्वारा झेली जा रही समस्याओं और तटीय क्षेत्र के समूचे विकास पर विचार करने की सिफारिश भी की थी। इन आंदोलनों और केरल सरकार की सिफारिशों के बाद पर्यावरण तथा वन मंत्रालय ने इस मामले में अध्ययन करने के लिए बालाकृष्ण समिति नियुक्त की थी। रिपोर्टों के अनुसार, मंत्रालय ने सी.आर.जेड. अधिसूचना में संशोधन करने का निर्णय लिया। अभी भी मछुआरे अपनी आवास और फिश ट्रेडिंग शेडों के निर्माण के संबंध में अनेक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। केन्द्र तथा राज्य सरकारें भी स्वयं अपने भवनों का निर्माण करने की स्थिति में नहीं हैं।

अतः मेरा माननीय पर्यावरण तथा वन मंत्री से अनुरोध है कि वे इन संशोधनों को तत्काल कार्यान्वित करने के लिए कदम उठाएं।

(नौ) आंध्र प्रदेश में विमान पत्तन प्राधिकरण की भूमि से हटाये गये परिवारों, जिन्हें लोथुकुन्ता और कुकटपल्ली में बसाया जा रहा है, पुनर्वास के लिए आवश्यक धनराशि प्रदान किये जाने की आवश्यकता

श्री राम मोहन गाड्डे (विजयवाड़ा): महोदय, भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण की लगभग 6500 एकड़ भूमि, जिसकी कीमत 260 करोड़ रु. है, पर लगभग 5300 परिवारों द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है। आन्ध्र प्रदेश की राज्य सरकार उस भूमि पर अनधिकृत रूप से रह रहे लोगों के पुनर्वास के लिए लोथुकुन्ता और कुकटपल्ली में 25 करोड़ रु. मूल्य की 158.41 एकड़ भूमि आबंटित करने के लिए सहमत हो गई है। पुनर्वास पैकेज के एक भाग के रूप में, अतिक्रमण करने वाले लोगों को 45,000 रु. प्रति परिवार की लागत पर आवास प्रदान करना बहुत आवश्यक है जिसके लिए 10.6 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त, पुनर्वास के लिए प्रस्तावित क्षेत्र में मूलभूत सुविधायें और अन्य सुख सुविधायें उपलब्ध कराने पर 7.14 करोड़ रु. की लागत आएगी। चूंकि राज्य सरकार पुनर्वास के लिए 25 करोड़ रु. की भूमि दे रही है इसलिए मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वे उन लोगों को वहां से शीघ्र हटाने और अतिक्रमण करने वाले सही हकदारों के पुनर्वास के लिए 17.74 करोड़ रु. प्रदान करें।

(दस) उत्तर प्रदेश में इटावा और शाहजहांपुर के बीच शीघ्र रेल लाइन बिछाया जाना सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री चन्द्र भूषण सिंह (फरूखाबाद): महोदया, उत्तर प्रदेश में इटावा एवं शाहजहांपुर के बीच रेलवे लाईन बिछाने के संदर्भ में

[श्री चन्द्रभूषण सिंह]

बहुत पहले ही एक सर्वे हुआ था, परन्तु कार्य की प्रगति केवल सर्वे तक ही सीमित रही और रेल लाईन बिछाने के सिलसिले में आगे कोई कार्यवाही नहीं हुई।

यदि उक्त 170 किलोमीटर लम्बा मार्ग रेलवे लाईन द्वारा जुड़ जाये तो यह इटावा एवं फरूखाबाद की जनता के लिए अत्यधिक उपयोगी एवं लाभप्रद होगा। यहां पर उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त रेल लाईन बन जाने से झांसी से काठगोदाम के बीच रक्षा सामग्रियों तथा सैनिकों का आवागमन सुगम हो सकेगा, जोकि देश की सुरक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ज्ञातव्य है कि काठगोदाम स्टेशन चाइना बार्डर से अपेक्षाकृत करीब है। इसके अलावा उपर्युक्त रेल मार्ग बन जाने के बाद [illegible] के विकास में भी बहुत उपयोगी होगा तथा [illegible]बाद से होने वाला यातायात ज्यादा सुगम हो सकेगा। यहां पर मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि गुना-शिवपुरी-भिंड-इटावा के बीच रेल लाईन बिछाने का काम लगभग 70 प्रतिशत तक पूरा हो चुका है।

अत: मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि देश हित में तथा जनहित में उक्त रेलवे लाईन बिछाने का काम शीघ्र कराने का निर्देश दें।

(ग्यारह) हिमालय से निकलने वाली नदियों को प्रायद्वीपीय नदियों से जोड़े जाने और "गंगा-कावेरी लिंक गारलैंड कैनाल प्रोजेक्ट" को स्वीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

डा. एस. जगतरक्षकन (अर्कोनम): जल एक मूल्यवान प्राकृतिक संसाधन है और इसका संरक्षण तथा इसे सही ढंग से उपयोग में लाना राष्ट्रीय कर्त्तव्य है। इस संबंध में गंगा-कावेरी लिंक गारलैंड कैनाल को जोड़ने और इस परियोजना को आरम्भ करने की तत्काल आवश्यकता है जिसके बारे में पिछली शताब्दी में विचार किया गया था।

इससे एक प्रकार से अन्तर-राज्य जल-विवाद भी निपट जाएगा चूंकि वर्ष भर पानी बहता रहेगा और इससे अन्तर-राज्य जल आवाजाही का रास्ता भी खुल जाएगा।

अत: मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय जल संसाधन मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे हिमालय से निकलने वाली नदियों को प्रायद्वीपीय नदियों, विशेषकर गंगा-कावेरी लिंक गारलैंड कैनाल को जोड़ने के लिए आवश्यक कार्यवाही करें।

(बारह). महाराष्ट्र में रायगढ़ में जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास स्थित न्हावा क्रीक के मुहाने से 'रॉक पैचेज' हटाये जाने तथा मुहाने को चौड़ा किए जाने की आवश्यकता

श्री रामशेठ ठाकुर (कुलाबा): जिस समय महाराष्ट्र के रायगढ़ स्थित न्हावा क्रीक में जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास के भूमि सुधार कार्य का विकास हो रहा था, तो उससे अन्तत: मुहाने की चौड़ाई कम होकर 150 मीटर हो गई है जो कि 300 से 350 मीटर लम्बी थी। वर्तमान में, 150 मीटर चौड़े मुहाने पर अनेक रॉक पैचेज हैं और उक्त क्रीक के किनारे पर चट्टानी क्षेत्र है। इन खुले रॉक पैचेज के कारण मुहाने की चौड़ाई कम हो गई है जिससे लहरों की गति का दबाव बढ़ जाता है और इससे आस-पास के क्षेत्र के गुहान, न्हावा, न्हावा खादी, बेलपाडा गांवों के मछुआरा निवासियों को मछली पकड़ने के जहाज़ों/नौकाओं को चलाने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जिस समय लहरों की गति कम होती है, उस समय इस क्षेत्र से जल-यानों को निकालने के लिए लहरों के पूरी ऊंचाई तक जाने का इन्तजार करना आवश्यक होता है जिससे समुद्री उत्पादों और मछलियों को नुकसान पहुंचता है।

आजकल प्रतिदिन 20 से 25 मछली पकड़ने के जहाज और 50 से 60 छोटी नौकाएं इस मुहाने द्वारा गुजरती हैं। यदि उक्त छोटी-छोटी चट्टानों को हटा दिया जाए और न्हावा क्रीक की चौड़ाई और गहराई को बढ़ा दिया जाए तो इससे मछुआरों को नौचालन में सहायता मिलेगी और समुद्री उत्पादों को बाजार में सही समय पर बेचा जा सकेगा और व्यापार में हानि होने से बचा जा सकता है। यदि उक्त भाग की गहराई और चौड़ाई को बढ़ाया नहीं जाता तो मछली पकड़ने का कार्य बंद हो जाएगा और सभी मछुआरे बेकार हो जायेंगे। मछुआरों को उपयुक्त कार्य देने के लिए यह आवश्यक हो गया है कि उन्हें जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास के कारण परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के रूप में प्रमाणित किया जाए और जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास में सभी को सेवा का अवसर प्रदान करना चाहिए।

अतः, मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस मामले पर विचार करे और तत्काल अनुकूल कार्यवाही करें।

अपराह्न 3.00 बजे

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, मार्क्सवादी विचारधारा के एम.एल.ए. उमाधर सिंह 18 तारीख से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। आज 8 दिन हो गये हैं और उनकी हालत चिंताजनक है। उनकी मांग है कि दरभंगा में हायाघाट अशोक पेपर मिल को चालू किया जाये। मजदूरों के सवाल पर जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो उद्योग विभाग ने गलत बयान दिया। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट उलझन में पड़ गया।

सभापति महोदय : मंत्री जी को पत्र लिख दीजिएगा, वे इस मामले को देख लेंगे।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : मंत्री जी को संवेदनशील होना चाहिए। वह कोई साधारण एम.एल.ए. नहीं हैं। उनको 50 लाख रुपया प्रलोभन दिया गया, लेकिन उन्होंने रुपया नहीं लिया। मार्क्सवादी विचारधारा के लोग अगर गांधीवाद का सहारा लें तो जितने भी गांधीवादी हैं उन्हें उनका समर्थन करना चाहिए। माननीय मंत्री जी आप इस विषय में क्या करना चाहते हैं?

संचार मंत्री (श्री राम विलास पासवान): आपकी भावनाओं को संबंधित मंत्री महोदय तक पहुंचा दिया जायेगा।

अपराह्न 3.01 बजे

सामान्य बजट, 2000-2001-
अनुदानों की मांगें*

संचार मंत्रालय

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब सभा संचार मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 11 से 13 पर चर्चा और मतदान करेगी।

सभा में उपस्थित माननीय सदस्यों में से जो अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं, वे पर्चियों पर उन कटौती प्रस्तावों का क्रमांक लिखकर 15 मिनट के भीतर उन्हें सभा पटल को भेज सकते हैं। केवल उन्हीं कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत किया गया माना जाएगा।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

> "कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 11 से 13 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्यसूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।"

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 2000-2001 की अनुदानों की मांगें-बजट (सामान्य)

मांग की संख्या	मांग का नाम	16 मार्च, 2000 को सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की राशि		सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांग की राशि	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए	राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
	संचार मंत्रालय				
11.	डाक विभाग	875,74,00,000	14,84,00,000	4378,72,00,000	74,20,00,000
12.	दूरसंचार विभाग	11,75,00,000		58,74,00,000	
13.	दूरसंचार सेवा विभाग	3577,34,00,000	2669,00,00,000	17886,67,00,000	13344,99,00,000

सभापति महोदय : अब सभा उक्त मांगों पर चर्चा करेगी। श्री संतोष मोहन देव चर्चा आरम्भ करेंगे।

श्री संतोष मोहन देव (सिलचर): महोदया, सर्वप्रथम मैं यह कहना चाहता हूं कि मुझे खुशी है कि मुझे संचार मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों पर चर्चा आरंभ करने का अवसर मिला है। मुझे इस मंत्रालय में दो वर्ष सेवा करने का अवसर मिला था। साथ ही, मैं संचार मंत्रालय में वर्तमान में व्याप्त स्थिति से नाखुश भी हूं।

यदि आप रिकार्ड देखें तो आप पाएंगे कि बारहवीं और तेरहवीं लोक सभा के दौरान संचार मंत्रालय का प्रभार पहले माननीय प्रधान मंत्री फिर सरदार बूटा सिंह के पास था। फिर इस मंत्रालय की प्रभारी श्रीमती सुषमा स्वराज थी। उसके बाद इस मंत्रालय के प्रभारी श्री जगमोहन थे और श्री पुरकायस्थ इस मंत्रालय तेरहवीं लोक सभा में संचार मंत्रालय के प्रभारी श्री राम विलास पासवान हैं और श्री तपन सिकदर राज्य मंत्री है। मैं नहीं जानता कि मंत्रिपरिषद में अगले फेर-बदल में श्री राम विलास पासवान को कृषि मंत्री बनाया जाएगा या किसी अन्य मंत्रालय का मंत्री बनाया जाएगा। किंतु मैं चाहता हूं कि वे संचार मंत्री बने रहें।

1994 में बनाई गई दूरसंचार नीति जारी थी। किंतु 1997 में इसे लागू करने से पूर्व, यह कहते हुए इसे संशोधित किया गया कि सरकार की दूरसंचार नीति वर्ष 2000 तक लागू रहेगी। फिर इसे वर्ष 2002 तक आगे बढ़ा दिया गया। किसी न किसी कारणवश इसे समुचित रूप से कार्यान्वित न किया जा सका। 1994 में रातोंरात एक नई दूरसंचार नीति लागू की गई और उस नीति में कहा गया कि नई दूरसंचार नीति में गांवों में दूरसंचार सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2005 तक दूरसंचार घनत्व को 7 प्रतिशत तक और वर्ष 2010 तक 15 प्रतिशत दूरसंचार घनत्व प्राप्त करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों सहित सभी उन क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध करायी जाएंगी जहां अभी तक दूरसंचार सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। मैं श्री राम विलास पासवान को दोष नहीं देता हूं वे मेरे अच्छे मित्र हैं। वे इस मंत्रालय में अभी-अभी आए हैं। जो मैं बोलने जा रहा हूं वह श्री राम विलास पासवान के विरुद्ध नहीं है क्योंकि उन्हें इस मंत्रालय में कुछ विरासत में मिला है।

जब देश की सेनाएं कारगिल युद्ध लड़ रही थी तो देश में कार्यवाहक सरकार थी और उस दौरान यकायक यह सुनने में आया कि निजी क्षेत्र को लाइसेंस देने की दूरसंचार नीति को बदला गया है और सरकार ने लाइसेंस राज के स्थान पर राजस्व हिस्सेदारी अनुपात लागू करने का निर्णय किया। कारगिल युद्ध के दौरान जब यह किया गया तो नौकरशाहों की सहायता से मंत्रियों का एक दल यह कर रहा था और वह एक कार्यवाहक सरकार थी। ऐसा निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए था। चुनाव होने वाले थे और चुनावों के बाद यह निर्णय लिया जा सकता था। वही नहीं उस समय देश के प्रधानमंत्री देश की जनता का कारगिल निधि में उदारता से दान देने के लिए कह रहे थे और लोगों ने उदारतापूर्वक दान दिया।

उसके बाद इस सरकार ने विभिन्न आवश्यक वस्तुओं पर से 900 करोड़ रुपये मूल्य के बराबर राजसहायता वापस ले ली। वे आवश्यक वस्तुएं क्या हैं? ये वस्तुएं उर्वरक, चीनी, मिट्टी का तेल आदि हैं। मेरा कहना है कि लाइसेंस राज बदलकर राजस्व राज लाया गया है और श्री सोमनाथ चटर्जी की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट, जिसे सभा में प्रस्तुत किया जा चुका है, के अनुसार सरकार ने 2000 करोड़ रुपए का घाटा उठाया है। निजी क्षेत्र वालों को खुली छूट दी गई किसी को दंडित नहीं किया गया। हालांकि शुरू में छह लोगों को दंडित किया गया था किंतु उन्हें फिर से लाया गया। नई नीति के अन्तर्गत नई निविदाएं आमंत्रित नहीं की गई। जिन लोगों से अपेक्षा थी कि वे ऐसी समझौते की शर्तों को पूरी करेंगे उन्हें कुछ लाइसेंस शुल्क देना था किंतु वे ऐसा नहीं कर सके और फिर उद्योगपतियों या व्यापारियों के उसी ग्रुप को राजस्व हिस्सेदारी अनुपात में अवसर दिया गया।

वे राजस्व हिस्सेदारी अनुपात में कैसे आए? राजस्व हिस्सेदारी अनुपात का निर्धारण दूरसंचार विभाग ने नहीं किया था। ऐसा करने के लिए एक सरकारी संगठन और एक गैर-सरकारी संगठन को कहा गया था। दूरसंचार विभाग के सचिव श्री अनिल कुमार द्वारा दिए गए साक्ष्य के अनुसार, ''हां हमें राजस्व में 20 प्रतिशत हिस्सा लेना चाहिए था किंतु हम 15 प्रतिशत पर सहमत हुए।''

अपराह्न् 3.08 बजे

(डा. रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन* हुए)

अब यह घटकर 15 प्रतिशत रह गया है। इस बारे में कोई नहीं जानता कि यह क्यों और कैसे किया गया? यह एक रहस्य है। सचिव भी दूरसंचार संबंधी स्थायी समिति को विश्वास नहीं दिला पाए। अब एक निजी संगठन कहता है कि यह नई राजस्व हिस्सेदारी प्रणाली बीस साल तक जारी रहेगी। पहले लाइसेंस प्रणाली दस साल के लिए थी और राजखजाने को कुल घाटा 154,000 करोड़ रुपए का था। दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दाखिल की गई। याचिककर्ताओं के अनुसार यह इस सहस्राब्दि या आप यूं कह सकते हैं कि इस पूर्व सहस्राब्दि का सबसे बड़ा घोटाला है।

जैसा मैंने कहा है कि मैं इसकी जिम्मेदारी श्री पासवान पर नहीं थोपना चाहता हूं। मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानता हूं किंतु मूल बात यह है कि ऐसे संवेदनशील मंत्रालय के मंत्री का बार-बार बदला जाना देश हित में नहीं था। जो सारे देश की सेवा कर रहा है तथा जिसका विचार सार्वजनिक दूरभाष प्रणाली के माध्यम से गांवों तक पहुंचना था।

निजी क्षेत्र के प्रत्येक संगठन को प्राधिकृत किया गया और वह अपनी भूमिका निभाने के लिए बाध्यकारी था, शहरी क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए एक सामाजिक दायित्व के रूप में उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों के कुछ भागों में दूरसंचार सुविधाएं उपलब्ध करानी हैं। दो कंपनियों के सिवाए किसी भी कंपनी ने आज तक यह दायित्व पूरा नहीं किया। हो सकता है मैं गलत हूं ये आंकड़े सही न हों। इनमें सुधार किया जा सकता है। मैं इस बारे में निश्चित नहीं हूं किन्तु निजी क्षेत्र द्वारा जो किया जाना था और जो नहीं किया गया उसके बारे मैं निश्चित हूं। इसीलिए कोलकत्ता के एक समाचार पत्र ने लिखा है कि यह विभाग निजी प्राधिकारियों द्वारा संचालित, निजी प्राधिकारियों के लिए और निजी प्राधिकारियों का है। यह कुछ धनी लोगों का मंत्रालय बन गया है। यह समूचे व्यापारी समुदाय का मंत्रालय भी नहीं बना है। उन्होंने मंत्रालय में एक गुट बना दिया है। हो सकता है श्री पासवान इसे तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मैं नहीं जानता कि वे इसमें सफल हो पाएंगे या नहीं। किंतु यह सच है। यदि सॉफ्टवेयर, सी-डॉट, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और अन्य क्षेत्रों की उपलब्धियों को दूरसंचार सेवा के उपयोग में लाया जाना है तो सरकार को समय रहते हुए सुधारात्मक कदम उठाने होंगे।

निजी क्षेत्र के साथ गलत ढंग से किए गए इस समझौते से देश के खजाने को नुकसान हो रहा है अत: इसे समाप्त किया जाना चाहिए। नई निविदा आमंत्रित की जानी चाहिए और नए लोगों को चुना जाना चाहिए। यदि जिन लोगों ने पहले निविदा दी थी और जो लाइसेंसिंग प्रणाली के अन्तर्गत अपने दायित्वों को पूरा न करने और प्रीमियम अदा न करने के दोषी हैं, प्रतिस्पर्धा में आते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। किंतु जो घोटाला हुआ है हम उसका कड़ा विरोध करते हैं। हमारी विपक्ष की नेता ने आज अपने भाषण में दूरसंचार घोटाले का उल्लेख किया है। मैं समझता हूं कि सरकार इस संबंध में कुछ कदम उठाएगी।

इसके अलावा, एक अन्य योजना भी है, जिसका नाम है - सांख्यवाहिनी अथवा सांख्यबाहिनी, इसे जो कुछ भी आप कहते हैं। विश्व्यापी निविदाएं आमंत्रित किए बगैर तथा दूरसंचार विभाग को अंधकार में रखकर अचानक ही बातचीत के द्वारा सांख्यवाहिनी के लिए समस्त नेट आपरेटरों को कुछ लाइनें देने हेतु एक करार पर हस्ताक्षर कर दिए गए। हैदराबाद से संबंधित कुछ अनिवासी भारतीय अमरीका की कंपनियों में कतिपय निहित स्वार्थ रखते हैं। मैं एक-एक व्यक्ति के नाम का उल्लेख नहीं करना चाहूंगा जो यहां इस सभा में उपस्थित नहीं हैं। यह कहा जा रहा है कि कोई व्यक्ति ऐसा है, जो रिमोट कंट्रोल के जरिए सरकार पर नियंत्रण रखे है तथा उसकी इस योजना विशेष में रूचि है और दरअसल उसी ने कुछ-न-कुछ दबाव डालकर यह योजना स्वीकार करने के लिए सरकार को बाध्य किया है। आप इसके बारे में चिंतित क्यों हैं? यह योजना लगभग 1,300 करोड़ रु. की है। दूरसंचार विभाग को 585 करोड़ रु. का भुगतान करना होगा। आई.यू.एन.ई.टी., अमरीका 49 प्रतिशत अर्थात् 637 करोड़ रु. का भुगतान करेगा। उनकी हिस्सेदारी सबसे अधिक है। उनके पास ही इसका नियंत्रण रहेगा। शैक्षणिक संस्थान चार प्रतिशत का भुगतान करेंगे तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय दो प्रतिशत का भुगतान करेगा। अंतत:, दूरसंचार सेवा विभाग की हिस्सेदारी का मूल्यांकन आई.यू.एन.ई.टी. द्वारा किया जाएगा तथा दूरसंचार सेवा विभाग का कोई अधिकार नहीं होगा। दूरसंचार विभाग के पास भी कोई अधिकार नहीं होगा। इस्तेमाल किए जाने वाले उपस्कर के प्रकार के बारे में भी अमरीकी भागीदार ही निर्णय लेंगे। ऐसा हम नहीं करेंगे। यदि 500 रु. का कोई उत्पाद 2,000 रु. में खरीदकर लाया जाता है, तो हमारी सरकार को न चाहते हुए भी इसे स्वीकार करना होगा। यह संकल्प है तथा यह निर्णय लिया गया है। अत:, यह एक और घोटाला है। मुझे विश्वास है कि श्री राम विलास पासवान इससे प्रसन्न नहीं हैं। उन्होंने रेलवे में अनेक अच्छे कार्य किए हैं। मैं उनसे विनम्र निवेदन करूंगा कि वे अत्यंत गंभीरता से इसकी जांच करें तथा इसकी गहराई तक जाएं। जो कुछ भी वह देखते हैं, यदि वे उससे संतुष्ट हैं, तो उन्हें अपने दल की ओर से कहना चाहिए कि हां, वे संतुष्ट हैं। परंतु हमारी जानकारी यह है कि यह समुचित रूप से कार्य नहीं कर रही है। पिछली सरकार द्वारा ट्राई का गठन किया गया। पहले-पहल उनमें एक झिझक थी। जब श्री पासवान मंत्री बने, यदि मुझे ठीक-ठीक याद है, उन्होंने ट्राई का दौरा किया और कहा कि वे समस्या का हल निकालने का प्रयत्न करेंगे। इसके बाद क्या हुआ? एक नई समिति गठित कर दी गई है। पुरानी समिति समाप्त हो गई है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मैं आज की स्थिति नहीं जानता, मैं पांच दिन पहले की स्थिति जानता हूं। ट्राई का कार्यकाल पूरा नहीं किया गया। सदस्यगण भी इस स्थिति में नहीं थे। ट्राई ने भी अपने विवेक से यह निर्णय लिया कि तीन चरणों में एस.टी.डी. तथा आई.एस.डी. की दरों में कमी की जाएगी। वे इस बात पर खामोश रहे कि स्थानीय कॉलों का शुल्क क्या होगा। दो सचिव कल मुझे मिले जिन्होंने इस विभाग में कार्य किया है। वे नहीं चाहते कि उनके नाम का उल्लेख किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि इस संकल्पना के साथ

[श्री संतोष मोहन देव]

शुल्क में धीरे-धीरे कमी की जाएगी, तो 2003 तक दूरसंचार विभाग घाटे में आ जाएगा क्योंकि चालू वर्ष में दूरसंचार विभाग का अधिशेष अनुमानित 11,000 करोड़ रु. की तुलना में 9,000 करोड़ रु. है। राष्ट्रीय दूरसंचार नीति के अनुसार, 1999 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उनके अधिशेष में प्रतिवर्ष 38,280 करोड़ रु. की उनकी आवश्यकता की तुलना में कमी आई है। अब आप बजट पर निर्भर नहीं हैं, आप अपनी राजस्व आय पर निर्भर हैं। तर्क के तौर पर आप कह सकते हैं कि नई दूरसंचार नीति, 1994 हमारी सरकार द्वारा तैयार की गई थी, आपके द्वारा नहीं। हम इससे सहमत हैं। हम यह भी मानते हैं कि उस समय एक मंत्री ने कुछ गलती भी की थी। श्री राम विलास पासवान तथा अन्य सदस्यों द्वारा 21 दिन तक सभा को चलने नहीं दिया गया था। आज वे [illegible] हैं। उन्हें आपने स्वीकार किया है। हिमाचल सरकार [illegible] बोलबाला है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। [illegible] सब कुछ होता है। परंतु हकीकत यही रही कि लाइसेंस राज से यह राजस्व राज तक गया तथा राजस्व राज से यह लाइसेंस राज तक गया। ऐसा क्यों किया जा रहा है? आप पारदर्शी क्यों नहीं हैं? आपने इस मामले में संसद की प्रतीक्षा क्यों नहीं की? इस ट्राई के गठन के लिए जनवरी में अध्यादेश जारी करने की क्या आवश्यकता थी जबकि फरवरी में सत्र प्रारंभ होना था? ये ऐसे प्रश्न हैं, जिनके संबंध में मैं माननीय मंत्री से उत्तर प्राप्त करना चाहूंगा।

ग्रामीण टेलीफोन प्रणाली में सुधार हुआ है - मैं यह नहीं कहूंगा कि इसकी स्थिति और भी बदतर हुई है - परंतु इसमें आगे और सुधार की आवश्यकता है। मैंने अभी-अभी समाचार-पत्र की एक कतरन देखी है। श्री राम विलास पासवान ने कोलकता में कहीं कहा है कि सन् 2002 तक प्रत्येक आवेदक को टेलीफोन मिल जाएगा। मैं भी एक मंत्री था। मैं आता था तथा यहां खड़ा होता था। कुछ अधिकारी मुझे जानकारी दिया करते थे तथा मैं कहा करता था कि वर्ष 1995-96 तक देश के कोने-कोने में टेलीफोन सेवा उपलब्ध करा दी जाएगी। परंतु ऐसा नहीं हुआ। महत्वाकांक्षी विचार रखना अच्छी बात है। उन्हें ऐसा करने की कोशिश करनी चाहिए। आज वे ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग करने की स्थिति में हैं जो हमारे कार्यकाल के दौरान भी शुरू किया गया था। जब पहली बार मध्य प्रदेश को ऑप्टिकल फाइबर दिया गया था, तो मुझे इस सभा के भारी रोष का सामना करना पड़ा था।

बाद में इसे उत्तर प्रदेश को दिया गया जहां इसकी आवश्यकता थी।

माननीय मंत्री श्री तपन सिकदर यहां हैं। आप पूर्वी भारत से ताल्लुक रखते हैं। पहले भी इस क्षेत्र से एक मंत्री थे। उन्होंने मुझे हराया था तथा मैं संसद सदस्य नहीं था। अब मैंने उन्हें हराया है तथा वे इस समय संसद सदस्य नहीं हैं। मैंने यहां एक पत्र अधिप्रमाणित किया है, जिस पर मैंने विधिवत् रूप से हस्ताक्षर किए हैं। उस पत्र में, उनके कार्यकाल के दौरान मेरे निर्वाचन-क्षेत्र में किए गए कुछ कार्य के बारे में कुछ आरोप लगाये गये हैं। मैंने आपको अनेक बार कहा है कि आप आएं, दौरा करें तथा स्वयं देखें। मैंने श्री राम विलास पासवान से भी इसे देखने के लिए कहा है। उनका धन्यवाद, हालांकि आपने इंकार कर दिया था, कि कर्मचारियों में उन्होंने कुछ परिवर्तन किया है तथा अब स्थिति में सुधार आया है। मैं व्यक्तिगत रूप से किसी के खिलाफ नहीं हूं। जहां भी आप केबल बिछाएं, उसे जमीन के नीचे निश्चित गहराई तक बिछाया जाना चाहिए। यदि आप निश्चित गहराई तक नहीं जाते हैं, तब इससे समस्या पैदा हो जाती है। आपका कलकत्ता इस समस्या का सबसे अधिक शिकार है। वहां पानी का रिसाव होता है। केबल भी उपयुक्त होनी चाहिएं। केबलें उपयुक्त स्थानों से ही आनी चाहिएं। ऐसा नहीं हो रहा है। पंजीकृत ठेकेदारों को ठेके नहीं दिए जाते हैं। कुछ व्यक्ति रातोंरात ठेकेदार बन गए हैं। उस आदमी ने कलकत्ता, दिल्ली तथा अन्य स्थानों पर संपत्ति खरीदी है। मैं इसे आपको दूंगा। मैंने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। मैं इसकी जांच करवाना चाहता हूं। मैं जांच क्यों करवाना चाहता हूं? यह इसलिए कि हम सीमावर्ती क्षेत्र में रहते हैं। हमारे कार्यकाल के दौरान बनाई गई सभी योजनाएं तथा कार्यक्रम अब कार्यान्वित हुए हैं। मैं पर्यटन विभाग, गृह मंत्रालय तथा रक्षा मंत्रालय में मंत्री था। मैंने जो भी विभाग छोड़ा, मैंने वहां अधिकारियों से बात की। वे बहुत मिलनसार थे। मैं नहीं जानता कि इस मंत्रालय में आपके अधिकारियों को क्या हुआ है। जब मैंने मंत्रालय छोड़ा, तो मैंने उनसे बात करना बंद कर दिया। मैंने उनमें से कुछ से तब बात की जब मैं उनसे एयरपोर्ट अथवा कहीं और मिला। मैंने उनसे कुछ कहा और वे एक-दूसरे पर हंसे। एक अधिकारी ने दूसरे अधिकारी के बारे में कुछ कहा। हम संसद सदस्य कभी-कभी उस तरफ के सदस्य बनते हैं तो कभी मंत्री भी बनते हैं। अधिकारियों को यह पता होना चाहिए कि उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए।

स्थायी समिति की रिपोर्ट चौंका देने वाली है। मैं इसे पूरा पढ़ना नहीं चाहता क्योंकि मैं जानता हूं कि आपको ऐसी चीजों का अध्ययन करने की आदत है तथा आप इसे पढ़ने के बाद ही सभा में आए होंगे। उन्होंने जो कुछ कहा, वह आपने अवश्य देखा होगा। यहां तक कि श्री सोमनाथ चटर्जी मुझे कह रहे थे कि ऐसा रामविलास पासवान की वजह से नहीं हुआ है। जो कुछ हुआ है, वह पूर्व में ही घटित हुआ है।

अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि विस्तार में जाए बिना कृपया अपनी राजस्व-साझेदारी नीति पर पुनर्विचार करें। वही नीति बनी

रह सकती है, परंतु आपको यह देखना होगा कि निर्धारित की गई राशि अथवा निर्धारित किया गया अनुपात सही है अथवा नहीं। इसे देखने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि कुछ अधिक प्राइवेट पार्टियों को लाने तथा उन्हें कुछ हिस्सेदारी प्रदान करने के प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

मैं यह कहूंगा कि आपके महानगर टेलीफोन निगम लि. ने, आपके विभाग की अन्य सभी बातों के बावजूद एक अच्छा कार्य किया है। हमें इसे प्रोत्साहित करना चाहिए। प्राइवेट तथा सरकारी अर्थात् दूरसंचार विभाग अथवा दूरसंचार सेवा के बीच पर्याप्त दूरी होनी चाहिए। इसे रातोंरात प्राइवेट पार्टियों को नहीं सौंप दिया जाना चाहिए। यही वजह है कि लोग यह कहते हैं "यह सरकार प्राइवेट पार्टियों की है, प्राइवेट पार्टियों के लिए है तथा प्राइवेट पार्टियों द्वारा बनाई गई है।" हमारे विभाग से वह निष्क्रियता हटाई जानी चाहिए।

अब, मैं डाक विभाग पर आता हूं। यह उन श्रेष्ठ सेवाओं में से एक है जो लोग हमसे प्राप्त करते हैं। ग्रामीण कार्यकलापों में, डाकघर, डाक सुविधाएं, ई.डी. सेवाएं, राष्ट्रीय बचत पत्र आदि ऐसी सेवाएं हैं जिसका उपयोग प्रत्येक ग्रामीण करता है। एक मंत्री अथवा संसद सदस्य के रूप में यदि आप एक गांव को एक डाकघर दे सकते हैं, तो वे बहुत खुश होंगे।

अब, आपकी रिपोर्ट से मैं यह समझा हूं कि आपके विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक डाकघर खोलने तथा गांवों में अधिक ई.डी. पद मुहैया कराने की एक योजना तैयार की थी, परंतु वित्त मंत्रालय ने इसके लिए धन नहीं दिया।

दलगत विचारों से ऊपर उठकर सभी संसद सदस्यों की ओर से मैं वित्त मंत्रालय से डाक-मंत्रालय को आवश्यक धनराशियों को उपलब्ध कराने का अनुरोध करता हूं जिससे कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में इन सेवाओं को आरम्भ कर सकें।

आजकल, कुछ क्षेत्रों में मनी आर्डर का तरीका डाक अधिकारियों के लिए भ्रष्टाचार का जरिया बन गया है। जब मैं मंत्री था, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री पी.वी. नरसिम्हा राव बिहार गये थे। तब एक शिकायत की गई थी। मैं उस विशेष डाकघर को गया था और वहां देखा कि पोस्ट मास्टर गांव वालों को उनके पैसे किश्तों में दे रहा था। हर दिन उसे 500 रुपये या 600 रुपए मिल रहे थे और एक साहूकार के समान वो गांव वालों से कह रहा था "तुम्हारे घर से कोई आदमी रुपये ले जाएगा, हमारे पास रहने दो, जब तुम्हे जरूरत हो ले लेना।" उसे वास्तव में सभी को भुगतान करना था। उसके पास एक बड़ी धनराशि थी। इस बात की किसी भी प्रकार की जांच नहीं हो रही थी। कुछ लोगों ने शिकायत की और इसीलिए मैं वहां गया था। ऐसा देश के अन्य क्षेत्रों में भी हो सकता है। देश में यह खतरा खड़ा हो गया है।

हमारे समय में ही कूरियर सेवाएं शुरू हो गयी थी और इससे मुकाबला करने के लिए विभाग ने स्पीड पोस्ट सेवा आरम्भ की थी। इस सेवा की शुरूआत अच्छी रही थी। उसमें एक खण्ड था कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक आपको पार्सल इतने समय में पहुंचाना है और यदि आप नहीं पहुंचाते हैं तो आपको धनराशि वापस करनी पड़ेगी। परन्तु आजकल क्या हो रहा है? कूरियर सेवाएं बढ़ती ही जा रही हैं। किसी भी बड़े शहर के हर कोने में एक कूरियर सेवा उपलब्ध है। परन्तु सरकार द्वारा चलायी जा रही स्पीड पोस्ट सेवा में सुधार क्यों नहीं हो रहा है। मैं नहीं जानता। हमें इस पर ध्यान देना होगा। हम अच्छी सेवा क्यों नहीं दे सकते हैं? यदि एक निजी कूरियर सेवा अच्छी सेवाएं प्रदान कर स्कती हैं तो हम क्यों नहीं? मुझे बताया गया है कि यदि आप किसी विमानपत्तन, कुछ संवेदनशील विमानपत्तनों पर, पार्सल देते हैं तो जब तक कि इसे 48 घण्टों तक रखा नहीं जाता है तब इसे गंतव्य स्थान तक भेजा नहीं जा सकता है जबकि निजी कूरियर क्या करते हैं? वे इसे एक यात्री के साथ सूटकेस में भेजते हैं और कहते हैं कि आप इसे कोलकता ले जाइए और इसे वहां से पोस्ट कीजिए। हमारा डाक विभाग सरकारी विभाग होने के कारण ऐसा नहीं कर सकता है परन्तु हमें पार्सलों की जांच और अन्य बातों के संबंध में उपचारात्मक कदम उठाने चाहिए।

अब मैं आवास की बात पर आता हूं। जब मैं मंत्री था तब मैंने कई क्षेत्रों का भ्रमण किया था। मैं कोलकता जी.पी.ओ. गया था। वहां पर एक शिकायत थी कि छंटाई में बहुत समय लगता है। मजदूर संघ नेता मुझे डाकघर में लेकर गए और जानबूझकर एक पैकेट को ठोकर मारी। वह एक स्थान से 10 फीट दूर दूसरे स्थान पर पहुंच गया। मैंने उससे उसे यहां लाने के लिए कहा परन्तु उसने कहा, "नहीं।" यह अन्तर्राष्ट्रीय वायु सेवा केन्द्र छंटाई है और मेरी यह ठोकर उसे जर्मनी से आस्ट्रेलिया लेकर गयी है। यह वह जगह है जहां मैं विदेशी हवाई डाक और विदेशी सेवा के लिए छंटाई करता हूं और यहां जगह की कमी है। अब, मजदूर संघ नेता कह रहे हैं कि इसकी शुरूआत सही हुई थी परन्तु यह अचानक रूक गयी है। पता नहीं 'क्यों'। कार्मिकों को स्वच्छ वातावरण और सुविधाजनक तरीके से काम करने के लिए उन्हें सुविधाएं दी जानी चाहिए।

हमें एक अन्य ज्ञापन पोस्टल आर.एम.एस. सर्विस के लोगों द्वारा दिया गया है जिसमें कहा गया है कि सेवानिवृत्ति के पश्चात् सभी केन्द्र सरकार के कर्मचारियों एवं दूरसंचार में उनके सहयोगियों

[श्री संतोष मोहन देव]

को भी चिकित्सा लाभ मिलता है। परन्तु आर.एम.एस. और डाक-विभाग के कार्मिकों को सेवानिवृत्ति के पश्चात् चिकित्सा लाभ नहीं मिलता है। यदि यह बात सही है तो ऐसी स्थिति उचित नहीं है। यदि सहयोगी संगठन के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के पश्चात् चिकित्सा लाभ मिलता है तो अन्य विभागों के कर्मचारियों को क्यों नहीं मिलना चाहिए?

ऐसी कई अन्य बातें है जिन्हें मैं पूछना नहीं चाहता हूं। मैं श्री राम विलास पासवान से यही निवेदन करूंगा कि मेरे समय में पूर्वोत्तर क्षेत्र एक ही सर्किल था।

डाक और दूरसंचार सर्किलों का अलग-अलग
न समय यह महसूस किया गया था कि अन्य पूर्वोत्तर राज्यों को भी अलग-अलग सर्किल मिलने चाहिए क्योंकि जनसंख्या भी बढ़ गई है और पतों की संख्या और अन्य बातों में भी बढ़ोत्तरी हो गई है। इन डाक सेवाओं का उपयोग अधिकाधिक लोग कर रहे हैं। मेरे मित्र श्री सांगतम अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में कहेंगे। मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि पूर्वोत्तर राज्य आपके दूरसंचार और डाक सेवाओं पर अत्यधिक निर्भर हैं। आजकल यह हो रहा है कि यदि एक व्यक्ति की आज मृत्यु होती है, उसकी श्राद्ध 11 दिन बाद किया जाता है परन्तु हमें सिलचर से 15 दिन बाद पत्र प्राप्त होता है। जब ऐसा मेरे कार्यकाल में हुआ था तब मैंने अधिकारी को यह दिखाया था और कहा, "देखिये आपकी सेवा ऐसी है।" यह अभी भी जारी है। इसीलिए सेवा में सुधार लाया जाना चाहिए। ऐसा सुविधाओं या वायु सेवा के अभाव में हो सकता है। जब किसी चीज को वायु-सेवा द्वारा भेजा जाना होता है तो लोग लागत की गणना करते हैं और कहते हैं "हमें इतना घाटा हो रहा है।"

मंत्री महोदय, आपने पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेल परिवहन और अन्य सुविधाओं में सुधार किया है क्योंकि आप उस क्षेत्र से विशेष लगाव रखते हैं। यदि आप इस बात का पता लगाने के लिए अध्ययन कराएं कि पूर्वोत्तर क्षेत्र से देश के अन्य क्षेत्रों को विमान सेवा द्वारा पत्र भेजने से आपको कितना घाटा होता है तो आपको पता चलेगा कि यह ज्यादा नहीं है। जब तक मैं मंत्री था तब तक यह जारी रहा। परन्तु अब इसे रोक दिया गया है। मैं नहीं जानता कि यह फिर कब शुरू होगा। मुख्य बात यह है कि पत्र विमान द्वारा भेजे जाने चाहिए सड़क मार्ग द्वारा नहीं भेजे जाने चाहिए।

मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। क्योंकि आप वहां पर हैं, मुझे विश्वास है कि स्थिति में बदलाव आएगा अर्थात् न केवल सेवा के संबंध में अपितु विभाग की ईमानदारी और निष्ठा में भी सुधार होगा।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। *आपकी अनुमति से महोदय मैं "दृष्टिबोंगी" पत्रिका की सत्यापित प्रति को सभा पटल पर रखना चाहता हूं।

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि डाक विभाग शीर्ष के अन्तर्गत मांग (पृष्ठ 11) में 100 रुपये कम किये जायें।"

केरल के मालापुरम जिले की विशिष्टताओं और बढ़ती हुई आवश्यकता को देखते हुए वहां डाक सुविधाओं में पर्याप्त वृद्धि करने की आवश्यकता। (6)

"कि दूरसंचार विभाग शीर्ष के अन्तर्गत मांग (पृष्ठ 35-36) में 100 रुपये कम किये जायें।"

कि केरल के पोन्नानी संसदीय क्षेत्र में टेलीफोन एक्सचेंजों के विस्तार कार्यक्रम को जिसे पूरा करने में विलम्ब हुआ है, शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता। (7)

केरल के पोन्नानी संसदीय क्षेत्र में टेलीफोन एक्सचेंजों के विस्तार कार्यक्रमों में केबल और उपकरणों की कमी को दूर करने में तेजी लाने की आवश्यकता। (8)

मालापुरम जिले के लिए अलग से सैकेन्डरी स्विचिंग एरिया (दूरसंचार) की स्थापना करने की आवश्यकता जिसका मुख्यालय केरल के त्रिरूर में हो। (9)

"कि दूरसंचार सेवा विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 13) में 100 रुपये कम किये जायें।"

केरल के मालापुरम जिले की विशिष्टताओं और बढ़ती हुई आवश्यकता को देखते हुए वहां टेलीग्राफ सुविधाओं में पर्याप्त वृद्धि करने की आवश्यकता। (10)

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर): सभापति महोदय, इस समय हम दूर संचार को लेकर चर्चा कर रहे हैं। दूर संचार में डाक विभाग, दूर संचार तथा दूर संचार सेवाएं ये तीनों आती हैं।

---

*श्री संतोष मोहन देव, संसद सदस्य ने पत्रिका की प्रति को सभा पटल पर रखना चाहा था परन्तु इसे सभा पटल पर रखा गया नहीं माना गया।

पिछले समय में दूर संचार क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है। उस प्रगति को देखकर कहा जा सकता है कि सार्वजनिक सेवाओं में हम किसी भी तरह से पीछे नहीं हैं किंतु उनमें सुधार की आवश्यकता है। इसमें सुधार निरन्तर किये जा रहे हैं। आधुनिकतम प्रौद्योगिकी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं लेकिन जहां हम गणना या संख्या बल पर आगे बढ़ रहे हैं वहीं गुणवत्ता में कमी है, उसकी तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए। विभाजन के समय जहां इस देश के अंदर लगभग 65-70 हजार टेलीफोन थे, वहां आज उनकी संख्या बढ़कर ढ़ाई करोड़ हो गई है। इतना बड़ा तंत्र, जाल बिछा है, जिसको ठीक रखने में काफी साधनों की आवश्यकता है। जो साधन उस प्रकार के उपलब्ध नहीं हैं, जहां-जहां इस प्रकार की कमियां हैं, उनको ठीक किया जाये।

जहां हम नीति-निर्धारण करते हैं, उसमें समयबद्धता का होना आवश्यक है। समय के अंदर कार्य हो जाना चाहिए, जैसे अभी संतोष मोहन देव जी कह रहे थे कि नीति बनी और उसके अनुपालन के अंदर तय किया गया कि हमारे जो लक्ष्य हैं कि हम 1997 में पूरा कर देंगे, उसे बढ़ाकर 2000 कर दिया गया और फिर 2002 कर दिया गया। इस समयबद्धता के अभाव में लोगों के मन में तरह-तरह की शंकाएं होती हैं। कार्यक्रम के साथ समयबद्धता होनी चाहिए। यदि इसमें किसी तरह का परिवर्तन किया गया है तो निश्चित रूप से ठोस कारण बताने की आवश्यकता होती है। जो दूर संचार की सेवाएं विस्तृत हुई हैं, ग्रामीण क्षेत्र का कार्य अधिक महत्वपूर्ण है। ग्रामीण क्षेत्रों में जिस प्रौद्योगिकी को लिया गया, वह असफल रही है। मैं बताना चाहूंगा कि अभी-अभी दूर संचार स्थायी समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत हुआ है, उसके पृष्ठ 27 पर लिखा है:-

> "ग्राम सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान करने के लिए नई प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाएगा और एम.ए.आर.आर. प्रौद्योगिकी पर आधारित उपकरणों की खरीद अगस्त, 1997 से बंद कर दी गई है। इस वर्ष भी विभाग ने वही तर्क दोहराया है, यह कहते हुए ग्राम सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान करने में उनकी अनुकूलता का अनुमान लगाने के पश्चात् तीन प्रौद्योगिकियों, नामतः वायरलैस, लोकल लूप डब्ल्यू.एस.एल. सी-डाट टी.डी.एम.ए./पी.एम.पी. और उपग्रह प्रणालियों की स्थापना की जाएगी।"

इतने महत्वपूर्ण क्षेत्र के प्रति विभाग की जो निश्चितता नहीं है, उस निश्चितता के बारे में समिति ने अपना मत जाहिर करते हुए कहा है कि इस क्षेत्र के अंदर निश्चितता आनी चाहिए।

सभापति जी, आप स्वयं भी जानते हैं कि जिस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में इन संचार उपकरणों की स्थिति है। सब जगह नये-नये टावर्स खड़े कर दिए गए हैं लेकिन वे दो-दो, तीन-तीन वर्ष से बंद पड़े हैं, उनके सुधार की कोई गुंजाइश ही नहीं है। मैंने इस बात को कई बार संसद में प्रश्न के माध्यम से भी तथा अन्य कई तरीकों से भी उठाया है कि आखिर तार जाल को बिछा दिया गया है लेकिन अगर उसकी ठीक से सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं तो जो आप कह रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में हम सेवाएं उपलब्ध करवाएंगे, वह किस प्रकार से संभव है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो हमारा टेलीफोन का जो घनत्व है, हम प्रति सौ व्यक्ति पर जिस प्रकार से टेलीफोन की सुविधा देना चाहते हैं, उसमें अभी हम बहुत पीछे हैं। हम अगर दूसरे देशों की तुलना करें—चाहे हम जापान से, इंग्लैंड या अन्य देशों से तुलना करें तो हमारा जो सौ व्यक्तियों के प्रति घनत्व आता है, वह बहुत थोड़ा है, लगभग दो-ढाई प्रतिशत है। हम चाहते हैं कि यह सात तक आ जाए और यहां विभाग ने कहा है कि हम इसे 15 प्रतिशत तक करना चाहते हैं लेकिन वह भी 2010 तक इसे लाने का प्रयत्न करेंगे, 2005 तक तो वे इसे सात तक लाना चाहते हैं। मेरा निवेदन है कि इस क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है, उस तेजी को और बढ़ाया जाए और साथ-साथ क्षमता में भी वृद्धि की जाए और क्षमता में वृद्धि न होने का कारण उपकरणों का अभाव है। क्या हम 2000 के अंत तक देश के सभी जिलों को इन्टरनेट से जोड़ देंगे।

मैं एक छोटा-सा उदाहरण देना चाहता हूं। मंत्री जी इस समय यहां नहीं हैं, मैंने अभी-अभी उन्हें बताया कि माइक्रो टावर्स बन कर खड़े हैं लेकिन कोई उपकरण नहीं है। उस उपकरण के अभाव में डेढ़-दो वर्ष हो गए, टावर्स खड़े हैं। उन पर करोड़ों रुपए की लागत लग गई, उनसे जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, वे नहीं मिल रही हैं। इसमें कहां देरी हो रही है। दूसरा मेरा यह कहना है कि हमारे यहां टेलीकॉम की सात फैक्ट्री हैं और वे सक्षमता से काम कर रही हैं। उन्हें जो-जो उपकरण उपलब्ध कराने चाहिए, वे उपकरण भी उपलब्ध करा रही हैं, लेकिन इन विभाग की फैक्ट्रियां हैं उनसे उपकरणों का क्रय कम करके बाहर से उपकरणों का क्रय ज्यादा हो रहा है। उनकी क्षमता बढ़ाई जा सकती है और उनकी क्षमता बढ़ा कर उनका उपयोग ठीक किया जा सकता है और उनमें क्षमता है भी, लेकिन उस क्षमता का पूरा लाभ न लेकर बाहर से हजारों-करोड़ों रुपए का सामान खरीदा जा रहा है और हमारे यहां की फैक्ट्रियों से जो माल खरीदा है वह करोड़ों में है। इसलिए हग री फैक्ट्रियों को काम मिलना चाहिए, वहां के मजदूरों को काम मिलना चाहिए। फैक्ट्रियां उत्पादन करने में सक्षम हैं। सीटी केबिनेट बनाती है, सीटी बाक्स बनाती है, लाईन जैक यूनिट्स बनाती है और वह माइक्रो टावर्स के लिए भी असेसरीज तैयार करती है। इन सब के बावजूद भी उनको न देकर बाहर से करवाते हैं और उनका जिस प्रकार से निविदा आमंत्रित

[डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय]

करके एक निश्चित विधि के अनुसार कार्य होना चाहिए, वह नहीं हो रहा है। मैं चाहूंगा कि इसके अंदर तर्कसंगतता लाई जाए और इसमें पारदर्शिता होना आवश्यक है।

इस बारे में दूर संचार की जो समिति है उसने अपनी नाराजगी जाहिर की है, मैं उसे यहां उद्धृत करना नहीं चाहता हूं। लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया है कि हमारे यहां की जो फैक्ट्रियां हैं, उनको काम न देकर दूसरों को काम देना ठीक नहीं है। पृष्ठ 23 में इस बात को उठाया गया है। इसमें कहा गया है कि किस प्रकार से इन फैक्ट्रियों के बारे में, उनको काम न देकर दूसरों को [illegible] है। इसमें यह लिखा हुआ है कि- ''समिति यह [illegible] है कि दूरसंचार कारखानों के लिए बजट [illegible] 999-2000) में प्रावधान 12.92 करोड़ रुपए था, जिसे (1999-2000) में कम करके 7.00 करोड़ रुपए कर दिया गया और (2000-2001) में 9.84 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। विभाग ने दोनों वर्षों के लिए ये कारण बताए हैं कि (1999-2000) तथा (2000-2001) के प्रावधान के कारण योजना स्कीमों में व्यय की प्रगति के आधार पर थे। समिति दूरसंचार कारखानों के बजटीय आबंटन में कमी करने के लिए इस कारण को संतोषजनक नहीं मानती है।'' मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि आखिर कहीं न कहीं प्रासंगिकता होनी चाहिए, हमारा जो जाल फैला हुआ है उसे सुनियंत्रित करने की आवश्यकता है।

हमारे यहां पर जो टेलीफोन रैगूलेटरी अथॉरिटी है उसके बारे में सदन में चर्चा हुई है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूं। लेकिन जो स्वशासी निगम बनाया गया है उसको सक्षम बनाने की दृष्टि से उसे कार्य करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। आज इस बात की आवश्यकता है। ट्राई के अनुसार निजी भागीदारी के अन्तर्गत चार बड़े महानगरों में 12 निजी प्रचालकों को 8 लाइसेंस स्वीकृत हुए हैं। उसके साथ 18 टेलीकॉम सर्कूलर मिलाकर 24 लाइसेंस सर्कूलर सेवाओं का विस्तार हुआ है। उनके बारे में भी मुझे कहने की आवश्यकता है। वे भी ठीक काम नहीं कर रहे हैं। देश की गरीब जनता को इनसे जो लाभ मिलना चाहिए वह लाभ उन्हें नहीं मिल रहा है। जबकि हमारी नीति गरीबों को लाभ पहुंचाने के लिए निर्धारित की गयी है।

मैं एक समाचार पत्र से यह बात उद्धृत कर रहा हूं कि इसके दुष्परिणाम जब इतने स्पष्ट हैं तो ऐसी नीतियां क्यों बनाई जा रही हैं जो आम आदमी के लिए अहितकर हैं। हमें इसकी पृष्ठभूमि पर नजर डालनी होगी। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि सरकार ने इसे सहायता देने के लिए बजट में कोई व्यवस्था नहीं की है। ये अपनी बजट व्यवस्था अपने राजस्व के अनुसार करते हैं।

अंत में जो निष्कर्ष निकलता है वह यह है कि हमें इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि निजी पार्टियां जिनका हित पूरा करने के लिए ट्राई को मजबूत बनाया जा रहा है कभी ग्रामीण भारत के लिए कम मुनाफे के बिना दूरसंचार के क्षेत्र में कदम रखेगी। यहां तक कि आज अमरीका में ग्रामीण क्षेत्रों में उच्चकोटि की पर्याप्त सुविधाएं हैं जिन्हें हम यहां भी देखना चाहेंगे

इसके साथ-साथ हमारा दूसरा विभाग आता है और वह है डाक विभाग। उनकी भी अपनी समस्याएं हैं। दूरसंचार में भी वेतन में असमानताएं हैं। दूरसंचार में जे.टी.ओज. हैं। एक जे.टी.ओज. (टी.एफ.) और दूसरे जे.टी.ओज टेलीकॉम कहलाते हैं, फैक्ट्रीज इंजीनियर्स हैं। पांचवें वेतन आयोग के अंदर इनके बारे में सिफारिशें की गयीं थीं लेकिन उनको लाभ नहीं मिला है जिसके कारण उनमें असंतोष है और उस असंतोष के कारण हमारे उत्पादन पर विपरीत असर पड़ता है।

टेलीफोन व्यवस्था के बारे में मैं निवेदन कर रहा हूं कि जहां हमारा विस्तार हुआ है, हम नये टेलीफोन एक्सचेंज खोल रहे हैं और हम लाखों लोगों को सुविधा प्रदान करवाना चाहते हैं वहीं उसके अंदर जो गुणवत्ता आनी चाहिए उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। हम चाहते हैं कि 2002 तक 2 लाख से ऊपर वाले शहरों में हाई स्पीड डाटा मल्टी मीडिया का विकास हो।

डाक विभाग में भी हमारी कुछ कठिनाइयां हैं। हमारे जो ई.डी. कर्मचारी हैं उनके बारे में यहां पर चर्चा हुई, लेकिन उनकी सेवा-शर्तों के बारे में कोई निर्णायक बात नहीं हुई है। हमारे संचार मंत्री भी इस बात को कई बार उठा चुके हैं। हमारे यहां विभाजन के समय 3344 पोस्ट-ऑफिस थे जो अब बढ़कर पौने दो लाख हो गये हैं। ग्रामीण डाकघरों की संख्या लगभग 1 लाख 67 हजार है। यह सारा कार्य मंडलों में विभाजित है। इन ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले जो छोटे-छोटे लोग हैं उनकी सुविधा का ध्यान नहीं रखा गया है। एक नयी प्रणाली अभी ग्रामीण क्षेत्रों में चलाई गयी है और वह है दूरसंचार सेवा केन्द्र। केन्द्र तो खोल दिये गये हैं लेकिन जो सुविधा होनी चाहिए वह वहां नहीं है। अगर वहां कोई टिकट मांगने जाये तो वह भी नहीं मिलता। वहां कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा, इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। जहां ई.डी. कर्मचारियों की समस्याएं हैं वहां दूरसंचार सेवा केन्द्रों की भी समस्याएं हैं। चाहे आप केन्द्र कम खोलें लेकिन अगर पोस्ट-ऑफिस की सुविधा आप उन लोगों को देंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक लाभ उन्हें मिल पायेगा और लोग भी उसको ज्यादा पसंद करेंगे। आपने रेलवे मेल सेवा शुरू की है लेकिन रेल के डिब्बों में यह सुविधा चलती नहीं है। इस सुविधा में विस्तार करने की आवश्यकता है। उनमें लम्बे समय तक डाक पड़ी रहती है। आपने

नई ई-मेल सेवा शुरू की है लेकिन ठीक से काम में प्रगति नहीं हुई है। यह आवश्यक है कि उसकी ठीक से प्रगति हो ई-मेल के बारे में तेजी से कार्य हो। इस बारे में संचार मंत्रालय की स्थाई समिति ने नाराजगी व्यक्त की है। इस बारे में ठीक से विचार और काम होना चाहिए। दूरसंचार क्षेत्र की प्रगति के बारे में मुझे निवेदन करना है।

[अनुवाद]

''समिति ने पाया कि आठवीं योजना के दौरान स्थापित किए गए 670 पंचायत संचार सेवा केन्द्रों में से 613 कार्य कर रहे हैं जबकि एजेन्टों द्वारा डाक-टिकट और सामग्री की अत्यलप बिक्री के कारण 57 पंचायत संचार सेवा केन्द्र बन्द किए जा चुके हैं।''

[हिन्दी]

अगर इस प्रकार सेवा देना चाहेंगे और नैगलिजेंस बनी रहेगी तो उन सुविधाओं का लाभ लोगों तक कैसे पहुंच पाएगा? दूर संचार क्षेत्र में और काम करने की आवश्यकता है। जिन क्षेत्रों में और ध्यान देने की आवश्यकता है, मैं उसके बारे में निवेदन कर रहा हूं। टेलीफोन सेवाओं का विस्तार हो रहा है। टेलीफोन एक्सचेंज के नए भवन बनकर तैयार हो गए हैं लेकिन उनमें सामान्य उपकरण नहीं हैं। टावर बन कर खड़े हैं और उन पर करोड़ों रुपए की लागत लगी है। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में कह सकता हूं। वहां दो टावर सिगोकी व गरोठ में बन कर खड़े हैं। वहां सामान्य लागत से उपकरण लग कर वे चालू हो सकते हैं और उन्हें चलाया जा सकता है। इससे सामान्य क्षेत्र भी लाभान्वित हो सकते हैं। इसी प्रकार से अनेक बड़े-बड़े शहरों में निजी भवन नहीं हैं। वे वर्षों से किराए के भवन पर चल रहे हैं। हमने कई बार निवेदन किया कि इससे इतना राजस्व प्राप्त होता है और राज्य सरकारें भूमि उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं। आप वहां अपने भवन बनाएं। सुदूरवर्ती और ग्रामीण क्षेत्रों में जहां-जहां भवन बन सकते हैं, वहां भवन बनवाए जाएं। आप इसके बारे में कार्रवाई करें। कुल मिला कर जो स्थिति है उससे कहा जा सकता है कि प्रगति तो हुई है लेकिन उसमें सुधार की काफी गुंजाइश है। इससे ट्राई का भी उन्हें लाभ मिलेगा। आपने निजी हाथों में जो काम सौंपा है, उसका भी उन्हें लाभ मिलेगा। मैंने देखा है कि निजी कम्पनियों ने काम के नाम पर जगह-जगह गड्ढे खोद दिए और वहां महीनों काम चलता रहा लोगों को परेशानी हुई। इससे सेवाओं पर विपरीत असर पड़ता है। इसका ख्याल करना होगा। मंदसौर में मेरे निर्वाचन क्षेत्र में मोबाइल सेवा नहीं है। कांट्रेक्ट दिया है काम नहीं हुआ।

अभी संतोष मोहन देव जी कह रहे थे कि हम एस.टी.डी. और दूसरी कॉल्स पर शुल्क कम कर रहे हैं। यह ठीक बात है। इससे लोगों को सुविधाएं तो मिलेंगी लेकिन दूसरी तरफ इससे राजस्व में कमी आएगी। ऐसे में हम कैसे नए भवन बना सकेंगे या नए प्रयोग कर सकेंगे? पिछले दिनों जो ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग हुआ है, उसके कारण संचार सेवाओं में तेजी से वृद्धि हो रही है लेकिन काफी अन्य उपकरणों की आवश्यकता है। मैं विस्तार में न जाकर माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वह इस बारे में ध्यान दें। विस्तार के साथ-साथ गुणवत्ता की आवश्यकता है, भवन की आवश्यकता है, आवास की आवश्यकता है या वेतन आदि की जो विसंगति है उसे दूर करने की आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में दूर संचार सेवा कार्यों को ठीक करने की आवश्यकता है और ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सेवाओं को ठीक करने की आवश्यकता है अन्यथा लोग कहते हैं कि टेलीफोन सुविधाएं न हों तो अच्छा है। हर बार कहा जाता है कि इतने नए टेलीफोन कनैक्शन देंगे और इतने प्रोवाइड कर रहे हैं। विभाग के पास दो-दो और तीन-तीन बरस पैसा जमा किए हो गए हैं। पैसा पड़ा हुआ है लेकिन टेलीफोन कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं। यदि लोग टेलीफोन कनेक्शन मांगने के लिये जाते हैं तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। मैं माननीय संचार मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जिन लोगों ने पैसे जमा कराये हैं, उनको समय पर टेलीफोन कनेक्शन दिया जाना चाहिये। अगर टेलीफोन देने की क्षमता नहीं है तो पैसा क्यों लिया? मैंने माननीय मंत्री जी को अपने क्षेत्र की समस्या से अवगत कराया है वे उन्हें ठीक करें।

इन्हीं शब्दों के साथ कि आप इन बातों पर विचार करेंगे ताकि सभी लाभान्वित हों। जो प्रगति हुई है, देश को अपेक्षायें हैं और इस सरकार से अपेक्षायें हैं, सरकार निश्चित रूप से इसमें सुधार करेगी। मैं कम से कम पासवान जी से आश्वस्त हूं कि वे इस मामले को जरूर देखेंगे ताकि टेलीफोन सुविधाओं में उत्तरोत्तर वृद्धि हो, उनकी उत्कृष्टता बढ़े, उसमें गुणवत्ता आये ताकि लोगों को लाभ मिल सके। मैं निश्चित रूप से इस बात को कह सकता हूं कि दूर-संचार के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है और इसमें सुधार हुआ है।

[अनुवाद]

श्री रूपचंद पाल (हुगली): अध्यक्ष महोदय, मैं संचार मंत्रालय के अनुदान मांगों के विभिन्न प्रावधानों का सूक्ष्म विश्लेषण करने से दूर ही रहूंगा। बल्कि, शुरूआत में मैं नीति की प्रस्तावनाओं से संबंधित टिप्पणी करने की कोशिश करूंगा। कांग्रेस के शासनकाल में दूरसंचार नीति 1994 आरंभ की गई थी। उस नीति के उद्देश्यों

[श्री रुपचंद पाल]

में से एक - सभी को दूरभाष उपलब्ध कराना था। परन्तु यदि हम ग्रामीण परिदृश्य को देखें, तो हम पाते हैं कि भारत के आधे गांवों में अभी भी दूरभाष संपर्क स्थापित किया जाना है। पूर्व में रेल मंत्री रह चुके स्फूर्तिवान मंत्री ने आश्वासन दिया है कि वर्ष 2002 तक सभी गांवों, विशेषकर पंचायतों में दूरभाष संपर्क बना दिया जाएगा। मैं उनकी पूर्ण सफलता की कामना करता हूं। परन्तु मुझे घोर संदेह है।

हमें पहले ही कुछ संकेत मिल चुके हैं कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण किस प्रकार कार्य करने जा रही है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की छानबीन के कार्यक्षेत्र से दूर रखा जाना है, सिर्फ इसलिए कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा विदेश यात्रा भत्तों के रूप में किए [illegible] के बारे में पीड़ादायक टिप्पणी की है।

सिलोकन वैली में 40 प्रतिशत के करीब तकनीकी विशेषज्ञों के होने के कारण भारत की प्रशंसा की जा रही है। जर्मनी, युनाइटेड किंगडम तथा संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सफलता के लिए भारत की प्रशंसा की है। परन्तु हम अपनी ही प्रौद्योगिकी की उपेक्षा कर रहे हैं। अपने तकनीकी विशेषज्ञों की उपेक्षा कर रहे हैं। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण में कोई तकनीकी विशेषज्ञ सम्मिलित नहीं है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई के प्रो. झुनझुनवाला ने स्थानीय लूप प्रौद्योगिकी में बेतार के सस्ते रुपांतर प्रस्तुत किए हैं। परन्तु, संचार मंत्रालय ने इसे पारित नहीं किया है। क्वालकॉम, अमेरिकी कंपनी तथा डाफॉल्ट, फ्रांसीसी कंपनी हमारी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के साथ सहयोग कर रही हैं। इस तरीके से घुमा-फिरा कर विदेशी प्रौद्योगिकी को देश में लाया जा रहा है, जबकि स्वदेशी प्रौद्योगिकी की अवहेलना की जा रही है। सरकार ग्रामीण जनता तक मूलभूत दूरभाष सेवाएं उपलब्ध कराने के अपने आश्वासन को पूरा करने में रही क्योंकि उसने सेल्युलर फोन के माध्यम से धनी वर्ग की सेवा करने को प्राथमिकता दी है। यद्यपि, मंत्री महोदय कहते रहे हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति, अंकीय क्रांति के इस युग में इंटरनेट सेवाएं ही महत्व रखती हैं। यह तब है जब मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। हम सभी एम.ए.आर.आर. प्रौद्योगिकी, रुपांतर 1 एवं रुपांतर 2 से संबंधित घोटाले के बारे में जानते हैं। हम जानते हैं कि सुखराम का अनुसरण कैसे जारी है।

दूरसंचार सुधारों को घोटाले के पर्यायवाची के रूप में वर्णित किया जाता है। दूरसंचार विभाग के पीछे एक बार पूजा स्थल पर करोड़ों रुपए पाए गए थे, कभी तकिये के अन्दर तथा वही लक्षण अभी जारी है। मैं यह टिप्पणी करने के लिए बाध्य हूं कि इस देश के उच्च पदों पर स्थित लोग ही सूत्रधार हैं। भारतीय स्टेट बैंक के भूतपूर्व प्रमुख का दूरसंचार से क्या लेना है? सी.बी.डी.टी. के भूतपूर्व प्रमुख को दूरसंचार से क्या करना? मैं समय की कमी के कारण सिर्फ एक उदाहरण देना चाहूंगा। यह अभी हाल ही में हुआ है।

आयकर विभाग द्वारा एक लाभकर्त्ता सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड को आयकर के रूप में 209 करोड़ रुपए देने के लिए कहा गया है। उन्होंने प्रतिरोध करते हुए कहा कि यह अनुज्ञप्ति शुल्क है तथा इसे राजस्व व्यय समझा जाना चाहिए। सरकार एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बीच कभी कभार होने वाले विवादों के मामलों को देखने के लिए एक विवाद समझौता समिति है। उन्होंने कोई फैसला नहीं दिया है। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के पास पहुंची, जो वही व्यक्ति है, जिसे अब भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। वे 31 मार्च को सेवानिवृत्त हुए। इस देश में ऐसा कभी नहीं हुआ। सरकार द्वारा यह निर्णय लिया जाएगा कि महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड जैसी महत्ता वाले किसी उपक्रम का कितना विनिवेश किया जाएगा। सभी चीजों का नियंत्रण सरकार द्वारा किया जाएगा। इसके बाद भी, वे लाभ कमा रहे हैं। 29 एवं 30 मार्च को महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के सभी बैंक खातों पर रोक लगा दी गई थी। स्वतंत्र भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ। यह केवल भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के पूर्वाग्रह ग्रस्त रवैये को ही इंगित करता हैं। अब, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण कार्यों का नियंत्रण नहीं कर रहा बल्कि, यह स्थिति का फायदा उठाने निकले तथा बकाया अनुज्ञप्ति शुल्क का भुगतान जान बूझ कर न करने वाले निजी संचालकों के हितों की देख भाल कर रहा है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने गलत विवरण दिया है? किसने उन्हें गलत विवरण देने के लिए कहा था? उन्होंने कहा कि वे जहां तक पहुंच सकते थे, उससे ज्यादा की अपेक्षा की थी। किसने आपसे ऐसा करने के लिए कहा? अचानक ही, पर्दे के पीछे से कार्य कर रही अत्यंत धनवान बहुराष्ट्रीय कंपनी निर्धन बन गई।

मैं इस सरकार, विशेषकर इस देश में उच्च पदस्थों पर यह अभियोग लगाता हूं, कि वे इस घोटाले में संलिप्त हैं तथा राजस्व बंटवारे के जरिए इस देश ने कम से कम 2,000 करोड़ रुपये की हानि उठायी है। यह न केवल समाचार पत्रों में आया है बल्कि स्थायी समिति की यह सर्वसम्मत रिपोर्ट है। समिति को यह ज्ञात नहीं है कि विभाग के राजस्व बंटवारा प्रणाली हेतु परिवर्तन के लिए प्रेरित होने के क्या आधार थे तथा उस पलायन की राष्ट्रीय हित में क्या उपयोगिता सिद्ध हुई है, विशेषकर जब अभी निजी

संचालकों द्वारा शायद ही कोई कार्यान्वयन हुआ है। क्या कोई उचित अध्ययन किया गया था? क्या किसी ने उसको पढ़ा? मंत्री महोदय को सभा को बताना चहिए कि कैसे 15 प्रतिशत की गणना की गई थी। अनुज्ञप्ति शुल्क का भुगतान करने के बजाय इसने राजस्व बंटवारा प्रणाली को अपनाया। सरकार को कितनी हानि हुई? स्थायी समिति की सर्वसम्मत रिपोर्ट यह है।

अपराह्न 4.00 बजे

इसके अनुसार:

> "इस बदलाव पर 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आई है। विभाग के राजस्व की हानि तथा निजी संचालकों की भागीदारी एवं निष्पादन पर विद्यमान अनिश्चितताओं के मद्देनजर बदलाव का कोई औचित्य नहीं है।"

इस प्रकार, पूरी तरह खोलना सहायक नहीं हुआ है।

गुणवत्ता के संबंध में, उन्होंने कहा कि यह अन्तर्राष्ट्रीय गुणवत्ता वाला होगा। उन्होंने इसका आश्वासन दूरसंचार नीति में दिया। उनकी विश्व स्तरीय गुणवत्ता यह है कि जहां कहीं भी दूर संचार कार्य रहा था, अब नहीं कर रहा। यह विश्वस्तरीय गुणवत्ता है।

[हिन्दी]

श्री प्रकाश परांजपे (ठाणे): क्या बंगाल में देते हो?

श्री रूपचन्द पाल : बंगाल में तो मैं सुधार लेता। ...*(व्यवधान)* मैं आपको दिखा दूंगा कि आपकी जगह में क्या है। ...*(व्यवधान)* बिहार में क्या स्थिति है, उन्होंने खुद ही कह दिया है। ...*(व्यवधान)* बिहार तो लालू यादव या आर.जे.डी. गवर्नमैंट का नहीं है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

वे मुझे उत्तेजित करने का प्रयास कर रहे हैं तथा मैं उनके कारण अपना समय खो रहा हूं।

21 दूरसंचार मंडलों में 11 मंडलों के लिए मूलभूत दूरसंचार सेवाओं के लिए भी अभी तक पार्टियों को अंतिम निर्धारण नहीं किया जा सका है। मंत्री महोदय कृपया इस पर गौर करें। आप वहां जाना चाहते हैं जहां ज्यादा लाभ है। आप सूचना प्रौद्योगिकी की महाशक्ति बनना चाहते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि इंटरनेट सेवाएं अच्छी गुणवत्ता, पर्याप्त दूरसंचार सेवाओं, पर्याप्त ऊर्जा आपूर्ति तथा कई अन्य बातों पर निर्भर होती है। जब आप मूलभूत दूरसंचार सेवा स्तर पर ही असफल हो चुके हैं, तो आप इंटरनेट सेवा जैसी ऊंची बातों का वचन कैसे दे रहे हैं?

मैं नहीं जानता कि दूरसंचार मंत्रालय अभी भी जारी है। क्योंकि दूरसंचार-नीति में यह कया गया था:

> "सूचना प्रौद्योगिकी, मीडिया, दूरसंचार उपभोक्ता इलेक्ट्रानिक्स के अभिसरण को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक तथा कार्यकुशल दूरसंचार अवसंरचना तैयार करें तथा इसके जरिए भारत को सूचना प्रौद्योगिकी महाशक्ति बनाने में आगे बढ़ाएं।"

श्री अरुण जेटली सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में अपने तरीके से चल रहे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी किसी और का काम है। आप प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देशों का अनुसरण कर रहे हैं। आप कहते हैं मैं क्या कर सकता हूं, प्रधान मंत्री कार्यालय ने इसका निर्णय लिया है, संचार मंत्री सूचना प्रौद्योगिकी के निर्देशों का अनुसरण कर रहे हैं। इस प्रकार, कोई अभिसरण नहीं है।

राज्यों में, कई बार आपने बिल क्लिंटन को यह कहते हुए उद्धृत किया कि इस सिलीकन घाटी के संबंध में संयुक्त राज्य अमेरिका ने कहा है; हमारे अपने लड़के एवं लड़कियां यह कर रहे हैं। यह बढ़ाई है। क्या केवल एक ही प्राधिकारी है? ऐसा कुछ भी नहीं है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग जो कहता है, संचार मंत्रालय उसे नहीं मानता है। जो कुछ संचार मंत्रालय कहता है, उससे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का कोई लेना देना नहीं है। अतएव, उनके बीच किसी प्रकार का समन्वय नहीं है। वहां केवल एक प्राधिकारी है तथा वे सभी, उच्च पदों से जुड़े कुछ दबंग एवं महत्वपूर्ण व्यक्तियों, एक भूतपूर्व नौकरशाह एवं उसके सहयोगियों, दूरसंचार के कुछ लोगों एवं भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष के हितसाधक हैं। वहां कोई नौकरशाह नहीं है।

यहां कई अत्यधिक सफलता प्राप्त तकनीकी विशेषज्ञ हैं। श्री शाम पित्रोदा को भी यहां लाया गया था। हां, वे वहां हैं और काफी कुछ करते जा रहे हैं। हमारे कई मामलों में उनसे मतभेद होंगे। लेकिन हम इस बात से सहमत हैं कि इस अनिवासी भारतीय ने सी-डोट प्रौद्योगिकी में योगदान देने का प्रयास किया है। आप इस प्रौद्योगिकी का क्या कर रहे हैं? एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी ने कहा है कि श्री तपन सिकदर की अध्यक्षता में इस पर एक समिति का गठन किया गया है। उनका कहना है कि कुछ नई प्रौद्योगिकियों की पहचान कर ली गई है। हम अन्य देशों में इन प्रौद्योगिकियों की पहचान कर सकते हैं। हम जानते हैं कि यूनाइटेड किंगडम में संचार क्षेत्र में क्रान्ति एक भारतीय महिला ने ही की थी।

[श्री रुपचन्द पाल]

आप जानते है कि भारतीय इसमें किस तरह से योग दे रह हैं, अनिवासी भारतीय पूरे विश्व में विभिन्न देशों के विकास में योगदान दे रहे हैं। माननीय मंत्री जी आप का कहना है कि हम स्वदेशी प्रौद्योगिकी की पहचान करेंगे जबकि स्थानीय लूप प्रौद्योगिकी के संबंध में डा. झुनझुनवाला इसे अन्तर्राष्ट्रीय लागत के एक तिहाई में ही देने को तैयार थे। तब आपने आज तक फ्रीक्वेन्सी स्पेक्ट्रम किलेरेन्स क्यों नहीं दी? हम देखते हैं कि अमेरिका की एक कम्पनी एनेलोग डिवाइस ने चैन्नई के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के डा. झुनझुनवाला के साथ विल प्रौद्योगिकी के विकास के लिए समझौता कर लिया है। इस प्रौद्योगिकी का विपणन एनेलोग डिवाइस करेगी। आप कह रहे हैं कि आप इसकी पहचान करेंगे। आप भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान से क्वालकोम और डैफोर की ओर घुमावदार रास्ते से जा रहे हैं। आप हमारी स्वयं की प्रौद्योगिकी की उपेक्षा कर रहे हैं। मैं नहीं जानता कि समिति क्या कर रही है। मैं कठोर शब्द बोलने के लिए सोच रहा था लेकिन [illegible] चाहिए। मैं इससे परहेज कर रहा हूं। हमारे [illegible]यता है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाए। मैं दो उदाहरण दे रहा हूं।

भारतीय टेलीफोन उद्योग विश्व की सर्वाधिक अच्छी कम्पनियों में से एक है। मैंने इस इकाई का दौरा विभिन्न पदों पर होते हुए किया है। उनका कहना है कि वे विश्व-श्रेणी के पुर्जे बनाने वाले हैं। वे लाभार्जन करते हैं। हम क्या कर रहे हैं? क्या आप उनकी सहायता करते हैं? नहीं।

तत्पश्चात्, हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड आती है जो कि दूर-संचार विभाग की अनुषंगी के रूप में जानी जाती थी। आपने इसके बारे में क्या किया? यह लाभार्जन कर रही थी। आप उन दूसरों को निविदाएं, आदेश तथा अन्य सभी चीजें दे रहे हैं जिनके पास कि हमारी ही उत्पाद हैं। हमारे अपने लोगों को हटाया जा रहा है। मुझे संक्षेप में एक संदर्भ बताने दीजिए। एक बार मैंने अत्यधिक महत्वपूर्ण सी.डॉट इकाई का दौरा किया। वहां मैंने सुना कि बहुराष्ट्रीय विदेशी कम्पनियां हमारे क्षेत्र में हमारे ही तकनीकी विशेषज्ञों के बारे में हस्तक्षेप करते हैं। हमारी कम्पनियां यदि सामान्य बात का दावा करती हैं तो उनकी उपेक्षा कर दी जाती है। उनकी प्रौद्योगिकी की अनदेखी की जाती है। उनकी सेवाएं नहीं ली जाती हैं। हमारे अपने लोगों को उन बड़ी दूर संचार कम्पनियों ने हटा दिया है जो कि भारतीय बाजार का दोहन करती हैं। इन सभी मुद्दों का संदर्भ स्थायी समिति के प्रतिवेदन में दिया गया है।

सांख्यवाहिनी परियोजना के बारे में एक घोटला उभरकर सामने आया है। मंत्रीमण्डल की बैठक में, मंत्री जी कह सकते हैं कि वे इस बारे में सहमत नहीं हैं। वे यह भी कहेंगे कि वे नहीं जानते कि मंत्रीमंडल बैठक में क्या हुआ और उन्हें इसको जानने की भी आवश्यकता नहीं है। इण्डिया टुडे के नवीनतम अंक में क्या छपा है? आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री की रूचि के बारे में उन्होंने पूरा वृत्तांत छापा है। कहा जाता है कि उन्होंने प्रधान मंत्री को लिखा कि इसे बिना किसी विलम्ब के कार्यान्वित किया जाना चाहिए। इसको हरी झंडी किसने दिखाई? इसे हरी झंडी कैसे मिली? क्या इसमें कोई बोली लगाई गई? किस तरह की प्रौद्योगिकी दी जानी है? क्या यह किसी तरह से हमारी सुरक्षा को प्रभावित करेगी? क्या ऐसे प्रश्न भा.क.पा.(मा.), कांग्रेस या किसी विपक्षी दल ने उठाए हैं, नहीं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख ने सार्वजनिक तौर पर यह कहा है। उन्होंने क्या कहा है? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख का कहना है कि सांख्यवाहिनी परियोजना हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। ...*(व्यवधान)* माननीय मंत्री जी यह आपकी दृष्टि से क्या रह गया होगा। यह एक महत्वपूर्ण पत्रकार ने कहा है और उसे मैं उद्धृत करता हूं:

> "वास्तव में, सांख्यवाहिनी परियोजना में बदजायकेदार गन्ध है। इस परियोजना के विदेशी कलपुर्जों के साथ जुड़े दिमाग के बारे में समझा जाता है कि उसके संबंध अमेरिकी सरकार के रक्षा विभाग से है। आठवें दशक में सोवियत संघ की अमेरिकी नेटवर्क को मिली रही धमकी का मुकाबला करने के लिए डी.ए.आर.पी.ए.—जो कि पेंटागॉन का ही संगठन है—की स्थापना के किए उसने इसी तरह की परियोजना की पेशकश की थी। पेंटागॉन इच्छुक हो सकता है लेकिन चूंकि उच्च गति के डाटा नेटवर्क के क्षेत्र में संबंधित हस्ती की व्यापक रूप से परीक्षा नहीं हुई है इसलिए यह परियोजना आरंभ नहीं हो सकी। विकासशील देश हमेशा से ही अनुभवहीन उद्यमियों के लिए एक अच्छा परीक्षण केन्द्र रहे हैं और भारत भी इस मामले में कोई अपवाद नहीं है।
>
> भारतीय करदाताओं द्वारा इस सांख्यवाहिनी परियोजना को वित्तपोषित किए जाने के साथ ही इस तरह के अनुभवों की तैयारी के लिए भूमिका तैयार की जा रही है। यदि यह सफल होती है तो इसका लाभ पेंटागॉन को होगा। यदि यह असफल रहा तो विकासशील देशों की दुर्दशा होगी। इससे यह स्पष्ट होता है कि थेंगदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल क्यों किया।"

महोदय, यह राज रेड्डी कौन है? वह परिदृश्य में कैसे आ पाया? किसने इस सौदे को बिना शर्तों, बिना बोली लगाए पूरा किया? आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री का इस पर कैसा दबाव? यह

कार्यदल की सिफारिशों का एक भाग था। यही वह तकनीकी थी जिसे पेंटागॉन ने सोवियत संघ के विरुद्ध प्रयोग करने की कोशिश की। वे असफल रहे और यही अनुभव वे भारत में करना चाहते हैं। आप हमें नहीं सुनते हैं लेकिन अपने आका रा.स्व. सेवक संघ के प्रमुख, तथा उसके सलाहकारों को तो सुने। वे कह रहे हैं कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा संकट में है।

महोदय, संचार संबंधी स्थायी समिति ने भी इस पर आपत्ति व्यक्त की है। इस समिति के सर्वसम्मत प्रतिवेदन में वर्ष 2000-01 के बजट प्राक्कलनों में कारनेगी मिलन विश्वविद्यालय के आई यू नेट के साथ 1300 करोड़ रु. वाली संयुक्त उद्यम परियोजना सांख्यवाहिनी के लिए 94.26 करोड़ रुपये की धनराशि के प्रावधान पर आश्चर्य व्यक्त किया है। कम्पनी ने अभी तक आकार ग्रहण नहीं किया है तथा कोई भी विधिक आवश्यकता पूरी नहीं की गई है लेकिन इसके लिए समझौते कर लिए गए हैं। क्या आपने कभी सुना है कि कम्पनी के अस्तित्व से पूर्व ही सभी समझौतों पर हस्ताक्षर कर लिए गए हों? कम्पनी की स्थापना, समझौते कर लिए जाने के बाद की गई। आप ऐसे सुन्दर करतब अपने संचार मंत्रालय में दिखा रहे हैं?

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): यह राष्ट्रीय जनतांत्रिक सरकार तथा राष्ट्रीय सरकार के लिए बनाई गई उनकी कार्य-सूची की पारदर्शिता है।

श्री रूपचंद पाल : यह बात सही है।

महोदय, स्थायी समिति का अपने प्रतिवेदन में कहना है कि:

> "स्थायी समिति को लगता है कि कई एक जैसी प्रौद्योगिकियों में से इसी प्रौद्योगिकी को चुना गया था तथा किसी भी एक जैसी प्रौद्योगिकी के गुण-दोषों के मूल्यांकन एवं अन्य संभावित भागीदारों की संभावना की तलाश किए बिना ही किसी विशेष कम्पनी को डी.टी.एस. के भागीदार के रूप में चुना गया है। समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि मामले की गहराई से जांच की जानी चाहिए। यह हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित है तथा इस बात का पूरा खुलासा किया जाना चाहिए कि सामान्य कार्य विधि के अनुपालन के बिना ही किसी विशेष प्रौद्योगिकी को क्यों चुना गया है तथा डी.टी.एस. को मूल्यांकन की प्रक्रिया से बाहर क्यों रखा गया है।"

ऐसा किसने किया? प्रधानमंत्री जी का कार्यालय हर चीज का निर्धारण करता है चाहे वहां संचार मंत्री ही क्यों न हो। यदि माननीय मंत्री जी किसी बात पर सहमत नहीं होते तो उसी पार्टी के होते हुए भी उन्हें जाना पड़ता है। ये सारी बातें हुई हैं और भारतीय संदर्भ में दूर-संचार घोटाले ने ऐसे आयाम ले लिए हैं कि इस देश का सही सोचने वाला आदमी चुप नहीं रह सकता क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय को संविधानेत्तर शक्तियां प्रभावित कर रही हैं वे निविदा प्रक्रिया को प्रभावित कर रही हैं तथा हमारी उठने की संभावना को इन्होंने कम कर दिया है।

महोदय, जैसा कि आपको विदित ही है कि सूचना प्रौद्योगिकी इस युग में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यहां तक कि दूर-संचार की सघनता में एक प्रतिशत वृद्धि से हमारे सकल घरेलू उत्पादन में 13 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है। जर्मनी में तीन वर्षों से भी कम समय में स्थानीय लूप प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके 300 प्रतिशत विकास हुआ है। इस प्रौद्योगिकी को हमारे वैज्ञानिक डा. झुनझुनवाला अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य के एक तिहाई मूल्य पर दे सकते हैं। अर्जेन्टाइना में क्या हुआ? दो वर्षों से भो कम समय में उन्होंने इस प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके और अधिक क्षेत्रों को जोड़ दिया है। हमारे वैज्ञानिक भी आश्चर्यजनक कार्य कर सकते हैं। यूनाइटेड किंगडम हम पर टकटकी लगाए है, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा जर्मनी भी हम पर टकटकी लगाए हैं, काफी समय के बाद उन्होंने कहा कि भारतीय वैज्ञानिकों तथा भारतीय सोफ्टवेयर एक्सपर्ट्स को ग्रीन कार्ड दिए जाएंगे। इस प्रकार, यह सरकार संभाव्यताओं को समाप्त कर रही है। सरकार की निजी क्षेत्र के ओपरेटरों के साथ सांठगांठ है। यह सरकार सही रास्ता नहीं अपना रही है। नई दूरसंचार नीति के नाम पर वह संभाव्यताओं को समाप्त कर रही है। सरकार इस देश के विकास को रोक रही है। मैं अनुदानों की मांगों का विरोध करता हूं। मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी उन बातों का उत्तर देंगे जो मैंने अपने भाषण के दौरान कही हैं।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): सभापति महोदय, दूर संचार विभाग की इस बहस में हिस्सा लेते हुए मुझे खुशी हो रही है और हम आपको बधाई देते हैं कि आपने हमें बोलने का समय दिया। हमें खुशी इसलिए हो रही है कि इस विभाग के मंत्री पासवान जी हैं। वह इस विभाग में जो क्रांति लाने की योजना बना रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत कम दिनों में ही यह देश दुनिया के अन्य देशों की तुलना में अपना स्थान बनाएगा। यद्यपि इस विभाग में बहुत गति आई है, लेकिन अगर विश्व के अन्य देशों से तुलना की जाए तो हम अभी भी बहुत पीछे हैं और इस गति पर हमें संतोष नहीं करना चाहिए। हम पासवान जी से उम्मीद करते हैं, वह कर्मठ व्यक्ति हैं और विकास के कामों में रूचि भी लेते हैं। वह निश्चित तौर पर इसमें गति लाएंगे। इस विभाग में जो गांवों की तरफ इनका ध्यान है कि गांवों में हम क्रांति लाएंगे, हमें लगता है कि उसमें काफी बाधाएं हो रही हैं। उस बाधा का

[श्री प्रभुनाथ सिंह]

कारण हम तो यह मानते हैं कि इस विभाग में कुछ लोग अपने-अपने ग्रुप बना कर जमे हुए हैं। जैसे दिल्ली में सुनने को मिलता है कि कोई साऊथ इंडियन लॉबी है, कोई बंगाली लॉबी है और कोई पंजाबी लॉबी है। लोग बहुत सी लॉबी बताते हैं। हम लोग बिहार में रहते थे तो सुनते थे, राजपूत है, ब्राह्म्ण है, यहां आकर बहुत सी लॉबी सुनने को मिलती हैं। इसका मतलब हम नहीं समझ पाते और यह लॉबी इन विभागों पर बहुत हावी है, खास कर भारत सरकार के मंत्रालयों पर बहुत हावी है। उनके सामने लोग कहते हैं कि जो मंत्री हिम्मत करके कुछ करने का प्रयास करता है, उस मंत्री की छुट्टी हो जाती है। पासवान जी, इस पर जरा आप ध्यान दीजिए कि वह कौन सी लॉबी है। उसे तोड़ दीजिए और उसे तोड़ने में हमें लगता है, जैसे लोग बताते हैं, लोगों के बीच में चर्चा सुनने को मिलती है कि लॉबी की वजह से विभाग के बहुत से धन की लूट भी होती है।

[illegible] पीएसी के सदस्य भी हैं, हम उन बिन्दुओं पर [illegible] चाहते हैं। पीएसी के प्रतिवेदन में बहुत सी बातें, जो संचार मंत्रालय के संबंध में आई हैं। उन्हें हमने बड़े गौर से देखा है। उन्हें देखने के बाद लगता है कि विभाग के जो पदाधिकारी हैं वे सही ढंग से काम नहीं कर पाते। कहीं-कहीं तो जिस मद में पैसा दिया जाता है वहां पैसा खर्च नहीं हो पाया और कहीं-कहीं पैसा आठ-नौ साल पहले दिया गया है, उसका कुछ हिस्सा वैसे ही पड़ा हुआ है, उसमें कोई गति नहीं आ पाई है। इसलिए इन सब बिन्दुओं पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है ताकि सरकार के पैसों का दुरुपयोग न हो सके। अभी ग्रामीण इलाकों में जो दूरभाष कनैक्शन की बात या टेलीफोन एक्सचेंज खोलने की बात बहुत जोरों से चर्चा में है और खुल भी रहे हैं। हम खास कर बिहार के विषय में पासवान जी आपसे बताएंगे, आप जानते ही हैं। आपका कौन सीजीएम है, हमें उसका नाम याद नहीं है। लोग कहते हैं कि उनकी वजह से बिहार में विकास की गति एकदम रूकी हुई है। वह बड़ा गड़बड़ आदमी है। क्या गड़बड़ी करता है आप पता कीजिएगा। निचले स्तर के अधिकारी कहते हैं कि सी.जी.एम. के कारण बिहार में विकास की गति नहीं आ रही है। आप उसको हटाइये और जो आपके यहां अच्छा सीजीएम है उसको वहां ले आइये, जिससे टेलीफोन के मामले में बिहार में भी विकास हो। हम लोगों को सरकार ने अधिकार दिया है कि हम ग्रामीण इलाकों में 50 टेलीफोन कनेक्शन्स की अनुशंसा कर सकते हैं। लेकिन जब ज्यादा लोग ग्रामीण इलाकों में डिमांड करते हैं तो कभी-कभी हम आपके यहां से भी आकर अनुशंसा करा लेते हैं, उन्हें रिलीज करा लेते हैं। लेकिन आपकी तथा पूर्व मंत्री की अनुशंसा के बावजूद 5-6 महीनों के बाद भी छपरा टी.डी.एम. के जोन में अभी तक नहीं लग पाया है। आखिर इतनी गति धीमी क्यों है। जब हमें अधिकार दिया है तो प्राथमिकता के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में उन्हें लगाया जाना चाहिए। लेकिन अगर उस प्राथमिकता में रिलीज के बाद भी 6-7 महीने का समय लगता है तो हम मानते हैं कि प्राथमिकता नाम की वहां कोई चीज नहीं रह गयी है। इसलिए हम चाहेंगे कि आप मजबूती से इस बात को देखिये कि जो आपके मंत्रालय से भी रिलीज हो रहे हैं वह सही समय पर क्यों नहीं लग रहे हैं। वह टेलीफोन सही समय पर लग जाएं, इसके लिए आप प्रयास कीजिए।

दूसरा, बिहार या अन्य प्रांतों के लिए जो आप पैसा भेजते हैं माटी खुदवाने और केबल बिछाने के लिए, उसमें बड़ा घपला हो रहा है। खुदाई करवाने के लिए एक विधि है। जैसे कहीं टेंडर होता है तो जो वहां अधिकारी टेंडर देने वाले होते हैं उनसे मिले हुए कुछ ठेकेदार होते हैं और मिलकर उस टेंडर को लेते हैं और पैसों का बंदरबांट होता है। जिसके कारण विकास सही ढंग से नहीं हो पाता। कुछ दिनों के बाद आपका केबल खराब हो जाता है और सही ढंग से काम नहीं करता है।

टेलीफोन के जो आपने नये एक्सचेंज खोलने का काम किया है और पुराने के स्थान पर जो नये एक्सचेंज आप लगा रहे हैं उसमें भी बहुत गति नहीं आ रही है। आपने एक बार कहा था कि हम लोगों को बुलाकर आप एक बैठक इस विषय में करेंगे। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप बिहार के बारे में मजबूती से दिलचस्पी लीजिए। मैं यह नहीं कहूंगा कि आपको दिलचस्पी नहीं है, लेकिन चूंकि बिहार एक पिछड़ा प्रदेश है और संसद में भी जब कभी बिहार के बारे में चर्चा चलती है तो इधर और उधर के सदस्य बिहार के पिछड़ेपन पर कटाक्ष करते हैं। जब आप सरकार में हैं तो आप बिहार को उस स्थान पर ले आइये जिससे बिहार कटाक्ष करने की वस्तु न रह जाये।

बिहार राजनीति में और शिक्षा में एक मार्गदर्शक रहा है, ऐसा धार्मिक ग्रंथ और इतिहास बताता है। लेकिन आज बिहार पर कटाक्ष कर दिया जाता है जिसे सुनकर हमें पीड़ा होती है। सभापति जी ने भी देखा होगा कि कभी-कभी हम भी चर्चा का विषय बन जाते हैं। इसलिए हम आपसे निवेदन करेंगे कि ग्रामीण इलाकों में दूरभाष कनेक्शन्स दिये जाये, आप इसका प्रयास करें।

आपका पोस्टल विभाग सुदूर गांव से जुड़ा हुआ है। लेकिन रामविलास जी, हम यह कहेंगे कि जितने सही ढंग से काम होना चाहिए वह नहीं हो रहा है। कभी-कभी तो यह भी सुनने को मिला है जिस पर एक कहानी हम आपको सुना रहे हैं। पंजाब में मजदूरी कर रहे एक आदमी ने अपने घर एक चिट्ठी लिखी। चार साल बाद अपने घर जाकर वह मर गया और उसके मरने

के सात साल के बाद वह चिट्ठी उसके घर पहुंची। उसकी बीवी वह चिट्ठी देखकर रोती थी। पंजाब से चलकर बिहार तक चिट्ठी के पहुंचने में इतना समय लग जाए, यह हमारी समझ में नहीं आता है।

आपने घोषणा की है कि तीन किलोमीटर की दूरी पर ग्रामीण क्षेत्रों में आप नये डाकघर खोलेंगे। लेकिन कुछ इलाके प्राकृतिक परिस्थितियों से घिरे होते हैं, इसलिए उसमें दूरी को महत्व नहीं देना चाहिए। एक उदाहरण के लिए हमने एक पत्र आपको लिखा है। हमने एक पत्र लिखा था। आपके पहले जो मंत्री थे उनके यहां भी पत्र लिखा था। सीवान जिले के दस्तूर थाना क्षेत्र में एक गांव गमछो है। वह अति पिछड़ी जाति की बस्ती है। वहां एक भी उच्च जाति का नहीं है। वह छपरा और सीवान जिले का बॉर्डर है। बीच से गोहारी नदी गुजरती है। वहां के लोगों के पास कोई साधन नहीं हैं। वहां के लोगों ने कई बार कहा और हमने पत्र भी लिखा। पत्र का इतना जवाब आ चुका है कि पत्र प्राप्त हुआ, आवश्यक कार्रवाई कर रहा हूं। पदाधिकारी जांच करने जाते हैं तो लगता है कि उनकी मानसिकता बन गई है कि यदि सांसद किसी बात को लिखें तो उसका नैगेटिव उत्तर देना है। ऐसे नहीं चल पाएगा। आप मजबूत आदमी हैं। अगर ऐसे नैगेटिव उत्तर देने की प्रक्रिया सरकार में चलती रहेगी तो वह अच्छी बात और परम्परा नहीं है। आप सुदूर इलाकों को दिखाइए। जहां कोई साधन नहीं हैं वहां डाकघर खुलवाइए। सारंग जिला जो गोपालगंज और छपरा जिले का बॉर्डर है, मैंने वहां के कोडरिया गांव के सम्बन्ध में भी पत्र लिखा था। वह एक तरफ गंडक की नहर से घिरा है और दूसरी तरफ गोहारी नदी से घिरा है, वहां डाकघर नहीं है। वहां के लोगों को कठिनाई है। आप इन जगहों को दिखाएं। जो इलाके अति पिछड़े हैं, आप वहां के लिए पर्याप्त व्यवस्था करिए।

आप नए-नए एक्सचेंज खोल रहे हैं और पुराने एक्सचेंज भी चल रहे हैं। आपके यहां जो डेली वेजिस पर कर्मचारी काम करते हैं, उनकी छंटनी बहुत बड़ी संख्या में हुई है। हमें जानकारी है कि टेलीफोन एक्सचेंज का रखरखाव कर्मचारियों के अभाव में नहीं हो रहा है। एक कर्मचारी का उदाहरण देकर मैंने आपको एक पत्र भी लिखा था। मुझे उसका नाम याद नहीं है। उसने सात बरस आपके यहां नौकरी की है। आपने उसे रखने का आदेश भी दे दिया था लेकिन अभी तक ऐसा कोई आदेश नहीं हुआ। मैंने वहां जाकर डी.ई.टी. से पूछा भी था। मैंने उससे पूछा था कि सरकार का आदेश आया है तो इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मुझे बताया गया कि एक कानून आपके विभाग में बना है कि मंत्री के आदेश से कुछ से कुछ नहीं होता और इसके लिए कानून बदलना पड़ेगा। वह डेली वेजिस का कर्मचारी था। आपके एक्सचेंजों का रखरखाव और देखभाल नहीं हो पा रही है। एक कर्मचारी जिसने आपके यहां लगातार काम किया और आपने आदेश भी दिया। अगर ऐसी बात है तो यह एक दुखद घटना है। सात साल तक जिस कर्मचारी ने काम किया हो, उसे नौकरी पर रखना चाहिए। आप धन लगाकर इतना बड़ा एक्सचेंज खुलवाते हैं लेकिन वह कर्मचारियों के अभाव में बरबाद होता है। यह देश के लिए अच्छा नहीं है। आप ऐसी जगहों की देखभाल करवाइए। ऐसे कर्मचारी जिन्होंने आपके यहां काम किया, उन्हें रेगुलर नौकरी दीजिए।

सभापति महोदय, हम उम्मीद करते हैं और इस बात के लिए मंत्री जी को भरपूर दिल से बधाई देते हैं कि वे खास करके बिहार के पिछड़े इलाकों की समीक्षा कराएंगे और बिहार में दूरभाष और डाकघर की उचित व्यवस्था करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपको भी धन्यवाद देते हैं।

[अनुवाद]

श्री के.ए. सांगतम (नागालैंड): अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे संचार मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर बोलने का मौका दिया। इससे पहले के वक्ताओं ने दूरसंचार के संबंध में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ समझौते करने और विभिन्न नीतियों के संबंध में बहुत कुछ बोला है। मैं माननीय मंत्री के ध्यान में केवल यही बात लाना चाहता हूं कि 21वीं सदी में दूर संचार क्षेत्र में काफी सुधार हुआ है। प्रौद्योगिकियों का विकास हुआ है और विश्व के सभी देश एक दूसरे के निकट आ गए लगते हैं।

अपराह्न 4.31 बजे

(**श्री पी.एच. पाण्डियन** *पीठासीन* हुए)

इस देश में भी प्रौद्योगिकी में सुधार और उन्नयन के कारण सभी राज्य एक दूसरे के निकट आ गए लगते हैं। परंतु यहां मैं यह कहना चाहूंगा कि पूर्वोत्तर में दूर संचार प्रणाली काफी पिछड़ी हुई लगती है और इस समय जो देश का दूरसंचार घनत्व है वह 2.20 है जबकि पूर्वोत्तर क्षेत्र में यह केवल 0.92 ही है जो बहुत ही कम है। मैं सोचता हूं कि अगर आप जनसंख्या और क्षेत्र की तुलना करें तो पूरे देश की तुलना में पूर्वोत्तर क्षेत्र को अभी बहुत कुछ करना है। मैं संचार संबंधी स्थाई समिति के दसवें प्रतिवेदन की एक दो पंक्तियां यहां उद्धृत करना चाहूंगा। इसमें कहा गया है:

> "1994 की दूरसंचार नीति का लक्ष्य मांग पर टेलीफोन प्रदान करना था और देश के सभी गांवों में 1997 तक एक ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान करना था। उसके बाद

[श्री के.ए. संगमा]

यह लक्षित तारीख 2000 ई. तक और उसके बाद 2002 ई. तक स्थगित कर दी गई थी।''

इसमें आगे कहा गया है:

''नई दूरसंचार नीति 1999 के कुछ और महत्वपूर्ण उद्देश्यों में सभी क्षेत्रों में यूनिवर्सल सेवा प्रदान करना है जिसमें ग्रामीण क्षेत्र भी शामिल हैं, ताकि 2005 तक सात प्रतिशत और 2010 तक 15 प्रतिशत दूर संचार घनत्व बनाया जा सके तथा 2002 तक सभी गांवों में यह सुविधा प्रदान की जा सके।''

अब मैं पूर्वोत्तर के संबंध में कुछ अन्य पंक्तियां कहना चाहूंगा:

[illegible] यह नोट करके अत्यंत चिंतित है कि वर्ष 1999-[illegible]लिए वी.पी.टी. के लिए निर्धारित लक्ष्य 5000 था जबकि 29.2.2000 तक केवल 731 की उपलब्धि ही हो सकी।''

मैं समझता हूं कि अगर आप इन आंकड़ों को देखते हैं तो कुछ अत्यधिक महत्वपूर्ण पहलू हैं जिन पर संचार मंत्रालय को बहुत सावधानीपूर्वक ध्यान देना होगा। मैं इस बात को मानता हूं और यह स्वीकार करता हूं कि कुछ गड़बड़ियां हुई हैं। इस बारे में कोई संदेह नहीं है। परन्तु इस बात पर विचार करते हुए कि नागालैंड जैसे राज्य में, जबसे दूरसंचार विभाग की स्थापना हुई है, एस.डी.ओ. के तीन पदों में से इस समय केवल एक ही एस.डी.ओ. है, एस.टी.ई. के पन्द्रह स्वीकृत पदों में से केवल छह एस.टी.ई. ही हैं, और जे.टी.ओ. के 33 पदों में से केवल 19 ही पदों पर नियुक्ति हुई हैं जहां तक महाप्रबंधक के पद का संबंध है, जो पिछले वर्ष जून में सृजित किया गया था, अभी तक कोई भी नियुक्त नहीं किया गया है। आज तक कोई नहीं आया है। इस स्थिति विशेष को देखते हुए, जिस किसी अधिकारी को भी तैनात किया जाना हो उसे तुरंत तैनात किया जाना चाहिए। महाप्रबंधक, जो कि एक जिम्मेदार व्यक्ति होता है तथा जिसका काम आदेश देना तथा विभिन्न परियोजनाओं की देखरेख करना होता है, की तुरंत भर्ती की जानी चाहिए। शुरू से ही, शिलांग में एक प्रमुख महाप्रबंधक है जिसको पूर्वोत्तर के छह राज्यों, मिजोरम, त्रिपुरा, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड तथा मेघालय का काम देखना होता है। जैसा कि मेरे दल के एक वक्ता ने पहले कहा है वह केन्द्रीय मंत्री भी थे - इस क्षेत्र को दो भागों में विभाजित किया गया था तथा उन्होंने असम के लिए भी एक प्रमुख महाप्रबंधक का पद सृजित किया था।

शिलांग में स्थित प्रमुख महा प्रबंधक को क्रमबद्ध रूप से छह राज्यों के विस्तृत क्षेत्र की देख रेख करनी पड़ती है। ये छोटे राज्य हैं परन्तु वे किसी भी अन्य राज्यों के बराबर हैं। ये राज्य भी गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार इत्यादि जैसे अन्य बड़े राज्यों की तरह ही हैं। प्रमुख महाप्रबंधक को एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने के लिए पांच-छह सौ किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। दुर्गम तराई को देखते हुए, मैं समझता हूं कि प्रमुख महाप्रबंधक का एक और पद बनाए जाने की आवश्यकता है जिसे हम प्रमुख महाप्रबंधक, पूर्वोत्तर-I का नाम दे सकते हैं जिसका मुख्यालय पहले ही की तरह शिलांग में होगा और जो मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय का काम देखेगा। दूसरा प्रमुख महाप्रबंधक नागालैंड, मणिपुर और अरूणाचल प्रदेश का काम देख सकता है। उसका मुख्यालय दीमापुर में रखा जा सकता है क्योंकि अरूणाचल प्रदेश, नागालैंड के उत्तर में है और मणिपुर नागालैंड के दक्षिण में स्थित है।

शिलांग, असम और मेघालय की पुरानी राजधानी होने के कारण, तथा कभी-कभी हम इसे पूर्वोत्तर की राजधानी भी कहते हैं, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय का काम देखना जारी रख सकता है। इस तरह जो लक्ष्य हमने अभी बताया उसे प्राप्त कर सकेंगे। अन्यथा हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। अन्यथा, यह केवल एक सपना ही रह जाएगा। इसका कारण यह है कि आज तक एक वर्ष में प्रमुख महाप्रबंधक कुछ राज्यों जोकि उसके कार्यक्षेत्र में आते हैं उनमें नहीं जा पाए हैं। वहां बहुत ही शोचनीय स्थिति है।

मैं केवल एक राज्य के एक पहलू की बात कर रहा हूं। मिजोरम, अरूणाचल प्रदेश इत्यादि जैसे अन्य कई राज्य हैं जहां सड़क मार्ग इतना खराब है कि किसी खास जगह पर जाने के लिए कुछ अधिकारियों को कई दिन लग जाते हैं।

इसलिए, मैं समझता हूं कि हमें इस प्रकार की समस्याओं के बारे में सोचना चाहिए जिनका सामना विभाग को करना पड़ता है। अब हम इन्टरनेट, वीडियो कान्फ्रेंसिंग, ई-मेल इत्यादि की बात कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि पूर्वोत्तर में ऐसी आधार संरचनात्मक सुविधाएं नहीं हैं। अब हम जो भी प्रयोग कर रहे हैं वह हमें गुवाहाटी के माध्यम से कोलकता से मिलता है। अगर किसी को इन्टरनेट पर काम करने का मौका मिलता है तो इस पर भी तीन से चार घंटे तक लग जाते हैं। यह समय की काफी बरबादी है। चैनलों की संख्या बहुत कम हैं। इसलिए मैं मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि जब प्रधानमंत्री के पूर्वोत्तर के पैकेज में दस प्रतिशत की पर्याप्त राशि है तो मैं समझता हूं कि उस धन का प्रयोग उपग्रह के माध्यम से इन्टरनेट सेवा का उपयोग करने के

लिए एक एंटिना लगाए जाने के लिए किया जा सकता है और उस विशेष सेवा का फायदा पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र को पहुंचाया जा सकता है।

कई अन्य बातें हैं जिनका उल्लेख भी मैं करना चाहूंगा। पूर्वोत्तर में कार्यरत कई अधिकारियों के पास सही आवास या क्वार्टर्स नहीं हैं। कभी-कभी भवन उपलब्ध नहीं होते। कभी-कभी एक्सचेंजों को किराए के भवनों में स्थापित किया जाता है। मैं समझता हूं कि हमारे पास जो अव्यपगत राशि है उससे हम कर्मचारियों तथा एक्सचेंजों के लिए और भवनों का निर्माण कर सकते हैं।

कुछ बहुत गंभीर किस्म के दुराचार के मामले हैं जिन्हें कुछ संसद सदस्यों के ध्यान में लाया गया है। मैं समझता हूं कि कुछ संसद सदस्यों ने इस पहलू की ओर मंत्रालय का ध्यान आकर्षित किया है कि असम के डिबरूगढ़ जिले में मोरान के निकट एक एक्सचेंज है जहां कुछ दूरसंचार अधिकारी आई.एस.डी. के लिए मुम्बई, कोलकत्ता इत्यादि तक से कनेक्शन पाने में शामिल हैं। मैं समझता हूं कि यह मामला आपके ध्यान में आ चुका है और इसीलिए समुचित जांच की जानी चाहिए। करोड़ों रुपये बरबाद हो गए हैं। यह नियमों के उल्लंघन का बहुत अधिक गंभीर मामला है। यह गंभीर चिन्ता का विषय है जिस पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए।

अन्य छह राज्यों के बारे में भी कुछ पहलू हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। असम को भी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरूणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मेघालय से संबंधित कई कार्य और व्यापार असम के माध्यम से होते हैं। इसीलिए, असम में दूरसंचार सुविधाओं को समुचित रूप से उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है।

इसके अलावा, अब मणिपुर, नागालैंड और मेघालय में कई स्थानों पर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार केन्द्रों का निर्धारण भी किया गया है। निकट भविष्य में इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होगी। अगर हम शुरू से ही सही उपाय नहीं करते तो म्यानमार, बंगलादेश इत्यादि जैसे सीमापार के देशों के लोग यहां आने के इच्छुक नहीं होंगे क्योंकि आज अधिकांश कार्य दूरसंचार प्रणाली से हो रहा है और हो सकता है उन्हें हमारी वर्तमान प्रणाली उपयुक्त न लगे।

इसलिए, मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि मणिपुर जैसे स्थान जो हमारे लिए महत्वपूर्ण व्यापार केन्द्र हैं का पूर्ण विकास किया जाना चाहिए। हाल ही में नागालैंड में हमने तीन व्यापार केन्द्र को खोला है पोगरों, पंगरूचा और एक अन्य लोंगवा में जो सीमा के निकट है।

मैं सोचता हूं, इन टेलीफोन एक्सचेंजों को शीघ्र लगाया जाना चाहिए ताकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केन्द्रों को बढ़ावा मिल सके क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार व्यापार की काफी संभावनाएं हैं। वे यहां सागवान लाएंगे, वे यहां बहुमूल्य पत्थर ला सकते हैं इसके लिए, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संयोजन की आवश्यकता है। जब तक आप टेलीफोन की सुविधा प्रदान नहीं करते, तब तक ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केन्द्र होने का कोई अर्थ नहीं है।

मैं डाक-विभाग पर पुनः वापस आता हूं, डाक-सुविधाएं पूर्वोत्तर राज्यों में स्वतंत्रता से भी पूर्व शुरू हो चुकी थी। आज, उसमें काफी सुधार किया गया है परंतु अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है क्योंकि सुदूर प्रदेशों जैसे अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड और मेघालय में अधिकतर आवास किराये के हैं और हमारे पास विभाग की अपनी इमारत नहीं है।

मुझे बताया गया कि पिछले साल, प्रधान मंत्री के दस प्रतिशत रद्द न होने वाली निधि से 3 करोड़ रुपये वापस किए गए। मुझे लगता है, इस प्रकार पूर्वोत्तर की परियोजनाओं के लिए रखी गयी इस राशि का उपयोग किया जा सकता है। यही नहीं, हम इससे मोटर-वैन खरीद सकते हैं जिससे डाक एक स्थान से दूसरे पर शीघ्र पहुंचेगी। ऐसे कई स्थान हैं जहां ऐसी सेवाओं की आवश्यकता है, परन्तु वहां यह अब तक उपलब्ध नहीं है। नागालैंड में, हाल ही में मोटर-वैन की सुविधा उपलब्ध कराई गई, परंतु ऐसे कई अंदरूनी भाग हैं जैसे की फिरे, मोन, तुइनसूंग, वोखा, झुनेबोरो और टेनिंग जहां आवागमन के साधन नहीं हैं और दिल्ली से भेजे पत्रों को वहां पहुंचने में कम कम से कम दो से तीन हफ्ते लग जाते हैं। यदि विभाग इन वाहनों को आरंभ करते हैं तो समय की बचत होती है और डाक को एक हफ्ते में पहुंचाया जा सकता है और लोगों को उनके पत्र और पार्सल सही समय में मिल सकते हैं।

दूसरा पहलू कंप्यूटरीकरण का है, कई अभिभावक, जिनके बच्चे देश के विभिन्न भागों में पढ़ते हैं, अपने बच्चों को घरों से उनके शिक्षण स्थल पर मनिआर्डर भेजते हैं जिन्हें मिलने में बच्चों को महीनों लग जाते हैं। इसलिए, यदि इन पोस्टआफिसों में कंप्यूटर को लगाया जाए तो, ई.एम.एस. सेवा को आरंभ किया जा सकता है जिससे पैसे शीघ्र पहुंच जाएंगे।

यही बात हमारे डाक विभाग में कार्यरत अधिकारियों के संबंध में भी सच है। वे काफी परिश्रम करते हैं, शिलांग में

[श्री के.ए. सांगतम]

कार्यालय होने की वजह से मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल को छहों राज्यों का दौरा करने में कठिनाई आती है। इसलिए, मेरा सुझाव है कि दीमापुर में मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल का एक और कार्यालय स्थापित किया जाए जिससे मणिपुर, अरूणाचल प्रदेश और नागालैंड को सेवाएं प्रदान की जा सकें।

इसके पश्चात्, यह बड़े दुःख की बात है कि श्रीमती सुषमा स्वराज के संचार मंत्री के रूप में कार्यकाल के दौरान, मुख्य जनरल मैनेजर के पद को दिल्ली स्थानांतरित किया गया ताकि किसी को स्थान दिया जा सके और पदस्थ व्यक्ति को आज तक वापस स्थानांतरित नहीं किया गया। इसमें, पदोन्नयन करने के बजाय और अधिक डाक-घर खोलने के बजाय, ऐसा लगता है कि [illegible] दिल्ली में ही सब कुछ ला रहे हैं। फिर भी यदि [illegible] दिल्ली में स्थापित करना चाहता है तो, इस पद [illegible] नहीं लाया जाना चाहिए। मुझे लगता है, यह काफी गंभीर मामला है और मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इस ओर ध्यान दें।

श्री राम विलास पासवान : किस जगह से मुख्य महाप्रबंधक का पद लाया गया था?

श्री के.ए. सांगतम : इसे शिलांग से दिल्ली लाया गया था।

श्री राम विलास पासवान : सी.जी.एम. के पद संबंधी आदेश दिए जा चुके हैं।

श्री के.ए. सांगतम : यह आपके कार्यभार संभालने से पूर्व जारी किए गये थे।

श्री राम विलास पासवान : आपका पहला मुद्दा यह है कि आप नागालैंड में सी.जी.एम. का एक पद चाहते हैं।

श्री के.ए. सांगतम : जी हां।

श्री राम विलास पासवान : आपका अन्य मुद्दा है कि सी.जी.एम. का कार्यालय शिलांग में नहीं है।

श्री के.ए. सांगतम : जी हां, मुख्य महाप्रबन्धक का पद दिल्ली लाया गया और जो व्यक्ति यहां पर आया उसे अपर सचिव का पद दिया गया।

श्री राम विलास पासवान : उन्हें कहां से लाया गया?

श्री के.ए. सांगतम : उन्हें शिलांग से लाया गया। जिस अधिकारी को दिल्ली लाया गया और उसे ही अपर सचिव का पद देकर दिल्ली स्थानांतरित किया गया। परंतु यदि आप इसे रोकने का आदेश देते हैं तो, मैं आपको इसके लिए धन्यवाद दूंगा।

श्री राम विलास पासवान : जी नहीं, मैं आपको पूर्ण उत्तरदायित्व से कहता हूं कि सी.जी.एम. और पी.एम.जी. दोनों के पद शिलांग में हैं और श्री चीतले वहां पर कार्यरत हैं।

श्री के.ए. सांगतम : आपके आने से पहले, इस पद को उसके पदाधिकारी के साथ स्थानांतरित कर दिया गया, जो ठीक नहीं था।

श्री राम विलास पासवान : मैं इस मामले को देखूंगा।

श्री के.ए. सांगतम : इसलिए, इन राज्यों की निगरानी के लिए, मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल को शिलांग में होना चाहिए, बाकी तीन राज्यों के लिए, मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल को दीमापुर तैनात किया जाए। ये सुझाव है जिन्हें मैं देना चाहता हूं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए रखा गया दस प्रतिशत का व्यपगत न होने वाली निधि को पूर्वोत्तर क्षेत्र में अधिक इमारतों के निर्माण के लिए उपयोग में लाना चाहिए, विशेषकर भीतरी भागों में, पोस्ट ऑफिस के अलावा, कर्मचारियों के आवास और सरकारी जमीनों की चारदीवारी बनानी चाहिए क्योंकि ऐसी खबरें हैं कि लोग सरकारी जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। इस राशि का उपयोग अतिक्रमण रोकने के लिए करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री सुबोध मोहिते (रामटेक): सभापति जी, मैंने यहां पर चार-पांच भाषण सुने।

[अनुवाद]

उन्होंने कई मुद्दों को दोहराया है जैसे टेलीफोन एक्सचेंजों को लगाना, डाक-घर, संविदा, ज्ञापनों में भ्रष्टाचार, अधिकारियों के तबादले, विशेष लॉबी को ठेका देना, घोटाले, कांड इत्यादि। सर्वत्र, ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार है, यही सार्वजनिक सत्य है। मैं इस मामले पर इस महान सभा में चर्चा नहीं करना चाहता। मैं जो भी बात करूंगा, वह राष्ट्र के हित में होगी।

[हिन्दी]

जैसा हम बोलते हैं कि,

[अनुवाद]

दूरसंचार एक विशाल विभाग है। यह यातायात का चौथा साधन है पहला साधन है वायु, दूसरा है जल और तीसरा है सड़क।

[हिन्दी]

जब हम बोल रहे हैं कि, यह तीव्रतम गति का यातायात साधन है। यह विशाल विषय है। मैं केवल तीन मुद्दों पर बोलूंगा। मेरी चर्चा विशिष्ट होगी और वह भी तीन मुद्दों पर; प्रथम मुद्दा है भारतीय तार अधिनियम; दूसरा मुद्दा टी.आर.ए.आई. से संबंधित है; तीसरा मुद्दा राजस्व हिस्सेदारी नीति; और चौथा मुद्दा है मोबाइल टेलीफोन की कीमतों में कटौती। मैं आपका ध्यान एक स्लोगन की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। जब मैं दिल्ली में घूमता हूं तो किसी भी बस के ऊपर या एडवर्टाइज बोर्ड में एक स्लोगन लिखा होता है कि "एम.टी.एन.एल. दिल्ली की जीवन रेखा है।" जब हम लाइफ लाइन की बात करते हैं तो जिसे हम हिन्दी में हम जीवन रेखा बोलते हैं, जीवन रेखा का मतलब यह होता है कि यदि एक बार जीवन मिट जाये या मौत आ जाये तो फिर जीवन नहीं मिलता। लेकिन एम.टी.एन.एल. की तरफ से जो स्लोगन दिखाया जा रहा है, क्या यही वास्तविकता है? इसे जीवन रेखा बोलते हैं, यह एम.टी.एन.एल. की लाइफ लाइन है, वह ग्राउंड रियेल्टी नहीं है क्योंकि यह बार-बार बंद होता है। एम.टी.एन.एल. की जो जान है टेलीफोन का साउंड है, वह बार-बार बंद होता है। इसलिए यह जो स्लोगन है "एम.टी.एन.एल. दिल्ली की जीवन रेखा है", मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि बार-बार उसकी लाइन बंद हो जाती है। मैं कोई भी बात बोलूंगा, लॉजिक के साथ बोलूंगा।

[अनुवाद]

मैं दिल्ली से ही एक उदाहरण बताता हूं। भीकाजी कॉमा प्लेस में दूरसंचार महत्वपूर्ण सहायक प्रणाली है। मार्च महीने में, लगातार पंद्रह दिनों तक, लगभग 1500 टेलीफोन निष्क्रिय रहे।

[हिन्दी]

जो स्लोगन दिखाया जा रहा है, जो लाइफ लाइन शब्द यूज किया जा रहा है, उसको थोड़ा इम्प्रूव करने की जरूरत है, ऐसा मैं समझता हूं। दुख की बात यह है कि भीकाजी कॉमा के जो कसर्न्ड जी.एम. थे, उन्होंने इस बात का कोई काग्नीजैंस नहीं लिया। उन्होंने जनता की शिकायतें सुनने का कभी कोई प्रयास नहीं किया। भीकाजी कॉमा प्लेस क्षेत्र के जनरल मैनेजर ने कोई प्रयास नहीं किया। मैं सोच और समझ सकता हूं कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि उनको 60 साल तक तनख्वाह मिलनी है। मैं पासवान जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे पास एक लैटर है, जो मैंने जनवरी को लिखा था, जिसमें मैंने कुछ जानकारी मांगी थी, लेकिन मुझे आज तक उसका जवाब नहीं मिला। यहां तक कि यह जवाब भी नहीं मिला कि इसको हम एक्जामिन करा रहे हैं। इस पत्र की कापी मैं सदन के माध्यम से उनको देना चाहता हूं।

सभापति महोदय, मैं दो-तीन बिन्दुओं की ओर आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा। इसमें प्रस्तावना पहला मुद्दा है। मैं कुछ इस बारे में फैक्ट्स और फिगर्स देना चाहूंगा, जिन पर विचार करने के साथ-साथ निर्णय होना भी राष्ट्र हित में आवश्यक है। इंडियन टेलीग्राफ एक्ट अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा है। वे अपनी गलती हिन्दुस्तानियों पर लादकर चले गए। यह एक्ट 1885 में बना था अर्थात् 125 साल पहले इस एक्ट का फार्मेशन हुआ था। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन हमारे सिर पर इस एक्ट को रख गए। अधिनियम कार्य जारी रखने की मूल अवधारणा देता है। यह कार्य आरंभ करने का बिंदु है। यह कार्य की शुरूआत का बिंदु है। अगर हवाई जहाज का रनवे ठीक न हो तो वह टेकअप नहीं ले सकता। उसी प्रकार से इस एक्ट की बात है। जो 125 साल पुराना एक्ट है और जो टेलीकॉम प्रेक्टिस और टेलीकॉम पालिसी है, अगर तुलना की जाए तो यह एक्ट आउटडेटेड है। इसका मतलब जो लीगल कम्पलशन बने हुए हैं, वे इस एक्ट के प्रोविजन होने से लागू नहीं हो पाते और यूजर्स लूजर्स हो रहे हैं। इसका कारण है 1885 में बनाए अधिनियम में पर्याप्त प्रावधानों का न होना। इस एक्ट में काफी संशोधन हुए हैं, लेकिन केवल संशोधनों से काम नहीं चलेगा। इसलिए मैं पासवान जी से विनती करना चाहूंगा कि जो यह 1885 का एक्ट बना है, यह बदलना होगा। आज हम ग्लोबल तकनीक की बात कर रहे हैं। नया एक्ट डिजीटल टेक्नोलॉजी के आधार पर बनाना चाहिए। जैसे संविधान बचाओ रैली निकालो का नारा कुछ लोग देते हैं तो संविधान बचाने के लिए रैली निकालने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए इस पर गम्भीरता से मंत्री जी विचार करें।

मेरा दूसरा पाइंट टी.आर.ए.आई. है। अभी पूर्व वक्ता ने बहुत अच्छी बात कही कि टी.आर.ए.आई. तो ट्राई हो गई है। टी.आर.ए.आई. की स्थापना 1997 में हुई थी। मजे की बात यह है कि यह फंक्शनिंग में आने से पहले ही इसमें स्प्लिट हो गया। टी.आर.ए.आई. का गठन 1997 में हुआ था और तीन साल की अवधि में यह दो भागों में बट गया। टी.आर.ए.आई. और सैटल-मेंट ट्रिब्यूनल। मेरा सवाल यह है कि जब टेलीकॉम विभाग ने 1997 में टी.आर.ए.आई. की स्थापना की, टी.आर.ए.आई. को इतनी जल्दी दो भागों में बांटने की क्या आवश्यकता थी? ठीक है आपने

[श्री सुबोध मोहिते]

कर दिया, यह जो निर्णय लेना था यह पहले क्यों नहीं सोचा और उसी समय क्यों नहीं किया। तीन साल पहले जो स्ट्रेटेजी कायम की, उस समय क्यों नहीं किया। इसमें संसद का काफी समय लगा और इसके ऊपर जो खर्चा हुआ वह बेकार गया। सबसे बड़ी बात है कि जो यूजर्स का बेनिफिट है, वह भी उनको नहीं मिल रहा है। मैं कोई टीका नहीं करना चाहता हूं, लेकिन दूरसंचार की नीति में कोई दूरदृष्टि नहीं है।

तीन साल पहले बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था। मेरा तीसरा मुद्दा लाइसेंस शुल्क और राजस्व हिस्सेदारी शुल्क है। यह एकदम हॉट मुद्दा है। काफी गंभीर मुद्दा है। सबसे पहले मैं जगमोहन जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। अभी वह यहां बैठे थे, अभी उठकर चले गये हैं। वह बधाई के पात्र हैं। मैंने उनके टाइम [illegible] ही है। उनकी एप्रोच अच्छी थी। उनका दृष्टिकोण [illegible] और उनका सब पर नियंत्रण भी बहुत अच्छा है। जो क्लेम्स सैटिल किये हैं और जो रेवेन्यू रिसीप्ट आने वाली थी, श्री जगमोहन के कार्यकाल में राजस्व की वसूली मुख्य उपलब्धि थी। मैं श्री जगमोहन का अत्यंत आभारी हूं। मैं भाषण नहीं करना चाहता लेकिन रेवेन्यू और लाइसैंसिंग पॉलिसी के कुछ सवाल मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। मेरा पहला सवाल है कि रेवेन्यू और लाइसैंसिंग पॉलिसी के कुछ सवाल मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। मेरा पहला सवाल है कि रेवेन्यू शेयरिंग पॉलिसी एडॉप्ट करने के मापदंड क्या हैं? राजस्व हिस्सेदारी शुल्क को प्राप्त करने के क्या मानदंड हैं? मेरा दूसरा सवाल है कि क्या प्राइवेट ऑपरेटर्स का इस पॉलिसी के एडॉप्ट करने पर सरकार के ऊपर दवाब था? यह पॉलिसी एडॉप्ट करने पर प्राइवेट ऑपरेटर्स को कितना फायदा होगा तथा सरकार को कितना नुकसान होगा? क्या आपने इस बारे में एनेलिसिस की है? जो कंपनी लॉस मेकिंग होगी तो उसका फिक्स रेवेन्यू सरकार को कैसे आएगा, उसकी गारंटी सरकार नें कैसे तय की है? सरकार प्री-पेड कार्ड जैसी योजनाओं पर नियंत्रण कैसे रख रही है? जो प्रीपेड कार्ड है, जिसका कोई एकाउंट नहीं होता है, फेयर रेवेन्यू डिक्लेरेशन के चांसेस कितने हैं? आप उनका ऑडिट कर रहे हैं लेकिन प्राइवेट ऑपरेटर्स को टाइम टू टाइम चेज करने के लिए बैलेंसेज देखने के लिए, मोनिटरिंग और कंट्रोल के लिए आपके क्या मेजर्स हैं? निजी संचालकों से मिलने वाले राजस्व पर निगरानी करने और उस पर नियंत्रण करने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं? जो डिफॉल्टर्स हैं, जैसे दो या ढाई हजार डिफॉल्टर्स हैं, उनकी विद इंटरेस्ट रिकवरी करने के लिए आपने क्या कदम उठाए हैं? सरकार बकाया राशि को ब्याज सहित वसूलने के लिए क्या कदम उठा रही है? मेरा आठवां प्वाइंट है कि जो डिफॉल्टर्स हैं, उनके लाइसेंस कैंसिल कर दिये गये। कमेटी की रिपोर्ट में दिया गया है लेकिन जो दो ऑपरेटर्स हैं, एक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया। उसकी मोनोपली रोकने के लिए आपने क्या कदम उठाए हैं? इसका अर्थ है, केवल एक ही प्रचालक है। आप नेशनल लैवल की बात कर रहे हैं। कारगिल वॉर करते हैं, पैसा खर्च करते हैं लेकिन यह सब करते हुए हम अपनी नज़र में गिर रहे हैं, इसके बारे में भी सोचना जरूरी है। मैं तीन पी की बात कर रहा हूं - पापुलर, पब्लिक, परसेप्शन पब्लिक का परसेप्शन क्या है, यह जानना भी जरूरी है। मैं सदन से विनती करता हूं कि जो भी पॉलिसी एडॉप्ट करिए, उसमें पब्लिक के इंटरेस्ट को डिनाइ करके पॉलिसी एडॉप्ट नहीं कर सकते, इसलिए टेलीकम्युनिकेशन विभाग को व्हाइट पेपर निकालना चाहिए ताकि कम्युनिकेशन पर फेयर पॉलिसी हो सके। एम.टी.एन.एल. ने मोबॉइल दिया है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप अपना भाषण समाप्त करें। आपने पहले ही काफी समय ले लिया है।

श्री मणि शंकर अय्यर (मयिलादुतुराई): वे काफी अच्छे मुद्दे उठा रहे हैं ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 5.00 बजे

[हिन्दी]

श्री सुबोध मोहिते : एम.टी.एन.एल. ने अभी-अभी एक स्कीम लांच की है, जिसे हम एम.टी.एन.एल. लूप मोबाइल फोन बोलते हैं। उसके अंदर सिम कार्ड नहीं है, जिसका रेट 1 रुपए 40 पैसे तीन गिनट के लिए है। तथापि, बी.पी.एल.-ए.टी. एण्ड टी. के समानांतर उपकरण जो हमारे पास है, उसका बी.पी.एल.-ए.टी. चार रु. है। मेरा सवाल पासवान जी से यह है कि 1 रुपए 40 पैसे और चार रुपए का अंतर क्यों है। मैं इसका उत्तर भी देना चाहूंगा। यह इसलिए है क्योंकि सर्विस का जो सिस्टम है, इसे दो भागों में बांटा गया है। एक है स्थिर परिसंपत्ति जिसे हम नेटवर्क प्रणाली कहते हैं और द्वितीय है सेवा। एम.टी.एन.एल. ने 1 रुपए 40 पैसे में इसलिए दिया है,

[अनुवाद]

उनके पास वर्तमान परिसंपत्ति है और उनके पास नेटवर्क है। वे केवल उपभोक्ताओं को अतिरिक्त सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इसके विपरीत, निजी मोबाईल धारकों को परिसंपत्ति का निर्धारण करना पड़ता है, इसी कारण दरें भी अधिक हैं।

[हिन्दी]

मैं इनको बढ़ावा नहीं दे रहा हूं, लेकिन एम.टी.एन.एल. का रेट और प्राइवेट ऑपरेटर्स का रेट पैरलल लाने के लिए मेरा केवल

सजेशन है और वह यह है कि अगर दो ऑपरेटर दिल्ली में काम कर रहे हैं और उनका रेट चार-चार रुपए है, वे दोनों ऑपरेटर्स अपनी-अपनी ऑप्टीकल फाइबर केबल डाल रहे हैं तो गवर्नमेंट को ऐसे स्टेप लेने चाहिए ताकि दोनों का ज्वाइंट वेंचर करके, दोनों का एक ही केबल हो, यानी केपेसिटी यूटिलाइजेशन दोनों को क्लब करनी है।

[अनुवाद]

अंतरनगरीय केबलों की दर को घटा कर 50 प्रतिशत किया जाना चाहिए।

मेरी ओर से एक और सुझाव है। जो कुछ भी सुविधाएं हम निजी संचालकों को दे रहे हैं वह है जी.एस.एम. 900, जिसे 1800 तक बढ़ाया जाना है। यह उससे अधिक होगा जो हम अभी दे रहे हैं।

मैं एक मिनट में समाप्त करता हूं।

हम सूचना तकनीक के बारे में बहुत बोल रहे हैं। परंतु मैं यह कहना चाहूंगा कि दूरसंचार यातायात का चौथा साधन है।

[हिन्दी]

यह हवाई जहाज से भी फास्ट है। अगर हम मुंबई में हवाई जहाज में बैठें तो उससे पहले हम मैसेज दे सकते हैं।

[अनुवाद]

यह यातायात का मुख्य साधन है। भारतीय अर्थव्यवस्था की सफलता दूरसंचार विभाग से ही निर्धारित होती है। यही सार है। यदि हम अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारना चाहते हैं तो, दूरसंचार विभाग ही अकेला विभाग है, जो यह कर सकता है। परंतु यह करने के लिए, हमें कुछ विचार का विकास करना होगा।

[हिन्दी]

मैं पासवान जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने जो स्कीम शुरू की है, उसे रूरल एरिया तक ले जाने की कोशिश करें। आप गरीबों के पास जा रहे हैं, लेकिन गरीबों की बात सुनने के लिए नहीं जा रहे हैं। अगर कोई गरीब की मां है, उसकी बेटी शहर में जाए और बेटी मां को बोले कि तुम कैसी हो,

[अनुवाद[

यह टेलीफोन का उचित उपयोग नहीं है। हमारे लिए टेलीफोन की उपयोगिता इंटरनेट के माध्यम से गांवों को शहरों से जोड़ने के लिए है। मैं ग्रामीण क्षेत्र से हूं।

[हिन्दी]

मैं उदाहरण के साथ बता सकता हूं। अगर मेरे गांव में फोन आ गया और मेरा बच्चा शहर में पढ़ता है तो मैं पूछूंगा कि बेटे तुम कैसे हो, तो यह फोन का प्रोपर यूज़ नहीं है। अगर आप मेरे गांव को इंटरनेट से जोड़ दें और मेरे खेत में तो संतरा होता है, वहां अगर हम 50 रुपए में सौ के हिसाब से बेचते हैं और मुझे इंटरनेट के माध्यम से पता चलता है कि दिल्ली में रेट हजार रुपए है,

[अनुवाद]

यही दूरसंचार विभाग का उचित उपयोग होगा। यह सब बातें करने के लिए सरकार के पास कुछ विचार और कुछ तकनीक होनी चाहिए।

[हिन्दी]

मुझे पासवान जी से काफी आशा है, वह बड़े डायनेमिक परसन हैं। मैं काफी उम्मीदों के साथ रिजल्ट देखने की तैयारी करते हुए, उन्हें नमस्कार करते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, संचार मंत्री जी ने एक पत्र हमें दिया था, हमें लगता है कि सभी सदस्यों को दिया होगा कि सेलुलर फोन ले लीजिए। उसके लिए फार्म भी मिला है। हम बड़े खुश हुए। हम देखते हैं कि सेलूलर फोन से लोग किसी से भी बात कर लेते हैं। लेकिन हमें पता लगा कि इसका 10 हजार रुपया लगेगा, लेकिन हम कहां से देंगे? कानून में हमें मुफ्त में टेलीफोन मिलने की बात है। यह कानून उस जमाने से बना हुआ है जब से टेलीफोन लगा है। इसलिए सेलूलर फोन भी हमें मुफ्त में मिलना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (वाराणसी): आपको वेतन मिलता है तब फ्री में क्यों मांगते हो।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : वेतन रोटी के लिए मिलता है। जो अपने से खरीद सकते हैं वे खरीद लें, लेकिन जो नहीं खरीद सकते हैं उनको मुफ्त में मिलना चाहिए। इसका फायदा यह होगा कि अगर गरीब आदमी कहेगा कि हमको यह कठिनाई है तो हम

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

उसी वक्त कलैक्टर को या मंत्री को सेलूलर फोन लगाकर कह सकते हैं और मामले का तुरंत समाधान हो जायेगा। इसका बहुत उपयोग है। इसलिए कानून में ऐसा सुधार करें जिससे यह 10 हजार रुपया न लगे। ...*(व्यवधान)* पहले गांव में इसकी रूचि नहीं थी लेकिन अब सब समझ गये हैं कि यह काम की चीज है, इसलिए इसकी बड़ी मांग है। सब लोग सांसद कोटे से टेलीफोन लगवाने के लिए कहते हैं। चार-पांच वर्ष से लोग पैसा जमा किये हुए हैं। सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली और अररिया। सीतामढ़ी में 1993 में जिन्होंने टेलीफोन के लिए पैसा जमा कराया था उन्हें अभी तक टेलीफोन नहीं मिला है। वैशाली में 1994 से टेलीफोन नहीं मिला है। वहां आठ संसदीय क्षेत्रों में से 6 माननीय संचार मंत्री और दो हमारी हैं। मुजफ्फरपुर जिले में 1995 से टेलीफोन [illegible] संख्या तो याद नहीं है लेकिन संख्या कुछ सौ में [illegible] संचार मंत्री जी उत्तर देते हुए कहते हैं कि मैं तुरंत गांव में टेलीफोन लगवा दूंगा, लेकिन जब उत्तर आता है तो पता चलता है कि कहीं न कहीं पेंच है। हमने जब इसके बारे में पूछा तो हमें बताया गया कि सामान और उपकरण ही नहीं हैं। वे नहीं होंगे तो कैसे काम चलेगा?

श्री राम विलास पासवान : मैं पूरे सदन से कहना चाहता हूं कि इसी बारे में हमारे महाराष्ट्र के साथी आये थे। उनकी भी यही शिकायत थी। मैंने उनको संबंधित अधिकारी के सामने बैठाया। यदि कोई भी पदाधिकारी यह कहता है कि हमारे पास सामान, उपकरण या पैसे की कमी है तो उस पदाधिकारी का नाम हमें दीजिएगा, हम उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करेंगे।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : इसका मतलब यह है कि अधिकारी लोग बरगलाते हैं। टेलीफोन के लिए पहले तो एक हजार रुपया जमा करना होता था लेकिन अब तो कहीं-कहीं पर ढाई या तीन हजार रुपया भी हो गया है।

श्री राम विलास पासवान : जहां-जहां जो रेट्स होते हैं उन रेट्स के हिसाब से हमारे पास वेटिंग-लिस्ट कम होने लगती है, जैसे आंध्र प्रदेश में है। 20 हजार पर वेटिंग लिस्ट आ गई, 6 हजार पर आ गई। वहां हम लोग रजिस्ट्रेशन फी में कटौती कर देते हैं, आधा कर देते हैं। इससे वेटिंग लिस्ट बढ़ जाती है। वह एकाएक 6 लाख बढ़ गई। उड़ीसा में बिहू में 50 परसैंट कर दिया। गुड फ्राइडे के अवसर पर पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट में कर दिया, बनारस, कलकत्ता और आन्ध्र प्रदेश में कर दिया था। कभी-कभी हम लोग किसी ऑकेजन पर 50 परसैंट कर देते हैं और कभी-कभी बढ़ाते भी हैं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हुआ है?

श्री राम विलास पासवान : जब किया जाता है तो पूरे एरिया के लिए किया जाता है। उसमें शहरी और देहाती क्षेत्र का सवाल नहीं है। कभी-कभी अलग-अलग एरिया में किया जाता है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : बिहार टेलीफोन के मामले में बहुत पीछे है। मुझे नहीं लगता कि देश के पैमाने पर उसका क्या स्थान है? हमने बिहार के कई क्षेत्रों का दौरा किया। हमें लगा कि वहां प्रतीक्षा सूची बहुत बड़ी है।

एक माननीय सदस्य : आप आजकल बिहार कम जा रहे हैं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : मैं 21-22 और 23 को एक शादी के अवसर पर बिहार गया था। मैं उस समय 33 गांव घूम कर आया हूं। आप भी उस शादी में गए होंगे। हम लोग वहां की स्थिति देख कर आए हैं।

"तू कहता है कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी।"

गांव घूमने पर हमें जो अनुभव हुआ मैं उसे बता रहा हूं। मैं सर जमीन की बात कह रहा हूं।

एक माननीय सदस्य : यह मुख्यमंत्री आवास के बाहर नहीं जाते हैं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : यह आपका भ्रम है। जब लोगों की बात उठती है और सर जमीन की बात उठती है तो वह इनसे सहन नहीं होती। वहां एक्सचेंज खुलने के बाद काम नहीं होता। हमने पता लगाया कि क्या कारण है कि रात में टेलीफोन से बात नहीं होती? पता लगा कि देश के पैमाने पर कर्मचारी तो पद:स्थापित हैं लेकिन बिजली संकट की वजह से काम ठीक से नहीं हो पाता। वहां विशेष परिस्थिति है। वहां टेलीफोन व्यवस्था सदा चालू रहे, वैसा करने का हम सुझाव देते हैं। मुजफ्फरपुर जिले में साहिबगंज और देवरिया है। साहिबगंज प्रखंड मुख्यालय है और देवरिया भी महत्वपूर्ण स्थान है। वहां दो-तीन घंटे बैठने के बाद फोन नहीं लगता। कहीं से भी बात नहीं होती। हम जब दिल्ली या पटना से वहां टेलीफोन लगाने की कोशिश करते हैं तो फोन नहीं मिलता। मैंने इस संबंध में सवाल भी किया। सवाल का जवाब आया कि ऑप्टिकल फाइबर लगाने से सुविधा होगी। वह अब तक क्यों नहीं लग रहा है? हम कभी-कभी टूटी सड़कें देखते हैं। हमने इसका पता लगाया कि क्या कारण है कि सड़कें टूटी

पड़ी है? कहा गया कि ऑप्टिकल फाइबर लगाया जा रहा है। हमें उस समय लगा कि तरक्की हो गई लेकिन अभी तक देवरिया और साहिबगंज घंटों बैठे रहने पर फोन पर बात ही नहीं होती। पहले कानून था कि टेलीफोन के लिए आवेदन देने पर एक्सचेंज खुल जाएगा लेकिन कितने गांव के लोग यह कानून जानते हैं? हमारे यहां 20-25 लोगों ने आवेदन किया लेकिन एक्सचेंज नहीं खुला। इससे लगता है कि कानून ही खत्म हो गया है। जहां कहीं 10 आदमी टेलीफोन के लिए आवेदन करें वहां एक्सचेंज तुरन्त खुल जाना चाहिए। अगर एक्सचेंज खुले तो वह चालू रहे। बैटरी के अभाव में काम नहीं रुकना चाहिए। फोन नहीं लगा तो बात हुई कि कहां एक्सचेंज की खराबी है, बैट्री डाउन हो गई है, क्या त्रुटि चल रही है, उसमें तकनीकी मामला है?

श्री प्रभुनाथ सिंह : चोरी हो जाता होगा।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : चोरी होकर आपके यहां चला जाता है।

[अनुवाद]

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा): सभापति महोदय, बिहार में बिजली का चोरी बहुत होता है।

सभापति महोदय : जब आपकी बारी आएगी आप बोलिएगा अथवा अपने सदस्य से बोलने के लिए कहिएगा। यह तरीका नहीं है।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : सभापति महोदय, बिहार में बिजली नहीं रहती है तो उसके लिये भारत सरकार कसूरवार है। जब बिजली पर बहस होगी तो मैं बताऊंगा।

श्री राजीव प्रताप रूडी : सभापति महोदय, बिहार में बिजली की हालत यह है कि केवल दो घंटे बिजली मिलती है और यहां इतना भाषण देते हैं। वहां जान माल का खतरा बना हुआ है और ये भारत सरकार को कुसूरवार कह रहे हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आपस में बातचीत मत कीजिए।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : सभापति महोदय, टैक्नालाजी का विस्तार हुआ है। बिना बिजली के टेलीफोन चलाने की टैक्नालाजी है, यह जानकारी इन लोगों को नहीं है क्योंकि ये अज्ञानता की कोठरी में बैठे हुये हैं पर मैं जनता की बात कहता हूं कि बिजली न भी रहे तो भी इस तरह की टैक्नालाजी का विस्तार हुआ है, अनुसंधान हो गया है कि वहां पर टेलीफोन की सुविधा दी जा सकती है। गांव-गांव में टावर लगे हुये हैं लेकिन उनमें 90-95 परसेंट काम नहीं करते। उसमें टैक्नालाजी खराब हो, मेनटिनेंस में कमी हो अथवा उसमें कार्यरत व्यक्ति में कमजोरी हो। अब किसी न किसी कारण टावर लगा और लोग खुश हुये कि सब जगह फोन से बात हो जायेगी लेकिन टावर काम नहीं कर रहा है। इसलिये मैं कहता हूं कि उसकी टैक्नालाजी में सुधार होना चाहिये नहीं तो उसे हटा देना चाहिये और दूसरी टैक्नालाजी लानी चाहिए।

श्री लाल मुनी चौबे (बक्सर): सभापति महोदय, इनका समय खत्म हो गया है, इनको बैठा दें।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : सभापति महोदय, जनता की मांग है और विशेषकर ग्रामीण जनता की जरूरत है क्योंकि शहरों में तो सैल्यूलर चल रहे हैं लेकिन गांवों में टेलीफोन देखने को नहीं है, लोगों की फोन से कभी बात नहीं हुई। इसलिये कहता हूं कि गांवों में टेलीफोन लगाने पर जोर देना चाहिये। जब तक गांव तरक्की नहीं करेगा, हिन्दुस्तान मजबूत नहीं हो सकता। दुनिया के मुल्यों की तुलना में हिन्दुस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिये कोई भी नीति बने, उसका मूल आधार गांव का गरीब आदमी होना चाहिये जिससे हिन्दुस्तान आगे बढ़े। मैं सैल्यूलर फोन को सपोर्ट करता हूं कि माननीय सांसदों को मुफ्त में सेल्यूलर फोन मिलना चाहिये जिससे देहात में जाकर लोगों से कहें और उनकी प्राब्लम्स के लिये तुरंत कलेक्टर या मंत्री से बात कर सकें। इससे जनता प्रभावित होगी कि एक एम.पी. फोन से बोले हैं। हमारे बिहार में पार्लियामेंट की एक सीट के 6 असेम्बली सीट्स हैं जहां एक असेम्बली के लिये 1 करोड़ रुपया मिलता है जबकि यहां 2 करोड़ रुपया दिया जाता है तो इस प्रकार एक असेम्बली के हिस्से में 32 लाख रुपया आता है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : ऐसे मामले यहां नहीं, राज्य विधानमण्डल में उठाए जाते हैं।

[हिन्दी]

श्री लाल मुनी चौबे : क्या देश के सारे गांव बिहार के जैसे गांव बना दिये जायें?

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : आपका क्षेत्र तो बक्सर है जहां की व्यवस्था चौपट है और 50 साल से विधि व्यवस्था चौपट है तो आपको यहां बोलने का क्या अधिकार है?

सभापति महोदय, मैंने जिन सवालों को उठाया है, उनकी तरफ माननीय मंत्री जी ध्यान देंगे। जिस प्रकार से संचार साधनों का विस्तार हुआ है उससे पुराने जमाने की बात भूलकर आज गांव का आदमी घर पर बैठकर ही बात कर सकेगा। चूंकि नई टैक्नालोजी का विस्तार हुआ है, इसलिये गांवों का विकास होगा।

सिंह (मंडी): सभापति महोदय, मैं दूर संचार मांगों के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसी समय टेलीफोन एक लग्जरी माना जाता था, लेकिन आज यह जनमानस की आवश्यकता है। मैं सर्वप्रथम मंत्री महोदय को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक संकल्प लिया है कि सन् 2002 तक गांव-गांव में इस व्यवस्था को पहुंचा दिया जायेगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मंत्री महोदय ग्रामीण क्षेत्र से संबंध रखते हैं और इन्हें गांवों से प्यार है। मुझे विश्वास है कि वह इस संकल्प में सफल होंगे। लेकिन साथ ही यह भी सत्यता है कि सारा लक्ष्य प्राप्त करना आज इतना सरल नहीं है, क्योंकि देश की भौगोलिक सिथति के अनुसार देश के दुर्गम क्षेत्र एक नहीं अनेकों हैं। अभी माननीय सदस्य श्री संतोष मोहन देव अर्द्धनिद्रा में हैं, शायद सो रहे थे, अब जाग गये हैं। जब यह बोल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि वह अपने समय की तारीफ कर रहे थे कि जितने भी अच्छे काम हुए हैं वे इनके समय में ही हुए हैं। माननीय सदस्य श्री रूपचंद जी बोलते-बोलते यहां तक चले गये कि जो टेलीफोन लगाये गये थे, वे भी बंद हो गये, अर्थात् जो भी दुर्गति हुई है वह माननीय मंत्री जी ने की है और आपके समय में चारों तरफ चार चांद लगे हुए थे। अगर आप काम कर गये होते तो फिर आज यह देश दूरसंचार के क्षेत्र में इतना पीछे क्यों होता।

सभापति महोदय, मैं हिमाचल प्रदेश का उदाहरण देना चाहूंगा। हिमाचल प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 55 हजार स्क्वायर किलोमीटर है, जहां से हम चार सांसद चुनकर आते हैं ...*(व्यवधान)* सुन लीजिए, आपको भी बारी आयेगी, कितनी बार सुखराम को याद करोगे। महोदय, मंडी क्षेत्र 32 हजार स्कवायर किलोमीटर में फैला हुआ है, शेष 23 हजार स्क्वायर किलोमीटर से तीन सांसद चुनकर आते हैं। लेकिन 32 हजार स्कवायर किलोमीटर से एक सांसद चुनकर आता है। जितने जनजातीय क्षेत्र लाहौल-स्पीति, किन्नौर, भरमौर और पांगी, ये सब मेरे क्षेत्र में हैं। मै पूर्व संचार मंत्री श्री जगमोहन जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूंगा, मैंने गत वर्ष उनसे एक विशेष आग्रह किया था, जिसके तहत एक साल में एक नहीं 11 एम.सी.पी.सी. आपकी कृपा से मिले, आज उस दुर्गम जनजातीय क्षेत्र में 11 जगह टेलीफोन एक्सचेंजिज लगे हैं, आप कहते हैं कि काम नहीं हो रहा है। महोदय, जहां तक हिमाचल प्रदेश का संबंध है, आज उस सर्किल में 710 एक्सचेंजिज हैं और अधिकांश एक्सचेंजिज तीन-चार वर्षों में लगे और टेलीफोन लाइंस दो लाख 85 हजार हैं। जिस एम.ए.आर.आर. सिस्टम की आप चर्चा कर रहे थे, वे आज 2840 हैं। यह सत्यता है कि एम.ए.आर.आर. सिस्टम बिल्कुल विफल है। यह बात मंत्री महोदय भी स्वयं यहां मान चुके हैं। अब 90 प्रतिशत से अधिक एम.ए.आर.आर. सिस्टम बेकार पड़े हैं और जो स्टोर में सामान है, वह इसके अतिरिक्त है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से विशेष आग्रह करना चाहूंगा कि एम.ए.आर.आर. के अंतर्गत जो सुविधा दी गई है वह न के बराबर है। अच्छा होगा कि इस सिस्टम को हटा दिया जाए, जल्दी से जल्दी रिप्लेस कर दिया जाए।

सभापति महोदय, जहां तक टेलीफोन एक्सचेंजिज का संबंध है मैं पहले ही कह चुका हूं कि इसमें हिमाचल प्रदेश ने कितनी प्रगति की है और टेलीफोन आज कहां तक पहुंचे हैं। इसके अतिरिक्त मैं आपका ध्यान एम.सी.पी.सी. की ओर भी दिलाना चाहूंगा। जैसा मैंने कहा है कि सैटेलाइट सिस्टम और एम.सी.पी.सी. की बहुत आवश्यकता है। मेरे संसदीय क्षेत्र में जितने जनजातीय क्षेत्र है, आप सब लोग जानते है कि वहां रोहतांग पास एक ऐसा पास है कि जो वर्ष में लगभग छह महीने बंद रहता है। विशेषकर लाहौल-स्पीति और पांगी ट्राइबल एरिया में वर्किंग सीजन बहुत कम है। यदि वहां एम.सी.पी.सी. उपलब्ध नहीं करवाये गये तो इस साल का वहां का लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। इसलिए मैं मंत्री महोदय से विशेष आग्रह करना चाहूंगा कि इस जनजातीय क्षेत्र के लिए और जो ऐसे क्षेत्र हैं जहां बर्फ अधिक पड़ती है, वहां समय रहते गर्मी के शुरू में सामान डालना चाहिए, तभी आप लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो हम इसमें बहुत पीछे चले जायेंगे। मुझे विश्वास है कि आप इस बात की ओर विशेष ध्यान देंगे।

सभापति महोदय, जहां तक विल सिस्टम का संबंध है, यह बहुत ही उपयुक्त है। विशेषकर उन क्षेत्रों के लिए जहां हिमखंड गिरते हैं, जहां अधिक हिमपात होता है, लेकिन अभी तक हिमाचल प्रदेश में ट्रायल बेसिस पर थानेधार नामक स्थान पर विल सिस्टम लगाया गया है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में कोई इक्विपमेंट नहीं लगा। इस सिस्टम को हिमाचल प्रदेश में लगाने के लिए जहां-

जहां हिमाचल प्रदेश के चीफ जनरल मैनेजर (टैलीकॉम) ने मांग की है वहां अविलंब लगाने हेतु जल्दी से जल्दी उपकरण उपलब्ध कराए जाएं ताकि उस क्षेत्र में प्रगति हो और यह सिस्टम लगाया जा सके।

सभापति महोदय, जहां तक इनमार सिस्टम का संबंध है, यह सैट मैंने देखा है। यह इस प्रकार का सैट है कि इसे विलेज पब्लिक टेलीफोन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। यह सैट छोटे ब्रीफकेस में बन्द हो जाता है, लेकिन यह जितना हैंडी है उतना ही इसका रेट ज्यादा है। पूर्व में हमें इसके चार्जेज रु. 100/- प्रति मिनट बताए गए, लेकिन आपके हस्तक्षेप के बाद, मंत्रालय ने कहा कि हम दुर्गम क्षेत्रों में रु. 25/- प्रति मिनट लेंगे। आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि 25 रुपए प्रति मिनट भी बहुत ज्यादा हैं और दूरदराज तथा पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले गरीब लोगों के लिए इतना अधिक धन देना संभव नहीं है। इसलिए जब तक इसके रेट लोकल पी.सी.ओ. के रेट के समान नहीं होंगे। तब तक इसका सदुपयोग देश के दूरदराज तथा पहाड़ी व कंदराओं में बसे पिछड़े एवं गरीब लोग नहीं कर पाएंगे। अत: मेरा आपसे अनुरोध है कि इनमार सैट के रेट पी.सी.ओ. के रेट के बराबर लगाए जाएं। विशेषरूप से पहाड़ी तथा पिछड़े व सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए मेरा अनुरोध रहेगा जिसमें हिमाचल प्रदेश के मेरे मंडी संसदीय क्षेत्र का लाहौल-स्पीति, चम्बा जिले का पांगी, भरमौर और किन्नौर जिले का संपूर्ण जनजातीय क्षेत्र आता है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं कि इनमार सिस्टम के दो सैट हमारे प्रदेश को अभी तक मिले हैं जिनमें से एक जनजातीय क्षेत्र में खोकसर नामक स्थान पर लगा है और दूसरा मढ़ी नामक स्थान पर लगा है, लेकिन रेट इतने अधिक हैं कि उनका उपयोग जनसाधारण नहीं कर पा रहा है। उनका सदुपयोग जनसाधारण तभी कर पाएगा जबकि उसके रेट पी.सी.ओ. के बराबर होंगे। यदि इनमार सिस्टम के तहत लगने वाले सैटों से टेलीफोन करने वाले लोगों से पी.सी.ओ. के बराबर रेट लेना प्रारंभ नहीं किया गया, तो ग्रामीण क्षेत्रों में इनका इस्तेमाल करना कठिन ही नहीं बल्कि असंभव हो जाएगा।

सभापति महोदय, जैसा प्रभु नाथ सिंह जी ने कहा, केबल लेईंग के काम में ठेकेदारी प्रथा काम कर रही है। ठेके प्रोजैक्ट साइट से दिए जाते हैं जिसके ऊपर सी.जी.एम.टी. या जी.एम. का कोई कंट्रोल नहीं होता है। टेंडर कॉल करने का काम प्रोजैक्ट साइट के डायरैक्टर का काम है और हिमाचल के लिए टेंडर कॉल करने के लिए जी.एम. जालंधर में बैठता है और प्रोजैक्ट साइट वाले ठेका देते हैं और केबल बिछाने का काम ठेकेदार द्वारा कराया जाता है। ठेकेदार केबल नहीं बिछाता है। स्थानीय दूरसंचार अधिकारियों का उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है और वह मनमानी करता है। केबल बिछाने में बहुत समय लगा देता है। आजकल आपका आप्टीकल फाइबर केबल लेइंग का काम चल रहा है। उसमें एक शर्त यह है कि इसका ठेका उसी को दिया जाएगा जिसको इस कार्य का अनुभव होगा। अब कोई आदमी कहीं से पढ़ कर आएगा।

श्री राम विलास पासवान : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय महेश्वर सिंह जी को सूचित करना चाहता हूं कि उसको मैंने खत्म कर दिया है।

श्री महेश्वर सिंह : जिन्होंने वहां ठेके लिए हुए हैं वे काम नहीं करते। जब सी.जी.एम.टी., जी.एम. या टी.डी.एम. को पूछा जाता है कि आपने लक्ष्य क्यों प्राप्त नहीं किया, तो दोष उनके ऊपर मढ़ने का प्रयास किया जाता है जबकि सबसे ज्यादा कसूर ठेकेदार का रहता है।

सभापति जी, मैं मंत्री महोदय के प्रति आभार प्रकट करना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब इसको समाप्त कर दिया गया है। टेलीफोन लेने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में बहुत उत्साह है। वहां लोग केबल बिछाने के लिए खुद जमीन खोद कर केबल दबाने का कार्य श्रमदान के माध्यम से करते हैं। इसलिए मुझे विश्वास है कि इसमें तीव्रता आएगी। इसमें स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिलेगा, ऐसी मुझे उम्मीद है।

सभापति महोदय, जहां तक स्टाफ के अभाव का सवाल है और जैसा प्रभु नाथ सिंह जी ने भी कहा, माननीय मंत्री महोदय मेरी इस बात से सहमत होंगे कि हिमाचल प्रदेश में तीन टेलीफोन एक्सचेंजों पर केवल एक आदमी है और एक टेलीफोन एक्सचेंज दूसरी से लगभग 30 किलोमीटर दूर है और एक से दूसरी और दूसरी से तीसरी एक्सचेंज पर जाकर उन्हें एक ही दिन में ठीक रखने का कार्य करना और जाना एक कर्मचारी के लिए कठिन हां नहीं बल्कि असंभव हो रहा है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप केजुअल कर्मचारियों की भर्ती की अनुमति दीजिए ताकि कम से कम हरेक टेलीफोन एक्सचेंज पर एक कर्मचारी की उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके और वह स्थानीय व्यक्ति हो ताकि टेलीफोन एक्सचेंज की अच्छी तरह से देखरेख कर सके और टेलीफोन एक्सचेंज ठीक प्रकार से काम करता रहे।

सभापति महोदय, जहां तक टेलीफोन बिल को जमा करने का सवाल है, ग्रामीण क्षेत्रों में इस कार्य में बहुत कठिनाई आ रही है क्योंकि ब्रांच पोस्ट आफिसों में उन्हें जमा करने का कोई

[श्री महेश्वर सिंह]

प्रावधान नहीं है और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को टेलीफोन का बिल जमा कराने के लिए दूर जाना पड़ता है। एक टेलीफोन का एवरेज बिल 300 रुपए आता है और उसे जमा करने के लिए जाने-आने में ही 100 रुपए से अधिक लग जाते हैं। इस प्रकार से स्थिति यह हो रही है कि दाढ़ी से लंबी मूंछ हो गई है।

सभापति महोदय, एक गांव में 100 से ज्यादा औसतन टेलीफोन उपभोक्ता नहीं होंगे और एक टेलीफोन का औसतन बिल 300 रुपए के हिसाब से लगाएं, तो एक माह में मात्र 30,000/- रुपए से ज्यादा नहीं बैठते हैं और मेरी समझ में एक शाखा डाकघर के डाकपाल को 30 हजार रुपए का कैश हैंडल करने में कोई बहुत मुश्किल नहीं आएगी। यह व्यवस्था की जा सकती है कि उस कैश [illegible] के भीतर वह बैंक में जमा करवा दे या फिर ऐसी [illegible] सकती है कि महीने में एक दिन ऐसा नियत कर [illegible] जिस दिन ग्रामीण लोग विलेज पोस्ट आफिस में जाकर अपने टेलीफोन का बिल जमा करा सकें। ऐसी व्यवस्था अभी तक न होने के कारण हमारे यहां से पोस्ट आफिसों को स्तरोन्नत करने की मांग बहुत ज्यादा आने लगी है। पोस्ट आफिस के बारे में जब हम पी.एम.जी. को लिखते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान : लोगों को कितनी दूर जाना पड़ता है?

श्री महेश्वर सिंह : उनको 30-40 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है क्योंकि वहां सब-पोस्ट आफिस नहीं है।

श्री राम विलास पासवान : हम एक सिस्टम बनाने पर विचार करेंगे। क्योंकि पैसे रखने के मामले में दिक्कत है। हमने एक सिस्टम बनाया है। क्योंकि पैसे रखने के मामले में दिक्कत है इसलिए कुछ ब्रांच पोस्ट आफिसों में एक ब्रांच पोस्ट आफिस को आईडेंटिफाई करें। यदि उसके बावजूद भी, जैसा आप कहते हैं, मैक्सिमम दूरी होगी तथा दूसरे ऑल्टरनेटिव पर विचार करेंगे।

श्री महेश्वर सिंह : धन्यवाद। यह बिल जमा करने में बहुत कठिनाई आती है। जहां बैंक्स हैं, वहां उनको हैंडलिंग चार्जेज देकर ग्रामीण क्षेत्रों में यह पैसा जमा किया जा सकता है। लोगों को इससे सुविधा मिलेगी।

जहां तक पोस्ट आफिस खोलने का संबंध है, इसके बारे में सरकार को नीतिगत निर्णय लेना चाहिए। हमारे पास जब मांग आती है तो हम पी.एम.जी. को लिखते हैं। वहां से एक ही घिसा-पिटा जवाब आता है कि विभागीय मापदंडों के अनुसार पोस्ट आफिस नहीं खोला जा सकता। सरकार कोई नीतिगत निर्णय ले कि हर पंचायत में पोस्ट आफिस खोलना है या नहीं। यह निर्णय आपको लेना है। तब हम उसके मुताबिक आपको पत्र लिखेंगे, नहीं तो यही जवाब आता है और वित्तीय विभाग आपको कभी भी विलेज में पोस्ट आफिस खोलने नहीं देगा।

महोदय, सुंदर नगर, हिमाचल में एक बहुत भव्य भवन बना हुआ है। श्री जगमोहन जी के समय भी मैंने लिखा था कि विभाग ने इतना बड़ा भवन इस उद्देश्य से बनाया है ताकि वहां जे.टी.ओ. वगैरह की ट्रेनिंग चलाई जा सके। आज वह खाली पड़ा हुआ है और दो कमरों में छोटा सा एक्सचेंज है। मेरे पास जगमोहन जी का पत्र भी आया जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि वहां पर जे.टी.ओ. एवं अन्य अधिकारियों की ट्रेनिंग का काम कराया जायेगा।

अंत में मैं ई.डी. कर्मचारियों की ओर आपका ध्यान लाना चाहूंगा। मुझे विश्वास है कि आपके होते हुए उनकी समस्याओं का समाधान होगा। तलवार कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी और सरकार ने भी आश्वासन दिया था कि उसको जल्दी से जल्दी इम्पलीमैंट किया जायेगा। पुनः उन्होंने दो मई से हड़ताल का अल्टीमेटम दिया है। मुझे विश्वास है कि आप मिल बैठकर उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे क्योंकि आज यह समय आया है कि वे कर्मचारी न कहलाकर अतिरिक्त कर्मचारी कहलाये जाते हैं। मुझे विश्वास है कि आप उनकी भी समस्याओं का समाधान करेंगे।

सभापति जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

डा. वी. सरोजा (रासीपुरम): आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद करती हूं कि आपने संचार के लिए अनुदानों की मांगों पर इस माननीय सभा में की जा रही टिप्पणियों में शामिल होने का मुझे मौका दिया। आरम्भ में, मैं सभी सांसदों की ओर से एक अनुरोध करना चाहूंगी। संसद सदस्यों के लिए बिना बारी का कोटा 50 प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 100 कर दिया जाए क्योंकि यह उनके निर्वाचन क्षेत्र की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। ...*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान : मैं जवाब दूंगा।

डा. वी. सरोजा : मैं आशा करती हूं कि माननीय मंत्री महोदय से सकारात्मक उत्तर मिलेगा संचार के लिए स्पष्ट और व्यापक नीति होनी चाहिए। 1994 और 1999 में भी राष्ट्रीय

दूरसंचार नीति बनाई गई थी उसमें मंत्रालय द्वारा कई संशोधन भी किये गए हैं अर्थात् दूरसंचार सेवाओं के लिए पृथक विभाग और दूरसंचार के लिए अन्य विभाग और डी.ओ.टी. और डी.टी.एस. के बीच सामंजस्य रखने से सम्बन्धित मामलों का निपटारा करने के लिए दूर संचार आयोग।

इसका कुल परिणाम क्या है? भारत में ग्रामीण जनसंख्या के 74 प्रतिशत को टेलीफोन सुविधाएं नहीं मिल रही हैं।

आज उपलब्धि क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में दूर-संचार सघनता प्रतिहजार पर 2 है और शहरी क्षेत्र में यह प्रति हजार पर 34 है।

नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कहा गया था कि दिये गए लक्ष्य को पूरा किया जाएगा। मैं माननीय मंत्री जी से लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपनाई जाने वाली रणनीति के बारे में पूछना चाहती हूं।

जहां तक राष्ट्रीय दूर संचार नीति का सम्बन्ध है ग्रामीण शुल्क सहायता पर क्या प्रभाव पड़ा है। हमने स्कूल स्तर पर भी कम्प्यूटर शिक्षा को बढ़ावा दिया है। लेकिन उपलब्धि क्या है आधुनिक प्रौद्योगिकी जो स्कूली छात्रों से जोड़ी जायेगी के मामले में हमने कितनी प्रगति की है?

महोदय नोर्डिक देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक सामुदायिक टेली सेवाएं उपलब्ध हैं यह बहु उद्देशीय केन्द्र है जो दूरस्थ शिक्षा का मूल्यांकन करने हेतु स्थानीय समुदायों को कम्प्यूटर और दूरसंचार सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं ताकि वे सुदूर शिक्षा का मूल्यांकन कर सकें, कम्प्यूटर प्रशिक्षण दे रहे हैं व्यापार सूचना प्रदान करके स्थानीय छोटे उद्यमियों को सहायता प्रदान कर रहे हैं कार्यालय सुविधाओं संबंधी सूचना दे रहे हैं और उन्हें व्यवसायिक प्रशिक्षण दे रहे हैं। महोदय यह उचित समय है जब हमने अपनी पुरानी दूर संचार नीति और भारतीय टेली ग्राफ अधिनियम को क्रियान्वित करने के बजाय ऐसी प्रौद्योगिकी को अपनाने का विचार किया। देश के आर्थिक वैश्वीकरण को ध्यान में रखते हुए इसके स्थान पर नया कानून लाया जाना चाहिए।

महोदय, मेरा अभिमत है कि टेलीफोन एक्सचेंजों का आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए और उनके स्थान पर तकनीकी एक्सचेंज लाये जाने चाहिए। इस सन्दर्भ में मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान 1994 की दूरसंचार नीति की ओर दिलाना चाहती हूं जहां उसके उद्देश्यों में से एक उद्देश्य यह सुनिश्चित कराना है कि भारत दूरसंचार उपस्करों के एक महान उत्पादन करने वाले देश और एक बहुत बड़े निर्यातक के रूप में उभर कर आए। दूसरा उद्देश्य यथाशीघ्र सभी गांवों में सक्रिय सार्वभौमिक सेवाएं प्रदान करना है। मैं इन शब्दों को रेखांकित करना चाहती हूं कि दूर संचार सेवाओं की गुणवत्ता विश्वस्तरीय होनी चाहिए।

महोदय, आज दूर संचार विभाग में भर्ती का जहां तक सम्बन्ध है हम कहां खड़े हैं मेरी सूचना के अनुसार अन्तिम भर्ती वर्ष 1984 में की गई थी और उसके बाद दूर संचार विभाग में कोई भर्ती नहीं की गई थी। मैं इस बात से सहमत हूं कि 200 प्रतिशत विकास हुआ है लेकिन रख-रखाव कहां है? यदि कोई रख रखाव नहीं होगा और यदि कोई कर्मचारी नहीं होंगे तो हम कैसे अपेक्षा कर सकते है कि विभाग ग्रामीण लोगों को 100 प्रतिशत विश्वस्तरीय सेवा प्रदान करें। मैं इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी से स्पष्ट उत्तर चाहती हूं।

मेरे क्षेत्र चेन्नई में स्थापित किए गए महानगर टेलीफोन चेन्नई टेलीफोन की 960 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष आय है। लेकिन तमिलनाडु में दूर संचार सर्किल पर कितना रुपया खर्च किया गया है? यह बहुत अल्प राशि है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि मेरे राज्य के लोगों को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए रख-रखाव हेतु समुचित राशि का प्रावधान किया जाए।

जहां तक ऑप्टिकल फाइबर प्रणाली के उपयोग का सम्बन्ध है तो मेरी राय है कि हमने अभी तक इस प्रणाली को अच्छी तरह से नहीं समझा है।

हमने इसके प्रयोग के बारे में और लागत लाभ अनुपात के बारे में अच्छी तरह से नहीं समझा है। महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि वह इस विभाग में फाइबर ऑप्टिक के उपयोग और लागत लाभ के अनुपात के बारे में बताए।

महोदय, मेरे राज्य में वर्ष 1999-2000 के लिए लक्ष्य 5.5 लाख टेलीफोन कनेक्शन का है। लेकिन आज वर्ष 2000 में प्रतीक्षा सूची 6 लाख की है। लेकिन 5.5 लाख कनेक्शन दिये गए हैं। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहती हूं कि इस लक्ष्य को 2001 तक पूरा किया जाए। मैं उनसे अधिक धनराशि आवंटित करने के लिए भी अनुरोध करती हूं। तमिलनाडु सर्किल ने 1300 करोड़ का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक प्रस्ताव भेजा है। मैं माननीय संचार मंत्री जी से इस सम्बन्ध में और अधिक धनराशि आवंटित करने का अनुरोध करती हूं।

महोदय, जहां तक मेरे निर्वाचन क्षेत्र में डाकघर का सम्बन्ध है, संथामंगलम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में मूल्लु कुरूचि शाखा डाकघर है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि वह

[डा. वी. सरोजा]

डाक घर का उन्नयन करें। डाक घर के पास ही उजिपपुरम उप डाक घर है। वहां एक उप-पोस्ट मास्टर एवं क्लर्क है जो पिछले 10 वर्षों से भी अधिक समय से वहां सरकार पर अधिक बोझ डाले बिना काम कर रहा है। क्या मैं सरकार से इस डाक घर का उन्नयन करने का निवेदन कर सकती हूं। पुन: तैनाती के माध्यम से पदोन्नति भी की जा सकती है और वही व्यक्ति इस डाकघर की देखभाल कर सकता है। वे स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं और हमारे पास इसके अनुरूप बचत भी उपलब्ध है।

महोदय, ऑथर विधान सभा क्षेत्र में, हमें मुख्य डाकघर भवन और कर्मचारी आवास भवन की भी जरूरत है। भूमि हमारे पास उपलब्ध है. मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि वे हमें आवंटित करें। वीरगंलनूर डाक घर और पोस्ट भवन के लिए धनराशि आवंटित की जाए। यह थाइवसाल विधान सभा क्षेत्र में है।

समाप्त करने से पहले मैं यह कहूंगी कि बताया जा रहा है कि वर्ष 1999-2000 के दौरान 100 बहुउद्देशीय काउंटर मशीनें लगाकर 60 डाकघरों का उन्नयन करने का प्रस्ताव है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि सेलम और नमक्कल मुख्य डाकघरों का उन्नयन किया जाए ताकि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोग लाभान्वित हो सकें।

जहां तक इंटरनेट सेवाओं का सम्बन्ध है इन्हें सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा दिया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि इसे दूर संचार विभाग के माध्यम से दिया जाए ताकि एक पृथक माध्यम उपलब्ध हो और कम कीमत पर ग्रामीण लोगों को इंटरनेट सुविधाएं प्रदान की जा सकें।

जहां तक सेल्युलर फोन का संबंध है नमक्कल और सेलम क्षेत्र औद्योगिक रूप से और शैक्षिक रूप से काफी विकसित क्षेत्र है। दूर संचार विभाग मेरे निर्वाचन क्षेत्र में सेल्यूलर व्यवस्था प्रदान करने के बारे में सोच सकता है। महोदय मैं अपने माननीय सहयोगी के विचारों से एकमत हूं। टेलीफोन एक्सचेंज में ही टेलीफोन बिलों की अदायगी के लिए आंशिक काल के आधार पर एक काउंटर बनाया जा सकता है ताकि ग्रामीण लोगों को हर बार चार पांच घंटे लाइन में न खड़ा होना पड़े।

श्री राम मोहन गाड्डे (विजयवाड़ा): आदरणीय महोदय, मैं विजयवाड़ा निर्वाचन क्षेत्र में जन उपयोग हेतु निम्नलिखित मुद्दों को विनम्रतापूर्वक आपके ध्यान में लाना चाहता हूं।

विजयवाड़ा दूरसंचार, कृष्णा जिले में भरोसेमंद अत्याधुनिक संचार सेवाएं उपलब्ध कराने में तेजी से प्रगति कर रहा है। इस निर्वाचन क्षेत्र में विजयवाड़ा, जग्गाह्यिा-पेट, तिरूवूर, मयलावरम एवं नंदिगाम तालुके शामिल हैं।

विजयवाड़ा शहर में सेल्यूलर दूरभाष सेवाएं आरंभ की जा रही हैं, परन्तु मात्र 1000 - लाइनों वाला उपकरण ही आवंटित किया गया है। राज्य का दूसरा सबसे बड़ा वाणिज्यिक केन्द्र होने के कारण विजयवाड़ा में 1000 - लाइन की जगह कम से कम 5000 लाइनों वाला एक्सचेंज आवंटित किया जाए।

उपरोक्त वर्णित सेल्यूलर दूरभाष सेवा का विस्तार क्षेत्र विजयवाड़ा शहर की सीमाओं तक ही सीमित है। दूरसंचार विभाग को समूचे जिले में अवश्य सेवाएं प्रदान करनी चाहिए एवं तदनुसार उपकरण लगाने चाहिए। यह जिले के निर्बाध विकास के लिए अत्यंत महत्व रखता है। कृष्णा जिले का मुख्यालय होने के कारण मछलीपत्तनम में सेल्यूलर सेवाओं के लिए 1000 - लाइनों वाला एक्सचेंज दिया जाना चाहिए। इस शहर में सेल्यूलर फोन की प्रबल संभावनाएं हैं। मेसर्स टाटा सेल्यूलर और जे.टी.एम. नामक निजी संचालकों द्वारा जिले में पहले से ही आंशिक सेवाएं संचालित की जा रही हैं। इन निजी संचालकों पर कारोबारी वरिष्ठता पाने के लिए दूर संचार विभाग की सेवाओं द्वारा इसके प्रथम चरण में समूचे जिले को शामिल किया जाना चाहिए। अत:, तद्नुसार उपकरण आवंटित किया जाने चाहिए।

शुल्क, निजी संचालकों से कम होना चाहिए जिससे कि नवीन दूरसंचार नीति के समूचे जिले में सेवाओं को सस्ती एवं उपलभ्य बनाने के उद्देश्य पूरे हो सकें। शुल्क, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड की सेल्यूलर सेवाओं के शुल्क के समान होना चाहिए, जिसका जिले के निर्बाध विकास हेतु अत्यंत महत्व है।

केवल विजयवाड़ा में इंटरनेट सेवाएं आरंभ की गई हैं। जिले में इस सुविधा का निर्बाध विस्तार किया जाए ताकि ये सेवाएं और लोकप्रिय बन सकें।

वर्तमान में, विजयवाड़ा शहर में लगाए गए सिक्का-संग्रहण बक्से पर्याप्त नहीं हैं। मैं अनुरोध करता हूं कि जिले में ये अच्छी संख्या में आवंटित किए जाएं। सबसे पहले, 500 बक्से आवंटित किए जाएं।

जिले के दो एस.डी.सी.ए. में वायरलेस-इन-लोकल-लूप (डब्ल्यू.एल.एल.) दूरभाष दिए जा रहे हैं। जिले के अगम्य क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए 5000 - लाइनों वाला उपकरण दिया जाए,

जिससे कि दसों एस.डी.सी.ए. को बेतार दूरभाषों से जोड़ा जा सके।

नवीन दूरसंचार नीति के उद्देश्यों की प्राप्ति एवं वर्ष 2005 तक 7 प्रतिशत के दूरसंचार घनत्व की प्राप्ति हेतु उपयुक्त उपकरण की आपूर्ति की जानी चाहिए।

विजयवाड़ा के ग्राहकों को वॉयस मेल की सुविधा उपलब्ध करायी जानी अनिवार्य है। डेढ़ साल पहले उपकरण की आपूर्ति का प्रस्ताव किया गया था, परन्तु अभी तक उपकरण उपलब्ध नहीं कराया गया है। यदि डेढ़ वर्ष पहले उपकरण लगा दिया गया होता, तो अब तक हम उपकरण की लागत वसूल कर चुके होते।

विजयवाड़ा तेजी से विकासमान शहर है तथा वहां एक्सचेंजों को स्थापित करने हेतु भवनों की तत्काल आवश्यकता है। सिंहनगर, गुनाडाला, चित्तिनगर, कृष्णा लंका एवं गंधीनगर में स्थलों की आवश्यकता है।

अंत में, विजयवाड़ा में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लाभ के लिए सर्वसुविधा संपन्न केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधाएं प्रदान की जाएं। जैसा कि पांचवें वेतन आयोग ने सिफारिश की है।

इन शब्दों के साथ, मैं आपको एक बार फिर धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

श्री रामसागर रावत (बाराबंकी): महोदय मुझे खुशी है कि दूरसंचार विभाग एक कुशल और अनुभवी मंत्री के पास है। मान्यवर, यह विभाग खराब टैक्नोलॉजी और भ्रष्टाचार के लिए देश में बदनाम हो गया था, लेकिन बेनी प्रसाद वर्मा और पासवान जी के हाथ में जब से यह विभाग आया, तब से इस विभाग में काफी सुधार हुआ है और ग्रामीण अंचलों में जो इसका विकास हो रहा है वह काफी लाभकारी है। लेकिन एम.आर.आर. जो गांव-गांव में लगाया गया था और एकदम से खराब हो गया, उसका क्या करें? इसमें इनका अपना कोई दोष नहीं है। दूरसंचार विभाग की ओर से कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया गया कि वहां पर नयी तकनीक की लाइनें बिछाकर के उसको लाभकारी बनाया जाये। इसलिए संचार मंत्री जी से हमारा यह भी अनुरोध है कि बाराबंकी में ग्रामीण अंचलों में जहां यह भूख जागी और जहां पैसा भी मापदंड के अनुसार जमा किया गया, वहां टेलीफोन की लाइनें नहीं लगाई गयी हैं। हमारा आपसे अनुरोध है कि वहां पर उन्हें टेलीफोन की लाइनें मिलनी चाहिए। हमारे जनपद में कोठी, सुबेहा, भेलवल समेत दर्जनों दूरसंचार भवन बनकर तैयार हो गये हैं लेकिन वे पूरी तरह से संचालित नहीं हो पाये हैं तथा जिनकी तादाद दर्जनों के लगभग है। आप कह देंगे तो वहां के लोगों को भारी लाभ मिलेगा।

मान्यवर, असंदर और हैदरगढ़ एक्सचेंज जो हमारे लोक सभा क्षेत्र में आते हैं अक्सर खराब पड़े रहते हैं। वहां के अधिकारी उनको ठीक करने नहीं आते हैं। उनकी मशीनें खराब हो जाती हैं। कहा जाता है कि मशीनें जर्जर हैं। हम उनको बदलने और दुरूस्त करने के लिए शासन से बराबर अनुरोध कर रहे हैं, विभाग से अनुरोध कर रहे हैं, लेकिन वे ठीक नहीं हो पाये हैं। मैं मंत्री जी से इस बात का भी अनुरोध करूंगा कि ये जो महत्वपूर्ण एक्सचेंज हैं उनकी मशीनों को ठीक कराया जाये तो कृपा होगी।

मान्यवर, अंत में मैं अपनी व्यथा के समाधान के लिए भी आपसे अनुरोध करना चाहता हूं। मैं नौवीं लोक सभा से ग्यारहवीं लोक सभा का सदस्य रहा। चौथी बार मैं लोक सभा का सदस्य हूं। मैंने कभी भी टेलीफोन सुविधा से अधिक का उपयोग नहीं किया है और न ही मेरे पास कभी कोई अतिरिक्त बिल आया है। लेकिन बारहवीं लोक सभा में जब मैं चुनाव हार गया, तो चार महीने का एक लाख से अधिक का बिल मेरे पास पहुंचा। कई और सांसद भी इस तरह के अतिरिक्त बिल के शिकार हुए हैं। मैंने आपको पत्र भी लिखा है। आप जांच करायेंगे तो आपको पता चलेगा कि लोक सभा के चार पीरियडों में न तो मेरे पास कोई फर्जी बिल आया और न ही टेलीफोन का दुरुपयोग हुआ। यह फर्जी बिल बनकर आया है। उसकी जांच कराकर आप हमें न्याय दें और इस फर्जी बिल को समाप्त करायें।

श्री राम विलास पासवान : जिस भी माननीय सांसद की शिकायत मेरे पास आयेगी, उसकी जांच विजिलेंस से हम करवा देंगे। शायद मैंने इस बारे में कह भी दिया होगा, हम इसका पता लगाएंगे और विजिलेंस से जांच करवाएंगे। जो भी ऑफिसर होगा, वह आपके पास जाकर, आपसे बातचीत करके रिपोर्ट लेगा।

श्री राम सागर रावत: मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। मुझे उनका कृपा पत्र प्राप्त हुआ। उन्होंने जो बात अभी कही, वही बात लिखी है कि वह इसकी जांच करवा कर इसे ठीक करेंगे।

अंत में, मैं एक और अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारे यहां गोमती, रारी, कल्याणी, और नैया तीन-चार नदियों के बीच का इलाका है जिस में 300 गांव हैं। उन गांवों की बड़ी पंचायतों में से 20-20, 25-25, 50-50 की तादाद में लोगों ने एप्लीकेशन दी है।

[श्री रामसागर रावत]

अपराह्न 5.56 बजे

(डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय *पीठासीन* हुए)

हमारे यहां टेलीफोन की सुविधा दी जाए। बीच में यह कहा कि हमारे पास सामान और टेलीफोन विस्तार की कमी नहीं है लेकिन कहीं न कहीं मामला फंसा है। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि उस पिछड़े क्षेत्र में टेलीफोन का विस्तार करने की मेहरबानी करें।

इन चन्द सुझावों के साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे बोलने का मौका दिया। मैं खास तौर पर मंत्री जी को धन्यवाद दूं कि उन्होंने मेरी बात को गौर से सुना और बीच की।

वैद्य विष्णु दत्त शर्मा (जम्मू): सभापति महोदय, वर्तमान सरकार की व्यवस्था में नए-नए लक्ष्य तय हुए हैं और उस ओर गति चल रही है। हमें प्रसन्नता है कि जम्मू-कश्मीर में मंत्री महोदय स्वयं पधारे थे। उन्होंने वहां की दयनीय स्थिति खुद आंखों से देखी। जम्मू कश्मीर एक ऐसा प्रान्त है जो उग्रवाद ग्रस्त है। खास तौर से मेरे निर्वाचन क्षेत्र पूंछ और राजौरी ऐसे क्षेत्र हैं जहां बहुत बड़ी तादाद में हत्याएं हुई हैं, लोग मारे गए हैं। यह इलाका पहाड़ी है। वहां के दूर दराज इलाकों तक टेलीफोन की कोई सुविधा नहीं है। यह बात ठीक है कि पहले कुछ पंचायतों में सोलर सिस्टम से चलने वाले टेलीफोन केबल्स लगे। वहां साढ़े तीन सौ के लगभग टोटल पंचायतें हैं। सिर्फ 20 परसैंट पंचायतों में यह सिस्टम जारी हुआ है लेकिन वह भी असफल रहा। इस क्षेत्र में टेलीफोन ही जीवन है और सम्पर्क का एकमात्र साधन है। दूर-दराज और पहाड़ी क्षेत्रों में उग्रवादी जब किसी की हत्या कर देते हैं तो उसकी सूचना पहुंचने में दो-दो महीने लग जाते हैं। तब पता लगता है कि किसी गांव में कोई घटना हुई है। पिछले बीस सालों में वहां के डिस्ट्रिक्ट्स और तहसीलों का नए सिरे से विभाजन हुआ। वहां पोस्ट आफिस पुराने तहसील और डिस्ट्रिक्ट के विभाजन के अनुसार हैं। आज वहां नई व्यवस्था शुरू करने की जरूरत है। नए तहसील और डिस्ट्रिक्ट बन जाने से पुरानी पोस्टल व्यवस्था बेकार हो रही है। यदि कोई सूचना या पत्र भेजा जाए तो वह महीने-दो महीने के बाद मिलती है। पोस्टल सिस्टम की रिऑर्गेनाइजेशन करनी चाहिए। वहां नए डाकखाने खोलने चाहिए। वहां की सारी पंचायतें टेलीफोन युक्त होनी चाहिए ताकि इन इलाकों में सूचना जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जा सके।

सायं 6.00 बजे

और उग्रवाद से लोग सुरक्षित रह सकें। वहां के मेजर एक्सचेंजेस में काम करने वाले लोग नहीं हैं। इस आशय की शिकायत जम्मू में की गई थी। यह ठीक है कि व्यवस्था में कुछ सुधार हुआ है लेकिन अभी तक बहुत से एक्सचेंजेस ऐसे हैं जो बेकार पड़े हुये हैं, काम नहीं करते हैं। पिछले न जाने कितने सालों से प्राइवेट आप्रेटर्स मैदान में नहीं आये क्योंकि कर्मचारियों के करप्शन के कारण लोगों ने कोर्ट से स्टे ले लिया था। इस कारण लोगों को काम नहीं मिला। अब वह स्टे वैकेट हुआ है। मैं समझता हूं कि जितने एस.टी.डी., और पी.सी.ओ. के आवेदन पत्र हैं, वे क्लीयर हो जाने चाहिये ताकि लोगों को काम मिल सके। अगर दूर-दराज क्षेत्रों में प्राइवेट आप्रेटर्स काम करना शुरू कर दें तो लोगों को सुविधा प्राप्त हो सकती है। जम्मू में सोलर सिस्टम टावर बेकार हो गये हैं, अब नये आप्रेटर केबल्स भेजकर टेलीफोन मुहैया किये जाने चाहिये।

सभापति महोदय, मेरी प्रार्थना है कि गांवों में पंचायतों को जल्द टेलीफोन उपलब्ध कराया जाये। इसके लिये माननीय मंत्री जी ने लोगों से कहा भी था कि वे हर गांव की पंचायत को टेलीफोन देंगे लेकिन अभी तक यह कार्य पूरा नहीं हुआ है। कुछ पंचायतों में काम हो रहा है, बाकी सारे बेकार हैं। आज जम्मू और श्रीनगर म्युनिसिपैलिटी की आबादी 12 लाख के लगभग है लेकिन वहां सैल्यूलर फोन की उपलब्धता नहीं है। यदि प्राइवेट आप्रेटर्स को यह सुविधा मिल जाए तो लोगों को आराम हो सकता है। इससे सरकार के राजस्व में भी वृद्धि होगी। इसी तरह से जो बर्फानी इलाका है, वहां काम करने की जरूरत है। अब इन दिनों से 2-3 महीने काम करना है, यदि सरकार चाहे तो उन क्षेत्रों में यह सुविधा दे सकती है।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): सभापति महोदय, यह सदन कब तक चलेगा? क्या समय बढ़ाया जा रहा है?

सभापति महोदय : कार्य मंत्रणा समिति ने यह तय किया है कि ये डिमांड जब तक पूरी न हो जाये, हम देर तक बैठेंगे। इस समय बहस के तीन घंटे हुये हैं, तीन घंटे बाकी हैं।

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर-पूर्व): सभापति महोदय, अभी कितने स्पीकर्स बाकी हैं।

सभापति महोदय : अभी 12 सांसद बोलने शेष हैं। यदि हाउस समय बढ़ाने के लिये सहमत है तो यह चर्चा जारी रखी जाये। चूंकि सदन सहमत है, इसलिये चर्चा जारी रखी जायेगी।

[अनुवाद]

श्री ए. सी. जोस (त्रिचूर): अगर मंत्री महोदय एक और मोबाइल फोन दें तो हम बैठ जायेंगे।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज-बिहार): सभापति जी, माननीय मंत्री जी अलग-अलग जोन की समस्या सुन रहे हैं। जो बोलने वाले हैं, उनका भाषण बोला हुआ मान लिया जाये।

सभापति महोदय : श्री वैद्य, अपना भाषण जारी रखें।

वैद्य विष्णु दत्त शर्मा : सभापति महोदय, जम्मू और श्रीनगर दोनों में म्युनिसिपैलिटीज़ हैं। यह निर्णय लिया गया है कि केबल्स बिछाने के लिये, सड़क की मरम्मत के लिये या रास्ते की मरम्मत के लिये खर्चा म्युनिसिपैलिटी टेलीफोन डिपार्टमेंट को देती है। वहां की म्युनिसिपैलिटी जो रास्ता महीनों खुदा पड़ा रहता है, उसकी रिपेयर नहीं करती। हमारा कहना है कि इस रिपेयर के काम को भी टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमैंट स्वयं कर दे तो उससे काम आसान हो जायेगा। इसी प्रार्थना के साथ मैं अपना कथन समाप्त करता हूं।

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़): आदरणीय सभापति महोदय, संचार विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा में भाग लेने के लिए आपने मुझे समय दिया है, उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। जब संचार व्यवस्था का प्रश्न उठता है तो हम इस बात को नहीं भुला सकते कि संचार व्यवस्था में सुधार, संचार प्रणाली का विस्तार उन दो स्थायी सरकारों के समय में हुआ, जो दस साल तक इस देश में रहीं और दोनों कांग्रेस की सरकारें थी। जो रास्ता उन्होंने बताया है उसी रास्ते पर हमें चलाना है और उसका विस्तार होता रहे, मैं समझता हूं कि ऐसा प्रयास सरकार का भी रहेगा। लेकिन इस आधुनिक युग की दौड़ में हमें उन बातों का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमारा पोस्टल नैटवर्क है, वह आज अलग-थलग पड़ा हुआ है। हम इस बात को न भूलें कि हमारे देश में 1,53,000 पोस्ट ऑफिसेज हैं। हम इस बात को न भूलें कि इन पोस्ट ऑफिसेज में से 1,37,000 पोस्ट ऑफिसेज ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। पोस्टल विभाग में जो कर्मचारी हैं उनके मन में एक आशंका है। पोस्टल विभाग में लगभग तीन लाख कर्मचारी हैं, और तीन लाख एक्स्ट्रा डिपार्टमैंटल कर्मचारी हैं, इस प्रकार छह लाख कर्मचारी हैं, जिनका जीवन पोस्टल विभाग से जुड़ा हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक जैसी टेलीफोन व्यवस्था होनी चाहिए, वैसी व्यवस्था नहीं हो पाई है। इसलिए आज भी आम आदमी पोस्टल विभाग पर निर्भर करते हैं। इसमें जो कर्मचारी हैं उनके भविष्य के बारे में कोई स्पष्ट नीति अभी तक नहीं बनी है। उनके मन में एक भ्रम है कि जो विदेशी कम्पनियां यहां आयेंगी, जिस आधुनिक दौड़ में हमारा देश जायेगा, हालांकि उस आधुनिक दौड़ में हमारा जाना आवश्यक है, नहीं तो हम पिछड़ जायेंगे, लेकिन उस दौड़ में शामिल होने से ऐसा न हो कि उनका जीवन अधर में हो जाए। इसलिए इस शंका का समाधान करना मंत्री जी बहुत आवश्यक है। क्योंकि वही कर्मचारी आज इस पोस्टल व्यवस्था को, टेलीफोन व्यवस्था को बिगाड़ने में लगे हुए हैं। सारे कर्मचारी ऐसा करते हैं, मैं ऐसा नहीं कहता, लेकिन कुछ कर्मचारी हैं जो ऐसा कर रहे हैं। हम कितना ही आधुनिकीकरण करें, कितना ही प्रयास करें, अगर कर्मचारी संतुष्ट नहीं हैं तो हमारी व्यवस्था नहीं जम पायेगी। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जैसे पोस्टल स्टाफ कालेज, गाजियाबाद है, उनकी जो अपेक्षाएं हैं, उनका ध्यान बजट में नहीं रखा गया है, उन्हें जितना बजट मिलना चाहिए, नहीं दिया गया है। इसलिए इस पर आप ध्यान दें। जो आपके ट्रेनिंग सैंटर्स हैं, उन्हें पर्याप्त बजट नहीं दिया गया है। यह उनकी शिकायत है जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं।

महोदय, आपने सी. डॉट की फैसिलिटी शुरू की है, इसका विस्तार किया है, पूर्व में भी किया गया है, और आपकी भी योजना है। अपने देश में हम छह मिलियन सी. डॉट एक्सचेंज लाइन्स बिछा चुके हैं। लेकिन इसके बाद भी आज ग्रामीण क्षेत्रों में जैसी संचार व्यवस्था होनी चाहिए, वैसी नहीं है, इसके क्या कारण हैं, इसकी गहराई में जाना आवश्यक है। अभी बिहार के सांसद ने चिंता व्यक्त की, भाई रूडी कह रहे थे कि वहां बिजली नहीं आती। ऐसी स्थिति में वाकई यह सही बात है कि ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां बिजली की समस्या है। वहां दो घंटे बिजली आती है। ऐसी भी कई जगहें हैं जहां दो-दो दिन लाइट नहीं आती है। ऐसी अवस्था में यह आवश्यक है कि हम सोलर टेलीफोन्स पर ध्यान दें, सौर ऊर्जा पर ध्यान दें। आपके बजट में सौर ऊर्जा का ध्यान नहीं रखा गया है, जो पैसा आबंटित होना था, नहीं हुआ है, बल्कि उसकी कहीं चर्चा भी नहीं हुई है। सौर ऊर्जा के माध्यम से हम बहुत सारे दूरसंचार के केन्द्र संचालित कर सकते हैं।

सभापति महोदय, हमारे देश में 365 दिन में से 200 दिन सूरज की तेज रोशनी हमें प्राप्त होती है। अगर हम उसका सौर ऊर्जा के माध्यम से लाभ उठाएं, तो बहुत सारे दूरदराज के इलाकों में संचार माध्यम का प्रसार कर सकते है और उसे संचार के माध्यम से जोड़ सकते हैं।

सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने इन्फर्मेशन टैक्नालौजी का एक एक्शन प्लान बनाया है।

[श्री लक्ष्मण सिंह]

बहुत अच्छी बात है। जसवन्त सिंह जी उसके चेयरमैन हैं और आपका उद्देश्य यह है कि अगले 10 वर्षों में भारत को इन्फर्मेशन टैक्नोलौजी के क्षेत्र में सुपर पावर बना दिया जाए। आपका यह उद्देश्य बहुत अच्छा है। इसमें हम आपके साथ हैं। भारत एक महान देश है और विश्व की महान् ताकत है और हमेशा रहेगा और अधिक ताकतवर बनकर दुनिया के सामने उभरेगा, लेकिन उस लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होगी,. यह कहना बड़ा आसान है, लेकिन करना उतना ही मुश्किल है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत ठोस कदम उठाने पड़ेंगे और उन लोगों का सहयोग भी लेना पड़ेगा जो आपकी सरकार के बाहर हैं। इसमें एक बात और ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो इन्फर्मेशन टैक्नॉलौजी में आप सुपर पावर बनना चाहते हैं, उसके लिए आपको रिसर्च एंड डिवैलपमेंट की फैसिलिटीज हमारे देश में बढ़ानी पड़ेगी।

महोदय, आज अमरीका को इन्फर्मेशन टैक्नौलौजी में बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त है, लेकिन वहां जाकर आप देखें, तो पाएंगे कि वहां सारे वैज्ञानिक और इंजीनियर भारत के हैं। जब अमरीका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भारत आए थे, तो वे हैदराबाद भी गए थे। वे इसलिए गए थे कि हैदराबाद में इन्फर्मेशन टैक्नालौजी के क्षेत्र में जो प्रगति हुई है उसे देखें और वहां के इंजीनियरों को अपने यहां ले जाकर वैसी प्रगति करें। अगर हम अपने देश में ही आर. एंड डी. की सुविधा बढ़ा दें, तो हमारे देश के वैज्ञानिक और इंजीनियरों को विदेशों में जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी और जो सामान हम बाहर से औने-पौने दामों में विदेशी मुद्रा देकर मंगाते हैं, वही सामान हम अपने देश में सस्ती लागत पर बना सकते हैं। फिर हमें बाहर से सामान मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि फिर वह सामान हम अपने देश में कम कीमत पर और बहुतायत में बना सकेंगे और सुविधा पूर्वक सरलता से सारे देश में उपलब्ध कराया जा सकेगा।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि इंटरनैट की सुविधा जगह-जगह पर दी है। हम तो चाहते हैं कि हर ब्लॉक में आप इंटरनैट की सुविधा उपलब्ध करवा दें। आधुनिक युग में इंटरनैट संचार का एक बहुत अच्छा माध्यम है, लेकिन इसमें शिकायतें बहुत हैं। मैं अपने मध्य प्रदेश राज्य के बारे में बताना चाहता हूं। रात-रात भर हम बैठें तो बहुत मुश्किल से एक या दो पन्ने ही हम इंटरनैट से निकाल पाते हैं। इसमें सुधार करना आवश्यक है। इसका क्या कारण है, तकनीकी कारण है या कोई और, वह तो आपका विभाग बताएगा, आपके लोग उसे ज्यादा समझेंगे क्योंकि मैं कोई तकनीकी व्यक्ति नहीं हूं। परन्तु मेरा यह कहना है कि इंटरनैट का प्रचार-प्रसार करते समय एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा और वह है हमारे देश की सुरक्षा। हमारे देश की सुरक्षा को कोई खतरा न हो, इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी और इंटरनैट का प्रचार-प्रसार करते समय देश की सुरक्षा के आस्पैक्ट को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि उन्होंने अपने मंत्रालय के इस बजट में डी.ओ.टी. का वर्णन किया है और उसके आपने दो भाग कर दिए। एक डी.ओ.टी. और दूसरा डी.टी.एस.। जो दूसरा भाग आपने डी.टी.एस. का बनाया जिसे डिपार्टमेंट आफ टैलीकॉम सर्विसेस कहा जाता है और जो सर्विसेस से संबंधित है, उसके पर्याप्त नतीजे सामने नहीं आ रहे हैं। उसमें कसावट की आवश्यकता है। कई ऐसी शिकायतें हैं जिनकी जवाबदारी विभाग नहीं ले रहा है। उसमें ध्यान देने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, दूरसंचार मंत्रालय में फारेन डायरैक्ट इनवैस्टमेंट और प्राईवेट डॉमैस्टिक इनवैस्टमेंट लिया गया है, यह अच्छी बात है और 27399 करोड़ रुपए का प्राइवेट डॉमैस्टिक इन्वैस्टमेंट तथा 36108 करोड़ रुपए का एफ.डी.आई.लिया है। इनको लेते वक्त हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमारे देश के इनवैस्टर्स हैं, उन्हें प्रोत्साहित किया जाए। हमारे देश में बहुत टेलेंटेड लोग हैं। हमारे देश में टेलेंट की कमी नहीं है। हमारे उद्योगपति किसी से कम नहीं हैं। इसलिए आपको प्राइवेट डॉमैस्टिक इनवैस्टर्स की ओर ज्यादा ध्यान देना होगा, उसे एफ.डी.आई. के ऊपर प्राथमिकता देनी होगी।

सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने कहा है कि सन् 2002 तक भारत के सारे ग्रामों को टेलीफोन व्यवस्था से जोड़ देंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो लक्ष्य रखे जाते हैं, वे पूरे नहीं हो पाते हैं। आपने यह जो लक्ष्य रखा है वीपीटीज का कि 45136 ग्रामों को आप इस वर्ष विलेज पी.सी.ओ. से जोड़ेंगे।

मुझे शंका है कि आप इसे पूरा कर पायेंगे क्योंकि आपके विभाग के जो लोग हैं, उनके काम करने के तरीके से यह सिद्ध नहीं होता। डब्ल्यू.एल.एल. टेक्नोलॉजी आपने निकाली है लेकिन उसके भी पर्याप्त नतीजे सामने नहीं आ रहे हैं। मेरा सुझाव है कि जो छोटे जिले हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहां टेलीफोन व्यवस्था में और सुधार करें, इसके वहां जो शिक्षित बेरोजगार हैं, उनको हम ट्रेनिंग दें क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल रही है। रोज नई-नई टेक्नोलॉजी आ रही है।

आज लगभग सारे प्रदेशों में आई.आई.टीज. खोली गई हैं। मध्य प्रदेश में हमने हर ब्लाक लैवल पर आई.आई.टीज. खोली हैं।

आप राज्य सरकारों से विचार-विमर्श करके आई.आई.टीज. में टेलीकॉम ट्रेनिंग का कोई कोर्स खुलवायें ताकि वहां के शिक्षित बेरोजगार ट्रेनिंग प्राप्त करें और वहां जो व्यवस्था बिगड़े, उसको सुधारने में सहयोग करें।

आपने 1999 की नयी टेलीकॉम पालिसी बनाई है। उसमें आपने कहा है कि आप 15 प्रतिशत टेली-डैनिसिटी सन् 2010 तक करेंगे लेकिन उन राज्यों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा जिसका उल्लेख आपकी संचार समिति ने भी किया है। उसकी रिपोर्ट में इसका उल्लेख है। वह राज्य हैं असम, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वैस्ट बंगाल और जम्मू-कश्मीर। इनमें टेली-डैनिसटी का स्तर बहुत ही कम है। ऐबीस्मली लो, यह शब्द आपकी कमेटी ने लिखे हैं। आप इन राज्यों का विशेष ध्यान रखें और जब टेली-डैनसिटी बढ़ायें तो इन राज्यों में उल्लेखनीय कार्य होना चाहिए।

जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है, आपके बजट को पढ़कर हमें थोड़ी निराशा हुई कि मध्य प्रदेश के जो नेकस्लाइट प्रभावित क्षेत्र हैं, उनका उसमें पर्याप्त ध्यान नहीं रखा। हमारे प्रदेश में नक्सल गतिविधि बढ़ी है और नक्सलियों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए हम वहां तरह-तरह के कार्यक्रम चला रहे हैं। वहां हमने वॉटरशेड का प्रोग्राम चलाया है। जब तक वहां की संचार व्यवस्था अच्छी नहीं होगी, तब तक इस समस्या पर काबू पाना मुश्किल होगा। हमारे जो भोले-भाले आदिवासी हैं, उनको एक गलत विचारधारा की तरफ मोड़े जाने का जो प्रयास होता रहा है, वह चलता रहेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपके बजट में हमारे जो नक्सल प्रभावित जिले हैं या और प्रदेशों के हैं, जैसे आपके आंध्र प्रदेश में नक्सल की समस्या है या जहां भी है, उन सब नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कोई स्पेशल बजट दें ताकि वहां की संचार व्यवस्था अच्छी हो सके। ...*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान : हम रुपया देते नहीं हैं बल्कि हम विकास का काम करते हैं।

श्री लक्ष्मण सिंह : बजट का प्रावधान नहीं है।

श्री राम विलास पासवान : बजट का प्रावधान कैसे नहीं होगा। जब हम कहते हैं कि हर गांव में टेलीफोन लगेगा तो वहां भी लगेगा। ठीक है, हम बाद में बोलेंगे।

श्री लक्ष्मण सिंह : हम यह कह रहे हैं कि आपने जो संभाग लिये हैं। विलासपुर संभाग गायब, बस्तर जिला जहां सबसे ज्यादा गतिविधियां होती हैं, वहां कुछ काम होना था, उसका उल्लेख उसमें कहीं नहीं है।

जब मैं यहां बोलने आ रहा था तो मुझे फोन आया था। मेरे क्षेत्र में बहुत सारी शिकायतें हैं जिसे आप टेलीफोन स्कैंडल कह सकते हैं। यह बहुत से लोगों की शिकायतें हैं। एक उपभोक्ता श्रीमती रजनी पाराशर है। उन्होंने एस.टी.डी. की सुविधा नहीं मांगी लेकिन एस.टी.डी. की सुविधा कर दी गई और फर्जी बिल उनके यहां भेज दिया गया। ऐसे कई उदाहरण हैं। उसकी जांच के लिए मैं आपसे कहना चाहूंगा क्योंकि यह मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री जी के घर में हुआ है। बहुत सारी शिकायतों का पोथा मुझे अभी प्राप्त हुआ है, मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा क्योंकि समय नहीं है। लेकिन जो दोषी अधिकारी हैं, उनको सजा मिले ताकि आपकी जो योजना है, जो कार्यक्रम हैं, वे सुचारू रूप से चल सकें और जो टेलीफोन माफिया चल रहा है, उस पर अंकुश लगाया जा सके। आपने जो समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री ए. ब्रह्मनैया (मछलीपटनम): आदरणीय सभापति, इस विषय पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

सूचना प्रौद्योगिकी के अविर्भाव के मद्देनजर दूरसंचार को एक शक्तिशाली भूमिका निभानी है। इस प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में हमें सभी गांवों में विशेषकर दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित गांवों में दूरभाष सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। परन्तु उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार छह लाख गांवों में, केवल चार लाख गांवों में दूरभाष संपर्क की सुविधा उपलब्ध कराई गई है तथा शेष दो लाख गांवों में दूरभाष संपर्क की सुविधा नहीं है। आंध्र प्रदेश में, मुख्य मंत्री, श्री चंद्रबाबू नायडू सभी पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ना चाहते हैं।

मेरे राज्य, आंध्र प्रदेश में डवाकरा (डी.डब्ल्यू.ए.सी.आर.ए.) समूहों को काफी महत्व दिया जाता है। हमारे राज्य में करीब तीन लाख डवाकरा (डी.डब्ल्यू.ए.सी.आर.ए.) समूह कार्य कर रहे हैं। इंटरनेट के प्रयोग के द्वारा, वे देश के विभिन्न भागों में उपलब्ध विपणन सुविधाओं के संबंध में सूचना प्राप्त करते हैं तथा उसके जरिए वे अपने उत्पादों पर बेहतर मूल्य प्राप्त कर रहे हैं। डवाकरा (डी.डब्ल्यू.ए.सी.आर.ए.) समूहों में शामिल महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने उन्हें और अधिक धन प्रदान किया है। अत:, दूरसंचार सुविधाएं हरेक गांव एवं हरेक पंचायत में पहुंचनी चाहिए। अभी भी कई गांवों में दूरभाष सुविधाएं नहीं हैं। दूरभाष सुविधाओं के बगैर, विशेषकर एस.टी.डी. सुविधाओं के बगैर उन्नति नहीं की जा सकती। यह सरकार वर्ष 2002 तक सभी लोगों को दूरभाष सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहती है। सभी गांवों को दूरभाष सुविधा दी जानी चाहिए। यदि हम किसानों,

[श्री ए. ब्रह्मनैया]

डवाकरा (डी.डब्ल्यू.ए.सी.आर.ए.) समूहों तथा कुछ अन्य स्वयंसेवी संगठनों को दूरभाष सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं तो वे और अधिक सूचना प्राप्त करके अपने उत्पादों के लिए और अधिक मूल्य प्राप्त कर सकेंगे। हमारा राज्य इन लोगों के हित में डवाकरा (डी.डब्ल्यू. ए.सी.आर.ए) बाजारों का आयोजन कर रहा है। श्री चन्द्रबाबू नायडू के योग्य नेतृत्व में, हमारे राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी तेजी से विकसित हो रही है।

मेरा निर्वाचन क्षेत्र मछलीपटनम है तथा यह जिला मुख्यालय भी है। इसका एक गौरवमय अतीत रहा है। इस स्थान पर एक किला था। ब्रिटिश शासन काल के दौरान, यहां से अन्य देशों के साथ कारोबार था।

यहां से, ब्रिटिश लोगों ने अन्य देशों के स्थान काफी कारोबार [illegible] आज, मछलीपटनम, जो कि कृष्णा जिला का मुख्यालय [illegible] संख्या में शैक्षणिक संस्थान एवं कार्यालय स्थित [illegible] यह है कि, अभी भी हमारे पास सेल्यूलर फोन की सुविधा नहीं है। दूरसंचार महाप्रबंधक के साथ हुई मेरी मुलाकात के दौरान मैंने इस बात को उठाया था। उन्होंने मुझसे इस मामले को माननीय मंत्री, श्री पासवान के ध्यान में लाने को कहा। मैं पहले ही एक अभ्यावेदन उन्हें सौंप चुका हूं। हम आजकल तीव्र विकास के युग से गुजर रहे हैं। हमारे लिए विश्व के सभी भागों से तीव्र सूचना प्राप्त करना आवश्यक है। यह कम्प्यूटर युग है।

सभापति महोदय : कृपया समापन करें।

श्री ए. ब्रह्मनैया : मुझे इस सम्मान्य सभा में बोलने का पहला अवसर प्राप्त हुआ है। इसलिए, कृपया मुझे दो-तीन मिनट का समय और दिया जाए।

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदय, इस सभा की यह परंपरा रही है कि जब कभी कोई सदस्य पहली बार अपना भाषण देता है, तो सभा को इस बारे में पता होना चाहिए। लेकिन साधारणतः हमें इस बारे में पता नहीं होता। यदि सदस्य प्रथम भाषण के संबंध में सभा को सूचना दे सकें, तो यह प्रशंसनीय होगा।

सभापति महोदय : वे कह रहे हैं कि यह उनका प्रथम भाषण है।

श्री राजीव प्रताप रूडी : सभा की यह परंपरा रही है कि उनकी प्रशंसा करें तथा प्रथम भाषणों के रूप में सभा को सूचित करना सदस्यों का कर्तव्य है। इसे परिचालित किया जा सकता है।

श्री ए. ब्रह्मनैया : इसलिए, मैं माननीय मंत्री से यह अपील करना चाहूंगा कि हमारे जिला मुख्यालय मछलीपटनम को यथाशीघ्र सेल्युलर फोन सुविधा मिलनी चाहिए। एस्कोटल, कोशिका एवं टाटा सेल्यूलर जैसे निजी संगठन ग्रामीण क्षेत्रों में भी दूरभाष सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं परंतु अपर्याप्त अवसंरचनात्मक सुविधा तथा वित्तीय अभाव के कारण दूरसंचार विभाग निजी दूरसंचार संगठनों द्वारा दी जा रही कड़ी स्पर्धा का सामने करने की स्थिति में नहीं है।

बंगलादेश में ग्रामीण बैंक गांववासियों को दूरभाष सुविधा प्राप्त करने के लिए ऋण प्रदान कर रहे हैं। इसी प्रकार यदि हमारे देश में भी ग्रामीण बैंक गांवासियों को ऋण उपलब्ध करवायें तो वे दूरभाष सेवा का उपयोग कर सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसे मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं।

अब मैं उन समस्याओं को उजागर करना चाहूंगा जिनका मेरे राज्य के लोग सामना कर रहे हैं। दूरभाष विभाग की नई नीति के अनुसार हमारी राज्य सरकार ने कुछ रियायतें और राज-सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। लगभग सात-आठ महीने पहले हजारों लोगों ने टेलीफोन कनैक्शन लेने के लिए 500 रु. अथवा 1000 रु. की कुछ आरम्भिक रकम अदा की थी। उन्हें अभी तक एक भी कनैक्शन नहीं दिया गया है। जब मैंने संबंधित प्राधिकारियों से बात की तो मुझे बताया गया कि उनके पास केबल अथवा कुछ अन्य संबंधित उपकरण उपलब्ध नहीं हैं। मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वे आन्ध्र प्रदेश सरकार को केबल और अन्य उपकरणों की आपूर्ति करने को प्राथमिकता दें ताकि ग्रामीण लोग टेलीफोन कनैक्शन प्राप्त कर सकें।

मैं डाक विभाग से सम्बन्धित एक अन्य महत्वपूर्ण मामला आपके ध्यान में लाना चाहूंगा। हनुमान जंक्शन दो निर्वाचन क्षेत्रों नुजविद और गनावरम् का केन्द्र है। यद्यपि यह एक बड़ी इमारत है, लेकिन यह जीर्णशीर्ण स्थिति में है। यह विभाग किसी अन्य इमारत में स्थानान्तरित कर दिया गया है जो कि बहुत दूर है। मैंने यह मामला माननीय मंत्री महोदय के समक्ष भी रखा है। मछलीपत्तनम में भी इमारत ढह गई है और वे भी अपना कार्यालय किसी निजी इमारत में चला रहे हैं। मैं, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी अनुरोध करना चाहूंगा कि वे हनुमान जंक्शन और मछलीपत्तनम मुख्यालयों की इमारतों के पुनर्निर्माण के लिए पर्याप्त धनराशि आबंटित करें।

मैं एक अन्य मुद्दे पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जो कि आनन्दपुरम में उप डाक-कार्यालय की इमारत के संबंध में

है। जब भी विद्यार्थियों को परीक्षाएं देने जाना होता है, उनको डाक सुविधाओं की कमी के कारण काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अतः वहां एक उप डाक-कार्यालय खोला जाना चाहिए।

अन्त में, मैं सिक्कों वाले टेलीफोन के संबंध में कुछ कहना चाहूंगा। जनता इसकी काफी मांग कर रही है। सम्बन्धित प्राधिकारियों से हमें यह जानकारी मिली है कि इसकी आपूर्ति बहुत कम है और इसलिए जनता की यह मांग पूरी नहीं हो पा रही है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे इस मामले पर विचार करें।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे यह अवसर प्रदान किया। मैं अपने साथियों और माननीय मंत्री महोदय का भी धन्यवाद करता हूं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): माननीय सभापति महोदय, कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि यह चर्चा छः घंटे तक जारी रहेगी। तदनुसार, सम्बन्धित दलों को समय आबंटित किया गया है। मैं इस संबंध में आपको सूचित करना चाहूंगा क्योंकि मुझे अपने सदस्यों को गुमराह नहीं करना चाहिए। प्रत्येक दल को समय आबंटित किया गया है और हमने वचन दिया है कि हम इसे नहीं बढ़ायेंगे। हमारे दल को एक घंटा और दस मिनट का समय दिया गया है। तदनुसार, उस अनुपात में मैंने अपने दल के वक्ताओं को तैयार किया है। मेरी आपसे यही अपील है कि उन्हें आबंटित समय के भीतर बोलने का अवसर दिया जाए।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): सभापति महोदय, दूर संचार मंत्रालय द्वारा अनुदान की मांगों पर हम सब लोग चर्चा कर रहे हैं और यह हमारे देश के लिए बहुत बड़े अभिमान की बात है। पोस्ट एंड टेलीग्राफ तथा टेलीफोन विभाग ने बहुत ही अच्छी तरह से प्रगति करने का प्रयत्न किया है। राम विलास पासवान जी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने सभी सांसदों के साथ चर्चा करते हुए वह सबकी समस्याओं का हल करने के बारे में प्रयत्नशील हैं लेकिन समस्या यह है कि अधिकारी लोगों के द्वारा उन्हें जितना सहयोग मिलना चाहिए, उतना सहयोग न मिलने से काफी योजनाएं ऐसी ही पड़ी हुई हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि जब आप अधिकारियों को जगह देंगे तभी गांव-गांव में टेलीफोन लग सकते हैं। जब गलत अधिकारियों को पासवान साहब भगा देंगे तब 2002 तक गांव-गांव में टेलीफोन लग जाएंगे। टेलीफोन गांव-गांव में जाना चाहिए।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र पंढरपुर के टेलीफोन एक्सचेंज को विकसित करने की आवश्यकता है। वहां ज्यादा कर्मचारी देने की आवश्यकता है। हमारे पंढरपुर क्षेत्र में एक जनरल मैनेजर की पोस्ट होनी चाहिए, उसके बारे में विचार करने की आवश्यकता है। एक जिले में अगर दो निर्वाचन क्षेत्र हैं, तो भी उसी जगह पर जनरल मैनेजर का ऑफिस होना चाहिए। हमारे क्षेत्र के दो सौ से ऊपर लोगों ने 10-15-20-25 आदि टेलीफोन कनैक्शन के लिए एप्लाइ किया है मगर कनैक्शन नहीं मिल रहा है। आप उनको कनैक्शन देने के बारे में भी निर्णय ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त पोस्टल विभाग के जो पत्र मिलते हैं, कभी-कभी ऐसा होता है एक पत्र दो-दो साल बाद मिलता है, उसकी भी जांच होनी चाहिए।

जो गरीब लोग हैं, उनके एक महीने का टेलीफोन का बिल पांच सौ आना चाहिए। लेकिन दस हजार या पन्द्रह हजार रुपये बिल आता है। इसका कारण यह है कि टेलीफोन एक्सचेंज में रैकेट है जो गरीब लोगों के टेलीफोन से एस.टी.डी. कराने का प्रयत्न करता है। ज्यादा बिल आने पर उनको कहा जाता है कि आप इतना पैसा भर दो तो आपका इतना पैसा फ्री हो जाएगा मगर गरीब लोग इतना पैसा कहां से लाएंगे? इसलिए वहां इसी तरह से मिसयूज करने वाली टोली है जिसके विरुद्ध कार्रवाई करने की आवश्यकता है। गरीब लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मंत्री महोदय साहब ने मोबॉइल फोन एम.पीज. को देकर एक अच्छा काम किया है, मैं इसके लिए आपका आभारी हूं। मैं वहां गया था और मैंने फार्म भर दिया। जब मैं फार्म देने लगा तो वे बोले कि 10,000 रुपए दे दीजिए, मैंने कहा कि मेरे पास 10,000 रुपए नहीं हैं। इसलिए जो मोबाइल सेवा है, मेरा सुझाव है कि लोक सभा के 543 मेम्बर्स हैं और राज्य सभा के 238 मेम्बर्स हैं, ये सब मिला कर 781 होते हैं। आपको इसमें 78 लाख 10 हजार रुपए लगने वाले हैं। सरकार के लिए यह कोई बड़ा भारी बोझ नहीं है। इसलिए आपको आज हाउस में एनाउंस करना चाहिए और इन सब एम.पीज़ को फ्री मोबाइल देना चाहिए। ...*(व्यवधान)* एक एम.पी. को 50 हजार फोन काल फ्री अपनी कांस्टीट्यूएंसी के लिए मिलती हैं। मेरा सुझाव है कि जो 50 हजार फ्री काल्स हैं, इनमें एस.टी.डी. भी मिलनी चाहिए, मेरा मतलब है कि जो एस.टी.डी. है, उसमें तीन मिनट का एक फोन काल होना चाहिए। हम अगर मुंबई फोन करते हैं, तो हमारे कई फोन काल हो जाते हैं, इसलिए 50 हजार हमारे दो-तीन महीने में खत्म हो जाते हैं। मेरे सब काल हो गए हैं और अभी एक महीना बाकी है। इसलिए मेरा सुझाव है कि एक लाख फोन काल बढ़ाने की आवश्यकता है लेकिन उसके साथ-साथ 50 हजार फोन काल खाली एस.टी.डी. के लिए मिलने चाहिए, यह भी एनाउंसमेंट होनी चाहिए। हमारे पास इतने लोग आते हैं, मैं जब से चुन कर आया हूं तब से मैंने

[श्री रामदास आठवले]

अभी तक तीन हजार पत्र दिए हैं। मेरे पास हर रोज लोग आते हैं कि हमें फोन दीजिए। मैं पत्र देता हूं और मेरे पत्रों का ढेर आफिस में लग गया है। वे कहते हैं कि पासवान जी को जाकर मिलो और ज्यादा से ज्यादा फोन एक एम.पी. को देने के बारे में विचार करें, ऐसा भी उन्होंने कहा। मेरी मांग है कि हर महीने सौ फोन दें, फ्री में तो देना नहीं है, उन्होंने पैसे भरने हैं। इसलिए आप उन्हें अधिकार दीजिए, हमने उनसे बात की है। हर महीने सौ फोन एक मेम्बर को देने का जो अधिकार है, ये अधिकार देने के लिए आपका डिपार्टमेंट तैयार है, खाली आपके परमीशन की आवश्यकता है। लोक सभा सैक्रेटेरिएट की और राज्य सभा के परमीशन की आवश्यकता है। इसलिए आज आप हमें यह परमीशन दीजिए। अगर हाउस परमीशन देता है तो आपका डिपार्टमेंट देने के लिए तैयार है, इसलिए इसे करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि आपका जो डिपार्टमेंट है, यह बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है। 2002 तक अगर आप सब को फोन [illegible] की बात है। सब को फोन मिलेगा तो आपकी [illegible]न तक रहेगी, अन्यथा आपकी सरकार रहने वाली नहीं है। ...(*व्यवधान*)

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलिया (जूनागढ़): सरकार पूरे पांच साल चलेगी।

श्री रामदास आठवले : पांच साल तो यह सरकार रहेगी लेकिन आप लोग अगर रहने देंगे तो तभी रहेगी। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो आश्वासन आपके मंत्रालय ने दिए हैं वे फुलफिल करने के बारे में पासवान जी केपेबल हैं ही। हमारे अच्छे मित्र भी हैं। बाकी पोलिटीकल बात मैं नहीं करना चाहता हूं लेकिन हमारा एक आदमी उधर है।

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया : आप भी इधर आ जाएं।

श्री रामदास आठवले : नहीं, हम नहीं आएंगे, हम आपको इधर लाएंगे। हम उधर आने के लिए इधर नहीं आए हैं, हम तो उधर के लोगों को इधर लाने के लिए आए हैं। इसलिए पासवान जी से मैं निवेदन करता हूं कि जो मांगें हमने की हैं, उन पर कुछ न कुछ तो एनाउंसमेंट कीजिए।

[अनुवाद]

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम (तंजावूर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे संचार मंत्रालय संबंधी अनुदान मांगों पर चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया।

महोदय, तमिलनाडु के मुख्य मंत्री डा. कालेगनार ने केन्द्र सरकार को यह अनुरोध करते हुए एक पत्र लिखा था कि चेन्नई टेलीफोन सेवा को महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड में परिवर्तित कर दिया जाए जैसा कि दिल्ली और मुम्बई में है। चेन्नई के लोग काफी लम्बे समय से इसकी आवश्यकता महसूस कर रहे हैं क्योंकि वे दिल्ली की तरह अच्छी टेलीफोन सेवा चाहते हैं। अतः मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे चेन्नई टेलीफोन सेवा को महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड में परिवर्तित कर दें। मैं यह उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय अपने उत्तर के दौरान यह घोषणा करेंगे।

तत्पश्चात्, मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे चेन्नई में भी सैलुलर सेवा आरम्भ करें। अब हम सैलुलर सेवा कम्पनियों को अनेक रियायतें दे रहे हैं लेकिन उनका शुल्क एक समान नहीं है और हर तीन महीने बाद वे अपना शुल्क बढ़ा देते हैं और कहते हैं कि यह नई प्रणाली है। अतः मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे सभी सैलुलर सेवा कम्पनियों के शुल्क विनियमित करें। तत्पश्चात् मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे सैलुलर सेवा की गुणवत्ता पर भी समुचित निगरानी रखें। त्रिची, जो कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के समीप है, में बी.पी.एल. द्वारा चलाई जा रही एक सैलुलर फोन कम्पनी है और उस कम्पनी की सैलुलर सेवा पूरे त्रिची नगर को भी कवर नहीं करती है। अतः सैलुलर सेवा के लिए इतना पैसा खर्च करने का क्या लाभ है?

महोदय, जब भी नई टेलीफोन डायरेक्टरी जारी की जाती है, उसमें नए कनैक्शनों के नम्बर तथा परिवर्तित नम्बरों को शामिल किया जाना चाहिए। हमारे पास अनेक आधुनिक सुविधायें हैं और कम्प्यूटर के द्वारा हम उपभोक्ताओं को एक दिन के भीतर नए नम्बर जारी कर सकते हैं। लेकिन हर जगह हमें लोगों से शिकायतें मिल रही हैं कि वे हमें संपर्क स्थापित नहीं कर सकते हैं। वे कहते हैं कि उन्होंने हमारे नम्बर मिलाने का प्रयत्न किया है लेकिन नम्बर बदल जाने के कारण वे हमसे संपर्क स्थापित नहीं कर सके और टेलीफोन डायरेक्टरी में नए नम्बर नहीं मिले। यह जनता से प्राप्त होने वाली एक सामान्य सी शिकायत है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वे देखें कि जब भी कोई टेलीफोन निर्देशिका जारी की जाती है तो उसमें सभी नये नम्बर तथा बदले गए नम्बर शामिल किए जाएं। इसके उपरान्त ही हम सेवाओं में सुधार कर सकते हैं।

महोदय, अब पी.सी.ओज. तथा एस.टी.डी. केन्द्रों के आवंटन के लिए एक समिति है। लेकिन इस समिति में सभी संबंधित कर्मचारी ही हैं। मैं पहले ही समिति के विवरण में नहीं

जाना चाहता हूं। हमें इस समिति के बारे में कई शिकायतें मिली हैं।

श्री राम विलास पासवान : सभापति महोदय, मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि पी.सी.ओ. तथा एस.टी.डी. से संबंधित कर्मचारी समितियों का गठन हमने नहीं किया है। इससे पूर्व भी एक समिति थी। शिक्षित युवाओं को पी.सी.ओज. उदारतापूर्वक आवंटित किए गए हैं और अब मैंने प्राथमिकता के आधार पर चार श्रेणियां बनाई हैं। पहली श्रेणी सभी जातियों से संबंधित युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं/उनके आश्रितों के लिए है। दूसरी श्रेणी अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए, तीसरी श्रेणी में विकलांग व्यक्ति तथा चौथी श्रेणी भूतपूर्व सैनिकों के लिए है। इसलिए, जो कोई इन चारों श्रेणियों में आएगा, उनको आवंटित किए जाने वाले एस.टी.डी. केन्द्रों का 50 प्रतिशत हिस्सा दिया जाएगा तथा इस संबंध में कोई भी एक्सचेंज प्रतिबंध नहीं है। यदि इस संबंध में माननीय सदस्य की कोई शिकायत है तो वे मुझे लिख सकते हैं और मैं इसकी जांच करूंगा। लेकिन, दुर्भाग्य यह है कि सदस्य मेरे पास आकर बिन बारी आवंटन के लिए आग्रह करते हैं। अत: मैंने इन चार श्रेणियों के लिए पी.सी.ओज. के आवंटन का 50 प्रतिशत आरक्षित किया हुआ है तथा ऐसी समिति के गठन का प्रश्न ही नहीं उठता है जिसमें केवल अधिकारी ही हों। यदि कुछ अधिकारी किसी तरह के कदाचार में संलिप्त हैं या वे अपने कर्त्तव्य का निष्ठापूर्वक निर्वाह नहीं कर रहे हैं तो माननीय सदस्यगण इस मामले की सूचना मुझे दे सकते हैं और मैं इसकी जांच करूंगा।

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम : मुझे माननीय मंत्री जी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण मंजूर है। वास्तव में, मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में संबंधित लोगों से सम्पर्क किया तथा उनसे सभी पात्र अभ्यर्थियों को एक ही बारी में पी.सी.ओज तथा एस.टी.डी. केन्द्रों को आवंटित करने का आग्रह किया ताकि इससे वह शक दूर हो जाएगा जो कि विभाग के बारे में किया जाता है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। यही कारण है कि मैंने इस सभा में यह शिकायत की।

इसके पश्चात् मैं, माननीय मंत्री जी से उन सभी उच्च स्तर के अधिकारियों का स्थानान्तरण करने का अनुरोध करूंगा जो कि तीन साल से अधिक समय से मुख्यालय में कार्यरत हैं। वहां इन अधिकारियों का एक गुट है। कभी-कभार तो वे चुने हुए प्रतिनिधियों की आज्ञा भी नहीं मानते और वे चुने हुए प्रतिनिधियों से भी अधिक शक्ति-सम्पन्न होते हैं। इसलिए मैं जोर देकर माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि यदि प्रत्येक तीन वर्ष बाद वे उच्च स्तर के अधिकारियों का स्थानान्तरण करते हैं तो इससे सेवा की गुणवत्ता में ही सुधार होगा तथा सरकार की छवि में भी। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी मेरे आग्रह को मंजूर कर लेंगे।

मेरा निर्वाचन क्षेत्र तंजावूर जिला मुख्यालय है। वहां 21 से अधिक दिनों तक बिलिंग मशीन में गड़बड़ी हो गई। किसी ने भी इस गड़बड़ी का पता नहीं लगाया। लगभग तीन सप्ताह के बाद, उन्हें इस बात का पता चला। उन्होंने उन कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जो इन मशीनों के प्रभारी थे। बल्कि उन्होंने पुराने बिलों के आधार पर ही इन बिलों की कुल राशि को हाथ से ही विभाजित कर दिया और बिल भेज दिए। दूर-संचार विभाग के ही एक कर्मचारी ने यह कहकर अपने उच्च अधिकारियों से संपर्क किया कि "महोदय मैं नियमित रूप से 100 या 200 रुपये दे देता हूं। मैं खुलेआम इस बात को स्वीकार करता हूं कि मैंने अपने सारे स्थानीय काल कार्यालय के टेलीफोन से ही किए। मैंने मात्र एक या दो ट्रंक काल किए हैं। इसलिए मैं इस धनराशि को नहीं दे सकता।" चाहे यह राशि कितनी ही कम क्यों न हों कृपया आप इसकी जांच करें। इसके बाद अधिकारियों ने उस कर्मचारी द्वारा भुगतान की राशि को स्वीकार कर लिया लेकिन तत्काल बाद कुछ अन्य कारणों से उन्होंने उसका टेलीफोन काट दिया क्योंकि उसने विभाग में शिकायत दर्ज करवाई थी।

मैंने प्रभावित लोगों के अभ्यावेदन वहां भिजवाए। लेकिन उन्होंने इनकी अनदेखी क.: दी। मैं बाद में मंत्री जी को इनके विवरण दूंगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाए। इन लोगों ने 21 दिनों से भी अधिक समय तक इस बात पर निगरानी क्यों नहीं रखी? आजकल, उपभोक्ताओं द्वारा बहुत बड़ी राशि का भुगतान किया जाता है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से इन बातों की जांच करने का आग्रह करना चाहूंगा।

अधिकतर सदस्यों ने मंत्री जी से आग्रह किया है कि उपभोक्ताओं के लिए एक्सचेंजों में भुगतान करना अत्यधिक सुविधाजनक है क्योंकि वे कहीं से कुछ धन ले लेते हैं। उन्हें आशा होती है कि उस एक्सचेंज से संदेश आएगा। कभी-कभी एक्सचेंज से प्राप्त संदेश तथा प्राप्त करने वाले स्थान के बीच समय अन्तराल हो जाता है। जिसके बाद वे तत्काल टेलीफोन काट देते हैं। उसके बाद हमें पता चलता है कि हमने उस स्थान से संदेश प्राप्त किया ही नहीं है। इसलिए, यदि एक्सचेंज में ही भुगतान किया जा सके तो इससे उपभोक्ताओं को काफी मदद मिलेगी।

मैं एक और बात मंत्री जी की जानकारी में लाना चाहता हूं। पूरे देश में भूमिगत केबल बिछाए जा रहे हैं। सड़क के साथ-साथ होने वाली अधिकतर दुर्घटनाएं इस प्रकार की केबलें बिछाने

[श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम]

से होती हैं क्योंकि ठेकेदार केबल के लिए खोदी गई खाई का भराव ठीक ढंग से नहीं करते। वे अनुरक्षण के लिए भी अच्छी गुणवत्ता वाली ईंटों का प्रयोग भी नहीं कर रहे हैं। इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि भूमिगत केबल के ठीक ढंग से बिछाए जाने के बाद ही ठेकेदारों के बिलों का भुगतान किया जाए।

आजकल, हम अत्याधुनिक उपकरण लगा रहे हैं। ये सभी उपकरण इलैक्ट्रॉनिक हैं। लेकिन इनका संरक्षण उचित प्रकार से किया जाना चाहिए। यहां तक कि सांसदों के आवासों में मैंने कोई भी ऐसा कनेक्सन नहीं देखा जो कि बाक्स से ठीक प्रकार से जोड़ा गया हो। वहां तार निकल पड़े हैं। मैं नहीं जानता कि हर जगह ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने ऐसा कोई भी बॉक्स नहीं देखा [illegible] हो। सबसे पहले मैं विभाग से आग्रह करूंगा [illegible]द आवासों को टेलीफोन बाक्सों से ठीक प्रकार से जोड़ा जाना चाहिए। अधिकतर समय सांसद दिल्ली में नहीं रहते हैं, इसलिए कोई भी व्यक्ति जाकर इन बक्सों से अवैध कनेक्शन ले सकता है।

दिल्ली में हमारे पास एक और सुविधा उपलब्ध है। इसके तहत प्रयोगकर्ता प्रतीक्षा कॉल प्राप्त कर सकता है। लेकिन इसके अन्तर्गत डायल करने की व्यवस्था ठीक नहीं है। किसी विशेष नम्बर से सम्पर्क करने के लिए डायल करने वाला सोचता है कि फोन व्यस्त नहीं है। सामान्यत: उसे लगता है कि लोग वहां हैं लेकिन कोई भी फोन नहीं उठा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से टेलीफोन की घन्टी बजने की व्यवस्था को बदलवाने का आग्रह करूंगा। यह बहुत आवश्यक है। अधिकतर लोग कहते हैं, "मैंने कई बार फोन करने की कोशिश की, बल्कि मैंने एक घंटे तक कोशिश की लेकिन आपने रिसीवर नहीं उठाया।" मैं उनसे कहता हूं कि मैं टेलीफोन के पास ही बैठा था लेकिन वे मुझसे सहमत नहीं होते। इसलिए, कृपया घंटी बजने की व्यवस्था को बदलने का कष्ट करें। यह तो विभाग ही निर्णय करेगा कि इसके स्थान पर किस प्रकार की व्यवस्था ठीक रहेगी।

कृपया, टेलीफोन एक्सचेंजों का पुनर्गठन करें। पहले एक्सचेंज 12-13 किलोमीटर दूर तक के लिए एक कनेक्सन दे सकता था। आजकल, नजदीक में कई एक्सचेंज हैं। लेकिन विभाग ने अब तक इन एक्सचेंजों का पुनर्गठन नहीं किया है। कोई भी कनेक्सन, पुरानी एक्सचेंज व्यवस्था के अनुसार न्यूनतम दूरी के आधार पर होना चाहिए।

महोदय, गांवों में हमने टॉवर टेलीफोन प्रणाली की व्यवस्था की है। यदि टॉवर प्रणाली असफल हो जाती है तो इसको ठीक करने में उन्हें कम से कम छ: महीने से एक वर्ष तक लग जाता है। विभाग के लोगों का कहना है कि जिस कम्पनी ने इस प्रणाली की स्थापना की है वही इसमें उत्पन्न त्रुटियों को दूर करेगी। इससे गांवों में बड़ी कठिनाईयां आ रही हैं। यह विभाग द्वारा निश्चित करना है कि वह देखे कि समस्या का यथाशीघ्र निवारण हो सके।

महोदय, हमारे यहां 91 सेवाओं युक्त व्यवस्था बहुत अच्छी है। इसके लिए अब लगभग 50 कि.मी. की परिधि निर्धारित की गई है। कुछ बड़े नगर इस 50 किलोमीटर् की दूरी से कुछ अधिक दूरी में आते हैं यानि 51 या 52 कि.मी. की दूरी में। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इसमें कम से कम 5 किलोमीटर की वृद्धि की जाए ताकि अधिक से अधिक लोग इन सेवाओं का लाभ उठा सकें। तंजावूर तथा पुडुकोटी के बीच की दूरी 51 किलोमीटर है। पुडुकोटी में काफी संख्या में टेलीफोन हैं लेकिन वहां के लोग इस सेवा का लाभ नहीं उठा सकते हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्रीजी से आग्रह करूंगा कि इस क्षेत्र के लिए कम से कम दो से तीन किलोमीटर परिधि बढ़ा दी जाए।

सभापति महोदय : कृपया, समाप्त कीजिए।

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम (तंजावूर): महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं।

सभापति महोदय : मैं बोलने के लिए श्री मणिशंकर अय्यर का नाम पुकार रहा हूं।

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम : महोदय, वह मेरे पड़ोसी निर्वाचन क्षेत्र से हैं।

श्री मणिशंकर अय्यर (मयिलादुतुराई): महोदय, मैं उन्हें अपने समय में से दो मिनट देता हूं।

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम : धन्यवाद।

मैं डाक सेवाओं के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। आज, स्पीड पोस्ट तथा इसी तरह की सेवाएं डाक सेवाओं पर हावी हो रही हैं। चेन्नई में, यदि कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि की जाती है तो इससे इन सेवाओं में और भी सुधार होगा। मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि अच्छी सेवाएं देने के लिए और लोगों को नियुक्त किया जाए। यदि हम दु-पहिया या ऐसी ही अन्य अतिरिक्त सुविधाएं देते हैं तो हम विभाग से अच्छी सेवाएं मिल पाने की आशा कर सकते हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से इस पर भी विचार करने का अनुरोध करता हूं।

श्री मणि शंकर अय्यर : माननीय, सभापति महोदय, आरंभ करने से पूर्व, मैं जान सकता हूं कि मेरे खाते में कितना समय है ताकि में उपलब्ध समय में अपनी बात कह सकूं।

सभापति महोदय : दस मिनट।

श्री मणि शंकर अय्यर : धन्यवाद महोदय।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान स्थायी समिति के प्रतिवेदन की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। सामान्यत: ऐसा करना आवश्यक नहीं होता है क्योंकि सम्पूर्ण प्रतिवेदन मंत्री महोदय को सम्बोधित किया जाता है परन्तु मुझे लगता है कि हमें कुछ साल पहले अर्थात् दसवीं लोक सभा में जाने की आवश्यकता है जब स्थायी समिति प्रणाली अपनाई गई थी। उस समय यह कहा गया था कि संसद में प्रत्येक अनुदानों की मांगों पर चर्चा करने के बजाय इसके लिए स्थायी समितियां गठित की जाएंगी जिनका मुख्य उद्देश्य बजट सत्र के दौरान अनुदानों की मांगों पर, गहराई से अध्ययन करना होगा तदनुसार संसद सत्रों से बजट सत्र कर समूचा एक महीना स्थायी समितियों की बैठकों के लिए अलग से नियत कर दिया जाएगा।

इस प्रकार स्थायी समिति इस संसद का लघु रूप है, और संचार सम्बन्धी स्थायी समिति के विशेष मामले में, सभा के प्रत्येक बड़े राजनैतिक संगठन का प्रतिनिधित्व होता है। जैसा कि आशा थी, संचार सम्बन्धी स्थायी समिति के अधिकांश सदस्य राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से हैं। इसलिए, जो प्रतिवेदन उन्होंने प्रस्तुत किया है वह गैर पक्षपातपूर्ण है या इससे अच्छा, जो मैं कहना चाहूंगा, बहु पक्षीय दृष्टिकोण वाला है। संचार सम्बन्धी स्थायी समिति में लिखे प्रत्येक शब्द को इस सदन के सभी महत्वपूर्ण राजनैतिक गठनबन्धन के सदस्यों की अनुमति प्राप्त है। मुझे आशंका है कि जिसे इस स्थायी समिति में प्रतिनिधित्व नहीं मिला उन्होंने किसी प्रकार के मतभेद प्रकट नहीं किए हों, हम इस स्थायी समिति के प्रतिवेदन को संसद का प्रतिवेदन मान सकते हैं।

यदि हम इसे इसी परिप्रेक्ष्य में लें, तो स्थायी समिति के इतिहास में पहले शायद ऐसा हुआ हो जब न केवल मंत्रालय के कार्यों की, बल्कि इससे भी अधिक महत्वपूर्ण मंत्रालय द्वारा 1999 की राष्ट्रीय दूरसंचार नीति में निर्धारित स्वयं अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफलता की इतनी आलोचना हुई हो।

जब हमें मंत्रालय के कार्यकरण के तौर-तरीकों पर जिस प्रकार सर्वत्र आलोचना का सामना करना पड़ रहा है, मैं इस को व्यक्तिगत फोन कनेक्शनों के मामलों के बजाय नीतिगत मामलों की बात कर रहा हूं या एक एक्सचेंज की कवरेज को 50 कि.मी. या 51 कि.मी. से आगे बढ़ा दिया जाता है। मैं व्यापक मुद्दों की बात कर रहा हूं तो मुझे लगता है यह इस सभा का कर्तव्य है कि वह जब सभा की समग्र बैठक हो समिति की बैठक में अभिव्यक्त विचारों को सभा के समक्ष लाए। सभा संबंधित मंत्री महोदय से यह भी उम्मीद करती है कि वे न केवल घिसापिटा जवाब दें बल्कि यह स्पष्टीकरण दें कि उन्होंने न केवल विपक्ष की आशाओं पर बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण अपने ही समर्थकों की आशाओं पर तुषारापात क्यों किया। महोदय मेरा कहना है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि संसद के प्रतिरूप अर्थात स्थायी समिति ने गत वर्ष निर्धारित की गई दूरसंचार नीति के प्रत्येक घटक को वास्तव में अलग-अलग कर दिया है। चाहे वह संख्यावाहिनी का मामला हो, चाहे वह लाइसेंस शुल्क व्यवस्था से राजस्व भागीदारी व्यवस्था में बदलने का मामला हो, चाहे वह 1999 की राष्ट्रीय दूर संचार नीति जो सार्वभौमिक सेवाओं का प्रावधान है, की मौलिक बाध्यता पूरा करने का मामला हो, चाहे वह सार्वभौमिक सेवाओं के प्रावधान के लिए निधि एकत्र करने के तरीके से संबंधित मामला है और चाहे वह देश के आर्थिक विकास में दूरसंचार के महत्व को बढ़ाने का मामला हो, प्रत्येक क्षेत्र में, समिति ने मंत्रालय की कार्य प्रणाली की बड़ी कठोरता से और स्पष्ट रूप से भर्त्सना की है। मुझे कहने में संकोच होता है, महोदय, कि श्री राम विलास पासवान अधिकतर बुराईयों के जिम्मेदार नहीं हैं क्योंकि इस मंत्रालय से संबंधित अधिकतर बुराईयां जिनका जिक्र स्थायी समिति ने किया है अंतरिम सरकार की कालावधि के दौरान आई हैं, जो संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं थी क्योंकि संसद का अस्तित्व ही नहीं था, इसका लाभ उन उद्देश्यों को नष्ट करने के लिए उठाया गया जिन्हें संसद ने प्रत्येक क्षेत्र के लिए अपने लिए स्थापित किया था, इन सब का यहां उल्लेख किया गया है। मुझे लगता है कि हम सब इस सभा में मंत्री महोदय से विस्तार से इसका उत्तर पाने के हकदार हैं, न कि रटा रटाया उत्तर जो हमें "ट्राय" (संशोधन) अधिनियम पर चर्चा के दौरान प्राप्त हुआ।

इस अवसर पर, मुझे मंत्री महोदय का ध्यान हमारी कई चिन्ताओं पर आकर्षित करने का अवसर प्राप्त हुआ था जो अब स्थायी समिति में प्रतिबिम्बित हो रही है। परन्तु उन्होंने राष्ट्र की चिन्ताओं पर बोलने के बजाय ऐसे टेढ़े-मेढ़े उत्तर का विकल्प चुना जो सभा के, जिसके वे सदस्य हैं, बहुमत के विचारों पर आधारित हो। इस समय, मेरा भाषण केवल मेरा भाषण है और वास्तव में उन्हें इस पर उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। परन्तु मैं अब जिस पर बोल रहा हूं वह मेरा भाषण नहीं है बल्कि स्थायी समिति का प्रतिवेदन है। हमारे पास यहां, 13वें पैराग्राफ से शुरू

[श्री मणिशंकर अय्यर]

होकर 2.38 पैरा तक, लगभग 50 पैराग्राफ में इस मंत्रालय के कार्य पद्धति की अत्यधिक भर्त्सना की गई है, मंत्रालय का, यह कार्यकाल श्री पासवान के बजाय उनके तत्काल पूर्ववर्ती मंत्री विशेषकर अंतरिम सरकार के दौरान का कार्यकाल है।

संयोगवश जब यह देश युद्ध से जूझ रहा था तो एक मुद्दा उभर कर सामने आया जो कि, कारगिल युद्ध के दौरान हमें 4,000 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। आज वे ये कह रहे हैं कि 8,000 करोड़ रुपए की खाद्य राजसहायता को जारी नहीं रखा जा सकता। अभी उन्होंने 4,000 करोड़ रुपए ऐसे ही दे दिए जो आसानी से, खाद्य राजसहायता के लिए दिए जा सकते थे, आसानी से उर्वरकों पर राजसहायता के लिए दिए जा सकते थे। आसानी से मिट्टी के तेल और डीजल सम्बन्धी प्रश्नों को हल करने के लिए दिए जा सकते थे। इसके विपरीत, जब अमीरों के संबंध में [illegible] होना है, शीघ्रता से घुटने टेक दिए जाते हैं। जब गरीबों [illegible] उन्हें विकास के बोझ को उठाने के लिए कहा [illegible] वास्तव में अस्वीकार्य है। महोदय, मैं इसे दोहराना नहीं चाहता क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। अगर होता तो, मैं इसका प्रत्येक शब्द पढ़ता या इसे संभवतः श्री राज बब्बर को देता क्योंकि वे इन विचारों को मुझसे अच्छी तरह व्यक्त कर सकते हैं। परन्तु इन पन्नों को संचार मंत्री और उनके सहयोगियों के हृदय पर सोने के काले अक्षरों द्वारा अंकित किया जाना चाहिए जिससे हमें उनसे उत्तर प्राप्त हों और उसके पश्चात् हमें इसका विवरण दें कि क्यों संचार मंत्रालय इस संसद के समक्ष इसी मंत्रालय द्वारा लाये गये संसद द्वारा अनुमोदित उद्देश्यों के साथ धोखाधड़ी कर रहा है।

सायं 7.00 बजे

महोदय, मैं मंत्री महोदय के समक्ष तेरह प्रश्न रखकर भाषण समाप्त करता हूं। चूंकि वे छोटे प्रश्न हैं, उन्हें मैं बचे छः या सात मिनट के समय में पूछ सकता हूं। लाइसेंस शुल्क व्यवस्था से राजस्व हिस्सेदारी व्यवस्था पर आने के संबंध में, क्या सरकार मानेगी कि उसे 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का घाटा होगा, ऐसा आरोप उन लोगों ने लगाया जिन्होंने इस विषय का अध्ययन किया है। यदि आप इन आंकड़ों से सहमत नहीं हैं तो अगले 10 से 20 वर्षों में होने वाले राजस्व घाटे के बारे में सरकार का क्या आकलन है?

मेरा दूसरा प्रश्न है कि चूंकि 1999 की राष्ट्रीय दूरसंचार नीति के पैराग्राफ 3.11 में यह कहा गया है कि जो भी किया जाए वह "संविदात्मक बाध्यता के अनुरूप" हो क्या निजी संचालकों को लाइसेंस शुल्क के अंतर्गत उनके संविदात्मक दायित्व से मुक्त करने से 1999 की राष्ट्रीय दूर संचार नीति का उल्लंघन नहीं होता?

अब मैं, अपने तीसरे प्रश्न पर आता हूं। क्या "ट्राई" ने लाइसेंस शुल्क को 1 मई, 1999 से लागू हुए संशोधित शुल्क के निर्धारण के समय ध्यान में नहीं रखा। दूरसंचार पर नया शुल्क 1 मई, 1999 को लागू हो गया। 22 जुलाई को सिर्फ ढाई महीने बाद उन्होंने कहा कि यह लाइसेंस शुल्क अवहनीय बोझ है और एक हफ्ते के अंदर उन्होंने वैकल्पिक प्रणाली को अपना लिया। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या "ट्राई" ने शुल्क (टैरिफ) के निर्धारण के समय नियत लाइसेंस शुल्क को ध्यान में नहीं रखा।

मेरा अगला प्रश्न यह है। सरकार ने निजी संचालकों के "केपेक्स" लागत परिकलन प्रणाली को अस्वीकृत क्यों नहीं किया? सभी का मूल्य डी.ओ.टी. के अपने खरीद मूल्य से पांच से छह गुणा अधिक है। वे उसी वस्तु को एक रुपए में खरीदते हैं। निजी संचालकों ने कहा कि उन्हें इन पर 5 या 6 रुपए की लागत आई है और विभाग ने मान लिया। उन्होंने ऐसा कैसे किया? ये कैसे हुआ कि उन्होंने निजी संचालकों की लागत को, जो उनके विभाग द्वारा चुकाए जाने वाले खरीद मूल्य से 5 से 6 गुना अधिक है युक्तिसंगत मान लिया।

महोदय, मेरे अगले प्रश्न राजस्व की हिस्सेदारी से संबंधित हैं। सर्वप्रथम, जब उन्होंने लाइसेंस की फीस प्रणाली के स्थान पर राजस्व हिस्सेदारी प्रणाली आरम्भ की तो उन्होंने नए टेंडर क्यों नहीं मंगवाए थे तब दूरसंचार विभाग ने दिए जाने वाले राजस्व का हिस्सा क्यों निर्धारित नहीं किया था? वे आसानी से कह सकते थे कि लोग सरकार को दिए जाने वाले राजस्व के अंश के लिए निविदा दे सकते हैं। कोई 15 प्रतिशत कह सकता था तो कोई 50 प्रतिशत। अब उन्होंने ऐसा नहीं किया है। जब यह लाइसेंस फीस प्रणाली के बारे में आया तो निविदा दी गई और जिन लोगों ने सबसे ऊंची बोली लगाई उन्हें ठेका दिया गया। परन्तु जब वे राजस्व हिस्सेदारी प्रणाली में आये तो उन्हीं लोगों को जिनके नाम लाइसेंस फीस निविदा खुली थी, वैकल्पिक प्रणाली भी दी गई और किसी अन्य आपरेटर को राजस्व हिस्सेदारी वाली नई प्रणाली में आने की अनुमति नहीं दी गई थी।

मेरा अगला प्रश्न यह है क्या सरकार ने "ट्राय" परिकलन की लाभ की आन्तरिक दर को स्वीकार किया है? लाभ की आन्तरिक दर जैसा कि "ट्राय" द्वारा परिकलन किया गया है, बहुत ऊंची है। यह 15 प्रतिशत की तुलना में लगभग 40 प्रतिशत है जिसे वह राजस्व हिस्सेदारी के रूप में ले रहे हैं। क्या उन्होंने "ट्राय" परिकलन को स्वीकार किया है? यदि नहीं तो उन्होंने "ट्राय"

परिकलन को क्यों अस्वीकृत किया? तीसरा, क्या दूर संचार विभाग ने राजस्व हिस्सेदारी के आधार को निर्धारित करने के बारे में अपना दिमाग का प्रयोग किया था? उन्होंने यह इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने समिति को बताया था कि किसी निजी आपरेटर ने उन्हें बताया था कि वे 15 प्रतिशत वहन कर सकते हैं और उन्होंने कहा ठीक है 15 प्रतिशत होने दीजिए। क्या विभाग ने अपने दिमाग का प्रयोग किया था? और यदि उन्होंने अपने दिमाग का प्रयोग नहीं किया था तो क्या उन्हें यह पता नहीं चला था कि सरकारी राजस्व को 15% से 20 प्रतिशत अथवा 25 प्रतिशत अथवा मेरे पास के आंकड़ों के परिकलन के अनुसार यह 50% तक बढ़ाया जाना संभव हो सकता है। क्या आपने अपने दिमाग का प्रयोग नहीं किया था? यदि आपने अपने दिमाग का प्रयोग नहीं किया था तो आपने अपने दिमाग का प्रयोग क्यों नहीं किया था। यदि आपने अपने दिमाग का प्रयोग किया था तो आपने कौन से आंकड़े निकाले थे? उस मामले में आप निजी आपरेटरों से क्यों पूछते हैं कि इस गरीब देश को विश्व के सबसे धनी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के सबसे अधिक धनी भारतीयों के साथ सहयोग में क्या हिस्सा मिलेगा। यह आपके निर्धारण से पहले बता सकते हैं यह प्रश्न पूछने के बजाय क्या आपने विश्व में सबसे बड़े शोषणक देशों के संघ की मांग को स्वीकार कर लिया है?

महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि दूरसंचार विभाग द्वारा अर्जित किये जाने वाले लाभ का क्या हुआ। इस के बारे में हमें दी गयी सूचना के अनुसार पिछले वर्ष दूरसंचार विभाग द्वारा अर्जित किया गया लाभ 11,000 करोड़ रुपए से घटकर 9,000 करोड़ रुपए था। 2,000 करोड़ रुपए की कमी हुई। दूर संचार विभाग के लाभ में कमी क्यों हुई। यह इसलिए नहीं हुई कि निजी आपरेटरों ने बाजार के ऊपर भाग से मलाई उतार ली है जबकि यू.एस.पी. देयताओं को पूरा करने के लिए इसे दूरसंचार विभाग पर पूर्ण रूप से छोड़ दिया है? यू.एस.पी. का अर्थ सामान्य विपणन में अद्वितीय बिक्री अनुपात नहीं है। यू.एस.पी. का अर्थ सार्वभौमिक सेवा प्रावधान है। सभी सार्वभौमिक सेवा प्रावधान केवल दूरसंचार विभाग द्वारा किये जा रहे हैं, मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा कि बहुत अच्छी तरह से किये जा रहे हैं। निजी आपरेटर इस सम्बन्ध में करार की देयताओं को पूरा नहीं कर रहे हैं। इसके लिए इन्हें दण्ड देने के बजाय विभाग निजी आपरेटरों को जो वह लेना चाहते हैं कर लेने की अनुमति दे रहा है।

सार्वभौमिक सेवा देयता निधि के सम्बन्ध में उन्होंने कहा है कि निजी आपरेटरों के कुल राजस्व का 5% उसकी अदायगी के रूप में जा रहा है सार्वभौमिक सेवा देयता-संयुक्त राज्य की देयता नहीं - को पूरा करने के लिए अपेक्षित कुल निधि का यह ऐसा छोटा भाग होगा। मैं नहीं जानता बाकी धन कहां से आ रहा है यह व्यवस्था है जो दूर संचार विभाग के राजस्व को कम कर रहा है लाभ को घटा रहा है जो उत्पादन करने में सक्षम है, इसके निवेश की क्षमता को घटा रहा है और सार्वभौमिक सेवा देयताओं को पूरा करने के लिए निजी आपरेटरों पर निर्भर हो रहा है, मैं नहीं देख सकता किस प्रकार - जब तक मंत्री महोदय मुझे अपने तरीकों को वर्णन नहीं करते - हम 1999 की राष्ट्रीय दूरसंचार नीति के मूलभूत उद्देश्यों को पूरा करने जा रहे हैं जिसका उद्देश्य अमीर को और अमीर बनाना नहीं है बल्कि दूर संचार को निर्धनतम व्यक्ति तक पहुंचाना है।

अन्त में, सांख्य वाहिनी के सम्बन्ध में मेरे अन्तिम तीन प्रश्न हैं और तत्पश्चात् मैं समाप्त करूंगा। पहला दिये गये सांख्य वाहिनी के सम्बन्ध में कि वहां वही प्रौद्योगिकी है जिसे इयूनेट इस देश में ला रही है तो उन्होंने विश्वव्यापी निविदाओं को आमंत्रित क्यों नहीं किया। सांख्य वाहिनी के लिए कोई विश्वव्यापी निविदाएं आमंत्रित क्यों नहीं की गई थी? मेरा दूसरा प्रश्न यह है। ऐसा क्यों है कि दूरसंचार विभाग का इक्विटी अंशदान का मूल्यांकन दूर संचार विभाग द्वारा न करके इयूनेट द्वारा किया जा रहा है जबकि इयूनेट इक्विटी अंशदान का मूल्यांकन इयूनेट द्वारा स्वयं किया जाएगा। यह चौंकाने वाली बात है कि आजादी के 52 वर्षों के पश्चात् हम संयुक्त राज्य अमरीका की केरनेजी मेलन यूनिवर्सिटी को कह रहे हैं कि वे मूल्यांकन कर सकते हैं क्या श्री पासवान सच कह रहे हैं और यदि नहीं तो जब उन्होंने महसूस किया कि ओपटिकल फाइबर बहुत अधिक होगा, क्या इयूनेट सच कह रहा है अथवा नहीं तो क्या इयूनेट द्वारा निर्धारित किया जाएगा और श्री पासवान उन्हें नहीं कह सकते कि वे धोखेबाज हैं मेरा तीसरा प्रश्न यह है क्या कोई अनिवासी आन्ध्र प्रदेश का व्यक्ति इसमें अन्तर्ग्रस्त है?

श्री ई. अहमद (मंजेरी): धन्यवाद माननीय सभापति महोदय, इस चर्चा में भाग लेते हुए मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं क्या वह 1999 की राष्ट्रीय दूरसंचार नीति में बताए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के बारे में पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं। मैं यह प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि 1994 की राष्ट्रीय दूरसंचार नीति में यह था जहां बताया गया था कि मांग पर टेलीफोन 1998 तक दे दिये जायेंगे। अब 1999 में नयी नीति है जो कहती है कि इसे पूरा किया जाएगा और 2002 तक लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा। मैं नहीं जानता क्या वही मंत्री लक्ष्य को पुन: आगे बढ़ाने की तिथि के साथ एक नयी दूरसंचार नीति के साथ यहां इस सभा में आएंगे। यह सब विभाग द्वारा टेलीफोन के बारे में लोगों की मांग और आवश्यकता के बारे में गलत मूल्यांकन करने का नतीजा है।

[श्री ई. अहमद]

मेरे सहयोगी श्री मणिशंकर अय्यर ने स्थायी समिति के प्रतिवेदन का उल्लेख किया है। मैं स्थायी समिति के प्रतिवेदन के बारे में बताकर इस सभा का अधिक मूल्यवान समय नहीं लूंगा अतः इस सभा की स्थायी समिति इस सभा के प्रति उत्तरदायी है। मैं स्थायी समिति के पैरा 32 में से केवल एक पंक्ति उद्धृत करूंगा जहां कहा गया है:

"समिति महसूस करती है कि विभाग को स्पष्टीकरण देना है कि विभाग को केवल निजी क्षेत्र को अर्थक्षम बनाने पर ध्यान देना चाहिए और लोगों को स्वयं या निजी आपरेटरों द्वारा लागू शर्तों और निबंधनों के अन्तर्गत अपेक्षित सुविधाएं प्रदान करने का कार्य नहीं करना चाहिए।"

यह लाभ हिस्सेदारी के संबंध में है। लाभ की हिस्सेदारी [illegible]त की गई थी और प्रतिवेदन में बताया गया

"समिति ने पूछा, किस आधार पर 15 प्रतिशत राजस्व भागीदारी की बात मानी गई और क्या इस संबंध में कोई अध्ययन किया गया था। सचिव ने उत्तर दिया कि इस बात का संवेदनशील विश्लेषण करने के लिए विभाग ने कई आपरेटरों से आंकड़े प्राप्त किए कि उन्हें पर्याप्त मुनाफा होगा या नहीं यदि विभाग कुल राजस्व में से 15 प्रतिशत लाइसेंस फीस के रूप में प्राप्त करता है।"

विभाग में जिस तरह कार्य चल रहा है, क्या यह बात बेतुकी नहीं है? उनका कहना है कि वे उम्मीद करते हैं कि लाभ 20 और 25 प्रतिशत के बीच होगा इसीलिए उन्होंने इसे 15 प्रतिशत तय किया है। क्या यह मनमाने ढंग से तय नहीं किया गया है? समिति ने इस बात का भी उल्लेख किया और मैं समिति के प्रतिवेदन में से उस भाग को उल्लेखित करने के लिए बाध्य हूं:

"समिति को आश्चर्य हुआ कि इन आवश्यक मामलों में एक पूर्णतः तदर्थ दृष्टिकोण अपनाया गया और विभाग, जैसाकि वह पहले से था, ने केवल यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि आपरेटरों को सुविधा रहे और वे अपने कार्य निष्पादन और राष्ट्रीय हित में जो आवश्यक हो उस पर आधारित न होकर वे कितनी ही आय से मुनाफा कमाएं।"

हम यहां पर सरकार से जवाब मांगने के लिए हैं। हम सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं। हमें पूछने का अधिकार है और सरकार की जिम्मेदारी उत्तर देने की है। इसीलिए हम सरकार से उत्तर चाहते हैं। समिति ने कहा कि दूरसंचार विभाग को उत्तर देना चाहिए। इस सभा के समक्ष कौन स्पष्ट करेगा? हम श्री पासवान को भलीभांति जानते हैं। वे अत्यंत सक्षम मंत्री, एक सक्रिय मंत्री एक तेज रफ्तार रेल चलाने वाले मंत्री हैं। परन्तु मैं नहीं समझता हूं कि वे दूरसंचार विभाग को उतनी सक्षमता से चला पाएंगे जितनी सक्षमता से वे रेलवे को चला रहे थे। कम से कम, लोगों में बहुत ज्यादा गलतफहमी है। क्या यह सरकार का कर्त्तव्य नहीं है कि वे इस गलतफहमी को दूर करें? कृपया इसे दूर करें। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं।

मैं इस संबंध में एक बात और यह कहना चाहता हूं कि ये सारी उपलब्धियां, लक्ष्य और अन्य सभी बातें किसी प्रबन्ध सूचना प्रणाली के द्वारा किए गए आकलन के आधार पर विभाग द्वारा तय की जाती हैं। परन्तु उन्होंने जो कुछ भी किया था वह सब बेकार था। कभी-कभी मैं सोचता हूं कि ऐसे वक्तव्यों को देकर विभाग लोगों को बेवकूफ बना रहा है और कई बार मुझे लगता है कि प्रबन्ध सूचना प्रणाली, जहां तक दूरसंचार का संबंध है, गलत सूचना प्रणाली बन गई है। दुर्भाग्यवश, यही इस देश के लोगों का अनुभव है।

अब मैं मेरे राज्य केरल की कुछ समस्याओं को दर्शाना चाहता हूं।

महोदय, केरल में टेलीफोन के लिए प्रतीक्षा सूची में 6.86 लाख नाम हैं। यदि वर्तमान नीति जारी रही तो मैं नहीं समझता हूं कि अगले दो या पांच वर्षों में भी यह सूची पूरी हो पाएगी। हर बार वे यह कहते हैं कि अगले वर्ष इसे पूरा कर लिया जाएगा। परन्तु हर बार सूची बढ़ती जा रही है। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जिसकी प्रतीक्षा सूची में अधिकतम उपभोक्ताओं 7.75 लाख के नाम हैं जिसके बाद आंध्र प्रदेश के 5.9 लाख नाम हैं और उत्तर प्रदेश की प्रतीक्षा सूची में 3.6 लाख लोगों के नाम हैं। परन्तु केरल की प्रतीक्षा सूची में 6.86 लाख नाम हैं। यह सही है कि जहां तक केरल का संबंध है प्रति हजार व्यक्ति टेलीफोन की संख्या 4.20 है जबकि पंजाब में 4.24 और 4.19 महाराष्ट्र में है।

केरल एक ऐसा राज्य है जो देश को बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा खाड़ी देशों को मानवशक्ति भेज कर प्रदान कर रहा है। इसीलिए केरल के लिए दूरसंचार विभाग को विशेष ध्यान देना चाहिए। परन्तु दुर्भाग्यवश, क्या स्थिति है? कई बार केरल के कई क्षेत्रों से नए टेलीफोन एक्सचेंज के लिए अनुरोध पर ध्यान नहीं दिया जाता है। यदि टेलीफोन एक्सचेंज दे भी दिए जाते हैं तो किसी अन्य क्षेत्र से हटाए गए पुराने उपकरणों

को लगाया जाता है। केरल के लोगों के लिए यह खेद का विषय है।

केरल में प्राप्त की गई उपलब्धियों को न्यायोचित ठहराने के लिए बड़ी मात्रा में आंकड़े दिए गए हैं। मैं यह कहूंगा कि यह मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लिए सही नहीं हैं। मालप्पापुरम जिले का अधिकांश भाग मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आता है शायद यह केरल सर्किल में कोचीन के बाद सबसे बड़ा राजस्व मण्डल है। परन्तु स्थिति क्या है? मालप्पापुरम जिले के लिए दूरभाष सलाहकार समिति भी नहीं है। कोझीकोड, वायनाड और मालप्पापुरम जिले एक ऐसे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं जो तेजी से प्रगति कर रहा है। परन्तु दूरभाष सलाहकार समिति वहां पर नहीं है।

लोगों की मांग को ध्यान में रखकर टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने के मेरे कुछ अनुरोधों पर ध्यान नहीं दिया गया है।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त करें।

श्री ई. अहमद : महोदय, मैं केवल एक मिनट लूंगा। मैं इंतजार कर रहा था कि आप घण्टी क्यों नहीं बजा रहे हैं क्योंकि ऐसी पद्धति है। जब कभी भी मैं बोलता हूं आप अध्यक्षपीठ पर होते हैं और घण्टी बजाते हैं। *...(व्यवधान)*

महोदय, मालप्पुरम जिले में भुगतान और अन्य बातों के लिए कुछ अतिरिक्त केन्द्रों की आवश्यकता है। आजकल पूरे देश में वे मालप्पुरम, तिरूवर, कोट्टाकल, मंजेरी और पोन्नानी में ही स्थित हैं। इन केन्द्रों पर भी लोगों को डेढ़ या दो किलोमीटर लम्बी लाइनों में खड़े होकर इंतजार करना पड़ता है। दूरसंचार विभाग को पैसों का भुगतान करने वाले लोगों को अन्य क्षेत्रों के समान सुविधा उपलब्ध नहीं है। हमें भुगतान के लिए और अधिक केन्द्रों की आवश्यकता है। कृपया इस पर विचार करें।

हम माननीय मंत्री महोदय से एक और बात का अनुरोध करते हैं। मुझे इसका विस्तार से अध्ययन का समय नहीं मिल पाया है। इसीलिए मैं संक्षेप में कहूंगा। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना से डाक घरों के भवनों के निर्माण के लिए धनराशियों के आबंटन पर रोक लगी हुई है। कई ग्रामीण क्षेत्रों में डाक-विभाग डाक घरों का निर्माण करने की स्थिति में नहीं है। माननीय मंत्री महोदय माननीय अध्यक्ष महोदय से अनुमति प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव कर सकते हैं जिससे कि संसद सदस्य भी ग्रामीण क्षेत्रों में डाक घरों के निर्माण योजना के लिए धनराशियों का आबंटन कर सकें। यह अत्यन्त लाभदायक रहेगा।

एक और बात भी है। आजकल डाकघर निर्माण एवं डाकघरों को मंजूरी देने पर रोक लगी हुई है क्योंकि दो डाकघरों के बीच कम से कम चार किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए। लोगों की मांग बढ़ रही है। मैं मंत्री महोदय से इस शर्त को चार किलोमीटर से दो किलोमीटर तक घटा देने का अनुरोध करता हूं।

माननीय मंत्री महोदय से मुझे एक और अनुरोध करना है। आजकल संसद सदस्यों को 50 टेलीफोन कनेक्शन मंजूर करने का विशेषाधिकार दिया गया है। परन्तु मैंने पाया कि इन्हें यह समय पर नहीं दिया जाता है।

हमें दर-दर की खाक छाननी पड़ती है। केरल तथा मेरे जिले में यह समस्या बढ़ रही है कि विभाग कहता है कि सामग्री उपलब्ध नहीं है, केबल उपलब्ध नहीं है और इसे नहीं दिया जा सकता है। ऐसा वे हमारे द्वारा सिफारिश किए गए टेलीफोनों के लिए कहते हैं, जैसाकि वे आम टेलीफोनों के लिए कहते हैं। इसीलिए मैं मेरे मित्र श्री राम विलास पासवान से इस मामले में केरल के संबंध में रूचि लेने का अनुरोध करता हूं क्योंकि यह देश में विदेशी मुद्रा को ला रहा है। मैं आशा करता हूं कि इस संबंध में पूरी सभा मेरे साथ है।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव): सभापति जी, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। इसके साथ ही मैं मंत्री महोदय का भी आभारी हूं। मैं यह बात गर्व से कहता हूं कि नासिक जिला भारत में दूर संचार के बारे में पहला नंबर है फिर भी मैं दूर संचार के बारे में संतुष्ट नहीं हूं। दूर संचार, डाक विभाग लोगों के दुख-सुख से जुड़ा होता है। डाक विभाग और तार विभाग में कई बार ऐसा होता है कि आदमी मर जाता है लेकिन दस-पन्द्रह दिन बाद पता चलता है तब तक क्रिया हो चुकी होती है। इसी प्रकार से शादी भी होती है लेकिन दस-पन्द्रह दिन बाद खबर मिलती है, इसलिए इसमें सुधार करना जरूरी है। मेरे निजी क्षेत्र में चांगड़ है, दुगांव है। दुगांव की मांग है कि वहां सब पोस्ट होनी चाहिए। दूर संचार नीति बनी है। अनेक नयी-नयी नीतियां बनी हैं। भारतीय दूर संचार प्राधिकरण, उदारीकरण, लाइसेंस फ्री नीति आदि अनेक कदम, नैट वर्क और ग्रामीण टेलीफोन तथा भावी चुनौतियां इत्यादि हैं। मैं ग्रामीण टेलीफोन को प्राथमिकता देता हूं। नयी-नयी नीति के बारे में निजी विभाग आते हैं, इन्हें ज्यादा पैसा दिया है। मूल विभाग दूर संचार का पैसा कम कर दिया है, यह नीति ठीक नहीं है। अमेरिका संसार में

[श्री हरीभाऊ शंकर महाले]

सबसे बड़ा देश है फिर भी निजी क्षेत्र को सबसे ज्यादा पैसा दिया है। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में टेलीफोन की अच्छी सुविधा नहीं है, इसलिए मंत्री महोदय से प्रार्थना है कि ग्रामीण भारत तो ग्रामीण क्षेत्र में बैठा है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भी अभी तक पूरी तरह से टेलीफोन की सुविधा नहीं है। दूर संचार विभाग और वन विभाग को साथ-साथ जोड़ना चाहिए और इन पर संयुक्त रूप से विचार करना चाहिए तथा इन पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। इतना कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

डा. सुशील कुमार इन्दौरा (सिरसा): सभापति महोदय, मुझे संचार मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा करने का आपने मौका दिया, उसके लिए मैं आपका आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। मैं एक बात बताना चाहता हूं, जो सभी जानते हैं कि दूर संचार विभाग की जो महत्ता देश में बढ़ी है, उसे नकारा नहीं जा सकता। पहले टेलीफोन को लग्जरी में माना जाता था। फोन रखना [illegible] माना जाता था, लेकिन आज फोन जरूरत की [illegible] आज हम 21वीं सदी में चल रहे हैं, उसमें हर आदमी महसूस करता है कि जितनी जल्दी हो सके वह अपनी बात आगे वाले तक पहुंचा सके। अब तो सेलुलर फोन भी आ गए हैं। इस विभाग की महत्ता को देखते हुए जो काम हो रहे हैं, उनके बारे में बड़े दुख के साथ कहा जाएगा, जो निष्क्रियता फोन विभाग की देखने में आ रही है। मैं अपने क्षेत्र में जब भी गांव के दौरे पर गया तो सबसे पहले फोन विभाग की दरख्वास्त होती है, जिसमें यह लिखा होता है कि हमने तीन-तीन, चार-चार साल से फोन सिक्युरिटी भरी हुई है लेकिन आज तक फोन नहीं लगा है। लोग अपना हक मांगते हैं। क्या मंत्री जी बताएंगे कि जो पैसा तीन-तीन, चार-चार साल से लोगों ने सिक्योरिटी के तौर पर भरा हुआ है, अगर हालात यह हो जाए, एफडी के साल पूरे हो जाएं तो क्या वह पैसा उन्हें वापस दिया जाएगा, क्योंकि इतने सालों में पैसा तो दुगना हो गया। हमें ऐसी शिकायतें मिलती हैं। सबसे बड़ी शिकायत फोन विभाग के कर्मचारियों की है, वे कभी भी सीधे मुंह बात नहीं करते हैं। लोग हमें अपनी दरख्वास्त लिख कर देते हैं और हम मंत्री जी को भेजते हैं। मेरे अपने रिकार्ड के हिसाब से मैंने अपने सांसद काल में सबसे ज्यादा दरख्वास्त फोन विभाग के मंत्री जी को भेजी हैं – चाहे सुषमा स्वराज जी रही हों या अन्य कोई रहा हो।

महोदय, मैंने पासवान जी के बारे में सुना है, उनके काम करने के तरीके के बारे में सुना है, टू द प्वाइंट आर्डर देने के बारे में सुना है। मैं समझता हूं कि अब कुछ सुधार होगा लेकिन मुझे दुख के साथ फिर भी कहना पड़ रहा है कि मैंने इतनी चिट्ठियां लिखी हैं, लेकिन उन पर सिर्फ एक-दो लाईन लिखी हुई आती हैं, इस मामले को दिखवाया जा रहा है। मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि जनप्रतिनिधि तभी चिट्ठी लिखता है, जब जनता की भावना सामने लानी हो। ...*(व्यवधान)* हां, ऐसे ही लिखा जाता है कि मामले को दिखवा रहे हैं, लेकिन आज तक कोई मामला नहीं निबटवाया गया। मैं उदाहरण के तौर पर बताता हूं, मेरे शहर टोहाना में एसडीओ फोन्स हैं। वे लोगों से बुरी तरह से व्यवहार करते हैं। मैंने मंत्री जी को लिखा है कि उसकी यहां से बदली करवा दीजिए, लेकिन आज तक उसकी बदली नहीं हुई है। वह बोलता है कि मैं एम.पी. को देख लूंगा, एम.पी. होता कौन है तो ये हालात हैं। यूनियनें बनी हुई हैं। यूनियन चाहती है तो बदली हो जाती है और नहीं चाहती है तो नहीं होती है। यूनियन चाहती है तो काम हो जाता है और नहीं चाहती है तो काम नहीं होता है। अभी पांच-सात दिन पहले मेरे सिरसा शहर में फोन को आग लगाई गई थी, अखबारों में भी आया था। व्यापारियों ने हड़ताल की, यहां तक लोगों ने कहा कि फोन के कर्मचारियों को हम सड़क पर लाकर पीटेंगे। फोन को आग लगाई और फोन विभाग के कर्मचारियों ने उन व्यापारियों के फोन बंद कर दिए। महोदय, आम आदमी कहां तक लड़ेगा। अगर वे बदला लेने के लिए कुछ करते हैं तो वे फोन बंद कर देते हैं। इसी तरह मैं यह कहना चाहूंगा कि सिरसा में बरसों से एस.एस.ए. जिला टेलीफोन सिरसा बनाने की मांग है, हालांकि सिरसा अपने आप में एक जिला है लेकिन उसे जिला टेलीफोन सिरसा बनाने की मांग लम्बे समय से है। मैं पासवान जी से स्पेशल दरख्वास्त करूंगा कि जिला सिरसा की जो लम्बे समय से मांग है, उसे पूरा किया जाए। एक छोटा सा बिल चौटाला गांव में गलत आ जाये तो 170 किलोमीटर दूर हिसार जाना पड़ता है। अगर 50 रुपये का टेलीफोन का बिल गलत आ जाये तो 170 किलोमीटर दूर हिसार जाना पड़ता है। अगर सिरसा में ही एसएसए बना दिया जाये तो अच्छा रहेगा।

मैं जब भी अपने क्षेत्र में जाता हूं तो लोग कहते हैं कि आप मंत्री जी से मिलते नहीं हैं। पी.ए.सी. की मीटिंग होती है तो कह दिया जाता है कि इंस्ट्रूमेंटस नहीं हैं, एम.पी. कोटे से कहते हैं तो कह दिया जाता है कि फिजीबिलिटी नहीं है। ऐसी बहुत सी बातें हैं लेकिन उनमें जो सबसे खराब बात है वह टेलीफोन कर्मचारियों के व्यवहार की बात है। टेलीफोन कर्मचारियों का व्यवहार लोगों के साथ सही नहीं है, वे सही नहीं बोलते हैं। जन-प्रतिनिधि कहता है तो उसका जवाब नहीं दिया जाता है। माननीय राम विलास पासवान जी के हाथों में अब यह विभाग आया है तो हमें उम्मीद हुई है कि अब कुछ सुधार होगा।

सायं 7.32 बजे

(**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए)

टेलीफोन के केबल बिछाने के लिए ठेकेदारों को ठेका दे दिया जाता है। वे सड़क खोदने के बाद उसकी मरम्मत नहीं करते हैं। सड़क में गड्डे पड़ जाते हैं और उनसे लोग परेशान होते हैं। हरियाणा देश के बहुत से प्रदेशों से समृद्ध है लेकिन वहां के भी हर गांव में समस्या है। वहां लोग बिल टाइम पर देना चाहते हैं, लेकिन सुविधा नहीं है, हम उन्हें सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं। मेरी प्रार्थना है कि सिरसा को एस.एस.ए. जिला बनाया जाये। लोगों की इस मांग को पूरा किया जाये। हरियाणा और राजस्थान के कई गांवों में अच्छी सुविधा है। गली-गली में लग जाएं तो हम यहां खड़ा होना ही छोड़ देंगे।

मान्यवर, गरीब आदमी का संचार का सबसे सस्ता साधन डाकखाने के माध्यम से चिट्ठियां लिखना है। देश की जनसंख्या के साथ-साथ गांवों की संख्या भी बढ़ी है। लेकिन अभी भी बहुत से गांव ऐसे हैं जहां पते के लिए लिखना पड़ता है कि गांव (ए), पोस्ट ऑफिस (बी)। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि जहां पांच सौ या एक हजार लोगों की संख्या है वहां ब्रांच ऑफिस या सब-डाकखाना जरूर खोला जाये। इसी के साथ-साथ जो बात हमें सुनने को मिलती है वह सी.जी.एम. या अधिकारियों से सुनने को मिलती है कि हमारे पास कर्मचारियों की कमी है। हमें कर्मचारियों की सुविधा नहीं मिलेगी तो हम काम कैसे करेंगे? मान्यवर, उनकी भी कुछ मजबूरियां हो सकती हैं। वे कहते हैं कि हमारे पास सामान और स्टॉफ की कमी है। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि सामान की कमी नहीं है लेकिन स्टॉफ की कमी को भी वे जरूर दूर करेंगे। मेरी प्रार्थना है कि हरियाणा और दूसरे प्रांतों की समस्याओं को जितना जल्दी हो सकेगा वे दूर करेंगे।

श्री राम रघुनाथ चौधरी (नागौर): उपाध्यक्ष महोदय, आज इस संचार विभाग की मांगों पर हम विचार कर रहे हैं। आपने मुझे अवसर प्रदान किया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करूंगा और साथ ही निवेदन करूंगा कि मैं ज्यादा समय न लेकर सीधे अपने इलाके की समस्याओं की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। बड़े-बड़े गांवों में जहां डाकघर नहीं हैं, उनके लिए कोई नियम होने चाहिए कि इतनी जनसंख्या वाले गांव में डाकघर खोल दिए जाएंगे। आज भी डाक सेवा व्यवस्थित नहीं है। पहले एक माननीय सदस्य बता रहे थे किसी गांव में कोई मर जाता है या शादी ब्याह होती है तो पूरा कार्यक्रम होने के बाद सूचना मिलती है क्योंकि डाक व्यवस्था नियमित नहीं है। जनसंख्या के आधार पर यह तय कर लिया जाए कि जिन गांवों की जनसंख्या एक हजार या पांच सौ हो गई है, जहां 3-4 किलोमीटर तक डाक ले जाने का ही प्रावधान होता है, उस सीमा को घटा कर डाकघर बनाए जाएं। अब मैं आपका ध्यान सेलफोन सुविधा की ओर ले जाना चाहता हूं। पिछले कई सालों से गांवों में टेलीफोन एक्सचेंज खोलने के लिए पैसे जमा करवाए गए। मैंने अपने गांव की सूची देखी है। करीबन 100 बड़े-बड़े गांव हैं जहां 40 से 100-150 लोगों ने कनैक्शन के लिए पैसे जमा करवाए हैं। उन्हें पैसा जमा करवाए 3-4 वर्ष हो गए हैं लेकिन वे इस आशा से बैठे हैं कि हमारे यहां भी टेलीफोन एक्सचेंज खुलेगा। ऐसी लाइनें लगाने की कोशिश की जा रही हैं लेकिन कहते हैं केबल्स उपलब्ध नहीं हैं। कहीं पठारी जमीन है तो वह खुद नहीं रही है। वहां काम बहुत धीमी गति से हो रहा है या बन्द पड़ा है। मैं राजस्थान के नागौर जिले से आता हूं। वहां की हालत यह है कि हम दिल्ली या कहीं और से टेलीफोन कर ही नहीं पाते। घंटों इंतजार करने के बाद या तो किसी वायरलैस से मैसेज भेजते हैं या किसी आदमी को भेजना होता है। वहां टेलीफोन से बात करना सुविधाजनक नहीं है। जहां लोगों ने बरसों से पैसे जमा करवाए हैं उनका क्रम बना हुआ है। जो ओ.एफ.सी. लाइनें लगाई जा रही हैं और जो बहुत पहले लगनी थी वे शुरू ही नहीं हुई हैं। जो आगे लगानी हैं, उनका पता नहीं है। उनको तेज गति देकर पूरा कराने के लिए निवेदन है। एक्सचेंजों के लिए नीति के आधार पर प्राथमिकता होनी चाहिए। जिले के अधिकारी जहां चाहें खोल देते हैं और जहां मर्जी आए, खोलते नहीं हैं। जब हम पूछते हैं तो वे सूची तो देते हैं लेकिन उसके आधार पर एक्सचेंज नहीं खोलते। जानकारी मिलती है कि जो 1998-99 और 1999-2000 में खुलने चाहिए वे अभी तक नहीं खुले। और कहीं-कहीं उसके बाद वाले पहले खुलने शुरू हो गए। इससे लोगों में दुख और तकलीफ पैदा होती है। इससे धांधली होती है क्योंकि उसमें सीधा भ्रष्टाचार लिप्त हो जाता है। हमने कई बार देखा है कि जो एक्सचेंज बहुत पहले खुल जाना चाहिए था, वह नहीं खुलता है। कई बार बड़ी जगह या ग्राम वाले इन्तजार करते रहते हैं वह छोटी जगह खुल जाता है। जब उनसे पूछते हैं तो कहते हैं कि हमारे पास केबल इतनी ही थी। हमारी यह समस्या थी, वो समस्या थी, हमारे पास मशीन नहीं थी। वह मशीन छोटी थी, वह कम टेलीफोन कनैक्शनों की थी। वे तरह-तरह की बातें बना कर लोगों को भ्रम में डालते हैं और धत्ता बताते हैं। मैं सोचता हूं कि इसके लिए कोई स्पष्ट नीति होनी चाहिए और प्राथमिकता के आधार पर गांवों की सूची होनी चाहिए कि इन 6 महीनों में इस आधार पर इन गांवों को टेलीफोन से जोड़ दिया जाएगा।

[श्री राम रघुनाथ चौधरी]

कई जगह एक्सचेंजों में जेनरेटर नहीं हैं। कई माननीय सदस्यों ने बताया कि जब बिजली की उपलब्धतता नहीं होती है तो टेलीफोन काम नहीं करते। बड़े एक्सचेंजों में जेनरेटर दिए हैं लेकिन जेनरेटर हैं तो ऑपरेटर नहीं है। अगर ऑपरेटर हैं तो जेनरेटर नहीं हैं। नए-नए जेनरेटर दिए हैं लेकिन ऑपरेटर के न होने से खराब हो गए। जहां जेनरेटर उपलब्ध कराए हैं वहां उसके साथ ऑपरेटर भी हों ताकि मशीन की देखभाल हो। आप इतनी बड़ी धनराशि खर्च करते हैं और मशीन पड़ी-पड़ी खराब हो जाए या एक्सपर्ट आदमी चलाने वाला न हों तो बहुत दुविधा होती है। इससे आपके विभाग का पैसा भी खराब होता है और जनता को भी तकलीफ होती है।

हमारे यहां जिलों और तहसील स्तर पर जे.टी.ओ., एस.डी.ओ.टी. या जिलाधिकारी बैठते हैं। उन्होंने अपना क्षेत्र बनाया हुआ है। टेलीफोन की लाइन अगर उस क्षेत्र में दी गई है तो [illegible] हैं लेकिन पास में कोई गांव आ गया जो दो [illegible] लेकिन वह उस क्षेत्र का नहीं है तो वे उसे क्रॉस नहीं करते हैं। चाहे उसके लिए 6-8 किलोमीटर लाइन अलग से लानी पड़े। यदि वे उसे क्रॉस करते हैं तो उसका प्रति माह किराया बढ़ जाता है। यह बहुत बड़ी समस्या है। एक गांव से दूसरे गांव एक किलोमीटर पर हैं लेकिन वह उस सीमा में नहीं आते हैं इसलिए उसे उस गांव से जोड़ा नहीं जा सकता और दूसरे गांव से चाहे 10-12 किलोमीटर हो, उसे जोड़ने की कार्यवाही करते हैं। और हमने उनसे पूछा कि आप एक किलोमीटर की दूरी पर लाइन क्यों नहीं जोड़ते तो उन्होंने कहा कि यह हमारी सीमा नहीं है। यदि मैं जोडूंगा तो प्रतिमास 6-7 सौ रुपया किराया अधिक देना पड़ेगा। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि जो आपने नीति बनाई है, उसको दुरुस्त कीजिये। यदि कोई गांव पास में आता है और उसकी सीमा में नहीं है, एवं इस तरह की जो किराया पद्धति लगाई है, उसको हटाकर उन लोगों को सहूलियत देने की कृपा की जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, गांव में जो केबल डाली जाती है, वह केवल 15-20 लाइनों के लिये डाली जाती है। लोग जब टेलीफोन के लिये फार्म भरते हैं तो वे 10-15 होते हैं लेकिन जब केबल डालने पर सुविधा प्राप्त होती है तो यह संख्या बढ़ जाती है। केबल डालने के लिये इतना खर्चा होता है तो कहा जाता है कि यह नहीं होगा। आजकल टेलीफोन रोजमर्रा की जरूरत हो गई है, पुराने जमाने में यह दिखावा होता था और कुछ बड़े घरानों के पास होता था लेकिन अब आम जरूरत हो गई है। मेरा सरकार से निवेदन है कि यदि केबल डालें तो कम से कम 50-60 लाइनों की होनी चाहिये। मैंने ऐसे बहुत से गांव देखे हैं जहां प्राथमिकता आधार पर 10-15 टेलीफोन मांगे जाते हैं लेकिन जैसे ही केबल वहां गई, 50-60 टेलीफोन की मांग हो गई और फिर नई केबल डालने की दुविधा हो जाती है और फिर कहा जाता है कि यहां टेलीफोन और नहीं मिल सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, टेलीफोन विभाग में बहुत चोरियां होती हैं। मेरे क्षेत्र के एस.पी. और डी.एस.पी. दोनों ने मिलकर नागौर जिले के बालाजी थाना क्षेत्र में चोरी का मामला पकड़ा था जहां सीधे विदेशों से बात कराई जाती है। यह नागौर लाइन में आती थी। लाडनूं और सुजानगढ़ से भी सीधे विदेशों से बात कराते थे। इसमें लाखों रुपये का घपला होता रहा है। यह मामला कुछ दिन पहले अखबारों में आया था। मेरे इलाके के इस तरह की घपलों की ओर ध्यान दिया जाये और दोषियों को सजा दी जाये तथा इस में सुधार किया जाये। पुलिस अभी भी भा.दं.सं. की धारा 457 व 420 एवं 23, 25, 27 भारतीय तार अधिनियम तथा पी.पी. एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही कर रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, टेलीफोन विभाग में ओ.सी. डाल रहे थे तो वहां खम्भे खड़े होते हैं, उनको हटाने का कोई क्रम नहीं है। मीलों लाइनें खड़ी हैं और हम उनसे कहते हैं कि आप लाखों की सम्पत्ति तारों को हटाइये तो कहते हैं कि हमारे पास हटाने के लिये कोई प्रावधान नहीं है और न ही हमारे पास कोई आदमी है, न कोई ठेकेदार है तो लोग उन तारों को तोड़-तोड़ कर अपने घरों में ले जाते हैं। आजकल छोटे-छोटे काश्तकार सोचते हैं कि चलो रस्सी का काम चल जायेगा। इन इलाकों में कई स्थानों पर तांबे के जो पुराने तार लगे हुये थे, तीन किलोमीटर तक के चोरी हो गये हैं, इसके लिये एफ.आई.आर. दर्ज करा दी गई है। छः दिन के बाद लाइन ठीक हो गई लेकिन फिर चोरी हो गई। एक भी चोरी पकड़ी नहीं गई है और लाखों रुपये का सामान लूट लिया गया है, इस ओर ध्यान दिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, अंत में एक निवेदन और करना चाहता हूं कि कृपा करके जो सेल्यूलर फोन दिया गया है जिसके लिये 600 रुपये प्रतिमास किराया भी किया है, जनहित में इसे निःशुल्क करें। एम.पी. लोगों को सांसदों के क्षेत्र में देने हेतु उसके सामने 50 कनेक्शन का प्रावधान किया गया है लेकिन जब हम रिकमेंड करके 50 कनेक्शन के लिये भेजते हैं तो कहा जाता है कि यह पासिबल नहीं है, केबल नहीं, दूर पड़ता है। जब हम वहां क्षेत्र में जाते हैं तो अनगिनत आवेदन पत्र आते हैं। हम लोगों का निवेदन है कि यह सीमा 50 से बढ़ाकर 200 की जाये ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। जो सेल्यूलर फोन दिया है, उसे फ्री किया जाये एवं 50 हजार फ्री काल की सुविधा और बढ़े। उससे हम अपने क्षेत्र में बैठकर अधिकारीगण से बात कर सकते हैं। इससे जनहित में कार्य करने में सुविधा होगी। आशा है कि मंत्री जी इस ओर ध्यान देंगे।

[अनुवाद]

श्रीमता जयाबहन बी. ठक्कर (बड़ोदरा): आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र बड़ोदरा शहर में शुभनपुरा डिलीवरी डाकघर खोला जाए। इसकी स्वीकृति की जा चुकी थी और इसे खोले जाने के लिए काफी समय से सिफारिश की जा रही है।

डिलीवरी डाकघर, जो पिछले 26 वर्षों से शुभनपुरा क्षेत्र के लोगों तथा अन्य कार्यालयों के लिए कार्य कर रहा था, को इस क्षेत्र में बिना किसी उपयुक्त व्यवस्था के 1995 में बंद कर दिया गया था। डेढ़ से दो लाख लोगों की डाक संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पिछले पांच वर्षों से इस क्षेत्र में एक भी डाकघर नहीं है। इस बंद डाकघर को अन्य क्षेत्र में स्थानान्तरित कर दिया गया था जहां 1.3 किलोमीटर की परिधि के भीतर पहले ही तीन डाकघर थे। इसे पूरे शुभनपुरा क्षेत्र से तीन या चार किलोमीटर की दूरी पर स्थानान्तरित कर दिया गया था।

बड़ोदरा क्षेत्र के तत्कालीन महा डाकपाल से अनुरोध किया गया था कि शुभनपुरा क्षेत्र में अलग से कार्य कर रहे छंटाई कार्यालय भवन में तीन में से एक डाकघर को लोगों के हितों में अन्य स्थान पर स्थानान्तरित कर दिया जाए। इसके बंद रहने के बाद भी कई वर्षों तक इस पर विभाग का ही कब्जा रहा था। डाकघर तथा इसकी इमारत को लोगों के हितों की अनदेखी करके मकान मालिक को दे दिया गया।

उच्चाधिकारियों को कई पत्र लिखने के बाद तथा अंतत: 10.9.97 को माननीय मंत्री को पत्र लिखे जाने के बाद डाक विभाग ने मार्च 1998 में शुभनपुरा क्षेत्र में एक नया डिलीवरी डाकघर खोले जाने की स्वीकृति की थी।

बड़ोदरा क्षेत्र के महा डाकपाल ने सिवाय डाकघर खोले जाने के लिए किराए के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करने के, विज्ञापनों द्वारा और विज्ञापनों के बिना प्रस्ताव को अंतिम रूप देने में कोई रूचि नहीं दिखाई। बल्कि वह झूठे बहाने बनाता रहा जबकि विभागीय दिशानिर्देश परिपत्र संख्या 31-27/89 भवन दिनांक 29.5.92 अनुच्छेद (2) और अनुच्छेद (3) के अनुसार, आवश्यकतानुसार तथा किराए की दर बाजार दर से कम होने के कारण डाकघर के लिए इमारत सही पाई गई थी। वह किसी सिफारिश को अंतिम रूप नहीं दे रहा है। लोग इससे काफी नाराज हैं। इसलिए, मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करती हूं कि स्वीकृत डाकघरों को मंजूर किया जाए।

निजामपुर क्षेत्र में एक डाकघर खोलने का अनुरोध भी विभाग के पास है। उसके लिए निगम ने भूमि की स्वीकृति दे दी है। मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि दोनों डाकघरों को मंजूर किया जाए।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : उपाध्यक्ष जी, मैं सभी माननीय संसद सदस्यों को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आज की चर्चा में भाग लिया। कम्युनिकेशंस की डिमांड्स पर 1995 में चर्चा हुई थी और आज पांच साल के बाद इस पर डिबेट हो रही है और इस चर्चा में जिन माननीय संसद सदस्यों ने भाग लिया है उन्हें मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं जानता था कि टाइम के हिसाब से हम लेट हो गये हैं, यदि इस पर दिन में 12 बजे से चर्चा शुरू हो जाती तो काफी माननीय संसद सदस्य इस चर्चा में भाग ले सकते थे। मेरी भी इच्छा थी कि एक बार इस पर चर्चा जरूर हो और मैं स्वयं चाहता था कि और भी माननीय सांसद सदन में रहते तो उनकी समस्याओं को जानने का मुझे मौका मिलता और अपनी बात को कहने का भी मौका मिलता। लेकिन मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं और मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर स्टेट के एम.पीज. से मैं अलग-अलग बात करूं और जब उन्हें बुलाऊं तो उनके सामने स्टेट के ऑफिसर्स भी मौजूद रहें और हमारे डिपार्टमैंट के ऑफिसर्स भी मौजूद रहें। बहुत सारी चीजें हैं, आपने ठीक कहा कि अब हम लोगों के पास इतना काम है, उस काम में इस पक्ष या उस पक्ष के सारे लोगों को सरकार में रहने का अनुभव है। कोई भी मिनिस्टर चाहे तो प्रत्येक कागज या डिमांड के लिए आप जा नहीं सकते हैं, आप देख नहीं सकते हैं और उसमें डिले होता है तो आपकी भी शिकायत होती है। इसलिए स्वभावत: यह होता है कि जो फाइल नीचे से आती है, उस पर दस्तखत कर दिया करते हैं और वह चली जाती है। इसमें दो मत नहीं है, हम लोगों को भी शिकायत थी और आप लोगों की भी शिकायत है और वह जायज शिकायत है। मैं जब रेलवे में था, तब भी मैंने कोशिश की थी और अभी भी मैं कोशिश कर रहा हूं। महाराष्ट्र के हमारे साथी महाले साहब हमारे पास एक बार आये थे, अचानक कागज दे रहे थे, हमने कहा कि सिर्फ कागज देना है और दरख्वास्त पर जवाब लेना है तो फिर चले जाइये। यदि आपको कुछ काम करवाना है तो आप हमें लिखकर दीजिए, चाहे वह आपके क्षेत्र की समस्या हो, चाहे जनरल समस्या हो। उस समस्या पर हम ऑफिसर्स को बुलायेंगे और उस पर चर्चा करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, हम लोग बैठे, करीब-करीब पूरे दिन चर्चा की और नतीजा यह हुआ कि हमारे सामने फैक्ट आ गए, अधिकारी

[श्री राम विलास पासवान]

को भी मालूम था कि मैम्बर आफ पार्लियामेंट वहां मौजूद रहेंगे, इसलिए जो कुछ भी लिखकर दे दो वह नहीं चलेगा, इसलिए थोड़ा सोच-समझ कर लिखकर दो। हमें लगा कि दो-चार परसेंट को छोड़कर आपस में कोई डिस्सैटिस्फैक्शन नहीं था और जो था हमने उसको सुलझाने का काम किया। जितने भी मैम्बर आफ पार्लियामैंट हैं, हर स्टेट के सांसदों के साथ बैठकर समस्या का वहीं निदान करते चले जाएं, यह हमने सोचा है। इसलिए कागजात में जो लिखा-पढ़ी की जाती है और कोई उत्तर निगेटिव चला जाता है, तो फिर उस पर लिखा-पढ़ी की जाती है, उससे बचा जाए और यह लिखा-पढ़ी खत्म होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, समय की कमी है, अन्यथा जितने भी माननीय सदस्यों ने प्रश्न उठाए हैं, मैं उन सभी का उत्तर देता। मैंने रेलवे पर बजट बहस का उत्तर दो दिन में दिया। एक दिन [illegible] और दूसरे दिन साढ़े तीन घंटे। रेल में तो [illegible] रेल है, तो वह 500 किलोमीटर तक चली जाती थी, लेकिन यहां संचार मंत्रालय में तो 500 किलोमीटर में न जाने कितने डाकघर और तारघर आ जाते हैं, इसलिए इसका जवाब देना तो और भी मुश्किल है और ज्यादा समय लगाने वाला है। इसलिए जो मोटी-मोटी बातें हैं मैं उन्हीं पर आपका ध्यान केन्द्रित करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, एक तो हमारे पास दो विभाग हैं - एक डाक का व दूसरा टैलीकॉम डिपार्टमेंट है। जो डाक-विभाग है वह बहुत विस्तृत एवं फैला हुआ है। टैलीकॉम विभाग में जैसा मैंने चेलेंज के साथ कर दिया कि हमारे पास इक्विपमेंट की कमी नहीं है और 50 साल की आजादी के भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने एस.एस.ए. लैवल के आफीसर को बुलाकर मीटिंग की, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी उसी से मालूम पड़ेगी, जो वास्तविकता जमीन की है, वह उसी से मालूम होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, हमने नॉर्थ-ईस्ट की अलग बैठक की। एक बैठक शिलांग में और दूसरी आसाम में की। वहां के अधिकारियों को वहीं बुलाया क्योंकि उन्हें दिल्ली आने में काफी दिक्कत होती थी। हमने उन्हें वहीं बुलाया और एक दिन 15 अगस्त का निश्चित कर दिया कि हम उस दिन वी.एस.एन.एल. का जो इंटरनैट गेटवे है, उसे आसाम की राजधानी गौहाटी में प्रारंभ करेंगे। हमने डेट निश्चित कर दी। अभी तक हमारा वहां जो भी काम होता था वह कलकत्ता होकर किया जाता था, जिसमें काफी विलंब हो जाता था। हमने प्रयास किया कि सीधे वार्ता की जाए और समस्याओं का समाधान शीघ्र किया जाए। इसी तरह 10 और 11 को दो दिन हमने यहां बैठक की और क्या-क्या कहां-कहां कमियां हैं और उन्हें दूर करने के लिए क्या-क्या स्टैप्स उठाने हैं और नीचे के अधिकारी क्या कहते हैं तथा ऊपर के अधिकारियों का क्या कहना है, ये सब बातें हमारे सामने आईं, तो हमने पाया कि ज्यादातर नीचे के अधिकारियों का कहना यह था कि उन्हें सामान नहीं मिलता है और ऊपर के अधिकारियों का कहना था कि स्टोर में सामान बहुत है, उसमें कोई कमी नहीं है। इन सब बातों को समझने और समस्या के समाधान का हमने प्रयास किया। कुछ प्राइवेट आपरेटर्स काम करना है, उन्हें सामान देने आदि की दिक्कतें सामने थीं, उनको दूर करने का काम किया गया और उन बातों को ध्यान में रखते हुए, उन समस्याओं को दूर करने के लिए हमने एक टास्कफोर्स बना दिया और स्ट्रीमलाइन करने का काम किया है। क्योंकि यह डिपार्टमेंट 1991-92 तक सीधे सरकारी डिपार्टमेंट के रूप में चल रहा था। 1991-92 के बाद एक नई पालिसी लाए। अभी मणि शंकर अय्यर जी और संतोष मोहन देव जी, प्राइवेट सैक्टर और रैवेन्यू शेयरिंग आदि सारी चीजें बता रहे थे। मैं कहना चाहता हूं कि आपने जो पौधा लगाया है हम तो उसी को सींच रहे हैं क्योंकि हम लोग तो उस समय उधर बैठने वाले और विरोधी लोग थे और हमेशा विरोध करते रहे थे, लेकिन जब आपने एक बार फ्लड गेट खोल दिया और फिर कहें कि खिड़की का दरवाजा बन्द रखो, तो वह होने वाला नहीं है। फ्लड गेट को खोल दिया। डी.ओ.टी. को भी लिया और प्राइवेट को भी लिया। ...*(व्यवधान)*

श्री लक्ष्मण सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि 1,53,000 करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ, उसकी जांच कराएंगे या नहीं?

श्री राम विलास पासवान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक-एक की तरफ आ रहा हूं। मैं पालिसी की बात कह रहा हूं। अच्छी बात है और मैं डिपार्टमेंट को भी कह रहा हूं कि यदि 50 साल में हर गांव में टेलीफोन लगा दिया होता, तो आज हम क्यों प्राईवेट सैक्टर के काम कराने की सोचते और कहते। इसका मतलब है कि जो पब्लिक सैक्टर हैं या गवर्नमैंट के सैक्टर हैं, उसने अपनी जवाबदेही, दायित्व को निभाने का काम नहीं किया। इसका नतीजा यह हुआ कि आज सरकार को पालिसी चेंज करनी पड़ी। आज फ्री कम्पीटिशन है यानी सबको समान अवसर दो। उस कम्पीटिशन में अच्छाई भी है और बुराई भी है।

आपने आई.टी.आई. की बात कही। मैं जानता हूं कि आई.टी.आई. हमारा एक प्रैस्टीजियस इंस्टीट्यूशन है। लेकिन तीन साल पहले तक वही आई.टी.आई. घाटे में जा रहे थे। जब उनको पता चला कि अब तो फ्री कम्पीटिशन आ गया है और हमारी छंटनी होने वाली है तो अब वे जी-जान लगाकर काम कर रहे

हैं। इस तरह वह तीन साल से मुनाफे में हैं। हालांकि वह मुनाफा पहले के बनिस्पत मुनाफे में है लेकिन सारे खर्चों को देखें तो उसमें भी घाटे में चल रहे हैं। अभी हम नैनी, रायबरेली और बंगलौर आई.टी.आई. चैक करने गये। ...*(व्यवधान)*

यह बात सही है कि आई.टी.आई. की जो भी कैपेसिटी है, उसका हम उपयोग कर रहे हैं। उनको हम आर्डर देते हैं हालांकि हमारे सामने रिस्ट्रिक्शन है तब भी हम आई.टी.आई. को 30 परसेंट देते हैं। उसके अलावा बढ़ते हैं तो प्राइवेट वाले कहते हैं कि सर, आप तो डिपार्टमैंट का हमारे ऊपर क्लच लगाये हुए हैं। जबकि आप कहते हैं कि हमने सबको समान अवसर दे दिया है फिर भी रिजर्वेशन किया हुआ है। इसलिए मैंने कहा कि ये कुछ समस्यायें हैं। लेकिन इसमें दो मत नहीं है कि जो नया ट्रेंड आया है और जो पुराना ट्रेंड चल रहा था, दोनों में कम्युनिकेशन की जो स्ट्रीम लाइन होनी चाहिए, वह लाइन नहीं बन पायी। इस बात को हम भी स्वीकार करते हैं।

मैंने कहा कि हमारे पास दो डिपार्टमैंट हैं जिसमें से एक डाक विभाग है। हमारा डाक विभाग बहुत ही गरीब विभाग है। इसमें तकरीबन 87 परसेंट रुपया सैलरी वगैरह में चला जाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा डाक विभाग के पास जो अपनी जमीन है, उनकी जमीन हर जिले में मिलेगी, उस पर उनको मकान बनाने के लिए साल में लगभग 17 से 25 करोड़ रुपये तक मिलते रहे हैं। जबकि किराये के मकान में 30 से 35 करोड़ रुपया देना पड़ता है।

उसी तरीके से हमारे पास 1,54,149 पोस्ट आफिस हैं। हमारे जो ई.डी. हैं, उनके लिए हम लड़ रहे हैं। हम गांव से आये हैं। हम जानते हैं कि गांव का जो पोस्टमैन है, उससे ज्यादा कोई मेहनत नहीं करता। एक-एक डाकिये को 5-7 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। हम लोग बचपन में देखते थे कि वह घुंघरू बांधकर और कंधे पर भाला लेकर दौड़ता रहता था। वह अंग्रेज के जमाने से काम कर रहा है। हम लेबर मिनिस्टर रहे हैं। जो लॉ कहता है, उसके मुताबिक जो काम परमानेंट नेचर का हो, उसमें आप एडहॉक एप्वाइंटमेंट नहीं कर सकते हैं। उनको आप डेली वेजिज पर नहीं रख सकते हैं, आपको परमानेंट करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी वे परमानेंट नहीं हैं। अभी भी उन्होंने नोटिस दिया हुआ है कि हम दो तारीख को आंदोलन करेंगे। हम जानते हैं कि उनकी मांगें जायज हैं। लेकिन प्रौब्लम यह नहीं है कि उनकी मांग क्या है?

जब हम रेल मंत्री थे तब 57 हजार कैजुअल लेबरर को हमने एक कलम से परमानेंट कर दिया था और कह दिया था कि 31 दिसम्बर के बाद यानी पहली जनवरी को जो भी मजदूर काम कर रहा है, यदि हमको यह मालूम हो गया कि उस कैजुअल मजदूर को परमानेंट नहीं किया गया है तो हम सीधे जनरल मैनेजर को सस्पैंड कर देंगे। अभी रुपचन्द पाल जी बैठे हुए हैं। 1990 में हमने कानून बना दिया था कि पहले प्रॉविडेंट फंड 30 दिन, 60 दिन या 6 महीने के बाद मिलता था। हमने कहा कि क्यों 60 दिन बाद मिलेगा। यदि मजदूर एक दिन भी काम करेगा तो उसे प्रॉविडेंट फंड का पैसा मिलेगा। हमारे आफिसर ने कहा कि यह कैसे होगा, आप 30 दिन का रखिये। हमने कहा कि क्यों 30 दिन का रखेंगे। आप रजिस्टर को मैनटेन करिये। वह काम अभी चल रहा है। जहां एक दिन भी मजदूर काम करता था, वहां उसको मिला है। जितने बीड़ी मजदूर थे, उनके लिए हमने कर दिया।

रात्रि 8.00 बजे

हम चाहते हैं कि उनके लिए भी, जो हमारे ई.डी. कर्मचारी हैं, उनकी समस्या जायज समस्या है, उनके लिए हमने फाइल भी आगे बढ़ाई है, फाइनेंस मिनिस्टर को भी हमने लिखने का काम किया है, लेकिन हम जानते हैं कि सरकार के सामने भी लाचारी है।

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): थोड़ा लड़िएगा तो हो जायेगा।

श्री राम विलास पासवान : हमने कहा कि हम तो हैप्पिएस्ट मिनिस्टर होंगे। यदि वह लागू हो जाये तो हमसे ज्यादा खुशनसीब मंत्री कोई नहीं होगा, हम उस दिन हैप्पिएस्ट होंगे। हम उसे कर रहे हैं, लेकिन जो हालत है, जिसके लिए मैंने कहा कि जो गवर्नमेंट ने ओपन पॉलिसी बना दी, वह कम्पीटीशन की पॉलिसी है। अब ई मेल आयेगा तो गांव की चिट्ठी भी ई मेल के द्वारा जायेगी। इसलिए स्वाभाविक है कि फ्यूचर का प्रोस्पैक्टस तो गवर्नमेंट देखती है, वह फ्यूचर के अनुपात में देखने का काम करती है। आपने कह दिया कि डाकघर खोलने का क्राइटीरिया क्या है। डाकघर खोलने का पहले तीन क्राइटीरिया थे, तीन किलोमीटर दूरी होनी चाहिए, 3000 पोपुलेशन होनी चाहिए और इकोनोमिक क्राइटीरिया फुलफिल होना चाहिए, कम से कम $33^1/_2$ परसेंट उससे रेवेन्यू आनी चाहिए। हमने कह दिया कि रेवेन्यू वाले क्राइटीरिया पर पुनर्विचार किया जाए। तीन किलोमीटर तथा 3000 पापुलेशन वाले दो ही क्राइटीरिया रहने चाहिए। अब हमने रखा कि तीन किलोमीटर और 3000 पोपुलेशन होनी चाहिए, अब दो क्राइटीरिया हैं। उसके अलावा हमने कह दिया कि जहां-कहीं 300 की आबादी है, हर 300 की आबादी वाले गांव में एक लैटर बॉक्स रखो। हमने कह दिया है कि इस काम के लिए आवश्यक संख्या में लेटर बाक्स सब जगह डिस्ट्रीब्यूट किए जाएं। अगर 300

[श्री राम विलास पासवान]

से ज्यादा पोपुलेशन है तो उसको रखो। जो गांव का डाकिया है, गांव का पोस्टमैन चिट्ठी लेकर सब जगह जायेगा। हमने कहा कि ऐसी स्कीम बनाई जाए कि उसके पास थोड़े स्टैम्प दे दो, थोड़े एनवेलप दे दो और 10 परसेंट, पांच परसेंट, जो भी डिपार्टमेंट चाहे, कमीशन दे दे, क्योंकि हम उससे एक्स्ट्रा काम लेंगे तो एक्स्ट्रा पैसा हमें उसे देना पड़ेगा। उससे लोगों को बचत हो जायेगी कि लोगों को वहां से नदी नाले पार करके दूसरी जगह नहीं जाना पड़ेगा। हमारे एक साथी ठीक कह रहे थे कि तीन किलोमीटर का मामला भी देखना पड़ेगा, स्पेशल केस उसके लिए बनाना पड़ेगा। तीन किलोमीटर में तीन नदी हैं, कोसी के इलाके में या कहीं रेगिस्तान का इलाका है, पहाड़ का इलाके में ऊपर डाकखाना है और नीचे गांव है तो तीन किलोमीटर चढ़ने और उतरने में तीन दिन लगते हैं। ये समस्याएं हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कोढ़ को एक बार में साफ नहीं कर सकते।

हम आये हैं तो सारा का सारा गवर्नमेंट का कम्पीटीटिव युग आ गया है। अब इस कम्पीटीटिव युग में हर चीज को मुनाफे के दृष्टिकोण से देखा जा रहा है और जो हमारा वैलफेयर स्टेट का कन्सैप्ट था, वह वैलफेयर स्टेट का कन्सैप्ट पीछे चला गया है। अब हम कम्पीटीशन के युग में आ गये हैं, आ गये हैं तो जो मुनाफा कमाकर देता है तो अब आपका इंडियन एयरलाइंस है, सहारा एयरलाइंस है, जेट एयरलाइंस है, उसमें कम्पीटीशन है। कम्पीटीशन में इंडियन एयरलाइंस में भी सुधार आ रहा है। सुधार नहीं आयेगा तो खत्म हो जायेगा। उसी तरह से एक कम्पीटीशन युग में हम बह चुके हैं। जहां तक आपने कहा कि जो मामला डाक विभाग का है। डाक विभाग में हम अपनी मोनेटरिंग कर रहे हैं, उसमें चिट्ठी का मामला भी है। हमारा डाक विभाग का जो अपना टेलीकॉम डिपार्टमेंट है, उसके तीन-चार बंडल दिल्ली में बिल के पकड़ाये गये, वे बिल कूरियर सर्विस से पकड़ाये गये। वह डिपार्टमेंट का नहीं था, कूरियर सर्विस का था, मैंने अपने डिपार्टमेंट वालों से पूछा कि कूरियर सर्विस को कितना पैसा मिलता है तो कहने लगे कि कूरियर सर्विस को तीन गुना, चार गुना ज्यादा मिलेगा। हमने कहा कि तीन गुना, चार गुना ज्यादा मिलता है तो उतना ही पैसा तुम अपने डिपार्टमेंट को क्यों नहीं देते हो। कभी-कभी हम लोगों को इस बारे में सोचना चाहिए। हमारी अपनी कार की इंडस्ट्री है, जो मारूति कार है, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं करेंगे, हम प्राइवेट कार का उपयोग करते हैं। इसलिए हमारा अपना डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट को कैसे बढ़ावा दिया जाये, इसके लिए मैंने कहा कि हम हर संभव कोशिश करने का काम कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)* अभी तो इनका मेन पाइंट तो आया ही नहीं है। एम.पी. फंड का मामला है। आपने कहा कि एम.पी. फंड का पैसा इसमें देना चाहिए। उसके लिए मैंने भी सोचा है। गांवों में जहां-जहां हमारे डिपार्टमेंट का पोस्ट आफिस है, ब्रांच पोस्ट आफिस है, सब पोस्ट आफिस हैं, या हैड पोस्ट आफिस हैं, जहां सरकारी कर्मचारी हैं, वहां यदि जमीन है, मैं स्पीकर साहब से आग्रह करूंगा कि एम.पीज. के फंड से वहां उसका उपयोग हो जाए।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : गाइडलाइंस में है कि सरकारी आफिस किसी भी हालत में वहां नहीं बनेगा।

श्री राम विलास पासवान : मैंने कहा कि उसको बदलना पड़ेगा, जैसे स्कूल का भवन है, उसमें भी देते हैं, वह भी सरकारी होता है। जब स्कूल के भवन में देते हैं तो इसमें क्या दिक्कत है।

श्री रूप चन्द पाल : रेलवे में लेवल क्रासिंग का शुरू हो गया है।

श्री राम विलास पासवान : गाइडलाइंस कोई कोर्ट ने नहीं बनाई हैं, यहां से बनी हैं। स्पीकर साहब से कहकर चेंज किया जा सकता है। अभी मैंने 300 से अधिक आबादी के गांवों के बारे में कहा है कि वहां लेटर बाक्स रहेंगे।

टेलीकॉम विभाग की जहां तक बात है। पिछला वित्त वर्ष खत्म हो गया है। हम नए वित्त वर्ष में हैं। हमें संतोष भी है और कहीं-कहीं दुख भी है। संतोष इस बात का है कि जो हमारा लक्ष्य है, विलेज पब्लिक टेलीफोन को छोड़कर, वह हमने सारा का सारा पूरा कर लिया है। 13 अक्तूबर को मैं मंत्री बना था, उस दिन तक 3000 गांवों में टेलीफोन लगा था। हमारा लक्ष्य था कि 1999-2000 में हम 45,000 गांवों में टेलीफोन लगा देंगे। इसको लेकर मैं बहुत चिंतित था। पांच महीनों के अंदर हमने 33900 गांवों में टेलीफोन लगा दिए हैं। इसी प्रकार जो स्विचिंग कैपेसिटी थी, उसका लक्ष्य 58,70,000 रखा था, हमने उसके अगेंस्ट 6717317 एचीव किया है। इसी तरह से टेलीफोन कनेक्शन का लक्ष्य 45,50,000 रखा था, उसके अगेंस्ट हमने 49,17,659 एचीव किया है। इस तरह आप देखेंगे कि हमने अपने लक्ष्य से आगे बढ़कर एचीव करने का काम किया है। टेलीफोन डेंसिटी का सवाला उठाया गया। वह बहुत कम है। अभी 2.6 है, लेकिन हम पिछले साल से बढ़े हैं। ग्रामीण इलाकों में इसकी एवरेज 0.6 प्रतिशत है। इंग्लैंड में पूरे देश की एवरेज देखेंगे तो 100 आदमियों में लगभग 56 लोगों के पास टेलीफोन है। हमारे यहां 2.6 हुआ है। हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि 2005 तक गांवों का लक्ष्य 100 व्यक्तियों पर 4 व्यक्ति कर देंगे और 2005 तक जनरल एवरेज 100 लोगों में सात के पास टेलीफोन होना चाहिए। 2010 में 100 लोगों में 15 टेलीफोन करने का लक्ष्य है। यह सरकार के बलबूते से बाहर है, यह मैं मानता हूं। इसके लिए प्राइवेट सेक्टर का भी सहयोग लेना पड़ेगा। इसलिए जो भी सम्भव उपाय हैं इस

बारे में, हम कर रहे हैं। आपने सही कहा कि प्राइवेट लोगों को देने की कोशिश कर रहे हैं, रेवेन्यू शेयरिंग का सवाल उठाया कि 1.8 लाख करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। ये पैसा कौन दे रहा था, कोई भी नहीं दे रहा था। हम लोगों ने नई पालिसी बनाई, 35 प्रतिशत बैकलॉग था, वह 35 प्रतिशत लोगों ने पे कर दिया है। उसके पहले तो सब मुकदमें में जा रहे थे। जिन लोगों को एक साल का लाइसेंस दिया है और एक साल की लाइसेंस फी के बाद सब लोग मुकदमेबाजी में फंस गये थे। नतीजा यह हो रहा था कि कोई काम आगे नहीं बढ़ रहा था। हम बाद में उस पर आएंगे। ...*(व्यवधान)* हमारे पास वेटिंग लिस्ट 36 लाख 80 हजार है और यह भी सही है कि सबसे ज्यादा हमारी वेटिंग लिस्ट केरल में है। संतोष मोहन देव जी यहां बैठे हुए हैं, भूतपूर्व मंत्री रह चुके हैं और सबसे बड़े-बड़े पदों पर वह रह चुके हैं, सबको मालूम है कि केरल की पोजीशन क्या है। जो वहां यूनियन का मामला है, जैसे बिहार का मामला अलग है। बिहार में हम मानते हैं कि यदि कहीं छपरा का टेंडर निकलने वाला होगा तो डर के मारे दिल्ली या पटना में टेंडर निकालेंगे नहीं तो वहीं गोली चलाना शुरू कर देंगे। मान लीजिए चार आदमी हैं वे कहेंगे कि या तो हमारा टेंडर रहेगा नहीं तो कुछ नहीं होगा। वहां की बात अलग है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : बिहार का मामला अलग है।

श्री राम विलास पासवान : वही हम कह रहे हैं। ठेकेदारी की बात कर रहे हैं। हम और आप कोई थोड़ी गोली चला रहे हैं। इसी तरह से केरल का मामला है। जो हमारी नयी टेक्नॉलोजी डब्ल्यू.एल.एल. और मार सिस्टम है, आपने कहा कि गांव में टारगेट रखा, जैसे 45000 टारगेट रखा है, पहले 70000 रखा था। इस बार टारगेट एक लाख रखा है और एक लाख टार्गेट को हम दिन के हिसाब से जोड़ते हैं। साल में 365 दिन होते हैं तो दो साल में 730 दिन हुए। प्रति दिन के हिसाब से कितने गांवों में लगेगा और हम मोनिटर कर रहे हैं। हमने विलेज और अर्बन एरियाज के लिए अलग-अलग टास्क फोर्स बना दी है। अपने मंत्रालय के अंदर ग्रीवेंस सैल के लिए हमने एक अलग प्रबंध किया है जिसका मैं स्वयं इंचार्ज हूं और मैं दावे के साथ कहता हूं कि इसका एडवर्टाइजमेंट निकलता है। हमारे यहां ग्रीवेंस सैल में कम से कम चार सौ पांच सौ चिट्ठी आती हैं। चौबीस घंटे में एक नहीं पच्चीस लाइनें लगी होती हैं और जब इन लाइनों के आधार पर मामला आता है और उसके आधार पर एक्शन भी लेते हैं। कभी मिनिस्टर के यहां से काम आ गया। पटना का एक बार मामला आया कि वहां तीन महीने से टेलीफोन खराब है और जब हमारे यहां सैल में मामला आ गया तो दस मिनट में टेलीफोन ठीक हो गया। हमने संबंधित व्यक्ति को उसी समय ससपेंड कर दिया। जब दस मिनट में टेलीफोन ठीक हो सकता है तो तीन महीने से टेलीफोन क्यों खराब है? केबल वाला मामला भी आपको मालूम है। केबल में तीन फीट गाढ़ने का नियम है लेकिन एक फीट ही गाढ़ते हैं। कितने केस हमने सी.बी.आई. को भेज दिये। कितने लोगों को हमने सस्पेंड कर दिया। अभी आप लोग भी बताइए, इस पर जरूर एक्शन लिया जाएगा।

एक माननीय सदस्य ने बहुत अच्छी बात कही। जिस अफसर को तीन साल से अधिक हो जाता है तो वह एक जगह पर अपनी खोह बना लेता है और जब खोह बना ली और ट्रांसफर हो गया तो फिर कभी किसी यूनियन में गया, कभी किसी एम.पी. को पकड़ा, इस तरह से किया जाता है। मैं आप लोगों से प्रार्थना करूंगा कि अभी तक ट्रांसफर और पोस्टिंग के मामले हमने रोके हुए हैं। हमने सभी अफसरों को कह दिया कि हम मार्च और अप्रैल के महीने में एस.एस.ए. लैवल से लेकर सी.जी.एम. लैवल की बैठक बुलाएंगे और इस बैठक में सबके कार्य के बारे में प्रोग्रैस के बारे में जानकारी ली जाएगी। चूंकि एस.एस.ए. लैवल से नीचे से लेकर ऊपर तक का अलग-अलग बना हुआ है। अभी हम देखते हैं कि मुजफ्फरपुर में सबसे कम प्रोग्रैस हुई है, 39 प्रतिशत प्रगति हुई है। यह पूरा का पूरा पड़ा हुआ है। हाजीपुर में हम अचीवमेंट नहीं कर पाए हैं और बगल में पूर्वी उत्तर प्रदेश में जितने भी माननीय सदस्य हैं, हर चीज में, सौ में से सौ प्रतिशत अचीवमेंट हो गया है, जैसे गांव में टेलीफोन 5000 लगने हैं तो वहां भी 5000 हो गये हैं। जहां मानते हैं कि डी.ई.एल. है वहां भी पूरा होने का काम हो गया है। मैंने कहा कि जो गांव का मामला है, हम गांवों के ऊपर जोर दे रहे हैं। इस बार हमने गांवों में एक लाख का टारगेट रखा है। आपने मार वाला मामला उठाया। हमारा डिपार्टमेंट कहता है कि मार में हमारा केवल 10-15 प्रतिशत फोन खराब हैं, लेकिन मैं हकीकत में जानता हूं कि 70-80 प्रतिशत खराब हैं। तीन लाख गांवों में लगे हुए हैं, उनमें से 2 लाख 11 हजार गांवों में फोन मार सिस्टम के अंतर्गत हैं। इन सब को हमने बदलने का निर्णय लिया है, इस साल हम एक लाख दस हजार गांवों में बदलने जा रहे हैं और उसे डब्ल्यू.एल.एल. (वायरलैस और लूप लाईन) के माध्यम से बदलने जा रहे हैं। अभी तक जो सबसे बढ़िया लेटेस्ट इक्विपमेंट है, वह डब्ल्यू.एल.एल. है, एक जगह पर लगा दिया जाए तो 25 किलोमीटर, चारों तरफ उत्तर-दक्षिण कहीं आपको लाईन ले जाने की जरूरत नहीं है। आप जाकर बाढ़ के इलाके में लगा दीजिए तो पूरा जिला कवर हो जाएगा, पहाड़ी इलाके में लगा दीजिए तो वहां भी कवर हो जाएगा, चाहे रेगिस्तान के इलाके में लगा दीजिए। दिसम्बर से वह सिस्टम काम करने लगेगा। अभी तक वह पायलट प्रोजैक्ट के ऊपर

[श्री राम विलास पासवान]

टेस्टिंग में था, लेकिन अब टेस्टिंग खत्म हो गया है। अब उसका टेंडर निकलेगा और नवम्बर, दिसम्बर से काम होना शुरू हो जाएगा। अभी तक पैसेंजर की रफ्तार से गाड़ी चल रही थी लेकिन अब हमें उसे राजधानी की रफ्तार से चलाना है। हमें मार सिस्टम को भी बदलना है और एक लाख गांवों में नये फोन लगाने हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि इस साल में हम उन गांवों में फोन लगा दें। फ्रंट लोड इतना बढ़ा दें कि अगले साल के लिए हमने जो कहा है कि अगले साल में हमारा टारगेट कम बचे। इसके लिए हम प्रोविजन कर रहे हैं, उसी तरीके से हमने निर्णय लिया है।

अभी हमारे एक साथी इंटरनेट के बारे में कह रहे थे। हमने ... का निर्णय लिया है। 15 मई तक जितने भी एस.एस.ए. ... देश में हैं, अधिकांश जिलों में एस.एस.ए. के आफिस ... वहां इंटरनेट लग जाएगा। 15 अगस्त तक कोई भी जिले का हैड क्वार्टर नहीं बचेगा, जिस जिले के हैड क्वार्टर को हम इंटरनेट से जोड़ने का काम नहीं करेंगे। 15 अगस्त तक कोई भी ब्लाक हैड क्वार्टर नहीं रहेगा। यानी, आपको शायद पता नहीं होगा कि बिहार में 211 ब्लाक हैड क्वार्टर्स हैं, जहां फोन नहीं हैं, एक्सचेंज आफिस नहीं है। हमने कहा है कि 15 अगस्त तक जितने भी ब्लाक हैड आफिस हैं उन ब्लाक हैड आफिस में हम लगाएंगे। उसके बाद इतना ही नहीं, बल्कि हमने यह भी कहा है कि जहां-जहां भी ब्लाक आफिस से इंटरनेट का डिमांड आएगा, हम वहां इंटरनेट लगाने का भी काम करेंगे। ...*(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल : निकनेट तो है नहीं, यह प्लानिंग कमीशन का निर्णय है। उन्होंने निर्णय ले लिया। यह पुराना निर्णय है कि हम हिन्दुस्तान के हर जिले में कलेक्टर के आफिस में कनैक्ट कर देंगे, जो उसने कनैक्टर कर दिया, उसका निर्णय ब्लाक तक ले जाने के लिए था। दूसरी बात यह है कि वी.एस.एन.एल. सरकारी अंडरटैकिंग है, वह प्राइवेट इंटरनेट प्रोवाइडर हैं। आप किस का इस्तेमाल इंटरनेट को स्प्रेड करने के लिए करेंगे - वी.एस.एन.एल. का, निकनेट का या आपरेटर का। ...*(व्यवधान)*

श्री रामविलास पासवान : मैं आपको बताता हूं कि जो पहले टारगेट था, आप आम खाएंगे तो कौन सा आम खाएंगे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखें।

...*(व्यवधान)*

श्री रूपचंद पाल : यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि स्थायी समिति ने गेटवे खोले जाने पर कटु आलोचना की थी।

[हिन्दी]

श्री रामविलास पासवान : रुपचन्द पाल जी, मैं आपको बताता हूं। आपने टेरिफ का मामला उठाया, कुछ साथियों ने ट्राय का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि पहले तो ट्राय बना ही नहीं, आपने बना लिया और बनाने के बाद खत्म कर दिया। यह खत्म हो गया।

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल : मैं इंटरनेट सेवा के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। आप कौन सी सेवा प्रदान करने चाहते हैं? क्या यह वी.एस.एन.एल., निकनेट है या कोई निजी आपरेटर?

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो. पाल, आप जानते है कि आपके बोलने से पहले माननीय मंत्री जी को आपसे सहमत होना होगा। वे आपसे सहमत नहीं हैं।

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, वे सहमत हैं।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : आप यह कह रहे हैं कि कौन प्रावधान करेगा? डी.टी.एस. प्रावधान करेगा। अब आप संतुष्ट हैं। डी.टी.एस. इंटरनेट प्रोवाइड करेगा। आपको जितनी सिक्योरिटी की चिंता है उतनी ही हमें भी है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी, कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें। यहां पर कोई द्विपक्षीय समझौता नहीं है।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : साउथ के स्टेट्स के लिए हमने निर्णय लिया है कि हमारे साउथ के पांच स्टेट्स हैं तमिलनाडु, केरल, अंडमान-निकोबार और दो स्टेट्स और हैं, उन पांच स्टेट्स में 15 अगस्त तक हर गांव में टेलीफोन के टार्गेट को पूरा कर देंगे। उसी तरीके से हमारा टेलीफोन ऑन डिमांड 13 स्टेट्स में चल रहा है, वह टार्गेट भी हम पूरा कर देंगे।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : लक्षद्वीप के बारे में क्या कहना है?

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : उसी तरीके से हमारा टेलीफोन ऑन डिमांड 13 स्टेट्स में चल रहा है, वह टार्गेट भी हम पूरा कर देंगे।

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव : मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री ने माननीय उपाध्यक्ष की बात नहीं सुनी है।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : लक्षद्वीप का हम पता लगा लेते हैं, अगर लक्ष्य से थोड़ा उधर रहा तो उसको भी जोड़ देंगे। आप डब्ल्यू.एल.एल. आने दीजिए, उपाध्यक्ष जी, मैं आपके लक्षद्वीप में सबसे पहले दे दूंगा।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप और लद्दाख दूर दराज के क्षेत्र हैं जिन पर आपको विशेष ध्यान देना होगा।

श्री वैको (शिवकाशी): हम तमिलनाडू सरकार की ओर से मंत्री जी का धन्यवाद करते हैं।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : इतना ही नहीं बल्कि साउथ के जितने भी राज्य हैं उनके लिए हमने 2001 तक हर गांव में टेलीफोन लगाने का टार्गेट रखा है। जितने भी बैकवर्ड इलाके हैं उन्हें आईडेंटिफाई करके उनमें भी लगा दें। हम चिंतित हो जाते हैं कि हमारी वेटिंग लिस्ट बढ़ रही है। हमको चिंता होती है यदि हमारी वेटिंग लिस्ट दो-तीन साल से है। जैसा एक सदस्य ने बताया कि पैसा जमा करते हैं तो उनको सूद पैसे पर मिलता है। लेकिन इस बात से हम संतुष्ट नहीं हैं। जब हम टेलीफोन नहीं दे सकते हैं तो पैसा क्यों लेते हैं। दिल्ली में कहा जाता है कि तकनीकी तौर पर यह एरिया फिजीबल हुआ नहीं है। क्यों फिजीबल नहीं है, हम उसके लिए प्रयत्नशील हैं। यह बात भी होती है कि एम.पी. का या मिनिस्टर का रिकमेंडेशन होने के बावजूद भी टेलीफोन नहीं लग पाया है।

[अनुवाद]

श्री ई. अहमद : क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं? ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी सहमत नहीं हैं।

...*(व्यवधान)*

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी : क्या मैं माननीय सदस्य से समय देखने का अनुरोध कर सकता हूं ...*(व्यवधान)* हमें देर हो रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अहमद, वे आपसे सहमत नहीं हैं। आप प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक मान्य धारणा है कि जब भी कोई सदस्य स्पष्टीकरण चाहता है तो मंत्री को पहले सहमत होना चाहिए।

श्री ई. अहमद : महोदय, माननीय सदस्य सहमत नहीं हो रहे है, मैं क्या कर सकता हूं?

उपाध्यक्ष महोदय : फिर, मैं क्या कर सकता हूं?

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : उपाध्यक्ष जी, दो मुख्य बातें हैं। एक तो माइग्रेशन पैकेज के संबंध में और एक शंखवाहिनी के संबंध में। मैं विस्तार में न जाकर मुख्य बातें आपके सामने रखूंगा। माइग्रेशन पैकेज के सम्बन्ध में जैसा सब को मालूम है और खास तौर पर माननीय सदस्यों ने इस मुद्दे को उठाया, उनको मालूम है कि 24 अक्तूबर, 1998 को फिक्की की बैठक में प्रधान मंत्री ने इसकी घोषणा की थी। 20 नवम्बर, 1998 को जी.ओ.टी. ग्रुप ऑन टेलीकॉम का गठन हुआ जिसके डिप्टी चेयरमैन उस समय प्लानिंग कमीशन के उपाध्यक्ष थे। 16 मार्च 1999 को जी.ओ.टी. की सिफारिश के आधार पर न्यू टेलीकॉम पालिसी 1999 बनी।

[श्री राम विलास पासवान]

26 मार्च, 1999 को कैबिनेट ने इसकी स्वीकृति दे दी। 1 अप्रैल, 1999 से एन.टी.पी. लागू हो गई लेकिन यह नए ऑपरेटर्स के लिए थी। जो पुराने ऑपरेटर्स काम कर रहे थे, उनके सामने आर्थिक समस्याएं थी। कोर्टबाजी हो रही थी। सरकार इस समस्या का निश्चित रूप से निदान करना चाहती थी। इस सम्बन्ध में अप्रैल 1999 में एटार्नी जनरल से राय मांगी गई। उसने 16.6.99 को अपनी राय दे दी। उनकी राय के बाद 6 जुलाई 1999 को कैबिनेट ने उसे एप्रूव कर दिया। 22 जुलाई 1999 को विभाग ने पत्र लिख कर मौजूदा सेल्यूलर ऑपरेटर्स और बेसिक आपरेटर्स को पैकेज ऑफर किया। 1 अगस्त 1999 को कटऑफ डेट शुरू हो गया और लाइसेंस फीस की जगह रेवेन्यू शेयर शुरू हो गया। जे एंटरी फीस था, 31 जुलाई 1999 तक जो बकाया राशि थी, वह वन टाइम एंटरी फीस मानी गई। 31 जुलाई तक की बकाया राशि [illegible] का 35 प्रतिशत 15 अगस्त 1999 तक समाप्त करने [illegible] गया। शेष 65 परसैंट राशि 31 जनवरी 2000 [illegible] साथ जमा करने का प्रावधान रखा गया। बाद में उसे बढ़ा करके 15 मार्च कर दिया। जो सेक्यूरिटाइजेशन बैंक की गारंटी आवश्यक थी, वह पहले 30 नवम्बर 1999 तक दी जानी थी। बाद में उसे बढ़ा कर 31 दिसम्बर 1999 कर दिया। उसे फिर बाद में बढ़ा कर 29 फरवरी 2000 कर दिया गया। 15 परसैंट रेवेन्यू शेयरिंग एडहॉक रखा गया है। आप रेवन्यू शेयरिंग का सवाल उठा रहे हैं, वह सब को मालूम है कि वह मेरा दायित्व नहीं है। रेवेन्यू शेयरिंग का मामला टी.आर.ए.आई. के पास पड़ा है। टी.आर.ए.आई. जो सिफारिश करेगी, उसके आधार पर हम निर्णय लेंगे। जो पुराना टी.आर.ए.आई. था, सरकार ने उसे इसलिए बदलने का काम किया क्योंकि पुराना टी.आर.ए.आई. दोनों काम कर रहा था। वह सिफारिश और जज का भी काम कर रहा था। वह एक तरफ सिफारिश करता था और उसे कोई नहीं मानता था तो फिर उन्हीं के पास कोर्ट में जाता था। उसके आधार पर टी.आर.ए.आई. को दो भागों में बांटा गया। जो पुराना टी.आर.ए.आई. था, उसे बदल कर टी.आर.ए.आई. रखा गया और एक एपीलेट ट्रिब्यूनल रखा गया। जो एपीलेट ट्रिब्यूनल है, उसके पोस्ट के लिए जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई है। उनसे विचार-विमर्श करने के बाद उनसे कहा हम नहीं चाहते कि डी.ओ.टी. को किसी भी रूप में प्रश्नवाहक चिन्ह लगे। हमने उनसे कहा कि जो भी निष्पक्ष नियुक्ति का नियम है, उसे फॉलो किया जाए। उसमें चेयरमैन होंगे। जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज या दूसरे जज होंगे। उनको इसमें रखा जाएगा। यह मामला कुछ दिनों में फाइनेलाइज होने वाला है। टी.आर.ए.आई. का गठन हो चुका है। टैरिफ से लेकर सारे मामले उनके जिम्मे होंगे। उनको सिफारिश करना है कि जो रेवेन्यू शेयरिंग है, वह 15 परसैंट रहेगा या कितना रहेगा?

जहां तक यूनिवर्सल ऑब्लिगेशन का सवाल है, यह उसका नाम है। हम चाहते हैं कि उसका नाम बदल कर बैकवर्ड एरिया डैवलपमैंट रखा जाए जिससे आम आदमी उसे समझे। जैसा हमारे साथी ने कहा कि आज गांव में कोई आदमी टेलीफोन लगाने जाना नहीं चाहता है। आपने ठीक कहा कि पिछले तीन साल में प्राइवेट वालों ने पांच पांडव के समान पांच गांवों में उसे लगाया। उसके बाद अभी 12 गांवों में लगाया है क्योंकि उन्हें लग रहा है कि इसमें घाटा है। अभी हमने अपने मित्र सिकंदर साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी। हमारी प्राइवेट ऑपरेटर्स से दो बार बात हुई है और उन्होंने कहा है कि इस अप्रैल के महीने से काम में तेजी लाने का प्रयास करेंगे। लेकिन इतनी बात सही है कि जो रेवेन्यू शेयरिंग आया है उससे उनका थोड़ा मनोबल बढ़ा है और वे आगे काम कर रहे हैं। इस परिस्थिति में जो टी.आई.ए.आई. के जिम्मे जो मामला है, उसके बारे में दो ओपिनियन्स हैं। कुछ लोग चाहते हैं और उसमें कांग्रेस पार्टी भी सम्मिलित है, वह रैगुलेटर को बिल्कुल इंडिपेंडेंट रखना चाहती है। कम्यूनिस्ट पार्टी के अलग व्यूज हैं। जैसा कि मैंने कहा कि हमने बहुत सी चीजें इनहैरिट की हैं, बहुत सी चीजें हमने इनसे ली हैं ...*(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल : आप अभी शेयर कर रहे हैं।

श्री राम विलास पासवान : हम उसे बंद भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि जो रेवेन्यू शेयरिंग की ऑपरेटर्स द्वारा बैंक गारंटी की रकम पहले निकाल ली गई है, उसे पुनः एलाइव करना होगा, ये सारे का सारा शर्त में था। न्यू टेलीकॉम पालिसी में एक शर्त यह थी, किसी सेवा क्षेत्र में जब एक आप्रेटर पुरानी लाइसेंसिंग व्यवस्था में कार्य करता है तो दूसरे आप्रेटर्स को भी पुरानी लाइसैंसिंग व्यवस्था के अनुसार काम करना होगा। अब ड्यो-पोली की जगह मल्टी-पोली लाइसैंसिंग सिस्टम शुरू हो जायेगा। जो दो ही था, उनकी जगह अब कम्पीटीशन अधिक होगा। बेसिक आप्रेटर्स, जिनकी लाइसैंसिंग अवधि पहले 15 साल की थी, उन आप्रेटर्स की लाइसैंसिंग फी अवधि 20 साल कर दी गई है। पुराने सैल्युलर आप्रेटर्स की लाइसैंस की अवधि 10 साल से बढ़ाकर 20 साल की गई है ताकि दोनों में समरूपता आये। इसके अलावा बकाया लाइसैंसिंग फी जो 31.7.1999 तक भी उस से 6 माह के लिये प्रभावी तारीख बढ़ा दी गई है। वैसे तो बहुत से पाइंट्स हैं जिनमें मैं विस्तार से नहीं जाना चाहता लेकिन मैंने जैसा कहा कि जरूरत इस चीज की है और आप बार-बार सवाल उठा रहे हैं कि इसमें हमें एक लाख करोड़ रुपया मिलता या 25 हजार करोड़ रुपया मिलता। हमें कौन देने वाला है? हमारे पास पूरा-पूरा फैक्ट्स है कि पहले साल में आपको कितना देना था दूसरे साल में कितना देना था, तीसरे साल में कितना देना था और चौथे साल कितना देना था। जो आपका लाइसेंस रिसीट प्राब्लम

फ्राम मैट्रो सेल्युलर लाइसेंसी मुम्बई में पहले साल 3 करोड़, दूसरे साल 6 करोड़, तीसरे साल 12 करोड़ और चौथे साल से आगे लाइसैंसिंग फी 6.023 लाख रु. प्रति 100 उपभोक्ता होगी। इसी प्रकार मैं समझता हूं कि दिल्ली के लिये 2, 4, 8, 12 और 16 करोड़......

श्री मणि शंकर अय्यर : आपने किस हिसाब से दिया है, मैंने भी लगाया है।

श्री राम विलास पासवान : अब आप सात साल का हिसाब लगा लीजिये।

श्री मणि शंकर अय्यर : हिसाब के बारे में हमने आपको बता दिया है। यदि आपने भी हिसाब नहीं किया है तो मैं आपको बताता हूं।

श्री राम विलास पासवान : मैं वही कह रहा हूं। उनके सामने यह प्राब्लम थी कि तीन साल के बाद इस मैथड में कोई आप्रेटर काम नहीं कर पाता और एक साल लाइसेंस फी सर्कल में रख दिया और एक साल के बाद लाइसेंस फीस दूसरे साल में नहीं दिया। उसके कारण सरकार को अपनी पालिसी बदलनी पड़ी। यदि सरकार पालिसी नहीं बदलती तो दो करोड़ छोड़िये, दो रुपये आने वाला नहीं था। कोर्ट में मामला चला जा रहा था। ...*(व्यवधान)*

श्री मणि शंकर अय्यर : उपाध्यक्ष महोदय, यह एक अहम विषय है और ये कह रहे हैं कि दो रुपये भी नहीं मिलते जब कांट्रेक्ट वालों ने साइन किया था और जिसके आधार पर प्रतिज्ञा की थी कि 20 साल के अंदर देंगे, फिर यह कैसे हो सकता है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : वे सहमत नहीं हो रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री मणि शंकर अय्यर : महोदय, मंत्री जी का काम हमारे प्रश्न का उत्तर देना है। अगर वे हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं देते तो हमारा कर्त्तव्य है कि उन्हें उस प्रश्न का स्मरण करवाएं जो हमने पूछा था।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : उसी तरीके से सांख्यवाहिनी का मामला इन्होंने उठाया है। इसे केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 19.1.2000 को स्वीकृति दे थी थी। जो भी पाइंट्स हमारे पास आये हैं, चाहे इंडिविजुअल के माध्यम से आये हों ...*(व्यवधान)*

श्री लक्ष्मण सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं.......

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : वे नहीं मान रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज): उपाध्यक्ष महोदय, यह शुरू से कांग्रेस पार्टी का घोटाला है।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महराजगंज-बिहार): उपाध्यक्ष महोदय, घोटाला कांग्रेस के राज में हुआ।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री प्रभुनाथ सिंह, कृपया उन्हें अपनी बात पूरी करने दें।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : मैं मेन पाइंट बतलाना चाहता हूं कि केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 19.1.2000 को जाइंट वैंचर की कम्पनी आई.यू. नेट करानेगीमेलोन विश्वविद्यालय के अधीन जो स्थापित कम्पनी है, इन्होंने कहा कि कम्पनी की स्थापना बाद में हुई जब दोनों तरफ के लोग मिले। मिलने के बाद यह तय हुआ कि सब एक नई कम्पनी बनायेंगे और जो नई कम्पनी का नाम होगा, उसके मुताबिक वे कर सकेंगे और जो उसका कारोबार शुरू कर सकता है, उसके आधार पर तय किया। उसमें इलैक्ट्रोनिक्स विभाग और शैक्षणिक संस्थायें हिस्सेदार होंगी। इसमें संचार विभाग का हिस्सा 45 परसेंट रहेगा, 4 परसेंट भारत की शैक्षणिक संस्थाओं का, 2 परसेंट सरकार के इलैक्ट्रानिक विभाग का होगा और इसमें 49 परसेंट हिस्सा आयुर्नेट का होगा। इस तरह से सरकार की हिस्सेदारी 51 परसेंट होगी। जो इस कमेटी में मैम्बर्म थे, उसमें डिफेंस डिपार्टमेंट लेंगे ...*(व्यवधान)*

श्री मणि शंकर अय्यर : वे आपके डिपार्टमेंट के थे।

श्री राम विलास पासवान : श्री अरुणाचलम, जो सात साल तक डिफेंस मिनिस्ट्री में भारत सरकार के सलाहकार रहे, वह नहीं हैं ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : वे सहमत नहीं हो रहे हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : इसके बाद यह कम्पनी देश में स्पीड डाटा नैटवर्क स्थापित करेगी और इसका प्रयोग शैक्षणिक संस्थाओं, निजी तथा सरकारी उद्यम, विभिन्न व्यक्तियों के प्रशिक्षण एवं शोध के लिये किया जायेगा। कम्पनी की स्थापना के फलस्वरूप हाई स्पीड डाटा नैटवर्क में रिसर्च एवं डेवलपमैंट के काम को प्रोत्साहन मिलेगा। इस परियोजना के बारे में जो आपने अभी कहा कि इसमें इंडियन टेलीग्राफ एक्ट का इसमें उल्लंघन ...नका लाइसेंस टेलीग्राफ एक्ट के अधीन दिया ...न)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया साथ-साथ मत बोलते जाइये।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : वे सहमत नहीं हो रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : इसमें कंपनी एक्ट का उल्लंघन हुआ है - नहीं। मैं यहां जो चीज कह रहा हूं वह पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। *...(व्यवधान)*

श्री मणि शंकर अय्यर : देश का पैसा है *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री ई. अहमद : महोदय, वे माननीय सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहे हैं। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया माननीय मंत्री जी की बात सुनिए।

...(व्यवधान)

श्री मणि शंकर अय्यर : महोदय, मंत्री महोदय मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहे हैं। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : आपने प्रश्न पूछा है तो सुनिये *...(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : जाली कंपनी हैं *...(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान : सर, मैं इनका एक-एक प्वाइंट नोट करता गया हूं। मैं उनका जवाब दे रहा हूं। यदि मैं गलत बोलूंगा तो इन्हें मुझसे कहने का अधिकार है *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव : अगर आप हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हम सभा से बाहर चले जाएंगे। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, कृपया इन्तजार करें।

...(व्यवधान)

रात्रि 8.38 बजे

इस समय श्री संतोष मोहन देव तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, हम उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं। हम बाहर जा रहे हैं।

रात्रि 8.38$^{1}/_{2}$ बजे

इस समय श्री रूपचन्द पाल तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : हम इनके जवाब से संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए हम सदन से वाक आउट कर रहे हैं।

रात्रि 8.39 बजे

तत्पश्चात् डा. रघुवंश प्रसाद सिंह तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चंद्र खण्डूड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, इनमें जवाब सुनने की हिम्मत नहीं है, इसलिए भाग रहे हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री के अभिभाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : मैं सर इसलिए इस बात को रिकार्ड पर लाना चाहता हूं, वे रहें या नहीं रहे लेकिन उन्होंने जो प्रश्न उठाया है कि क्या इस योजना के लागू होने से प्रत्येक नागरिक से जुड़ी चीजें जैसे टेलीफोन, ई-मेल, फैक्स इत्यादि खुफियागिरी के दायरे में आ जायेंगे, उसका जवाब है - नहीं। क्योंकि वॉइस टेलीफोन की इजाजत उन्हें नहीं दी गई है और उसके ऊपर वी.एस.एन.एल. का नियम ही लागू होगा। उसके बाद इन्होंने डा. अरुणाचलम और डा. राजा रेड्डी के संबंध में कुछ बातें कही हैं, जो बातें उन्हें बोलनी नहीं चाहिए थीं। ये दोनों कोई मामूली व्यक्ति नहीं हैं। डा. अरुणाचलम भारत के रक्षा मंत्रालय के साइंटिफिक एडवाइजर थे और एक-दो साल नहीं सात साल तक थे। कोई आदमी अमरीका में बैठा हुआ, नेशनल इंटरेस्ट में काम करता हो और भारत के लिए सोचता हो, वहां की नई टैक्नोलोजी, आपके पास आ रही हो, वहां से लोग आयेंगे, वे भी सामान बेचेंगे और आपके पास में जितना ऑप्टीकल फाइबर बचा हुआ है, उसे बेचने का आप काम करेंगे। आपका मार्केट खुल रहा है। सारा का सारा रूल्स रेगुलेशंस, एक्ट आदि मेरे पास पूरी किताब है। आर्बिट्रेशन एक्ट से लेकर सारी चीजें भारत सरकार के नियम के मुताबिक लागू होने वाली हैं। इसमें नेशनल सिक्युरिटी का मामला कहां आता है। ये ज्वाइंट वैन्चर अभी बना भी नहीं है। तीन महीने का समय बरबाद हो गया है। इसलिए हम लोगों ने मन बनाया है और ज्वाइंट वैन्चर एग्रीमेंट का ड्राफ्ट बनाकर एक सप्ताह पहले लॉ मिनिस्ट्री के पास भेजा जा चुका है। उसके अप्रूवल के बाद डीटेल्ड फीजिबिलिटी और एस्टीमेट का अप्रूवल टेलीकोम कमीशन से लिया जायेगा और उसके बाद ज्वाइंट वैन्चर का एग्रीमैंट होगा। ज्वाइंट वैन्चर का एग्रीमैंट हस्ताक्षर होने के बाद सांख्यवाहिनी इंडिया लि. का रजिस्ट्रेशन कंपनी एक्ट के तहत किया जायेगा। अभी जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जो आई.यू. नैट है, डी.टी.एस. और एम.आई.टी. एजूकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वे इसमें शेयर होल्डर्स होंगे और कंपनी की टोटल लागत 1407 करोड़ होगी और अभी तक उसके इक्विटी शेयर कैपिटल 1000 करोड़ प्रस्तावित हैं। उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आठ होंगे, उन आठ में से तीन यहां के होंगे, तीन आई.यू. नैट के होंगे और एक शिक्षण संस्थान का होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, उसमें एक एक्सपर्ट भी होगा, जो उसका एम.डी. होगा। इसलिए मैं समझता हूं कि जिन माननीय सदस्यों ने सांख्य वाहिनी के संबंध में जो शंकाएं रैवैन्यू शेयरिंग के संबंध में उठाई हैं, उनमें कोई दम नहीं है और इस बात को देश की जनता समझ चुकी है।

उपाध्यक्ष जी, और भी बहुत सारे पाइंट्स थे, जिनका मैं जवाब देना चाहता था, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जहां-जहां के माननीय सदस्य ने जिन-जिन लोकल मामलों को उठाया है, उनका जवाब उन्हें लिखकर देने का काम करूं, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। एक माननीय सदस्य ने पोस्ट आफिस के सी.पी.एम.जी. का मामला उठाया, उन्हें बदल दिया गया है। पटना के सी.जी.एम. का स्थानांतरण कर दिया गया है। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा। जिन-जिन माननीय सदस्यों ने संचार मंत्रालय के बजट पर बहस में हिस्सा लिया है, मैं उन सबका धन्यवाद करना चाहता हूं।

संतोष मोहन देव जी, डा. लक्ष्मीनारायण पांडेय जी, रूप चन्द पाल जी एवं अन्य जितने भी लोग बोले, मैं सभी का आभारी हूं। मैं सबका नाम लेना चाहता हूं, लेकिन समय नहीं है। प्रभुनाथ सिंह जी ने जी.एम. के खिलाफ कहा और बताया कि एम.पी. का टेलीफोन नहीं लगता, ठेकेदारी प्रथा में धांधली है, टेंडरदाता और पदाधिकारी के बीच में साठगांठ है, केजुअल लेबर का सवाल उठाया, सुदूर इलाके में डाक से भेजी गई चिट्ठी मरने के सात साल बाद भी नहीं मिलती है, दूरदराज के इलाकों में डाकघर की दूरी का मापदंड नहीं लिया जाना चाहिए, आदि अनेक बातों पर यहां चर्चा हुई।

मैं बताना चाहता हूं कि यह सारा मामला अकेले हमारे मंत्रालय का नहीं है। इसमें वित्त मंत्रालय शामिल है। सरकार का काम डाउन साइज करने का है। *...(व्यवधान)* हमारे नागालैंड के साथी बोले, उन्होंने पदाधिकारी के संबंध में कहा था कि उन्हें वहां से दिल्ली बैठा दिया गया है। मैंने उसी समय बताया था और अब फिर दोहराना चाहता हूं कि पहले भले ही हटा दिया गया था, लेकिन हमने उनको वापस कर दिया है और उसके बाद उनका पदस्थापन भी नागालैंड हो गया है। चूंकि हम जानते हैं कि नार्थ ईस्ट और उधमपुर का इलाका बहुत सैंसिटिव क्षेत्र है।

उपाध्यक्ष महोदय, उधमपुर में एस.एस.ए., टी.डी.एम. को बदलकर, पद को अपग्रेड कर के जी.एम. लगा दिया है। हमारे सुशील मोहिते जी ने भीकाजी कामा एरिया के संबंध में कहा कि 1500 लाइनें मार्च महीने से खराब हैं। हम कोशिश करेंगे कि किसी दिन एटरेंडम जाकर चैकिंग करें और जहां हम जाएंगे वहां

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री राम विलास पासवान]

जो भी अधिकारी या कर्मचारी गड़बड़ी करते पाए जाएंगे या अपने कर्त्तव्य में कोताही करते हुए पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

उपाध्यक्ष महोदय, रघुवंश प्रसाद जी चले गए। उन्होंने कहा था कि उनके एरिया में टेलीफोन एक्सचेंज ठीक प्रकार से काम नहीं करते हैं। मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि वहां उनकी सरकार है, वे उसे कहें कि बिहार की कानून-व्यवस्था की स्थिति ठीक करें ताकि हम टेलीफोन एक्सचेंज में रात में कर्मचारियों से काम करा सकें और वहां का माहौल ऐसा बन सके कि संचार विभाग के कर्मचारी दिन-रात टेलीफोन एक्सचेंजों में कार्यरत रह कर उन्हें चुस्त-दुरुस्त रख सकें।

हिमाचल प्रदेश के हमारे माननीय सांसद महेश्वर सिंह जी ने ... बदलने के बारे में कहा। मैं उन्हें बताना चाहता ... मार' को रिप्लेस करने जा रहे हैं। इस साल एक लाख 10 को रिप्लेस करेंगे और अगले वर्ष एक लाख को। इस प्रकार से दो साल में पूरे 'मार' टेलीफोन को रिप्लेस कर देंगे। उसके बाद केबल बिछाने के लिए खुदाई के बारे में कहा एवं डाकघरों के बारे में कहा, जिसका उत्तर मैंने पहले ही दे दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमती वी. सरोजा देवी ने टेलीफोन के संबंध में कहा। सासंदों के कोटे को 50 से बढ़ाकर 100 करने की बात कही। अभी ये बैठे हुए थे, हमने स्पीकर साहब से आग्रह किया है कि 50 से बढ़ाकर 100 कर दिया जाए, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें अनुमति मिल जाएगी, तो हम वह कर देंगे, लेकिन उन्होंने इस बात को कहा कि स्पीकर का नाम लिए बगैर संख्या बढ़ा दी जाए, वह संख्या बढ़ा दी जाएगी। यदि सिर्फ मेरा ही उस घोषणा से संबंध हो, तो मुझे उसे करने में कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको करेंगे। एक माननीय सदस्य ने कहा कि मोबाइल फोन को फ्री कर दीजिए। उसके लिए हमारे पास हमारे बॉस, माननीय संसदीय कार्य मंत्री बैठे हुए हैं, वे कह देंगे, तो हमें उसे करने में कोई ऐतराज नहीं है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): पहले सब सांसदगण लिख कर दें कि मोबाइल टेलीफोन को सदन में नहीं लाएंगे।

श्री राम विलास पासवान : हां, ठीक बात है। यहां एक बात होती है, जब फायदा लेना होता है, तो सब सांसद ले लेते हैं और जब साधू बनने का सवाल आता है, तो कहते हैं हम तो साधू हैं और दूसरों के लिए कहते हैं कि यह तो इन्हीं लोगों का है। संसदीय कार्य मंत्री कहें, हमें करने में कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग आज सरकार में हैं, कल तक हम लोग विरोध पक्ष में थे। फिर हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग जनता के दुखदर्द को समझते हैं। जब हमने कहा कि 2000 ईसवी तक हम टेलीफोन देंगे तो एम.पी. टेलीफोन देता है, तो क्या बुरा करता है। इसलिए मैंने कहा कि हमको कोई आपत्ति नहीं है और मैंने स्पीकर साहब के नॉलेज में डाल दिया है। उस समय वे यहां बैठे हुए थे। मैंने उनसे कहा कि हमें कोई आपत्ति नहीं है और हमको लगता है कि स्पीकर साहब को भी इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे एक सुझाव आपको देना है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : संसद सदस्यों की काफी शिकायत मेरे पास आयी है। हाई कोर्ट ने ओवर बिलिंग और ऐरियर्स के बारे में जजमैंट भी दिया है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इसमें मैम्बर का यह कहना है कि ओवर बिलिंग होने की वजह से वह सैटल नहीं हो पाया इसलिए बिल का पैमेंट नहीं हुआ। इसके साथ-साथ आप उसमें सरचार्ज भी लगाते हैं। ऐसा ही उनका कई साल तक चलता रहता है। मेरा एक सुझाव है, पार्लियामैंट्री अफेयर्स मिनिस्टर साहब भी यहां बैठे हैं, कि मैम्बर्स के टेलीफोन के बिलिंग का एक डिस्प्यूट सैंटर यहां बनाया जाये।

श्री राम विलास पासवान : इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। आपका जैसा निर्देश होगा, हम वैसा कर देंगे। हम चाहते हैं कि मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट ही नहीं बल्कि जो भी आम नागरिक हो, उनको कोई शिकायत न हो। लेकिन मैम्बर ऑफ पार्लियामैंट के माथे पर बहुत बड़ी जवाबदेही रहती है। एक-एक मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट को दो, तीन या चार लाख रुपये का टेलीफोन का बिल आता है। वह सही भी है।

उपाध्यक्ष महोदय : किसी को साढ़े चार लाख रुपये का बिल भी आया है।

श्री राम विलास पासवान : हमारे पास अधिकार नहीं है कि हम किसी का बिल माफ कर दें। हम ज्यादा से ज्यादा इतना ही कर सकते हैं कि हम उसकी विजिलेंस से या हॉयर आफिसर से जांच करा सकते हैं। यदि हमारे पास पावर रहती कि आप माफ कर दो *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माफ करने की बात नहीं कह रहा हूं।

श्री राम विलास पासवान : इसलिए आपका जो सुझाव है कि उसका सैटलमैंट करने के लिए एक कमेटी बना दी जाये। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने यह कहा है कि डिस्प्यूट सैटलमैंट के लिए एक काउंटर इधर खोला जाये।

श्री राम विलास पासवान : हम सचिवालय और स्पीकर साहब से बातचीत करेंगे और जो भी हमें निर्देश मिलेगा, उसके मुताबिक हम काम करेंगे।

कुंवर अखिलेश सिंह : मैं एक मिनट आपकी तव्वजो चाहूंगा। 100 किलोमीटर की दूरी तक को आप लोकल कॉल कर दीजिए। ...*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान : आपने जितना सुझाव दिया है, उनमें से जितनी चीज हमारे अंडर है जैसे आपने कहा कि 50 कनेक्शन की जगह 100 करो तो हमने कहा कि हमारी तरफ से है और वह हो भी जायेगा। इसमें स्पीकर साहब या किसी और को कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक दस हजार का सेलुलर फोन मुफ्त करने की बात है, तो पार्लियामैंट्री अफेयर्स मिनिस्टर साहब यहां बैठे हैं, हमको इसमें कोई आपत्ति नहीं है, अगर ये हमको लिखकर भेज देंगे तो हम कर देंगे।

कुंवर अखिलेश सिंह : हमने कहा कि 100 किलोमीटर की दूरी को लोकल कॉल के लिए करें। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यह क्या हो रहा है?

श्री प्रभुनाथ सिंह : प्रमोद जी, कुछ कहना चाहते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : मैं कहना चाहता हूं कि इसको पूरा कर लें।

श्री राम विलास पासवान : यह कह रहे हैं कि पार्लियामैंट्री मिनिस्टर की हैसियत से कुछ कहेंगे तो तुरंत हां ना में होने लगेगा। कोई कहेगा कि हम लेंगे और कोई कहेगा कि हम नहीं लेंगे। मैं खाली नाम ले लेता हूं। श्री राम सागर जी ने बातचीत की। जम्मू-कश्मीर के हमारे साथी ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : सभी मैम्बर्स ने पार्टीसिपेट किया हुआ है इसलिए आप समाप्त करें।

...*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान : लक्ष्मण जी आदि मैम्बर्स का मैं नाम ले लेता हूं। श्री ब्रह्मनैया, रामदास आठवले, एस.एस. पलानीमनिक्कम, मणि शंकर अय्यर, ई. अहमद, पाण्डेय जी, आदि सब साथियों को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं जया बहन ठक्कर और सबसे ज्यादा धन्यवाद ऊषा जी को देता हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम: म.न.टे.नि. चेन्नई के बारे में आपका क्या कहना है?

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : मेरे पास दिल्ली और चेन्नई के एम.टी.एन.एल. का पूरा खाका है। चेन्नई का काम दिल्ली से अच्छा हो रहा है। मैं इतना ही कह सकता हूं। इसलिए हर चीज में एम.टी.एन.एल. और वी.एस.एन.एल. मत चलाइये। हम काम के परफोर्मैंस को देखते हैं और चेन्नई की परफोर्मैंस, एज.ए. मिनिस्टर हमको नहीं कहना चाहिए कि यह म.न.टे.नि. दिल्ली से अच्छा है।

इन शब्दों के साथ मैं अपने सभी साथियों को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मुझे आशा है कि आप डिमांड्स को पास करने का कष्ट करेंगे।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं कटौती प्रस्ताव रखूंगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): हमारे यहां जो पत्र-पत्रिकाएं हैं, जो भारत सरकार के यहां पंजीकृत हैं, उनको बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रावत, वे इसका उत्तर दे चुके हैं। आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत : मंत्री महोदय, आपने कहा था कि मैं उत्तर दे दूंगा।

*...(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं समस्त कटौती प्रस्तावों को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संचार मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों को मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है:

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में संचार मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 11 से 13 के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्यसूची के स्तम्भ 4 में दिखायी गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

रात्रि 8.53 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 26 अप्रैल, 2000/6 वैशाख, 1922 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

पी.एल.एस.–48/6/23/2000 (एन०)
280

© 2001 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382
के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स जैनको आर्ट इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।